ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी)

भारत की बढ़ती

ऊर्जा

जरूरतों की पूर्ति

वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24

वार्षिक प्रतिवेदन व लेखा

2023-24

ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी)

www.easterncoal.nic.in

CIN-U10101WB1975GOI030295

ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड

लक्ष्य

कोल इण्डिया लिमिटेड का लक्ष्य सुरक्षा, संरक्षण एवं गुणवत्ता को सम्यक प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए दक्षतापूर्वक और मितव्ययिता के साथ पर्यावरण के अनुकूल योजनाबद्ध परिमाण में कोयला एवं कोयला उत्पाद का उत्पादन एवं विपणन करना है।

संकल्पना

खदान से बाजार तक सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से पर्यावरण और सामाजिक रूप से टिकाऊ विकास को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के साथ प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक कंपनी के रूप में उभरना।

विषयसूची

क्रम सं.	विषयवस्तु	पृष्ठा संख्या
1.	निगमित संसूचना	4
2.	निदेशक मण्डल	5
3.	वार्षिक महाबैठक की सूचना	7
4.	अध्यक्षीय वक्तव्य	11
5.	परिचालनात्मक सांख्यि की	14
6.	निदेशक मण्डल की पृष्ठभूमि	24
7.	निदेशक मण्डलीय प्रतिवेदन 2023-24	29
8.	स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन	138
9.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ और उस पर उनका उत्तर	155
10.	31 मार्च, 2024 तक तुलन-पत्र	164
11.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण	166
12.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	168
13.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण	170
14.	वित्तीय विवरणियों के लिए टिप्पणियाँ	172
15.	बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाले नोट्स	188
16.	लाभ एवं हानि विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स	208
17.	खातों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	228
18.	शब्दकोष	254

निगमित संसूचना

पंजीकृत कार्यालय

ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय, सांकतोड़िया,
पोस्ट – डिसेरगढ़, जिला- पश्चिम बर्द्धवान,
पिन- 713333, पश्चिम बंगाल

निदेशकगण एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी

पूर्णकालिक निदेशकगण

श्री समीरन दत्ता, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
(28.12.2023 से) (अतिरिक्त प्रभार)
श्री ए. पी. पंडा, सीएमडी एवं सीईओ
(01.02.2022 से 27.12.2023 तक)
मो. अंज़ार आलम, निदेशक (वित्त)-सह-सीएफओ
(15.09.2022 से)
श्रीमती आहुती स्वाईं, निदेशक (वित्त)
(18.11.2022 से)
श्री नीलाद्री रॉय, निदेशक (तकनीकी) संचालन (01.02.2023 से)
श्री नीलेन्दु कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना
(09.12.2022 से 29.04.2024 तक)

सरकार नामिति निदेशकगण

श्री हारा कुमार हाजोंग, आर्थिक सलाहकार, कोलया मंत्रालय
(05.07.2022 से 30.06.2023 तक)
श्री बी. वीरा रेड्डी, निदेशक (तकनीकी), सीआईएल
(12.05.2022 से 18.03.2024 तक)
श्री मुकेश अग्रवाल, निदेशक (तकनीकी),सीआईएल
(18.03.2024 से)
श्री माणिक चंद्र पंडित, निदेशक (विपणन), कोयला मंत्रालय
(19.07.2023 से)

स्वतंत्र निदेशकगण

श्री शिव नारायण पाण्डेय (01.11.2021 से)
श्री शिव तपस्या पासवान (01.11.2021 से)
श्रीमती धर्मशीला गुप्ता (01.11.2021 से 13.02.2024 तक)

कंपनी सचिव

श्री रामबाबू पाठक (01.07.2018 से)

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स रॉय घोष एवं एसोसिएट, बर्द्धमान

शाखा लेखापरीक्षक

मेसर्स एस. गुहा एवं एसोसिएटस, कोलकाता
मेसर्स सुदीप्ता घोष एवं कंपनी, बर्द्धमान
मेसर्स अइच रे दास एवं चट्टोपाध्याय, बर्द्धमान
मेसर्स पीएनपी एवं कंपनी, बर्द्धमान
मेसर्स एस. के. नरेदी एवं कंपनी, कोलकाता

लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स के. जी. गोयल एवं एसोसिएटस, जयपुर (अग्रणी लागत लेखापरीक्षक)
मेसर्स एम. जी. एवं एसोसिएटस, बर्नपुर
मेसर्स पंत एस. एवं एसोसिएटस, गाजियाबाद
मेसर्स बी. रे एवं एसोसिएटस, कोलकाता

सचिवालयिक लेखापरीक्षक

मेसर्स मेहता एवं मेहता
मुम्बई - 400018

आंतरिक लेखापरीक्षक

मेसर्स मित्रा रॉय एवं दत्ता, कोलकाता
मेसर्स कोमण्डूर एवं कंपनी, एलएलपी, कोलकाता
मेसर्स एस. श्रीवास्तव एवं कंपनी, लखनऊ
मेसर्स विनोद सिंघल एवं कंपनी, जयपुर
मेसर्स सी. के. दे एवं एसोसिएटस, मुम्बई
मेसर्स एन. ए. सिद्दीकी एवं कंपनी, लखनऊ
मेसर्स एसडीआर एवं एसोसिएटस, भुवनेश्वर
मेसर्स एमआईआर एवं एसोसिएटस, कोलकाता
मेसर्स घोषाल एवं घोषाल, कोलकाता
मेसर्स पीएसएमजी एवं एसोसिएटस, दिल्ली
मेसर्स चटर्जी एवं कंपनी, कोलकाता
मेसर्स बंदोपाध्याय एवं दत्ता, कोलकाता
मेसर्स एस. एन. नंदा एवं कंपनी, दिल्ली
मेसर्स दे एवं बोस, कोलकाता

खानों का अवस्थान

राज्य:	पश्चिम बंगाल
जिला:	पश्चिम बर्द्धमान
	बांकुड़ा
	पुरूलिया
राज्य:	झारखण्ड
जिला:	धनबाद
	गोड्डा
	दुमका
	पाकुड़
	देवघर

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
इंडियन बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
एचडीएफसी बैंक लि.
यूको बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
आईसीआईसीआई बैंक लि.
केनरा बैंक
एक्सिस बैंक लि.
पंजाब नेशनल बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

निक्षेपागार

मेसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता

मेसर्स एनडीएमएल
आईएसआईएन: INE06V901011

निदेशक मण्डल

निदेशक मण्डल (2023-24 के दौरान)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक / सीईओ

श्री समीरन दत्ता, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (28.12.2023 से) (अतिरिक्त प्रभार)
श्री ए. पी. पंडा, सीएमडी एवं सीईओ (01.02.2022 से 27.12.2023 तक)

पूर्णकालिक निदेशकगण

मो. अंज़ार आलम, निदेशक (वित्त)-सह-सीएफओ (15.09.2022 से)
श्रीमती आहुती स्वाईं, निदेशक (वित्त) (18.11.2022 से)
श्री नीलाद्री रॉय, निदेशक (तकनीकी) संचालन (01.02.2023 से)
श्री नीलेन्दु कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी) यो. व परि. (09.12.2022 से 29.04.2024 तक)

सरकार नामिति निदेशकगण

श्री हारा कुमार हाजोंग, आर्थिक सलाहकार, कोलया मंत्रालय (05.07.2022 से 30.06.2023 तक)
श्री बी. वीरा रेड्डी, निदेशक (तकनीकी), सीआईएल (12.05.2022 से 18.03.2024 तक)
श्री मुकेश अग्रवाल, निदेशक (तकनीकी),सीआईएल (18.03.2024 से)
श्री माणिक चंद्र पंडित, निदेशक (विपणन), कोयला मंत्रालय (19.07.2023 से)

स्वतंत्र निदेशकगण

श्री शिव नारायण पाण्डेय (01.11.2021 से)
श्री शिव तपस्या पासवान (01.11.2021 से)
श्रीमती धर्मशीला गुप्ता (01.11.2021 से 13.02.2024 तक)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

मो. अंज़ार आलम, निदेशक (वित्त)-सह-सीएफओ (15.09.2022 से)

कंपनी सचिव

श्री रामबाबू पाठक (01.07.2018 से)

निदेशक मण्डल (यथा 1 अगस्त, 2024 तक)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक / सीईओ

श्री समीरन दत्ता, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (अतिरिक्त प्रभार)

पूर्णकालिक निदेशकगण

मो. अंज़ार आलम, निदेशक (वित्त)-सह-सीएफओ
श्रीमती आहुती स्वाईं, निदेशक (कार्मिक)
श्री नीलाद्री रॉय, निदेशक (तकनीकी) संचालन एवं निदेशक (तकमीकी) योजना व परियोजना (अतिरिक्त प्रभार)

सरकार नामिति निदेशकगण

श्री मुकेश अग्रवाल, निदेशक (वित्त), सीआईएल

श्री माणिक चंद्र पंडित, निदेशक (विपणन), कोयला मंत्रालय

स्वतंत्र निदेशकगण

श्री शिव नारायण पाण्डेय
श्री शिव तपस्या पासवान

मुख्य वित्तीय अधिकारी

मो. अंज़ार आलम, निदेशक (वित्त)-सह-सीएफओ

कंपनी सचिव

श्री रामबाबू पाठक

निदेशक मंडल

श्री समीरन दत्ता
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

श्री मुकेश अग्रवाल
निदेशक (वित्त), सीआईएल
अंशकालिक पदीय निदेशक, ईसीएल

डॉ. माणिक चंद्र पंडित
निदेशक, कोयला मंत्रालय
अंशकालिक पदीय निदेशक, ईसीएल

मो. अंज़ार आलम
निदेशक (वित्त), ईसीएल

श्रीमती आहुती स्वाईं
निदेशक (कार्मिक), ईसीएल

श्री नीलाद्रि रॉय
निदेशक (तकनीकी)
संचालन, ईसीएल

श्री शिव नारायण पाण्डेय
अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक, ईसीएल

श्री रामबाबू पाठक
कंपनी सचिव, ईसीएल

श्री शिव तपस्या पासवान
अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक, ईसीएल

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
Eastern Coalfields Limited
(कोल इंडिया की एक अनुषंगी)
(A Subsidiary of Coal India Limited)
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
(A Govt. of India Undertaking)
Telefax: 0341-2520546
E-Mail: companysecretary.ecl@coalindia.in

संदर्भ सं. ईसीएल:सीएस:15(2024)/10025 दिनांक- 30 जुलाई, 2024

49 वीं वार्षिक महाबैठक की सूचना

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों को सूचना दिया जाता है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कंपनी") के शेयरधारकों की उनचासवें (49वें) वार्षिक महाबैठक ("एजीएम") गुरूवार, 01 अगस्त, 2024 को सुबह 11:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, सीएमडी कार्यालय, सांकतोड़िया, डाकघर – डिसेरगढ़, पश्चिम बर्धमान, पिन-713333, पश्चिम बंगाल में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य श्रव्य-दृश्य उपाय (ओएवीएम) के जरिए निम्नलिखित कारबारों के संव्यवहार के लिए आयोजित की जाएगी।

सामान्य कारबार :

1. यथा 31 मार्च, 2024 को लेखापरीक्षित तुलन-पत्र, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लाभ और हानि विवरणी, समस्त टिप्पणियों के साथ नगदी प्रवाह विवरणी, वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरणियों एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीति पर अतिरिक्त टिप्पणियों, सांविधिक लेखापरीक्षक एवं भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन को ग्रहण, प्रतिफलित और अंगीकृत करने संबंधित।

2. श्रीमती आहुती स्वाईं (डीआईएन-9817248) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने संबंधित, निदेशक जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के निबंधनों के अनुसार चक्रानुक्रम से निवृत्त होते हैं और पुनःनियुक्ति के लिए पात्र होने पर स्वयं को प्रस्तावित करते हैं।

विशेष कारबार :

3. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करने एवं प्रतिफलित करने और यदि उचित समझा जाए तो उपांतर सहित या रहित जारी करने संबंधित, निम्नलिखित संकल्प यथा **सामान्य संकल्प :**

"संकल्पित किया जाता है कि कंपनी के लागत परीक्षक कार्य करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्त लागत लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के अनुसरण में निम्नलिखित पारश्रमिक प्रदत्त किए जाते हैं :

क्रम सं.	लागत परीक्षक का नाम	वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखापरीक्षण हेतु पारिश्रमिक (₹ में)
1	मेसर्स के. जी. गोयल एवं एसोसिएट्स	6,60,000.00
2	मेसर्स एम. जी. एवं एसोसिएट्स	6,30,000.00
3	मेसर्स पंत एस एवं एसोसिएट्स	5,41,500.00
4	मेसर्स बी राय एवं एसोसिएट्स	2,71,500.00
	कुल : (इक्कीस लाख तीन हजार रूपए मात्र)	**21,03,000.00**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लागत परीक्षकों के रूप में उपर्युक्त फर्म की नियुक्ति अभिव्यक्ति की अभिरूचि (ईओआई) में यथा उल्लिखित निबंधनों एवं दशाओं द्वारा मार्गदर्शित होगी।

निदेशक मण्डल के आदेश से
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए

(रामबाबू पाठक)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)/कंपनी सचिव

दिनांक- 30 जुलाई, 2024
पंजीकृत कार्यालय :
सीआईएन - U10101WB1975GOI030295
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सांकतोड़िया, पोस्ट – डिसेरगढ़,
जिला – पश्चिम बर्द्धमान, पिन – 713333, पश्चिम बंगाल

टिप्पणियाँ :

1. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी 28 दिसंबर, 2022 के सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 के अनुसार, कंपनियों को एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की सशरीर उपस्थिति के बिना वीसी के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति है। इसलिए, कंपनी की एजीएम वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

   कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के माध्यम से "कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियों द्वारा सामान्य और विशेष प्रस्तावों को पारित करने पर स्पष्टीकरण और "कोविड-19" द्वारा उत्पन्न खतरे के कारण बनाए गए नियमों के संबंध में, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 2020, 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और बाद के परिपत्रों को इस संबंध में जारी किया गया, नवीनतम 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 को "वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक महाबैठक ("एजीएम") के आयोजन पर स्पष्टीकरण, (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) ने वीसी/ओएवीएम के माध्यम से, एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की सशरीर उपस्थिति के बिना, एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी। एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एजीएम के लिए स्थल माना जाएगा।

2. चूंकि यह वार्षिक महाबैठक एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा परोक्षी की नियुक्ति करने की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए परोक्षी प्रपत्र व उपस्थिति पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं है। यद्यपि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 एवं 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधि को वीसी या ओएवीएम के जरिए सहभागिता एवं मतदान करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। वीसी या ओएवीएम के जरिए बैठक में सम्मिलित होने के लिए, लिंक कंपनी के प्राधिकृत मेल आईडी के माध्यम से अग्रिम रूप में उपलब्ध करा दिया जाएगा और बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू होने के लिए निर्धारित समय से कम से कम 15 मिनट पहले खुली रखी जाएगी और ऐसे निर्धारित समय के 15 मिनट बाद बंद नहीं की जाएगी।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसरण में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी&एजी) द्वारा एक सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों को नियुक्त या पुनःनियुक्त किया जाना है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) के निबंधनों में, कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में उनका पारिश्रमिक नियत किया जाना है या इस तरह से यथा कंपनी सामान्य बैठक में निर्धारित कर सकती है।

4. विशेष कारबार से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरणी इसके साथ उपाबद्ध है।

5. शेयरधारकों से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के प्रावधानों के अनुसरण में अल्पतर समय की सूचना पर वार्षिक आम बैठक आहुत करने के लिए उनके सहमति देने का अनुरोध किया जाता है।

प्रतिलिपि :

1. मेसर्स रॉय घोष एंड एसोसिएट्स, 39, कालना रोड, बदामतला, बर्धमान, पश्चिम बंगाल, पिन-713101
2. मेसर्स मेहता एंड मेहता, कंपनी सचिव, सचिवीय लेखा परीक्षक, 201-206, शिव स्मृति चैंबर्स, दूसरी मंजिल, 49 ए, डॉ. एनी बेसेंट रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के ऊपर, वर्ली, मुंबई - 400018
3. मेसर्स के.जी. गोयल एंड एसोसिएट्स, कॉस्ट ऑडिटर्स, 289, महावीर नगर 2, महारानी फार्म, गायत्री नगर बी, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान 302018
4. ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड के समस्त निदेशकगण।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(i) के अनुसरण में विवरणी

01 अगस्त, 2024 गुरूवार को आयोजित उनचासवें (49वें) वार्षिक महाबैठक आहुत करने की सूचना के साथ उपाबद्ध।

विशेष कारबार : मद सं. 3

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के साथ पठित कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के अनुसार, लेखापरीक्षक समिति द्वारा यथा सिफारिश और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित लागत लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक की बाद में शेयरधारकों द्वारा अनुसमर्थन की जानी है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लेखापरीक्षक समिति 12 सितंबर, 2023 को आयोजित अपने 131 वीं बैठक में सिफारिश की और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल 12 सितंबर, 2023 को आयोजित अपने 366वीं बैठक में सिफारिश की कि निम्नलिखित पारिश्रमिक के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निम्नलिखित लागत लेखाकार फर्मों को यथा लागत लेखापरीक्षक नियुक्ति अनुमोदित किया जाए जिसे आगामी एजीएम में अनुसमर्थन किया जाना है :

क्रम सं.	लागत लेखापरीक्षक का नाम	वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखापरीक्षण हेतु पारिश्रमिक (₹ में)
1	मेसर्स के.जी. गोयल एवं एसोसिएट्स	6,60,000.00
2	मेसर्स एम. जी. एवं एसोसिएट्स	6,30,000.00
3	मेसर्स पंत एवं एसोसिएट्स	5,41,500.00
4	मेसर्स बी. राय एवं एसोसिएट्स	2,71,500.00
	कुल : (इक्कीस लाख तीन हजार रूपए मात्र)	**21,03,000.00**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लागत लेखापरीक्षकों के रूप में उपर्युक्त फर्मों की नियुक्ति अभिव्यक्ति की अभिरूचि (ईओआई) में यथा उल्लिखित निबंधनों एवं शर्तों द्वारा मार्गदर्शित होगी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के साथ पठित कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के निबंधनों के अनुसार, लागत लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक को कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। कंपनी के किसी भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों की इस संकल्प में कोई अभिरूचि नहीं है। निदेशक मंडल आपके अनुमोदन के लिए इस संकल्प की सिफारिश करता है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए
निदेशक मण्डल के आदेश से

(रामबाबू पाठक)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)/कंपनी सचिव

दिनांक- 30 जुलाई, 2024

पंजीकृत कार्यालय :
सीआईएन - U10101WB1975GOI030295
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
सांकतोड़िया, पोस्ट – डिसेरगढ़,
जिला – पश्चिम बर्द्धमान,
पिन – 713333, पश्चिम बंगाल

वार्षिक महाबैठक में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने वाले और पुन:नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का ब्यौरे – महाबैठक पर सचिवालयीक मानक ("एसएस -2") के अनुपालन में, वार्षिक महाबैठक में पुन:नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का अपेक्षित विवरण नीचे सारणीबद्ध है-

नाम और निदेशक का पदनाम	**श्रीमती आहुती स्वाईं** **निदेशक (कार्मिक), ईसीएल**
डीआईएन	09817248
जन्मतिथि	29.08.1964
राष्ट्रीयता	भारतीय
निदेशक मंडल में नियुक्ति की तिथि	18.11.2022
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें तथा मांगे गए पारिश्रमिक तथा अंतिम बार लिए गए पारिश्रमिक का विवरण	भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र के अनुसार
अर्हता एवं अनुभव	एक्सआईएसएस, राँची से पीएम एवं आईआर में स्नातकोत्तर और अन्नमलाई विश्वविद्यालय से विपणन प्रबंधन में व्यवसाय प्रशासन निष्णात (एमबीए)
कंपनी में शेयरधारिता	कुछ नहीं
अन्य निदेशक, प्रबंधक और केएमपी के साथ संबंध	कुछ नहीं
वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या	11
अन्य कंपनियों में रखे गए निदेशक पदों की सूची	कुछ नहीं
ईसीएल में अन्य समिति की अध्यक्षता / सदस्यता	की सदस्य : अ. “सी.एस.आर.” पर ईसीएल निदेशक मण्डल की उप-समिति; आ. लेखापरीक्षा समिति; इ. “परियोजनाओँ का मूल्यांकन, मूल्य-निरूपण एवं अनुमोदन” के लिए उप-समिति ई. “जोखिम प्रबंधन” पर ईसीएल निदेशक मण्डल की उप-समिति

अध्यक्षीय वक्तव्य

प्रिय शेयरधारकों,

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से मुझे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आपकी कंपनी की एकीकृत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी हो रही है, जिसमें कंपनी के प्रदर्शन पर प्रकाश डाला गया है।

अर्थव्यवस्था और ऊर्जा

बाजार विनिमय दर पर, भारत का 3.942 ट्रिलियन डॉलर का सकल घरेलू उत्पाद दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पांचवें स्थान पर है, जो ब्रिटेन ($ 3.502 ट्रिलियन), फ्रांस ($ 3.132 ट्रिलियन), ब्राजील ($ 2.333 ट्रिलियन), इटली ($ 2.332 ट्रिलियन) और कनाडा ($ 2.242 ट्रिलियन) से ऊपर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान गत वर्ष के 7.00% की तुलना में 8.20% की वृद्धि के बाद भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उज्ज्वल स्थान के रूप में माना जा रहा है। भारतीय आर्थिक सुधार में उछाल बढ़ती मुद्रास्फीति, आपूर्ति शृंखला व्यवधानों, भू-राजनीतिक तनाव आदि से विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा है। इन कारकों ने नीति-निर्माताओं के बीच चिंता पैदा कर दी थी और अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि को प्रभावित किया था। इसके अलावा, सर्वव्यापी रोग के कारण वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में कमजोरियों को रूस-यूक्रेन युद्ध जैसी घटनाओं से बढ़ा दिया गया था और इस प्रकार, राष्ट्रों को बाहरी ऊर्जा संसाधनों की तलाश करने के लिए मजबूर किया गया था।

प्रायः जीवंत ऊर्जा क्षेत्र एक राष्ट्र की समृद्धि से जुड़ा होता है, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था के सतत संवृद्धि और विकास की दिशा में समर्थन सुनिश्चित करने की क्षमता होती है। भारत में ऊर्जा क्षेत्र के महत्व को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, जब देश चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन गया है। लेकिन यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वैश्विक औसत से बहुत कम है, जो वर्तमान की तुलना में बहुत अधिक की आवश्यकता को इंगित करता है। यह भी सच है कि 3ए अर्थात ऊर्जा खपत के लिए उपलब्धता, सुलभता और वहनीयता, हमारे विकासशील राष्ट्र के लिए अन्य मुद्दों की तुलना में ऊर्जा क्षेत्र के लिए अधिक चुनौतियाँ लाती है। जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक चिंताओं के अनुरूप, नेट-जीरो बनने की भारत की प्रतिबद्धता भविष्य में अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी के आयाम को बढ़ाती है।

वैश्विक स्तर पर, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो भारत में अलग नहीं है। हमारे देश की ऊर्जा आवश्यकताओं में कोयले का लगभग 55% हिस्सा है। भारत के भीतर प्रचुर मात्रा में कोयला भंडार की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण लाभ रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का अनुमान है कि 1200 मीटर की गहराई तक भारतीय कोयले के भूवैज्ञानिक संसाधनों की सूची 378.20 बिलियन टन है। ये संसाधन मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में केंद्रित हैं। आपकी कंपनी पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में अपने कमांड क्षेत्र में 55.21 बि.टन के कोयला भंडार को निकालने के लिए काम करती है, जो पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोलफील्ड्स को कवर करते हुए 33.92 बि.टन और झारखंड में राजमहल और शहारझुड़ी कोलफील्ड्स पर 21.29 बि.टन है।

कार्य-निष्पादन की मुख्य विशेताएँ

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी सतत संवृद्धि सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपलब्धियाँ प्राप्त करने में सफल रही है :

अ) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने सीआईएल की सभी अनुषंगी कंपनियों के बीच कोयला उत्पादन (35.96%), उपरिभार हटाव (30.59%) और कोयला ऑफ्टेक (22.93%) के सभी तीन प्रमुख मापदंडों में उच्चतम प्रतिशत वृद्धि का साक्षी बना है।

आ) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, ईसीएल ने अपने स्थाना काल से अब तक का सबसे अधिक उपरिभार हटाव अर्थात 170.899 मि. घनमीटर पंजीबद्ध किया है।

इ) मार्च, 2024 के महीने के दौरान, कंपनी ने 6.63 मि.टन का कोयला उत्पादन और 19.21 मि. घनमीटर का उपरिभार हटाव का साक्षी बना है, जो स्थापना के बाद से एक महीने में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन और उपरिभार हटाव है।

ई) कंपनी ने 31.03.2024 को 2.80 लाख टन का कोयला उत्पादन का साक्षी बना है, जो स्थापना के बाद से एक दिन में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन है।

उ) कंपनी ने 29.03.2024 को 6.80 लाख घनमीटर का उपरिभार हटाव का साक्षी बना है, जो स्थापना के बाद से एक दिन में अब तक का सबसे अधिक उपरिभार हटाव है।

ऊ) कंपनी ने 31.03.2024 को 2.91 लाख टन का कोयला ऑफ्टेक का साक्षी बना है, जो स्थापना के बाद से एक दिन में अब तक का सबसे अधिक कोयला ऑफ्टेक है।

ऋ) कंपनी ने 31.03.2024 को 65 रेक की रेलवे रेक लोडिंग का साक्षी बना है, जो स्थापना के बाद से एक दिन में अब तक की सबसे अधिक रेलवे रेक लोडिंग है।

ऌ) ईसीएल को 2023 में सीआईएल के 49वें स्थापना दिवस पर 'गुणवत्ता जागरूकता पर प्रथम पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

ऍ) ईसीएल के बांकोला क्षेत्र की श्यामसुंदरपुर भूमिगत खान और झांझरा क्षेत्र की झांझरा परियोजना कोलियरी को 22 दिसंबर, 2023 को 2021-22 के लिए कोयला मंत्रालय से 'भूमिगत कोयला खान' की श्रेणी में प्रतिष्ठित स्टार रेटिंग पुरस्कार प्राप्त हुए।

ऐ) ईसीएल ने 2022-23 में सैप ईआईपी कार्यान्वयन के लिए प्रतिष्ठित कोयला मंत्रालय पुरस्कार प्राप्त किया है।

ए) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जेम पोर्टल पर सीआईएल और इसकी अनुषंगी कंपनियों के भीतर सीएमसी विभाग द्वारा सबसे अधिक (छह-06) राजस्व हिस्सेदारी निविदाएं जारी की गई हैं।

वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए, कंपनी ने रु. 213.49 करोड़ का पीबीटी (कर पूर्व लाभ) और रु. 251.59 करोड़ का पीएटी (कर पश्चात लाभ) अर्जित किया, जबकि पिछले वर्ष के पीबीटी रु. 1,280.42 करोड़ और पीएटी रु. 892.80 करोड़ था। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए, कंपनी ने भूमिगत से 9.183 एमटी कोयले का उत्पादन किया, विभागीय ओपनकास्ट से 6.183 एमटी और हायर पैच से 32.194 एमटी। इस प्रकार, कुल कोयला उत्पादन 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए 47.56 एमटी था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35.82% की वृद्धि है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए, कंपनी ने रु. 741.64 करोड़ का नकद लाभ कमाया और रु. 1,461.34 करोड़ का पूंजीगत व्यय (कपेक्स) प्राप्त किया। 31 मार्च, 2024 को कंपनी का संचयी घाटा रु. 2,124.49 करोड़ था और 31 मार्च, 2024 को कंपनी की शुद्ध संपत्ति रु. 2,977.64 करोड़ थी।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

आपकी कंपनी पारदर्शिता, खुलेपन, जवाबदेही और निष्पक्षता के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें सभी हितधारकों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए संचालन के सभी क्षेत्रों में प्रमुख उद्देश्य सभी के हितों की सुरक्षा और शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाना है। कंपनी ने सभी हितधारकों के साथ सभी महत्वपूर्ण जानकारी के समय पर और संतुलित प्रकटीकरण के लिए एक प्रभावी प्रणाली बनाई है। कंपनी ने जोखिम को कम करने और रोज़मर्रा के व्यावसायिक संचालन में कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है। आपकी कंपनी को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा स्व-मूल्यांकित मानकों के अनुसार "उत्कृष्ट" कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग दी गई है।

अभिस्वीकृति

मैं कोयला मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय - सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) और निवेश व सार्वजनिक आस्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), संबद्ध सांविधिक प्राधिकरणों के अलावा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, झारखंड राज्य सरकार और कोल इंडिया लिमिटेड से प्राप्त समर्थन के लिए निदेशक मंडल की ओर से अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

मैं कोयला योद्धाओं के ठोस प्रयासों के लिए अपनी ईमानदारी से सराहना करता हूँ और श्रमिक संगठनों, विनिमयकारी निकायों और अन्य हितधारकों को धन्यवाद देता हूँ।

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उत्कर्ष को अपनाकर अपने संचालन में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और अपने राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ण करना जारी रखते हैं।

शुभकामना सहित,

(समीरन दत्ता)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08519303

दिनांक: 1 अगस्त, 2024
स्थान: सांकतोड़िया

परिचालनात्मक सांख्यिकी

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2024	2023	2022	2021	2020
1. कोयला उत्पादन (मि.टन)					
भूमिगत	9.183	8.968	8.996	9.309	9.206
खुली खदान	38.377	26.050	23.432	35.695	41.195
कुल	**47.560**	**35.018**	**32.428**	**45.004**	**50.401**
2. उपरिभार हटाव (मि. घनमीटर)	**170.899**	**132.985**	**118.989**	**139.585**	**140.455**
3. कुल आवर्त (कच्चा कोयला) (मि.टन)					
विद्युत शक्ति	36.09	28.150	29.970	36.170	45.334
सिमेंट	0.35	0.430	0.120	0.093	0.076
कोलियरी खपत	0.15	0.170	0.180	0.177	0.181
अन्य	7.16	6.760	5.830	5.60	3.725
कुल	**43.75**	**35.510**	**36.100**	**42.040**	**49.316**
4. जनशक्ति	**48711**	**51074**	**52935**	**54866**	**57153**
5. उत्पादकता (ओ.एम.एस.) (मि.टन)					
भूमिगत	0.950	0.888	0.863	0.852	0.824
खुली खदान	14.258	11.420	10.310	15.374	17.358
समग्र	**3.849**	**2.829**	**2.555**	**3.397**	**3.722**
6. पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	**1461.34**	**1122.64**	**1227.99**	**1025.87**	**894.68**
7. सकल बिक्री आवर्तन (₹ करोड़ में)	**18999.97**	**19351.00**	**14453.63**	**14821.26**	**18192.36**
8. सकल बिक्री आवर्तन (₹ करोड़ में)	**2,977.64**	**2,820.25 (पुनःकथित)**	**1813.71**	**888.82**	**1882.88**

कोयला उत्पादन (एम.टी. में)

ओएमएस (टन/मैनशिफ्ट)

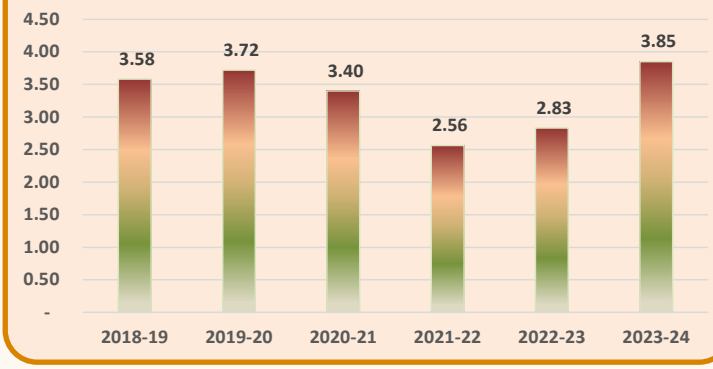

ऑफ टेक (एम.टी. में)

ओबीहटाना (एम.टी. में)

आय और व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम.	विशिष्टियाँ	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए				
		2024	2023 (पुनर्कथित)	2022	2021	2020
क	**से अर्जित**					
1	**सकल बिक्री (कोयला)**	**18,999.97**	**19,351.00**	**14,453.65**	**14,821.26**	**18,192.36**
	न्यून : उत्पाद शुल्क एवं अन्य उगाही	5,108.09	4,581.71	4,152.20	4,564.87	5,368.62
2	**निवल बिक्री**	**13,891.88**	**14,769.29**	**10,301.45**	**10,256.39**	**12,823.74**
3. i	कोयला आयात के लिए सुकरीकरण प्रभार		-	-	-	-
3. ii	रेत भूगर्त भरण एवं संरक्षी कार्यों के लिए सहायकी	2.03	1.53	-	0.12	-
3. iii	परिवहन व लदाई लागत की वसूली (उगाही का निवल)	403.64	271.69	264.11	306.10	337.10
3. iv	निकासी सुविधा शुल्क (शुल्क के बाद)	261.59	211.97	185.19	155.54	177.59
3. v	सेवाओं से राजस्व (शुल्क के बाद शुद्ध)	-	-	-	-	-
3	**विस्थापन सुकर प्रभार (उगाही का निवल)**	**667.26**	**485.19**	**449.30**	**461.76**	**514.69**
4. i	सेवाओं से राजस्व (उगाही का निवल)	309.34	211.55	120.75	99.85	377.27
4. ii	अन्य परिचालनात्मक राजस्व (उगाही का निवल)	-	-	-	-	-
4. iii	ब्याज आय	330.21	344.75	97.35	286.03	252.64
4	**पारस्परिक निधि पर लाभांश**	**639.55**	**556.30**	**218.10**	**385.88**	**629.91**
	अन्य अपरिचालनात्मक आय	**15,198.69**	**15,810.78**	**10,968.85**	**11,104.03**	**13,968.34**
ख	को संदाय / के लिए प्रदत्त					
1. i	वेतन एवं मजदूरी	7,838.18	8,077.44	6,234.51	5,924.72	5,832.47
1. ii	भविष्य निधि एवं पेंशन निधि को अंशदान	1,943.23	1,476.87	1,459.39	1,526.42	1,566.99
1. iii	स्टाफ कल्याण व्यय	312.61	373.06	289.89	337.16	275.86
1	कर्मी प्रसुविधा व्यय	10,094.02	9,927.37	7,983.79	7,788.30	7,675.32
2	उपभुक्त सामग्रियों की लागत	1,000.35	1,086.24	781.36	720.07	681.90
3	तैयार माल/चालू कार्य और विक्रेय माल की वस्तुसूचियों में परिवर्तन	(497.30)	24.15	291.34	(300.71)	(86.86)
4	विद्युत शक्ति व्यय	433.63	425.44	434.92	431.19	445.78
5	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	7.33	6.92	13.86	11.56	11.48
6	मरम्मति	194.27	176.78	192.87	242.37	134.43
7	संविदात्मक व्यय	2,864.43	2,042.23	1,686.53	1,941.23	1,974.85
8	**वित्त लागत**					
	बट्टों का अकुंडलन	46.61	52.22	163.04	190.92	178.04
	अन्य वित्त लागत	74.52	12.63	0.62	2.88	0.17
9	मूल्यह्रास/परिशोधन/क्षति	700.17	628.35	529.70	494.18	434.35
10	विपट्टन गतिविधि समायोजन	(590.27)	(351.91)	(153.57)	1.27	286.92
11	प्रावधान और बट्टे खाता डालना	140.09	4.11	12.11	27.56	95.53
12	अन्य व्यय	517.35	495.83	469.65	460.47	635.08
	कुल (ख)	**14,985.20**	**14,530.36**	**12,406.22**	**12,011.29**	**12,466.99**
13	**अपवादात्मक मदों एवं कर पूर्व लाभ/(हानि) (क – ख)**	**213.49**	**1,280.42**	**(1,437.37)**	**(907.26)**	**1,501.35**
14	अपवादात्मक मदें	-	-	-	-	-
15	**कर पूर्व लाभ/(हानि)**	**213.49**	**1,280.42**	**(1,437.37)**	**(907.26)**	**1,501.35**
16	न्यून : कर व्यय	(38.10)	387.62	(376.71)	(147.68)	503.70
17	**सतत परिचालन से वर्ष के लिए लाभ/(हानि)**	**251.59**	**892.80**	**(1,060.66)**	**(759.58)**	**997.65**
18	अनिरंतरित परिचलानों से लाभ/(हानि) (करोपरांत)	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

क्रम.	विशिष्टियाँ	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए				
		2024	2023 (पुनर्कथित)	2022	2021	2020
19	संयुक्त उद्यम/संस्थान के लाभ/(हानि) में शेयर	-	-	-	-	-
20	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि)**	**251.59**	**892.80**	**(1,060.66)**	**(759.58)**	**997.65**
21	**अन्य व्यापक आय**					
	क. (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	(94.20)	152.00	(65.42)	(234.48)	(218.20)
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा	-	38.26	-	-	(54.92)
	ख. (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में वर्गीकृत किया जाएगा।	-	-	-	-	-
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा	-	-	-	-	-
22	**कुल अन्य व्यापक आय**	**(94.20)**	**113.74**	**(65.42)**	**(234.48)**	**(163.28)**
	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय [वर्ष के लिए लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय को समाविष्ट]	**157.39**	**1,006.54**	**(1,126.08)**	**(994.06)**	**834.37**
23	**को रोप्य लाभ**					
	कंपनी के मालिक	251.59	892.80	(1,060.66)	(759.58)	997.65
	अनियंत्रित ब्याज	-	-	-	-	-
24	**को रोप्य अन्य व्यापक आय :**					
	कंपनी के मालिक	(94.20)	113.74	(65.42)	(234.48)	(163.28)
	अनियंत्रित ब्याज	-	-	-	-	-
25	**को रोप्य कुल व्यापक आय :**					
	कंपनी के मालिक	157.39	1,006.54	(1,126.08)	(994.06)	834.37
	अनियंत्रित ब्याज	-	-	-	-	-

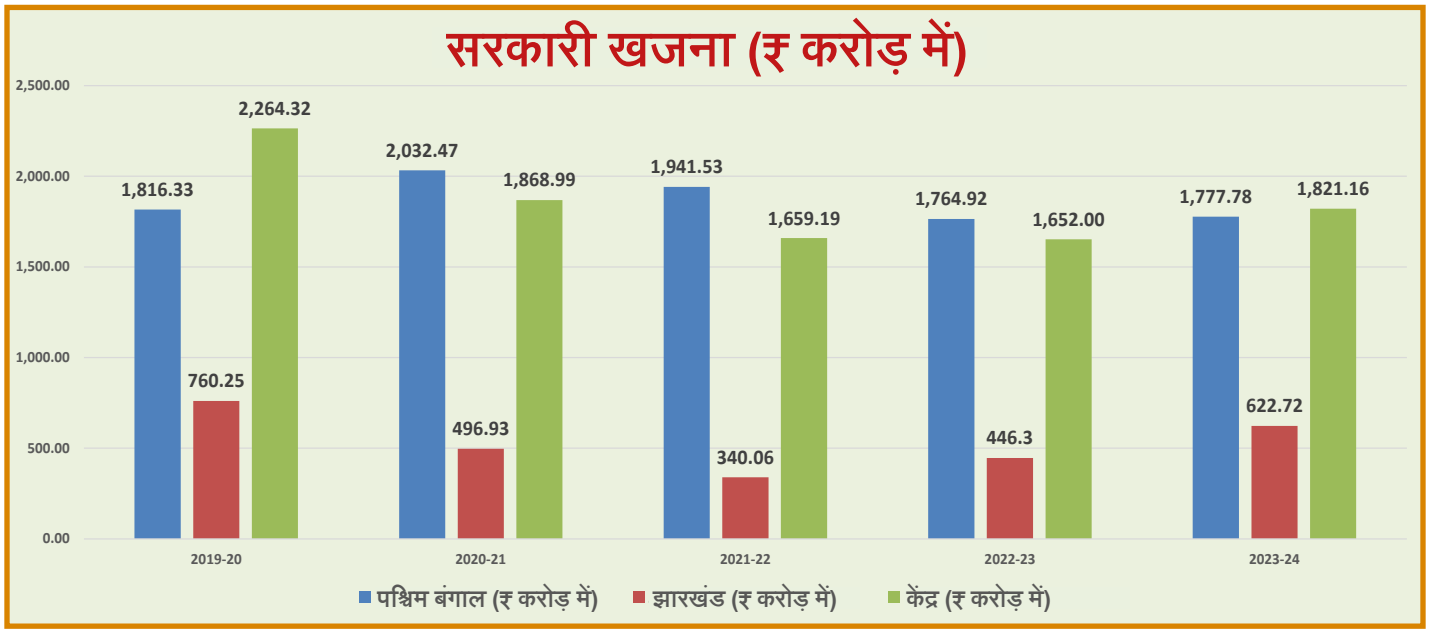

वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम	विशिष्टियाँ	31 मार्च को यथा				
		2024	2023 (पुनर्कथित)	2022	2021	2020
	आस्तियाँ					
क	**अप्रचलित आस्तियाँ**					
	अ. संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	5,973.43	5,512.04	4,411.30	3,572.54	3,168.82
	आ. पूँजीगत चालू कार्य	798.56	556.58	400.51	587.28	473.31
	इ. अन्वेषित और मूल्यांकित आस्तियाँ	764.03	713.71	684.40	655.46	615.75
	ई. अमूर्त आस्तियाँ	12.40	15.36	2.08	2.78	-
	उ. विकासाधीन अमूर्त आस्तियाँ	-	-	9.16		
	ऊ. वित्तीय आस्तियाँ					
	i. निवेश	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	ii. ऋण	0.02	0.05	0.10	0.02	0.05
	iii. अन्य वित्तीय आस्तियाँ	1,104.72	945.89	765.33	700.15	633.09
	ऋ. आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	848.38	793.17	904.97	513.58	359.13
	ए. अप्रचलित कर आस्तियाँ (निवल)	71.14				
	ए. अन्य अप्रचलित आस्तियाँ	1,269.68	1,113.29	878.34	759.41	665.13
	कुल अप्रचलित आस्तियाँ (क)	**10,842.44**	**9,650.17**	**8,056.27**	**6,791.30**	**5,915.36**
ख	**चालू आस्तियाँ**					
	अ. वस्तुसूचियाँ	1,121.05	562.87	554.17	810.36	502.76
	आ. वित्तीय आस्तियाँ					
	i. निवेश	-	-	-	-	-
	ii. व्यवसाय प्राप्य	1,892.15	1,564.50	2,504.20	4,423.53	3,316.46
	iii. नकदी एवं नकदी समतुल्य	119.12	532.11	882.47	945.16	93.28
	iv. अन्य बैंक अतिशेष	1,798.65	3,439.35	997.56	566.50	3,873.27
	v. ऋण	-	-	-	-	-
	vi. अन्य वित्तीय आस्तियाँ	145.03	137.70	55.02	36.63	267.07
	इ. चालू कर आस्तियाँ (निवल)	-	-	274.39	1,071.22	1,197.05
	ई. अन्य चालू आस्तियाँ	2,017.49	1,910.85	1,409.17	855.95	803.33
	कुल चालू आस्तियाँ (ख)	**7,093.49**	**8,147.38**	**6,676.98**	**8,709.35**	**10,053.22**
	कुल आस्तियाँ (क + ख)	**17,935.93**	**17,797.55**	**14,733.25**	**15,500.65**	**15,968.58**
	साम्या और देयताएँ					
क	**साम्या**					
1	निर्गत, अत्यभिदत्त और प्रदत्त साम्या शेयर पूँजी	4,269.42	4,269.42	4,269.42	2,218.45	2,218.45
2	**पूँजी मोचन आरक्षित निधि**					
	लेखा आरंभ में शेष	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-
	साम्या शेयर की वापसी खरीद	-	-	-	-	-
	बोनस शेयर का निर्गमन	-	-	-	-	-
	लेखाबंधी पर शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3	**अधिमान शेयर पूँजी का साम्या भाग**					
	लेखा आरंभ में शेष	-	-	855.61	855.61	855.61
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-855.61	-	-
	साम्या शेयर की वापसी खरीद	-	-	-	-	-
	बोनस शेयर का निर्गमन	-	-	-	-	-
	लेखाबंदी पर शेष	**-**	**-**	**-**	**855.61**	**855.61**
4	**सामान्य आरक्षित निधि**					
	लेखा आरंभ पर पुनःअभिकथित शेष	832.71	832.71	832.71	832.71	832.71

वित्तीय स्थिति (जारी.)

(₹ करोड़ में)

क्रम	विशिष्टियाँ	31 मार्च को यथा				
		2024	2023 (पुनर्कथित)	2022	2021	2020
	सामान्य आरक्षित निधि को/से अंतरण	-	-	-	-	-
	साम्या शेयर का वापसी-खरीद	-	-	-	-	-
	वापसी-खरीद पर कर	-	-	-	-	-
	बोनस शेयर का निर्गमन	-	-	-	-	-
	लेखाबंदी पर शेष	**832.71**	**832.71**	**832.71**	**832.71**	**832.71**
5	**प्रतिधारित उपार्जन**					
	लेखा आरंभ में शेष	(2,076.75)	(2,969.55)	(2,764.50)	(2,004.92)	(3,002.57)
	समायोजन	-	-	855.61	-	-
	वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	251.59	892.80	(1,060.66)	(759.58)	997.65
	विनियोजन					
	सामान्य आरक्षित निधि को/से अंतरण	-	-	-	-	-
	अन्य आरक्षित निधि से अंतरण	-	-	-	-	-
	अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-
	निगमित लाभांश कर	-	-	-	-	-
	साम्या शेयर का वापसी-खरीद	-	-	-	-	-
	वापसी-खरीद पर कर	-	-	-	-	-
	बोनस शेयर का निर्गमन	-	-	-	-	-
	लेखाबंदी पर शेष	**(1,825.16)**	**(2,076.75)**	**(2,969.55)**	**(2,764.50)**	**(2,004.92)**
6	**अन्य व्यापक आय**					
	अथ शेष	(205.13)	(318.87)	(253.45)	(18.97)	144.31
	परिभाषित प्रसुविधा योजना का पुनर्मापन (कर का निवल)	-94.20	113.74	(65.42)	(234.48)	(163.28)
	लेखाबंदी पर शेष	**(299.33)**	**(205.13)**	**(318.87)**	**(253.45)**	**(18.97)**
7	**अन्य साम्या (2+3+4+5+6)**	**(1,291.78)**	**(1,449.17)**	**(2,455.71)**	**(1,329.63)**	**(335.57)**
8	**कंपनी के साम्याधारकों को रोप्य साम्या (1+7)**	**2,977.64**	**2,820.25**	**1,813.71**	**888.82**	**1,882.88**
9	**कंपनी के साम्याधारकों को रोप्य साम्या**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10	**अनियंत्रित ब्याज**	**2,977.64**	**2,820.25**	**1,813.71**	**888.82**	**1,882.88**
	कुल साम्या (क)					
ख	**देयता**					
	अ. वित्तीय देयताएँ					
	i. उधार	150.09	155.94	151.04	2,091.68	1,959.81
	ii. व्यवसाय देय	-	-	-	-	-
	iii. अन्य वित्तीय देयताएँ	214.33	93.34	90.35	98.86	95.84
	आ. प्रावधान	4,657.56	4,654.57	4,369.68	4,311.62	3,700.76
	इ. आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	-	-	-	-	-
	ई. अन्य अप्रचलित देयताएँ	176.09	315.39	2.63	41.44	2.78
	कुल अप्रचलित देयाताएँ (ख)	**5,198.07**	**5,219.24**	**4,613.70**	**6,543.60**	**5,759.19**
ग	**चालू देयताएँ**					
	अ. वित्तीय देयताएँ					
	i. उधार	671.15	7.79	7.36	7.07	368.16
	ii. व्यवासय देय	1,329.34	993.55	1,096.03	962.64	1,181.90
	iii. अन्य वित्तीय देयताएँ	2,070.24	1,609.51	1,657.31	1,706.27	1,657.03
	आ. अन्य चालू देयताएँ	4,636.27	4,212.81	4,262.20	4,232.07	3,901.17
	इ. प्रावधान	1,053.22	2,909.62	1,282.94	1,160.18	1,218.25
	ई. चालू कर देयताएँ (निवल)	-	24.78	-	-	-
	कुल चालू देयताएँ (ग)	**9,760.22**	**9,758.06**	**8,305.84**	**8,068.23**	**8,326.51**
	कुल साम्या और देयताएँ (क+ख+ग)	**17,935.93**	**17,797.55**	**14,733.25**	**15,500.65**	**15,968.58**

सकल बिक्री करोबार (₹ करोड़ में)

लाभ पश्चात कर (₹ करोड़ में)

निवल महत्व (₹ करोड़ में)

महत्वपूर्ण वित्तीय संसूचना

भारतीय लेखांकन मानक के पश्चात महत्वपूर्ण वित्तीय संसूचना :

(₹ करोड़ में)

क्रम.	विशिष्टियाँ	31 मार्च को यथा				
		2024	2023 (पुनर्कथित)	2022	2021	2020
क	आस्तियाँ एवं देयताएँ संबंधी					
1.i	प्रत्येक ₹1000/- के साम्या शेयरों की संख्या	4,26,94,200	4,26,94,200	4,26,94,200	2,21,84,500	2,21,84,500
1.ii	साम्या					
1.ii.अ	साम्या शेयर पूँजी	4,269.42	4,269.42	4,269.42	2,218.45	2,218.45
1.ii.आ	अन्य साम्या	(1,291.78)	(1,449.17)	(2,455.71)	(1,329.63)	(335.57)
1.ii.इ	साम्या (1.ii.अ + 1.ii.आ)	2,977.64	2,820.25	1,813.71	888.82	1,882.88
1.ii.ई	आरक्षित पूँजी (बोनस शेयर के निर्गम रहित)	-	-	-	-	-
1.ii.उ.	निवल मालियत (1.ii.इ - 1.ii.ई)	2,977.64	2,820.25	1,813.71	888.82	1,882.88
2.i	चालू परिपक्वता रहित दीर्घावधि उधार	150.09	155.94	151.04	2,091.68	1,959.81
2.ii	दीर्घावधि उधार की चालू परिपक्वता	7.90	7.79	7.18	6.95	7.16
2.iii.	चालू परिपक्वता सहित दीर्घावधि उधार (2.i. + 2.ii.)	157.99	163.73	158.22	2098.63	1966.97
2.iv.	चालू परिपक्वता रहित अल्पावधि उधार	663.25	-	0.18	0.12	368.16
2.v.	कुल उधार (चालू परिपक्वता सहित) (2.iii.+2.iv.)	821.24	163.73	158.40	2098.75	2335.13
3.i	सकल संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	9969.06	8,900.04	7,182.87	5,814.13	4,924.75
3.ii	संचित मूल्यह्रास/क्षति	3995.63	3,388.00	2,771.57	2,241.59	1,755.93
3.iii	निवल संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर (3.i. - 3.ii.)	5,973.43	5,512.04	4,411.30	3,572.54	3,168.82
3.iv.	निवल अन्य अचल आस्तियाँ	1,574.99	1,285.65	1,096.15	1,245.52	1,089.06
3.v.	अन्य अप्रचलित आस्तियाँ	3,294.02	2,852.48	2,548.82	1,973.24	1,657.48
3.vi.	चालू आस्तियाँ	7,093.49	8,147.38	6,676.98	8,709.35	10,053.22
3.vii.	कुल आस्तियाँ (3.iii. to 3.vi.)	17,935.93	17,797.55	14,733.25	15,500.65	15,968.58
3.viii.	चालू देयताएँ	9,760.22	9,758.06	8,305.84	8,068.23	8,326.51
3.ix.	प्रयुक्त पूँजी (3.vii - 3.viii.)	8,175.71	8,039.49	6,427.41	7,432.42	7,642.07
4.i	व्यवसाय प्राप्य	1,892.15	1,564.50	2,504.20	4,423.53	3,316.46
4.ii	नकदी एवं नकदी समतुल्य	119.12	532.11	882.47	945.16	93.28
4 iii	अन्य बैंक अतिशेष	1,798.65	3,439.35	997.56	566.50	3,873.27
5.i	कोयले का अंतिम स्टॉक (निवल)	808.09	313.76	339.63	622.73	321.92
5.ii	भण्डारों, पुर्जों एवं अन्य वस्तुसूचियों का अंतिम स्टॉक (निवल)	312.96	249.11	214.54	187.63	180.84
ख	लाभ/(हानि) से संबंधित					
1.i	कर पूर्व लाभ	213.49	1,280.42	(1,437.37)	(907.26)	1,501.35
1.ii	करोपरांत लाभ/वर्ष के दौरान लाभ	251.59	892.80	(1,060.66)	(759.58)	997.65
1.iii	अन्य व्यापक आय	(94.20)	113.74	(65.42)	(234.48)	(163.28)
1.iv	कुल व्यापक आय (1.ii.+1.iii.)	157.39	1,006.54	(1,126.08)	(994.06)	834.37
2.i	कोयले का सकल बिक्री	18,999.97	19,351.00	14,453.65	14,821.26	18,192.36
2.ii	निवल बिक्री	13,891.88	14,769.29	10,301.45	10,256.39	12,823.74
2.iii	अन्य परिचालनात्मक आय	667.26	485.19	449.30	461.76	514.69
2.iv	परिचालन से राजस्व (निवल) (2.ii.+2.iii.)	14,559.14	15,254.48	10,750.75	10,718.15	13,338.43
3.i.	जमाराशियों पर ब्याज व निवेश (ब्याज आय)	309.34	211.55	120.75	99.85	377.27
3.ii.	पारस्परिक निधियों से लाभांश	-	-	-	-	-
3.iii.	अन्य अपरिचालनात्मक आय	330.21	344.75	97.35	286.03	252.64
3.iv.	कुल अन्य आय (3.i.+3.ii.+3.iii.)	639.55	556.30	218.10	385.88	629.91
3	कुल आय (2.iv.+3.iv.)	15,198.69	15,810.78	10,968.85	11,104.03	13,968.34
4	कुल व्यय	14,985.20	14,530.36	12,406.22	12,011.29	12,466.99
4.i	कर्मी प्रसुविधा व्यय	10,094.02	9,927.37	7,983.79	7,788.30	7,675.32
4.ii	उपभुक्त सामग्री लागत	1,000.35	1,086.24	781.36	720.07	681.90
4.iii	विद्युत शक्ति व्यय	433.63	425.44	434.92	431.19	445.78

वित्तीय स्थिति (जारी.)

(₹ करोड़ में)

क्रम.	विशिष्टियाँ	31 मार्च को यथा				
		2024	2023 (पुनर्कथित)	2022	2021	2020
4.iv	वित्त लागत	121.13	64.85	163.66	193.80	178.21
4.v	मूल्यह्रास/परिशोधन/क्षति	700.17	628.35	529.70	494.18	434.35
4.vi.	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	7.33	6.92	13.86	11.56	11.48
4.vii.	विपट्टन गतिविधि समायोजन	-590.27	-351.91	(153.57)	1.27	286.92
4.viii.	प्रावधानित और बट्टा खाते	140.09	4.11	12.11	27.56	95.53
5	विक्रीत मालों की लागत (4 - 4.iv.-4.vi.-4.vii.-4.viii.)	15,306.92	14,806.39	12,370.16	11,777.10	11,894.85
6	ईबीआईटी (1.ii.+ 4.iv.-3.i.)	25.28	1,133.72	(1,394.46)	(813.31)	1,302.29
7	ईबीआईटीडीए (6+4.v.)	725.45	1,762.07	(864.76)	(319.13)	1,736.64
8	मूल्य योजित (1.ii.+4.iv.+4.v.+ 4.i.)	11,128.81	11,900.99	7,239.78	7,569.02	9,789.23

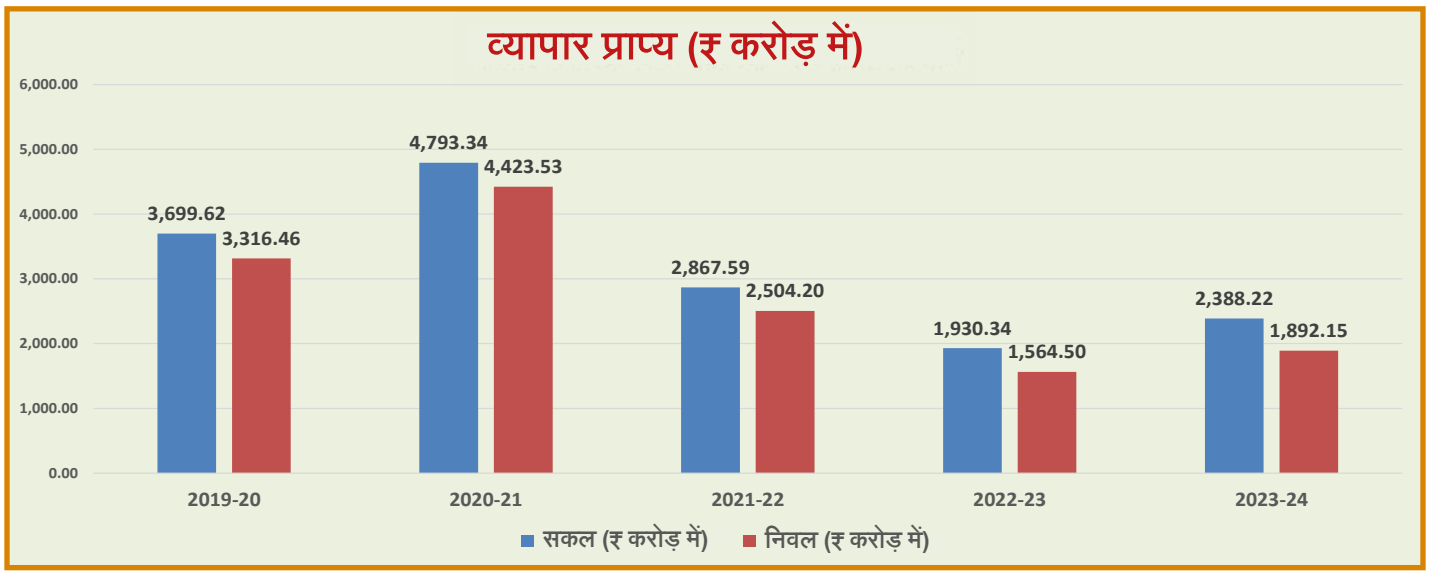

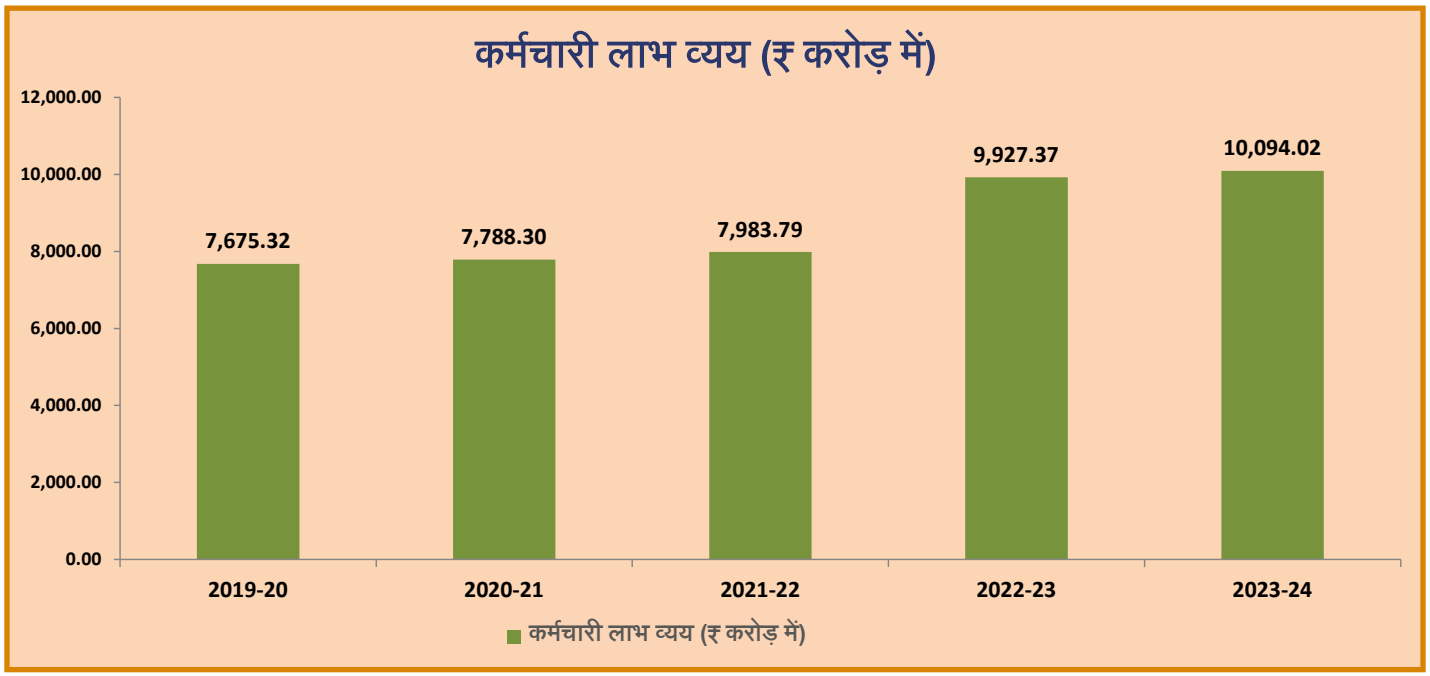

महत्वपूर्ण वित्तीय संबंधी अनुपात

क्रम	विशिष्टियाँ	31 मार्च को यथा				
		2024	2023	2022	2021	2020
1	कर्ज साम्या अनुपात					
1.i	कुल कर्ज में साम्या	0.28	0.06	0.09	2.36	1.24
1.ii	दीर्घावधि कर्ज में साम्या	0.05	0.06	0.09	2.36	1.04
2	चालू अनुपात	0.73	0.83	0.80	1.08	1.21
3	औसत निवल मालियत पर प्रतिलाभ	8.68%	38.53%	-78.49%	-54.81%	68.07%
4	औसत प्रयुक्त पूँजी पर प्रतिलाभ	0.31%	15.67%	-20.12%	-10.79%	18.73%
5	सकल बिक्री (यथा माहों की संख्या) देनदार आवर्त अनुपात	1.09	1.26	2.88	3.13	1.63
6	विक्रीत मालों की लागत का (यथा माहों की संख्या) वस्तुसूची आवर्त अनुपात	0.44	0.26	0.47	0.48	0.28
7	निवल बिक्री पर मूल्यह्रास, ब्याज व कर-पूर्व अर्जन मार्जिन	5.22%	11.93%	-8.39%	-3.11%	13.54%
8	निवल बिक्री पर निवल लाभ मार्जिन	1.81%	6.04%	-10.30%	-7.41%	7.78%
9	प्रति शेयर अर्जन (₹)	58.93	209.12	-415.52	-397.86	394.24
10	प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	697.43	660.57	424.81	400.65	848.74

सूत्र :

1) मूल्य योजित = कर-पूर्व लाभ + वित्त लागत + मूल्यह्रास/परिशोधन/क्षति + कर्मी प्रसुविधा व्यय

2) साम्या = साम्या शेयर पूँजी + अन्य साम्या

3) कुल कर्ज में साम्या = उधार / साम्या

4) दीर्घावधि कर्ज में साम्या = (दीर्घावधि उधार + दीर्घावधि का चालू परिपक्वता) / साम्या

5) चालू अनुपात = चालू आस्तियाँ / चालू देयताएँ

6) निवल मालियत पर प्रतिलाभ (%) = कर-पश्चात लाभ (वर्ष के दौरान लाभ) / औसत निवल मालियत

7) प्रयुक्त पूँजी = कुल आस्तियाँ – चालू देयताएँ

8) ब्याज व कर पूर्व अर्जन (ईबीआईटी) = कर-पूर्व लाभ + वित्त लागत – ब्याज आय

9) औसत प्रयुक्त पूँजी पर प्रतिलाभ = ईबीआईटी / औसत प्रयुक्त पूँजी

10) देनदार आवर्त अनुपात = औसत देनदार (प्रावधानित का निवल) / सकल बिक्री * 12

11) विक्रीत मालों की लागत = (कुल व्यय – वित्त लागत – बट्टा खाते – प्रावधानित – सीएसआर – विपट्टन गतिविधि समायोजन)

12) वस्तुसूचि आवर्त अनुपात = कोयले की औसत वस्तुसूची / विक्रीत मालों की लागत * 12

13) ईबीआईटीडीए (ब्याज, कर, मूल्यह्रास/परिशोधन/क्षति पूर्व अर्जन) = कर पूर्व लाभ + वित्त लागत + मूल्यह्रास/परिशोधन/क्षति – ब्याज आय

14) ईबीआईटीडीए मार्जिन = ईबीआईटीडीए / निवल बिक्री

15) प्रति शेयर अर्जन = (कर-पूर्व लाभ (वर्ष के दौरान लाभ) – अधिमान लाभांश) साम्या शेयरों की भारित औसत संख्या

16) प्रति शेयर बहि मूल्य = साम्या / साम्या शेयरों की संख्या

निदेशक मण्डल की पृष्ठभूमि

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री समीरन दत्ता (58) (डीआईएन-08519303) 28.12.2023 से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। वे 28 दिसंबर, 2021 से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक भी हैं। श्री दत्ता भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के एसोसिएट सदस्य हैं। वे अगस्त, 1988 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद में कोयला उद्योग में शामिल हुए और फिर अप्रैल, 1990 में कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता में स्थानांतरित हो गए, जहाँ उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्हें जनवरी, 2018 में महाप्रबंधक (वित्त) के पद पर पदोन्नत किया गया था। श्री दत्ता ने 18 जुलाई, 2019 से बीसीसीएल में निदेशक (वित्त) का कार्यभार ग्रहण किया। इसके अलावा उन्हें ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सांकतोड़िया में निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था।

उन्हें 1 जुलाई, 2021 से 27 दिसंबर, 2021 तक कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था। उन्होंने फरवरी, 2022 से अप्रैल, 2022 तक की संक्षिप्त अवधि के लिए सीएमपीएफओ के आयुक्त के रूप में भी कार्य किया। कोयला उद्योग में उनके विशाल अनुभव को ध्यान में रखते हुए, श्री दत्ता को 28 दिसंबर, 2021 से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का प्रभार प्रदान किया गया है।

कार्यकारी निदेशकगण

मो. अंज़ार आलम (55 वर्ष) (डीआईएन-09743117) ने 15.09.2022 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में पदभार संभाला।

श्री आलम ने 1991 में बीआईटी, सिंदरी से बीटेक (मैकेनिकल) किया था, इसके बाद 2005 में पांडिचेरी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और प्रतिष्ठित पीजीपीईएक्स एक वर्षीय पूर्णकालिक एमबीए कार्यक्रम के तहत 2007 में आईआईएम कोलकाता से वित्त में विशेषज्ञता वाले प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया था।

ईसीएल में शामिल होने से पहले, श्री आलम आरआईएनएल (राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड) में काम कर रहे थे - एक नवरत्न पीएसयू, जहाँ उन्होंने 1991 में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में अपना करियर शुरू किया और वित्त, आंतरिक लेखा परीक्षा, आईटी, परियोजना प्रबंधन, संचालन और अनुरक्षम में काम करने का 31 वर्षों का लंबा और विविध अनुभव है।
प्रबंधन की डिग्री पूरी करने के बाद, श्री आलम को आरआईएनएल के तत्कालीन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के विशेष सलाहकार के रूप में चुना गया था और उन्हें व्यापार विकास, रणनीतिक गठबंधन और दुनिया भर में कोयला, लौह अयस्क और उच्च श्रेणी के चूना पत्थर संसाधनों की खोज का काम सौंपा गया था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कोयला उपक्रमों (आईसीवीएल) के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और वैश्विक कोयला खनन परियोजनाओं / संसाधनों का वित्तीय मूल्यांकन किया। उन्होंने आरआईएनएल के लिए बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज के सफल अधिग्रहण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बाद में, निदेशक (वित्त) के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्य करते हुए श्री आलम ने परियोजना वित्त, बजट प्रबंधन, लागत, कॉर्पोरेट लेखा, निधि प्रबंधन, कराधान और ईआरपी के कार्यान्वयन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इसके अतिरिक्त, महाप्रबंधक (वित्त और लेखा) और क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक (दक्षिण), चेन्नई की क्षमता में, उन्होंने प्रति वर्ष लगभग 3000 करोड़ रुपये के कारोबार के साथ 4 क्षेत्रीय शाखाओं के वित्तीय कार्यों का प्रबंधन किया और बिक्री और ग्राहक संतुष्टि और अनुभव में सुधार के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत पहल की।

ईसीएल के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यभार संभालने के बाद, श्री आलम को टीम में उनकी गतिशीलता और परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, वे सभी स्तरों पर दक्षता हासिल कर सकते हैं। उनके सक्षम नेतृत्व और मूल्य समर्थन के तहत, ईसीएल ने सभी स्तरों पर अपनी सभी तिमाही प्रस्तुत की। उनके सक्षम नेतृत्व और मूल्यवान समर्थन के तहत, ईसीएल ने नियत तिथि से पहले अपने सभी तिमाही खाते जमा किए और 2023-24 के लिए छमाही वित्तीय विवरणी समय पर प्रस्तुत करने की मान्यता में सीआईएल से दूसरा पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने ईआरपी एसएपी में लागत पत्र की निर्मिति के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पूँजीगत व्यय प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित किया जिसने सीआईएल और मंत्रालय को सटीक पूँजीगत प्रतिवेदन प्रदान की है। वह कंपनी में डिजिटल पहल का नेतृत्व कर रहे हैं और पूरे संगठन में ई-ऑफिस को लोकप्रिय बनाने, वेतन पत्रक प्रक्रमण के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन भुगतान इंटरफेस, कोयला ग्राहकों के लिए ऑनलाइन कागजरहित वापसी प्रक्रमण आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

राजकोष प्रबंधन पर अपने मजबूत कौशल के साथ, ईसीएल कंपनी के 47000 कर्मचारियों को आसानी से ₹2300 करोड़ (लगभग) के लिए एनसीडब्ल्यूए-XI बकाया राशि का संदाय कर सकती है।

समाज में प्रौद्योगिकी परिवर्तन का गहन पालन, नगिमति सुशासन, व्यक्तगित वत्ति और धन प्रबंधन पर सलाह देना, शतरंज खेलना आदि उनकी रुचि के क्षेत्र हैं।

श्रीमती आहुती स्वाईं (59 वर्ष) (डीआईएन-09817248) ने 18.11.2022 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक) का कार्यभार संभाला।

श्रीमती स्वाईं ने वर्ष 1987 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के साथ अपना करियर शुरू किया और कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों में ट्रेड यूनियनों और अन्य हितधारकों के साथ सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों के प्रबंधन में अपनी विशेषज्ञता के साथ मानव संसाधन प्रबंधन के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में काम करने का 35 से अधिक वर्षों का विशाल और विविध अनुभव है। ईसीएल में शामिल होने से पहले, श्रीमती अहुती स्वैन भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), धनबाद में महाप्रबंधक (सीएसआर) के रूप में काम कर रही थीं, जहाँ उन्होंने अधिशासी स्थापना, कल्याण, सीएसआर और पीएफ और पेंशन विभाग का भी नेतृत्व किया है। उन्होंने सीएसआर के तहत टीम का नेतृत्व किया, जिसने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए विभिन्न समर्पित गतिविधियों को अंजाम दिया, जिसके लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) को वर्ष 2020 में सीआईएल द्वारा सम्मानित किया गया।

बीसीसीएल में अपने पदस्थापन से पहले, श्रीमती अहुति स्वैन ने सीसीएल (सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड) में विभिन्न इकाइयों और क्षेत्रों में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया। उन्होंने सीसीएल में यूपीआईएस (यूनिफाइड पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम) और एनईआईएस (नॉन-एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम) पायलट परियोजनाओं को लागू करने में अपने योगदान के लिए प्रशंसा प्रमाणपत्र प्राप्त किया।

श्रीमती स्वैन ने रांची स्थित एक्सआईएसएस (जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस) से पीएम एंड आईआर (कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक संबंध) में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। इसके साथ ही, उन्होंने अनामलाई विश्वविद्यालय से मार्केटिंग मैनेजमेंट में एमबीए भी किया है। उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स (आईओडी) द्वारा 'सर्टिफाइड कॉर्पोरेट डायरेक्टर' का खिताब भी दिया गया है। श्रीमती अहुति स्वैन विभिन्न सामाजिक गतिविधियों और अभियानों जैसे गो ग्रीन, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ आदि से भी जुड़ी हुई हैं।

श्री नीलाद्रि रॉय (58 वर्ष) (डीआईएन-10055093) ने दिनांक 01.02.2023 से निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का कार्यभार ग्रहण किया है। श्री रॉय ने वर्ष 1987 में आईआईटी-आईएसएम, धनबाद से माइनिंग इंजीनियरिंग (बीटेक) में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1990 में प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक प्रमाणन प्राप्त किया।

वह 1987 में बीसीसीएल में कोल इंडिया लिमिटेड में शामिल हुए। श्री रॉय ने 2004 तक बीसीसीएल की विभिन्न इकाइयों में सुरक्षा अधिकारी, कोलियरी प्रबंधक जैसे विभिन्न पदों पर बीसीसीएल में अपनी सेवाएं प्रदान कीं। बीसीसीएल में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने शाफ्ट माइन, सुदामडीह नामक एक परियोजना में 15 से अधिक वर्षों तक काम किया था, जिसे इसकी प्रतिकूल भू-खनन स्थिति के कारण दुनिया की सबसे कठिन खानों में से एक माना जाता था। इसके बाद जनवरी, 2004 में उनका स्थानांतरण ईसीएल में कर दिया गया। वहां उन्होंने मुगमा क्षेत्र के तहत लखीमाता कोलियरी में परियोजना अधिकारी जैसी विभिन्न क्षमताओं में अपनी सेवाएं प्रदान कीं और उसके बाद वह ईसीएल मुख्यालय में कॉर्पोरेट कार्यालय में शामिल हो गए। उन्होंने 2008 से 2022 तक ईसीएल के महाप्रबंधक (तकनीकी और प्रबंधकीय सेवाएं) / अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के तकनीकी सचिव के रूप में कार्य किया। इतने लंबे समय तक कंपनी के मुख्य कार्यकारी के कार्यालय से जुड़े होने के कारण, अपने बहुमुखी अनुभव के साथ, वह जनसंपर्क सहित कंपनी के सर्वांगीण प्रदर्शन में सुधार में महत्वपूर्ण थे। निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईसीएल के रूप में शामिल होने से पहले उन्हें कोल इंडिया लिमिटेड मुख्यालय में कार्यकारी निदेशक (उत्पादन) के पद पर पदोन्नत किया गया था। उन्होंने डीएमटी द्वारा शुरू की गई एक परियोजना के संबंध में जुलाई, 2009 में जर्मनी का दौरा किया। उन्हें सितंबर, 2011 में इस्तांबुल, तुर्की में आयोजित विश्व खनन कांग्रेस में भाग लेने के लिए भी नामित किया गया था। उन्होंने सरकारी प्रतिनिधिमंडल के एक भाग के रूप में जून, 2015 में पोलैंड में सीआईएल का प्रतिनिधित्व किया। वह जुलाई, 2016 में कोल इंडिया के प्रतिनिधिमंडल के साथ ऑस्ट्रेलिया गए थे। उन्होंने जून, 2019 के दौरान क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में एक विदेशी घटक के साथ आईआईसीएम द्वारा आयोजित उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम में भी भाग लिया। उन्होंने सीआईएल प्रतिनिधि के रूप में 31.10.2023 से 02.11.2023 तक सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित खनन प्रदर्शनी और सम्मेलन "आईएमएआरसी 2023" में भी भाग लिया।

सरकार नामिति निदेशकगण

श्री मुकेश अग्रवाल (54) (डीआईएन-10199741) 18 मार्च, 2024 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में सीआईएल नामित निदेशक हैं। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक हैं और भारत के लागत लेखाकार संस्थान के सदस्य हैं। उन्होंने निदेशक (वित्त) के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड में शामिल होने से पहले एनएलसी इंडिया लिमिटेड, एक नवरत्न कंपनी में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया। आईटीआई लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड आदि जैसे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक के प्रभावशाली गत उपलब्धियों के साथ, इस अनुभवी पेशेवर के पास आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र के गतिशील परिदृश्य में व्यापक पदीय योग्यता अनुभव है। उनकी विशेषज्ञता में रबर, कताई, दूरसंचार, निर्माण, बिजली, लिग्नाइट और कोयला सहित उद्योगों की एक विविध श्रेणी शामिल है। वित्त क्षेत्र के भीतर, उन्होंने कई आयामों में दक्षता का प्रदर्शन किया है, जैसे कि लेखा, राजकोष, कराधान, लागत, बजट, वस्तुसूची प्रबंधन, देनदार और निधि प्रबंधन, डिजिटलीकरण, नीति निर्माण, प्रणाली सुधार, आईएफसी, आदि।

विशेष रूप से, उन्होंने एनएलसी इंडिया लिमिटेड की एक प्रमुख सहायक कंपनी एनयूपीपीएल में मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) का प्रतिष्ठित पद संभाला है। उन्होंने लिग्नाइट, बिजली मूल्य निर्धारण और नियामक मामलों के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। वित्तीय मामलों में उनके ज्ञान और नेतृत्व की बहुलता ने हमेशा विकसित होने वाले आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र में संगठनों की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

डॉ. माणिक चंद्र पंडित, आईईएस (48) (डीआईएन- 10279620) भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) अधिकारी, निदेशक, कोयला मंत्रालय 19 जुलाई, 2023 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक हैं।

डॉ. पंडित ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी से बीएससी (कृषि) किया। उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा से एमएससी (डेयरी) पूरा किया और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से कृषि अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने एमएससी के लिए जूनियर रिसर्च फैलोशिप में 5 वां स्थान प्राप्त किया और पीएचडी के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा संस्थान अध्येतावृत्ति से सम्मानित किया। उन्होंने यूपीएससी द्वारा आयोजित भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) परीक्षा, 2006 में तीसरा स्थान भी प्राप्त किया।

उन्हें विभिन्न विभागों यथा वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग; कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग; ग्रामीण विकास मंत्रालयस ग्रामीण विकास विभाग; कोयला मंत्रालय में काम करने का अनुभव है।

उन्होंने लोक सुशासन और आर्थिक विकास: सिंगापुर का अनुभव और भारत के लिए सबक पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सिविल सेवा कॉलेज, सिंगापुर में भाग लिया। उन्होंने परियोजना मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन-2013 (पीएआरएम-2013) पर प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए ड्यूक सेंटर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ड्यूक यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कैरोलिना, यूएसए का भी दौरा किया। उन्हें योग, बैडमिंटन और संगीत सुनने में गहरी रुचि है।

स्वतंत्र निदेशकगण

श्री शिव नारायण पाण्डेय (63 वर्ष) (डीआईएल-09413672) का जन्म वर्ष 1962 में छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर में हुआ था। विज्ञान में स्नातक की अपनी उपाधि की प्राप्ति के उपरांत, उन्होंने एलएलबी किया और एक व्यावसायिक अधिवक्ता भी हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएँ दीं तथा सरकारी कॉलेज (विधि संकाय) में अवैतनिक प्राध्यापक भी हैं।

उन्हें भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा अनुशासन समिति में नामित किया गया था। वे विधि, वित्त, प्रबंधन, विक्रय, विपणन, प्रशासन, अनुसंधान, निगमित सुशासन, तकनीकी संचालन एवं अन्य संबद्ध क्षेत्रों में व्यापक अनुभव पर अधिकार रखते हैं।

वर्तमान में, वे 1 नवम्बर, 2021 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं।

श्री शिव तपस्या पासवान (56 वर्ष) (डीआईएन- 09414240) का जन्म वर्ष 1969 में उत्तर प्रदेश राज्य के चंदौली में हुआ था। विद्यापीठ से राजनीतिक विज्ञान में अपने कला स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने समाज के दुर्बल एवं अधिकारहीन वर्गो के उत्थान के लिए नानाविध सामाजिक सेवाओं में स्वयं को संलिप्त कर लिया। वर्तमान में वे 1 नवम्बर, 2021 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

पूर्व निदेशक मण्डलीय सदस्यगण

श्री अंबिका प्रसाद पंडा (56 वर्ष) (डीआईएन- 06664375) ने धातु और खनन क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ 1 फरवरी, 2022 से ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (ईसीएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया। इस समनुदेशनपूर्व / कर्तव्यभारपूर्व, उन्होंने नानाविध पदों यथा साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (एसईसीएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (वित्त) पर क्रमशः 28 दिसम्बर, 2018 तथा 01 अगस्त, 2013 से सेवा दी। उन्हें जुलाई, 2018 से साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (एसईसीएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था।

उपर्युक्त समनुदेशन के अतिरिक्त, अगस्त, 2013 से वे एसईसीएल के दो अनुषंगी कंपनियों नामशः छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) एवं छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्लयूआरएल) के अध्यक्ष भी थे। एसईसीएल में पद ग्रहण करने के पूर्व, उन्होंने दो दशकों से अधिक में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, एक नवरत्न सीपीएसई विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में कार्य किया था। वे भारतीय लागत लेखापाल संस्थान के अध्येता सदस्य हैं तथा वित्त में व्यवसाय प्रशासन निष्णात हैं। उन्होंने 1 फरवरी, 2022 से 27 दिसंबर, 2023 तक ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया।

श्री हरा कुमार हाजोंग (61 वर्ष) (डीआईएन-09694697) 1995 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) अधिकारी हैं। वर्तमान में वह कोयला मंत्रालय, भारत सरकार में आर्थिक सलाहकार हैं।

उन्होंने 1983 में तुरा गवर्नमेंट कॉलेज, तुरा से अर्थशास्त्र में स्नातक और वर्ष 1985 में नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग, मेघालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर पूरा किया। उन्होंने 2009 में आईआईएमबी और सिरैक्यूज़ विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से पेश सार्वजनिक नीति और प्रबंधन पर स्नातकोत्तर कार्यक्रम भी किया। उन्हें योजना आयोग और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना सहित विभिन्न सरकारी संगठनों में काम करने का व्यापक अनुभव है। वह 05.07.2022 से अंशकालिक पदीय निदेशक के रूप में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मण्डल में शामिल हुए हैं।

श्री बी वीरा रेड्डी (58) (डीआईएन- 08679590) 12 मई, 2022 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मण्डल के सीआईएल नामित निदेशक हैं। उन्होंने 01 फरवरी, 2022 से कोल इंडिया लि. के निदेशक (तकनीकी) का पदभार ग्रहण किया। इसके पूर्व वे 01.01.2020 से 31.01.2022 तक ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) संचालन रहें। उन्होंने कोठागुडम स्कूल ऑफ माइन्स (एएसएम), उस्मानिया विश्वविद्यलय से वर्ष 1986 में खनन में प्रौद्योगिकी स्नातक किया और उन्होंने वर्ष 1990 में खान सुरक्षा महानिदेशालय से प्रथम श्रेणी प्रबंधक सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त किया। उन्होंने वर्ष 2000 में कोठागुडम स्कूल ऑफ माइन्स, उस्मानिया विश्वविद्यालय से खनन योजना में प्रौद्योगिकी निष्णात भी पूर्ण किया। श्री रेड्डी ने वर्ष 1987 में एससीसीएल में पदग्रहण किया और उन्हें कोयला खनन, योजना, अधिप्राप्ति एवं संचालन में 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने एससीसीएल के यांत्रिक भूमिगत खानों एवं खुली खदानों में तथा निगमित परियोजना योजना विभाग में नानाविध क्षमता में कार्य किया। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में यथा निदेशक (तकनीकी) संचालन पदग्रहण करने के पूर्व उन्होंने सिंगरैनी कोलियरी कंपनी लि. के अद्रियला लॉङ्गवाल परियोजना क्षेत्र में यथा महाप्रबंधक कार्य किया। उन्होंने 12 मई, 2022 से 17 मार्च, 2024 तक ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में कार्य किया।

श्रीमती धर्मशीला गुप्ता (54 वर्ष) (डीआईएन- 09415976) का जन्म वर्ष 1969 में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। अपने विज्ञान स्नातक उपाधि की प्राप्ति के उपरांत, उन्होंने दरभंगा के नगेन्द्र झा महिला महाविद्यालय से वनस्पति विज्ञान में निष्णात किया। उन्होंने दरभंगा जिले के बिहार महिला कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में पद ग्रहण किया और वर्तमान में समाज के उत्थान के लिए विविध सामाजिक सेवाओं में संलग्न हैं। लक्ष्मी बुक पब्लिकेशन में "सब्जी के फसलों में अनुकल्पतः रोगों एवं इसके प्रबंधकीय नियंत्रण पर अध्ययन" विषय पर उनका "अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अनुसंधान जर्नल" प्रकाशित किया गया था। उन्होंने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में 1 नवंबर, 2021 से 13 फरवरी, 2024 तक कार्य किया।

श्री नीलेन्दु कुमार सिंह (55 वर्ष) (डीआईएन-09847503) ने दिनांक 09.12.2022 से निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का कार्यभार संभाल लिया है। श्री सिंह ने वर्ष 1989 में आईआईटी-आईएसएम, धनबाद से माइनिंग इंजीनियरिंग (बीटेक) में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1994 में प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक प्रमाणन प्राप्त किया।

वह 1989 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में कोल इंडिया लिमिटेड में शामिल हुए। वर्ष 2011 तक श्री सिंह ने सीसीएल में विभिन्न क्षमताओं यथा पिपरवार, अशोका, उरीमारी और कल्याणी परियोजनाओं में खान प्रबंधक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कीं। इसके बाद जनवरी, 2012 में उनका स्थानांतरण एसईसीएल में कर दिया गया। वहाँ उन्होंने 2012 से 2017 तक गेवरा में खान प्रबंधक; दीपका और छाल परियोजना में उप क्षेत्र प्रबंधक (एजेंट) और एसईसीएल के दीपका क्षेत्र, कोरबा क्षेत्र और रायगढ़ क्षेत्र में क्षेत्रीय महाप्रबंधक जैसी विभिन्न क्षमताओं में अपनी सेवाएं प्रदान कीं। उनके पास बड़ी खुली खदानों में काम करने, एफएमसी परियोजनाओं को संभालने, साइडिंग शुरू करने, नई खनन प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उच्चतम क्षमता वाले एचईएमएम यानी 42 घनमीटर शॉवेल, 240 टन की क्षमता समर्थ डंपर के साथ काम करने का विशाल अनुभव है। उन्हें एकीकृत सीएचपी और सीपीपी के साथ "इन-पिट क्रशिंग एंड कन्वेयरिंग सिस्टम" के साथ सीसीएल की पिपरवार ओपनकास्ट खदान में व्हाइट इंडस्ट्रीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया लिमिटेड (डब्ल्यूआईएएल) के साथ काम करने का अनुभव है। उन्होंने उन्नत खनन तकनीकों में अनुभव प्राप्त करने के लिए 1997 में ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा किया है। उन्हें खेल और चित्रकला में गहरी रुचि है। उन्होंने अखिल भारतीय विश्वविद्यालय स्तर पर वॉलीबॉल का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक (तकनीकी) परियोजना और योजना के रूप में 9 दिसंबर, 2022 से 29 अप्रैल, 2024 तक कार्य किया। वर्तमान में, वह 30.04.2024 से सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री मुकेश कुमार मिश्रा, आईआरएसएसई (2000 परीक्षा वर्ष) ने 16 अगस्त, 2019 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में मुख्य सतर्कता अधिकारी पदभार ग्रहण किया है।

वे इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार अभियांत्रिकी में स्नातक हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा जिआवतॉङ्ग यूनिवर्सिटी, चेंगदु, चीन में द्रुत प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण करने लिए प्रायोजित किया गया था।

सिगनल इंजीनियर के भारतीय रेलवे सेवा का पदभार ग्रहण के पश्चात, श्री मिश्रा रेलवे आस्तियों के अनुरक्षण एवं वृहद परियोजनाओं के निर्माण में नानाविध क्षमताओं पर सेवा प्रदान किया। रेलवे में पदभार ग्रहण के पूर्व, श्री मिश्रा दो वर्ष से अधिक भेल में कार्य किया।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में पदभार ग्रहण करने के पूर्व, वे उप मुख्य सिगनल एवं टेलिकॉम अभियंता / मुख्यालय की क्षमता में कार्य कर रहे थे।

कंपनी सचिव

श्री रामबाबू पाठक (एसीएस-55637), 02.07.2018 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कंपनी सचिव है।

उन्होंने वर्ष 2008 में संत जेवियर कॉलेज, कोलकाता विश्वविद्यालय से अपना वाणिज्य स्नातक (प्रवीण) पूरा किया। वे भारतीय लागत लेखापाल संस्थान (आईसीएआई) के सह-सदस्य एवं भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के भी सह-सदस्य हैं। श्री पाठक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (आईएमटी), गाजियाबाद से मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएचआरएम) प्राप्त किया है। उन्होंने भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ से जेनेरल मैनेजमेंट प्रोग्राम (जीएमपी) भी पूर्ण किया है। श्री पाठक अप्रैल, 2016 में इंस्टीट्यूट ऑफ डॉयरेक्टर्स द्वारा आयोजित दुबई ग्लोबल कॉन्वेंशन 2016 – कारबार उत्कृष्टता एवं नवाचार के लिए नेतृत्व में सीआईएल के प्रतिनिधि मंडल में थे। उन्होंने सितंबर, 2022 में आईआईएम, नागपुर में ईएसजी पर एक सर्टिफिकेट कोर्स में भी भाग लिया है। सीआईएल स्थापना दिवस - 1 नवंबर, 2021 के अवसर पर उन्हें श्री प्रमोद अग्रवाल, आईएएस, सीआईएल द्वारा ईसीएल के सर्वश्रेष्ठ एचओडी से सम्मानित किया गया। उन्होंने वर्ष 2010 में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में यथा प्रबंधन प्रशिक्षु (वित्त) पदभार ग्रहण किया। तबसे उन्होंने कंपनी सचिवालय में पदास्थापित है और वर्तमान में यथा प्रबंधक (वित्त)/कंपनी सचिव कार्य कर रहे हैं।

श्री पाठक आईसीएआई एवं आईसीएसआई जैसे पेशेवर निकायों से निकटता से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में वे भारतीय लागत लेखापाल संस्थान, आसनसोल चैप्टर के मानद अध्यक्ष हैं। वे ईसीएल के एचआरडी, आईसीएआई, आईसीएमएआई एवं आईसीएसआई के नियमित संकाय-सदस्य भी हैं।

निदेशक मण्डलीय प्रतिवेदन

प्रिय सदस्यगण,

निदेशक मण्डल की ओर से, यह मुझे लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षकों के टीका-टिप्पणियों के साथ-साथ, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के साथ-साथ कंपनी के कारबार परिचालनों पर 49वीं वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्ततु करने में हर्ष प्रदान करता है।

1.0 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान परिचालनों के मुख्य-मुख्य बातें :

अ) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने सीआईएल की सभी अनुषंगी कंपनियों के बीच कोयला उत्पादन (35.96%), उपरिभार हटाव (30.59%) और कोयला उठाव (22.93%) के सभी तीन प्रमुख मापदंडों में उच्चतम प्रतिशत वृद्धि देखी है।

आ) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, ईसीएल ने स्थापना के बाद से अब तक का सबसे अधिक ओबी रिमूवल यानी 170.899 मि.घनमीटर दर्ज किया है।

इ) मार्च, 2024 के महीने के दौरान, कंपनी ने 6.63 मि. टन का कोयला उत्पादन और 19.21 मि.घनमीटर का उपरिभार हटाव देखा है, जो स्थापना के बाद से एक महीने में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन और उपरिभार हटाव है।

ई) कंपनी ने 31.03.2024 को 2.80 लाख टन का कोयला उत्पादन देखा है, जो स्थापना के बाद से एक दिन में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन है।

उ) कंपनी ने 29.03.2024 को 6.80 मि.घनमीटर का उपरिभार हटाव किया है, जो स्थापना के बाद से एक दिन में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन है।

ऊ) कंपनी ने 31.03.2024 को 2.91 लाख टन का कोयला उठाव देखा है, जो स्थापना के बाद से एक दिन में अब तक का सबसे अधिक कोयला उठाव है।

ऋ) कंपनी ने 31.03.2024 को 65 रेक की रेलवे रेक लोडिंग देखी है, जो स्थापना के बाद से एक दिन में अब तक की सबसे अधिक रेलवे रेक लोडिंग है।

ऌ) ईसीएल को 2023 में सीआईएल के 49वें स्थापना दिवस पर 'गुणवत्ता जागरूकता पर प्रथम पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

ऍ) ईसीएल के बांकोला की श्यामसुंदरपुर भूमिगत खान और झांझरा की झांझरा परियोजना कोलियरी को 22 दिसंबर, 2023 को 2021-22 के लिए कोयला मंत्रालय से 'भूमिगत कोयला खदान' की श्रेणी में प्रतिष्ठित स्टार रेटिंग पुरस्कार प्राप्त हुए।

ऐ) ईसीएल ने 2022-23 में एसएपी ईआईपी कार्यान्वयन के लिए प्रतिष्ठित कोयला मंत्रालय पुरस्कार प्राप्त किया है।

ए) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के भीतर सीएमसी विभाग द्वारा जेम पोर्टल पर सबसे अधिक (छः - 06) राजस्व हिस्सेदारी निविदाएँ जारी की गई हैं।

2.0 संगठन

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड (सीएमएएल) की पूर्वी प्रभाग के साथ निहित 414 खानों के अधिग्रहण द्वारा दिनांक 01 नवंबर, 1975 को निगमित किया गया था और इस तिथि से कंपनी अपनी वाणिज्यिकीय परिचालन आरंभ किया था। यह पश्चिम बंगाल एवं झारखण्ड राज्य में परिचालित होती है। यहाँ 79 खननशील खदानें जिसमें 48 भूमिगत खदानें, 22 खुली खदानें और 9 मिश्रित खदानों के साथ 13 परिचालन क्षेत्र हैं। 01.04.2023 को यथा, ईसीएल के कमान क्षेत्र में 55.21 बिलियन टन (बि.टन) (पश्चिम बंगाल राज्य में 33.92 बि.टन एवं झारखण्ड राज्य में 21.29 बि.टन) कोयला निचय है।

ईसीएल के सोनपुर बाजारी क्षेत्र में रुफ टॉप सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन

3.0 पूँजीगत संरचना

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	2023-24	2022-23
क. शेयर पूँजी :		
i) प्राधिकृत शेयर पूँजी (प्रत्येक ₹1000 का 4,60,00,000 साम्या शेयर)	4600.00	4600.00
ii) चुकता साम्या शेयर पूँजी (प्रत्येक ₹1000 का 4,26,94,200 शेयर)	4269.42	4269.42
ख. ऋण निधियाँ :		
i) एक्पोर्ट डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन, कनाडा	157.99	163.73
ii) बैंक ओवरड्राफ्ट	663.25	-

4.0 उत्पादन निष्पादन

विशिष्टियाँ	ईकाई	2023-24			2022-23	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि	
		लक्ष्य	वास्तविक	कार्य सिद्धि (%)	वास्तविक	आत्यंतिक	%
उत्पादन							
i) कच्चा कोयला-							
-भूमिगत खान		10.000	9.183	91.830	8.968	0.215	2.396
-खुली खदान		41.000	38.377	93.603	26.050	12.327	47.320
कुल	मि.टन	51.000	47.560	93.255	35.018	12.542	35.815
ii) कोककर कोयला		0.020	0.012	60.675	0.007	0.005	76.278
iii) अकोककर		50.980	47.548	93.268	35.011	12.537	35.807
उपरि संस्तर हटाव	मि.घनमीटर	152.000	170.899	112.434	132.985	37.914	28.510
उत्पादकता (ओ.एम.एस.)							
-भूमिगत	Tonnes	0.987	0.950	96.303	0.888	0.062	6.970
-खुली खदान		21.766	14.258	65.507	11.420	2.839	24.857
-समग्र		4.245	3.849	90.668	2.829	1.020	36.050

सीआईएन अध्यक्ष के झांजरा क्षेत्र, ईसीएल का दौरा

4.1 प्रणाली सामर्थ्य उपयोगिता सिद्धि :

(प्रतिशत में आँकड़े)

विशिष्टियाँ	2023-24			2022-23
	लक्ष्य	वास्तविक	कार्य सिद्धि (%)	वास्तविक
भूमिगत	87.40	78.80	90.16	96.70
खुली खदान (विभागीय) उत्खनन	66.91	59.68	89.20	62.33
खुली खदान (अवक्रय) उत्खनन	99.34	107.55	108.27	80.64
खुली खदान (विभागीय + अवक्रय) उत्खनन	91.11	95.40	104.71	76.17
कुल [भूमिगत + खुली खदान (विभागीय)]	69.57	62.15	89.34	66.07
समग्र (भूमिगत + खुली खदान) (अवक्रय + विभागीय)	90.98	94.80	104.20	76.76

4.2 कोयला भण्डार

31.03.2024 को यथा 5.962 मि.टन कच्चा कोयले का लेखाबंदी भण्डार था (31.03.2023 को यथा 2.163 मि.टन)।

5.0 वित्तीय निष्पादन

5.1 वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सकल बिक्री कारोबार गत वर्ष से 1.81% की गिरावट के साथ गत वर्ष में ₹19,351.00 करोड़ की तुलना में ₹18,999.97 करोड़ रुपये था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने गत वर्ष के ₹1432.42 करोड़ की कर-पूर्व कुल व्यापक आय और ₹1006.54 करोड़ की कर-पश्चात कुल व्यापक आय की तुलना में ₹119.29 करोड़ की कर-पूर्व कुल व्यापक आय और ₹157.39 करोड़ की कर-पश्चात कुल व्यापक आय अर्जित की। विवरण निम्नानुसार थे:

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	2023-24	2022-23
सभी व्ययों की प्रभारित करने के पश्चात लेकिन पीआरपी/अधिशासी अधिवर्षिता प्रसुविधा, बीमांकिक, वित्त लागत, मूल्यह्रास, क्षति और विपट्टन गतिविधि समायोजन के पूर्व लाभ(+)/हानि(-)	957.50	1,885.75
न्यून : पीआरपी / अधिशासी अधिवर्षिता प्रसुविधा का प्रभाव	159.73	201.65
न्यून : बीमांकिक प्रावधान	447.45	-89.61
न्यून : वित्त लागत	121.13	64.85
न्यून : मूल्यह्रास/परिशोधन/क्षति	700.17	628.35
न्यून : विपट्टन गतिविधि समायोजन	-590.27	-351.91
कर-पूर्व वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**119.29**	**1,432.42**
नकदी लाभ	741.64	3,530.24
करोपरांत कुल व्यापक आय	**157.39**	**1,006.54**

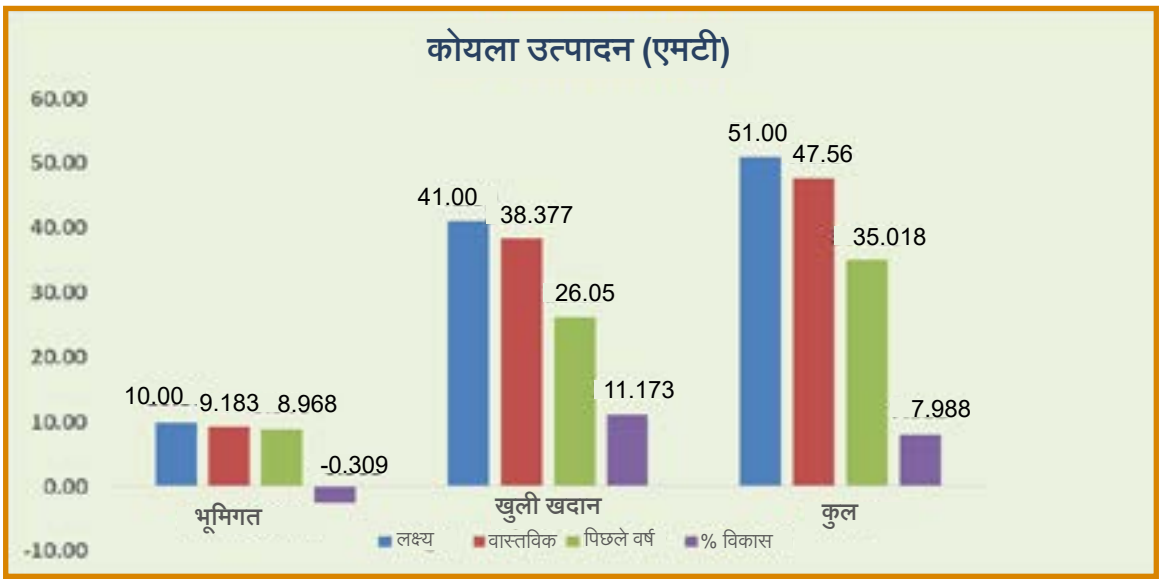

5.2 लाभ (हानि) में वृद्धि/कमी में योगदान करने वाले कारक

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कर-पूर्व लाभ/(हानि) (पुनर्कथित)		**1,280.42**
अ. आय में वृद्धि		
अन्य परिचालनात्मक राजस्व (निवल)	182.07	
अन्य आय	83.25	265.32
आ. व्यय में कमी		
उपभुक्त सामग्रियों की लागत	85.89	
स्टॉक में अभिवृद्धि / अनभिवृद्धि	521.45	
विपट्टन गतिविधि समायोजन	238.36	845.70
इ. लाभ में कुल वृद्धि		**1,111.02**
अ. न्यून : आय में कमी		
बिक्री (निवल)		877.41
अ. न्यून : व्यय में कमी		
कर्मी प्रसुविधा व्यय	166.65	
संविदात्मक व्यय	822.20	
वित्त लागत	56.28	
मूल्यह्रास/परिशोधन/क्षति	71.82	
अन्य व्यय	183.59	1,300.54
अ. लाभ में कुल कमी		**2,177.95**
ऋ. लाभ में निवल परिवर्तन (इ – ऊ)		**(1,066.93)**
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कर-पूर्व लाभ/(हानि)		**213.49**

5.3 पूँजीगत व्यय

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल पूँजीगत व्यय ₹1461.34 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹1122.64 करोड़) था।

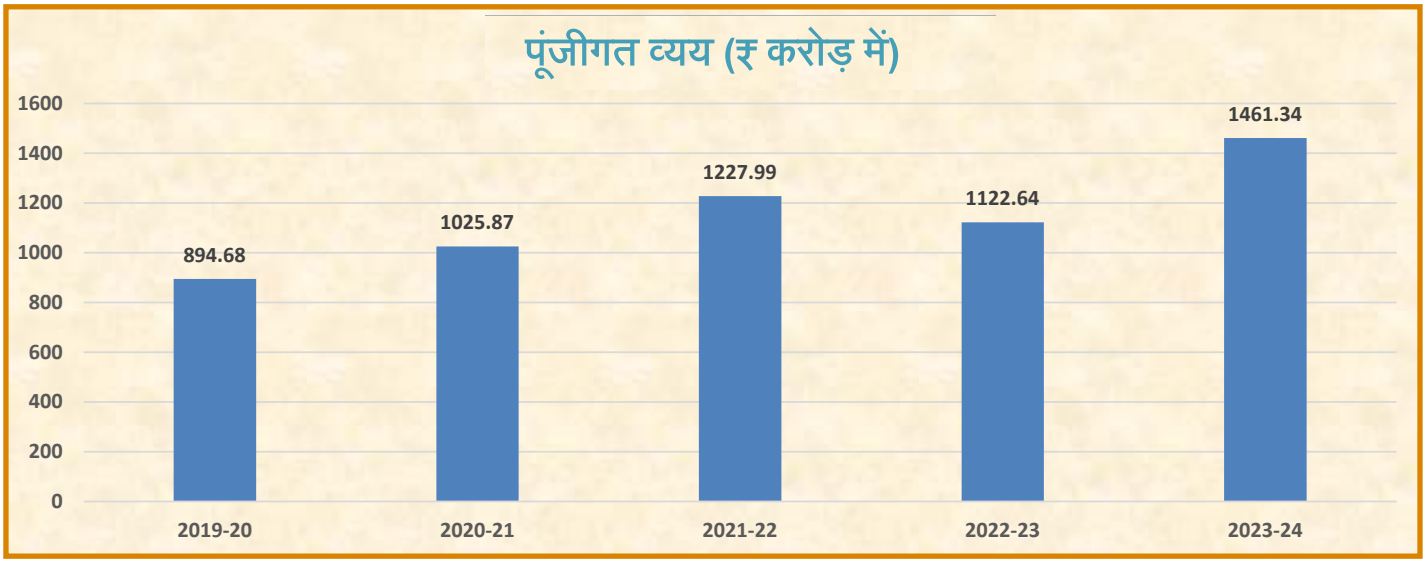

5.4 विविध देनदार

31 मार्च, 2023 की तुलना में 31 मार्च, 2024 को यथा विविध देनदारों (सकल), देनदार आवर्त और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की स्थिति निम्नानुसार है:

विशिष्टियाँ	इकाई	31.03.2024	31.03.2023
विविध देनदार (सकल)	₹ करोड़ में	2,388.22	1,930.34
देनदार आवर्त	माह की संख्या	1.09	1.26
संदिग्ध कर्ज के लिए प्रावधान	₹ करोड़ में	496.07	365.84
विविध देनदार (निवल)	₹ करोड़ में	1,892.15	1,564.50

5.5 विदेशी ऋण की चुकौती

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	2023-24	2022–23
सीआईएल के जरिए विदेशी ऋण की चुकौती	7.79	7.61

5.6 सरकारी राजकोष में अंशदान

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	2023-24				2022-23			
	पश्चिम बंगाल	झारखण्ड	केंद्रीय	कुल	पश्चिम बंगाल	झारखण्ड	केंद्रीय	कुल
i) पश्चिम बंगाल से संबंधित जीएसटी								
अ. आईजीएसटी	-	-	82.90	82.90	-	-	180.41	180.41
आ. सीजीएसटी	-	-	7.86	7.86	-	-	28.13	28.13
इ. एसजीएसटी	7.86	-	-	7.86	28.13	-	-	28.13
ई. मुआवजा उपकर	-	-	1,112.04	1,112.04	-	-	1,082.01	1,082.01
ii) झारखण्ड राज्य संबंधी								
अ. आईजीएसटी	-	-	0.29	0.29	-	-	0.35	0.35
आ. सीजीएसटी	-	-	49.75	49.75	-	-	36.04	36.04
इ. एसजीएसटी	-	49.75	-	49.75	-	36.04	-	36.04
ई. मुआवजा उपकर	-	-	568.32	568.32	-	-	325.06	325.06
iii) कोयले की रॉयल्टी, एनएमईटी, डीएमएफ	21.66	528.16	-	549.82	21.51	395.67	-	417.18
iv) आ.ई एवं पी.ई उपकर	1,743.01	-	-	1,743.01	1,709.64	-	-	1,709.64
v) एएमबीएच उपकर	2.68	-	-	2.68	3.03	-	-	3.03
vi) पीडब्ल्यू एवं सड़क उपकर	2.55	-	-	2.55	2.61	-	-	2.61
vii) बिक्री कर (वैट/सीएसटी)	0.02	0.68	-	0.70	-	0.10	-	0.10
viii) भूगर्त भरण उत्पाद शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
ix) स्वच्छ ऊर्जा उपकर	-	-	-	-	-	-	-	-
x) कोयले पर उत्पाद शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
xi) प्रविष्टि कर	-	-	-	-	-	-	-	-
xii) प्रबंधन फीस	-	1.32	-	1.32	-	0.83	-	0.83
xiii) बाजार फीस	-	4.56	-	4.56	-	5.41	-	5.41
xiv) कोविड उपकर	-	16.59	-	16.59	-	8.25	-	8.25
xv) मार्गस्थ अनुमति फीस	-	21.66	-	21.66	-	-	-	-
कुल	**1,777.78**	**622.72**	**1,821.16**	**4,221.66**	**1,764.92**	**446.30**	**1,652.00**	**3,863.22**

6.0 कोयला विपणन :

6.1 कुल उठाव की तुलना में माँग / लक्ष्य :

वर्ष 2023-24 में कोयले का वास्तविक उठान 51.00 मि.टन की माँग के विरूद्ध 43.75 मि.टन अर्थात् 86% माँग तुष्टि था। वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान सेक्टर-वार माँग एवं उठान यथा अनुसरित है :

(आंकड़े मिलियन टन में)

सेक्टर	वर्ष 2023-24 में उठाव			वर्ष 2022-23 में उठाव		
	माँग / लक्ष्य	वास्तविक	% तुष्टि	माँग / लक्ष्य	वास्तविक	% तुष्टि
विद्युत शक्ति	34.000	36.090	106	30.000	28.150	94
सिमेंट	0.430	0.350	81	0.470	0.430	92
सीपीपी (ओआरएस)	0.250	0.180	71	0.250	0.210	84
सीपीपी (इस्पात)	0.490	0.420	86	0.490	0.380	78
इस्पात (मिश्रण योग्य)	-	-	-	-	-	-
स्पॉन्ज आयरन	0.850	0.080	9	0.220	0.210	96
निर्यात	-	0.010	-	-	0.020	-
लोको	-	0.001	-	-	0.002	-
प्रतिरक्षा	-	-	-	-	-	-
कोलियरी सन्निर्माण	0.180	0.150	84	0.180	0.170	95
अन्य	14.800	6.470	44	18.400	5.930	32
कुल	**51.000**	**43.750**	**86**	**50.000**	**35.510**	**71**

6.2 माल-डिब्बों का प्रतिदिन औसतन भारण :

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के लिए कार्यक्षेत्रवार माल-डिब्बों में औसतन भारण यथा अनुसरित है :

(बॉक्स प्रति दिन में आँकड़े)

कार्यक्षेत्र	माल-डिब्बों का भारण			
	2023-24		2022-23	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
रानीगंज	1036	963	1018	931
मुगमा/सलानपुर	309	245	289	199
आद्रा	08	09	10	09
पीरपैंती	-	-	-	-
राजमहल (वार्फ वाल)	136	80	132	40
कुल	**1489**	**1297**	**1449**	**1179**

6.3 रीतिवार प्रेषण :

(मिलियन टन में आकड़े)

प्रेषण की रीति	2023-24	2022-23
रेल	30.01	26.88
सड़क	3.48	3.73
मेरी-गो-राउंड (एमजीआर)	10.11	4.73
कुल	**43.60**	**35.34**

6.4 यथा 31.03.2024 को कोयले का लेखाबंदी स्टॉक यथा अनुसरित है :

(लाख टन में आंकड़े)

कार्यक्षेत्र	As on 31.03.2024
रानीगंज	16.19
मुगमा/सलानपुर	14.40
संथाल परगना माइन्स	3.79
राजमहल	25.23
कुल	**59.62**

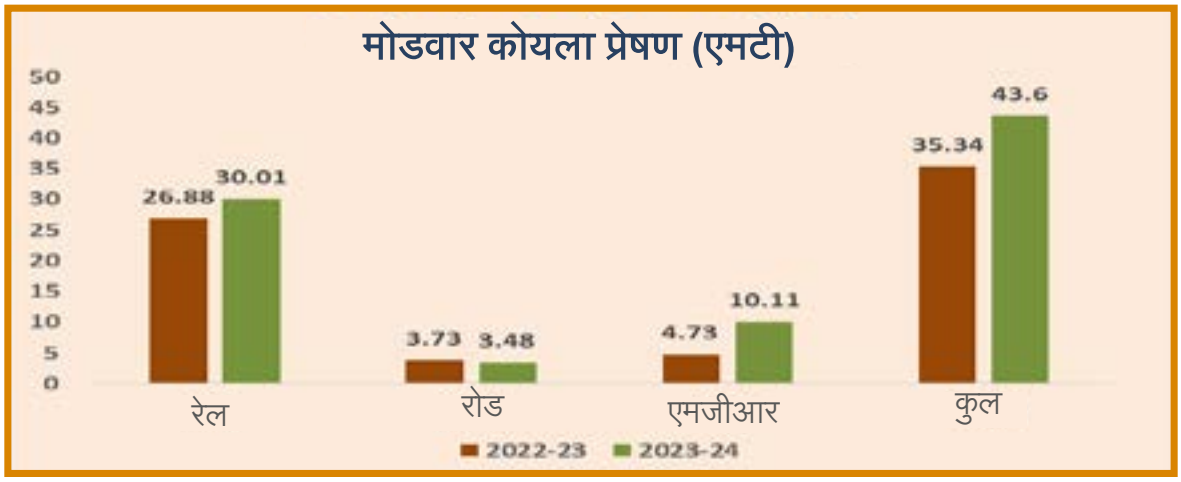

6.5 हाजिर व अनन्य ई-निलामी तथा विशेष वायदा ई-निलामी :

रीति	2023-24			2022-23		
	प्रेषित परिमाण (लाख टन में)	अधिसूचित दर में वृद्धि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत वृद्धि	प्रेषित परिमाण (लाख टन में)	अधिसूचित दर में वृद्धि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत वृद्धि
हाजिर एवं अनन्य ई-निलामी						
रेल	37.64	661.43	71.68	28.29	2452.35	267.64
सड़क	27.55	840.17	63.89	33.17	2303.08	220.02
कुल	65.19	1501.60	67.18	61.46	4755.43	242.25
विशेष वायदा ई-निलामी (विद्युत शक्ति)						
रेल	-	-	-	-	-	-
सड़क	-	-	-	1.86	1.90	6.93
कुल	**-**	**-**	**-**	**1.86**	**1.90**	**6.93**
समग्र कुल	**65.19**	**1501.60**	**67.18**	**63.32**	**4757.33**	**239.00**

7.0 योजना :

7.1 परिचालनों का कमान क्षेत्र :

यहाँ 79 खननीय खदानों जिसमें 48 भूमिगत खदान, 22 खुली खदान और 9 मिश्रित खदान के साथ 13 परिचालन क्षेत्र हैं।

7.2 आधुनिकीकरण :

भूमिगत खदानों में आधुनिकीकरण एवं मशीनीकरण के स्तर में संवर्धन के क्रम में, 2023-24 तक 56 खदानों में तत्काल तकनीकी एलएचडी/एसडीएल प्रवर्तन किया गया था। 31.03.2024 तक, भिन्न-भिन्न भूमिगत खानों में 202 एसडीएल, 37 एलएचडी एवं 137 यूडीएम रजिस्टर (आरंभिक सर्वे-ऑफ उपस्कर सहित) में दर्ज थे। वर्ष 2023-24 के दौरान, एसडीएलों से 3.125 मि.टन, एलएचडीयों से 0.642 मि.टन, 2 दीर्घ भित्ति से 0.728 मि.टन एवं 1 कटाई लदाई मशीन (दीर्घ भित्ति पैकेज का अंश) से 0.015 मि.टन उत्पादन प्राप्ति हुई।

ईसीएल में हाइवाल खनन का कार्य

"शटल कार (11 सेट) के साथ सतत खनित्र अभिनियोजन द्वारा "पुँजोत्पादन प्रौद्योगिकी" अभिनियोजित की गई है और सफलतापूर्वक परिचालित हो रही है। 5 मानक ऊँचाई वाले सतत खनित्र एवं 6 निम्न ऊँचाई वाले सतत खनित्र से वर्ष 2023-24 के दौरान उत्पादन प्राप्ति 4.127 मि. टन था। झांझरा में, अगस्त, 2016 से दीर्घ भित्ति तकनीक सफलतापूर्वक परिचालित हो रही है और वर्ष 2023-24 के दौरान उत्पादन 0.057 मि.टन (कटाई लदाई मशीन रहित) था। वर्ष 2023-24 के दौरान समग्र भूमिगत कोयला उत्पादन 9.183 मि.टन है।

इटापारा एमडीओ परियोजना का उद्घाटन

उपर्युक्त के अतिरिक्त व्यावसायिक अवसरों के गवेषिति के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे :

अ. हाइवॉल खनन : वर्ष 2023-24 में निमचा एवं नारायणकुड़ी खानों में हाइवॉल खनन तकनीक शुरू की गई थी। ईसीएल की कार्यकारी निदेशकगणों की सशक्त समिति ने दिनांक 17.02.2024 को आयोजित बैठक में मुगमा क्षेत्र के राजपुरा खुली खदान परियोजना में हाइवाल खनन के लिए पुनरीक्षित वित्त के साथ योजना को अद्यतन करने का निदेश दिया है।

आ. मैन राइडिंग प्रणाली : विभिन्न खानों जैसे झांझरा (3 डीजल संचालित फ्री स्टीयर्ड व्हीकल); परासिया (1 सेट चेयरलिफ्ट सिस्टम), निमचा (2 सेट चेयरलिफ्ट सिस्टम), बांसड़ा (2 सेट चेयरलिफ्ट सिस्टम), श्यामसुंदरपुर (1 सेट चेयरलिफ्ट सिस्टम); चिनाकुड़ी माइन III (1 सेट चेयरलिफ्ट सिस्टम); खोड्डाडीह कोलियरी (2 बैटरी संचालित फ्री स्टीयर्ड व्हीकल) और चिनाकुड़ी माइन-1 (2 नंबर बैटरी लोकोमोटिव) में सात मैन राइडिंग प्रणाली कार्यरत हैं। अमृतनगर और धेमोमेन खदानों में अतिरिक्त मैन राइडिंग सिस्टम लगाने की योजना बनाई गई है।

7.3 विविधिकरण

अ. कोयला संस्तरीय मिथेन (सीबीएम) : रानीगंज सीबीएम ब्लॉक (32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र) ईसीएल खनन पट्टे के भीतर है, जिसे सीबीएम निष्कर्षण के लिए प्रस्तावित किया गया है। परियोजना साध्यता प्रतिवेदन (पीएफआर) को 22.09.2018 को खान विकास व परिचालन (एमडीओ) अवधारणा के तहत ईसीएल निदेशक मंडल द्वारा प्रशासनिक रूप से निर्मिति और अनुमोदित किया गया है, जिसमें सतग्राम, कुनुस्तोरिया और श्रीपुर क्षेत्र के पट्टाधारित क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। सीएमपीडीआईएल को 08.05.2020 को कोयला संस्तरीय मीथेन (सीबीएम) के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में काम करने के लिए अधिनिर्णित किया गया था। कोयला संस्तरीय मीथेन डेवलपर (सीबीएमडी) के चयन के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा 15.05.2020, 30.10.2020 और 09.06.2021 को तीन बार बोली ई-प्रकाशित की गई थी। तथापि, कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। तत्पश्चात्, सीबीएम निष्कर्षण के लिए कुछ अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान की गई है और मूल क्षेत्र को सीएमटीएनएल के परामर्श से सीएमपीडीआईएल द्वारा संशोधित किया गया है। सीएमपीडीआईएल द्वारा नए निविदा दस्तावेज निर्मिति किए जा रहे हैं। निविदा देने से पूर्व संभावित बोलीदाताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई है ताकि उनके सुझावों को समाहित किया जा सके।

आ. सतही कोयला गैसीकरण (एससीजी) : कोयला से मेथनॉल परियोजना की स्थापना के लिए परियोजना साध्यता प्रतिवेदन (पीएफआर) को बोर्ड द्वारा 03.08.2021 को अनुमोदित किया गया था और पीडीआईएल को 14.09.2021 को जारी एलओए के माध्यम से तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। बीओओ प्रोसेसर के चयन के लिए निविदा 31 जनवरी, 2022 को निर्गत की गई थी और बोली 05 मई, 2022 को खोली गई थी और कोई बोली प्राप्त नहीं हुई है। इसके पश्चात, सीआईएल और गेल (विद्यमान एमओयू का एक परिशिष्ट) के बीच संयुक्त रूप से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) की नजदीकी खानों से कम राख वाले कोयले का उपयोग करके प्राथमिक कोयला से रासायनिक (सी2सी) उत्पाद के रूप में सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (एसएनजी) के उत्पादन के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(ईसीएल) में कोयला गैसीकरण परियोजना के विकास के अवसरों का संयुक्त रूप से पता लगाने के लिए एक सहमति ज्ञापन निष्पादित किया गया है। कार्यान्वयन के एलएसटीके मोड पर ईसीएल में कोयला-से-एसएनजी संयंत्र की स्थापना के लिए पीएफआर निर्मित के लिए सीआईएल द्वारा पीडीआईएल को 24.11.2022 को कार्य आदेश निर्गत किया गया है। सीआईएल को 14.03.2023 को कोयला से एसएनजी संयंत्र पर पीएफआर की अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त हुई। ईसीएल में एससीजी परियोजना का भूमि विवरण 15.11.2023 को सीआईएल को प्रस्तुत किया गया था। (190 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया और 60 एकड़ का अधिग्रहण किया जाना है)। गेल ने एलएसटीके मार्ग पर निविदा के बाद डीपीआर निर्मिति करने के लिए पीडीआईएल को पीएमसी सलाहकार के रूप में नियुक्त करने के लिए 19 अप्रैल, 2024 को अनुमोदन दे दी है।

इ. **भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) :** झारखंड के जामताड़ा जिले के कस्ता वेस्ट ब्लॉक में भारतीय भू-खनन स्थितियों में यूसीजी प्रौद्योगिकी स्थापित करने के लिए एक पायलट परियोजना को 28.03.24 को ₹2309.63 लाख रुपये की मंजूरी दी गई। सीएमपीडीआईएल और ईसीएल प्रमुख कार्यान्वयन अभिकरणे हैं और एर्गो एक्सर्जी, कनाडा परियोजना के लिए उप-कार्यान्वयन अभिकरणे है। एर्गो एक्सर्जी द्वारा शीघ्र ही पायलट परियोजना का काम आरंभ किया जाएगा।

ई. **खान शीर्ष ताप विद्युत संयंत्र :** यथा अग्र अनुकूलन खान शीर्ष ताप विद्युत संयंत्र (पिट हेड टीपीपी) के लिए 2 स्थलों की पहचान की गई है, एक बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती में और दूसरा झारखंड के दुमका जिले के आमगाची, काठीकुण्ड प्रखण्ड में। दुमका जिले में राजमहल खदानों और आगामी खदानों से कोयले की आपूर्ति की जाएगी।

7.4 भूमिगत कोयला उत्पादन में सुधार के लिए उठाए गए कदम : विभिन्न प्रचालनात्मक बाधाओं, ऊपरी संस्तर के परिसमापन, कैविंग के लिए भूमि की उपलब्धता में विलंब आदि को ध्यान में रखते हुए भूमिगत उत्पादन में सुधार करने के लिए मुख्य रूप से झांझरा, तिलाबोनी, सिदुली, परासिया-बेलबाद जैसी अधिक भूमिगत खानों में शटल कार के साथ सतत खनित्रों को अभिनियोजित करके भूमिगत उत्पादन में सुधार करने के लिए कार्रवाई की गई है। अधिवर्षिता के कारण वेधन दल की कमी तथा आतन और साथ ही आलंबी पर अधिक कोयले की उपलब्धता के द्वैत उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और अधिक यूडीएम प्रवेशन के लिए कार्रवाई की गई है।

7.5 वर्ष 2023-24 के दौरान निरूपित परियोजनाओं के ब्यौरे :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि.टन प्रति वर्ष)	प्राक्कलित अतिरिक्त पूँजी (₹ करोड़ में)			
			विभागीय	आंशिक बाह्यस्रोतीकरण	बाह्यस्रोतीकरण	एमडीओ
1.	परासकोल जामबाद खुली खदान	1.80	1398.71	1193.55	-	1446.01 (ईसीएल=877.82, एमडीओ=568.19)
2.	निमचा भूमिगत	2.76	1291.45	559.34	-	1400.75 (ईसीएल=23.44, एमडीओ=1377.31)
3.	रंगमाटी-ए भूमिगत	2.88	2101.41	882.50	-	1862.95 (ईसीएल-39.45, एमडीओ- 1823.50)
4.	बांसड़ा भूमिगत	0.54	489.79	189.43	-	566.94 (ईसीएल-5.18, एमडीओ- 561.76)
5.	हाइवाल सहित सीएल जामबाद खुली खदान परियोजना	1.00	-	138.61	114.62	-

7.6 वर्ष 2023-24 के दौरान अनुमोदित परियोजनाएँ :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता	पूँजीगत निवेश का अनुमोदन (₹ करोड़ में)	अनुमोदन की तिथि	अभ्युक्ति
1.	ईटापाड़ा खुली खदान परियोजना	3.50	ईसीएल अंश : 929.10	12.09.2023	परियोजना प्रतिवेदन एमडीओ रीति में अनुशंसित।
2.	चुपरभीटा-शिमलोंग खुली खदान परियोजना	6.00	ईसीएल अंश : 979.08	12.09.2023	परियोजना प्रतिवेदन एमडीओ रीति में अनुशंसित।

7.6अ वर्ष 2023-24 के दौरान परियोजनाओं के मूल्य-निरूपण, मूल्यांकन एवं अनुमोदन के लिए सीआईएल निदेशक मण्डल की सशक्त उपसमिति द्वारा परियोजना पूरण प्रतिवेदन का अंतिम अनुमोदन :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि.टन प्रति वर्ष)	अनुमोदित पूँजी निवेश (₹ करोड़ में)	अनुमोदन की तिथि	अभ्युक्ति
1.	इटापाड़ा खुली खदान	3.50	ईसीएल अंश : 929.1	29.12.2023	परियोजना प्रतिवेदन एमडीओ रीति में अनुमोदित।
2.	चुपरभीटा-शिमलोंग खुली खदान	6.00	ईसीएल अंश : 979.08	29.12.2023	06.03.2024 को एनआईटी जारी किया गया। 25.06.2024 को बोली खुलना अधिसूचित है।

ईसीएल में खनन कार्य

7.6आ वर्ष 2023-24 के दौरान ईसीएल निदेशक मण्डल द्वारा परियोजना पूरण प्रतिवेदन का अंतिम अनुमोदन :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि.टन प्रति वर्ष)	अनुमोदित पूँजी निवेश (₹ करोड़ में)	अनुमोदन की तिथि	अभ्युक्ति
1.	बांसड़ा भूमिगत	0.54	ईसीएल अंश : 5.18	19.10.2023	योजना एमडीओ रीति में अनुमोदित
2.	हाइवाल के साथ सीएल जामबाद ओसीपी	1.00	114.62	25.01.2024	योजना बाह्यस्रोत रीति में अनुमोदित

7.6इ 2023-24 में ईसीएल निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित खुली खदान खण्ड :

क्रम सं.	क्षेत्र	खुली खदान खण्ड के नाम	खननीय निचय		औसत विपट्टन अनुपात	व्यस्ततम समय (लाख टन प्रति वर्ष)	खान की क्रियाशीलता (वर्ष)	अनुमोदन की तिथि
			कोयला (लाख टन)	ओबी (लाख घनमीटर)				
1.	सोदपुर	परबेलिआ कोलियरी के आ-VIII (हिजुली संस्तर) में बाह्यस्रोत विकल्प से योजना	9.50	117.47 एवं पुनःनिपटान / पुनःभरण: 28.00	12.365	2.50	4	25.01.2024

7.7 राजस्व साझा मॉडल में अनिरंतरित खान के पुनःक्रियाशीलन के लिए खान रूपरेखा एवं एमडीओ दस्तावेज का अनुमोदन एवं इसकी प्रास्थिति :

क्रम सं.	शृंखला	खानों के नाम	खान रूपरेखा एवं एमडीओ दस्तावेजों का अनुमोदन	वर्तमान प्रास्थिति
1.	शृंखला - IV	बेनाली कोलियरी	02.02.2024	निविदा 04.03.2024 को जारी किया गया।
2.		महावीर (आर) कोलियरी	02.02.2024	निविदा 04.03.2024 को जारी किया गया।

7.8 पूँजीगत परियोजनाएँ :

वर्ष 2023-24 के दौरान, ईसीएल ने 14 पूँजीगत परियोजनाएँ आरंभ की हैं, जिनमें से 2 नई ग्रीनफील्ड परियोजना (हुर्रा-सी ओसी) और परियोजनाओं के विस्तार/संशोधन/पूर्वसमापन (झांझरा विस्तारित भूमिगत, खोट्टाडीह सीएम, मोहनपुर विस्तारित ओसीपी, न्यू केंदा ओसी, सोनपुर-बाजारी विस्तारित ओसीपी, चितरा पूर्व ओसीपी, सिदुली मिक्स, नकराकोंडा-कुमारडीह बी ओसीपी, तिलोबनी भूमिगत, परासिया-बेलबाद भूमिगत, सरपी भूमिगत सहित श्यामसुंदरपुर, बॉन्जेमेहरी विस्तारित ओसीपी) की संख्या 12 हैं।

7.9 नई पहल :

अ. वर्तमान में, पाँच खानों में निपातन के साथ 11 सतत खनित्र संचालित हैं (झांझरा: 2 मानक ऊँचाई सतत खनित्र और 2 कम ऊँचाई वाले सतत खनित्र; श्यामसुंदरपुर: 1 मानक ऊँचाई सतत खनित्र; कुमारडीह बी: 2 कम ऊँचाई वाले सतत खनित्र और 1 एसएचसीएम और खोट्टाडीह: 1 मानक ऊँचाई सतत खनित्र) और 1 कम ऊँचाई वाले सतत खनित्र तथा तिलाबोनी : 1 कम ऊँचाई वाला सतत खनित्र)।

आ. 07 खानों में 18 सतत खनित्रों के प्रवर्तन की योजना बनाई गई है जिनके लिए परियोजना प्रतिवेदन पूर्व में ही अनुमोदित की जा चुकी है। इन सतत खनित्रों को निपातन / पुनर्भरण के साथ विस्तंभन के लिए योजनाबद्ध किया गया है। 18 सतत खनित्रों के प्रवर्तन की समयसीमा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में पाँच-पाँच सतत खनित्रों का प्रवर्तन किया जाएगा, जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 में चार-चार सतत खनित्रों का प्रवर्तन किया जाएगा।

इ. पेस्ट फिल तकनीक के साथ सतत खनित्रों के प्रवेशन के लिए शामपुर-बी की योजना को ईसीएल निदेशक मण्डल द्वारा 29.01.2022 को अनुमोदन दे दी गई है और 17.02.2024 को फिर से निविदा की गई है। बोली 12.04.2024 को खोली गई। कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। एनआईटी की पूर्व बैठक 12.06.2024 को आयोजित की गई।

ई. विदेश सहयोग / प्रौद्योगिकी अवशोषण-अनुकूलन और नवाचार :

i) कुमारडीह-बी भूमिगत खान में सतत खनित्र का प्रवेशन : मेसर्स जेएमएस माइनिंग प्रा. लि. द्वारा 07.02.2024 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निम्न ऊँचाई वाली सतत खनित्र का एक सेट चालू किया गया है।

ii) झांझरा में अतिरिक्त 2 मानक ऊँचाई वाली सतत खनित्र का प्रवेशन : 2 मानक ऊँचाई वाले सतत खनित्र की आपूर्ति के लिए, 08.08.2022 को मेसर्स गेनवेल कम्मोसेल्स प्रा. लि. को एलओए निर्गत किया गया था। 2024-25 में इसकी चालू होने की अपेक्षा है।

iii) तिलाबोनी भूमिगत खान में सतत खनित्र का प्रवेशन : वर्ष 2023-24 के दौरान 12.03.2024 को मेसर्स जेएमएस माइनिंग प्रा. लि. द्वारा आर-VIII उच्च संस्तर में पैनल के विकास के लिए एक निम्न ऊँचाई वाला सतत खनित्र परिनियोजित किया गया है।

iv) वर्ष 2023-24 में झांझरा आर-VII संस्तर से 0.557 मि.टन (रोड़ हेडर रहित) कोयला उत्पादन के लिए शक्ति समर्थित लॉन्गवाल पैनल को सफलतापूर्वक संचालन।

v) श्यामसुंदरपुर भूमिगत खान में अतिरिक्त 2 निम्न ऊँचाई वाले सतत खनित्र का प्रवेशन : निम्न ऊँचाई वाले 2 सतत खनित्र की आपूर्ति के लिए, 08.08.2022 को मेसर्स गेनवेल कम्मोसेल्स प्रा. लि. को एलओए निर्गत किया गया था। यथा विद्यमान आनत के विस्तारण में द्वितीय आनत के अनुसुरंगन के लिए, 03.06.2024 को एलओए निर्गत किया गया।

vi) परासिया-बेलबाद भूमिगत में सतत खनित्र के प्रवेशन के लिए, 30.03.2023 को मेसर्स गेनवेल कम्मोसेल्स प्रा. लि. को एलओए निर्गत किया गया था।

vii) तिलाबोनी भूमिगत सीएचपी में तीन और सतत खनित्र के प्रवेशन के लिए, 30.03.2023 को मेसर्स जेएमएस माइनिंग प्रा. लि. को एलओए निर्गत किया गया था।

7.10 वर्ष 2023-24 के लिए चालू परियोजनाओं से संबंधित प्रमुख मील के पत्थर समान उपलब्धियों की प्रास्थिति :

क्रम	परियोजना का नाम	गतिविधियाँ / मील का पत्थर	उपलब्धियाँ
1.	सोनपुर बाजारी विस्तारित खुली खदान परियोजना	526.51 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए सीबीए (ए एवं डी) अधिनियम, 1957 की धारा 4(1) के तहत अधिसूचना	संपन्न। सीबीए (ए एवं डी) अधिनियम, 1957 की धारा 4 (i) के तहत अधिसूचित 526.51 हेक्टेयर प्राप्त करने के लिए 18.12.2023 को भेजा गया।
2.	झांझरा विस्तारित भूमिगत	1 कम ऊँचाई वाली सतत खनित्र का प्रवर्तन (झांझरा भूमिगत परियोजना का चौथा कम ऊँचाई वाली सतत खनित्र)	संपन्न । कुमारडीह-बी भूमिगत खान में 07.02.2024 को कम ऊँचाई वाली सतत खनित्र का प्रवर्तन किया गया है।
3.	इटापाड़ा खुली खदान परियोजना	एमडीओ विकल्प में निविदा को अंतिम रूप देना	संपन्न । मेसर्स आरके ट्रांसपोर्ट कंपनी को एमडीओ मोड में 08.05.2023 को एलओए जारी किया गया था और 10.06.2023 को करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।
4.		कोयला उत्पादन आरंभ	संपन्न । 20.12.2023 को कोयला उत्पादन आरंभ हुआ।
5.	चितरा ईस्ट ओसीपी	सीबीए (ए एवं डी) अधिनियम, 1957 की धारा 7 (i) के तहत 146.17 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना	संपन्न । सीबीए (ए एवं डी) अधिनियम, 1957 की धारा 7 (i) के तहत 146.62 हेक्टेयर भूमि के लिए अधिसूचना का.आ.सं. 415 (ई) दिनांक 01.02.2024 द्वारा जारी की गई।
6.	तिलाबोनी भूमिगत	1 कम ऊँचाई वाली सतत खनित्र का परिनियोजन	संपन्न । 12.03.2024 को कम ऊँचाई वाली सतत खनित्र को परिनियोजित किया गया है।
7.		सीबीए (ए एवं डी) अधिनियम, 1957 की धारा 11 (i) के तहत 419.0496 हेक्टेयर काश्तकारी भूमि के अधिग्रहण के लिए किया गया आवेदन	संपन्न । सीबीए (ए एवं डी) अधिनियम, 1957 की धारा 11 (i) के तहत 18.07.2023 को 419.0496 हेक्टेयर के अधिग्रहण के लिए आवेदन किया गया।
8.	मोहनपुर विस्तारित खुली खदान परियोजना	38.20 हेक्टेयर काश्तकारी भूमि के अधिग्रहण के लिए सीबीए (ए एवं डी) अधिनियम, 1957 की धारा 11 (i) के तहत अधिसूचना	संपन्न । सीबीए (ए एवं डी) अधिनियम, 1957 की धारा 7 (i) के तहत अधिसूचित 04.01.2024 को 38.20 हेक्टेयर काश्तकारी भूमि की गई।

7.11 वर्ष 2023-24 के दौरान विशेष उपलब्धियाँ :

अ) गुच्छ सं. 12 (कुल क्षमता : 31.83 मि.टन प्रति वर्ष) के अधीन एक वर्ष की अवधि के लिए 31.07.2023 को 12 मि.टन प्रति वर्ष से 14 मि.टन प्रतिवर्ष तक सोनपुर बजारी विस्तारित खुली खदान परियोजना हेतु पर्यावरण सहमति (ईसी) संशोधित किया गया।

आ) 21.12.2.23 को आयोजित ईएसी बैठक में मुग्मा क्षेत्र के अंतर्गत बरमुरी ओसीपी की सफारिश गुच्छ सं. 2 (कुल क्षमता : 1.1 मि.टन प्रति वर्ष) के अधीन, पर्यावरणीय सहमति क्षमता 0.5 मि.टन प्रति वर्ष से 0.90 मि.टन प्रति वर्ष तक बढ़ाई गई। 21.02.2024 को ईसी पत्र निर्गत किया गया।

इ) गुच्छ सं. 12 (14 मिश्रित खानों को समाहित करते हुए) के लिए पुनरीक्षित खान योजना (प्रगतिशील खान संवरण योजना सहित) 31.83 मि.टन प्रति वर्ष से 34.83 मि.टन प्रति वर्ष तक खान पट्टाधृत (एमएल) क्षेत्र में 12694.47 हेक्टेयर से 14814.20 हेक्टेयर तक की वृद्धि के साथ 12.09.2023 को आयोजित ईसीएल निदेशक मंडल की बैठक द्वारा अनुमोदित की गई। टीओआर प्राप्त करने के प्रस्ताव पर 17.11.2023 को आयोजित तीसरी ईएसी बैठक में विचार किया गया और सिफारिश की गई। टीओआर 04.01.2024 को जारी किया गया। ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट का प्रारूप सीएमपीडीआईएल में निर्मिति किया जा रहा है।

ई) खान पट्टाधृत क्षेत्र में 1628.0 हेक्टेयर से 1774 हेक्टेयर तक की वृद्धि के साथ 3.33/3.97 मि.टन प्रति वर्ष (मानकी / अधिकतम) की विद्यमान उत्पादन क्षमता वाले गुच्छ-3 (3 मिश्रित खानों) के विस्तार के लिए विचारार्थ विषयों के प्रस्ताव पर विचार किया गया और 17.11.12023 को आयोजित तृतीय ईएसी बैठक में इसकी सिफारिश की गई। टीओआर 04.01.2024 को जारी किया गया। ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट का प्रारूप सीएमपीडीआईएल में निर्मिति किया जा रहा है।

उ) गुच्छ सं. 4 के अधीन समग्र गुच्छ क्षमता 7.71 मि.टन प्रति वर्ष को अपरिवर्तित रखते हुए इटापाड़ा ओसीपी के क्षेत्र विस्तार के लिए पर्यावरण सहमति (ईसी) को 855.87 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1003.37 हेक्टेयर, समग्र गुच्छ क्षेत्र को 2720.87 हेक्टेयर से बढ़ाकर 2868.37 हेक्टेयर करना, खनन योजना को ईसीएल निदेशक मण्डल द्वारा 25.01.2024 को अनुमोदित किया गया है।

ऊ) कोयला गैसीकरण शिल्पांचल परियोजना पश्चिम बंगाल, ईसीएल - कोयला से मेथनॉल परियोजना की स्थापना के लिए ईसीएल एससीजी के लिए पीएफआर को ईसीएल निदेशक मंडल द्वारा 03.08.2021 को अनुमोदित किया गया है। पीडीआईएल को तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और 14.09.2021 को एलओए जारी किया गया है। ईसीएल में कोयला से एसएनजी संयंत्र की स्थापना के लिए पीएफआर निर्मिति करने के लिए पीडीआईएल को 24.11.2022 को 'एकमुश्त संपूर्ण (एलएसटीके)' रीति पर कार्य आदेश जारी किया गया है।

ऋ) ईआरपी को एसएपी पोर्टल में सभी चौदह चालू परियोजनाओं और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए पीएस मॉड्यूल के माध्यम से लागू किया गया है। यह एसएपी पोर्टल के पीएस मॉड्यूल के माध्यम से चल रही परियोजनाओं के प्रत्यक्ष प्रबोधन को सक्षम बनाता है।

8.0 उपस्करों की संख्या (एचईएमएम) :

8.1 यथा 31 मार्च, 2023 की तुलना में 31 मार्च, 2024 को उपस्करों की संख्या

उपस्कर	क्षमता (घनमीटर)	31.03.2024 को यथा उपस्करों की संख्या	31.03.2023 को यथा उपस्करों की संख्या
ड्रैगलाइन	26.8	01	01
शॉवेल	12 और 10 के बीच	11	11
	10 और 05 के बीच	24	20
	05 और 03 के बीच	10	13
	03 और 01 के बीच	11	09
		56	**53**
डम्पर	190 टन	18	18
	120 टन	09	12
	100 टन	28	31
	60 टन	76	72
	35 टन	41	57
		172	**190**
डोजर	410 एचपी	28	28
	320 एचपी	54	50
		82	**78**
ड्रिल	311एमएम	05	05
	250एमएम	07	10
	160एमएम	31	31
	100एमएम	03	03
		46	**49**

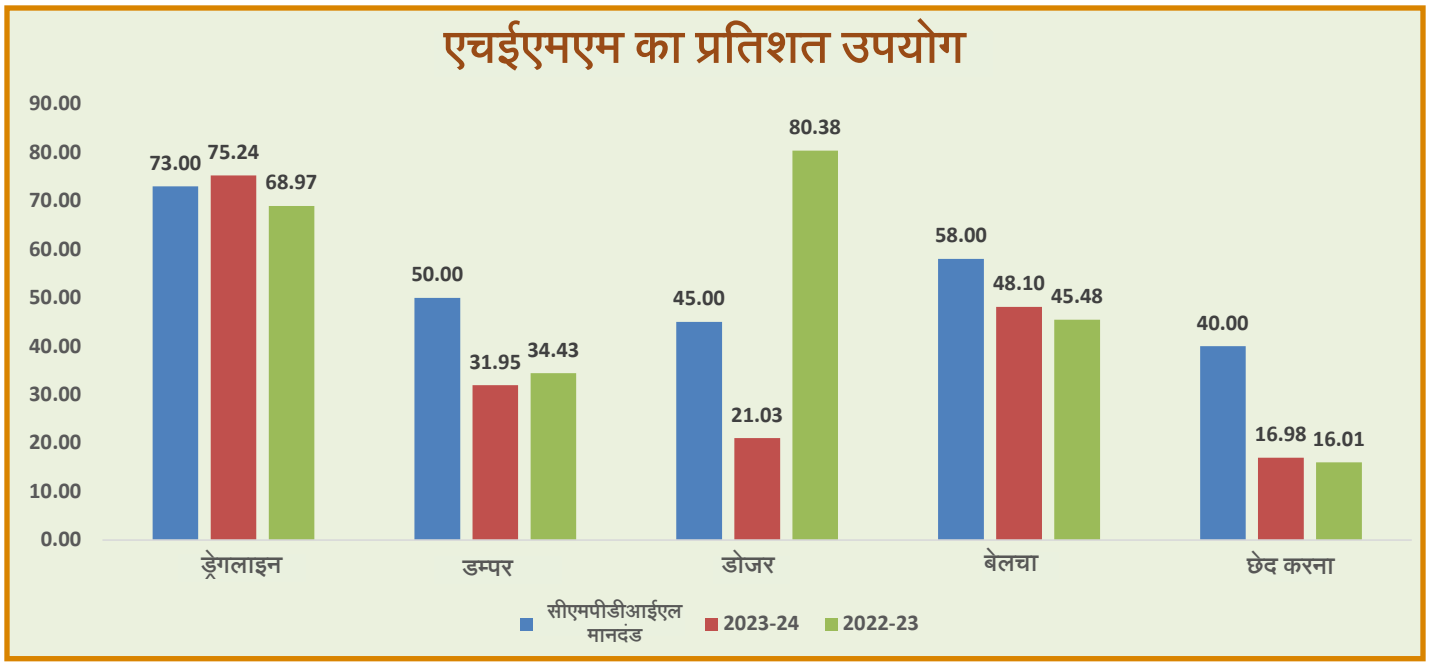

8.2 पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान सीएमपीडीआईएल प्रादर्शों के अनुसार उपस्करों के प्रत्येक प्रकारों की प्रतिशत उपलब्धता एवं उपयोगिता सिद्धि यथा अनुसरित है :

उपस्कर	प्रतिशत उपलब्धता				प्रतिशत उपयोगिता सिद्धि			
	सीएमपीडीआईएल प्रदर्श	2023-24	2022-23	% में गत वर्ष से अंतर	सीएमपीडीआईएल प्रदर्श	2023-24	2022-23	% में गत वर्ष से अंतर
ड्रैगलाइन	85	83.34	87.08	-3.74	73	68.97	75.24	-6.27
डम्पर	67	81.43	79.02	2.41	50	34.43	31.95	2.48
डोजर	70	72.38	72.03	0.35	45	18.38	21.03	-2.65
शॉवेल	80	79.77	75.30	4.47	58	45.48	48.10	-2.62
ड्रील	78	81.73	78.86	2.87	40	16.01	16.98	-0.97

8.3 वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदत्त नूतन उपस्कर एवं प्रतिस्थापित उपस्कर :

उपस्कर	क्षमता	2023-24 में यथा प्रतिस्थापन / अतिरिक्त जोड़ा गया	2023-24 में प्राप्त हुआ और यथा प्रतिस्थापन 2024-25 में प्रवर्तन किया जाएगा
शॉवेल	5 घनमीटर	5	0
	1.5 घनमीटर	2 (1 अतिरिक्त)	0
डम्पर	100 टन	10	2
	60 टन	5	0
डोजर	242 कि.वाट	2	0
ड्रिल	160 एमएम	3	0

8.4 एचईएमएम की उपयोगिता सिद्धि में सुधार के लिए कार्रवाई :

खनन उपस्करों (एचईएमएम) के उपयोग में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :

अ) राजमहल क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण की समस्या का समाधान कर लिया गया है और पर्याप्त भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है।

आ) मुगमा क्षेत्र में, बड़जना ओसीपी को बंद कर दिया गया है और उपस्कर उपयोगिता सिद्धि के लिए अन्य ओसीपी को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

इ) पांडवेश्वर क्षेत्र की खोट्टाडीह खदान में, पट्टाधृत भूमि के विवाद संबंधी भूमि अवरोध के कारण खदान 2 माह के लिए बंद कर दी गई थी। इस मामले को सीआईएल स्तर पर सुलझा लिया गया है और वर्तमान में खान परिचालन में है।

ई) बांकोला क्षेत्र की नाकराकोंडा खान में, कोयला आतन पर जल भराव और संविदाकार के खराब कार्य निष्पादन के परिणामस्वरूप कोयले के कम अनावरण के कारण खान को 5 महीने के लिए बंद कर दिया गया था। कुछ उपस्करों को लाभप्रद उपयोगिता के लिए अन्य खानों को हस्तांतरित कर दिया गया है। वर्तमान में खान विभागीय रूप से परिचालन में है।

उ) काजोड़ा क्षेत्र के जामबाद ओसीपी में उपरि संस्तर डंप की अग्रदूरी को कम करने के लिए अलग कर्षण पथ का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में कोयला आतन पर जल भराव के कारण एक उत्खनक बेकार है। कोयला निकालने के बाद मशीन को उपरि संस्तर हटाव के लिए उपरि संस्तर बेंच में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

ऊ) केंदा क्षेत्र की शंकरपुर खदान में भूमि अवरोध होने के कारण खदान 3 माह के लिए बंद कर दी गई थी। वर्तमान में उपस्करों को लाभप्रद उपयोगिता के लिए सीएल जामबाद को हस्तांतरित कर दिया गया है।

9.0 ऊर्जा संरक्षण :

9.1 विद्युत शक्ति एवं ईंधन खपत :

क्रम	विशिष्टियाँ	इकाई	2023-24	2022-23
I.	**क्रय की गई विद्युत**			
	क. क्रय की गई इकाइयाँ	एम.केडब्ल्यूएच	835.42	831.12
	ख. आपूर्ति अभिकरणों को प्रदत्त कुल राशि (लगभग)	₹ करोड़ में	610.05	627.41
	ग. दर प्रति ईकाई (औसतन)	₹ / किलोवाट	7.30	7.54
	घ. विद्युत की विशेष खपत (लगभग)	किलोवाट घंटा/घन	4.04	5.24
II.	**विद्युत शक्ति की माँग**			
	क. औसतन विद्युत शक्ति की माँग	एमवीए	178.84	180.16
	ख. संविदात्मक माँग	एमवीए	199.33	199.89
	ग. प्रतिशत उपयोगिता सिद्धि	%	89.72	90.00

9.2 सौर परियोजनाओं का क्रियान्वयन :

ईसीएल में अब तक विभिन्न अवस्थानों पर कुल 1.906 मेगावाट रूफ टॉप सोलर स्थापित किया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान, संयंत्र से निवल उत्पादन 8.47 लाख किलोवाट घंटा था, जिसके परिणामस्वरूप ₹42.72 लाख रुपये की बचत हुई।

9.3 ऊर्जा संरक्षण :

विभिन्न इकाइयों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता उपायों को लागू करने के लिए, 450 पारंपरिक पंखों को बीएलडीसी पंखों (सुपर फैन), 152 पुराने एसी को ऊर्जा-कुशल एसी, 12 पुराने वॉटर हीटर, 2508 पारंपरिक रोशनी को एलईडी लाइट्स और 05 पुराने मोटरों को ऊर्जा-कुशल मोटर्स के साथ बदलने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा, स्ट्रीट लाइट के लिए 50 ऑटो-टाइमर स्थापित लगाए गए। इन ऊर्जा दक्षता उपायों से कुल प्रत्याशित बचत लगभग 1.5 मिलियन यूनिट है, जिसका मूल्य वर्ष 2023-24 के दौरान 1.10 करोड़ रुपये (लगभग) है, जिसके परिणामस्वरूप कार्बन-डाइ-ऑक्साइड उत्सर्जन में 1237 टन की कमी आई है। वित्तीय वर्ष 202324 में पावर फैक्टर में सुधार से प्राप्त निवल लाभ 11.95 करोड़ रूपए (लगभग) है।

9.4 भूमिगत मशीनरी कार्य-निष्पादन :

उपस्कर	2023-24		2022-23	
	रजिस्टर में दर्ज	उत्पादकता (टन प्रति दिवस)	रजिस्टर में दर्ज	उत्पादकता (टन प्रति दिवस)
एसडीएल	225	70	204	66
एलएचडी	33	88	38	98
सतत खनित्र	11	1310	9	1440
कटाई लदाई मशीन	1	44	1	162
दीर्घ भित्ति मशीन	1	1802	1	2797
उच्च भित्ति मशीन	2	1204	1	1031

9.5 कोयला निपटान संयंत्रों (सीएचपी) के कार्य-निष्पादन :

वर्ष 2022-23 के दौरान 13.62 मि.टन कोयले की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में, 31 मार्च, 2024 को यथा, सोनपुर बजारी एवं राजमहल में दो प्रमुख कोयला निपटान संयंत्रों (सीएचपी) ने 21.05 मि.टन कोयले का निपटान किया।

9.6 वर्ष 2023-24 के दौरान प्रमुख उपलब्धियाँ :

अ) ईसीएल में 35 मेगावाट के भूमि आरूढ़ सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना और प्रवर्तन के लिए कार्यादेश जारी कर दिया गया है।

आ) ईसीएल में 16 नए इलेक्ट्रिक वाहन की अधिप्राप्ति किए गए।

इ) 04 भाप कुंडलक को विद्युत कुंडलक में परिवर्तित करने के लिए कार्य आदेश जारी किया गया है।

ई) ईसीएल में 3.73 मेगावाट छतारूढ़ सौर ऊर्जा संयंत्र की संस्थापना और प्रवर्तन के लिए एलओए जारी किया गया है।

ईसीएल के सोनपुर बाजारी क्षेत्र में कोयला हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी)

9.7 ईसीएल में सौर ऊर्जा पहल

जलवायु परिवर्तन पर लगातार बढ़ती वैश्विक चिंता ने स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों की ओर बदलाव को प्रेरित किया है। विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों में, सौर ऊर्जा इस बात का एक चमकदार उदाहरण है कि कैसे नवाचार और प्रौद्योगिकी कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। जैसा कि दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रही है, कार्बन उत्सर्जन को रोकने में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना सर्वोपरि हो जाता है। उनमें से, सौर ऊर्जा ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में आशा की एक चमकदार किरण के रूप में उभरी है। कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन को काफी कम करने की क्षमता के साथ, सौर ऊर्जा दशकों की अवधि में सैकड़ों पेड़ लगाने के बराबर है। इस ब्लॉग में, हम CO_2 उत्सर्जन को कम करने में सौर ऊर्जा के उल्लेखनीय प्रभाव और वृक्षारोपण में इसके समकक्ष योगदान का पता लगाते हैं।

कोल इंडिया लिमिटेड ने पहले ही अपनी सभी अनुषंगी कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे नेट जीरो कंपनी बनने के लिए तौर-तरीके/कार्य योजना तैयार करें। कोल इंडिया लिमिटेड ने सूचित किया है कि नेट जीरो कंपनी बनने के लिए; ईसीएल को 525 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना लगाना है। तत्पश्चात्, ईसीएल ने अपने परिचालन क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजनाएं संस्थापित करने की पहल की है। ईसीएल ने पहले ही 1.906 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित कर ली है, जिसने वित्ती वर्ष 2022-23 के दौरान 7.12 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया है, जिसके परिणामस्वरूप 34.75 लाख रुपये की बचत हुई है और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 8.47 लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न हुई है, जिसके परिणामस्वरूप 42.72 लाख रुपये की बचत हुई है।

ईसीएल ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित सौर ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करने की योजना बनाई है:

अ) 35 मेगावाट क्षमता का भू-आरूढ़ सौर ऊर्जा संयंत्र : तीनों स्थलों पर सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्र की स्थापना का काम प्रगति पर है और अगस्त, 2024 तक चालू होने की प्रत्याशा है।

आ) 3732 किलोवाट क्षमता का छतारूढ़ सौर ऊर्जा संयंत्र : 3732 किलोवाट छतारूढ़ सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का कार्य प्रगति पर है और अक्टूबर, 2024 तक चालू होने की प्रत्याशा है।

इ) 5 मेगावाट क्षमता का चलंत सौर ऊर्जा संयंत्र : सालनपुर क्षेत्र में 5 मेगावाट चलंत सौर ऊर्जा संयंत्र की परियोजना प्रगति पर है और मार्च, 2025 तक चालू होने की प्रत्याशा है।

ई) 5 मेगावाट क्षमता का भू-आरूढ़ सौर ऊर्जा संयंत्र : सोनपुर बाजारी क्षेत्र में 5 मेगावाट भू-आरूढ़ सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए परियोजना प्रगति पर है और मार्च, 2025 तक चालू होने की प्रत्याशा है।

इसके अलावा, ईसीएल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए अपने परिचालन क्षेत्र में उपयुक्त भूमि की पहचान की है ताकि निकट भविष्य में नेट जीरो कंपनी बन सके।

जमीन पर लगाए जाने वाले सौर पैनल - स्थिरता की ओर एक कदम

10.0 कल्याणकारी सुविधाएँ :

क्रम	मद	31.03.2023 को यथा संचयी स्थिति	2023-24 के दौरान प्राप्ति	31.03.2024 को यथा संचयी स्थिति
1.	**शैक्षणिक प्रसुविधाएँ**			
	अ) डीएवी विद्यालय	06	-	06
	आ) i) आवर्ती सहायता अनुदान प्राप्त विद्यालयों की संख्या	118	70	188
	आ) ii) आवर्ती सहायता अनुदान की राशि (₹ लाख में)	7,047.74	104.07	7151.81
	इ) i) अनावर्ती सहायता अनुदान प्राप्त विद्यालयों की संख्या	388	-	388
	इ) ii) आवर्ती सहायता अनुदान की राशि (₹ लाख में)	312.04	-	312.04
	ई) i) तदर्थ अनुदान स्वीकृत विद्यालयों की संख्या	79	-	79
	ई) ii) स्वीकृत तदर्थ अनुदान की राशि (₹ लाख में)	69.60	-	69.60
	उ) विद्यालयों को संलग्न बसों की संख्या	156	-	156
	ऊ) i) सीआईएल छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति एवं अधिनिर्णित नकद की संख्या	20584	268	20852
	ऋ) ii) स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	313.64	8.134	321.774
	ए) i) चयनित इंजीनियरिंग एवं सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पठन करने वाले वेज बोर्ड कर्मी के आश्रितों के शिक्षण शुल्क एवं होस्टल प्रभार देने के निहितार्थ वित्तीय सहायता के लिए सीआईएल योजना			
	ए) ii) स्वीकृत डब्ल्यूबीई वार्डो की संख्या	1007	76	1083
	ए) iii) स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	397.34	61.27	458.61
2	खेलकूद और क्रीड़ा में संव्यय राशि (₹ लाख में)	676.63	56.488	733.118
3	सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में संव्यय राशि (₹ लाख में)	96.88	2.21	99.09
4	कैंटीन	82	-	82
5	**बैंकिंग प्रसुविधाएँ – बैंकों की क्रियाशील शाखाओं की संख्या**	27	-	27
6	**सहकारी सोसाइटी**			
	अ) सहकारी साख सोसाइटी	62	-	62
	आ) प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार	30	-	30
	इ) केंद्रीय सहकारी	04	-	4
	ई) सहकारी सोसाइटी को ऋण एवं में निवेश (₹ लाख में)	63.80	-	63.80

ईसीएल निदेशक द्वारा स्थानीय स्कुन्ताम कंप्यूटरों का वितरण

ईसीएल में कौशल प्रशिक्षण पहल

11.0 चिकित्सीय सुविधाएँ :

कर्मियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने के लिए 2 केंद्रीय अस्पताल, 600 बिस्तरों की आवासी क्षमता वाले 07 क्षेत्रीय अस्पताल और 106 औषधालय हैं। इसमें दोनों केंद्रीय अस्पतालों के डॉक्टरों द्वारा टेली-परामर्श प्रदान करने के लिए सात कार्यात्मक डिजिटल औषधालय सम्मिलित हैं। इस समय ईसीएल के लाभार्थियों की चिकित्सा समस्याओं को पूरा करने के लिए विभिन्न चिकित्सा विधाओं में 24 विशेषज्ञों सहित 154 डाक्टर कार्यरत हैं।

11.1 चिकित्सीय निर्देशपरक और चल औषधालय:

विशिष्टियाँ	2023-24	2022-23
बाह्य निर्देशित रोगियों की संख्या	3147	2792
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम		
-शिविरों की संख्या	151	85
-हितलाभुकों की संख्या	7604	3852
चल औषधालयों द्वारा आच्छादित ग्राम		
-शिविरों की संख्या	1735	800
-हितलाभुकों की संख्या	100000 (लगभग)	16600
कंपनी कर्मकारों का पीएमई	11736	11881
संविदात्मक कर्मकारों का पीएमई	1015	1176
कंपनी कर्मकारों का आईएमई	1006	1179
संविदात्मक कर्मकारों का आईएमई	1561	874

चिकित्सा विभाग द्वारा और मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से संचालित स्वास्थ्य शिविरों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इससे ईसीएल कमान क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लाभार्थियों तक पहुंचने में मदद मिली है।

11.2 विशेष उपलब्धियाँ :

अ) अंकीय औषधालय : अंकीय औषधालय केन्द्र की पायलट परियोजना का उद्घाटन 06.06.2022 को किया गया था और यह श्यामसुंदरपुर कोलियरी, बांकोला क्षेत्र ईसीएल में सफलतापूर्वक संचालित है। राजमहल, एसपी माइंस, मुगमा, पाण्डवेश्वर, झांझरा और सोनपुर बाजारी में 01.12.2022 से अंकीय औषधालय की अन्य छः संख्या कार्य कर रही है।

आ) ईसीएल के अस्पतालों के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का उन्नयन: ईसीएल के अस्पतालों के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का उन्नयन के लिए इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक टेबल एक्ट्यूएटर के साथ एसआई सर्जिकल ऑर्थोपेडिक ऑपरेटिंग टेबल, लाइफ प्लस 12 चैनल ईसीजी मशीन, वोल्ट्रिक सिंगल डोर 350-380 लीटर प्रयोगशाला रेफ्रिजरेटर, मैनमैन आर्थोपेडिक बैटरी संचालित ड्रिल सिस्टम, शिखा सर्जिकल 93 डबल डोम सीलिंग ओटी लाइट, चिकित्सा उपयोग के लिए वैटेक मोबाइल स्टैंड एलईडी परीक्षा लाइट, ऑप्टिटेक दोनों मायड्रायटिक और नॉन मायड्रायटिक डिजिटल फंडस कैमरा, ऑप्टिटेक हॉरिजॉन्टल स्लिट एंगल पोजिशन डिजिटल फोटो स्लिट लैंप विद एप्लायनेशन टोनोमीटर, ऑप्टिटेक बाइनोकुलर इनडायरेक्ट ऑप्थाल्मोस्कोप विद 20डी और 30डी एस्फेरिक बाइकोनवेक्स लेंस और 40 सेंटीमीटर वर्किंग डिस्टेंस, अप्पासामी एसोसिएट्स ऑप्थाल्मिक चेयर यूनिट वेट अप 189 किलोग्राम, अकास मैडॉक्स और शोबर और दूरबीन बैलेंस और वर्थ 4 डॉट डिजिटल एलईडी विजन चार्ट, अकास टच स्क्रीन ए-स्कैन, मिकोप्लस एंगल रोटर मेडिकल सेंट्रीफ्यूज साइज 16x15एमएल और सी-आर्म मशीन की अधिप्राप्ति किया गया है।

सीएसआर के तत्वावधान में ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल वैन

इ) ईसीएल के कोर खनन श्रमिकों के बीच व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण :

- ईसीएल ने श्वसन और श्रवण क्षति के विशेष संदर्भ में ईसीएल के प्रमुख खनन श्रमिकों के बीच व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के लिए 08.06.2022 को एनआईओएच के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 2800 कर्मचारियों के परिक्षण का लक्ष्य है, जिसमें से लगभग 2100 का काम पूरा हो चुका है।
- अध्ययन का प्रथम चरण जनवरी 2023 के महीने में झांझरा क्षेत्रीय अस्पताल में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था और झांझरा क्षेत्र, बंकोला क्षेत्र और पांडवेश्वर क्षेत्र के 790 कर्मचारियों की जांच की गई थी।
- अध्ययन का द्वितीय चरण जुलाई 2023 के महीने में क्षेत्रीय अस्पताल, केंदा क्षेत्र में आयोजित किया गया था तथा केंदा क्षेत्र, काजोड़ा क्षेत्र और सोनपुर बाजारी क्षेत्र के 710 कर्मियों का परीक्षण किया गया।
- अध्ययन का तृतीय चरण जनवरी 2024 के महीने में संकतोड़िया अस्पताल में आयोजित किया गया था, जहाँ मुगमा क्षेत्र, एसपी खान क्षेत्र, सलानपुर क्षेत्र और सोदपुर क्षेत्र के 580 कर्मियों की जांच की गई थी। इस चरण का एक हिस्सा राजमहल क्षेत्र में भी आयोजित किया गया था।
- अध्ययन का चतुर्थ और अंतिम चरण कुनुस्तोड़िया क्षेत्रीय अस्पताल में आयोजित किया जाएगा जहाँ कुनुस्तोड़िया क्षेत्र और सतग्राम-श्रीपुर क्षेत्र के कर्मियों का परीक्षण किया जाएगा।

ई) मानसिक स्वास्थ्य पर आईसीएमआर स्वास्थ्य सर्वेक्षण :

- आईसीएमआर पाथवेज टू रेजिलिएशन एंड मेंटल हेल्थ (पीएआरएएम) के बैनर तले ईसीएल के श्रमिकों और परिवारों के बीच एक स्वास्थ्य अनुसंधान अध्ययन करेगा। ईसीएल के खान कामगारों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों की पहचान उपयुक्त प्रबंधन रणनीति के साथ की जाएगी। शराब की लत से ग्रस्त महिलाओं और कर्मचारियों के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन भी किया जा रहा है। ये अध्ययन 6 मार्च, 2024 से कुनुस्तोड़िया क्षेत्र अस्पताल में आरंभ हो गए हैं।

उ) आयुष्मान भारत : ईसीएल के दो केंद्रीय अस्पताल भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना (एबीपीएमजेएवाई) के तहत नामांकित हैं।

ऊ) स्वास्थ्य शिविर :

- ईसीएल ने ईसीएल कमान क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में नौ (09) मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए हैं। शिविर 21 फरवरी, 2024 से शुरू होकर एसपी माइंस, सोनपुर बाजारी, राजमहल, सोदपुर, सलानपुर, पांडवेश्वर, झांझरा, दुमका और मुगमा में आयोजित किए गए हैं। इस पहल में सांकतोड़िया अस्पताल में दो नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर भी शामिल थे, जहाँ 100 लाभार्थियों को मुफ्त आईओएल वितरित किया गया था। इन शिविरों का उद्देश्य आसपास के स्थानीय लोगों और ईसीएल के सभी हितधारकों को शामिल करना था। शिविरों में लगभग 1900 लाभार्थियों को सेवा प्रदान की गई।
- सांकतोड़िया अस्पताल ने 12.08.2023 को 10 लाभार्थियों के साथ लाइव स्ट्रीमिंग के साथ एक ग्रामीण लेप्रोस्कोपिक सर्जरी शिविर आयोजित किया है.
- सांकतोड़िया अस्पताल के नेत्र विभाग ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जो इलाज का खर्च नहीं उठा सकते के लिए दिसंबर, 2023 के महीने में इंट्राओकुलर लेंस प्रत्यारोपण के साथ मोतियाबिंद सर्जरी शिविर भी आयोजित किया है जो इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। इस निःशुल्क नेत्र शिविर के माध्यम से कुल 30 रोगियों को लाभान्वित किया गया।
- सभी क्षेत्रों में नियमित रूप से रक्तदान, स्वास्थ्य जांच, स्कूल-स्वास्थ्य, दवा वितरण और जागरूकता शिविर जैसे स्वास्थ्य शिविर संचालित किए जा रहे हैं।

ईसीएल में स्वास्थ्य पहल

ऋ) क्षय रोग उन्मूलन और निक्षय-मित्र:

राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख कार्यक्रम है। कोल इंडिया अपनी स्थापना के समय से ही इस कार्यक्रम में भागीदार रही है। कोयला मंत्रालय ने 23 अप्रैल, 2023 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उक्त सहमति ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 2025-26 तक भारत में क्षयरोग उन्मूलन की दिशा में सक्रिय उपाय करने के लिए कोयला मंत्रालय और सीआईएल की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। सभी क्षेत्रों और केंद्रीय अस्पतालों में नियमित जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। स्क्रीनिंग के लिए संभावित मामलों की पहचान करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। राजमहल क्षेत्र ने गोड्डा जिले में 100 क्षयरोगियों को भोजन के पैकेट उपलब्ध कराने के लिए अंगीकार किया है और ईसीएल ने आंतरिक संसाधनों की मदद से 'निक्षय मित्र' का प्रमाण पत्र अर्जित किया है।

स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति में एसपी माइंस क्षेत्र में चिकित्सा शिविर

12.0 सेवानिवृत्ति पश्च कल्याणकारी उपाय :

अ) ईसीएल के सभी पीएफ/पेंशन संबंधी पदधारियों के साथ पीएफ/पेंशन दावा ठीक से जमा करने के संबंध में 19 जून, 2023 और 22 जून, 2023 को पीएफ/पेंशन दावा प्रस्तुत करने के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई थी।

आ) संघ के प्रतिनिधियों (बीओटी के सदस्य) के साथ बीओटी बैठक 13.10.2023 को आयोजित की गई थी।

इ) पेंशन सेल, ईसीएल मुख्यालय द्वारा 6 नवंबर, 2023 को डिसेरगढ़ क्लब में अनुसूची-ग की तैयारी पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय आयुक्त, सीएमपीएफओ ने कोलियरी/क्षेत्र द्वारा उनके कार्यालय को प्रस्तुत अनुसूची ग की कमियों और त्वरित निपटान के लिए इस संबंध में बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों पर अपना व्याख्यान और स्पष्टीकरण दिया। कार्यशाला में सभी क्षेत्र/इकाई/प्रतिष्ठान के संबंधित अधिशासियों एवं संबंधित लिपिकों ने भाग लिया।

ई) सीएमपीएफ कार्यालय, आसनसोल में 18.10.2023 को सीएमपीएफओ के समन्वय से सतर्कता जागरूकता और शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया।

उ) ईसीएल से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण आवधिक रूप से आयोजित किया जा रहा है।

ऊ) पीएफ/पेंशन से संबंधित पूर्व कर्मियों/भूतपूर्व कर्मियों के कर्मियों/आश्रितों की शिकायतों के निवारण के लिए ईसीएल के सभी क्षेत्रों/स्थापना में हर महीने की 9 तारीख को समय-समय पर हेल्प डेस्क का आयोजन किया जाता है।

ऋ) 'सी केयर्स' पोर्टल में दावों को ऑनलाइन जमा करने के लिए मास्टर ट्रेनरों के लिए प्रशिक्षण 13 और 14 फरवरी, 2024 को सीएमपीडीआईएल, रांची में आयोजित किया गया था और कंपनी के सभी क्षेत्र/इकाई/प्रतिष्ठान के डीलिंग एग्जीक्यूटिव्स और डीलिंग स्टाफ का आगे का प्रशिक्षण बाद में आयोजित किया गया था।

ईसीएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विदाई

13.0 खान सुरक्षा एवं खान बचाव :

"सेफ्टी फर्स्ट एंड प्रोडक्शन मस्ट" इस मंत्र के साथ, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अपनी स्थायी खनन प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में 'शून्य नुकसान क्षमता' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस प्रकार, ईसीएल ने हमारे सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए उपयुक्त तकनीकी, प्रशासनिक और मानवीय पहल करके वर्ष 2023-24 के दौरान श्रमिकों और खानों की सुरक्षा के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है।

13.1 दुर्घटना सांख्यिकी :

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	2023-24	2022-23
1.	घातक दुर्घटना (संख्या)	03	02
2.	मृत्यु-संख्या	05	02
3.	गंभीर दुर्घटना (संख्या)	04	06
4.	गंभीर चोट (संख्या)	05	06
5.	मृत्यु-संख्या/मिलियन टन उत्पादन	0.105	0.057
6.	मृत्यु-संख्या / 3 लाख श्रमिक पारी	0.126	0.049
7.	गंभीर चोट /मिलियन टन उत्पादन	0.105	0.171
8.	गंभीर चोट / 3 लाख श्रमिक पारी	0.126	0.146

13.2 खान सुरक्षा जागरूकता :

अ) सभी खानों में पाली-पूर्व सुरक्षा वार्ता की सुपुर्दगी की जा रही है ताकि कामगारों को उनके कार्य वातावरण में मौजूद विभिन्न खतरों के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके और ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में सुरक्षित रूप से अपना कार्य कैसे किया जा सके। पर्यवेक्षकों के साथ-साथ श्रमिकों को भी इन पाली-पूर्व सुरक्षा वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

आ) कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, वर्ष के दौरान भूमिगत और खुली खदान दोनों खानों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 12 खान सुरक्षा अभियान आयोजित किए गए थे।

इ) खान सुरक्षा बोर्ड वर्ष भर सभी क्षेत्रों में नियमित रूप से द्विपक्षीय निरीक्षण किए जाते रहे हैं।

ई) 21.11.2023 से 30.11.2023 तक सभी क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठकें बुलाई गईं।

उ) 62वीं निगम स्तरीय स्तरीय त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक 06.02.2024 को ईसीएल मुख्यालय में आयोजित की गई थी।

ऊ) विभिन्न श्रमिक प्रतिनिधियों और ईसीएल प्रबंधन के खान सुरक्षा बोर्ड के सदस्यों के बीच निगम स्तर की द्विपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठकें 19.06.2023, 27.09.2023 और 07.03.2024 को आयोजित की गईं।

ऋ) वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह 2022 का अंतिम दिवस समारोह 18.05.2023 को मनाया गया।

ऌ) डीजीएमएस के मार्गदर्शन में 11.12.2023 से 16.12.2023 तक क्षेत्र की छह कैप्टिव खदानों के साथ-साथ सभी खानों, पीएमई केंद्रों, वीटी केंद्रों में 2023-24 सत्र के लिए वार्षिक सुरक्षा सप्ताह मनाया गया।

ॡ) सभी क्षेत्रों के एजेंटों और एएसओ के साथ मासिक समन्वय बैठकें निगम स्तर पर आयोजित की गई थीं।

ॠ) कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए आईएलओ दिवस 28 अप्रैल, 2023 को मनाया गया।

ए) कार्यबल को संवेदनशील बनाने के लिए पूरे वर्ष विभिन्न कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए गए हैं।

ऐ) मूल कारण विश्लेषण तकनीकों के आधार पर खानों में दुर्घटनाओं/घटनाओं की जांच करने के लिए प्रशिक्षण आईआईटी (आईएसएम), धनबाद के सहयोग से आयोजित किया गया था।

वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह - महानिदेशक, डीजीएमएस और सीएमडी, ईसीएल की उपस्थिति में अंतिम दिवस समारोह

खान सुरक्षा उन्नयन :

अ) 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान कुल दुर्घटनाओं में 12.5% और गंभीर दुर्घटनाओं में 33% की कमी आई है।

आ) 57 खदानें जो ईसीएल की परिचालन खानों का लगभग 77% हैं, 2023-24 के दौरान घातक, गंभीर और रिपोर्ट करने योग्य दुर्घटनाओं से मुक्त हैं।

इ) 2023-24 में प्रकाशित राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) – 2021 की विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं और उपविजेताओं की सूची में ईसीएल से विभिन्न श्रेणियों में 5 विजेता और 3 उपविजेता थे।

ई) ईसीएल की 2 खानों को 22 दिसंबर, 2023 को कोयला मंत्रालय से 2021-22 के लिए प्रतिष्ठित स्टार रेटिंग पुरस्कार मिला।

उ) सुरक्षा कार्रवाई कैलेंडर मार्च 2023 में निर्मिति किया गया था, जिसमें 2023-24 के दौरान सफलतापूर्वक की गई विभिन्न खान सुरक्षा-संबंधी गतिविधियों का समय निर्धारण किया गया था।

ऊ) ईसीएल की सभी खानों का सुरक्षा लेखापरीक्षा 31.08.2023 को पूरा किया गया था और सभी इकाइयों ने 30.11.2023 तक अपना अनुपालन प्रस्तुत कर दिया है, सभी क्षेत्रों ने 29.02.2024 को अपना अनुपालन पूरा कर लिया है और ईसीएल मुख्यालय से आईएसओ ने 30.03.2024 को अनुपालन की पुष्टि की है।

खान सुरक्षा में श्रमिकों की सहभागिता :

अ) 2023-24 के दौरान खान सुरक्षा महानिदेशालय एवं श्रमिक संगठनों के साथ सभी क्षेत्रीय स्तरीय तथा निगमित स्तरीय त्रिपक्षीय बैठक सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं।

आ) वित्तीय वर्ष के दौरान आंतरिक खान सुरक्षा संगठन प्रतिनिधियों के साथ कंपनी स्तरीय खान सुरक्षा मंडल सदस्यगण एवं क्रियाशील श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों ने एकदा सभी खदानों का निरीक्षण किया है।

इ) संविदात्मक कर्मकारों के प्रतिनिधियों को खदानों के खान सुरक्षा समिति में सम्मिलित किए गए हैं।

ई) खानों की सुरक्षा समिति को सुदृढ़ और सशक्त बनाने पर विशेष बल दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारीगण (अर्थात - क्षेत्र महाप्रबंधक, अभिकर्ता और आईएसओ प्रतिनिधि) इसके महत्व को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से सुरक्षा समिति की बैठकों में भाग ले रहे हैं।

13.3 मानसून तैयारियाँ :

अ) 15 जून 2023 से 15 अक्टूबर 2023 तक मुख्यालय, क्षेत्र और इकाई स्तर पर मानसून नियंत्रण कक्षों को 24x7 आधार पर चालू किया गया था, जिन्हें अधिकारियों द्वारा एक दूसरे के साथ निकट संपर्क रखते हुए उनके आवागमन के लिए टेलीफोन और वाहन प्रदान किए गए थे।

आ) 'बाढ़ चेतावनी सूचनाओं' की प्राप्ति के लिए 'मानसून नियंत्रण कक्ष के अधिकारी प्रभारी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी), मैथन के मुख्य अभियंता (पनबिजली) के साथ निकट संपर्क स्थापित रखे हुए थे, जब कभी नदियों के जल स्तर में वृद्धि के कारण पंचेत एवं मैथन डैम जल निकासी करती थी तब खदानों को खतरे में हो के लिए सतर्क किया गया।

इ) भारी वर्षा एवं आंधी तूफान से प्रभावित खनन क्षेत्रों को सतर्क करने के निहितार्थ मौसम पूर्वानुमान रिपोर्टों की प्राप्ति के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, अलीपुर, कोलकाता के निदेशक एवं क्षेत्रीय चक्रवात चेतावनी केन्द्र, अलीपुर, कोलकाता के निदेशक के साथ भी मानसून नियंत्रण कक्ष के अधिकारी प्रभारी ने निकट संपर्क स्थापित रखा था।

ई) 2024-25 के आगामी मानसून के लिए, निम्नलिखित अग्रिम कार्रवाई शुरू की गई है:

- ईसीएल की सभी खानों से मानसून कार्य योजना 31.01.2024 को सुरक्षा विभाग, ईसीएल मुख्यालय को प्रस्तुत की गई।
- ईसीएल के क्षेत्रीय खान सुरक्षा अधिकारियों को सभी मानसून गतिविधियों की निगरानी और समीक्षा के संबंध में अपने संबंधित क्षेत्र के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया गया है।
- महाप्रबंधक (खान सुरक्षा) की अध्यक्षता में फरवरी, 2024 के साथ-साथ मार्च, 2024 में आयोजित समन्वय बैठक में, ईसीएल के सभी क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे मानसून सीजन की शुरुआत से पहले अपने संबंधित मानसून कार्य योजना – 2024 के अनुसार अपने क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों के संबंध में अपने कार्य आदेशों को अंतिम रूप दें।
- ईसीएल मुख्यालय के सुरक्षा, ई एवं एम और सिविल विभागों की एक बहु-विषयक टीम ने 14.03.2024 से 27.03.2024 तक ईसीएल के सभी क्षेत्रों के साथ समीक्षा बैठकें कीं।

13.4 खान बचाव सेवाएँ :

खान बचाव केन्द्र, केन्दा के रेस्क्यू रूम विद रिफ्रेशर ट्रेनिंग (आरआरआरटी) और झांझरा व मुगमा में संचालित रेस्क्यू रूमों के जरिए ईसीएल के समस्त कोलियरियों, बीसीसीएल के चाँच विक्टोरिया क्षेत्र, इस्को के रामनगर कोलियरी के साथ-साथ सिविल प्रशासन एवं लोक प्राधिकरणों (जब कभी अपेक्षित) को जरूरत आधारित खान बचाव सेवाएँ प्रदान किए गए थें।

13.5 आकस्मिक सेवाएँ :

क्रम सं.	कोलियरी	क्षेत्र	तिथि	घटना/कार्य की प्रकृति
1.	बहुला कोलियरी	केंदा	07.05.2023 से 17.05.2023 तक	खदान को फिर से खोलना। स्वतःस्फूर्त ताप के कारण इसे बंद कर दिया गया था।
2.	सतग्राम परियोजना	सतग्राम-श्रीपुर	15.11.2023 से 27.11.2023 तक	विस्तंभन पैनल सं. डी 1 में स्वतःस्फूर्त ताप से निपटना।
3.	सतग्राम परियोजना	सतग्राम-श्रीपुर	19.03.2024	अनुभागीय विकसित पैनल सं. 0 राइज सेक्सन का पुनः उद्घाटन

13.6 खान बचाव प्रशिक्षण :

खान बचाव केन्द्र में पुनश्चर्या तथा आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए थें और निम्नलिखित कर्मी को प्रशिक्षित किए गए थे :

ब्यौरे	2023-24	2022-23
खान बचाव प्रशिक्षित कर्मी की सक्रिय संख्या	479	469
नव प्रशिक्षित कर्मी की संख्या	87	44
पुनश्चर्या व्यवहार प्रशिक्षित की संख्या	4174	2946
आपात कर्तव्य निर्वहन की संख्या	03	04
प्राथमिक चिकित्सा में नव प्रशिक्षित व्यक्ति की संख्या	221	220
गैस क्रोमैटोग्राफ द्वारा विश्लेषित वायु नमूने की संख्या	2230	2515

13.7 प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण :

सीतारामपुर खान बचाव स्टेशन को डीजीएमएस द्वारा प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षण प्रदान करने और प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है। वर्ष 2023-24 के दौरान पाँच सौ पैंतीस (545) कर्मियों को प्रशिक्षित कर प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। इसके अलावा, ईसीएल की अंतरक्षेत्रीय प्राथमिक उपचार प्रतियोगिता 17.01.2024 को खान बचाव केन्द्र, सीतारामपुर में आयोजित की गई, जिसमें ईसीएल के सभी क्षेत्रों से प्रत्येक 5 सदस्यों की 28 टीमों ने भाग लिया, जिसमें दो महिला टीमों सहित ईसीएल के सभी क्षेत्रों से भाग लिया गया और आंचलिक खान सुरक्षा प्रतियोगिता 9 और 10 अक्टूबर 2023 को खान बचाव केंद्र, सीतारामपुर में आयोजित की गई। 15.03.2024 को डीआरएम कार्यालय, आसनसोल (पूर्व रेलवे) में ईसीएल की बचाव टीम द्वारा सीपीआर और प्राथमिक चिकित्सा पर एक प्रदर्शन किया गया।

खानों के सुरक्षा पहलुओं में उनके प्रदर्शन के लिए क्षेत्रों को पुरस्कार सौंपना

14.0 सतर्कता गतिविधियाँ :

कंपनी का सतर्कता स्कन्ध प्रबंधन कृत्य की पारदर्शिता, अभेद, जबाबदेही और दक्षता को सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करती है। पूरे वर्ष कई सतर्कता गतिविधियों को संगठन के कामकाज की "पारदर्शी और तर्कसंगत" छवि को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रमुख भूमिका मिली है। अनेक हितधारकों के मध्य विश्वास जागृति के लिए नाना प्रकार के साहसिक एवं प्रगत कदमों को परिगृहीत किए गए थे। कई प्रकार के व्यपगतों/अनियमितताएँ परिचिह्नित करने के लिए नानाविध परिवाद आधारित अन्वेषण संचालित किए गए थे और अपचारी पदधारियों के विरूद्ध पैनल अध्युपायों को आरंभ किए गए थे तथा प्रचलित प्रणालियों के सुधारों की एक महत्वपूर्ण संख्या को लागू किया गया है। इसके अलावा, कंपनी की कार्यक्षमता की जवाबदेही, पारदर्शिता और तर्कसंगतता में अधिक स्पष्टता लाने के लिए, जानबूझकर इरादे से की गई अनियमितताओं / चूक के कई उदाहरणों पर बहुत गंभीरता से विचार किया गया और कई मामलों में यह दोषी अधिकारियों को दंड देने में समाप्त हुआ। खामियों को रोकने के लिए विभिन्न मुद्दों पर गहन परीक्षाएं आयोजित की गई थीं और कुछ मामलों में, यह प्रणाली में सुधार के रूप में समाप्त हुआ है। और भी, सतर्कता विभाग में नियमित पर्यवेक्षण और अनुश्रवण द्वारा ईसीएल के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकीय पहलों एवं ई-सुशासन को क्रियान्वित किया गया है।

14.1 निवारणात्मक सतर्कता :

सतर्कता विभाग द्वारा 2023-24 के दौरान ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों/इकाइयों में बड़ी संख्या में औचक निरीक्षण किए गए ताकि कंपनी के कामकाज की पूरी विविधता को कवर किया जा सके। इसके अलावा, लाभार्थियों के विभिन्न वर्गों को कवर करते हुए विभिन्न हितधारकों के बीच वर्ष भर बड़ी संख्या में सतर्कता जागरूकता-सह-अभिप्रेरक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अधिकांश मामलों में, प्रचलित प्रणालियों का गहन अध्ययन किया गया है और जब कभी आवश्यक हुआ है, विद्यमान प्रणाली में सुधार करने के लिए और साथ ही निवारक सतर्कता के एक भाग के रूप में विद्यमान प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिए विभिन्न "प्रणाली सुधार" उपाय लागू किए गए हैं। इस तरह के ईमानदार प्रयास संगठन की कार्य संस्कृति पर उल्लेखनीय रूप से परिलक्षित हुए हैं। विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम	विषय	2023-24	2022-23
i.	सामयिक जांच-पड़ताल के साथ-साथ संचालित औचक जांच/ निरीक्षण की संख्या	44	72
ii.	**सतर्कता जागरूकता सह अभिप्रेरक कार्यक्रम :**		
	क) आंतरिक संकायों के साथ जागरूकता कार्यक्रम	35	32
	ख) ग्राम सभा के माध्यम से जागरूकता	01	03
iii.	गहन परीक्षा	10	09

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के तीन माह की अवधि के दौरान निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए :

क्रम	विषय	प्रशिक्षु का प्रशिक्षण (टीओटी) कैप्सूल में प्रशिक्षित पदधारियों की संख्या	प्रशिक्षित पदधारियों की संख्या
1.	अधिप्राप्ति	65	189
2.	सदाचार और सुशासन	29	130
3.	संगठन की प्रणाली एवं पद्धतियाँ	45	82
4.	साइबर स्वच्छता एवं सुरक्षा	26	263
5.	आईओ / पीओ प्रशिक्षण	29	130

14.2 सर्वांगी उन्नयन के लिए अंगीकृत अध्युपाय :

वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित सुव्यस्थित उन्नयनात्मक अध्युपायों को लिए गए हैं :

अ) ईसीएल में भूमिगत से सतही के लिए कार्य आदेश एवं मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)।

आ) प्राधिकृत दस्तावेज एवं लोडिंग प्रोग्राम आबंटन चार्ट की स्वीकृति में प्रणालीगत उन्नयन।

इ) नियोजन फाइल संबंधित प्रणालीगत उन्नयन।

14.3 दाण्डिक सतर्कता :

संगठनों के कृत्यों का उचित एवं पारदर्शी छवि स्थापित करने के साथ-साथ उसे बनाए रखने के लिए उद्देश्यपूर्ण ढंग से किए गए अनियमितताओं के दृष्टांतों को सतर्कता दृष्टिकोण रखकर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया गया और सुसंगत आचरण नियम के अधीन लिए गए कठोर एवं अनुकरणीय दांडिक अध्युपायों के साथ बरता गया। वर्ष के दौरान, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा 38 पदधारियों को चेतावनी सहित (प्रशासनिक और अभिलिखित योग्य) कई वृहद और लघु शास्तियाँ अधिनिर्णित किए गए।

14.4 प्रौद्योगिकी उद्यमान :

संगठन की पारदर्शिता एवं क्षमता में अभिवृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी उद्यामन करने की दिशा में प्रबंधन द्वारा लिए गए निम्नलिखित पहलों का सतर्कता विभाग द्वारा अनुश्रवण किया गया :

सी.एम.डी., ई.सी.एल. और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सीवीओ, सीआईएल द्वारा ईसीएल की समीक्षा बैठक

क्रम सं.	गतिविधि	पुनरीक्षितापेक्षा सहित कुल परिमाण	वर्तमान प्रास्थिति		अतिशेष
			अधिष्ठापित/ नवप्रवर्तित	अधिष्ठापित/ नवप्रवर्तित	
1.	भूमंडलीय स्थिति निर्धारण प्रणाली (जीपीएस/जीपीआरएस) युक्त वाहन लक्ष्यानुसरण प्रणाली	1085	1085	1085	शून्य
2.	सीसीटीवी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक निगरानी	2404	1260	1106	1144
3.	बूम रोधनाका / रीडर	228	228	216	शून्य
	आरएफ आईडी टैग्स	12127	12127	12127	शून्य
4.	मार्ग तोलन वेदी	157	133	108	24
	उपर्युक्त तोलन वेदी में से वैन के साथ मार्ग तोलन वेदी संयोजकता	123	123	123	शून्य
	रेलवे तोलन वेदी	20	15	12	05
	उपर्युक्त रेलवे तोलन वेदियों में से वैन के साथ रेलवे तोलन वेदी संयोजकता	15	11	10	04
5.	बृहत् क्षेत्र जालक्रम (आसंधियों/ अवस्थितियों की संख्या)	244	242	242	02

14.5 सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम का क्रियान्वयन :

सत्यनिष्ठा संधि पहले से ही प्रचलन में है।

14.6 सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन :

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार 30.10.2023 से 05.11.2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय "भ्रष्टाचार का न कहो; राष्ट्र को समर्पित" था। 30.10.2023 को, हमारी गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में अखंडता और पारदर्शिता लाने और जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए अथक रूप से काम करने के लिए सत्यनिष्ठा शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर, 2023 का सतर्कता समाचारपत्र, "सचेतना", पीआईडीपीआई और क्या करें और क्या न करें पुस्तिकाओं का विमोचन किया गया। इसके अलावा, पीआईडीपीआई पर एक लघु फिल्म जिसे ईसीएल द्वारा कंपनी से प्राप्त सभी कलाकारों के साथ बनाया गया था, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल द्वारा जारी किया गया था। परिवादों को दर्ज करने और ट्रैक करने के लिए एक पोर्टल का उद्घाटन 30.10.2023 को किया गया था। 31.10.2022 को सतर्कता विभाग में सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी 148वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धापूर्वक याद करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पुष्पांजलि अर्पित की गई, सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि दी गई और एकता दिवस की शपथ ली गई। कुनुस्तोड़िया क्षेत्र द्वारा 31.10.2023 को एक वॉकथॉन का आयोजन किया गया जिसमें सतर्कता जागरूकता सप्ताह के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम में कुल 50 कर्मचारियों ने भाग लिया। 01.11.2023, 02.11.2023 और 03.11.2023 को विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता सह प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। 04.11.2023 को कजोरा क्षेत्र और मुगमा क्षेत्र में एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई और मुगमा क्षेत्र में एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। ईसीएल मुख्यालय और सभी क्षेत्रों/इकाइयों/स्थापनों में रणनीतिक बिंदुओं पर भ्रष्टाचार विरोधी सुक्तियों वाले बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए।

इनके अलावा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 में महत्तम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित पहल की गई:

अ) पीआईडीपीआई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सभी ईसीएल सीयूजी नंबरों (लगभग 3000) की कॉलर ट्यून को इन-हाउस रिकॉर्डिंग के साथ बदल दिया गया था।

आ) इन तस्वीरों को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के तहत फेसबुक पेज के माध्यम से सीवीसी (ट्विटर: @सीवीसीइंडिया, फेसबुक: @सीवीसीऑफइंडिया) को टैग करते हुए दैनिक आधार पर सोशल मीडिया में अपलोड किया गया था।

इ) ईसीएल के सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों द्वारा ई-मेल द्वारा सभी ईसीएल क्षेत्र/विभाग/इकाई/स्थापना के सभी महाप्रबंधक/विभागीय प्रधानों को ई-मेल द्वारा ई-प्रतिज्ञा लेने के लिए व्यापक प्रचार किया गया था।

ई) ई-शपथ लेने की सुविधा प्रदान करने के लिए ईसीएल वेबसाइट (http://easterncoal.nic.in) पर सत्यनिष्ठ शपथ (जैसा कि सीवीसी द्वारा प्रदान किया गया है) के बैनर के साथ एक सक्रिय लिंक रखा गया था।

14.7 वर्ष 2023-24 के दौरान की प्रमुख उपलब्धियाँ :

अ) सामान्य प्रबंधकीय कृत्यों के साथ सतर्कता गतिविधियों को एकीकृत कर, कंपनी जागरूकता सह अभिप्रेरण कार्यक्रमों में नियमित अन्योन्यक्रिया द्वारा कर्मियों एवं अन्य हितधारकों के मनोबल में संवर्धन के रूप में लाभांवित हुई है। यह उत्पादन और उत्पादकता में आश्चर्यजनक ढंग से प्रतिबिम्बित हो चुका है।

आ) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ईसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा कृत कई आकस्मिक निरीक्षणों, सीटीई निरीक्षण और लेखापरीक्षा दल की संवीक्षा के परिणामतः ₹34,51,853.00 की राशि का प्रत्युद्धरण किया गया।

इ) सतर्कता पहल के पश्चात रेलवे पार्श्व स्थल में एचएसडी के दुर्विनियोजन के जरिए ₹88,38 लाख की राशि की बचत की जा सकती है।

ई) पारदर्शिता के साथ-साथ दक्षता की वृद्धि में सारगर्भित ढंग से कई सूचना प्रौद्योगिकीय पहलों के उद्यामन को साधा गया है। इसके अलावे, अधिक प्रतिस्पर्धी बोलियों के माध्यम से लागत कटौती और एक समग्र उचित कार्य संस्कृति में परिणत हुआ है।

उ) अन्वेषण और प्रतिवेदन हेतु मामलातों को निर्दिष्ट करने के लिए मुख्य सतर्कता आयोग एवं कोयला मंत्रालय के अनुपालन अभिप्रायपूर्ण ढंग से किये गए हैं।

15.0 राजभाषा कार्यान्वयन :

अ) वित्तीय वर्ष 2023-24 के सितंबर माह में राजभाषा (हिंदी) माह, 2023 के रूप में संपूर्ण ईसीएल में मनाया गया जिस क्रम में हिंदी भाषा के विकास के लिए ईसीएल मुख्यालय, इसके 13 खनन क्षेत्रों एवं समीपवर्ती अवस्थित बांग्ला एवं हिंदी माध्यम के स्कूलों में 100 से अधिक नानाविध कार्यक्रम व गतिविधियाँ संपन्न हुए। साथ ही, हिंदी दिवस समारोह एवं राजभाषा (हिंदी) माह, 2023 समापन सह पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। राजभाषा माह के दौरान सोनपुर बजारी क्षेत्र एवं कुनुस्तोड़िया क्षेत्र द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है।

आ) भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पुणे शहर में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन (14.09.2023 से 15.09.2023 तक) में ईसीएल के तीन अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता रहीं।

इ) हिंदी भाषा के संवर्धन के उद्देश्य से ईसीएल द्वारा आसनसोल शहरवासियों के लिए एक दिवसीय "राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन, 2023" का आयोजन सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया गया। सम्मेलन का विषय – "हिंदी : समाज और साहित्य" था। सम्मेलन को चार कुलपतियों का सप्रेम सान्निध्य प्राप्त हुआ और प्रतिष्ठित व प्रबुद्ध जनों की गरिमामयी उपस्थिति और स्थानीय विद्यार्थियों की सहभागिता से सम्मेलन की सार्थकता सिद्ध हुई।

ई) भारतीय युवाओं के आदर्श एवं पथप्रदर्शक स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन करने के लिए पूरा ईसीएल परिवार द्वारा दिनांक 12.01.2024 को अंतरराष्ट्रीय-सह-राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। यह दिवस मुख्यालय सहित समस्त खनन क्षेत्रों में मनाया गया। मुख्यालय में ईसीएल का राजभाषा विभाग द्वारा यह आयोजन संपन्न किया गया था जिसमें 200 से अधिक कर्मियों ने अपने मुख्यालय के तकनीकी भवन में अधिस्थापित स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा के सम्मुख एक-साथ उपस्थित होकर यह दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया।

उ) कोयला क्षेत्र में सामासिक संस्कृति संस्थापन तथा जनमानस में नैतिक शिक्षा के बीजारोपण के लिए ईसीएल के राजभाषा विभाग की ओर से दिनांक 05.03.2024 को डिसेरगढ़ क्लब, झालबगान में सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया जाना है जिसका विषय है : भारतीय संस्कृति में राम – एक प्रेरक प्रसंग। समागम में मुख्य वक्ता के रूप में रामकृष्ण मठ, भुज (गुजरात) के स्वामी सुखानन्द जी महाराज एवं विशिष्ट वक्ता के रूप में रामकृष्ण मिशन आश्रम, आसनसोल के स्वामी सोमात्मानन्द जी महाराज को सादर आमंत्रित किया गया था।

ऊ) ईसीएल के सोनपुर बजारी क्षेत्र द्वारा राजभाषा (हिन्दी) माह, 2023 के दौरान जनसमुदाय में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए हिन्दी रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया था जो पूरे सितम्बर माह रानीगंज क्षेत्र के विभिन्न बाजारों, कंपनी परिसरों, कोलियरियों आदि में हिन्दी का प्रचार किया। यात्रा के क्रम में हिन्दी रथ जहाँ रूकती थी वहाँ आम जनता से हिन्दी संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे और जो सही उत्तर देते थे उन्हें पुरस्कृत किया जाता था।

ऋ) दिनांक 07.10.2023 को ईसीएल मुख्यालय में बांग्ला-हिंदी काव्य कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), आसनसोल एवं बांग्ला-हिंदी के प्रतिष्ठित कविगणों द्वारा उपस्थित श्रोताओं के मन पर अमिट छाप छोड़ते हुए काव्य के गुण एवं नव रस की विधाओं से परिचित करवाया।

ऌ) ईसीएल के मुख्यालय सहित खनन क्षेत्रों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में संवृद्धि के लिए 11 राजभाषा (हिंदी) कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय के हिंदी शिक्षण योजना के संकाय सदस्य द्वारा "हिंदी ई-टूल्स और उनका अनुप्रयोग" विषय पर सुग्राह्य व्याख्यान दिया गया। इन कार्यशालाओं के माध्यम से 380 से अधिक ईसीएल कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया।

ऍ) हिंदी में कार्यालयीन कार्यों की सुगमता के लिए फोनेटिक एवं पारंपरिक टंकण दोनों में मुख्यालय सहित समस्त खनन क्षेत्रों के सभी कंप्यूटर यूनिकोड समर्थ हिंदी फॉन्ट में सक्रिय है। प्रत्येक विभाग के अधिकारियों एवं कर्मियों को कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है ताकि हिंदी पत्राचार में संवृद्धि प्राप्त हो सके। साथ ही, आधुनिक तकनीक के माध्यम से अनुवाद करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ऐ) राजभाषा विभाग की बांग्ला पत्रिका "मृदंगार" के चतुर्थ एवं पंचम अंक तथा हिंदी पत्रिका "ज्योत्स्ना" के 20वें एवं 21वें अंक का प्रकाशन किए गए हैं। दोनों पत्रिकाओं का प्रत्यके अंक की एक-एक हजार प्रतियों को कंपनी कर्मियों एवं उनके निवास स्थान में वितरण किया गया तथा इसके ई-संस्करण को दस हजार से अधिक लोगों को ईमेल किया गया है।

ए) हिंदी में 06 न्यूज बुलेटिनों नामतः सतग्राम-श्रीपुर क्षेत्र से "सतग्रामिका", सलानपुर क्षेत्र से "सलानपुर दर्पण", सोनपुर बजारी क्षेत्र से "सोनपुर बजारी संवाद", कुनुस्तोड़िया क्षेत्र से "समृद्धि" एवं काजोड़ा क्षेत्र से 'प्रयास' को प्रकाशित किए गए है। ईसीएल के जनसंपर्क विभाग से हिंदी भाषा में 01 द्विमासिक वॉल पोस्टर 'ईसीएल समाचार' नियमित प्रकाशित हुई है।

ऐ) पुस्तकों की खरीद के लिए आबंटित राशि का शत प्रतिशत हिंदी पुस्तक की खरीद पर व्यय किया गया है। इसके साथ ही, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में आयोजित समारोहों, सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों में आगत 1842 विशिष्ट अतिथियों एवं श्रोताओं को ज्ञानवर्धक हिंदी पुस्तकें भेंट की गई हैं।.

ऑ) दिनांक 13 दिसम्बर 2023 को आयोजित कोयला मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में ईसीएल के सीएमडी एवं राजभाषा अधिकारी की सक्रिय सहभागिता रहीं और समिति सदस्यों द्वारा प्रदत्त सुझावों को कंपनी स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है। आसनसोल-बर्नपुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आहुत बैठकों एवं संगोष्ठियों में ईसीएल का नियमित प्रतिनिधित्व रहा है तथा ईसीएल की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक नियमित की गई है।

ओ) वित्तीय वर्ष 2023-24 के हर तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधित तिमाही रिपोर्ट (यथा संकलित) गृह मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (पूर्वी क्षेत्र) एवं बर्नपुर-आसनसोल नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को तिमाही की समाप्ति पर निश्चित रूप से प्रेषित तथा समरूपता के साथ भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा संबंधित पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

कंपनी सचिवालय को राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया

16.0 कंप्यूटरीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाएँ :

16.1 ईसीएल में ई-निविदा प्रकोष्ठ की गतिविधियाँ :

अ. वर्ष 2023-24 के दौरान, कार्य एवं सेवाओं से संबंधित 4491 निविदाएँ सीआईएल ई-निविदा पोर्टल अर्थात् https://coalindiatenders.nic.in पर प्रकाशित की गई जिसमें से 2170 निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है, 320 निविदाएँ रद्द कर दी गई तथा शेष अंतिम रूप प्रदान करने के विविध चरणों (जेम पोर्टल पर प्लवमान निविदाओं से रहित) में हैं।

आ. ई-निविदा में अंतर्ग्रस्त प्रक्रियाओं से संबंधित विविध आधुनिक सॉट्वेयर टूल्स का उपयोग क्षेत्रो/कर्मशालाओं में आंतरिक व दूरस्थ प्रशिक्षण/ सहायता की शिक्षा दी गई है।

इ. जेम के जरिए संविदा प्रबंधन/ई-निविदा एवं अधिप्राप्ति के साधन पर वेबिनार के माध्यम से ईसीएल मुख्यालय में संवादात्मक कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

ई. वर्ष के दौरान मुख्यालय सहित भिन्न-भिन्न क्षेत्रों एवं कर्मशालों के 95 अधिकारियों के लिए अंकीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) की व्यवस्था किया गया है।

उ. वर्ष 2023-24 में 81 दिनों का औसतन पर ई-निविदा पोर्टल के जरिए निविदा की समाप्ति अवधि का औसतन चक्र अनुरक्षित किया गया है। ई-निविदा पोर्टल के जरिए निविदा की समाप्ति की न्यूनतम चक्र अवधि 12 दिन है।

ऊ. ईसीएल में सिविल क्रय आदेशों के लिए ई-मापन पुस्तिका (ई-एमबी) का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया गया है।

ऋ. जीईएम पोर्टल (विविध सेवाओं) के लिए मानक एनआईटी निर्मिति किया गया था और ईसीएफडी, ईसीएल के उचित अनुमोदन के पश्चात सभी को परिचालित किया गया था।

16.2 ईआरपी क्रियान्वयन :

एसएपी ईआरपी के सभी मॉड्यूल निर्धारित समय के भीतर सफलतापूर्वक लागू किए गए हैं और बेहतर नियंत्रण और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए ईसीएल के सभी क्षेत्रों में मॉड्यूल का सुचारू संचालन जारी है। ईसीएल ने 2022-23 में एसएपी ईआरपी कार्यान्वयन के लिए प्रतिष्ठित कोयला मंत्रालय पुरस्कार प्राप्त किया है। एसएपी के लाभप्रद उपयोग के लिए विभिन्न नई पहलें भी शुरू की गई हैं। 2023-24 में ईसीएल की मॉड्यूल-वार विस्तृत उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

मॉड्यूल	वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्धियाँ
वित्त व नियंत्रण (फिको)	1) बैंक एकीकरण के साथ ईसीएल के सभी क्षेत्रों के लिए वेतन का केंद्रीकृत भुगतान प्राप्त किया गया है। 2) एसएपी में जीएसटीआर-2बी डेटा कैप्चर करने और खातों के साथ मिलान के लिए उक्त रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया का विकास। 3) लाभ केंद्र पदानुक्रम में परिवर्तन को बनाए रखते हुए सतग्राम और श्रीपुर क्षेत्र का एकल क्षेत्र में सुचारू विलय, दिन-प्रतिदिन के संचालन में बाधा डाले बिना लागत/लाभ केंद्र के साथ निधि केंद्र प्रतिचित्रण।
सामाग्री प्रबंधन (एमएम)	1) पीओ निर्माण के लिए एसएपी ईआरपी में पीआर निर्माण शुरू किया गया है। 2) सिविल क्रय से संबंधित ई-एमबी के लिए रिलीज रणनीति एसएपी में पूरे ईसीएल में लागू की गई है। 3) विस्फोटक और पीओएल समूह में उचित शीर्ष-वार लेखांकन के लिए मास्टर डेटा और मूल्यांकन वर्ग को बदल दिया गया है।
उत्पादन योजना (पीपी)	1) दैनिक आधार पर समय पर उत्पादन संबंधी डेटा अपलोड करना हासिल किया गया है।
परियोजना प्रणाली (पीएस)	1) ईसीएल में यूनिट स्तर से ही डब्ल्यूबीएस कार्यकलाप की पुष्टि शुरू कर दी गई है। पहले यह केंद्रीय स्तर पर किया जाता था। 2) नई भूमिकाओं और प्राधिकरण नियंत्रण का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया गया है।
मानव पूँजी प्रबंधन (एचसीएम)	1) ईसीएल के सभी क्षेत्रों के लिए केंद्रीकृत पेरोल प्रसंस्करण हासिल किया गया है। 2) कठोरता से नियंत्रित दैनिक उपस्थिति प्रविष्टि एसएपी ईआरपी में शुरू कर दिया गया है। 3) रविवार और अतिकाल गणना में अधिरोपित क्रियान्वयन और प्रतिबंधता। 4) एसएपी में वीवी और आयकर विवरणी का सृजन शुरू किया गया है। 5) मैनुअल कार्ड वितरण के स्थान पर सीपीआरएमएस-ई के लिए एसएपी ईआरपी के माध्यम से मेडिकल कार्ड निर्मित करना शुरू कर दिया गया है।
विक्रय व वितरण (एसडी)	1) कोयला उपभोक्ताओं को कागज रहित स्वत: वापसी एसएपी ईआरपी में शुरू की गई है। 2) ईसीएल के राजमहल क्षेत्र में साइलो की एमजीआर मात्रा को एसएपी ईआरपी के साथ एकीकृत किया गया है। 3) भूटान के लिए निर्यात बिक्री चालान का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया गया है। 4) ग्रेड स्लिपेज का पता लगाने के लिए नमी टी-कोड का विकास। 5) जीएसटी मूल्य के साथ-साथ आईआरएन कार्यक्रम में संशोधन को शामिल करके एसईजेड ग्राहक का विकास।

17.0 इलैक्ट्रॉनिकी एवं दूरसंचार :

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के अभिवर्धन के साथ तालमेल बिठाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

अ) पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य में ईसीएल के सभी क्षेत्रों में फैले 242 विभिन्न स्थानों की कनेक्टिविटी के लिए सेवा प्रदाता के रूप में मेसर्स रेलटेल द्वारा एमपीएलएस वीपीएन प्रबंधित नेटवर्क सेवाओं की स्थापना की गई, जिसमें ईसीएल में ईआरपी के लिए नई दिल्ली में डेटा सेंटर और मुंबई में डेटा रिकवरी सेंटर शामिल हैं।

आ) ईसीएल मुख्यालय पर 1 जीबीपीएस इंटरनेट लीज लाइन और न्यूनतम 160 सार्वजनिक आईपी के साथ केंद्रीकृत उच्च गति इंटरनेट सेवाएं, जो ईसीएल के एमपीएलएस स्थानों पर वितरित की जाती हैं, जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय, यूजी और ओसी खानों के एजेंट और प्रबंधक कार्यालय, केंद्रीय स्टोर, केंद्रीय कर्मशालाएं, अस्पताल, भण्डार, कर्मशालाएं, मौजूदा एमपीएलएस वीपीएन अंत बिंदुओं के दायरे में अन्य कार्यालय शामिल हैं।

इ) सीआईएल, अनुषंगी मुख्यालय, मंत्रालयों, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी कार्यालयों, अन्य कार्यालयों और एमपीएलएस वीपीएन नेटवर्क पर आधारित ईसीएल के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और 23 विभिन्न स्थानों पर वीडियो एंड प्वाइंट के साथ सार्वजनिक आईपी के साथ विभिन्न बैठकों और नियमित बातचीत की सुविधा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली स्थापित की गई है।

ई) कंपनी मुख्यालय, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, ईसीएल के केंद्रीय अस्पतालों में एसएपी-ईआरपी अनुप्रयोग, इंटरनेट तक आसान पहुंच की सुविधा के लिए वाई-फाई प्रणाली के साथ लैन बुनियादी ढांचे की स्थापना की गई।

उ) भूमिगत खदानों में तथा सतही स्तर तक सुचारू टेलीफोन संचार के लिए 46 विभिन्न भूमिगत खदानों में भूमिगत टेलीफोन संचार प्रणाली स्थापित की गई।

ऊ) खदानों में आंतरिक कोयला ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही की प्रभावी निगरानी और कोयले की चोरी को रोकने के लिए 1207 जीपीएस सेटों और खदान क्षेत्रों की जियो-फेंसिंग के साथ जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली (वीटीएस) की व्यवस्था की गई है।

ऋ) संवेदनशील स्थानों जैसे कि तोलन वेदी, कोयला स्टॉक यार्ड, रेलवे पार्श्वस्थल, मैगजीन, स्टोर आदि पर केंद्रीकृत सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के साथ इलेक्ट्रॉनिक निगरानी।

ऌ) आरएफआईडी और बूम बैरियर आधारित तोलन वेदी स्वचालन प्रणाली को कुल 124 सड़क तोलन वेदियों पर लागू किया गया है, ताकि अनधिकृत वाहनों के प्रवेश और मानवीय हस्तक्षेप को रोका जा सके तथा केंद्रीय सर्वर पर वजन संबंधी आंकड़ों को स्वचालित वास्तविक समय में स्थानांतरित किया जा सके।

17.1 विशेष उपलब्धियाँ :

अ) खदानों में कोयला ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही की प्रभावी लाइव निगरानी और ईसीएल में कोयले की चोरी को रोकने के लिए 1473 जीपीएस/ जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) के कार्यान्वयन के लिए मेसर्स डढवाल वेइंग इंस्ट्रूमेंट रिपेयरिंग वर्क्स को एलओए दिया गया है। 20.03.2024 को कार्य आदेश दिया गया है। अब तक परिवहन वाहनों में 924 जीपीएस डिवाइस लगाए जा चुके हैं।

ईसीएल ने 2022-23 में एसएपी ईआरपी कार्यान्वयन का लिए प्रतिष्ठित कोयला मंत्रालय पुरस्कार मिला

आ) ईसीएल के विभिन्न संवेदनशील स्थानों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित वीडियो एनालिटिक्स के साथ सीसीटीवी से वीडियो फुटेज की लाइव निगरानी और रिकॉर्डिंग के लिए नए केंद्रीकृत निगरानी सीसीटीवी निगरानी प्रणाली की स्थापना के लिए मेसर्स कॉन्टिनेंटल इंजन प्राइवेट लिमिटेड को कार्य आदेश दिया गया है। इसमें कुल 1144 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अब तक 745 कैमरे लगाए जा चुके हैं, जुलाई, 2024 तक पूरी प्रणाली चालू होने की उम्मीद है।

इ) मेसर्स एमआईएमईसी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को 5 डीजीएमएस अनुमोदित आंतरिक रूप से सुरक्षित भूमिगत संचार प्रणाली की खरीद के लिए आपूर्ति आदेश दिया गया है। सभी 5 डीजीएमएस की आपूर्ति की गई और उन्हें चालू कर दिया गया है, अर्थात (ए) सतग्राम-श्रीपुर- 2 और (बी) सोदपुर- 3।

ई) विभिन्न प्रकार के भूमिगत टेलीफोन केबलों की अधिप्राप्ति के लिए मेसर्स आरईटीसीओ इंडिया को आपूर्ति आदेश दिया गया है। सभी प्रकार की केबलों की पूरी मात्रा की आपूर्ति की गई है तथा सभी केबलों को भूमिगत संचार में उपयोग के लिए क्षेत्र में वितरित किया गया है।

उ) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के साथ एकीकृत नई ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली को "संकल्प" कक्ष ईसीएल, मुख्यालय में लागू किया गया है।

18.0 भूमि अधिग्रहण एवं भूमि सूचना स्थिति :

18.1 भूमि अधिग्रहण की स्थिति :

वर्ष 2023-24 के लिए नानाविध प्रकारों के अधीन भूमि अधिग्रहण / दखल दियानी की स्थिति यथा निम्नवत है :

अधिग्रहण का प्रकार	अधिगृहीत (हेक्टेयर में)	दखल दियानी (हेक्टेयर में)
काश्तकारी भूमि का प्रत्यक्ष क्रय	113.30	113.298
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम / भूमि अधिग्रहण अधिनियम	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन व विकास) अधिनियम	38.20	101.468
सरकारी भूमि का अंतरण	27.99	27.771
वन भूमि का अंतरण	कुछ नहीं	0.81
कुल	**179.49**	**243.347**

भटमुडा में पुस्तकालय

सोनपुर बाजारी में प्राथमिक विद्यालय

सोनपुर बाजारी में सामुदायिक भवन

सोनपुर बाजारी में गेटयुक्त सामुदायिक भवन

सोनपुर बाजारी में पीएएफ के लिए पुनर्वास गृह

सोनपुर बाजारी में नाट्य मंच

सोनपुर बाजारी में पीएएफ के लिए पुनर्वास गृह

सोनपुर बाजारी में सामुदायिक मंदिर

18.2 कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन व विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन अधिगृहीत भूमि में प्रगति :

परियोजना का नाम	जिला / राज्य	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	आवेदन की तिथि	प्रास्थिति
चितरा ईस्ट खुली खदान परियोजना	देवघर / झारखण्ड	146.62	01.02.2024	भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. 415 (ई) दिनांक 01.02.2024 के तहत अधिसूचनाएं।
मोहनपुर विस्तारित ओसीपी (2.50 मि.टन प्रति वर्ष)	पश्चिम बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल	38.20	04.01.2024	भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. 62 (ई) दिनांक 04.01.2024 के तहत अधिसूचनाएं।
सोनपुर बजारी खुली खदान	पश्चिम बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल	526.51	18.12.2023	भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. 5363 (ई) दिनांक 18.12.2023 के तहत अधिसूचनाएं।
झांझरा परियोजना	पश्चिम बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल	0.17	29.11.2023	भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. 5082 (ई) दिनांक 29.11.2023 के तहत अधिसूचनाएं।
झांझरा परियोजना	पश्चिम बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल	4.21	14.11.2023	भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. 4942 (ई) दिनांक 14.11.2023 के तहत अधिसूचनाएं।

18.3 पश्चिम बंगाल में सरकारी भूमि का अंतरण :

चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही अनुमोदित सरकारी भूमि के अंतरण के मामले :

क्षेत्रफल	मौजा	भूमि की प्रमात्रा (एकड़)
एस.पी. माइन्स	खून, तुलसीडाबर एवं ताराबाद	45.1516
केन्दा	बॉनबहाल	8.81
केन्दा	बहुला एवं परासकोल	14.6425
कुल		**68.6041**

18.4 पुनर्वासन की प्रास्थिति :

वर्ष 2023-24 के दौरान विस्थापित परिवारों की संख्या जिन्होंने पुनर्व्यवस्थापन हितलाभ प्राप्त किया हो :

क्षेत्र के नाम	विस्थापित परिवार जिन्होंने भू-खण्ड प्राप्त किया है।	विस्थापित परिवार जिन्होंने भू-खण्ड के एवज में एकमुश्त राशि प्राप्त की है।	स्थानांतरित वास्तविक विस्थापित परिवार
राजमहल	01	01	कुछ नहीं
एस.पी. माइन्स	12	07	24
पाण्डवेश्वर	कुछ नहीं	कुछ नहीं	33
सलानपुर	कुछ नहीं	कुछ नहीं	523

18.5 भूमि अभिलेखों का अंकीयकरण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, भूमि प्रबंधन सॉफ्टवेयर (कोलआरआर) विकसित और लॉन्च किया गया है। यह सॉफ्टवेयर एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है और इसका पहला मॉड्यूल (यानी लीगेसी डेटा) 2023-24 में लाइव पोर्टल में लॉन्च किया गया है। इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर के जरिए डेटा डिजिटाइजेशन और क्लाउड में अपलोड करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। विभिन्न तरीकों के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर कार्रवाई करने, पहले से अधिग्रहीत भूमि का कब्जा लेने, परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हितलाभ प्रदान करने, भूमि के एवज में नियोजन प्रस्तावों के अनुमोदन आदि के लिए सॉफ्टवेयर में अन्य प्लेटफार्मों का विकास किया जा रहा है।

19.0 सुरक्षा प्रबंधन :

सुरक्षा विभाग का ध्येय कंपनी के लोगों और सामग्री को संरक्षित करना है। कंपनी के पास सुरक्षा गठन के चार प्रकार है :

i) ईसीएल सुरक्षा - 2370 कर्मी

ii) कें.औ.सु.ब. - 943 कर्मी

iii) संविदात्मक सुरक्षा - 1140 कर्मी

iv) होमगार्ड - 176 कर्मी

विभागीय सुरक्षा का प्राथमिक कर्तव्य कंपनी की संपत्ति अर्थात भंडार, कार्यालय, विस्फोटक मैगजीन/बारूद घर, कोयला डिपो/पार्श्वस्थल, कॉलोनियों की सुरक्षा करना और प्रबंधन द्वारा आवश्यकता पड़ने पर वीआईपी की सुरक्षा करना है। तौल पूर्ण होने तक कोयला डिपो/ पार्श्वस्थल से रेलवे तौल घरों तक भरे हुए रेलवे रेक, टिपिंग ट्रकों/डम्परों का मार्गरक्षण करना है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस के साथ सुरक्षा कर्मियों, सीआईएसएफ द्वारा संसूचना और आसूचना आगमों के अनुसार छापे मारे जाते हैं, अंतर्ग्रस्त ट्रकों/ वाहनों के साथ कोयला जब्त किया जाता है और शरारती तत्वों को पकड़ा जाता है। ऐसे व्यक्तियों को स्थानीय पुलिस स्टेशन को सौंप दिया

जाता है और तदनुसार एफआईआर दर्ज किया जाता है। उन्हें हड़ताल/घेराव/प्रदर्शन/भूख हड़ताल के समय और कमान क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की कानून और व्यवस्था की समस्या के दौरान भी तैनात किया जाता है। सुरक्षा व्यवस्थाओं के संवर्धन के लिए विभागीय सुरक्षा के साथ संविदात्मक सुरक्षा कर्मियों को अभिनियोजित किया जाता था। राजमहल, सोनपुर बजारी, एस.पी. माइंस में स्थायी दायित्व के लिए के.औ.सु.ब. अभिनियोजित किया गया है। इसके अलावे मुगमा, सलानपुर, कुनुस्तोड़िया, पांडवेश्वर, कालीदासपुर और सतग्राम-श्रीपुर क्षेत्र में उनके शिविर हैं। वे अवैध खनन, कोयले की अवैध तस्करी और अवैध कोयला डिपो के विरूद्ध छापेमारी करने के लिए मोबाइल ड्यूटी पर रहते हैं तथा कोलियरी/ क्षेत्र में हड़ताल/ घेराव के दौरान भी अभिनियोजित किए जाते हैं। विभागीय सुरक्षा के साथ-साथ होम गार्डों को अभिनियोजित किए जाते थें।

19.1 सुरक्षा के पुनर्निर्माण हेतु परिगृहीत कदम :

अ. सीआईएसएफ के अग्र पदस्थापन के लिए पुनःसर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है और प्रतिवेदन गृह मंत्रालय को भेज दी गई है।

आ. रेलवे साइडिंग पर कोयले की चोरी के सभी निवारक उपायों के साथ सीसीटीवी, आरएफआईडी और बूम बियर लगाए गए हैं।

इ. स्थानीय पुलिस स्टेशनों से जब्त कोयले को एकत्र करने के लिए एक तंत्र तैयार किया गया है और कंपनी को विभिन्न पुलिस स्टेशनों से जब्त कोयला प्राप्त हुआ है।

ई. ड्रोनों के प्रवेशन के लिए प्रस्ताव शुरू किया गया है।

उ. कें.औ.सु.ब. के सहयोग के साथ 105 नव चयनित सुरक्षा गार्डों के प्रवेशन के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

ऊ. विभागीय सुरक्षा कर्मियों के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया है।

19.2 अवैध खनन/ कोयले का परिवहन / कोयले की चोरी के जाँच पड़ताल / रोकथाम के लिए परिगृहीत कदम :

अ. आसूचना संग्रहण।

आ. होलोग्राम का उपयोग विभिन्न खानों से कोयले के परिवहन में लगे ट्रकों के लिए किया जा रहा है। इसकी सूचना बर्दवान (पूर्व) और बर्दवान (पश्चिम) जिले की स्थानीय पुलिस को भी दी जाती है और उन ट्रकों को भी सूचित किया जाता है जिन्हें ईसीएल का होलोग्राम या ईसीएल का संदिग्ध होलोग्राम उपलब्ध नहीं कराया गया है। आवश्यक विभागीय/कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है।

इ. कोयला परिवहन का जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन लक्ष्यानुसरण प्रणाली प्रयोग में है।

ई. कोयला खान शीर्ष, कोयले की ढेर, कोयला स्थलों के तोलन वेदी, परिवहन के प्रवेश और निकास केंद्र पर सीसीटीवी का संस्थापन।

उ. वीटीएस से जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक तोलन वेदी और चलायमान तोलन वेदी का संस्थापन।

ऊ. कोयला परिवहन मार्ग पर कुछ सशंकित स्थलों की पहचान की गई है जहाँ नियमित गश्ती की जाती है।

ऋ. खनन प्रहरी अनुप्रयोग व्यवहृत की जा रही है।

ऌ. पुलिस के साथ-साथ के.औ.सु.ब. एवं विभागीय सुरक्षा कर्मी द्वारा औचक जांच/छापा किया गया है और अवैध कोयले का अभिग्रहण / अंतर्ग्रस्त वाहनों के साथ-साथ कोयले की अवैध तस्करी एवं बदमाशों की गिरफ्तारी और तत्पश्चात उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन को सौंपना।

ॠ. अवैध खनन और कोयला चोरी को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य के राज्य प्राधिकारियों के साथ बैठकें और जिला स्तरीय बैठकें (पश्चिम बंगाल का बर्दवान, बांकुड़ा, पुरुलिया और बीरभूम जिला और झारखंड का संयुक्त जिला स्तरीय बैठक) जिला प्राधिकारियों के साथ आवधिक रूप से आयोजित की जाती हैं।

ऐ. कोयला चोरी के मुद्दों में धर-पकड़ करने के लिए एक समर्पित कृतिक बल का गठन किया गया है।

ए. के.औ.सु.ब. अधिकारियों के साथ अभिकर्ता, प्रबंधक, सर्वेक्षण अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी से बने क्षेत्रीय दल द्वारा प्रभावित स्थलों का नित्य निरीक्षण किया जाता है और तदनुसार नियमित रूप से के.औ.सु.ब. के समादेष्टा कार्यालय में बैठकें आयोजित की जाती हैं।

ऐ. न्यायालय में लंबित उन मामलातों के तार्किक निष्कर्ष के लिए, ईसीएल ने उन मामलातों के अनुसरण करने के लिए अधिवक्ता को नियुक्त किया है।

ऑ. आसनसोल की निचली अदालत और सत्र न्यायालय में लंबित मामलातों की त्वरित सुनवाई के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए भी लोक अभियोजक के साथ परिचर्चा की गई है।

ओ. कोयले की चोरी को रोकने के लिए ईसीएल सुरक्षा ने कें.औ.सु.ब. कार्मियों के साथ औचक जांच/छापे मारे हैं। जांच छापों के दौरान वे कोयला जब्त करते हैं, शरारती तत्वों को पकड़ते हैं और स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हैं।

19.3 कोयले की चोरी के रोकथाम के लिए प्रौद्योगिकी मध्यक्षेप :

अ. शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखते हुए अवैध खनन की किसी भी घटना की रिपोर्ट करने के निहितार्थ आमजनों की सुगम्यता के लिए खनन प्रहरी अनुप्रयोग का लोकार्पण किया गया है।

आ. समस्त क्षेत्रों में प्रवर्तित जीपीएस आधारित वाहन अनुश्रवण प्रणाली कोयले की चोरी को रोकने के लिए एक कदम है।

इ. निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक रेलवे पर्श्वस्थल एवं अन्य संवेदनशील अवस्थानों पर सीसीटीवी कैमरों का स्थापन किए गए हैं।

ई. वाहन का जीवंत लक्ष्यानुसरण के लिए कोयला परिवहन वाहन में वीटीएमएस प्रणाली समर्थ जीपीएस लगाया गया है।

19.4 वर्ष के दौरान विभागीय सुरक्षा कर्मियों, के.औ.सु.ब. एवं स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध खनित कोयले के अभिग्रहण के ब्यौरे :

वर्ष	राज्य	छापों की संख्या	अभिगृहीत कोयला (टन)	अभिगृहीत वाहन	गिरफ्तार व्यक्ति	प्राथमिकी दर्ज
अवैध तस्करी से कोयले का अभिग्रहण						
2023-24	पश्चिम बंगाल	2612	18317.31	69	79	1183
	झारखण्ड	1213	6565.32	43	36	264
	कुल	3825	24882.63	112	115	1447
2022-23	कुल	3769	20342.39	202	179	1455
	अंतर	56	4540.24	-90	-64	-8
ईसीएल सुरक्षा कर्मी, के.औ.सु.ब. एवं स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध खनित कोयले का अभिग्रहण						
2023-24	पश्चिम बंगाल	49	97.07	04	01	49
	झारखण्ड	05	-	-	02	05
	कुल	54	97.07	04	03	54
2022-23	कुल	309	1461.79	11	15	103
	अंतर	-255	-1364.72	-07	-12	-49

उपरि वर्णित आँकड़े, कोलियरी परिसर के बाहर, पुलिस के साथ-साथ के.औ.सु.ब. एवं ईसीएल सुरक्षा कर्मी द्वारा अभिगृहीत है। ट्रकें या तो अवैध खनन स्थलों से या अवैध तस्करी/अवैध कोयला स्टॉक से उक्त कोयला ले जा रहे थे। अवैध खनन स्थलों को बंद करने/सीलबंद करने/भरने के दौरान के.औ.सु.ब. और स्थानीय पुलिस के साथ विभागीय सुरक्षा कर्मी को पट्टाधृति क्षेत्र के अंदर और बाहर बंद करने के स्थान पर भी अभिनियोजन किया जाता है। वर्ष के दौरान, अवैध कोयला खनन एवं कोयले के मूषण के खतरों को रोकने के लिए 1126 स्थानों को बंद/सीलबंद किया गया है। राज्य प्रशासन अवैध कोयला खनन एवं कोयले के मूषण के खतरों को रोकने के लिए सक्रिय रूप से अंतर्ग्रस्त है।

अवैध खनन स्थलों को बंद करने/सीलबंद करने/भरने के दौरान के.औ.सु.ब. एवं स्थानीय पुलिस के साथ-साथ विभागीय सुरक्षा कर्मियों को पट्टाधृति क्षेत्रों के अंदर एवं बाहर बंद करने वाले स्थान पर भी अभिनियोजित किया जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान, अवैध कोयला खनन को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में 624 स्थलों और झारखंड में 502 स्थलों को बंद/सीलबंद किया गया है और अवैध खनन स्थलों को बंद करने/सीलबंद करने/भरने की सूचना पश्चिम बंगाल और झारखंड के स्थानीय पुलिस स्टेशनों को क्रमश 52 स्थलों और 75 स्थलों के लिए भेज दी गई है। राज्य प्रशासन अवैध कोयला खनन एवं कोयले के मूषण के खतरों को रोकने के लिए सक्रिय रूप से अंतर्ग्रस्त है।

19.5 अवैध कोयला तस्करी का अभिग्रहण :

वर्ष	2023-24	2022-23	अंतर
छापों की संख्या	3825	3769	56
प्राथमिकी दर्ज की संख्या	1447	1455	-8
अभिगृहीत कोयला परिमाण (मैट्रिक टन)	24882.63	20342.39	4540.24
अभिगृहीत वाहन की संख्या	112	202	-90
गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	115	179	-64

19.6 अवैध खनन स्थलों से अभिग्रहण :

वर्ष	2023-24	2022-23	अंतर
छापों की संख्या	54	309	-255
प्राथमिकी दर्ज की संख्या	54	103	-49
अभिगृहीत कोयला परिमाण (मैट्रिक टन)	97.07	1461.79	-1364.72
अभिगृहीत वाहन की संख्या	04	11	-7
गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	03	15	-12

19.7 अन्य सामग्रियों की चोरी / प्रत्युद्धरण :

वर्ष	2023-24	2022-23	अंतर
घटनाओं की संख्या	81	99	-18
प्राथमिकी दर्ज / सूचनाओं की संख्या	65	74	-9
चोरी की गई संपत्ति (₹ में)	8,65,335.00	28,12,494.38	-19,47,159.38
प्रत्युद्धरित संपत्ति (₹ में)	-	22,045.90	-22,045.90
गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	08	12	-4

नव प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की पासिंग आउट परेड को दर्शाने वाला एक कार्यक्रम

20.0 अवसंरचना विकास :

अ) भवन : वर्ष के दौरान आवासीय भवन, सेवा भवन, सामुदायिक भवन, जल आपूर्ति और सड़कों से संबंधित विभिन्न कार्य शुरू किए गए हैं। 45.10 करोड़ रुपये मूल्य के कार्य का निष्पादन किया जा चुका है।

आ) सड़क, रेलवे पार्श्व स्थल एवं सीएचपी संबंधित कार्य : कोयले का प्रेषण प्रमुख कार्यकलापों में से एक है और इसे कोयला परिवहन सड़कों, सीएचपी और रेलवे साइडिंग के नेटवर्क के माध्यम से प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। ईसीएल ने इस संबंध में उचित कदम उठाए हैं। वर्ष के दौरान रेलवे पार्श्वस्थल, सीएचपी और सड़कों से संबंधित विभिन्न कार्य निष्पादित किए गए और 298.67 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया गया।

इ) पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्थल पर विकासात्मक कार्य : राजमहल, सोनपुर बाजारी, एसपी माइंस, मुगमा और खोट्टाडीह परियोजना में पुनर्वास स्थलों के विकास के लिए सड़क, नाली, चारदीवारी, स्कूल भवन, क्लब, सामुदायिक भवन, जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे आदि के निर्माण जैसे विभिन्न कार्य किए गए हैं। वर्ष के दौरान 94.36 करोड़ रुपये मूल्य के कार्य निष्पादित किए गए हैं।

ई) खान विकास : उपसुरंग की अनुसुरंगन, आनत की अनुसुरंगन, पादाग्र दीवार का निर्माण, अवधारण भित्ति का निर्माण, रेत भूगर्त भरण बंकर का निर्माण, सड़कों का मोड़, सड़कों का पथांतरण आदि जैसे विभिन्न कार्य खानों के विकास के लिए शुरू किए गए हैं। वर्ष के दौरान 25.92 करोड़ रुपये मूल्य के कार्य निष्पादित किए गए हैं।

उ) पर्यावरण : प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन संवर्धन योजना के तहत विभिन्न गतिविधियाँ शुरू की गई हैं। कुछ प्रमुख कार्यकलाप शुरू किए गए। वर्ष के दौरान 70.39 लाख रुपये मूल्य के बोरवेल, तालाब के विकास, स्कूल के बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य अवसंरचना, सड़कों आदि से संबंधित विभिन्न कार्य पूरे किए जा चुके हैं और 224.74 लाख रुपये मूल्य के कार्य प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा ऐसी गतिविधियों के लिए राज्य सरकार द्वारा 196.69 लाख रुपये की धनराशि जमा की गई है।

21.0 संविदा प्रबंधक :

21.1 एमडीओ एवं राजस्व साझाकरण संविदाएँ :

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के भीतर जेम पोर्टल पर ईसीएल की अनिरंतरित खानों के लिए सबसे अधिक संख्या में राजस्व साझाकरण निविदा जारी करके प्रमुख रणनीतिक उद्देश्यों में से एक को प्राप्त किया है। कुल मिलाकर, जीईएम पोर्टल में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 06 राजस्व हिस्सेदारी निविदाएं जारी की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक (01) राजस्व हिस्सेदारी निविदा प्रदान की गई है। विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष 2023-24 में एमडीओ राजस्व साझाकरण निविदाओं (चलंत एवं अधिनिर्णित) के ब्यौरे						
क्रम	खान का नाम	क्षेत्रफल	कोयले का औसत ग्रेड	अनन्तिम / प्रस्तावित निष्कर्षण योग्य निचय (मि.टन)	4% की न्यूनतम दर से प्रकाशित बोली के आधार पर कोयले का मूल्य (₹ करोड़ में)	अनन्तिम संविदा अवधि
1.	कुँअरडीह तिरात भूमिगत	सतग्राम-श्रीपुर	जी-6	23.04	501.72	25 वर्ष
2.	मीठापुर (आर) भूमिगत	सतग्राम-श्रीपुर	जी-6	17.17	373.89	25 वर्ष
3.	रतिबाटी भूमिगत		जी-5	8.75	203.49	25 वर्ष
4.	महाबीर (आर) कोलियरी	कुनुस्तोड़िया	जी-7	44.39	599.79	25 वर्ष
5.	बेनाली कोयला खान	सतग्राम-श्रीपुर	जी-7	12.91	174.44	25 वर्ष
6.	गिरमिट-केडी आतन भूमिगत	सतग्राम-श्रीपुर	जी-4	9.45	227.78	25 वर्ष
			कुल	**115.71 मि.टन**	**₹2,081.11 करोड़**	

उक्त के अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जीईएम पोर्टल पर एमडीओ की दो (02) निविदाएं जारी की गई हैं और सीआईएल एनआईसी पोर्टल पर एक (01) एमडीओ निविदा (8,498.51 करोड़ रुपये की दर से 3.5 मि.टन प्रति वर्ष की अधिकतम क्षमता के साथ इटापाड़ा) प्रदान की गई है, जैसा कि नीचे सारणीबद्ध है:

वित्तीय वर्ष 2023-24 में एमओडी निविदाओं (चलंत एवं अधिनिर्णित) के ब्यौरे						
क्रम	खान का नाम	क्षेत्रफल	अनन्तिम / न्यूनतम निष्कर्षण योग्य निचय (मि.टन)	अधिकतम क्षमता (मि.टन प्रति वर्ष)	अनन्तिम संविदा अवधि (वर्ष में)	31.03.2024 को यथा अभ्युक्ति
1.	इटापाड़ा ओसीपी	सलानपुर	46.02	3.5	18	₹8498.51 करोड़ की संविदा मूल्य के साथ 08.05.2023 को अधिनिर्णित।
2.	चुपरभीटा शिम्लोंग ओसी	राजमहल	118.9	6	25	06.03.2024 को निविदा प्रकाशित की गई। बोली 15.05.2024 को खोली जाएगी।
3.	अमरकोंडा मुर्गदंगल एमडीओ	गोड्डा कोयला ब्लॉक	गवेषण किया जाना है	6	28 (3 वर्ष गवेषण + 25 वर्ष उत्पादन)	निविदा 30.03.2024 को प्रकाशित की गई। बोली 28.06.2024 को खोली जाएगी
		कुल	**164.92**	**15.5**		

21.2 भूमिगत खानों में पुँजोत्पादन प्रौद्योगिकी के पुरःस्थापित के लिए वैश्विक निविदा :

भूमिगत में मानक ऊंचाई वाले सतत खनित्र, कम ऊंचाई वाले सतत खनित्र, लांगवाल खनन की शुरूआत से निरंतर कर्तन की तकनीक भूमिगत खनन उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि लाती है। संविदा किराए के आधार पर सौंपे जाते हैं। वर्ष के दौरान झांझरा क्षेत्र में सतत खनित्र के दो (02) संचालन और रखरखाव निविदाएं 546.40 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य के साथ जारी की गई हैं और वित्त वर्ष 2023-24 में मुगमा क्षेत्र की शामपुर-बी कोलियरी (कम ऊंचाई वाले सतत खनित्रों के 2 सेट) की पेस्ट फिल तकनीक के साथ सतत खनिक के लिए एक (01) निविदा जारी की गई है। पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी टेंडर के साथ यह सतत खनित्र कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के भीतर पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी विधि के साथ सतत खनित्र को अपनाने के पहले उदाहरण का प्रतिनिधित्व करता है, जो ईसीएल के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

21.3 उपरि संस्तर हटाव एवं कोयला निष्कर्षण के लिए उपस्करों को किराए पर लेना :

कोयला उत्पादन का एक बड़ा अंश बाह्यस्रोत से की गई ओपनकास्ट खानों से आता है। विद्यमान संविदाओं के अतिरिक्त, वर्ष 2023-24 के दौरान 59.1 मि.टन कोयला और 486.35 मि.घनमीटर की परिमाण के साथ 14 नई निविदाएं प्रदान की गई हैं। अधिनिर्णित संविदाओं में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए औसत 9.09 मि. टन कोयला और 76.47 मि. घनमीटर उपरि संस्तर हटाव की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 14 संविदाओं के लिए दिया गया कुल अनुबंध मूल्य 6,967.41 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 में अधिनिर्णित संविदाओं में पिछले वर्ष की समान अवधि के कुल उत्पादन की तुलना में 3.34 मि.टन कोयले और 29.42 मि. घनमीटर उपरि संस्तर के हटाव में वृद्धि हुई है। ईसीएल की कुल संविदात्मक क्षमता 01.04.2024 तक 41.72 मि. टन कोयला उत्पादन और 200.96 मि. घनमीटर उपरि संस्तर हटाव है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बाह्यस्रोत (एचईएमएम को किराए पर लेना) मोड के माध्यम से कोयले का एपीपी लक्ष्य लगभग 34 मि.टन था और कोयला उत्पादन के लिए संविदात्मक क्षमता 41.72 मि.टन है, जिससे यह आवश्यक क्षमता का 122.70% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एचईएमएम निविदाओं की भर्ती की तुलना निम्नानुसार है:

क्रम	ब्यौरे	2023-24	2022-23	प्रतिशत अंतर
1.	अधिनिर्णित संविदाओं की कुल संख्या	14	09	55.55
2.	अधिनिर्णित संविदाओं का कुल मूल्य (जीएसटी सहित ₹ करोड़ में)	6,967.41	4,066.23	71.34
3.	निविदा के अंतिम रूप के लिए लिया गया समय (दिवस)	47.85	83	(-)42.33

21.4 कोयला परिवहन, वैगन लोडिंग, मोबाइल क्रशर सेवाएँ और प्रकीर्ण संविदाएँ :

इन संविदाओं में आतन / स्टॉकयार्ड से पार्श्वस्थल तक कोयले की ढुलाई करना, रेल द्वारा प्रेषण के लिए वैगनों में कोयले का लदान और कोयले को (-) 100 मिमी आकार तक संदलन के लिए मोबाइल क्रशर संस्थापना शामिल है। वर्ष 2023-24 के दौरान, जीएसटी सहित कुल बीस (20) कोयला परिवहन, वैगन लोडिंग, मोबाइल क्रशर संविदा 329.03 करोड़ रुपये के प्रदान किए गए मूल्य के साथ प्रदान किए गए हैं और कुल छह (06) विविध अनुबंध जीएसटी सहित 4.29 करोड़ रुपये के प्रदान किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोयला परिवहन, वैगन लोडिंग, मोबाइल क्रशर और विविध संविदाओं की तुलना वित्तीय वर्ष 2022-23 के साथ निम्नानुसार है:

क्रम	ब्यौरे	2023-24	2022-23	प्रतिशत अंतर
1.	अधिनिर्णित संविदाओं की कुल संख्या	26	17	52.94
2.	अधिनिर्णित संविदाओं का कुल मूल्य (जीएसटी सहित ₹ करोड़ में)	333.32	103.93	220.71
3.	निविदा के अंतिम रूप के लिए लिया गया समय (दिवस)	48.5	59.64	(-)18.68

राजमहल क्षेत्र, ईसीएल में ई-रिक्शा का वितरण

21.5 विशेष उपलब्धियाँ :

अ) सीएमसी विभाग की सभी निविदाएं वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल पर जारी की गई हैं, जिससे सीआईएल एनआईसी पोर्टल से जीईएम पोर्टल तक 100% की पूर्ण संक्रमण दर प्राप्त हुई है।

आ) आंशिक रूप से गवेषित कोयला ब्लॉक की पहली निविदा सीआईएल और उसकी अनुषंगी कंपनियों (अमरकोंडा मुर्गदंगल कोयला ब्लॉक, दुमका भूवैज्ञानिक निचय के साथ- 411.21 मि. टन और खनन योग्य निचय- 94 मि. टन) के भीतर 28 वर्षों (03 वर्ष की गवेषण और 25 वर्ष उत्पादन) की अवधि के लिए जारी की गई है।

इ) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सीआईएल और इसकी अनुषंगी कंपनियों के भीतर सीएमसी विभाग द्वारा जेम पोर्टल पर सबसे अधिक (छह-06) राजस्व हिस्सेदारी निविदाएं जारी की गई हैं।

ई) परिवहन संविदाओं के लिए निविदाएं 120 दिनों की बोली वैधता अवधि के भीतर पूरी की जानी हैं। तकनीकी बोली खुलने के बाद निविदाएं देने में लगने वाला समय वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 79.35 दिनों की तुलना में 51 दिन है। चूंकि बोली वैधता अवधि की समाप्ति से 69 दिन पहले एचईई/परिवहन निविदाएं पूरी की जा रही हैं, इसलिए अंतिम रूप देने के समय में 35.72% की महत्वपूर्ण कमी से वैगन लोडिंग और संदलन गतिविधियों सहित कोयला उत्पादन, उपरि संस्तर हटाव और परिवहन की शुरुआत हो जाती है।

उ) क्रय वरीयता नीति और मेक इन इंडिया नीति के तहत कुल छब्बीस (26) एमएसई को लाभ मिला है। एमएसई को जीएसटी सहित कुल 385.03 करोड़ रुपये का अधिनिर्णय दिया गया है।

ऊ) 'एचईएमएम संविदाओं को किराए पर लेने' के संदर्भ में, चूककर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ग्यारह (11) संविदाओं को समाप्त कर दिया गया है, और समाप्त किए गए संविदाओं में से आठ (08) के लिए पुनःनिविदा को अंतिम रूप दिया गया है।

ऋ) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल बारह (12) चूककर्ता संविदाकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

22.0 गुणवत्ता नियंत्रण :

22.1 तृतीय पक्ष नमूनाकरण :

कंपनी ने सभी स्त्रोतों से कोयले की खरीद के लिए उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए स्वीकार्य ग्रेड के कोयले के निर्धारण के लिए तृतीय पक्ष नमूनाकरण की सुविधा का विस्तार किया है। तृतीय पक्ष नमूनाकरण के लिए सभी अपेक्षित सक्षम शर्तों को पूरा किया गया है।

22.2 ग्रेड पुष्टिकरण स्थिति :

वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए ग्रेड तात्त्विकता निम्नानुसार है:

अवधि	कुल प्राप्त परिणाम परिमाण	ग्रेड पुष्टिकरण प्रतिशत				रेफरी विश्लेषण के लिए लंबित प्रतिदर्श	
		बोनस	ग्रेड में	ग्रेड पुष्टिकरण प्रतिशत	गिरावट	कुल	%
2021-22	28.54	25%	66%	91%	9%	0.58	2%
2022-23	27.98	24%	73%	97%	3%	5.61	20%
2023-24	43.58	9%	89%	98%	2%	7.3	16%

अंतिम स्वीकार्य परिणामों के आधार पर 2021-22 की अवधि के लिए समग्र ग्रेड पुष्टि 91% है, जो 2022-23 की अवधि के लिए बढ़कर 97% और 2023-24 में 98% हो गई है।

22.3 प्रेषित कोयले की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम :

अ) 07.06.2023 से 22.06.2023 तक गुणवत्ता जागरूकता पखवाड़ा आयोजित किया गया। अभियान का मूल विषय कोयला खदान से लेकर क्षेत्र और मुख्यालय स्तर तक सभी स्तरों पर भागीदारी के लिए कर्मियों को सम्मिलित करके खदान से बाजार तक कोयले की गुणवत्ता के बारे में चेतना जागृत करने पर केंद्रित था। यह एक अभ्यास था जिसका उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले के प्रेषण के संबंध में ग्राहकों की संतुष्टि के बेहतर स्तर के माध्यम से निगमित छवि को बढ़ाना था।

आ) जमीनी स्तर पर गुणवत्ता चेतना विकसित करने के लिए 11.12.2023 से 25.12.2023 तक दूसरा गुणवत्ता जागरूकता पखवाड़ा मनाया गया।

इ) गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के नियमों के अनुसार आकस्मिक गुणवत्ता निरीक्षण किया गया है। सभी क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए हैं जैसे कि खदान स्थल पर नियमित गुणवत्ता वार्ता, पार्श्वस्थल में विभिन्न स्त्रोतों से कोयले के लिए स्थान का स्थायी विपणन, पार्श्वस्थल में उपभोक्ता प्रतिक्रिया रजिस्टर का रखरखाव, छिड़काव और रोशनी की उपलब्धता, खदान और साइडिंग में पत्थर/चट्टानों का पृथक्करण आदि।

ई) कोयले की गुणवत्ता संबंधी शिकायतों के निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उपभोक्ताओं से किसी भी शिकायत के मामले में, संबंधित क्षेत्र को अधिसूचित किया जाता है और कोयले की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रतिक्रिया की जाती है और इसे उचित स्तर पर सूचित किया जा रहा है।

उ) हमारी परीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए पिछले दो वर्षों में दस (10) नए बम कैलोरीमीटर अधिप्राप्ति किए गए हैं।

सीएमडी, ईसीएल सोनपुर बाजारी क्षेत्र को गुणवत्ता पुरस्कार सौंपते हुए

कोयला नियंत्रक द्वारा ईसीएल की खदानों की समीक्षा

23.0 संधारणीय विकास पहले :

सतत विकास को आमतौर पर सीमित प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में विरोधाभास माना जाता है। खनन की सदियों पुरानी प्रथाओं में पर्यावरण और समुदायों पर नकारात्मक प्रभावों पर विचार करने के बजाय अल्पकालिक लाभों को प्राथमिकता दी गई है। प्रौद्योगिकी के संवर्धन और संधारणीयता के मुद्दों के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ, खनन को कैसे संधारणीय बनाया जाए, यह सवाल सबसे आगे आ गया है। पर्यावरणीय आयाम प्राकृतिक पर्यावरण की संधारणीयता और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित करता है। सामाजिक आयाम सामाजिक और सांस्कृतिक संधारणीयता की आवश्यकता पर जोर देता है, जो लाभ वितरण, खनन लागत और निर्णय लेने की प्रक्रिया के सवालों से जुड़ा है। आर्थिक आयाम जीवन के मानकों को बनाए रखने और उन मानकों की आर्थिक संधारणीयता से जुड़ी लागतों पर ध्यान केंद्रित करता है।

कंपनी द्वारा समग्र रूप से किए जाने वाले विभिन्न पर्यावरणीय शमन उपायों की योजना बनाने, दिशा-निर्देश तैयार करने, समय-समय पर निगरानी करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए नए विचार उत्पन्न करने की दिशा में काम करने के लिए "संधारणीय विकास प्रकोष्ठ (एसडीसी)" का गठन किया गया है। एसडीसी की बैठक

की अध्यक्षता निदेशक (तकनीकी) करते हैं। पर्यावरणीय शमन उपायों को सही और टिकाऊ तरीके से अपनाने से आस-पास के क्षेत्रों में काम करने और रहने वाले लोगों को बेहतर पर्यावरण मिलेगा और देश में कोयला क्षेत्र की समग्र छवि भी सुधरेगी। एसडीसी के तहत गतिविधियाँ इस प्रकार थीं:

अ. ईको-पार्क या उद्यानों का विकास :

(i) ईसीएल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 87.03 लाख रुपये की वित्तीय भागीदारी के साथ जेके नगर कोलियरी के अंतर्गत मधुवन वाटिका में 4.0 एकड़ क्षेत्र में जैव विविधता पार्क विकसित किया है। पार्क में विकसित सुविधाओं में जॉगिंग ट्रैक, फव्वारा, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, पिकनिक क्षेत्र, गज़ेबो, पानी और शौचालय की व्यवस्था के साथ-साथ सुरक्षा सह टिकट कक्ष शामिल हैं।

(ii) ईसीएल पश्चिम बंगाल वन विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से झांझरा क्षेत्र में 13.02 हेक्टेयर भूमि पर 10.51 करोड़ की अनुमानित लागत से एक इको-टूरिज्म पार्क विकसित करने की प्रक्रिया में है। कार्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूरा होने की उम्मीद है।

धूल दमन के लिए पानी का छिड़काव - स्थिरता की ओर एक कदम

आ. अपशिष्ट से सर्वश्रेष्ठ : प्लास्टिक अपशिष्ट हैंडलिंग यूनिट : बैंकोला क्षेत्र ने 'अपशिष्ट से सर्वश्रेष्ठ' की अवधारणा के तहत डिजाइन की गई 'प्लास्टिक वेस्ट हैंडलिंग' इकाई विकसित की है। यह प्लांट बेकार प्लास्टिक को पेवर ब्लॉक में बदलता है जिसका उपयोग विभिन्न निर्माण उद्देश्यों जैसे कि सड़कों, बगीचों, पार्कों आदि के लिए किया जा सकता है। प्लांट ने अब तक 2000 किलोग्राम बेकार प्लास्टिक को पेवर ब्लॉक में बदल दिया है जिसका स्थायी रूप से उपयोग किया गया है। बैंकोला क्षेत्र की प्लास्टिक वेस्ट हैंडलिंग इकाई की सफलता को विश्व पर्यावरण दिवस 2023 और मिशन लाइफ में अच्छी तरह से मान्यता मिली है। प्लांट को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में समाधान के रूप में स्वच्छता अभियान 2023 के तहत विशेष अभियान 3.0 में भी विशेष उल्लेख प्राप्त हुआ है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र

इ. धूल दमन अध्युपाय : खदानों और रेलवे पार्श्वस्थल में पानी के छिड़काव की व्यवस्था की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, बंकोला क्षेत्र में तीन (03) फॉग कैनन लगाए गए हैं।

ई. वर्षा जल संचयन संरचनाएँ : वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बंकोला क्षेत्र में भूजल पुनर्भरण द्वारा जल संरक्षण की पर्यावरण अनुकूल विधि सुनिश्चित करने के लिए 2 वर्षा जल संचयन संरचनाएं स्थापित की गई हैं। स्थापित संरचनाएं भूजल, सतही जल या नगरपालिका के पानी जैसे पानी के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता को कम करने में मदद करती हैं।

उ. **वैज्ञानिक अध्ययन :** ईसीएल की चालू/सक्रिय खदानों के उपरि संस्तर में फ्लाई ऐश के उपयोग/डंपिंग/मिश्रण के लिए एनआईटी दुर्गापुर द्वारा अध्ययन किया गया है और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

ओबी डंप का तालाब में परिवर्तन एक सतत विकास पहल

24.0 परिवाद निवारण तंत्र – निदान :

निदान सेल के तहत शिकायतों, पीजी पोर्टल के तहत सीपीजीआरएएमएस और एमएसएमई मामलों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। निदान के अंतर्गत मुख्यालय स्तर पर कर्मी की सेवानिवृत्ति के माह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों/ग्रेड/क्षमता में कार्य कर रहे कर्मियों से कंपनी के समुचित विकास एवं वृद्धि के संबंध में सुझाव प्राप्त/स्वीकार किए जाते हैं और कल्याण विभाग को भेजे जाते हैं। सेवानिवृत्ति कार्यक्रम के दौरान उनके मूल्यवान सुझाव दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान सीपीजीआरएएमएस और निदान के संबंध में 637 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 597 मामलों का निपटान कर दिया गया है और 40 मामले प्रक्रियाधीन हैं। सीपीजीआरएएमएस, निदान और एमएसएमई के लिए मासिक रिपोर्ट नियमित आधार पर और जब कभी आवश्यक हो, विभिन्न प्राधिकरणों/सीआईएल/एमओसी से भेजी जा रही है।

डीएआरपीजी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सीपीजीआरएएमएस के अंतर्गत सभी शिकायतों का निपटान 45 दिनों के भीतर किया जाना है और सभी शिकायतों को समयबद्ध तरीके निपटान कर लिया जाएगा। शिकायत निवारण तंत्र "ऑनलाइन निदान" और दुर्लभ ऑफ़लाइन प्रणाली के तहत ऑनलाइन प्रणाली पर आधारित है। शिकायतों के निवारण की समय सीमा 90 दिन है लेकिन इसका निवारण 60 दिनों के भीतर किया जाता है। आज की तारीख में ऑनलाइन निदान योजना/ सीपीजीआरएएमएस और ऑफलाइन के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों की दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है और संबंधित विभाग को अग्रेषित किया जा रहा है। सभी क्षेत्रों में, नोडल अधिकारी है, जो लंबित शिकायतों की सीधे निगरानी करता है और शिकायतों के तेजी से निवारण को बढ़ावा देने के लिए मेल / व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करता है। पीजी पोर्टल और निदान के तहत शिकायतों को समय-सीमा के भीतर निपटाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों, इकाइयों और मुख्यालय स्तर से नियमित फॉलो-अप किया जा रहा है। लोक शिकायत प्रकोष्ठ-निदान द्वारा अनसुलझी शिकायतों पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए मुख्यालय स्तर और क्षेत्रों में एक शिकायत निवारण समिति का पुनर्गठन किया गया है।

एमएसएमई समाधान पोर्टल को लोक शिकायत प्रकोष्ठ-निदान, मुख्यालय द्वारा भी संभाला और मॉनीटर किया जाता है और मासिक आधार पर दृष्टि डैशबोर्ड पोर्टल (सीपीएसई कॉन्क्लेव) में अपलोड करने के लिए एमएसएमई समाधान पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

25.0 जनसंपर्क :

ईसीएल एवं समाज के बीच सद्भावना और आपसी समझ स्थापित करने तथा उसे सतत कायम रखने के लिए जनसंपर्क विभाग योजनाबद्ध रीति से निरंतर प्रयासरत रहती है। कंपनी की जनसंचार माध्यम की नीति स्पष्ट, निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तर के पत्रकारों एवं मीडिया कर्मियों से नित्य संपर्क सुदृढ़ करने एवं उसे कायम रखने के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सभी निदेशकगण द्वारा समय-समय पर प्रेस सम्मिलन आयोजित किए जाते है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कंपनी की नानाविध गतिविधियों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए 115 प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी की गई है, 69 विज्ञापन दिए गए है एवं 09 प्रत्याभूति/प्रदर्शियाँ में सहयोगिता या सहभागिता की गई है। ईसीएल अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एवं लिंक्डइन पर 400 से अधिक पोस्ट सचित्र अपलोड करती है। ईसीएल की आधिकारिक वेबसाइट को द्विभाषिक रूप से अनुरक्षित किया जा रहा है। नागरिक घोषणा पत्र के तहत भूमि से संबंधित 39, अनुशासनात्मक कार्यवाहियों की 12, नियुक्ति/भर्ती की 02 एवं कॉमन विंडोज के माध्यस से 24 अन्य सूचनाएँ कंपनी के वेबसाइट पर अपलोड की गई है। ईसीएल की गतिविधियों का वॉल पोस्टर "ईसीएल समाचार" का नियमित प्रकाशन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर के पत्रकारों और मीडिया कर्मियों की उपस्थिति में ईसीएल के सीएमडी द्वारा प्रेस वार्ता

26.0 अधिशासी स्थापना :

अ) **प्रबंधन प्रशिक्षुओं एवं डॉक्टरों की ऑनबोर्डिंग :** गेट-2022 एवं सीबीटी-2022 और विकेंद्रीकृत चिकित्सा भर्ती-2021 और 2022 के माध्यम से भर्ती किए गए विभिन्न विषयों के कुल 20 अधिकारी वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ईसीएल में समाहित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, खनन, सिविल और भूविज्ञान विभाग के 27 प्रबंधन प्रशिक्षुओं ने गेट-2023 के माध्यम से भर्ती होने पर ईसीएल में प्रवेश लिया है। विभिन्न बैठकों/वीसी के माध्यम से, उनके पदस्थापन के संबंधित क्षेत्रों/स्थापना में भोजन/आवास और परिवहन से संबंधित व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया था।

आ) **निष्पादन प्रबंधन प्रणाली :** निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) की सभी गतिविधियाँ यथा पीएमएस लक्ष्य निर्धारण, मूल्यांकन, प्राइड अपील, पीएआर अपील और स्पैरो की सभी गतिविधियाँ निर्धारित समय के भीतर पूरी की गईं।

इ) **सलाहकार की नियुक्ति :** ईसीएल में तीन (03) सलाहकारों को संसाधित किया गया है। राजमहल, ईसीएल में सलाहकार (भू.रा.स.) की नियुक्ति द्वारा एक (01) पद भरा गया है और सलाहकार (भू.रा.स.)/पश्चिम बंगाल क्षेत्र के शेष एक पद के लिए कोई उपयुक्त आवेदन प्राप्त नहीं हुए थे। इसके अलावा, सलाहकार (पर्यावरण) के लिए नई अधिसूचना जारी करने संबंधी प्रस्ताव पर पहले ही संसाधित किया जा चुका है।

ई) **मेडिकल कार्ड निर्गमन :** ईसीएल मुख्यालय के ऑन-रोल अधिशासियों को कुल 143 फोटो मेडिकल कार्ड (अधिशासी और उनके आश्रित) निर्गत किए गए हैं।

उ) **जनवरी, 2024 में वार्षिक संपत्ति विवरणी दाखिल :** 2161 अधिशासियों ने 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक संपत्ति विवरणी (APR) दायर किया। यह कई पत्रों, ई-मेल संचार और क्षेत्रीय नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय के माध्यम से निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के साथ संभव हुआ था।

ऊ) **ईआईएस एवं एचआरएमएस रिकॉर्ड सृजन / अद्यतन एवं एसएपी का समाकलन :** ईआईएस/एचआरएमएस पर अब तक लगभग 268 रिकार्ड सृजित किए गए हैं और शेष 60 नए भर्ती किए गए प्रबंधन प्रशिक्षुओं के रिकार्ड शीघ्र ही पूरे किए जाने हैं। इसके अतिरिक्त, सभी 328 नए सदस्यों के संबंध में एसएपी डाटा के सृजन/अद्यतन करने के रिकार्ड ईआरपी प्रकोष्ठ को समयबद्ध रीति से भेज दिए गए हैं।

ऋ) **ईसीएल वेबसाइट पर स्थानांतरण, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक परिपत्र या नियमावलियों के कार्यालय आदेशों का प्रकाशन :** पीएमएस नियमावली और अन्य संबंधित परिपत्रों के साथ अधिशासियों के सभी स्थानांतरण आदेश ईसीएल की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जा रहे हैं और इसे ई-मेल के माध्यम से सभी संबंधितों को भेजा जा रहा है।

ऌ) **मासिक अधिशासी जनशक्ति और ईआईएस या जनशक्ति आँकड़ों पर आधारित नानाविध प्रतिवेदन :** ईआईएस/एचआरएमएस रिकार्डों को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है जिसके आधार पर विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें निर्मिति की जा रही हैं और उच्चतर प्रबंधन को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सुपुर्द की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रों और विषयों से आकड़ों के संकलन के बाद, मासिक अधिशासी जनशक्ति विवरणी की निर्मिति किया जा रहा है और हर अगले महीने के 7वें दिन तक जनशक्ति प्रकोष्ठ, ईसीएल को प्रस्तुत किया जा रहा है।

ऍ) **अनुकंपा नियोजन या एमएमसीसी दावों का प्रक्रमण :** पूरे महीने अनुकम्पा नियोजन/एमएमसीसी मामलों के लिए अर्हक दावों पर बिना किसी विलंब के कार्रवाई की गई और ईसीएल के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया गया।

27.0 कर्मियों का विवरण :

किसी भी कर्मचारी को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XIII के तहत कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ

28.0 निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक :

28.1 कार्यकारी निदेशक :

श्री एपी पांडा 27.12.2023 तक कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक थे और श्री समीरन दत्ता को 28.12.2023 से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में नियुक्त किया गया था और वित्तीय वर्ष के अंत तक निदेशक मंडल में थे। मो. अंजार आलम को 15.09.2022 से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया था। श्रीमती आहुती स्वाई को 18.11.2022 से निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री नीलेंदु कुमार सिंह को 09.12.2022 से निदेशक (तकनीकी) परियोजना और योजना के रूप में नियुक्त किया गया था और 29.04.2024 तक जारी रखा गया था। श्री नीलाद्रि रॉय को 01.02.2023 से निदेशक (तकनीकी) संचालन के रूप में नियुक्त किया गया था।

28.2 सरकार नामित निदेशकगण :

श्री बी. वीरा रेड्डी, निदेशक (तकनीकी), सीआईएल 18.03.2024 तक कंपनी के नामित निदेशक थे। श्री मुकेश अग्रवाल, निदेशक (वित्त), सीआईएल को 18.03.2024 से नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री हारा कुमार हाजोंग, आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय 30.06.2023 तक कंपनी के नामित निदेशक थे। श्री माणिक चंद्र पंडित, निदेशक, कोयला मंत्रालय को 19.07.2023 से नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

28.3 स्वतंत्र निदेशकगण :

श्रीमती धर्मशीला गुप्ता 13.02.2024 तक स्वतंत्र निदेशक थीं। श्री शिव नारायण पाण्डेय और श्री शिव तपस्या पासवान, जिन्हें 01.11.2021 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे, पूरे वर्ष निदेशक मंडल में थे।

28.4 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक :

श्री मोहम्मद अंजार आलम जिन्हें निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया है ने 15.09.2022 से सीएफओ का कार्यभार संभाला और वर्ष 2023-24 के दौरान सतत रहे। श्री रामबाबू पाठक उस वर्ष के दौरान कंपनी सचिव थे।

29.0 निगमित सुशासन :

निगमित सुशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शेयरधारकों की आकांक्षाओं और हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करना है। यह एक प्रतिबद्धता है जो शेयरधारकों के मूल्य, कामकाज में पारदर्शिता, मूल्यों और संगठन के सभी घटकों के बीच आपसी विश्वास को अधिकतम करने के मौलिक विश्वास द्वारा समर्थित है। निगमित सुशासन एक ऐसी संस्कृति है जो शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित की दिशा में कार्य करने के लिए निदेशक मण्डल, प्रबंधन और कर्मियों का मार्गदर्शन करती है। इसमें अनिवार्य रूप से विभिन्न हितधारकों के लिए एक रचनात्मक, उत्पादक और सकारात्मक पारिस्थितिकी तंत्र सम्मिलित है।

आपकी कंपनी शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने, सभी हितधारकों को सभी वास्तविक जानकारी के समय पर और संतुलित प्रकटीकरण और उनके हितों की सुरक्षा के प्राथमिक उद्देश्य के साथ सभी हितधारकों की आकांक्षाओं को पूरा करके संचालन के सभी क्षेत्रों में अधिक पारदर्शिता, खुलेपन, जवाबदेही और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने जोखिमों को कम करने और दिन-प्रतिदिन के व्यावसायिक कार्यों में भूमि के कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए आंतरिक नियंत्रण की एक मजबूत प्रणाली स्थापित की है।

29.1 लेखापरीक्षा समिति की संरचना :

31 मार्च, 2024 तक, लेखापरीक्षा समिति में दो (02) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक अर्थात् श्री शिव नारायण पाण्डेय और श्री शिव तपस्या पासवान; दो (02) अंशकालिक आधिकारिक निदेशक अर्थात श्री मुकेश अग्रवाल, निदेशक (वित्त), सीआईएल और श्री माणिक चंद्र पंडित, निदेशक, कोयला मंत्रालय और तीन (03) कार्यात्मक निदेशक अर्थात सुश्री आहुती स्वाई, निदेशक (कार्मिक); श्री नीलेंदु कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना और श्री नीलाद्रि रॉय, निदेशक (तकनीकी) प्रचालन सम्मिलित थे। श्री शिव नारायण पाण्डेय, अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक वित्तीय वर्ष के अंत तक लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष थे। निदेशक (वित्त) और विभागाध्यक्ष (आंतरिक लेखापरीक्षा) लेखापरीक्षा समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं और कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

29.2 सीएसआर समिति की संरचना :

बोर्ड की 261वीं बैठक में सीएसआर उप-समिति का गठन किया गया। 31 मार्च, 2024 तक समिति में दो (02) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक अर्थात् श्री शिव तपस्या पासवान और श्री शिव नारायण पाण्डेय और चार (04) कार्यात्मक निदेशक अर्थात् मोहम्मद अंजार आलम, निदेशक (वित्त); श्रीमती आहुती स्वाई, निदेशक (कार्मिक); श्री नीलेंदु कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना और श्री नीलाद्रि रॉय, निदेशक (तकनीकी) प्रचालन सम्मिलित थे। अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री शिव तपस्या पासवान वर्ष के अंत तक सीएसआर उप-समिति के अध्यक्ष थे। कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं और महाप्रबंधक (सीएसआर और कल्याण) इस समिति के लिए नोडल अधिकारी हैं।

29.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा :

निम्नलिखित स्वतंत्र निदेशकों ने 2024-25 के दौरान अपनी घोषणा दी थी कि वे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 की उप-धारा (6) में निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं:

अ) श्री शिव नारायण पाण्डेय एवं
आ) श्री शिव तपस्या पासवान

सीएमडी, ईसीएल और निदेशक (तकनीकी), सीआईएल की उपस्थिति में सीआईएल के अध्यक्ष श्री पी एम प्रसाद द्वारा समीक्षा बैठक

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के तहत आवश्यकतानुसार, स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा प्रस्तुत की थी कि वे एलओडीआर 2015 के विनियमन 16 (आई) के खंड (बी) में प्रदान किए गए स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और उन्हें किसी भी परिस्थिति या स्थिति के बारे में पता नहीं है, जो विद्यमान है या यथोचित रूप से प्रत्याशित हो सकती है जो एक उद्देश्यपूर्ण स्वतंत्र निर्णय के साथ और बिना किसी बाहरी प्रभाव के कर्तव्यों का निर्वहन करने की उनकी क्षमता को बाधित या प्रभावित कर सकती है।

29.4 निदेशक मण्डल को लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश :

लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को निदेशक मणडल द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

29.5 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उप-धारा (3) के तहत प्रदान की गई योग्यता, सकारात्मक गुणों, निदेशक की स्वतंत्रता और अन्य मामलों को निर्धारित करने के मानदंड सहित निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति :

एमसीए ने दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के तहत सरकारी कंपनियों के लिए उपर्युक्त को छूट दी थी।

29.6 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(4) के अधीन – निदेशकगणों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन की पारिश्रमिक नीति :

एमसीए ने दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के तहत सरकारी कंपनियों के निदेशकों के लिए उपर्युक्त को छूट दी थी।

29.7 संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था :

नियंत्रक कंपनी और नियंत्रक कंपनी की अन्य सहायक कंपनियों के साथ किए गए लेनदेन को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 23 (5) (ए) और (बी) के तहत छूट दी गई थी, जो दो सरकारी कंपनियों के बीच लेनदेन और नियंत्रक और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच किए गए लेनदेन थे, जिनके खाते नियंत्रक कंपनी के साथ समेकित होते हैं और अनुमोदन के लिए सामान्य बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखे जाते हैं। इसलिए फॉर्म एओसी 2 तैयार नहीं किया जाता है।

29.8 निदेशक मण्डलीय सदस्यों का परिचय कार्यक्रम :

निदेशक मंडल को व्यवसाय से संबंधित सभी मामलों, कंपनी द्वारा किए गए संबंधित जोखिम और शमन उपायों, कंपनी की नई पहलों आदि के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी जाती है। निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम, 2013, भेदिया व्यापार प्रतिषेध विनियम, 2015 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी गई। सभी स्वतंत्र निदेशकों अर्थात् श्रीमती धर्मशीला गुप्ता, श्री शिव तपस्या पासवान और श्री शिव नारायण पाण्डेय ने जुलाई, 2023 में हैदराबाद में आयोजित निदेशक संस्थान (आईओडी) द्वारा आयोजित 'स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम' में भाग लिया, प्रशिक्षण

प्रयास ने भाग लेने वाले निदेशकों के लिए व्यापक व्यावसायिक विकास और संवर्धन के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। श्री शिव तपस्या पासवान, स्वतंत्र निदेशक ने मार्च, 2024 में वाराणसी में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। श्रीमती आहुती स्वाईं, निदेशक (कार्मिक), ईसीएल ने मार्च, 2024 में शिमला में आयोजित सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

29.9 कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न का रोकथाम :

कंपनी के पास कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप एक लैंगिक उत्पीड़न विरोधी नीति है। आंतरिक परिवाद समिति (आईसीसी) लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित परिवादों के निवारण के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की प्रत्येक अनुषंगी कंपनी और कार्यालय में काम कर रही है। सभी महिला कर्मियों (स्थायी, संविदात्मक, अस्थायी, प्रशिक्षु) उक्त नीति के तहत कवर किए जाते हैं। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की आंतरिक परिवाद समिति (आईसीसी) के सदस्य निम्नानुसार हैं:

1. श्रीमती मंजु चौधुरी - अध्यक्ष
2. डॉ. सोमदत्ता मण्डल – सदस्य
3. सुश्री पृथ्या कनौजिया – सदस्य
4. श्री स्नेह तिवारी – सदस्य
5. श्री शुभम कुशवा – सदस्य
6. सुश्री पल्लवी हल्दार – एनजीओ सदस्य

वर्ष 2023-24 के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

30.0 लागत लेखापरीक्षा एवं लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स आर.जे. गोयल एंड कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए आपकी कंपनी की लागत लेखापरीक्षा किया और लागत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को निदेशक मंडल द्वारा 12 सितंबर, 2023 को आयोजित उनकी 366वीं बैठक में अनुमोदित किया गया। उपर्युक्त प्रतिवेदन 10 अक्टूबर, 2023 को एमसीए के साथ एक्सबीआरएल मोड में दायर की गई थी। मेसर्स के.जी. गोयल एंड एसोसिएट, जयपुर को वर्ष 2023-24 के लिए ईसीएल के लिए अग्रणी लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ई-फॉर्म सीआरए-2 को एसआरएन एफ 65143380 दिनांक 26 सितंबर, 2023 के माध्यम से एमसीए पोर्टल के साथ दायर किया गया है।

सोनपुर बाजारी, ईसीएल में एचईएमएम की शुरूआत क्षेत्र

31.0 सचिवालयिक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसरण में, कंपनी ने वर्ष 2023-24 के लिए एक सहकर्मी समीक्षात्मक कंपनी सचिव फर्म मेसर्स मेहता एंड मेहता, पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा सचिवालयिक लेखापरीक्षा आयोजित की थी। 24 मार्च, 2022 को आयोजित 360 वीं बोर्ड बैठक में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई थी। कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए प्रपत्र एमआर-3 में 'सचिवालयिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन' प्राप्त की है और उनकी टिप्पणी का उत्तर **उपाबंध-VIII** में संलग्न है।

32.0 भण्डार लेखापरीक्षा :

वित्तीय वर्ष 2018-19 से कंपनी में भण्डार लेखापरीक्षा की अवधारणा को लाया गया है। सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में लागू कार्य के संशोधित दायरे और संशोधित लेखा परीक्षा शुल्क के साथ भण्डारों के भौतिक सत्यापन के लिए भण्डार लेखापरीक्षकों की नियुक्ति पर सीआईएल के बोर्ड अनुमोदन के अनुपालन में, वर्ष

2019-20 और उसके बाद के लिए भण्डार लेखापरीक्षा आयोजित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की लेखापरीक्षा समाप्त हो गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 और उसके बाद तीन वर्षों की अवधि के लिए भंडार लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और यह प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भंडार बहीखाते में आवश्यक सुधार शामिल किया गया है और वार्षिक खातों में लेखांकन उपचार किया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, अपने सभी लेनदेन/गतिविधियों को डिजिटल रूप से संसाधित और अभिलिखित करने के लिए, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने एसएपी (ईआरपी) प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया है। कंपनी ने आक्रामक रूप से ई-ऑफिस पोर्टल को भी लागू किया और कंपनी के सभी प्रमुख स्तरों द्वारा इसका उपयोग करना अनिवार्य कर दिया। कंपनी के बही-खातों के रखरखाव के लिए लेखा सॉफ्टवेयर से संबंधित सांविधिक आवश्यकता का सामना करने के लिए, एसएपी (ईआरपी) के लेखा परीक्षा मॉड्यूल के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं ताकि कंपनी के सभी संबंधित व्यक्तियों को अपेक्षित ज्ञान प्रदान किया जा सके।

33.0 जोखिम प्रबंधन नीति

आपकी कंपनी ने कंपनी के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत जोखिम प्रबंधन संस्कृति बनाने के लिए जोखिम प्रबंधन चार्टर और जोखिम रजिस्टर को मंजूरी दे दी है। इकाई स्तर के जोखिम मूल्यांकन में रणनीतिक जोखिम, परिचालन जोखिम, वित्तीय जोखिम और अनुपालन जोखिम सम्मिलित हैं। रजिस्टर के अनुसार, विभिन्न जोखिमों की पहचान की गई है। पहचान किए गए प्रत्येक जोखिम के लिए जोखिम स्वामी और जोखिम न्यूनीकरण योजना के मालिक को भी नामित किया गया है ताकि इसकी निरंतर निगरानी और शमन सुनिश्चित किया जा सके। विभागाध्यक्षों के परामर्श से और जोखिम प्रबंधन समिति के मार्गदर्शन में मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की अध्यक्षता में एक जोखिम प्रबंधन टीम ने जोखिम जो मायने रखते है (आरटीएम) के लिए जोखिम शमन योजनाओं के निर्माण के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन ढांचे में परिकल्पित सुशासन प्रक्रिया को लागू किया था।

अध्यक्ष, सीआईएल और सीएमडी, ईसीएल द्वारा राजमहल क्षेत्र की समीक्षा

34.0 निदेशकगण का उत्तरदायित्व कथन :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा (5) के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मण्डल एतदद्वारा अभिव्यक्त और पुष्टि करते हैं कि :

अ. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा के निर्मिति में, तात्विक विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ समस्त प्रयोज्य भारतीय लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है;

आ. निदेशकगणों ने ऐसे लेखांकन नीतियों का चयन और उसे सतत लागू किया था तथा निर्णय एवं प्राक्कलनों किए थे जो युक्तियुक्त एवं प्रज्ञायुक्त है ताकि वित्तीय वर्ष के अंतिम में कंपनी के मामलों की दशाओं एवं उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ/हानि का सत्य एवं पारदर्शी रूप प्रदान किया जा सके;

इ. निदेशकगणों ने कंपनी की आस्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा कपट और अन्य अनियमितताओं के निवारण एवं पता लगाने के निमित्त कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित एवं पर्याप्त देखभाल की थी।

ई. निदेशकगणों ने चालू समुत्थान आधारित वार्षिक लेखा निर्मिति की थी;

उ. निदेशकगणों ने कंपनी द्वारा अनुसरण किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अभिकथित किए थे और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा प्रभावी ढ़ंग से कार्य कर रहे थे और

ऊ. निदेशकगणों ने सभी प्रयोज्य विधियों के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली की योजना बनाई थी और यह कि ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त एवं प्रभावी ढ़ंग से कार्य कर रही थीं।

35.0 अनुसंधान व विकास परियोजनाएँ :

कार्यरत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत प्रास्थिति **उपाबंध-I** में दी गई है।

36.0 विज्ञान व प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ :

कोयला मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजनाओं के क्रियान्यवन का विस्तृत प्रास्थिति **उपाबंध-II** में दी गई है।

37.0 विज्ञान व प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ परियोजना अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन की प्रास्थिति :

परियोजना अनुश्रवण के ब्यौरे एवं क्रियान्वयन की प्रास्थिति **उपाबंध-III** में उल्लिखित है।

38.0 प्रबंधकीय विवेचना एवं विश्लेषण प्रतिवेदन :

प्रबंधकीय विवेचना एवं विश्लेषण प्रतिवेदन को निदेशकगणों के प्रतिवेदन (**उपाबंध-IV**) का भागरूप एक पृथक खण्ड में प्रस्तुत किया जाता है।

अध्यक्ष, सीआईएल और निदेशक (तकनीकी), सीआईएल द्वारा नारायणकुरी, कुनुस्तोरिया क्षेत्र में हाईवॉल खनन की समीक्षा

39.0 निगमित सामाजिक दायित्व :

कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 135 (2) के अनुसरण में निगमित सामाजिक दायित्व का प्रतिवेदन निदेशक मण्डल प्रतिवेदन के भागरूप में बने पृथक अनुभाग में प्रस्तुत किया गया है। (**उपाबंध-V**)।

40.0 अभिस्वीकृति :

अधिमूल्यन की भावना के साथ आपके निदेशकगण समय-समय पर भारत सरकार मुख्यतः कोयला मंत्रालय, पर्यवारण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, पश्चिम बंगाल एवं झारखण्ड राज्य सरकार, कोल इंडिया लिमिटेड, विनिमयकारी व कानूनी निकायों से प्राप्त सहयोग की अभिस्वीकृति करते हैं।

आपके निदेशकगण ग्राहकों के समर्थन, विश्वास एवं प्रतिश्रय की प्रशंसा करते हैं। आपके निदेशकगण कंपनी के परियोजनाओं एवं खनन परिचालनों के निष्पादन में परामर्शियों, विक्रेताओं, संविदाकर्ताओं इत्यादि के योगदान की भी प्रशंसा करते हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षकों, लागत लेखापरीक्षकों, सचिवालयिक लेखापरीक्षकों, कर लेखापरीक्षकों, बैंकरों, कंपनियों के रजिस्ट्रार (पश्चिम बंगाल) और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षकों से प्राप्त मूल्यवान सुझावों की अभिस्वीकृति करते हैं।

आपके निदेशकगण कंपनी के कार्य-निष्पादन प्रदर्शन में कर्मियों के सम्मिलित प्रयासों एवं श्रमिक संगठनों के उदार समर्थन के लिए आपना आभार व्यक्त करना चाहेंगे।

41.0 अनुशेष :

प्रतिवेदन में निम्निलिखित कागजात उपाबंधित किए जाते हैं :

i. निगमित सुशासन पर प्रतिवेदन (उपाबंध – VI)

ii. 31 मार्च, 2024 के समाप्त वर्ष के लिए निगमित सुशासन पर डीपीई अनुदेश के उपखण्ड 8.2.1 के अनुसरण में निगमित सुशासन के शर्तों के अनुपालन संबंधित व्यावसायिक कंपनी सचिव से प्रमाण-पत्र (उपाबंध-VII)

iii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अधीन भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टीका-टिप्पणी और प्रबंधन प्रत्युत्तर।

iv. सांविधिक संपरीक्षकों के प्रतिवेदन और उसके आधार पर प्रबंधन के प्रत्युत्तर।

v. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) का अनुसरण कर व्यवसायतः कंपनी सचिव द्वारा प्रदत्त फॉर्म सं. एमआर-3 में सचिवालीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (उपाबंध-VIII)।

vi. विदेशी मुद्रा उपार्जन एवं व्यय (उपाबंध- IX)।

vii. कंपनी के अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के बाबत ब्यौरे (उपाबंध-X)।

viii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) के अधीन कंपनी के अंशकालिक पदीय निदेशकों द्वारा स्वावलंबन की घोषणा यथा उपाबंध-XI परिवेष्ठित किया गया है।

ix. वर्ष 2023-24 के लिए समझौता ज्ञापन की प्राप्ति की स्थिति (उपाबंध-XII)

x. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की वार्षिक विवरणी हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

(समीरन दत्ता)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08519303

स्थान: सांकतोड़िया
दिनांक: 30 जुलाई, 2024

उपाबंध - I

31 मार्च, 2024 तक की ईसीएल के कमान क्षेत्र में कार्यान्वयन किए गए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की प्रास्थिति :

क्रम सं	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	प्रारंभ होने की तिथि	पूर्णता की अधिसूचित तिथि	प्रगामी संवितरण (₹ लाख में)	प्रास्थिति
1.	कोयला खानों में सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार के लिए वर्चुअल रियलिटी माइन सिम्युलेटर (वीआरएमएस) का विकास। **परियोजना कोड:** सीआईएल/आर एवं डी/01/67/2017 **कार्यान्वयन अभिकरणे :** आईआईटी-आईएसएम, धनबाद, एस एवं आर विभाग, सीआईएल, ईसीएल, सीएमपीडीआई, रांची, एनसीएल, और एसएमआई-जेकेटेक प्राइवेट लिमिटेड, यूओक्यू, ऑस्ट्रेलिया	1410.40 आईआईटी-आईएसएम, - 1320.40 सीएमपीडीआई, रांची- 90.00	1 सितम्बर 2017	30 अप्रैल, 2024	₹1325.49 [आईआईटी-आईएसएम-1250.00; सीएमपीडीआईएल-75.49]	अ) 3600 इमर्सिव वीआरएमएस थिएटर का विकास और कार्यान्वयन पूरा हो चुका है। आ) खतरनाक खान पर्यावरण का अनुकरण करने और उससे निपटने के लिए आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रशिक्षण सहायता के साथ खान सुरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का कार्यान्वयन पूरा हो चुका है। इ) सुरक्षा और प्रचालन मॉड्यूल को कवर करते हुए एक ओपनकास्ट खान अर्थात निगाही ओसीपी, एनसीएल और एक भूमिगत खान अर्थात झांझरा भूमिगत खान, ईसीएल के लिए भारतीय वीएमएसटी अनुप्रयोग विकास। कुछ मौल 90% के करीब हैं, जिनमें से कुछ 70% पूर्णता चरण में हैं। हिंदी में वॉइस ओवर पूरा किया जाना है। एचएमडी निर्माण प्रगति पर है। ई) भारतीय वीएमएसटी अनुप्रयोग परिदृश्य जनरेटर परमाणुकरण - 54 परिदृश्यों में से, 45 70% तक निर्मित हैं। उ) प्रणाली एकीकरण पूरा हो चुका है और प्रशिक्षण प्रगति पर है।
2.	चल मशीनरी का लागत दक्ष सुरक्षित संक्रिया के लिए सद्यकाल पुर्वानुमान प्रणाली (आरटीपीएस) के विकास व अंगीकरण : डम्पर काफिला का शोकेस प्रदर्शन। **परियोजना कोड :** सीआईएल/आर एवं डी/1/71/2019 **कार्यान्वयन अभिकरणे:** आईआईटी, खड़गपुर; सीआईएमएफआर, धनबाद; लुलेया टेकनोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, स्वीडन एवं ईसीएल सांकतोड़िया	440.30 आईआईटी, खड़गपुर – 180.36 ; सीआईएमएफआर - ₹180.00; एलटीयू, स्वीडन – 79.94	16 दिसंबर, 2019	15 मार्च 2023	300.00 [आईआईटी, खड़गपुर – 130.0 ; सीआईएमएफआर – 130.00 ; एलटीयू – 40.00]	परियोजना पूरी हो गई है और पूरण प्रतिवेदन स्वीकार कर ली गई है।
3.	भूमिगत कोयला खानों में विद्युत ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में वेंटिलेशन फैन विंड पावर रिकवरी सिस्टम का डिजाइन और परिनियोजन। **परियोजना कोड:** सीआईएल/आर एवं डी/04/12/2021 **कार्यान्वयन अभिकरणे:** आईआईटी-आईएसएम, धनबाद और ईसीएल, सांकतोड़िया	66.70 आईआईटी-आईएसएम – 66.70 ; ईसीएल - शून्य	10 फरवरी, 2021	9 फरवरी, 2024	54.00 [आईआईटी-आईएसएम - 54.00 ; ईसीएल – शून्य]	परियोजना पूर्ण हो चुकी है और पूरण प्रतिवेदन की निर्मिति प्रक्रियाधीन है।

क्रम सं	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	प्रारंभ होने की तिथि	पूर्णता की अधिसूचित तिथि	प्रगामी संवितरण (₹ लाख में)	प्रास्थिति
4.	भूमिगत कोयला खानों में प्रयुक्त चानक तल बफर के लिए पाती जाँच प्रसुविधा का अभिकल्प व विकास **परियोजना कोड :** सीआईएल/आर एवं डी/1/74/2021 **कार्यान्वयन अभिकरणे :** सीएमईआरआई, दुर्गापुर एवं ईसीएल, सांकतोड़िया	248.61 सीएमईआरआई-248.61 ; ईसीएल - शून्य	10 फरवरी, 2021	9 अगस्त, 2023	230.00 [सीएमईआरआई – 230.00 ; ईसीएल - शून्य	परियोजना पूरी हो गई है और पूरण प्रतिवेदन भी स्वीकार कर ली गई है।
5.	खनि प्रवणता प्रास्थिति अनुश्रवण के लिए सद्यकाल ऊर्जा दक्षता साइबर-भौतिक आसूचना प्रणाली। **परियोजना कोड :** सीआईएल/आर एवं डी/1/77/2022 **कार्यान्वयन अभिकरणे :** आईआईटी-आईएसएम, धनबाद; सीएमपीडीआईएल एवं ईसीएल	263.75 आईआईटी-आईएसएम-238.97 सीएमपीडीआई -24.78	1 फरवरी, 2022	31 जुलाई 2024	206.33 [आईआईटी-आईएसएम - 195.00; सीएमपीडीआईएल-11.33]	अ) फील्ड डाटा एकत्र करने के लिए सोनपुर बाजारी, ईसीएल का क्षेत्र भ्रमण किया गया। आ) स्केल किए गए मॉडल में सेंसर एकीकरण प्रयोगशाला में शुरू किया गया है। प्रारंभिक चरण में परिसर में छोटे पैमाने पर फील्ड स्थापना की तैयारी। इ) माइक्रो-इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम का लैब स्केल परीक्षण किया जाता है। जिग बी नेटवर्क और एमएसएमई एक्सेलेरोमीटर एकीकरण किया गया। ई) संख्यात्मक मॉडलिंग चल रही है; विभिन्न भू-खनन मापदंडों में भिन्न 1000 से अधिक मॉडल विकसित किए और खदान डंप के व्यवहार में परिवर्तन का विश्लेषण किया। उ) मंत्रालय की निविदा से ग्लोबल टेंडरिंग के लिए अनुमति मांगी गई है, जिसका अभी इंतजार है। ऊ) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर है।
6.	भूमगित कोयला खानों में वृहत् जल शीर्ष के प्रतिकूल संरक्षी रोध स्तंभ का अभिकल्प। **परियोजना कोड:** सीआईएल/आर एवं डी/1/75/2021 **कार्यान्वयन अभिकरणे:** आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी एवं ईसीएल, सांकतोड़िया	87.47 आईआईटी-बीएचयू – 87.47	1 मई 2021	31 अक्टूबर 2023	65.00 [आईआईटी-बीएचयू – 65.00]	परियोजना पूरी हो गई है और पूरण प्रतिवेदन स्वीकार कर ली गई है।
7.	खुली खदान के डंप पर ब्लास्टिंग का प्रभाव और ब्लास्ट प्रेरित कंपन और डंप डिजाइन के बीच संबंधों का विकास। **परियोजना कोड :** सीआईएल/आर एवं डी/01/73/2021 **कार्यान्वयन अभिकरणे :** सीएमपीडीआई (मुख्यालय), रांची; आईआईटी-आईएसएम, धनबाद और बीआईटी, मेसरा	344.22 सीएमपीडीआई – 202.96 आईआईटी-आईएसएम -108.26 बीआईटी फ्रेंडली - 33.00	10 फरवरी, 2021	09 अगस्त, 2023	251.59 [सीएमपीडीआईएल - 121.59 आईआईटी-आईएसएम -100.00 अनुकूल बीआईटी -30.00]	परियोजना पूरी हो गई है और पूरण प्रतिवेदन स्वीकार कर ली गई है।

क्रम सं	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	प्रारंभ होने की तिथि	पूर्णता की अधिसूचित तिथि	प्रगामी संवितरण (₹ लाख में)	प्रास्थिति
8.	मुगमा क्षेत्र, ईसीएल के श्यामपुर बी कोलियरी के लिए सतत खनित्र (सीएम) तैनाती द्वारा पेस्ट फिल प्रौद्योगिकी और निष्कर्षण पद्धति के लिए अग्रानुक्रम दृष्टिकोण का विकास **परियोजना कोड:** सीआईएल/आर एवं डी/04/18/2022 **कार्यान्वयन अभिकरणे :** ईसीएल, सांकतोड़िया एवं सीआईएमएफआर, धनबाद	4997.45 ईसीएल: 4822.66 सीआईएमएफआर: 174.79	15 सितंबर, 2022	14 सितंबर, 2024	4920.00 ईसीएल: 4790.00 सीआईएमएफआर: 130.00	अ) ईसीएल ने प्रस्तावित संयंत्र की स्थापना के लिए निविदा जारी की है, जिसमें केवल एक बोलीदाता ने भाग लिया। निविदा समिति ने संभावित बोलीदाताओं से सुझाव/फीडबैक प्राप्त होने के बाद संशोधित एनआईटी/निविदा दस्तावेज के लिए सिफारिश की। टीसी की सिफारिश समीक्षा के लिए आरआई-आई, सीएमपीडीआई को भेज दी गई है। आ) पेस्ट की क्षमता में सुधार के लिए सीआईएमएफआर, धनबाद में प्रयोग किए जा रहे हैं। इ) सीआईएमएफआर द्वारा दो उपस्करों की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।
9.	नरम कवर के तहत खंभों के निष्कर्षण के लिए सुरक्षित पार्टिंग मोटाई और इष्टतम गोफ एज समर्थ आवश्यकता का आकलन। **परियोजना कोड :** सीआईएल/आर एवं डी/01/79/2022 **कार्यान्वयन अभिकरणे :** आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी; ईसीएल, सांकतोड़िया; सीसीएल, राँची एवं एसईसीएल, बिलासपुर	182.29 आईआईटी-बीएचयू: 182.29	2 जनवरी, 2023	1 जनवरी, 2025	100.00 आईआईटी-बीएचयू: 100.00	अ) परियोजना के लिए साहित्य सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और यदि कोई पेपर प्राप्त होता है तो नवीनतम संदर्भों के साथ अद्यतन किया जाएगा। आ) ईसीएल और सीसीएल में फील्ड अध्ययन के लिए प्रायोगिक स्थलों की पहचान की गई है और स्थल को अंतिम रूप देने के लिए एसईसीएल से अनुसरण किया जा रहा है। वेधन के लिए दूसरी बार निविदा आमंत्रित की गई है और प्रतीक्षा समय समाप्त होने वाला है क्योंकि अल्प प्रतिक्रिया के कारण पहली निविदा सफल नहीं हो सकी। इ) संख्यात्मक मॉडल तैयार किए गए हैं और लगातार चलाए जा रहे हैं और पैरामीट्रिक रेंज की भी पहचान की गई है। ई) उपकरण के लिए निविदा संसाधित की गई है और खरीद आदेश शीघ्र ही जारी किए जाने हैं। उ) संशोधित समय-सीमा के भीतर पूरा होने की प्रत्याशा है।
10.	भारतीय भू-खनन स्थिति में प्रौद्योगिकी स्थापित करने के लिए भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) पर एक पायलट परियोजना **कार्यान्वयन एजेंसियां:** ईईटीआई, कनाडा ; सीएमपीडीआई, रांची ; ईसीएल, सांकतोड़िया	6941.64 चरण -1: 2309.63 ईईटीआई, कनाडा-1889.51; सीएमपीडीआईएल-116.23; ईसीएल- 24.78 विदेशी मुद्रा/अन्य कर-279.11	29 मार्च 2024	28 दिसंबर, 2024	-	पायलट परियोजना 28.03.2024 को आरंभ कि या गया था।

31 मार्च, 2024 तक की ईसीएल के कमान क्षेत्र में कार्यान्वयन किए गए कोयला मंत्रालय द्वारा निधिक वैज्ञानिक और तकनीकी परियोजनाओं के कोयले की प्रास्थिति :

क्रम सं.	कोड के साथ परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	प्रारंभ होने की तिथि	पूर्णता की पुनरीक्षित/ अधिसूचित तिथि	प्रगामी संवितरण (₹ लाख में)	प्रास्थिति
1.	खान सुरक्षा एवं उत्पादकता वर्धन के लिए दीर्घभित्ति परिरक्षक दाबों के अनुश्रवण, विश्लेषण एवं निर्वचन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ स्वदेशी विकास। **परियोजना कोड :** एमटी-172 **कार्यान्वयन अभिकरणे :** सीएमपीडीआईएल, राँची; आईआईटी, खड़गपुर एवं ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सांकतोड़िया	471.00 आईआईटी खड़गपुर – 367.16 सीएमपीडीआईएल – 103.84 ईसीएल- शून्य	1 दिसम्बर, 2020	31 मार्च, 2024	339.98 आईआईटी खड़गपुर – 320.00 सीएमपीडीआईएल – 19.98 ईसीएल- शून्य	अ) शियरर स्थिति निगरानी और विश्लेषण प्रणाली की अधिप्राप्ति की गई है और वर्तमान में लांगवॉल फेस में चालू शीयर में स्थापित किया गया है। अन्य सभी उपकरणों की अधिप्राप्ति कर ली गई है। आ) हाइड्रोलिक चॉक-शील्ड पावर सपोर्ट में डिजिटल दबाव सेंसर स्थापित करने के लिए उपकरण निर्माता सीओडीसीओ से प्राप्त अनुमति कर ली गई है। इ) फील्ड परीक्षण के लिए शक्ति समर्थन की पहचान और चयन के लिए फील्ड दौरा किया गया। ई) डेटा के हस्तांतरण के लिए, फाइबर ऑप्टिक केबल (लंबाई में 5 किमी) को लांगवॉल पैनल में सतह से भूमिगत तक बिछाया गया है। उ) मास्टर कंट्रोलर स्थापित करने के लिए मेन गेट रोड ट्रॉली को बनाया गया है और लॉन्गवॉल फेस पर ले जाया गया है। ऊ) अग्रिम रूप में ढाल दबाव भिन्नताओं के पैटर्न को फिर से व्यवस्थित करने के लिए एल्गोरिदम विकसित किया गया है। ऋ) डेटा अधिग्रहण प्रणाली का स्वदेशी विकास प्रगति पर है। ऌ) झांझरा लॉन्गवॉल पैनल में विकसित प्रणाली के फील्ड ट्रायल की अनुमति के लिए 09.02.2022 को डीजीएमएस में आवेदन किया। डीजीएमएस की अनुमति 19.05.2022 को प्राप्त हुई। ऍ) झांझरा भूमिगत खान, ईसीएल में हाल ही में पूरा हुए लॉन्गवॉल पैनल में फील्ड ट्रायल किया गया। फील्ड ट्रायल अगले लॉन्गवॉल पैनल में जारी रखा जाएगा। ऐ) डेटा प्रस्तुति मॉड्यूल तैयार है और वर्तमान में सतह पर यूजी डेटा प्राप्त किया जा रहा है। कंप्यूटर सर्वर में यूजी फील्ड डेटा की मात्रा के आधार पर इसे और अपग्रेड किया जाएगा। ए) इन मॉड्यूल को सूचना प्रौद्योगिक सक्षम बनाया जाएगा और एक ऐप के माध्यम से मोबाइल फोन पर भेजा जाएगा। ऐ) परियोजना प्रतिवेदन निर्मिति के अधीन है।

क्रम सं.	कोड के साथ परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	प्रारंभ होने की तिथि	पूर्णता की पुनरीक्षित/ अधिसूचित तिथि	प्रगामी संवितरण (₹ लाख में)	प्रास्थिति
2.	भू-भौतिकीय तकनीक प्रयुक्त भूमिगत कोयला खानों में पूराने कार्य-स्थल अनधिगम्य में खनन प्रभावित उप-सतही कोटरों एवं जलभराव क्षेत्रों के कारण जोखिमों का अध्ययन। **परियोजना कोड :** एमटी-173 **कार्यान्वयन अभिकरणे :** आईआईटी-आईएसएम, धनबाद एवं ईसीएल, सांकतोड़िया	199.96 आईआईटी-आईएसएम-199.96 ईसीएल – शून्य	15 मार्च, 2021	14 मार्च, 2023	199.00 आईआईटी-आईएसएम -199.00 ईसीएल – शून्य	परियोजना पूरी हो गई है और पूरण प्रतिवेदन भी स्वीकार कर ली गई है।
3.	सुरक्षा और उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से भूमिगत खानों के खतरे की निगरानी के लिए एक उपकरण के रूप में सूक्ष्म भूकंपीयता का उपयोग। **प्रोजेक्ट कोड:** MT-178 **कार्यान्वयन अभिकरणे :** आईआईटी, खड़गपुर; सीएमपीडीआईएल, राँची एवं ईसीएल, सांकतोड़िया	199.78 आईआईटी, खड़गपुर: 145.50 सीएमपीडीआई: 54.28 ईसीएल-शून्य	29 दिसंबर, 2022	28 दिसम्बर, 2024	100.00 आईआईटी, खड़गपुर: 100.00 सीएमपीडीआई: कुछ नहीं ईसीएल: कुछ नहीं	अ) साहित्य सर्वेक्षण आरंभ हुआ। आ) उपकरणों की अधिप्राप्ति आरंभ हुआ। इ) परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए ईसीएल अधिकारियों के साथ क्षेत्र का दौरा किया गया और चर्चा की गई। ई) जीयूआई का विकास प्रक्रियाधीन है।
4.	ओपनकास्ट खानों के लिए एआई-सक्षम धूल दमन प्रणाली का डिजाइन और विकास **परियोजना कोड :** एमटी-181 **कार्यान्वयन अभिकरणे :** सीएमईआरई, दुर्गापुर सी-डैक, तिरूवंतपुरम यूसीएलटी, राँची ईसीएल, सांकतोड़िया	340.84 सीएमईआरआई-139.71 सी-डैक-151.57 यूसीएलटी- 49.56 ईसीएल- शून्य	8 जनवरी 2024	7 जनवरी 2026	137.91 [सीएमईआरआई – 50.00, सी-डैक – 50.91, यूसीएलटी – 37.00, ईसीएल – शून्य]	साहित्य सर्वेक्षण और आवश्यकता को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है।

चालू परियोजनाओं के परियोजना अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन प्रास्थिति :

क्रम.	परियोजना का नाम	स्वीकृत पूँजी (₹ करोड़)	अनुमोदन की मूल तिथि	पूरण की अधिसूचित तिथि	पूरण की प्रत्याशित तिथि	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
1.	सोनपुर बजारी विस्तारित खुली खदान (12.00 मि.टन प्रति वर्ष)	5365.88	जुलाई, 2021	मार्च, 2029	मार्च, 2029	वर्ष के दौरान प्राप्त उत्पादन 2021-22 : 9.62 मि. टन 2022-23 : 11.999 मि. टन 2023-24 : 12.374 मि. टन
2.	हुर्रा सी खुली खदान (3.00 मि.टन प्रति वर्ष)	ईसीएल अंश : 859.41 (वर्तमान 289.42 सहित)	अगस्त, 2022	मार्च, 2029	मार्च, 2029	चरण-II वानिकी सहमति प्राप्त किया गया और भूमि पर दखल दियानी प्रक्रियाधीन है। वर्ष के दौरान प्राप्त उत्पादन 2022-23: 0.239 मि.टन 2023-24: 2.074 मि.टन
3.	झांझरा विस्तारित भूमिगत (5.00 मि.टन प्रति वर्ष)	1210.12	अप्रैल, 2020	मार्च, 2029	मार्च, 2029	वर्ष के दौरान प्राप्त उत्पादन 2021-22: 3.63 मि.टन 2022-23: 2.917 मि.टन 2023-24: 2.659 मि.टन
4.	न्यू केन्दा खुली खदान परियोजना (1.20 मि.टन प्रति वर्ष)	127.72	नवम्बर, 2014	मार्च, 2019	मार्च, 2023	28.12.2018 को कोयला उत्पादन आरंभ हुआ। वर्ष के दौरान प्राप्त उत्पादन 2021-22: 0.241 मि.टन 2022-23: 0.014 मि.टन 2023-24: 0.622 मि.टन
5.	चितरा पूर्वी खुली खदान (आरसीई) (2.50 मि.टन प्रति वर्ष)	513.99	अगस्त, 2018	मार्च, 2024	मार्च, 2024	वर्ष के दौरान प्राप्त उत्पादन 2021-22: 0.990 मि.टन 2022-23: 1.031 मि.टन चरण-II वानिकी सहमति प्राप्त किया गया और भूमि पर दखल दियानी तथा पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन का कार्य प्रगति पर है। 2023-24: 1.755 मि.टन
6.	मोहनपुर विस्तारित खुली खदान (2.50 मि.टन प्रति वर्ष)	888.99	नवंबर, 2020	मार्च, 2026	मार्च, 2026	वर्ष के दौरान प्राप्त उत्पादन 2021-22: 0.769 मि.टन 2022-23: 1.082 मि.टन 2023-24: 2.000 मि.टन भूमि पर दखल दियानी तथा पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन का कार्य प्रगति पर है।

क्रम.	परियोजना का नाम	स्वीकृत पूँजी (₹ करोड़)	अनुमोदन की मूल तिथि	पूरण की अधिसूचित तिथि	पूरण की प्रत्याशित तिथि	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
7.	खोट्टाडीह सीएम भूमिगत (0.60 मि.टन प्रति वर्ष)	127.17	मई, 2015	मार्च, 2016	मार्च, 2023	मार्च 2021 में सतत खनित्र (सीएम) चालू किया गया है। वर्ष के दौरान कोयला उत्पादन 2022-23: 0.539 मि.टन (सीएम से 0.332 मि.टन सहित) 2023-24 के दौरान प्राप्त कोयला उत्पादन : 0.521 मि.टन (झांझरा के तीसरे एलएचसीएम से 0.014 मि.टन एवं एसएचसीएम से 0.273 मि.टन सहित)
8.	सिदुली (खुली खदान : 1.20 एवं भूमिगत : 1.63 मि.टन प्रति वर्ष)	535.18	मई, 2018	मार्च, 2026	मार्च, 2026	संशोधित सिदुली ओसी पैच (फेज-I) के लिए 02.01.2024 को एलओए जारी किया गया। कार्य आदेश 30.01.2024 को जारी किया गया था और ओबी हटाव फरवरी, 2024 में शुरू हुआ था।
9.	नकराकोंडा कुमारडीह बी खुली खदान (3.00 मि.टन प्रति वर्ष)	502.68	अगस्त, 2018	मार्च, 2029	मार्च, 2029	18.04.2022 को कोयला उत्पादन आरंभ हुआ। वर्ष के दौरान प्राप्त उत्पादन 2022-23: 0.444 मि.टन 2023-24: 0.218 मि.टन
10.	तिलाबोनी भूमिगत (1.86 मि.टन प्रति वर्ष)	ईसीएल अंश: 749.07 (वर्तमान 39.53 सहित)	जनवरी, 2023	मार्च, 2027	मार्च, 2027	मेसर्स जेएमएस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को 30.03.23 को करार पत्र जारी किया गया करार 02.06.2023 को हस्ताक्षरित किया गया। 12.03.2024 को पैनल के विकास के लिए आर-VIII टॉप सीम में एक एलएचसीएम परिनियोजित किया गया है।
11.	परासिया-बेलबाद भूमिगत (2.07 मि.टन प्रति वर्ष)	ईसीएल अंश: 389.10 (वर्तमान 106.52 सहित)	जनवरी, 2023	मार्च, 2027	मार्च, 2027	मेसर्स गेनवेल कॉमोसेल्स प्राइवेट लिमिटेड को 30.03.2023 को एलओए जारी किया गया। शाफ्ट सिंकिंग और इनलाइन ड्रिवेज अक्टूबर, 2023 से शुरू हुआ। एमडीओ द्वारा शाफ्ट डूबने का कार्य शुरू कर दिया गया है। खनन प्रचालन शुरू होने की अपेक्षित तिथि 31.07.2024 है।
12.	श्यामसुंदरपुर भूमिगत (सर्पी इकाई सहित) (1.59 मि.टन प्रति वर्ष)	483.65	अप्रैल, 2020	मार्च, 2026	मार्च, 2026	वर्ष के दौरान प्राप्त उत्पादन 2021-22: 0.645 मि.टन 2022-23: 0.661 मि.टन 2023-24: 0.720 मि.टन
13.	बोनजेमेहारी विस्तारित खुली खदान परियोजना (1.00 मि.टन प्रति वर्ष)	570.12	अगस्त, 2021	मार्च, 2026	मार्च, 2026	आउटसोर्सिंग द्वारा 44.41 लाख घनमीटन ओबी को हटाने के साथ 11.54 लाख टन कोयले के निष्कर्षण के लिए एक्ससेंट्रिक वाइब्रो रिपर का परिनियोजन के लिए 17.10.2022 को एलओए जारी किया गया। 30.11.2022 को कमीशन किया गया। वर्ष के दौरान प्राप्त उत्पादन 2022-23: 0.044 मि.टन 2023-24: 0.321 मि.टन
14	इटापाड़ा ओसीपी (3.50 मि.टन प्रति वर्ष)	ईसीएल अंश : 929.09	दिसंबर, 2023	मार्च, 2030	मार्च, 2030	मेसर्स आर. के ट्रांसपोर्ट कंपनी को एमडीओ मोड में 08.05.2023 को एलओए जारी किया गया और 10.06.2023 को करार पर हस्ताक्षर किए गए। खनन परिचालन 10.09.2023 से शुरू हुआ। कोयला उत्पादन 20.12.2023 से शुरू हुआ। 2023-24: 0.172 मि.टन

प्रबंधकीय विवेचना व विश्लेषण प्रतिवेदन

एक आघात-सह अर्थव्यवस्था :

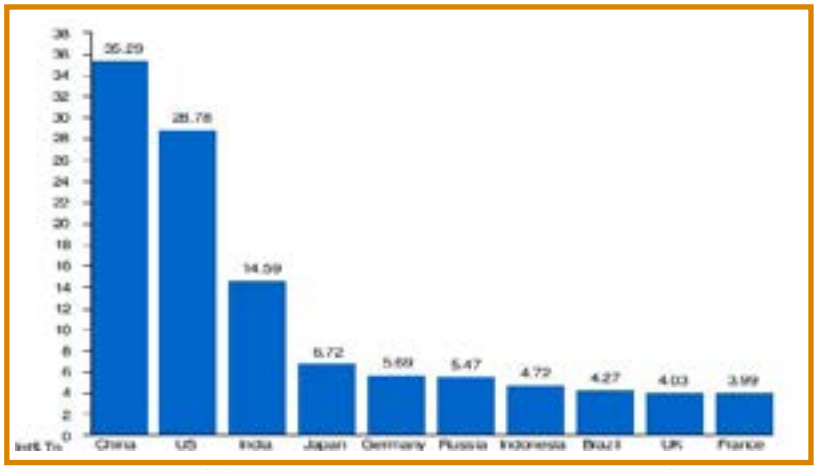

विभिन्न देशों की क्रय शक्ति समता (पीपीपी) (ट्रिलियन डॉलर यूएस में)

भारत की अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद चीन ($35.29 ट्रिलियन) और संयुक्त राज्य अमेरिका ($28.78 ट्रिलियन) के पीछे $14.59 ट्रिलियन है। बाजार विनिमय दर पर, $3.942 ट्रिलियन का भारत का सकल घरेलू उत्पाद इसे दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पांचवें स्थान पर ले जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का वित्तीय वर्ष 2023-24 में गत वर्ष के 7.00% की तुलना में 8.20% तक मामूली विस्तार हुआ है। भारतीय आर्थिक सुधार में उछाल बढ़ती मुद्रास्फीति, आपूर्ति शृंखला व्यवधानों, भू-राजनीतिक तनाव आदि से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहा है, जो अनुमानित विकास दर को नीचे खींच रहा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) अर्थात् कोर मुद्रास्फीति और गैर-खाद्य मुद्रास्फीति दर उच्च बनी हुई है। पूरे वित्तीय वर्ष 2023-24 में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर भी दोहरे अंकों में थी, इसलिए जीडीपी अनुमानों को उच्च अपस्फीतिकारकों द्वारा शामिल किया गया है। अतः, अर्थव्यवस्था में निरंतर उच्च मुद्रास्फीति नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय है। इसके अलावा, पिछले वर्षों में महामारी के दौरान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई थी, और अब भी बहुत नाजुक स्थिति में है। कई देशों के लिए रूस-यूक्रेन युद्ध से बिगड़ती स्थिति बढ़ गई है, विशेष रूप से जो बाहर से ऊर्जा संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

यदि हम ऊर्जा की माँग को हाल की गर्मी की लहर द्वारा समर्थित आर्थिक विस्तार का बैरोमीटर मानते हैं, तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीक पावर की मांग पिछले साल के पहले के उच्च स्तर को पार करते हुए 243 गीगावॉट को पार कर गई है, जो अर्थव्यवस्था में लचीलापन दिखाने के लिए पूर्व-कोविड स्तर से बहुत अधिक है, जहाँ बिजली की माँग कुल ऊर्जा माँग का एक बड़ा हिस्सा है। इस पृष्ठभूमि पर, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि जीवाश्म ईंधन के रूप में कोयला भारत में बहुतायत में उपलब्ध है और राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 55% पूरा करता है। इसलिए जीविका के लिए कोयले की प्रासंगिकता को भारत में दूर नहीं किया जा सकता है।

विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के अनुमान के अनुसार भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।

पिछले दस वर्षों के दौरान ताप विद्युत परियोजनाओं को कोयले का प्रेषण और कोयले की खपत/उठान

(मात्रा एमटी में)

वर्ष	कोयला प्रेषण				कुल उठाव	विकास (%)
	पावर (उपयोगिता)	बिजली (उपयोगिता) की वृद्धि (%)	शक्ति (बंदी)	शक्ति की वृद्धि (%) (बंदी)		
2013-14	394.529		54.423		572.06	
2014-15	435.438	10%	62.263	14%	603.772	6%
2015-16	483.124	11%	34.645	-44%	632.442	5%
2016-17	490.987	2%	44.057	27%	645.978	2%
2017-18	519.582	6%	65.906	50%	690.003	7%
2018-19	567.645	9%	76.780	16%	732.794	6%
2019-20	534.256	-6%	77.153	0%	707.176	-3%
2020-21	528.945	-1%	45.786	-41%	690.884	-2%
2021-22	671.702	27%	38.158	-17%	819.213	19%
2022-23	732.48	9%	52.647	38%	877.369	7%

भारत में कोयला निचय

सीएमपीडीआई, एमईसीएल, जीएसआई, एससीसीएल और अन्य द्वारा अनुमानित संसाधनों के आधार पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा विनिर्मित 01.04.2023 की स्थिति के अनुसार और 1200 मीटर की गहराई तक भारतीय कोयले के भूवैज्ञानिक संसाधनों की वस्तुसूची 378.21 बि.टन है। संसाधन मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में पाए गए हैं। भारत में, कोयला इसकी उपलब्धता और सामर्थ्य के कारण ताप विद्युत संयंत्रों को चालू करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रमुख ईंधन है.

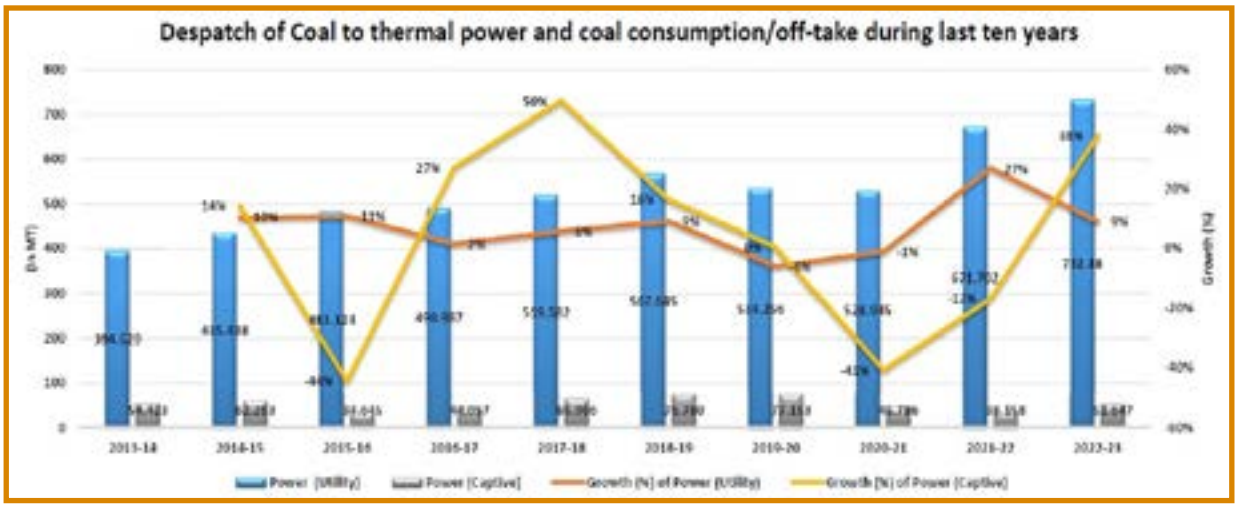

01.04.2023 को यथा प्रकार-वार और श्रेणी-वार संसाधन :

(संसाधन मिलियन टन में)

गहराई सीमा (मी.)	प्रमाणित	सूच्य	निष्कर्षित	कुल
उत्तम कोककर :				
0-300	2.21	शून्य	शून्य	2.21
0-600	4509.27	शून्य	शून्य	4509.27
300-600	0.34	शून्य	शून्य	0.34
600-1200	620.83	185.64	शून्य	806.47
0-1200	**5132.65**	**185.64**	शून्य	**5318.29**
मध्यम कोककर :				
0-300	8140.06	3770.86	35.47	11946.39
0-600	4644.67	शून्य	शून्य	4644.67
300-600	1964.70	4313.90	678.97	6957.57
600-1200	1750.08	2181.42	1046.99	4978.49
0-1200	**16499.51**	**10266.18**	**1761.43**	**28527.12**
अर्ध कोककर :				
0-300	340.42	125.80	0.55	466.77
0-600	Nil	शून्य	शून्य	शून्य
300-600	130.19	659.82	58.09	848.10
600-1200	59.07	295.85	127.69	482.61
0-1200	**529.68**	**1081.47**	**186.33**	**1797.48**
उच्च सल्फर :				
0-300	407.96	105.02	940.56	1453.54
0-600	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
300-600	185.85	16.15	शून्य	202.00
600-1200	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
0-1200	**593.81**	**121.17**	**940.56**	**1655.54**
अकोककर :				
0-300	126150.90	55789.81	6085.29	188026.00
0-600	6075.22	26.78	शून्य	6102.00
300-600	39346.35	63236.57	12119.78	114702.70
600-1200	5575.78	20974.44	5527.93	32078.15
0-1200	**177148.25**	**140027.60**	**23733.00**	**340908.85**
कुल	**199903.90**	**151682.06**	**26621.32**	**378207.28**

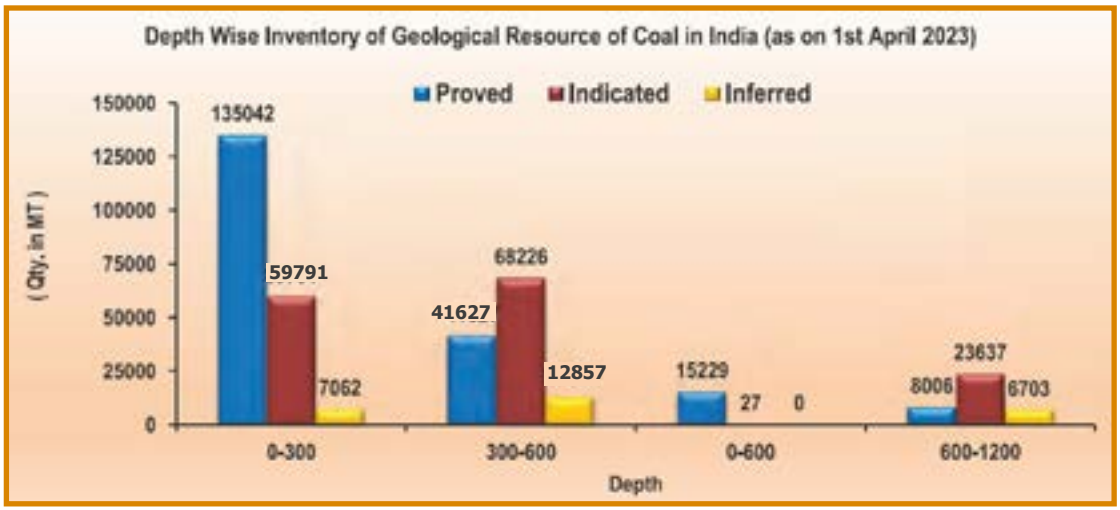

भारत में कोयले के राज्यवार भूवैज्ञानिक संसाधन:

01.04.2023 को यथा :

(संसाधन मिलियन टन में)

राज्य	मापित	सूच्य	निष्कर्षित	संसाधन
ओड़िशा	52046.19	37536.32	4936.08	94518.59
झारखण्ड	55749.18	26994.01	5094.91	87838.10
छत्तीसगढ़	37236.35	42293.97	1243.55	80773.87
पश्चिम बंगाल	17459.34	12698.82	3775.12	33933.28
मध्य प्रदेश	15279.27	12456.93	4482.33	32218.53
तेलंगाना	11256.78	8496.57	3433.07	23186.42
महाराष्ट्र	8064.76	3424.65	1846.59	13336.00
बिहार	309.53	5040.18	47.96	5397.67
आंध्र प्रदेश	1024.65	2368.94	778.17	4171.76
उत्तर प्रदेश	884.04	177.76	शून्य	1061.80
मेघालय	89.04	16.51	470.93	576.48
असाम	464.78	57.21	3.02	525.01
नागालैंड	8.76	21.83	447.72	478.31
सिक्किम	Nil	58.25	42.98	101.23
अरूणाचल प्रदेश	31.23	40.11	18.89	90.23
कुल	**199903.90**	**151682.06**	**26621.32**	**378207.28**

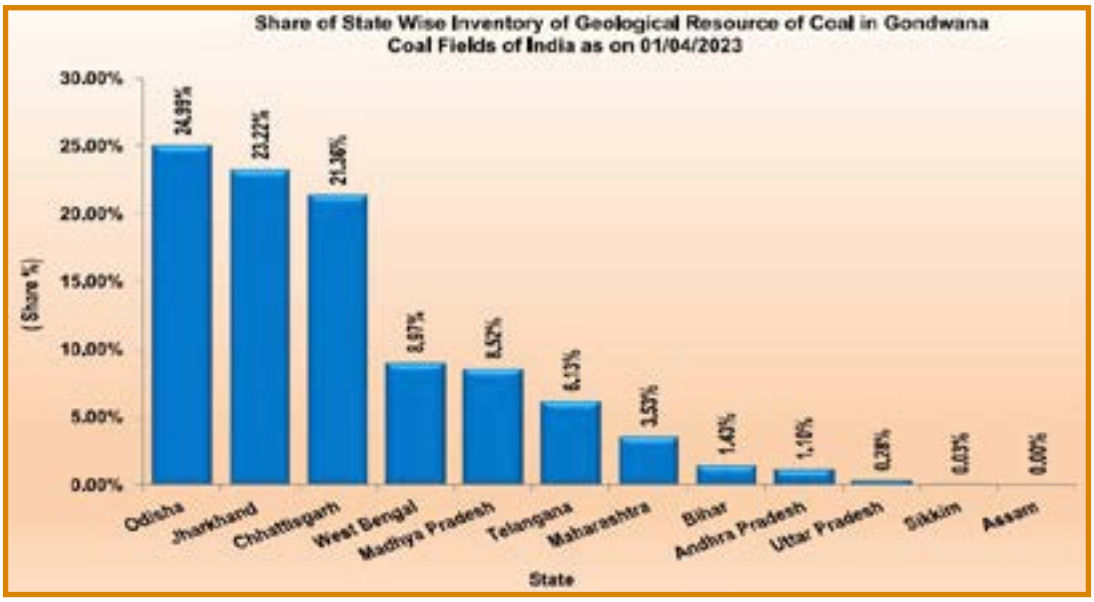

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का विहंगावलोकन :

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड (सीएमएएल) की पूर्वी प्रभाग के साथ निहित 414 खानों के अधिग्रहण द्वारा दिनांक 01 नवंबर, 1975 को निगमित किया गया था और इस तिथि से कंपनी अपनी वाणिज्यिकीय परिचालन आरंभ किया था। यह पश्चिम बंगाल एवं झारखण्ड राज्य में परिचालित होती है। यहाँ 79 खननशील खदानें जिसमें 48 भूमिगत खदानें, 22 खुली खदानें और 9 मिश्रित खदानों के साथ 13 परिचालन क्षेत्र हैं। 01.04.2023 की स्थिति के अनुसार, ईसीएल के पास 55.21 बि.टन का निचय है, जिसमें पश्चिम बंगाल के कमान क्षेत्रों में 33.92 बि.टन और झारखंड राज्य में 21.29 बि.टन समाविष्ट है।

स्बोट विश्लेषण :

शक्तियाँ :

अ) पश्चिम बंगाल में 33.92 बिलियन टन कोयले का कुल भूवैज्ञानिक निचय, जिसमें से 17.45 बिलियन टन प्रमाणित श्रेणी में है। रानीगंज कोलफील्ड्स में ईसीएल के पास 20% से कम की औसत राख अंश वाले कोयले की उत्तम श्रेणी है। इस कोयले को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की शर्तों को पूरा करने के लिए अन्य अनुषंगी कंपनियों से उच्च राख वाले कोयले के साथ मिश्रित किया जा सकता है।

आ) झारखंड राज्य में 01.04.2023 को (जीएसआई के अनुसार) 600 मीटर की गहराई तक 21.29 बिलियन टन कोयले का भंडार जिसमें से 10.73 बीटी प्रमाणित भंडार है, जहाँ खुली खदान खनन द्वारा कोयले के तुलनात्मक रूप से आसान निष्कर्षण की गुंजाइश मौजूद है।

इ) कामगार कठिन परिस्थितियों में काम करने में सक्षम हैं।

ई) खदानें राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे कॉरिडोर के साथ स्थित हैं जो आसानी से सुगम्य निष्क्रमण प्रदान करती हैं।

उ) ईसीएल में जीसीवी की विस्तृत शृंखला अर्थात् 6700 किलो कैलोरी/किग्रा से 3401 किलो कैलोरी/किग्रा (जी3-जी13) का कोयला है, जिससे यह उपभोक्ताओं की विस्तृत शृंखला के लिए सुलभ हो गया है।

ऊ) ब्राह्मणी और अमरकोंडा-मुर्गदंगल कोयला ब्लॉकों ईसीएल को आवंटित किए गए हैं और क्रमशः 1928 मि. टन और 400 मि. टन का विशाल कोयला निचय है। इससे आने वाले वर्षों में ईसीएल की उत्पादन क्षमता में सुधार होगा और निकट भविष्य में ईसीएल को 100 मि. टन कोयला कंपनी बनाने में मदद मिलेगी।

अशक्तियाँ :

अ) यद्यपि रानीगंज कोयला क्षेत्र में कोयला खनन लगभग ढाई सदी पहले शुरू हुआ था, इसलिए विरासत के मुद्दों के कारण विस्तार बाधित हुआ है।

आ) कठिन भू-खननीय दशाएँ।

इ) घनी आबादी भूमि अधिग्रहण में बाधा डालती है।

ई) कोयला धारक क्षेत्रों पर निर्मित वृहद अवसंरचनाएँ खुली खदान खनन में बाधा डालती है।

उ) अति पम्पन एवं रेत भूगर्त भरण लागत।

ऊ) ऊपरी जल-जमाव वाले संस्तर निचले संस्तरों में पूँजोत्पादन प्रौद्योगिकी के आरंभन में बाधा डालती हैं।

अवसर :

अ) ई-विपणन के माध्यम से कोयले के लिए बेहतर मूल्य की प्राप्ति।

आ) अवैध खनन को रोकने के लिए छोटे खुली खदान पैच का अवलंबन करना।

इ) सुरक्षा, उत्पादन और उत्पादकता से संबंधित मुद्दों पर केन्द्रीय श्रमिक संघों की सकारात्मक प्रतिक्रिया।

ई) समस्याओं को निपटारित करने में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ स्थानीय अधिकारियों से सहयोग में वृद्धि।

उ) विशेष रूप से खुली खदानों में हाईवॉल खनन प्रौद्योगिकी की शुरूआत जिसे प्रमुख सतही व्यवधानों के कारण आगे विस्तारित नहीं किया जा सकता है।

ऊ) अनिरंतरित/परित्यक्त खानों को राजस्व साझाकरण मॉडल के माध्यम से और खानों के संचालन के लिए एमडीओ मार्ग के माध्यम से परिचालित करने की पेशकश में सकारात्मक प्रतिक्रिया।

ऋ) पट्टाधृत क्षेत्र के भीतर कोयला संस्तर मिथेन (सीबीएम) और पायलट भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) का गवेषण एवं संदोहन।

संकट :

अ) ग्रामीणों द्वारा भूमि अधिग्रहण का विरोध और कंपनी के मानदण्ड से अधिक की माँग रखना।

आ) असुरक्षित भूमिगत खानों को भी बंद करने का विरोध।

इ) ऊपरी क्षितिज के जलभराव और खुली खदान के विस्तार के कारण बड़े पैमाने पर पूँजोत्पादन प्रौद्योगिकी की शुरूआत में भूमि की कमी।

कारबार रणनीतियाँ :

अ) उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि जारी रखना और भारत में कोयले की महत्वपूर्ण माँग-आपूर्ति अंतर को भुनाएं।

आ) उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की बिक्री और कोयले की ई-नीलामी के माध्यम से प्राप्ति में सुधार करना।

इ) राजस्व साझाकरण मॉडल के माध्यम से बंद या परित्यक्त खानों को चालू करने और एमडीओ मार्ग और संचालन के लिए राजस्व-साझाकरण मोड के माध्यम से अधिक खानों की पेशकश करने की पेशकश करना।

ई) लाभप्रदता बढ़ाएं और परिचालन एवं लागत क्षमता में सुधार करके प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखना।

उ) विस्तृत गवेषण द्वारा हमारे आरक्षित आधार को बढ़ाना जारी रखना।

ऊ) पर्यावरण और सामाजिक रूप से स्थायी संचालन विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखना। सतही बेल्ट कन्वेयर द्वारा खान से रेलवे साइडिंग तक कोयला परिवहन शुरू किया जा रहा है।

ऋ) अतिरिक्त राजस्व अर्जन के लिए कोयला संस्तर बेड मीथेन (सीबीएम), कोयला खान मीथेन (सीएमएम), अग्रगामी भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) और गैसीफिकेशन का गवेषण और संदोहन।

ऌ) असुरक्षित खानों का संवरण।

ॅ) जनशक्ति का यौक्तिकीकरण।

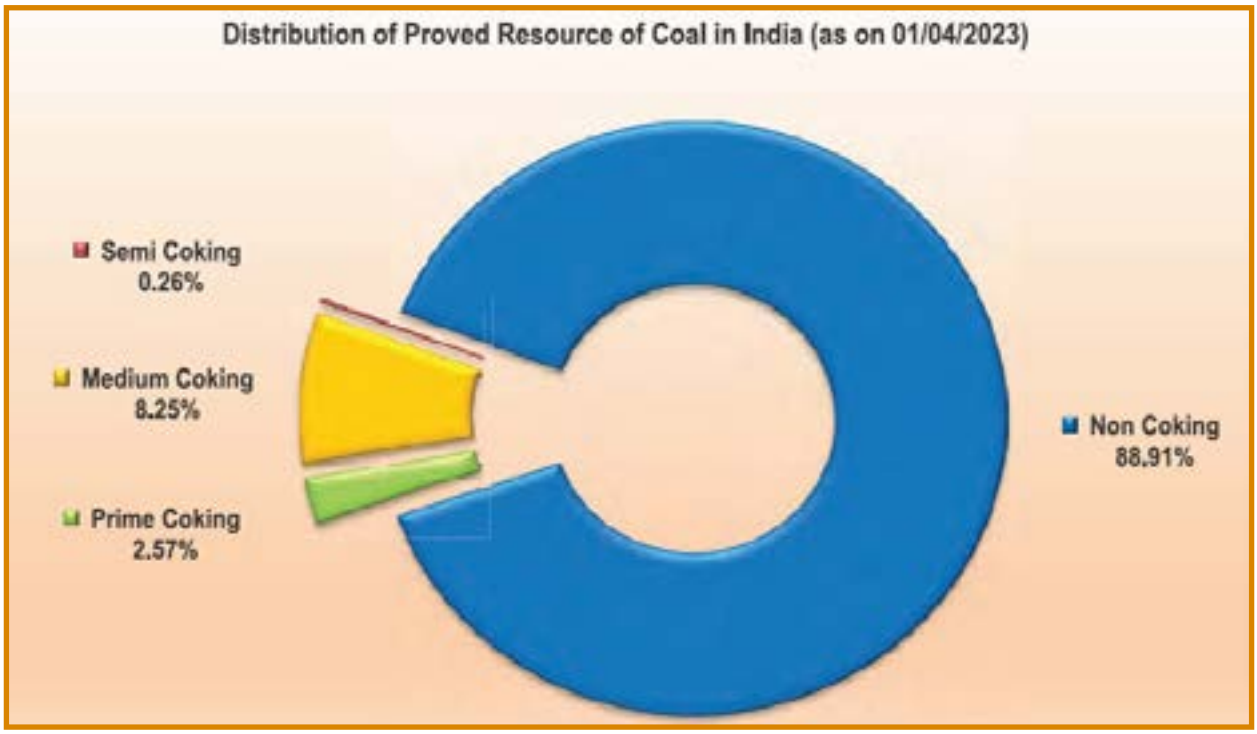

उत्पादन :

विशिष्टियाँ	2023-24	2022-23
खुली खदान परियोजना – कोयला (मि.टन)	38.377	26.050
भूमिगत कोयला (मि.टन)	9.183	8.968
कुल (मि.टन)	47.560	35.018
वृद्धि %	35.815	7.988
उपरिभार हटाव – (मि. घनमीटर)	170.899	132.985
वृद्धि %	28.510	11.763

बिक्री प्रापण :

(₹ करोड़ में

विशिष्टियाँ	2023-24	2022-23
बिक्री प्रापण	18,999.97	19,351.00

खण्डवार या उत्पादन-वार कार्यनिष्पादन :

(मिलियन टन में)

विशिष्टियाँ	2023-24	%	2022-23	%	वृद्धि (%)
एफएसए/एमओयू के अधीन परदेशिक को प्रेषण	37.080	84.76	29.006	81.69	27.85
ई-नीलामी (बिजली घरों को वायदा नीलामी सहित)	6.519	14.90	6.332	17.83	2.95
अन्य	0.001	शून्य	0.002	0.01	-82.39
स्वः खपत	0.147	0.34	0.167	0.47	-12.16
कुल कारबार	**43.746**	**100.00**	**35.506**	**100.00**	**23.21**

ग्राहक और संभारतंत्र :

कोयला उत्पादन का बड़ा हिस्सा विनियमित क्षेत्र अर्थात् ताप विद्युत संयंत्रों / जेनको को दिया जा रहा है। अन्य सेक्टरों जैसे इस्पात, सीमेंट, ऐलुमिनियम, लघु उद्योगों इत्यादि के उपभोक्ताएँ भी रानीगंज कोलफील्ड्स से उच्च ग्रेड के कोयले की माँग करते हैं।

खान से कोयला निष्कर्षित होने के पश्चात, इसे वाहित्र प्रणाली के जरिए भूमिगत खदान के मामले में सतह में संग्रह बिंदु तक या खुली खदान के मामले में डंप ट्रक द्वारा ले जाया जाता है। तत्पश्चात्, कोयले को प्रत्यक्षतः सीएचपी/रेलवे पार्श्वस्थल जैसे प्रेषण स्थल तक ले जाया जाता है या भविष्य में प्रेषण की सुविधा के लिए निर्दिष्ट स्कंध स्थल पर रखा जाता है। सड़क बिक्री/स्टॉक ट्रांसफर के लिए सभी परेषणों को खदान परिसर के भीतर कंपनी मार्ग तुलनवेदी और बिक्री के लिए रेलवे पार्श्वस्थल पर इन-मोशन तोलनवेदी पर तोलन किया जाता है। चूंकि बिक्री लोडिंग पॉइंट्स पर की जा रही है, अतः इसे एफओआर आधारित अर्थात् "रेल/सड़क से निर्बाध आधार पर पूर्व-पार्श्वस्थल/स्कंध स्थल, यथास्थिति, की पेशकश की जाती है। खदान से अभिहित प्रेषण स्थलों तक कोयले के परिवहन की लागत को ग्राहक द्वारा वहन किया जाता है। हमारे खदानों से कच्चे कोयला के प्रेषण के लिए अनुप्रयुक्त नानाविध परिवहन साधनों से संबंधित सूचना निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :

(मिलियन टन में)

प्रेषण का साधन	2023-24	2022-23
रेल	30.01	26.88
सड़क	3.48	3.73
हिंडोला (एमजीआर)	10.11	4.73
कुल	**43.60**	**35.34**

ईसीएल के राजमहल क्षेत्र में कोयला हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी)

कोयले की कीमत निर्धारण :

अकोककर कोयले का मूल्य निर्धारण वर्तमान में 01.01.2012 से इसके सकल ऊष्मा मान (जीसीवी) पर आधारित है तथा कोककर कोल एवं वाशरी ग्रेड कोयले का मूल्य राख स्तर की मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अर्ध-कोककर कोयले के लिए कोयले का मूल्य निर्धारण राख और नमी की मात्रा के स्तर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। आयातित कोयले की आदान लागत में वृद्धि, मुद्रास्फीति और लैंडेड लागत को ध्यान में रखते हुए कोयले के मूल्य में संशोधन किया जाता है। प्रभार्य कीमत में आधार मूल्य, परिवहन प्रभार, साइलो प्रभार, आरएलएस प्रभार आदि एवं अन्य सांविधिक उपकर / कर जैसे कि रॉयल्टी, डीएमएफ, एनएमईटी, सेस, जीएसटी, आदि को समाविष्ट करता है। लगभग 85% कोयला उत्पादन संबद्ध ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक ईंधन आपूर्ति करारों (एफएसए) के तहत बेचा गया था। इसके अतिरिक्त, ई-नीलामी योजना के तहत कोयले की बिक्री भी की गई।

नई नीतिगत पहल

अ) **गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) के कोयला लिंकेज की नीलामी नीति के तहत नया उप-क्षेत्र:-** कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए एनआरएस लिंकेज नीलामी के तहत 2022 में एक नया उप-क्षेत्र 'कोयला गैसीकरण के लिए संश्लिष्ट-गैस का उत्पादन' बनाया गया है ताकि कोयला गैसीकरण के लिए कोयले की आवश्यकता वाले नए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जा सके। यह पर्यावरण पर कोयले के पारंपरिक उपयोग के प्रतिकूल प्रभावों को भी कम करेगा।

आ) **कोयले की ई-नीलामी के लिए एकल खिड़की :-** सरकार ने हाल ही में कोयला कंपनियों द्वारा कोयले की ई-नीलामी के लिए एक नए तंत्र को मंजूरी दी है। पूर्ववर्ती क्षेत्रीय ई-नीलामी विंडो कोल इंडिया लिमिटेड को समाप्त कर दिया गया है और अब से, कोयला कंपनियों के सभी गैर-लिंकेज कोयले की बिक्री कोल इंडिया लिमिटेड/सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड की एक ई-नीलामी विंडो के माध्यम से की जाएगी। यह एकल ई-नीलामी खिड़की व्यापारियों सहित सभी क्षेत्रों अर्थात बिजली और गैर-विनियमित क्षेत्र को पूरा करेगी। इसलिए, किसी भी विशेष ग्रेड का कोयला बाजार में सभी उपभोक्ताओं को एक दर (एक राष्ट्र – एक कोयला ग्रेड, एक रेट) पर बेचा जाएगा। एकल ई-नीलामी खिड़की कोयला कंपनियों को बाजार द्वारा खोजे गए मूल्य तंत्र के माध्यम से कोयला बिक्री में सक्षम बनाएगी और इस प्रकार, इस नीति को लागू करने से बाजार की विकृतियों को दूर किया जा सकेगा। यह परिचालन क्षमता में भी वृद्धि करेगा और घरेलू कोयला बाजार में दक्षता द्वारा घरेलू कोयले की मांग में वृद्धि करेगा।

इ) **एनसीडीपी में संशोधन :** राष्ट्रीय हित में कोयला संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी), 2007 में संशोधन के माध्यम से सक्षम प्रावधान किए गए हैं, ताकि सीआईएल/एससीसीएल की बंद/परित्यक्त/अनिरंतरित खानों से उत्पादित कोयले को कोयला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण तरीके से बिक्री किया जा सके।

ई) **कोयला कंपनियों के गैसीकरण संयंत्रों के लिए कोयला लिंकेज :** सीआईएल/एससीसीएल को कोयला कंपनी द्वारा तय किए गए मूल्यों पर अपने स्वयं के गैसीकरण संयंत्रों को कोयले का दीर्घकालिक आवंटन प्रदान करने की अनुमति दी गई है। यह कदम देश में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करेगा और कोयले के इस नए उपयोग की शीघ्र स्थापना में मदद करेगा।

विपणन नीति :

एनसीडीपी मार्गदर्शिका 18 अक्तूबर, 2007 को जारी की गई जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से कोयले की मांग को अल्पावधि और दीर्घकालिक दोनों आधार पर अंतर्निहित वाणिज्यिक अनुशासन के साथ सुनिश्चित, अविरत, पारदर्शी और कुशल तरीके से पूरा करना है।

अ) **ईंधन आपूर्ति करार :** राष्ट्रीय कोयला संवितरण नीति (एनसीडीपी) के निबंधनों के अनुसार, कोयला कंपनी ने प्रत्यक्षतः ग्राहकों के साथ या राज्य द्वारा नामित अभिकरणों के साथ विधिक रूप से प्रवर्तनीय ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) में प्रवेश किया है जो कि परिणामस्वरूप अंतिम ग्राहकों के साथ उचित संवितरण व्यवस्था में प्रवेश करती है। हमारे एफएसए विस्तृत रूप से संवर्गीकृत किया जा सकता है :

1. राज्य विद्युत उपयोगिता, निजी विद्युत उपयोगिता ("पीपीयू") एवं स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों ("आईपीपी") सहित विनियमित क्षेत्र में ग्राहकों के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए);
2. गैर-विनियमित क्षेत्र (कैप्टिव पावर प्लांटों सहित (सीपीपी)) में ग्राहकों के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए);
3. राज्य द्वारा नामित अभिकरणों के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) और
4. संबद्ध निलामी मार्ग के जरिए उपभोक्ताओं के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए)।

आ) **ई-नीलामी योजना :** कोयले की ई-नीलामी योजना उन ग्राहकों के लिए कोयले तक पहुंच प्रदान करने के लिए आरंभ की गई थी जो एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से अपनी कोयले की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। ई-नीलामी के अंतर्गत पेश किए जाने वाले कोयले की मात्रा की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। ई-नीलामी योजना ग्राहकों द्वारा अतिरिक्त कोयला अधिप्राप्ति के लिए एक अवसर प्रदान करती है।

फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाएँ :

भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने और आयातित कोयले को घरेलू खनन वाले कोयले से बदलकर आत्मनिर्भर भारत का एहसास करने के लिए, कोयला मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.31 बि.टन कोयला और वित्तीय वर्ष 2029-30 में 1.5 बि.टन कोयला उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। कोयला परिवहन का विकास जो लागत कुशल, तेज और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से हो, देश का महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

भविष्य में कोयले के निष्क्रमण में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, कोयला मंत्रालय कोयला खानों के पास रेलवे साइडिंग के माध्यम से फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी और कोलफील्डों में रेल नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण सहित राष्ट्रीय कोयला संभारतंत्र योजना के विकास पर काम कर रहा है। कोयला मंत्रालय ने खानों में कोयले के सड़क परिवहन को समाप्त करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने के लिए एक रणनीति तैयार की है और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के तहत यंत्रीकृत कोयला परिवहन और लोडिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए कदम उठाए हैं। त्वरित लदान प्रणालियों वाले कोयला निपटान संयंत्रों (सीएचपी) और दीर्घभीत्ति (साइलो) से कोयले को चूर करने, आकार देने और कम्प्यूटर सहायता प्राप्त लदान में तेजी लाने जैसे लाभ होंगे।

कोयला मंत्रालय ने 1040 मि.टन प्रति वर्ष क्षमता की 103 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाएं (95 – सीआईएल, 5 - एससीसीएल & 3 – एनएलसीआईएल) को लिया हैं, जिनमें से 291 मि.टन प्रति वर्ष क्षमता की 31 परियोजनाएं (29-सीआईएल & 2-एससीसीएल) चालू की गई हैं। शेष परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2027-28 तक लागू किया जाना है।

प्रधानमंत्री गति शक्ति के अधीन पहले :

कोयला परिवहन में स्वच्छ वातावरण को देखते हुए कोयला मंत्रालय ने रेल निष्क्रमण में गति दी है और देश में कोयले की सड़क आवाजाही से धीरे-धीरे दूर जाने के लिए नए प्रयास भी शुरू किए हैं। ग्रीनफील्ड कोयला धारक क्षेत्रों में नई ब्रॉड-गेज रेल लाइनों के नियोजित निर्माण, नए लोडिंग स्थल तक रेल लिंक का विस्तार करना और कुछ मामलों में रेल लाइनों को दोगुना और तिगुना करना रेल क्षमता में काफी वृद्धि करेगा।

प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2021 में अवसंरचनाओं के विकास के लिए गतिशक्ति - राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाना और अवसंरचना कनेक्टिविटी परियोजनाओं के एकीकृत नियोजन और समन्वित कार्यान्वयन के लिए है। यह विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की अवसंरचना योजनाओं को सम्मिलित करेगा और स्थानिक योजना उपकरणों सहित बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगा।

प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल को भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स, गांधीनगर (बीआईएसएजी) के सहयोग से राष्ट्र मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जा रहा है। कोयला मंत्रालय ने 100 से अधिक परतों की पहचान की है और विशेषताओं और मेटाडेटा के साथ पोर्टल पर मैप किया है। आवश्यकताओं के आधार पर इन आंकड़ों की निरंतर निगरानी की जा रही है और जब कभी आवश्यकता हो, उनकी विशेषताओं सहित आगे की परतें जोड़ी जा सकती हैं, कोयला मंत्रालय और सीएमपीडीआईएल डेटा स्तरों को अपलोड करने पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए बीआईएसएजी-एन के साथ लगातार संपर्क में है। यह स्तर परियोजनाओं में योजना और निष्पादन चरण के दौरान मंत्रालयों से संबंधित सभी आवश्यकताओं पर विचार करके योजना की प्रक्रिया को गति देगा। कोयला मंत्रालय ने पोर्टल पर विशेषताओं और मेटाडेटा के साथ मैप की गई 100 से अधिक डेटा परतों को ऑन-बोर्ड किया, जिनमें से 51 परतें निर्माणाधीन हैं और 24 परतों को पोर्टल पर जोड़ने का प्रस्ताव है।

सीआईएल की प्रमुख 'फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं' के तहत, दो चरणों में कार्यान्वयन के लिए 44 परियोजनाओं की पहचान की गई है, जो मशीनीकृत कोयला परिवहन और लोडिंग प्रणाली को अपग्रेड करेंगी। एफएमसी परियोजनाएँ कोल इंडिया लिमिटेड में मशीनीकृत निष्क्रमण को वर्तमान में 151 मि.टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 622.5 मि.टन प्रति वर्ष करने में मदद करेंगी।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में 3 एफएमसी परियोजनाएँ नामतः सोनपुर बजारी सीएचपी, राजमहल सीएचपी एवं झांझरा सीएचपी है। एफएमसी परियोजनाओं की विस्तृत प्रास्थिति निम्नवत है :

क्रम सं.	परियोजना का नाम चरण-1	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	परियोजना कार्यान्वयन की प्रास्थिति
1	सोनपुर-बाजारी सीएचपी: 12.00 मि. टन प्रति वर्ष	195.43	31.12.2021 को कमीशन किया गया
2	राजमहल सीएचपी-साइलो: 10.00 मि.टन प्रति वर्ष	230.67	मेसर्स मेकॉन लिमिटेड रांची को दिनांक 28.12.2020 को कार्य आदेश जारी किया गया और 17.02.2021 को अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। साइट 03.06.2021 को सौंप दी गई है। सीएचपी निर्माण की समग्र भौतिक और वित्तीय प्रगति क्रमशः 68.22% और 47.65% है। पूरा होने की संभावित तिथि 31.10.2024 है।
3	झांझरा सीएचपी : 5.00 मि.टन प्रति वर्ष	219.07	मेसर्स शापूरजी & पालोनजी एंड कंपनी प्रा. लि. को 28.12.2020 को 24 महीने के पूर्ण होने के समय के साथ कार्य आदेश जारी किया गया। संविदा करार पर 17.02.2021 को हस्ताक्षर किए गए हैं। 01.01.2021 को कार्यस्थल सुपुर्द किया गया है। समग्र भौतिक और वित्तीय प्रगति क्रमशः 58.20% और 56.54% है। पूरा होने की संभावित तिथि 31-10-2024 है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता:

आंतरिक लेखापरीक्षा (आईए) का महत्व नियंत्रण और अनुपालन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यवसाय/कार्यों की आवधिक समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि उद्देश्य, उपयोगकर्ता मैनुअल (एसओपी) और कठोर नियंत्रण इसकी प्रभावशीलता पर निदेशक मंडल और लेखापरीक्षा समितियों को आश्वासन प्रदान करने के लिए परिचालित हैं। यह सुनिश्चित करता है कि उचित निगमित सुशासन और लेखापरीक्षा जोखिम नियंत्रण प्रभावी ढंग से और कुशलता से बनाए रखा जाता है।

एक प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य निदेशक मण्डल को अपने सुशासन और नियंत्रण दायित्वों का निर्वहन करने में सहायता करने में एक मौलिक भूमिका निभाता है। निर्गत निगमित सुशासन के विभिन्न संहिता ने भी इस तथ्य को दोहराया है कि आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य किसी भी संगठन की निगमित सुशासन प्रणाली का एक अभिन्न अंग है।

कानून के संगत प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी का संपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य सनदी लेखाकार/लागत लेखाकारों की स्वतंत्र बाह्य लेखापरीक्षा फर्मों और क्षेत्र/इकाइयों के वित्त विभाग को सौंपा गया है। मुख्यालय सहित कंपनी के चौदह क्षेत्रों/इकाइयों का आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ऐसी चौदह (14) बाहरी लेखापरीक्षा फर्मों को संबद्ध किया गया था। उपर्युक्त फर्मों में से एक, जिसने चयन प्रक्रिया में उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं, को 'केंद्रीय आंतरिक लेखापरीक्षक' या 'अग्रणी लेखापरीक्षक' का काम सौंपा गया है।

कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षकों का चयन विधिवत गठित समिति की सिफारिश पर किया जाता है, जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा संरचित चयन प्रक्रिया के अनुपालन/ सख्त अनुपालन में अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करने के माध्यम से सक्षम अनुमोदन होता है। कोल इंडिया ने ऑडिट फर्मों की चयनित सूची और चयन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित किए हैं और उनकी नियुक्ति के लिए सामान्य निबंधन और शर्तों के साथ काम का दायरा भी निर्धारित किया है।

अधिकार प्राप्त समिति द्वारा चयन के लिए सूचीबद्ध और प्रस्तावित आंतरिक लेखापरीक्षा फर्मों की नियुक्ति मूल्यांकन और लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के लिए अग्रेषित की जाती है जिसे अनुमोदन के लिए कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाती है।

आंतरिक लेखापरीक्षक मासिक और तिमाही आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अपनी संबंधित इकाई / क्षेत्र प्रमुख के साथ-साथ आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, ईसीएल मुख्यालय को प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक तिमाही की समेकित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, कोल इंडिया लिमिटेड को उनके अवलोकनार्थ तथा सीआईएल की समेकित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए अग्रेषित की जाती है।

वे कंपनी में आंतरिक वित्त नियंत्रण (आईएफसी) के अनुप्रयोग और प्रभावशीलता पर संप्रेक्षणों तथा टीका-टिप्पणियों के साथ कंपनी के संचालन पर आंतरिक वित्त नियंत्रण के नियमित मूल्यांकन के साथ एक विस्तृत वार्षिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करते हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, कंपनी भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, भारत सरकार के वाणिज्यिक लेखापरीक्षा महानिदेशक (जिसे पहले भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या सीएजी के रूप में जाना जाता था) के कार्यालय द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अधीन भी है। सरकारी लेखापरीक्षक किसी विशेष पीएसयू के लिए डीजीसीए द्वारा निर्धारित विशिष्ट लेखापरीक्षा कार्यक्रमों और दायरे के अनुसार कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों / इकाइयों में नियमित अंतराल पर नियमित 'निरीक्षण/ परिवहन लेखापरीक्षा' करते हैं। लेखापरीक्षा टिप्पणियों वाली निरीक्षण रिपोर्टें सरकारी लेखापरीक्षकों द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय और संबंधित निदेशकों तथा विभागाध्यक्षों को प्रस्तुत की जाती हैं।

लेन-देन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, सरकारी लेखापरीक्षक कंपनी की वार्षिक प्रतिवेदन एवं खातों की सत्यता और निष्पक्षता को प्रमाणित करने के उद्देश्य से वार्षिक लेखापरीक्षा भी आयोजित करते हैं।

कंपनी/सीआईएल की लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और अस्तित्व में संबंधित प्रक्रियात्मक अनुप्रयोगों पर कड़ी निगरानी रखती है। आंतरिक लेखापरीक्षकों की महत्वपूर्ण टिप्पणियों को आवधिक समीक्षा के लिए लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है। ऐसी संप्रेक्षणों पर विचार करने पर लेखापरीक्षा समिति द्वारा जारी किए गए निदेशों (यदि कोई हों) को आवश्यक अनुपालन के लिए विधिवत नोट किया जाता है और उनके कार्यान्वयन पर एटीआर को उनके मूल्यांकन के लिए अगली लेखापरीक्षा समिति की बैठक के समक्ष रखा जाता है।

लेखापरीक्षा की अवधि अर्थात वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षकों के रूप में कार्यरत विभिन्न लेखापरीक्षा फर्मों ने कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों और इकाइयों में परिचालन में विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रणों पर संतोष व्यक्त किया है।

लेखापरीक्षकों की उपर्युक्त संतोषजनक अभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए, यह माना जा सकता है कि कंपनी के पास कंपनी के आकार और इसके द्वारा किए गए व्यावसायिक लेनदेन की प्रकृति के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण की एक मजबूत प्रणाली है।

परिचालनात्मक कार्य-निष्पादन के संदर्भ में वित्तीय कार्य-निष्पादन पर विवेचना :

परिचालन के परिणाम :

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	2023-24	2022-23	वृद्धि (%)
सकल बिक्री	18,999.97	19,351.00	-1.81%
न्यून : लेवी	5,108.09	4,581.71	11.49%
निवल बिक्री	13,891.88	14,769.29	-5.94%
अन्य परिचालनात्मक राजस्व	667.26	485.19	37.53%
अन्य आय	639.55	556.30	14.96%
कुल आय	**15,198.69**	**15,810.78**	**-3.87%**

कोयले की बिक्री से आय :

बिक्री को रॉयल्टी, कोयले पर उपकर, माल और सेवा कर आदि सहित विभिन्न सांविधिक शुल्कों के सकल बिक्री निवल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कोयले की बिक्री से होने वाली आय मुख्य रूप से कोयले के मूल्य निर्धारण और उत्पादन तथा उसके वितरण पर निर्भर करती है।

व्यय :

प्रमुख शीर्षों के विश्लेषित आँकड़े:

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	2023-24	2022-23	वृद्धि	
			आत्यंतिक	प्रतिशत
स्टॉक में (अभिवृद्धि)/अनभिवृद्धि	-497.30	24.15	-521.45	-2,159.21%
उपभुक्त सामग्रियों की लागत	1,000.35	1,086.24	-85.89	-7.91%
कर्मी प्रसुविधा व्यय	10,094.02	9,927.37	166.65	1.68%
संविदात्मक व्यय	2,864.43	2,042.23	822.20	40.26%
वित्त लागत	121.13	64.85	56.28	86.78%
अन्य व्यय	1,292.67	1,109.08	183.59	16.55%
विपट्टन गतिविधि समयोजना	-590.27	-351.91	-238.36	67.73%
मूल्यह्रास / परिशोधन / क्षति	700.17	628.35	71.82	11.43%
कर पूर्व कुल व्यापक आय	**119.29**	**1,432.42**	**-1,313.13**	
करोपरांत कुल व्यापक आय	**157.39**	**1,006.54**	**-849.15**	

नकदी प्रवाह:

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	31.03.2024	31.03.2023
आरंभिक नकदी एवं नकदी समतुल्य	532.11	882.29
परिचालनात्मक गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह/(में प्रयुक्त)	-1,808.13	3,306.88
निवेशन गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह/(में प्रयुक्त)	779.69	-3,649.32
वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह/(में प्रयुक्त)	-47.80	-7.74
नकदी एवं नकदी समतुल्य में परिवर्तन	-1,076.24	-350.18
लेखाबंदी नकदी एवं नकदी समतुल्य	**-544.13**	**532.11**

मानव संसाधन विकास

जनशक्ति :

प्रवर्ग	को यथा जनशक्ति		वृद्धि (+) / कमी (-)
	31.03.2024	31.03.2023	
अधिशासी	2209	2247	-38
पर्यवेक्षक	3349	3539	-190
अनुसचिवीय/लिपिकीय	1546	1694	-148
अत्यधिक कुशल/कुशल	14921	15759	-838
अर्ध कुशल/अकुशल	25858	27025	-1167
प्रशिक्षु (गैर-अधिशासी)	828	810	18
कुल	**48711**	**51074**	**-2363**

वर्ष के दौरान अंतर के लिए कारण :

विशिष्टियाँ	अधिशासी	गैर-अधिशासी	कुल
वृद्धि			
नई नियुक्ति	43	01	44
चिकित्सीय अनुपयुक्त मामले के प्रतिकूल नियुक्ति	शून्य	शून्य	शून्य
मृत्यु मामले के प्रतिकूल नियुक्ति	शून्य	403	403
पुनःस्थापन / पुनःकार्य पर आना	शून्य	11	11
अन्य कंपनियों से स्थानांतरित होकर आए	99	33	132
भू-वंचितों के प्रतिकूल नियुक्ति	शून्य	181	181
विशेष महिला वीआरएस के प्रतिकूल नियुक्ति	शून्य	शून्य	शून्य
कुल वृद्धि (क)		**629**	**771**

विशिष्टियाँ	अधिशासी	गैर-अधिशासी	कुल
कमी			
सेवानिवृत्ति	93	2177	2270
चिकित्सीय अनुपयुक्त	शून्य	शून्य	शून्य
मृत्यु	05	615	620
त्याग-पत्र	27	10	37
अन्य कंपनियों में स्थानांतरित होकर गए	53	111	164
पदच्युति / पर्यवसान	04	27	31
जीएचएस/ईवीआरएस के अधीन वीआरएस	03	09	12
विशेष महिला वीआरएस	शून्य	शून्य	शून्य
अंतर (क – ख)	**185**	**2949**	**3134**
अंतर (क – ख)	**-43**	**-2320**	**-2363**

औद्योगिक संबंध :

कंपनी में औद्योगिक संबंध सामान्यतः सौहार्दपूर्ण है। कामगार अब बाह्य मामलों का समर्थन नहीं करते हैं। औद्योगिक संबंध एवं विधि-व्यवस्था संबंधित सांख्यिकीय निम्न उद्धृत है :

क्रम	विषय	2023-24	2022-23
1.	हड़ताल की संख्या	01 (एक दिन)	कुछ नहीं
2.	श्रमिक दिन में क्षति (लाख में)	0.00814	कुछ नहीं
3.	उत्पादन में क्षति (लाख टन में)	शून्य	कुछ नहीं

विधि-व्यवस्था :

विषय	2023-24	2022-23
विधि-व्यवस्था (विघ्न)	04	06
उत्पादन में क्षति (लाख टन में)	शून्य	शून्य

प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता:

प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता कंपनी के भिन्न-भिन्न स्तरों पर पूर्णतः क्रियाशील है। निगमित, क्षेत्रीय एवं परियोजना/इकाई स्तरों पर संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) कार्य कर रही हैं। जेसीसी बैठक में पुराने महत्वपूर्ण मामलों यथा उत्पादन, उत्पादकता इत्यादि पर विवेचना किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे कंपनी में समिति/बोर्ड यथा द्विपक्षीय खान सुरक्षा बोर्ड, क्षेत्रीय खान सुरक्षा समिति, कोलियरी खान सुरक्षा समिति, कल्याण बोर्ड इत्यादि भी क्रियाशील हैं। श्रम संगठनें ऐसी समितियों में अत्यंत सक्रियता से सहभागिता करती हैं तथा प्रबंधन और कर्मचारी के मध्य विश्वास एवं सदिच्छा को सुदृढ़ करने के अलावा पारदर्शिता, जवाबदेही लाती हैं।

बैठक	2023-24	2022-23
मुख्यालय स्तर पर आयोजित जेसीसी बैठक की संख्या	02	01
मुख्यालय स्तर पर आयोजित संरचित बैठक की संख्या	06	07

एनसीडब्ल्यूए, एलएलएस एवं प्रत्यक्ष भर्ती के अधीन प्रदत्त नियोजन :

के अधीन प्रदत्त नियोजन	2023-24	2022-23
राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार (एनसीडब्ल्यूए)	462	294
भू-वंचित योजना (एलएलएस)	225	193
प्रत्यक्ष भर्ती	शून्य	281

भर्ती एवं पदोन्नति में अनूसूचित जाति (अ.जा.)/ अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के लिए आरक्षण :

अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) की भर्ती के मामले में राष्ट्रपतिक निदेशों को ईसीएल में क्रियान्वयन किया गया है। कुल जनशक्ति में अ.जा. एवं अ.ज.जा. अभ्यर्थियों के प्रतिनिधित्व यथा निम्नवत है :

को यथा	कुल जनशक्ति	अ.जा. अभ्यर्थी		अ.ज.जा. अभ्यर्थी	
		संख्या	%	संख्या	%
31.03.2024	48711	13629	27.98	6634	13.62
31.03.2023	51074	14259	27.92	6925	13.56

2378 पदोन्नति में से 2023-24 के दौरान अ.जा. समुदाय के 141 अभ्यर्थियों और अ.ज.जा. समुदाय के 69 अभ्यर्थियों को पदोन्नत किया गया, जबकि 2022-23 के दौरान क्रमशः 123 और 30 अभ्यर्थियों को पदोन्नत किया गया था। 31.03.2024 तक, रोल ओबीसी समुदाय के कर्मचारी 31.03.2023 को 14310 कर्मचारियों की तुलना में 13911 थे।

श्रम संगठन:

कर्मचारी अत्यधिक संघबद्ध हैं और सभी यूनियनों का समर्थन चाहते हैं। कार्य कर रहे प्रमुख संघों में इंटक, एटक, एचएमएस, बीएमएस, यूटीयूसी, सीटू, आईएनटीटीयूसी आदि शामिल हैं। गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन और सेवा की अन्य शर्तें जेबीसीसीआई द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते (एनसीडब्ल्यूए), कंपनी के प्रमाणित स्थायी आदेशों और सरकारी निर्देशों द्वारा शासित होती हैं।

प्रशिक्षण और विकास:

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा 1994 में गठित भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम) कार्यपालकों को उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम, युवा प्रबंधक कार्यक्रम, उन्नत रखरखाव प्रथाएं, प्रबंधन विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण और कोचिंग, कनिष्ठ अधिकारियों के लिए कैरियर विकास और संचार कौशल जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। इसके अलावा, कंपनी बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करती है और कर्मचारियों (निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों और गैर-कार्यकारी कर्मचारियों सहित) को भेजती है। कार्यपालकों सहित कर्मचारियों को आंतरिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोल इंडिया ट्रेनिंग मैनेजमेंट कॉलेज (सीआईटीएमसी), डिशेरगढ़ और प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई), रतिबती नामक दो संस्थान हैं। नए भर्ती किए गए प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए प्रेरण कार्यक्रम भी होते हैं।

वर्ष 2023-24 को संक्रमण का वर्ष कहा गया है और एचआरडी ने विभिन्न प्रशिक्षणों की पेशकश में आमूल-चूल परिवर्तन देखा है। अतीत में प्रदान किए जा रहे पारंपरिक और अनिवार्य तकनीकी और कार्यात्मक योग्यता प्रशिक्षण से, इस वर्ष एक अधिक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है और कार्यालय प्रबंधन, नैतिकता, परिचालन और सॉफ्ट कौशल में वृद्धि जैसी अन्य अवधारणाओं पर प्रशिक्षण शुरू किया गया है। कार्यबल के कौशल को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिकल और खनन पर्यवेक्षी, पैरामेडिकल और कामगार निरीक्षकों जैसी वैधानिक परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण या सलाह भी शुरू की गई है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न खानों/कार्यशालाओं में विभिन्न संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए औद्योगिक/ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी आयोजित किए गए थे। आपकी कंपनी प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में भारत के विभिन्न राज्यों से विभिन्न विषयों / ट्रेडों के प्रशिक्षुओं को नियुक्त कर रही है। विवरण नीचे दिए गए हैं:

वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदत्त नानाविध प्रशिक्षण के ब्यौरे :

क्रम	प्रशिक्षण की प्रकृति	2023-24				2022-23			
		अधि.	पर्यवेक्षक	कामगार	कुल	अधि.	पर्यवेक्षक	कामगार	कुल
1	**सामान्य/कंपनी में प्रशिक्षण :**								
1.i	3 दिवस या अधिक	559	शून्य	8933	9492	81	101	168	350
1.ii	3 दिवस से कम	7616	शून्य	3183	10799	1076	390	511	1977
	कुल (क)	**8175**	**शून्य**	**12116**	**20291**	**1157**	**491**	**679**	**2327**
2	**बाह्य प्रशिक्षण (भारत में) :**								
2.i	**आईआईसीएम में :**								
2.i.अ	3 दिवस या अधिक	7331	शून्य	शून्य	7331	507	शून्य	शून्य	507
2.i.आ	अल्पावधि पाठ्यक्रम	314	शून्य	शून्य	314	33	शून्य	शून्य	33
	कुल (ख)	**7645**	**शून्य**	**शून्य**	**7645**	**540**	**शून्य**	**शून्य**	**540**
2.ii	**कंपनी से बाहर प्रशिक्षण (आईआईसीएम से भिन्न) :**								
2.ii.अ	अल्पावधि	609	शून्य	शून्य	609	202	शून्य	शून्य	202
2.ii.आ	दीर्घावधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	78	शून्य	शून्य	78
2.ii.इ	3 दिवस या अधिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	189	शून्य	शून्य	189
	कुल (ग)	**609**	**शून्य**	**शून्य**	**609**	**469**	**शून्य**	**शून्य**	**469**
3	**बाह्य (विदेश)**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
4	**अन्य प्रशिक्षण एवं सेमिनार :**								
4.अ.	**प्रशिक्षु :**								
4.अ.i	व्यावसायिक	शून्य	शून्य	10606	10606	शून्य	शून्य	897	897

क्रम	प्रशिक्षण की प्रकृति	2023-24				2022-23			
		अधि.	पर्यवेक्षक	कामगार	कुल	अधि.	पर्यवेक्षक	कामगार	कुल
4.अ.ii	पीडीपीटी	शून्य	773	शून्य	773	शून्य	1262	शून्य	1262
4.अ.iii	पीजीपीटी	91	शून्य	शून्य	91	200	शून्य	शून्य	200
4.अ.iv	शिक्षु (कौशल विकास)	Nil	शून्य	395	395	शून्य	शून्य	138	138
4.आ.	सेमिनार/कार्यशाला	80	शून्य	शून्य	80	608	136	शून्य	744
4.इ.	अनुकारी प्रशिक्षण	Nil	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (घ)	**171**	**773**	**11001**	**11945**	**808**	**1398**	**1035**	**3241**
	कुल	**16600**	**773**	**23117**	**40490**	**2974**	**1889**	**1714**	**6577**

पर्यावरणीय रक्षण एवं संरक्षण :

पर्यावरण विभाग कंपनी के पर्यावरण और वन संबंधी मामलों को देखता है। विभाग पर्यावरण और वन संबंधी कानूनों की सभी विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है। विभाग कोयला मंत्रालय के ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) का पर्यावरण विभाग कंपनी में पर्यावरण के अनुकूल खनन प्रथाओं को विकसित करने के लिए अपने दैनिक कार्यों में सतत विकास सिद्धांतों को एकीकृत कर रहा है। कंपनी के पर्यावरण और वन संबंधी मामलों से निपटने के अलावा, विभाग सतत विकास के लक्ष्यों के साथ अपने कार्यों को संरेखित करता है और ईसीएल की निगमित पर्यावरण नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। इसमें पर्यावरण प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सम्मिलित है, जिसमें एकीकृत परियोजना नियोजन और डिजाइन, पर्यावरणीय प्रभावों की निरंतर निगरानी, प्रदूषण की रोकथाम और शमन उपाय, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता बहाली के प्रयास, जिम्मेदार अपशिष्ट निपटान प्रथाएं और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण समाविष्ट है।

निगमित पर्यावरणीय नीति का अंगीकरण:

आपकी कंपनी ने अपना निगमित पर्यावरण नीति का निरूपण और क्रियान्वयन किया है जो कोल इंडिया लिमिटेड की पर्यावरण नीति के समरूप है। पर्यावरण नीति अभिकथित करती है कि कंपनी विस्तृत कंपनी में क्रियान्वयन के माध्यम से एक मिशन मोड में एकीकृत परियोजना की योजना एवं अभिविन्यास, 10 आर (संक्षेपण, पुनर्चक्रण, पुनःउपयोग, पुनर्रचना, पुनःप्रयोजन, नवीकरण, जीर्णोद्धार, पुनःप्राप्ति, विपरिनियोजन एवं अस्वीकार) परिकल्पना को परिनियोजित करने, प्रदूषण निवारण/ अल्पीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जैव-विविधता एवं पारिस्थिकी का पुनरूद्धार, अपशिष्टों का उचित निपटान, जलवायु परिवर्तन परिचयन और समावेशी संवृद्धि के जरिए पर्यावरण के रक्षण द्वारा संधारणीय विकास को प्रवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2023-24 के दौरान प्रमुख उपलब्धियाँ:

क. पर्यावरणीय सहमति :

अ) क्लस्टर संख्या 12 की पर्यावरणीय सहमति (ईसी) में संशोधन 31.07.2023 को सोनपुर बाजारी खुली खदान परियोजना की उत्पादन क्षमता को 12.00 मि.टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 14.00 मि.टन प्रति वर्ष करने के साथ समग्र क्लस्टर क्षमता और खान पट्टा क्षेत्र को अपरिवर्तित रखते हुए प्रदान किया गया था।

आ) क्लस्टर संख्या 2 के लिए पर्यावरण सहमति (ईसी) संशोधन 21.02.2024 को खदान क्षेत्र में 59.00 हेक्टेयर से 92.00 हेक्टेयर तक की वृद्धि के साथ 0.50 मि.टन प्रति वर्ष से 0.90 मि.टन प्रति वर्ष तक बारमुड़ी खुली खदान परियोजना की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ दिया गया था।

इ) क्लस्टर की समग्र उत्पादन क्षमता को 31.38 मि.टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 34.83 मि.टन प्रति वर्ष और खान पट्टा क्षेत्र को 12694.47 हेक्टेयर से बढ़ाकर 14814.20 हेक्टेयर करने के लिए क्लस्टर संख्या 12 के विस्तार प्रस्ताव (सोनपुर बाजारी खुली खदान परियोजना की उत्पादन क्षमता में 2405.00 हेक्टेयर से 4681.35 हेक्टेयर तक वृद्धि) के पर्यावरणीय सहमति (ईसी) विस्तार प्रस्ताव के लिए संदर्भ का निबंधन (टीओआर) और 04.01.2024 को एमओईएफ&सीसी द्वारा प्रदान किया गया था।

उ) क्लस्टर की उत्पादन क्षमता को अपरिवर्तित रखते हुए क्लस्टर के समग्र क्षेत्र को 1628.00 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1774.00 हेक्टेयर करने के लिए क्लस्टर संख्या 03 (खान पट्टा क्षेत्र में 304.00 हेक्टेयर से 518.00 हेक्टेयर तक वृद्धि) के पर्यावरणीय सहमति (ईसी) विस्तार प्रस्ताव के लिए संदर्भ का निबंधन (टीओआर) एमओईएफ&सीसी द्वारा 04.01.2024 को प्रदान किया गया था।

ख. वानिकी सहमति :

अ) **तिलाबोनी भूमिगत परियोजना :** एमओईएफ&सीसी, भारत सरकार द्वारा 19.03.2024 को 38.38 हेक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन के लिए तिलबोनी भूमिगत परियोजना के पक्ष में चरण-I वानिकी सहमति दी गई है।

आ) **शिमलोंग खुली खदान परियोजना :** दामिन-ए-कोह भूमि सहित 122.40 हेक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन का प्रस्ताव 30.06.2023 को परिवेश 2.0 पोर्टल में किया गया था। इस प्रस्ताव पर झारखण्ड सरकार की परियोजना जांच समिति (पीएससी) की बैठक में विचार किया गया था।

ग. वन्यजीव प्रबंधन योजना :

संपूर्ण रानीगंज कोलफील्ड की वन्यजीव प्रबंधन योजना निर्मिति कर ली गई है और 04.03.2024 को पश्चिम बंगाल सरकार के वन विभाग को प्रस्तुत कर दी गई है।

रियायती भूमि पर वृक्षारोपण, जेके नगर कोलियरी, सतग्राम-श्रीपुर क्षेत्र

झांजरा यूजी, झांजरा क्षेत्र में कम भूमि पर वृक्षारोपण

झांजरा यूजी, झांजरा क्षेत्र में कम भूमि पर वृक्षारोपण

झांजरा यूजी, झांजरा क्षेत्र में कम भूमि पर वृक्षारोपण

रियायती भूमि पर वृक्षारोपण, जेके नगर कोलियरी, सतग्राम-श्रीपुर क्षेत्र

ट्रॉली माउंटेड फॉग कैनन, बैंकोला रेलवे साइडिंग

रियायती भूमि पर वृक्षारोपण, जेके नगर कोलियरी, सतग्राम-श्रीपुर क्षेत्र

कुनुस्तोरिया क्षेत्र में सतत वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) स्थापित किए गए

मुग्मा क्षेत्र में सतत वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) स्थापित

घ. पौधारोपण एवं पुनरूद्धार :

झारखण्ड राज्य के भीतर आने वाले ईसीएल कमान क्षेत्रों में नामांकन आधार पर क्षेत्र के संबंधित जिल वन पदाधिकारी के माध्यम से वृक्षारोपण किया जा रहा है और पश्चिम बंगाल राज्य में यह पश्चिम बंगाल वन विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीएफडीसीएल) के माध्यम से किया जा रहा है। वाहनों, कोयले के निपटान से होने वाले धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए कोयला परिवहन सड़कों, रेलवे साइडिंग और कोल स्टॉक यार्ड के किनारे हरित-पट्टा विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। ईसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए परिकल्पित वृक्षारोपण लक्ष्य 160.00 हेक्टेयर था, जिसमें से लगभग 3.07 लाख पौधों के रोपण के साथ 160.54 हेक्टेयर से अधिक वृक्षारोपण पूर्ण हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वृक्षारोपण का क्षेत्रवार ब्यौरे निम्नानुसार है:

क्रम	क्षेत्र का नाम	खान का नाम	वृक्षारोपण क्षेत्रफल हेक्टेयर में	वृक्षारोपण का प्रकार	भूमि की प्रकृति
1.	सोदपुर	धेमोमेन	2.00 हेक्टेयर	उपवन	समतल भूमि
2.	श्रीपुर	एबी पिट	1.00 हेक्टेयर	प्रकीर्ण	समतल भूमि
		अमकोला ओसीपी	10.00 हेक्टेयर	प्रकीर्ण/साल	समतल भूमि
		भनोड़ा पश्चिम ओसीपी	5.00 हेक्टेयर	बीज के गोले	आंतरिक ओबीडी
		एसएसआई (निघा) ओसीपी	5.00 हेक्टेयर	बीज के गोले	आंतरिक ओबीडी
3.	कुनुस्तोड़िया	कुनुस्तोड़िया भूमिगत	3.74 हेक्टेयर	प्रकीर्ण	समतल भूमि
		कुनुस्तोड़िया भूमिगत	0.42 हेक्टेयर	वीथिका	समतल भूमि
		नार्थ सियारसोल ओसीपी	1.56 हेक्टेयर	वीथिका	समतल भूमि
		अमृतनगर भूमिगत	5.02 हेक्टेयर	प्रकीर्ण	समतल भूमि
		महावीर ओसी	4.80 हेक्टेयर	प्रकीर्ण	समतल भूमि
4.	सलानपुर	मोहनपुर ओसीपी	7.00 किलोमीटर	वीथिका	समतल भूमि
5.	काजोड़ा	जामबाद ओसीपी	5.00 हेक्टेयर	बीज के गोले	आंतरिक ओबीडी
		मधुसूदनपुर	12.00 हेक्टेयर	प्रकीर्ण	समतल भूमि
6.	केन्दा	लोअर केन्दा कोलियरी	0.47 हेक्टेयर	उपवन	समतल भूमि
		बहुला ओसीपी	3.60 हेक्टेयर	उपवन	आंतरिक ओबीडी
7.	झांझरा	झांझरा भूमिगत परियोजना	2.50 किलोमीटर	वीथिका	समतल भूमि
			15.00 हेक्टेयर	प्रकीर्ण	अवतलित
8.	सोनपुर बजारी	सोनपुर बाजारी ओसीपी	5.00 हेक्टेयर	बीज के गोले	आंतरिक ओबीडी
			15.00 हेक्टेयर	प्रकीर्ण	आंतरिक ओबीडी
9.	बांकोला	नकराकोंडा-कुमारडीही बी भूमिगत	1.78 किलोमीटर	वीथिका	समतल भूमि
10.	पाण्डवेश्वर	खोट्टाडीह ओसीपी	2.50 हेक्टेयर	उपवन	आंतरिक ओबीडी
		बिलपहाड़ी पुनर्वास स्थल	1.00 हेक्टेयर	उपवन	समतल भूमि
		मंदारबोनी – एस सिमला भूमिगत	2.30 किलोमीटर	वीथिका	समतल भूमि
11.	सतग्राम	जे के नगर ग्रूफ ऑफ माइन्स	16.03 हेक्टेयर	प्रकीर्ण	समतल भूमि
12.	मुगमा	हरियाजाम	2.00 हेक्टेयर	प्रकीर्ण	समतल भूमि
		हरियाजाम	0.07 हेक्टेयर	वीथिका	समतल भूमि
		कुमारडुबी	0.52 हेक्टेयर	वीथिका	समतल भूमि
		एमएल क्षेत्र के बाहर	4.80 हेक्टेयर	प्रकीर्ण	समतल भूमि
13.	एस.पी. माइन्स	एमएल क्षेत्र के बाहर	5.43 किलोमीटर	वीथिका	समतल भूमि
		चितरा ओसीपी	15.50 हेक्टेयर	घास रोपण	आंतरिक ओबीडी
14.	राजमहल	राजमहल खुली खदान परियोजना	4.5 किलोमीटर	वीथिका	समतल भूमि
		कुल	**137.03 हेक्टेयर & 23.51 किलोमीटर**		

घ. सीएएक्यूएमएस का अधिस्थापन

वाइड स्क्रीन डिस्प्ले के साथ विभिन्न अवस्थानों पर वायु गुणवत्ता की सद्यकाल निगरानी प्रदान करने के लिए 14 सीएएक्यूएमएस की अधिप्राप्ति पूर्ण हो गई है।

ङ. कंपनी-वार आईएसओ प्रमाणन :

आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 मानकों के लिए आईएसओ चतुर्थ व पंचम बाह्य निगरानी प्रमाणन लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी। प्रमाणन निकाय ने उपर्युक्त मानकों के लिए प्रमाणन जारी रखने की सिफारिश की।

****

2023-24 में सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा :

ईसीएल ने सीआईएल सीएसआर नीति 2021 को अंगीकृत और कार्यान्वित किया है जो कंपनी अधिनियम 2013 एवं सीएसआर संशोधन नियमावली, 2022 के संशोधन के अनुरूप है। दिनांक 01.04.2014 से प्रभावी डीपीई दिशानिर्देशों यथा फाइल सं. 15(13)/2013-डीपीई (जीएम) दिनांकित 21 अक्टूबर 2014 का भी अनुपालन किया जाता है। हमारी सीएसआर पहलों ने प्रधानतः मुख्य रूप से ईसील के परिचालनगत क्षेत्रों के समीपवर्ती अधिवासित अल्पसुविधा प्राप्त, सीमांत और परियोजना प्रभावित जनों पर केंद्रित करते हुए हमारी सामाजिक दायित्व को विस्तारण करके सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ हमारे कारबार को एकीकृत किया है। सीआईएल की सीएसआर नीति के अधीन उपबंधों के अनुसार, निधि का ईसील मुख्यालय/क्षेत्र/परियोजना के 25 कि.मी. की त्रिज्या के अंदर 80% उपयोजित किया जाना चाहिए और शेष 20% राज्य/परिचालन के राज्य में संव्यय किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाता है कि समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्ग अपने विकास और संधारणीयता समर्थ करने लिए अधिकतम प्रसुविधाओं को प्राप्त करें।

2. वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की संरचना :

क्रम	सदस्यों के नाम	पदनाम	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	बैठक में सहभागिता की संख्या
1.	श्री शिव तपस्या पासवान	अध्यक्ष	4	4
2.	**श्रीमती धर्मशीला गुप्ता ***	अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक, ईसीएल	3	3
3.	श्री शिव नारायण पाण्डेय	अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक, ईसीएल	4	4
4.	मो. अंज़ार आलम	निदेशक (वित्त), ईसीएल	4	4
5.	श्रीमती आहुती स्वाईं	निदेशक (कार्मिक), ईसीएल	4	4
6.	**श्री नीलेन्दु कुमार सिंह ****	निदेशक (तकनीकी) यो. व परि., ईसीएल	4	4
7.	श्री नीलाद्री रॉय	निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईसीएल	4	4

* 13 फरवरी, 2024 तक

** 29 अप्रैल, 2024 तक

3. कंपनी की वेबसाइट पर वेब-लिंक जहाँ निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाएँ है प्रकटित किए जाते हैं :

ईसीएल ने एक सीएसआर पोर्टल विकसित किया है जो सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं से संबंधित संसूचनाएँ उपबंधित करता है। अधिक संसूचनाएँ वेब-लिंक - http://secureloginecl.co.in/csr/index.php में पाई जा सकती है।

4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं के समाघात मूल्यांकन के वेब-लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें, यदि लागू हो:

धारा 135 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसार, सीएसआर गतिविधियों में से कोई भी वित्तीय वर्ष 2023-24 में समाघात मूल्यांकन के मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

5. (अ) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ : **कुछ नहीं**

(आ) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ का 2% : **कुछ नहीं**

(इ) पूर्व वित्तीय वर्ष के सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उद्भूत अधिशेष : **कुछ नहीं**

(ई) वित्तीय वर्ष के के लिए समंजन की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कुछ हो: **कुछ नहीं**

(उ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (5आ + 5इ – 5ई) : **कुछ नहीं**

6. (अ) सीएसआर परियोजनाओं पर संव्ययित राशि (अविरत परियोजनाएँ एवं अविरत परियोजनाओं से भिन्न) : **₹7,32,88,642.00** (यथा अनुलग्नक क एवं ख के रूप में प्रतिलिपि संलग्न)

(आ) प्रशासनिक अधिव्यय में संव्ययित राशि : **15,49,184.00**

(इ) समाघात मूल्यांकन में संव्ययित राशि, यदि प्रयोज्य हो : **लागू नहीं**

(ई) वित्तीय वर्ष के लिए संव्ययित कुल राशि (6अ+6आ+6इ) : **₹7,32,88,642.00**

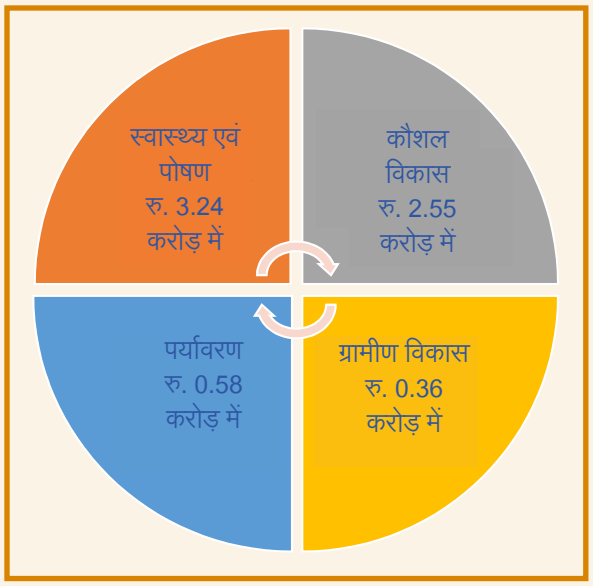
स्वास्थ्य एवं पोषण रु. 3.24 करोड़ में
कौशल विकास रु. 2.55 करोड़ में
पर्यावरण रु. 0.58 करोड़ में
ग्रामीण विकास रु. 0.36 करोड़ में

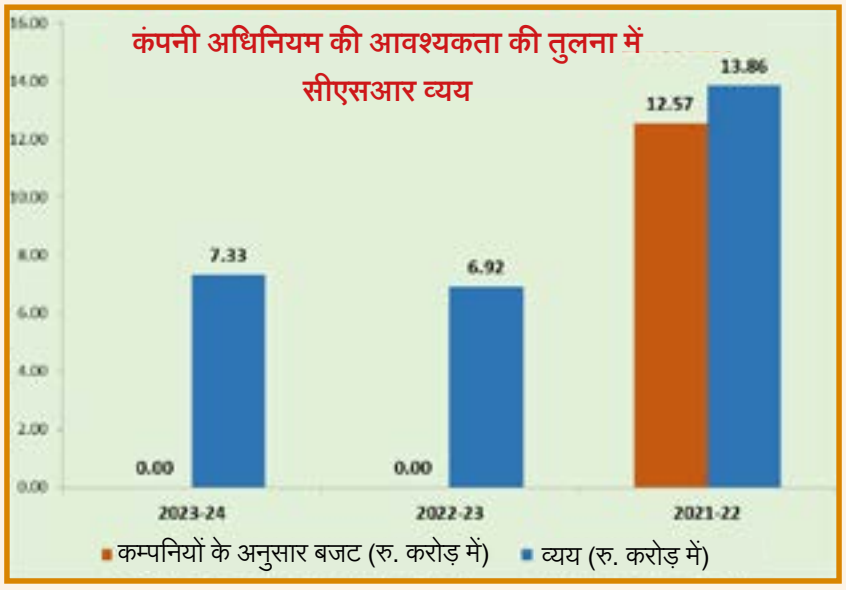
कंपनी अधिनियम की आवश्यकता की तुलना में सीएसआर व्यय
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
0.00
7.33
0.00
6.92
12.57
13.86
2023-24
2022-23
2021-22
कम्पनियों के अनुसार बजट (रु. करोड़ में)
व्यय (रु. करोड़ में)

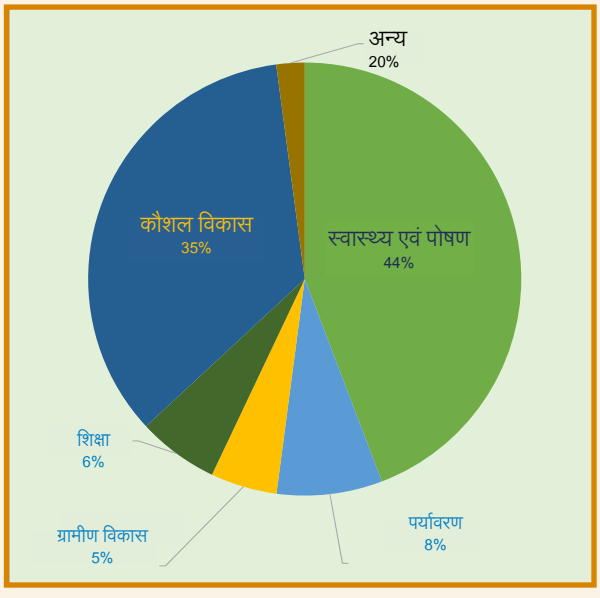
अन्य
20%
कौशल विकास
35%
स्वास्थ्य एवं पोषण
44%
शिक्षा
6%
ग्रामीण विकास
5%
पर्यावरण
8%

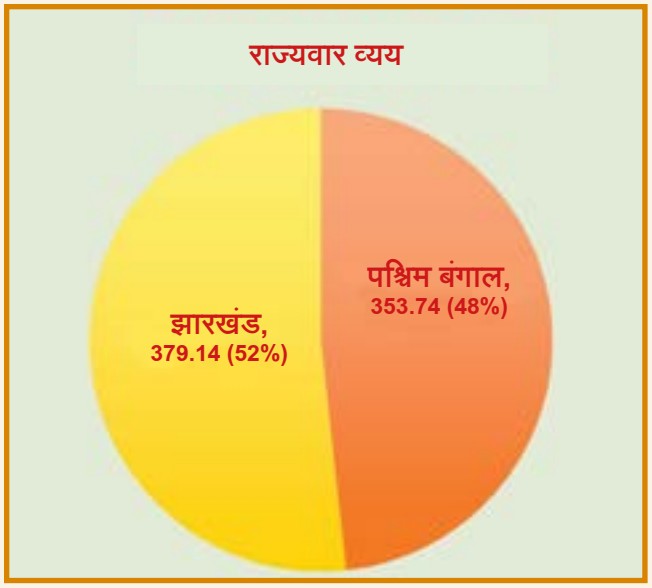
राज्यवार व्यय
पश्चिम बंगाल,
353.74 (48%)
झारखंड,
379.14 (52%)

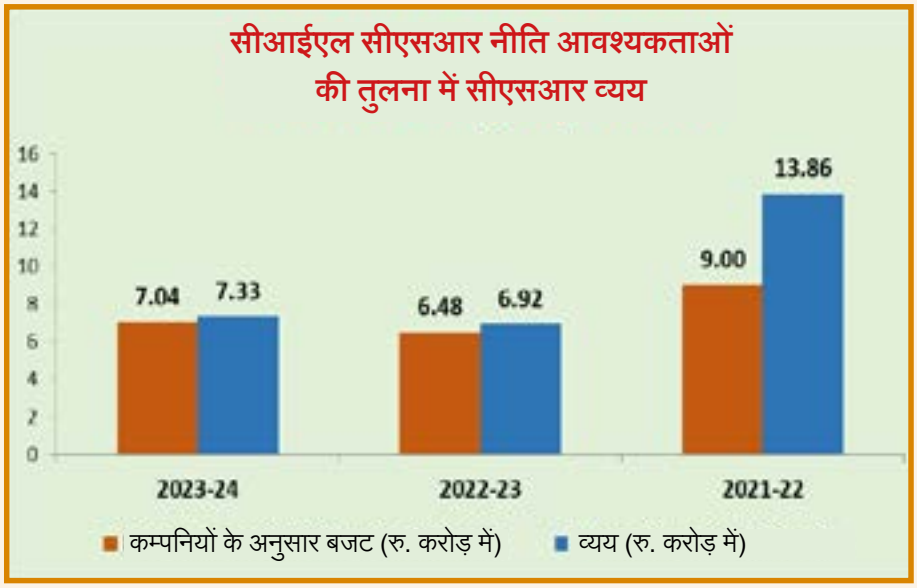
सीआईएल सीएसआर नीति आवश्यकताओं
की तुलना में सीएसआर व्यय
16
14
12
10
8
6
4
2
0
7.04
7.33
6.48
6.92
9.00
13.86
2023-24
2022-23
2021-22
कम्पनियों के अनुसार बजट (रु. करोड़ में)
व्यय (रु. करोड़ में)

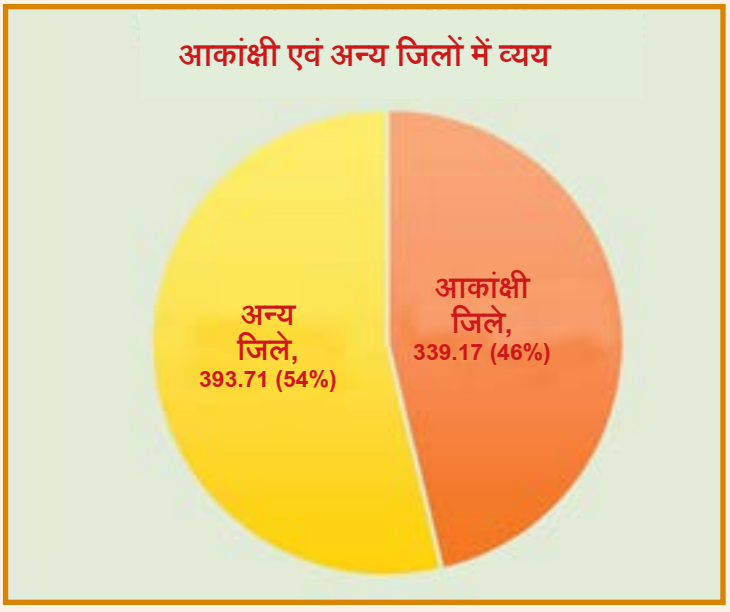
आकांक्षी एवं अन्य जिलों में व्यय
अन्य
जिले,
393.71 (54%)
आकांक्षी
जिले,
339.17 (46%)

वित्तीय वर्ष के लिए संव्ययित कुल राशि (₹ में)	अव्ययित राशि (₹ में)				
	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाता को अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के द्वितीय परंतुक के तहत अधिसूची VII के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निधि को अंतरित राशि		
	राशि (₹)	अंतरण की तिथि	निधि के नाम	राशि (₹)	अंतरण की तिथि
7,32,88,642.00	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं

(ऊ) समंजन के लिए आधिक्य राशि, यदि कुछ हो :

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	राशि (₹ करोड़)
1.	धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	कुछ नहीं
2.	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	7,32,88,642.00
3.	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii) – (i)]	(7,32,88,642.00)
4.	पूर्व वित्तीय वर्षों, यदि कोई हो, के सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उद्भूत अधिशेष	कुछ नहीं
5.	उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में समंजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii) – (iv)]	कुछ नहीं

7. (अ) पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि के ब्यौरे :

क्रम सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाता में अंतरित राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाता में शेष राशि (₹ में)	प्रतिवेदिति वित्तीय वर्ष में संव्ययित राशि (₹ में)	धारा 135 (5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो,		उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली शेष राशि	कमी, यदि कोई हो
					राशि (₹ में)	अंतरण की तिथि		
1.	2020-21	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	कोई नहीं
2.	2021-22	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	कोई नहीं
3.	2022-23	कुछ नहीं	कुछ नही	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	कोई नहीं

8. पूँजीगत आस्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में व्ययित निगमित सामाजिक दायित्व राशि के जरिए इस प्रकार निर्मित या अधिगृहीत आस्ति से संबंधित ब्यौरे प्रस्तुत करें (आस्तिवार विवरण) क्या वित्तीय वर्ष में व्यय की गई निगमित सामाजिक दायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत आस्ति निर्मित की गई है या अर्जित की गई है : **नहीं।**

9. कारण(ओं को) विनिर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ के दो प्रतिशत संव्यय करने में विफल होती है : **वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए धारा 135 (5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत शून्य है।**

(आहुति स्वाई)
निदेशक (कार्मिक)
डीआईएन-09817248

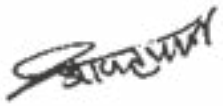

(शिव तपस्या पासवान)
अध्यक्ष, सीएसआर उप-समिति
डीआईएन-09414240

दिनांक : 10.07.2024
स्थान : सांकतोड़िया
उपाबंध : क एवं ख

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए चालू परियोजनाओं के विरूद्ध व्ययित सीएसआर राशि के ब्यौरे

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का अवस्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्ययित राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का प्रत्यक्ष रीति (हाँ / नहीं)	कार्यान्वयन अभिकरण के जरिए कार्यान्वयन की रीति	
				राज्य	जिला						कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
1	सोनपुर बाजारी के अंतर्गत भाटमुरा और मधुदांगा गांव के ग्रामीणों और स्कूल जाने वाले बच्चों को लाने ले जाने के लिए 4 वाहन किराए पर लेना	शिक्षा	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	2 वर्ष	26,91,921	14,56,520	-	हाँ	प्रत्यक्ष	-
2	राजमहल क्षेत्र के अंतर्गत गोड्डा जिले में छह महीने के लिए 100 टीबी रोगियों के लिए भोजन की टोकरियाँ	स्वास्थ्य और पोषण	नहीं	झारखण्ड	गोड्डा	1 वर्ष	4,48,875	2,46,645	-	हाँ	प्रत्यक्ष	-
3	ईसीएल के कुनुस्तोड़िया क्षेत्र के आसपास वंचित जरूरतमंद व्यक्तियों को प्रति माह 40 शिविरों में 3 वर्ष के लिए 1 मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना (चरण-2)	स्वास्थ्य और पोषण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	3 वर्ष	29,64,000	29,64,000	-	हाँ	प्रत्यक्ष	-
4	ईसीएल के राजमहल क्षेत्र के आसपास वंचित जरूरतमंद व्यक्तियों को प्रति माह 40 शिविरों में 3 वर्ष के लिए 1 मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना (चरण-2)	स्वास्थ्य और पोषण	हाँ	झारखण्ड	गोड्डा	2 वर्ष	30,01,678	29,52,258	-	हाँ	प्रत्यक्ष	-
5	ईसीएल के एस.पी. माइन्स क्षेत्र के आसपास वंचित जरूरतमंद व्यक्तियों को प्रति माह 40 शिविरों में 1 वर्ष के लिए 1 मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना (चरण-3)	स्वास्थ्य और पोषण	हाँ	झारखण्ड	देवघर	1 वर्ष	19,17,560	19,17,560	-	हाँ	प्रत्यक्ष	-
6	ईसीएल के सोनपुर बजारी क्षेत्र के आसपास वंचित जरूरतमंद व्यक्तियों को प्रति माह 40 शिविरों में 1 वर्ष के लिए 1 मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना (चरण-3)	स्वास्थ्य और पोषण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	1 वर्ष	19,17,560	19,17,560	-	हाँ	प्रत्यक्ष	-
7	ईसीएल के पांडवेश्वर क्षेत्र के आसपास वंचित जरूरतमंद व्यक्तियों को प्रति माह 40 शिविरों में 1 वर्ष के लिए 1 मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना (चरण-3)	स्वास्थ्य और पोषण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	1 वर्ष	19,17,560	19,17,560	-	हाँ	प्रत्यक्ष	-

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का अवस्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्ययित राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का प्रत्यक्ष रीति (हाँ / नहीं)	कार्यान्वयन अभिकरण के जरिए कार्यान्वयन की रीति	
				राज्य	जिला						कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
8	बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार से जुड़े व्यावसायिक प्रशिक्षण - राजमहल क्षेत्र के तहत परिधान प्रशिक्षण और डिजाइन केंद्र (एटीडीसी) द्वारा सिलाई मशीन ऑपरेटर प्रशिक्षण	कौशल विकास	हाँ	झारखण्ड	गोड्डा	1 वर्ष	10,45,044	1,42,506	-	नहीं	एटीडीसी, राँची	CSR 00000938
9	ईसीएल कमान क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों को कंप्यूटर सिस्टम प्रदान करना	शिक्षा	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	1 वर्ष	10,39,677	5,67,437	-	हाँ	प्रत्यक्ष	-
10	ईसीएल कमान क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों को कंप्यूटर सिस्टम प्रदान करना	शिक्षा	हाँ	झारखण्ड	गोड्डा, देवघर		1,41,859	1,41,859	-	हाँ	प्रत्यक्ष	-
11	आसनसोल में पोलो ग्राउंड, गर्ल्स कॉलेज और कोर्ट रोड एरिया के पास सड़क के दोनों ओर फुटपाथ का निर्माण और हरियाली से संबंधित कार्यों	पर्यावरण एवं संधारणीयता	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	1 वर्ष	35,11,164	17,55,582	-	नहीं	पश्चिम बर्द्धमान जिला परिषद्	CSR 00050753
12	राजमहल क्षेत्र के अंतर्गत आईटीआई, सिकटिया, गोड्डा, झारखण्ड का प्रचालन, अनुरक्षण, प्रबंधन और उन्नयन	कौशल विकास	हाँ	झारखण्ड	गोड्डा	10 वर्ष	1,54,98,158	1,34,13,163	-	हाँ	प्रत्यक्ष	-
13	राजमहल क्षेत्र के अंतर्गत गोड्डा, जिले के 07 ब्लॉकों में स्वास्थ्य उप-केंद्र (एचएससी) के 23 स्वास्थ्य उप-केंद्र (एचएससी) का स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एचडब्ल्यूसी) में उन्नयन	स्वास्थ्य और पोषण	हाँ	झारखण्ड	गोड्डा	1 वर्ष	1,36,50,465	1,12,83,950	-	नहीं	उपायुक्त, गोड्डा, झारखण्ड	-
14	राजमहल क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत तालझारी गांव के 20 जरूरतमंद व्यक्तियों को 20 टोटो (ई-रिक्सा) प्रदान करना	स्वास्थ्य और पोषण	हाँ	झारखण्ड	गोड्डा	1 Yr.	35,00,000	4,24,332	-	हाँ	प्रत्यक्ष	-
15	राजमहल क्षेत्र की सीएसआर योजना के तहत तालझारी गांव के 20 जरूरतमंद व्यक्तियों को 20 टोटो (ई-रिक्सा) प्रदान करना	स्वास्थ्य और पोषण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	1 वर्ष	13,73,367	13,73,367	-	नहीं	रामकृष्ण मिशन, आसनसोल	CSR 00006101
16	सालनपुर क्षेत्र के अंतर्गत रामकृष्ण मिशन आश्रम में मां शारदा दातव्य चिकित्सालय और डायग्नोस्टिक सेंटर का निर्माण	स्वास्थ्य और पोषण	हाँ	झारखण्ड	देवघर	3 वर्ष	84,681	32,128	-	हाँ	प्रत्यक्ष	-
						कुल	**5,47,03,569**	**4,25,06,427**	**-**	**-**	**-**	**-**

गांव की सड़क पर सौर स्ट्रीट लाइट

स्वास्थ्य सेवा और पोषण

मोबाइल मेडिकल वैन सेवाएं

राज्य	झारखंड और पश्चिम बंगाल
ज़िला	गोड्डा, दुमका, पश्चिम बर्द्धमान और पुरुलिया
गांवों आवृत	250 से अधिक गांवों को कवर किया गया
परियोजना लागत	250 करोड़ रुपये
30 अप्रैल 2024 तक संचयी व्यय	1.90 करोड़ रुपये
परिचालन में एमएमवी की संख्या	पाँच (5)
लाभार्थियों	1,25,000 (लगभग)

स्वास्थ्य सेवा और पोषण

मेगा स्वास्थ्य शिविर

परियोजना की अवधि	जनवरी 2024-मार्च 2024
राज्य	झारखंड और पश्चिम बंगाल
ज़िला	गोड्डा, दुमका, पश्चिम बर्द्धमान और पुरुलिया
शिविरों की संख्या	10
परियोजना लागत	0.13 करोड़ रुपये
संचयी व्यय	0.13 करोड़ रुपये
लाभार्थियों	4200

स्वास्थ्य सेवा और पोषण

MEGA EYE CAMPS	
परियोजना की अवधि	जनवरी 2024-मार्च 2024
राज्य	पश्चिम बंगाल
ज़िला	पश्चिम बर्द्धमान
शिविरों की संख्या	दो
परियोजना लागत	0.08 करोड़ रुपये
संचयी व्यय	0.08 करोड़ रुपये
लाभार्थियों	100

कौशल विकास

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिकिटिया

परियोजना की अवधि	जुलाई 2018-जून 2028
राज्य	झारखंड
ज़िला	गोड्डा
परियोजना लागत	15.03 करोड़ रुपये
30 अप्रैल तक संचयी व्यय	5.71 करोड़ रुपये
लाभार्थियों	परियोजना प्रभावित समुदाय से 600 युवा (प्रति वर्ष 152)
व्यापार आवृत	इलेक्ट्रिकल, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेल्डर, डीजल मैकेनिक
कार्यान्वयन एजेंसी	गोविंदपुर सिपाही समाज सेवा समिति अगस्त 2019 से जून 2028 तक और ओम प्रकाश ग्रामीण जन कल्याण संस्थान अगस्त 2017 से जुलाई 2019 तक

कौशल विकास

प्लास्टिक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण (सीआईपीईटी)

परियोजना की अवधि	नवंबर 2024- जून 2024
राज्य	झारखंड और पश्चिम बंगाल
ज़िला	गोड्डा, दुमका, पश्चिम बर्द्धमान
परियोजना लागत	2.94 करोड़ रुपये
31 अगस्त तक संचयी व्यय	2.58 करोड़ रुपये
लाभार्थियों	परियोजना प्रभावित समुदाय से 420 युवा (80 युवा/बैच)
व्यापार आवृत	प्लास्टिक इंजीनियरिंग
कार्यान्वयन एजेंसी	केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए चालू परियोजनाओं से इतर के विरूद्ध व्ययित सीएसआर राशि के ब्यौरे

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का अवस्थान		परियोजना के लिए व्ययित राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का प्रत्यक्ष रीति (हाँ / नहीं)	कार्यान्वयन अभिकरण के जरिए कार्यान्वयन की रीति	सीएसआर पंजीकरण सं.
				राज्य	जिला			कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	
1	इच्छापुर पंचायत में सिलाई एवं आभूषण बनाने का प्रशिक्षण	महिला सशक्तिकरण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	227,000	नहीं	डोलन बुटीक एण्ड हैण्डिक्राफ्ट ट्रस्ट	CSR00000482
2	सालनपुर विकास प्रखण्ड के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए टैंकर के साथ ट्रैक्टर की खरीद	जलापूर्ति	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	996,230	नहीं	प्रखण्ड विकास अधिकारी, सलानपुर	-
3	सीसीएल, रांची में सीएसआर सम्मेलन में प्रदर्शनी के लिए सीएसआर कार्य के लिए लगे एसआरआरईओएसआई, डोलन बुटीक और ईसीएल के राइट ट्रैक एनजीओ पार्टनर्स को 20,000 रुपये का अनुदान	प्रशासनिक	नहीं	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	20,000	हाँ	प्रत्यक्ष	-
4	सीसीएल-मुख्यालय, रांची में सीएसआर सम्मेलन, 2023 में ईसीएल के स्टॉल की स्थापना और सजावट के लिए स्वीकृति	प्रशासनिक	नहीं	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	401,271	नहीं	प्रत्यक्ष	-
5	जेमेरी ग्राम पंचायत, सतग्राम क्षेत्र में स्कूल यूनिफॉर्म टेलरिंग यूनिट में प्रशिक्षण के माध्यम से एसएचजी के लिए आजीविका उत्पादन परियोजना 'आनंदी'	कौशल विकास	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	488,421	नहीं	श्री श्री रूरल डेवेलपमेंट प्रोग्राम ट्रस्ट (एसएसआरडीपीटी)	CSR0000125
6	कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति की 1 से 05 मई, 2023 तक लेह और श्रीनगर की अध्ययन यात्रा के लिए 32 पुस्तिकाओं का मुद्रण।	प्रशासनिक	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	9,450	नहीं	प्रत्यक्ष	-
7	श्रीपुर क्षेत्र के तहत आसनसोल आनंदम (एक विशेष बाल विकास केंद्र) के 25 दिव्यांग छात्रों को सहायता देने के लिए सीएसआर परियोजना	दिव्यांगजन	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	436,000	नहीं	आसनसोल आनंदम	-
8	ईसीएल के सीएसआर के तहत बेगुनिया फ्री प्राइमरी स्कूल, बराकर में रसोई और शौचालय परिसर के साथ 02 क्लास रूम का निर्माण	शिक्षा	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	2,120,610	हाँ	प्रत्यक्ष	-
9	सीएसआर, सालनपुर क्षेत्र के अंतर्गत बाराबनी ब्लॉक में 2 वाटर एटीएम की स्थापना	जलापूर्ति	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	575,840	नहीं	बीडीओ, बाराबनी ब्लॉक	-
10	ईसीएल के सीएसआर के अंतर्गत पूर्व रेलवे द्वारा रानीगंज कोलफील्ड्स क्षेत्र में 14 रेलवे स्टेशनों पर 400 कुड़ेदान की स्थापना	स्वच्छता	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	302,895	नहीं	डीआरएम, पूर्वी रेलवे, आसनसोल	-
11	सोनपुर बाजारी क्षेत्र के अंतर्गत पांडवेश्वर ब्लॉक में ऑटो रिपेयरिंग हब और नाले का निर्माण	ग्रामीण विकास	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	3,630,385	नहीं	बीडीओ, पाण्डवेश्वर	-
12	सीपेट द्वारा ईसीएल के कमांड क्षेत्र में रहने वाले युवाओं का कौशल प्रशिक्षण	कौशल विकास	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	5,167,500	नहीं	सीपेट	CSR00008481
13	सीपेट द्वारा ईसीएल के कमांड क्षेत्र में रहने वाले युवाओं का कौशल प्रशिक्षण	कौशल विकास	हाँ	झारखण्ड	गोड्डा एवं दुमका	5,167,500	नहीं	सीपेट	CSR00008482

1	2	3	4	5		6	7	8	
Sl. no	Name of the Project	"Item from the list of activities in Schedule VII to the Act."	Local Area (Yes/ No	Location of the Project		Amount spent for the project (in Rs.).	Mode of Implementation Direct (Yes/No)	Mode of Implementation through Implementing Agency	CSR Registration number
				State	District			Name of the Implementing Agency	
14	5 साल एएमसी के साथ ईसीएल के केंदा क्षेत्र के आसपास के विभिन्न गांवों में कुल 442 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की स्थापना।	पर्यावरण व संधारणीयता	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	4,022,200	हाँ	प्रत्यक्ष	-
15	प्रोजेक्ट स्वास्थ्य सेवा शिविर : सावन महोत्सव 2023 के अवसर पर कांवड़ियों सहित स्थानीय लोगों के लिए 11 अगस्त से 30 अगस्त तक दुम्मा, देवघर, झारखंड में चिकित्सा शिविर	स्वास्थ्य और पोषण	नहीं	झारखण्ड	देवघर	1,974,987	नहीं	श्रील फाउंडेशन	CSR00035434
16	सतग्राम क्षेत्र के अंतर्गत पंजाबी मोड़ से रानीगंज स्टेशन तक हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मोबाइल जल छिड़काव	जलापूर्ति	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	197,180		प्रत्यक्ष	-
17	आकांक्षी जिलों पर विशेष जोर देने के साथ सीएसआर पर सम्मेलन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली	प्रशासनिक	नहीं	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	708,000	नहीं	डीपीई - स्कॉप	-
18	मानसूनी वर्षा से पीड़ा को कम करने के लिए ईसीएल मुख्यालय के पास सांकतोड़िया, डिसेरगढ़ और जोसाइडीह क्षेत्र की सीमांत आबादी को सहायता	स्वास्थ्य और पोषण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	355,500	नहीं	सांकतोड़िया ग्राम समिति	CSR00026873
19	आकांक्षी जिलों पर विशेष जोर देने के साथ सीएसआर पर सम्मेलन में प्रगति मैदान में ईसीएल के स्टॉल की व्यवस्था और अधिस्थापना	प्रशासनिक	नहीं	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	398,840	नहीं	प्रत्यक्ष	-
20	पर्चे की छपाई, आकांक्षी जिलों पर विशेष जोर देने के साथ सीएसआर पर सम्मेलन के लिए विजिटिंग कार्ड, प्रगति मैदान, नई दिल्ली विक्रेता को अंतिम रूप देना	प्रशासनिक	नहीं	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	11,623	नहीं	प्रत्यक्ष	-
21	ईसीएल-मुख्यालय के आसपास के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता कार्यक्रम	शिक्षा	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	149,850	नहीं	सांकतोड़िया ग्राम समिति	CSR00026873
22	बाराबनी प्रखण्ड में तीन ग्राम पंचायतों में 14 स्थानों पर पानी टैंकर के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति	जलापूर्ति	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	499,850	हाँ	प्रत्यक्ष	-
23	सीप मशरूम की खेती के माध्यम से महिलाओं के लिए आजीविका कार्यक्रम	महिला सशक्तिकरण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	249,300	नहीं	सांकतोड़िया ग्राम समिति	CSR00026873
24	शिकारीपाड़ा, दुमका में महिलाओं और युवा सहायता परिसर के लिए सीएसआर प्रस्ताव	महिला सशक्तिकरण	हाँ	झारखण्ड	दुमका	216,300	नहीं	आर. के. एचआईवी एण्ड एड्स रिसर्च एण्ड केयर सेंटर	CSR00002183
25	सतग्राम-श्रीपुर क्षेत्र में सीएसआर के तहत चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर	स्वास्थ्य और पोषण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	380,000	हाँ	प्रत्यक्ष	-
26	ईसीएल के परिचालनात्मक और अन्वेषणात्मक क्षेत्रों के आस-पास वृहद स्वास्थ्य शिविर शिविरों का आयोजन	स्वास्थ्य और पोषण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	2,074,983	नहीं	आर. के. एचआईवी एण्ड एड्स रिसर्च एण्ड केयर सेंटर	CSR00002183

निगमित सुशासन पर प्रतिवेदन

(1) दर्शन:

निगमित सुशासन नैतिक रूप से संचालित कारबार प्रथाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियामकों, कर्मियों, ग्राहकों, विक्रेताओं, निवेशकों और व्यापक रूप से समाज सहित सभी हितधारकों के लिए दीर्घाकालिक संधारणीय मूल्यों की संवृद्धि के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण है। प्रभावी निगमित सुशासन प्रथाएँ एक मजबूत नींव को स्थापित करती हैं जिसपर सफल वाणिज्यिक उद्यमों को लंबे समय तक चलने के लिए बनाया जा सकता है। यह आवश्यक है कि देश में ऊर्जा आपूर्ति शृंखला का प्रबंधन करने के लिए कंपनी के मामलों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से प्रबंधित किया जाए।

आपकी कंपनी शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा करने और वित्तीय, प्रदर्शन और सुशासन के बारे में समय पर, पर्याप्त और सटीक जानकारी का खुलासा करने के लिए इसे एक अंतर्निहित दायित्व मानती है। निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और दायित्व अच्छे निगमित सुशासन के चार स्तंभ हैं।

(2) निदेशक मण्डल :

(क) निदेशक मण्डल की संरचना :

यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अर्थ के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है और कोल इंडिया लिमिटेड के पास समस्त चुकता शेयर पूँजी है। संगत अनुच्छेदों के अनुसार, निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है।

कंपनी के संगत अनुच्छेदों के निबंधन में, निदेशक मण्डल की पद संख्या 2 निदेशकों से कम नहीं होगी और 15 निदेशकों से अधिक नहीं होगी जिसमें पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक और अंशकालिक निदेशक सम्मिलित होंगे।

31 मार्च, 2024 तक, निदेशक मण्डल में 9 निदेशकगण सम्मिलित हुए, जिसमें से 5 पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकगण, 2 अंशकालिक पदीय निदेशकगण और 2 अंशकालिक गैर-पदीय निदेशकगण थें।

निदेशकगण निदेशक मण्डल में व्यापक अनुभव और कौशल लाते हैं।

निदेशकगण :

वर्ष 2023-24 के दौरान, श्री अंबिका प्रसाद पंडा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (27.12.2023 तक) थे, श्री समीरन दत्ता को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (28.12.2023 से) के रूप में नियुक्त किया गया था। 2023-24 के दौरान श्रीमती धर्मशीला गुप्ता, अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक (13.02.2024 तक); श्री शिव नारायण पाण्डेय, अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक; श्री शिव तपस्या पासवान, अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक; श्री एच. के. हाजोंग, अंशकालिक पदीय निदेशक (30.06.2023 तक); श्री माणिक चंद्र पंडित, अंशकालिक पदीय निदेशक (19.07.2023 से), श्री बी. वीरा रेड्डी, अंशकालिक पदीय निदेशक (17.03.2024 तक); श्री मुकेश अग्रवाल, अंशकालिक पदीय निदेशक (18.03.2024 से प्रभावी); मोहम्मद अंजार आलम, कार्यकारी निदेशक; सुश्री आहुति स्वैन, कार्यकारी निदेशक; श्री निलेंदु कुमार सिंह, कार्यकारी निदेशक और श्री नीलाद्री रॉय, कार्यकारी निदेशक कंपनी के निदेशक मण्डल के अन्य निदेशक थे।

सेवा संविदा :

भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति की गई है। कंपनी के संगम अनुच्छेद के निबंधन में पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशगणों की नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा विनिश्चित किया जाता है। गैर-पदीय अंशकालिक निदेशकों के निबंधन एवं शर्ते को कोयला मंत्रालय द्वारा अधिकथित किया जाता है।

निदेशकगणों की आयु-सीमाएँ एवं पदावधि :

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं अन्य पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकगणों की आयु-सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं अन्य पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकगण पदग्रहण की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि या पदधारी की अधिवर्षिता की तिथि तक या भारत सरकार के अगले आदेश तक जो भी घटना पहले होती है के लिए नियुक्त किए जाते हैं। निदेशक मण्डल के किसी भी निदेशकगण दस से अधिक सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक पद को धारित नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त, उनमें से कोई भी दस से अधिक समितियों का सदस्य या सभी सार्वजनिक कंपनियों में पांच से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है, जिसमें वह एक निदेशक है। निदेशकों द्वारा 31 मार्च, 2024 तक अन्य सार्वजनिक कंपनियों में समिति के पदों संबंधी आवश्यक प्रकटन किया गया है। कोई भी निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। कोयला मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी नामित निदेशकगण, कोयला मंत्रालय के पदधारी नहीं रहने पर निदेशक मण्डल से सेवानिवृत्त होते हैं। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकगणों की नियुक्ति की जाती है। गैर-अधिशासी स्वतंत्र निदेशकगण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 में विनिर्दिष्ट स्वतंत्रता की शर्तों को पूर्ण करते हैं।

(ख) निदेशक मण्डलीय बैठके :

निदेशकों की सुविधा के लिए और वीडियो दूर सम्मेलन रीति के जरिए भी निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः सांक्तोड़िया/कोलकाता में आयोजित की जाती हैं। कंपनी के पास निदेशक मंडल और उसकी समितियों की बैठकों के लिए सुपरिभाषित प्रक्रियाएँ हैं ताकि सुविज्ञ और दक्ष रीति से निर्णय विनिश्चय में सुकर हो सके।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, यथा एक वित्तीय वर्ष में 4 बैठकों की न्यूनतम आवश्यकता के प्रतिकूल 11 (ग्यारह) निदेशक मण्डलीय बैठकें 10.04.2023, 25.04.2024, 30.05.2023, 22.06.2023, 25.07.2023, 12.09.2023, 19.10.2023, 16.11.2023, 25.01.2024, 02.03.2024 एवं 29.03.2024 को आयोजित किए गए थें।

प्रत्येक निदेशकगणों की उपस्थिति सापेक्ष निदेशक मण्डलीय बैठकों की संख्या निम्नवत है :

क्रम	निदेशकगण	निदेशक मण्डलीय बैठकें		अन्य निदेशकों की संख्या
		पदावधि के दौरान आयोजित	उपस्थिति सापेक्ष	
	कार्यकारी निदेशकगण :			
01	श्री अंबिका प्रसाद पंडा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल (27.12.2023 तक)	8	8	कुछ नहीं
02	श्री समीरन दत्ता अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (28.12.2023 से)	3	3	01
03	मो. अंज़ार आलम निदेशक (वित्त), ईसीएल	11	11	कुछ नहीं
04	श्रीमती आहुती स्वाईं निदेशक (कार्मिक), ईसीएल	11	11	कुछ नहीं
05	श्री नीलेन्दु कुमार सिंह निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना, ईसीएल	11	11	कुछ नहीं
06	श्री नीलाद्रि रॉय निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईसीएल	11	11	कुछ नहीं
	अंशकालिक पदीय निदेशक :			
07	श्री हारा कुमार हाजोंग आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय (30.06.2023 तक)	4	4	कुछ नहीं
08	श्री माणिक चंद्र पंडित आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय (19.07.2023 से)	7	7	कुछ नहीं
09	श्री बी. वीरा रेड्डी निदेशक (तकनीकी), सीआईएल (18.03.2024 तक)	10	9	07
10	श्री मुकेश अग्रवाल निदेशक (वित्त), सीआईएल (18.03.2024 से)	1	1	1
	अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक :			
11	श्रीमती धर्मशीला गुप्ता (13.02.2024 तक)	9	9	कुछ नहीं
12	श्री शिव नारायण पाण्डेय	11	11	कुछ नहीं
13	श्री शिव तपस्या पासवान	11	11	कुछ नहीं

(ग) निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत सूचना :

निदेशक मण्डल का कंपनी के अंतर्गत किसी भी सूचना तक पूर्ण अभिगमन है। निदेशक मण्डल को आपूर्ति की जाने वाली नियमित सूचनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्निलखित को समाविष्ट करता है :

i. वार्षिक परिचालनात्मक योजनाएँ एवं बजटों और कोई अध्यतन।

ii. पूँजी बजटों और कोई अद्यतन।

iii. कंपनी और उसके परिचालनात्मक प्रभागों या कारबार अनुभागों के लिए तिमाही परिणाम।

iv. निदेशक मण्डल के लेखापरीक्षा समिति एवं अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।

v. निदेशक मण्डल के ठीक नीचे मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कंपनी सचिव की नियुक्ति या अपसारण सहित वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक की सूचना।

vi. कारण बताओ, माँग, अभियोजन सूचनाएँ तथा शास्ति सूचनाएँ जो तात्त्विक रूप से महत्वपूर्ण हैं।

vii. घातक या गंभीर दुर्घटनाएँ, संकटपूर्ण घटनाएँ, किसी पदार्थ बहिःस्राव या प्रदूषण समस्याएँ।

viii. कंपनी को और उसके द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई भी तात्त्विक व्यतिक्रम, या कंपनी द्वारा बिक्री मालों के लिए सारभूत असंदाय।

ix. कोई भी मुद्दा, जिसमें किसी भी निर्णय या आदेश सहित सारभूत प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद देयता दावे अंतर्वलित होते हैं, जिससे कंपनी के कार्याकलाप पर अवक्षेपें पारित हो सकता है या किसी अन्य उद्यम विषयक प्रतिकूल दृष्टिकोण परिगृहीत कर सकता है जिसका कंपनी पर नकारात्मक विवक्षा हो सकता है।

x. किसी भी संयुक्त उद्यमों या सहयोग करार का ब्यौरा।

xi. महत्वपूर्ण श्रम समस्याएँ और उनके प्रस्तावित समाधान। मजदूरी करार पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के क्रियान्वयन इत्यादि जैसे अग्रणी मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध में कोई महत्वपूर्ण विकास।

xii. किसी भी विनियमकारी एवं कानूनी मामलों का अननुपालन।

(घ) निदेशक का पारिश्रमिक :

अ. कार्यकारी निदेशकगण :

(राशि ₹ में)

क्रम	निदेशक का नाम	वेतन	प्रसुविधाएँ	कुल
1.	श्री अंबिका प्रसाद पंडा	59,05,311.00	3,42,162.00	62,47,475.00
2.	मो. अंज़ार आलम	39,30,060.00	2,19,147.00	41,49,207.00
3.	श्रीमती आहुती स्वाईं	59,32,223.00	4,68,665.00	64,00,888.00
4.	श्री नीलेन्दु कुमार सिंह	60,90,268.00	4,91,862.00	65,82,130.00
5.	श्री नीलाद्रि रॉय	71,00,703.00	4,72,564.00	75,73,267.00

आ.अंशकालिक पदीय निदेशकगण :

कंपनी द्वारा अंशकालिक पदीय निदेशकगणों को कोई भी पारिश्रमिक संदाय नहीं किया गया है।

इ. अंशकालिक गैर-पदीय निदेशकगण :

अंशकालिक गैर-पदीय निदेशकों को बैठक शुल्क के सिवाय कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा रहा है। निदेशक मण्डल / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रदत्त बैठक शुल्क का ब्यौरे निम्नवत है :

(राशि ₹ में)

क्रम	निदेशक का नाम	निदेशक मण्डलीय बैठक के लिए बैठक शुल्क	समिति बैठकों के लिए बैठक शुल्क	कुल
1.	श्रीमती धर्मशीला गुप्ता (13.02.2024 तक)	1,35,000	2,40,000	3,75,000
2.	श्री शिव नारायण पाण्डेय	1,65,000	3,00,000	4,65,000
3.	श्री शिव तपस्या पासवान	1,65,000	3,00,000	4,65,000

3. निदेशक मण्डलीय समिति :

निदेशक मण्डल ने निम्नलिखित मण्डलीय समितियों का गठन किया है :

अ. लेखापरीक्षा समिति;

आ. "परियोजनाओँ का मूल्यांकन, मूल्य-निरूपण एवं अनुमोदन" के लिए उप-समिति;

ग. "सीएसआर" पर समिति;

घ. जोखिम प्रबंधन समिति;

[क] लेखापरीक्षा समिति :

आपकी कंपनी के पास स्वतंत्र लेखापरीक्षा समिति है। कंपनी द्वारा गठित लेखापरीक्षा समिति की संरचना, प्रक्रियाएँ, शक्तियाँ और भूमिकाएँ / प्रकार्य कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं का अनुपालन करना है।

लेखापरीक्षा समिति का विस्तार :

लेखापरीक्षा समिति के विस्तार यथा निम्नवत हैं :

अ) कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदित प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना और उसके वित्तीय सूचना के प्रकटन को सुनिश्चित करना कि वित्तीय विवरणी सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।

आ) निदेशक मण्डल को लेखापरीक्षा शुल्कों के नियतन की सिफारिश करना।

इ) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदत्त किसी अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को शुल्क नियतन के लिए निदेशक मण्डल को सिफारिश।

ई) वार्षिक वित्तीय विवरणियों को अनुमोदन के लिए निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व अनुप्रयुक्त विधियों के साथ अनुपालन में हैं के प्रति निर्देश से प्रबंधन के साथ पुनर्विलोकन करना और यह सुनिश्चित करना कि :

i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार निदेशक मण्डलीय प्रतिवेदनों में समाविष्ट किए गए आवश्यक मामले हैं;

ii) लेखांकन नीतियों एवं प्रथाओं में, यदि कोई हो, परिवर्तन हैं;

iii) प्रबंधन द्वारा निर्णय के अभ्यास पर आधारित प्राक्कलनों के अंतर्गत लेखांकन प्रविष्टियाँ किए गए हैं;

iv) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उद्भूत वित्तीय विवरणियों में कृत महत्त्वपूर्ण समायोजन किए गए हैं;

v) वित्तीय विवरणी संबंधित विधिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन में हैं;

vi) किसी भी संबंध पक्षकार लेनदेनों का प्रकटन किया गया है;

vii) लेखापरीक्षक प्रतिवेदन प्रारूप में अर्हताओं में हैं और

viii) वित्तीय दशाओं एवं परिचालनात्मक परिणामों की प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण किया गया हैं।

उ) अनुमोदन के लिए निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणियों, प्रबंधन क साथ, पुनर्विलोकन।

ऊ) आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य-निष्पादन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों पर प्रबंधन के साथ पुनर्विलोकन करना।

ऋ) आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना, यदि कोई आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, विभाग प्रधान की कार्मिक व्यवस्था और वरीयता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखा परीक्षा की आवृत्ति और आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति और / या हटाने के बारे में जानकारी सम्मिलित है।

ऌ) आंतरिक लेखापरीक्षक और / या लेखापरीक्षकों के साथ किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्षों या उसके अनुवर्ती कार्रवाई पर परिचर्चा।

ऍ) मामलें जहाँ तात्त्विक प्रकृति के संदिग्ध कपट या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है और निदेशक मण्डल को मामलात की रिपोर्टिंग प्रतिवेदित किया जा रहा है को आंतरिक लेखापरीक्षकों / लेखापरीक्षकों / अभिकरणों द्वारा किसी भी आंतरिक अन्वेषणों के निष्कर्षों का पुनर्विलोकन करना।

ऐ) लेखापरीक्षा आरंभ करने के पूर्व, लेखापरीक्षा की प्रकृति और विस्तार के साथ-साथ किसी भी समुत्थान क्षेत्र को अभिनिश्चित करने के लिए पश्च-लेखापरीक्षा परिचर्चा के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ परिचर्चा।

ए) जमाकर्ता, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के असंदाय की दशा में) एवं ऋणदाताओं के संदाय में सारभूत व्यतिक्रम के लिए कारकों की जाँच-पड़ताल करना।

ऐ) सूचना प्रदाता तंत्र के कार्य पद्धति का पुनर्विलोकन करना।

ऑ) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा संप्रेक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई का पुनर्विलोकन करना।

ओ) गतिविधियों के विस्तार या आवश्यक सूचना तक पहुँच में किसी भी निर्बंधनों सहित लेखापरीक्षा के दौरान समागमित कोई भी कठिनाइयाँ।

ओ) संसद के सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति के संस्तुतियों को परिगृहीत अनुवर्ती कार्रवाई को पुनर्विलोकन करना।

संरचना :

31 मार्च, 2024 तक लेखापरीक्षा समिति में दो (02) अंशकालिक गैर-पदीय निदेशकगण नामतः श्री शिव नारायण पाण्डेय एवं श्री शिव तपस्या पासवान; दो (02) अंशकालिक पदीय निदेशकगण नामतः श्री माणिक चंद्र पंडित, निदेशक, कोयला मंत्रालय और श्री मुकेश अग्रवाल, निदेशक (वित्त), सीआईएल तथा तीन (03) कार्यकारी निदेशक नामतः श्रीमती आहुती स्वाईं, निदेशक (कार्मिक); श्री नीलेन्दु सिंह, निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना एवं श्री नीलाद्री रॉय, निदेशक (तकनीकी) संचालन सम्मिलित थे।

अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक श्री शिव नारायण पाण्डेय वित्तीय वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं।

लेखापरीक्षा समिति में निदेशक (वित्त) एवं महाप्रबंधक (आंतरिक लेखापरीक्षा) स्थायी आमंत्रित हैं और कंपनी सचिव समिति के सचिव है।

लेखापरीक्षा समिति की दस (10) बैठकें वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 25.04.2023, 29.05.2023, 22.06.2023, 25.07.2023, 12.09.2023, 27.09.2023, 19.10.2023, 18.12.2023, 25.01.2024 और 02.03.2024 को आयोजित की गई। वर्ष के दौरान प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या के ब्यौरे निम्नानुसार है:

क्रम	सदस्य	सदस्यों के निज पदावधि के दौरान आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	श्री शिव नारायण पाण्डेय	10	10
2.	श्री एच. के. हाजोंग	3	3
3.	श्री माणिक चंद पंडित	7	7
4.	श्री बी. वीरा रेड्डी	10	3
5.	श्रीमती धर्मशीला गुप्ता	9	9
6.	श्री शिव तपस्या पासवान	10	10
7.	श्रीमती आहुती स्वाईं	10	8
8.	श्री नीलेन्दु कुमार सिंह	10	10
9.	श्री नीलाद्रि रॉय	10	9

[ख] परियोजनाओं का मूल्यांकन, मूल्य निरूपण एवं अनुमोदन के लिए समिति :

निदेशक मंडल की 246वीं बैठक में, परियोजनाओँ के मूल्यांकन, मूल्य-निरूपण एवं अनुमोदन के लिए एक समिति का गठन किया गया था। 31 मार्च, 2024 तक, परियोजनाओं के मूल्यांकन, मूल्य-निरूपण एवं अनुमोदन के लिए समिति में दो (02) अंशकालिक पदीय निदेशकगण नामतः श्री माणिक चंद्र पंडित, निदेशक, कोयला मंत्रालय और श्री मुकेश अग्रवाल, निदेशक (वित्त), सीआईएल ; दो (02) अंशकालिक गैर-पदीय निदेशकगण नामतः श्री शिव नारायण पाण्डेय एवं श्री शिव तपस्या पासवान; तथा चार (04) कार्यकारी निदेशक नामतः मो. अंज़ार आलम, निदेशक (वित्त); श्रीमती आहुती स्वाईं, निदेशक (कार्मिक); श्री नीलेन्दु कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना एवं श्री नीलाद्रि रॉय, निदेशक (तकनीकी) संचालन सम्मिलित थे।

वर्ष के दौरान 30.06.2023 तक समिति के सभापति कोयला मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार एवं ईसीएल के अंशकालिक पदीय निदेशक श्री एच. के. हाजोंग थे और तत्पश्चात सभापति कोयला मंत्रालय के निदेशक एवं ईसीएल के अंशकालिक पदीय निदेशक श्री माणिक चंद्र पण्डित थे।

कंपनी सचिव समिति के सचिव है और इस समिति के लिए नोडल अधिकारी महाप्रबंधक (योजना व परियोजना) है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 12.09.2023 और 25.01.2024 को परियोजनाओं के मूल्यांकन, मूल्य-निरूपण और अनुमोदन की दो (02) बैठकें आयोजित की गई। वर्ष के दौरान प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई परियोजना के मूल्यांकन, मूल्य-निरूपण और अनुमोदन बैठकों की संख्या के ब्यौरे निम्नानुसार है:

क्रम	सदस्य	सदस्यों के निज पदावधि के दौरान आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	श्री एच. के. हाजोंग	-	-
2.	श्री माणिक चंद पंडित	2	2
3.	श्री बी. वीरा रेड्डी	2	0
4.	श्री शिव नारायण पाण्डेय	2	2
5.	श्रीमती धर्मशीला गुप्ता	2	2
6.	श्री शिव तपस्या पासवान	2	2
7.	मो. अंज़ार आलम	2	2
8.	श्रीमती आहुती स्वाईं	2	2
9.	श्री नीलेन्दु कुमार सिंह	2	1
10.	श्री नीलाद्रि रॉय	2	2

[ग] सीएसआर पर समिति :

ईसीएल निदेशक मंडल की 261वीं बैठक में, सीएसआर उपसमिति का गठन किया गया था। 31 मार्च, 2024 तक समिति में दो (02) अंशकालिक गैर-पदीय निदेशकगण नामतः श्री शिव तपस्या पासवान एवं श्री शिव नारायण पाण्डेय तथा चार (04) कार्यकारी निदेशक नामतः मो. अंज़ार आलम, निदेशक (वित्त); श्रीमती आहुती स्वाईं, निदेशक (कार्मिक); श्री नीलेन्दु कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना एवं श्री नीलाद्री रॉय, निदेशक (तकनीकी) संचालन सम्मिलित थे।

वर्ष की समाप्ति तक अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक श्री शिव तपस्या पासवान सीएसआर उपसमिति के सभापति थे।

कंपनी सचिव समिति के सचिव है और इस समिति के लिए नोडल अधिकारी महाप्रबंधक (सीएसआर एवं कल्याण) है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, सीएसआर समिति की चार (04) बैठकें यानी 29.05.2023, 22.06.2023, 18.12.2023 और 02.03.2024 को आयोजित की गईं। बैठकों में सदस्यों एवं उनकी उपस्थिति के ब्यौरे निम्नवत है :

क्रम	सदस्य	सदस्यों के निज पदावधि के दौरान आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	श्री शिव तपस्या पासवान	4	4
2.	श्रीमती धर्मशीला गुप्ता	3	3
3.	श्री शिव नारायण पाण्डेय	4	4
4.	मो. अंज़ार आलम	4	4
5.	श्रीमती आहुती स्वाईं	4	4
6.	श्री नीलेन्दु कुमार सिंह	4	4
7.	श्री नीलाद्रि रॉय	4	4

[घ] जोखिम प्रबंधन समिति :

ईसीएल निदेशक मंडल की 291वीं बैठक में, जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया था। 31 मार्च, 2024 तक समिति में दो (02) अंशकालिक गैर-पदीय निदेशकगण नामतः श्री शिव नारायण पाण्डेय एवं श्री शिव तपस्या पासवान तथा चार (04) कार्यकारी निदेशक नामतः मो. अंज़ार आलम, निदेशक (वित्त); श्रीमती आहुती स्वाईं, निदेशक (कार्मिक); श्री नीलेन्दु कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना एवं श्री नीलाद्री रॉय, निदेशक (तकनीकी) संचालन सम्मिलित थे।

श्रीमती धर्मशीला गुप्ता, अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक, 13.02.2024 तक जोखिम प्रबंधन समिति के सभापति थीं और उसके बाद वर्ष के दौरान ईसीएल के अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक श्री शिव नारायण पाण्डेय समिति के सभापति थे।

कंपनी सचिव समिति के सचिव है और इस समिति के लिए नोडल अधिकारी महाप्रबंधक (योजना व परियोजना) है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की तीन (03) बैठकें यानी 31.05.2023, 11.09.2023 और 29.03.2024 को आयोजित की गईं। बैठकों में सदस्यों एवं उनकी उपस्थिति के ब्यौरे निम्नवत है :

क्रम	सदस्य	सदस्यों के निज पदावधि के दौरान आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	श्रीमती धर्मशीला गुप्ता	2	2
2.	श्री शिव नारायण पाण्डेय	3	3
3.	श्री शिव तपस्या पासवान	3	3
4.	मो. अंज़ार आलम	3	3
5.	श्रीमती आहुती स्वाईं	3	2
6.	श्री नीलेन्दु कुमार सिंह	3	3
7.	श्री नीलाद्रि रॉय	3	3

[ङ] सांविधिक लेखापरीक्षक :

वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी का वित्तीय खातों का लेखापरीक्षा संचालित करने के लिए भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अधीन निम्नलिखित सनदी लेखाकार फर्मों नियुक्त किया गया था :

सांविधिक लेखापरीक्षक :

1. मेसर्स रॉय घोष एवं एसोसिएटस, 39, कलना मार्ग, बदामतला, बर्द्धवान, पश्चिम बंगाल, पिन- 713101

शाखा लेखापरीक्षक :

2. मेसर्स एस. गुहा एवं एसोसिएट, एई-441, सीजे 19, सेक्टर -II, उत्तर 24 परगना, कोलकाता – 700091, पश्चिम बंगाल
3. मेसर्स सुदीप्ता घोष एण्ड कंपनी, 135/न्यू न. 38/ टाउन हॉल पाड़ा, बर्द्धवान-713101, पश्चिम बंगाल
4. मेसर्स आइच रे दास एण्ड चट्टोपाध्याय, कमरा नंबर- I, तीसरी मंजिल, आईसीआईसीआई बैंक बिल्डिंग, 399, जीटी रोड, बर्दवान -713101, पश्चिम बंगाल
5. मेसर्स पीएनपी एण्ड कंपनी, बेणु भवन, 5 सं., इछलाबाद, पोस्ट – श्रीपल्ली, काजी बाड़ी बाजार मोड़ के पास, बर्द्धवान - 713103
6. मेसर्स एस. के. नरेडी एवं कंपनी, पार्क मेंशन बॉल्क 1, कक्ष सं. 5, तृतीय तल, 57ए पार्क स्ट्रीट, कोलकाता – 700016, पश्चिम बंगाल

[च] वार्षिक आम बैठक :

विगत 3 वर्षों के दौरान आयोजित कंपनी क शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठकों की विशिष्टियाँ यथा निम्नवत थे :

वर्ष	तिथि, समय व स्थान	उपस्थिति	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2020-21 (*) (टिप्पणी-1)	11.08.2021 10.00 सुबह सांकतोड़िया	श्री प्रेम सागर मिश्रा - अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल; श्री प्रमोद अग्रवाल- अध्यक्ष, सीआईएल (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); श्री एस.एन. तिवारी- निदेशक (विपणन), सीआईएल (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); श्री एम. विश्वनाथन- कंपनी सचिव, सीआईएल, सीआईएल के प्रतिनिधि (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); श्री अनिमेष भारती- अंशकालिक पदीय निदेशक, ईसीएल और ईसीएल के परियोजनाओं का मूल्यांकन, मूल्य-निरूपण एवं अनुमोदन समिति के सभापति (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); श्री प्रवीण कांत- अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक, ईसीएल, ईसीएल के लेखापरीक्षा समिति तथा जोखिम प्रबंधन समिति के सभापति (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); श्री ए. के. गणेरिवाला- अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक, ईसीएल एवं ईसीएल की सीएसआर समिति के सभापति (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); श्री जयप्रकाश गुप्ता- निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना, ईसीएल; श्री बी. वीरा रेड्डी- निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईसीएल; श्री गौतम चंद्रा डी- निदेशक (वित्त), ईसीएल; मेसर्स जी.पी अग्रवाल एंड कंपनी- सांविधिक लेखापरीक्षक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); मेसर्स आर.जे. गोयल एंड कंपनी- लागत लेखापरीक्षक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); मेसर्स जे.के. दास एंड एसोसिएट्स- सचिवालयिक लेखापरीक्षक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)	-

वर्ष	तिथि, समय व स्थान	उपस्थिति	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2021-22 (*) (टिप्पणी-1)	29.07.2022 09.45 सुबह सांकतोड़िया	श्री ए पी पंडा- अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल; श्री बी. वीरा रेड्डी- निदेशक (तकनीकी), सीआईएल (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); श्री एम. विश्वनाथन- कंपनी सचिव, सीआईएल, सीआईएल के प्रतिनिधि (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); श्री शिव नारायण पाण्डेय- अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक, ईसीएल, ईसीएल की लेखापरीक्षा समिति और जोखिम प्रबंधन समिति के सभापति (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); श्री जयप्रकाश गुप्ता- निदेशक (तकनीकी) परियोजना और योजना, ईसीएल; श्री एस. के. सोमानी- सीएफओ और मप्र (वित्त), ईसीएल; श्री डी. के. नायक- अप्रनि के तकनीकी सचिव, ईसीएल; श्री सुदीप दासगुप्ता- मुख्य प्रबंधक (वित्त), ईसीएल; मेसर्स जी.पी अग्रवाल एंड कंपनी- सांविधिक लेखापरीक्षक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); मेसर्स आर.जे. गोयल एंड कंपनी- लागत लेखापरीक्षक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); मेसर्स जे.के. दास एंड एसोसिएट्स- सचिवालयिक लेखापरीक्षक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)	-
2022-23	11.07.2023 11.00 सुबह सांकतोड़िया	श्री ए. पी. पंडा - अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल; श्री पी. एम. प्रसाद- अध्यक्ष, सीआईएल (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) श्री बी. वीरा रेड्डी- निदेशक (तकनीकी), सीआईएल (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); श्री बी. पी. दुबे- कंपनी सचिव, सीआईएल, सीआईएल के प्रतिनिधि (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); श्री शिव नारायण पाण्डेय- अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक, ईसीएल, लेखापरीक्षा समिति के सभापति (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); श्रीमती धर्मशीला गुप्ता- अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक, ईसीएल, ईसीएल की जोखिम प्रबंधन समिति की सभापति (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) श्री शिव तपस्या पासवान- अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक, ईसीएल, ईसीएल के सीएसआर के सभापति (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) श्री अंज़ार आलम- निदेशक (वित्त) और सीएफओ, ईसीएल; श्री नीलेंदु कुमार सिंह- निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना, ईसीएल; श्री नीलाद्रि रॉय, निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईसीएल; श्री मदन मोहन कुमार- अप्रनि के तकनीकी सचिव, ईसीएल; श्री आनंद प्रताप सिंह- महाप्रबंधक (वित्त), ईसीएल; मेसर्स एन.सी. बनर्जी एंड कंपनी- सांविधिक लेखापरीक्षक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); मैसर्स आर.जे. गोयल एंड कंपनी- लागत लेखापरीक्षक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से); मेसर्स मेहता और मेहता- सचिवालयिक लेखापरीक्षक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)	

*** टिप्पणी-1:** राष्ट्र में विद्यमान कोविड-19 से उत्पन्न सर्वव्यापी रोग के कारण असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम-18 तथा भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा क्रमशः निर्गत सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, दिनांकित 08 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020 एवं सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांकित 05 मई 2020 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों (किसी भी सांविधिक उपांतर या तत्समय प्रवृत्त पुनःअधिनियमिति सहित) और अन्य अनुप्रयुक्त कानूनों एवं विनियमों के अनुसार, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की सचिवीय लेखापरीक्षक सहित शेयरधारकों, निदेशकगणों एवं लेखापरीक्षकों को बैठक में सम्मिलित होने और/या मतदान करने के हकदार थे, companysecretary.ecl@coalindia.in को ई-मेल प्रेषण के द्वारा बैठक में विचारित मदों पर केवल उसी स्तर में अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए, विडियो दूर सम्मेलन (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के जरिए बैठक में सम्मिलित हो सकते हैं और/या मतदान कर सकते हैं। सदस्यों द्वारा परोक्षी की नियुक्ति की प्रसुविधा अनुपलब्ध थीं। तदापि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 एवं 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधियों को विडियो दूर सम्मेलन (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के जरिए सहभागिता और मतदान के लिए नियुक्त किया जा सकता है। विडियो दूर सम्मेलन (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के जरिए बैठक में उपस्थित होने के लिए, अग्रिम रूप से कंपनी के प्राधिकृत मेल आईडी से लिंक उपलब्ध कराया गया था और बैठक में सम्मिलित होने की प्रसुविधा बैठक आरंभ होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व खुली रखी गई और बैठक के निर्धारित समय के 15 मिनट के पश्चात बंद कर दी गई।

उपर्युक्त तीन वर्षों के दौरान आयोजित सदस्यों की किसी भी आम बैठक में डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया था।

4. प्रकटन :

(अ) संबद्ध पक्षकार अंतरण :

कंपनी के निदेशकगणों द्वारा प्रदत्त प्रकटन के अनुसार कोई भी संबद्ध पक्षकार अंतरण नहीं हुआ था जो कि स्वच्छंद कंपनी के हितों के साथ संभावी संघर्ष हो।

(आ) निदेशकगणों एवं वरिष्ठ अधिशासियों के लिए आचार संहिता :

कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर, 2007 को आयोजित अपने 214वें बैठक में निदेशकगणों एवं वरिष्ठ अधिशासियों के लिए आचार संहिता अनुमोदित किया गया था। इसे निदेशकगणों एवं वरिष्ठ अधिशासियों को परिचालित किया गया था और उनकी अभिपुष्टि प्राप्त की गई थी। इसे कंपनी के वेबसाइट www.easterncoal.nic.in पर अपलोड किया गया था।

(ग) लेखांकन निर्धारण :

वित्तीय विवरणी को अनुप्रयुक्त आज्ञापक लेखांकन मानकों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के सुसंगत प्रस्तुतिमूलक आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित किया जाता है।

(घ) जोखिम प्रबंधन, कपट निवारण एवं शनाख्त :

ईसीएल निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 05.11.2012 को आयोजित अपने 257वें बैठक में जोखिम निर्धारण और शमन नीति को अनुमोदित किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति दिनांक 13.03.2019 को कोलकाता में आयोजित अपने दूसरी बैठक में कंपनी के लिए 'जोखिम जो वजह हैं' का पुनर्विलोकन किया और विभागीय प्रधान (योजना व परियोजना), ईसीएल को यथा मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया। वर्ष 2023-24 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति के तीन (03) बैठकें की गई और भिन्न-भिन्न विभागों और खानों से संबद्ध जोखिम को निर्मित की गई एवं विश्लेषण किया गया। कारबार से सहयुक्त जोखिमों का नियमित अनुश्रवण किया जाता है।

(ङ) सीईओ/सीएफओ प्रमाणन :

मो. अंज़ार आलम, निदेशक (वित्त), ईसीएल एवं श्री समीरन दत्त, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल द्वारा हस्ताक्षरित विहित प्रमाण-पत्र को 372वीं निदेशक मण्डलीय बैठक में प्रस्तुत किया गया था जो निगमित सुशासन प्रतिवेदन यथा **उपाबंध – ग** में उपाबंधित किया गया है।

(च) अनुप्रयुक्त विधियों का अनुपालन :

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, ईसीएल के विभागीय प्रधान (कार्मिक/विधि) द्वारा प्रदत्त घोषणा के अनुसार, कंपनी को अनुप्रयुक्त सभी विधियों का अनुपालन किया गया है।

5. संचार के साधन :

कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन, परिचालनात्मक एवं वित्तीय कार्य-निष्पादन, को कंपनी की वेबसाइट www.easterncoal.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वार्षिक लेखों से अलग, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखों के तिमाही पुनर्विलोकन भी संचालित किया गया है।

6. लेखापरीक्षण अर्हता :

कंपनी का प्रयास सदैव अनर्ह वित्तीय विवरणी को प्रस्तुत करने का होता है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के संप्रेक्षणों का प्रबंधकीय प्रत्युत्तर निदेशक मण्डलीय प्रतिवेदन में यथा उपाबंध दिया गया हैं। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अधीन भारत के नियंत्रक-महापरीक्षक की टिप्पणियाँ भी वार्षिक प्रतिवेदन में उद्धृत किया गया है।

7. निदेशक मण्डलीय सदस्यों का प्रशिक्षण :

कार्यकारी निदेशकगण अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव रखने के फलस्वरूप संबंधित कार्यकारी क्षेत्रों के प्रधान होते हैं। वे कंपनी के कारबार मॉडल के साथ-साथ कंपनी के कारबार के जोखिम प्रोफाइल से भी अवगत हैं। अंशकालिक निदेशकगण भी कंपनी के कारबार मॉडल से पूर्णतः अवगत हैं।

निदेशक मंडल को कंपनी से संबंधित सभी कारबार-संबंधी मामलों, संबद्ध जोखिम और कंपनी द्वारा किए गए शमन उपायों, नई पहलों आदि के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम 2013, भेदिया कारोबार विनियम निषेध 2015 यथा संशोधित और भारतीय प्रतिभूतियों एवं

विनियम बोर्ड (सूचिबद्ध बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी गई। सभी स्वतंत्र निदेशकों अर्थात् श्रीमती धर्मशीला गुप्ता, श्री शिव तपस्या पासवान और श्री शिव नारायण पाण्डेय ने जुलाई, 2023 में हैदराबाद में आयोजित इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स (आईओडी) द्वारा आयोजित 'स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम' में भाग लिया, प्रशिक्षण प्रयास ने भाग लेने वाले निदेशकों के लिए व्यापक व्यावसायिक विकास और संवर्धन के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। श्री शिव तपस्या पासवान, स्वतंत्र निदेशक ने मार्च, 2024 में वाराणसी में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। श्रीमती आहुती स्वाईं, निदेशक (कार्मिक), ईसीएल ने मार्च, 2024 में शिमला में आयोजित सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

8. कंपनी की शेयरधारिता प्रतिरूप :

कंपनी के 100% शेयर कोल इंडिया लिमिटेड के पास है।

9. मुखबिर नीति :

आपकी कंपनी अपने समस्त कारबार गतिविधियों में नैतिक व्यवहार को संप्रवर्तन करती है। निदेशक मण्डल ने अवैध व अनैतिक व्यवहार की रिपोर्टिंग करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। कर्मीगण सक्षम प्राधिकारी को विधियों, नियमों के उल्लंघन, कपट या अनैतिक आचरण की सूचना देने के लिए स्वतंत्र है। किसी कर्मी से प्राप्त सूचनाओं को अनुवीक्षण समिति द्वारा पुनर्विलोकन किया जाएगा। प्रबंध-कार्मिक ऐसे सूचनाओं की गोपनीयता के अनुरक्षण करने के लिए प्रतिबद्धित किया गया है और सुनिश्चित करता है कि मुखबिरों को किसी विभेदकारी प्रवृत्तियों के अध्यधीन नहीं रखा गया है।

सत्यनिष्ठा समझौता के क्रियान्वयन के लिए सीआईएल द्वारा किए गए एमओयू के समान आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने 27 मार्च, 2008 को आयोजित अपने 218वीं बैठक में मेसर्स ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया था और उसे कार्यान्वित किया था।

10. अंतरंगी व्यापार नीति :

कोल इंडिया द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2020 को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की संशोधित अंतरंगी व्यापार नीति को संसूचित किया था। इस नीति के अनुसार, कोई भी अंतरंगी कंपनी या अन्य अंतरंगी सहित किसी व्यष्टि को सूचिबद्ध प्रतिभूतियों से संबंधित किसी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) की संसूचना या कोई अभिगम की अनुमित नहीं देगा सिवाय जहाँ ऐसी संसूचना की विधिसंगत प्रयोजनों, कर्तव्यों का पालन या विधिक बाध्यताओं के निर्वहन, को अग्रसर करने में है। इसके अलावा, वित्तीय परिणामों की घोषणा के लिए प्रत्येक तिमाही के अंत से वित्तीय परिणाम घोषित होने के 48 घंटे बाद तक ट्रेडिंग विंडो को बंद किया जाना है। अतएव, वित्तीय परिणाम घोषित होने के 48 घंटे बाद तक प्रत्येक तिमाही के अंतिम सोमवार से ट्रेडिंग विंडो बंद है। यदि सोमवार को अवकाश होता है, तो यह अगले कार्य दिवस से बंद रहता है। यह कंपनी सचिव द्वारा समय-समय पर सूचित किया जाता है जिसका सभी पदाभिहित कर्मियों को पालन करना होता है।

सीआईएल ने भी निर्देशित किया कि पदाभिहित व्यक्तियों को वार्षिक आधार पर और जब कभी सूचना परिवर्तित होती है अपने नाम, स्थायी खाता संख्या (पैन) या विधि द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य शनाख्त और पदाभिहित व्यष्टि(यों) के साक्षात् संबंधियों एवं किसी अन्य व्यष्टि(यों) जिनके साथ ऐसे पदाभिहित व्यष्टि(याँ) कंपनी के वित्तीय संबंधी तत्त्वों को सांझा करता(ते) है(हैं) के ब्यौरों को प्रकटित करना आवश्यक हैं। कंपनी पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और समय मुहर एवं लेखा सत्यापन की जाँच के साथ सुनियोजित डिजिटल डाटाबेस का अनुरक्षण कर रही है। तदनुसार, कंपनी के सभी पदाभिहित व्यष्टियों ने सीआईएल द्वारा यथा निर्देशित सुसंगत ब्यौरे के साथ-साथ अंतरंगी व्यापार प्लेटफार्म के सीआईएल निवारण में स्वःघोषणा प्रक्रिया को पूर्ण किया है।

11. वर्ष 2023-24 के दौरान, किसी भी व्यक्ति को लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक प्रत्यक्ष अभिगम से निवारित नहीं किया गया है।

12. पीई सर्वेक्षण के लिए पूर्ण आँकड़ा पत्रक डीपीई को प्रस्तुत करने की तिथि 30.08.2023 थी।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
Eastern Coalfields Limited
(कोल इंडिया की एक अनुषंगी)
(A Subsidiary of Coal India Limited)
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
(A Govt. of India Undertaking)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाणन

सेवा में,
निदेशक मण्डल
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणी को निदेशक मंडल के समक्ष उनके विचारणा एवं अंगीकरण के लिए एतदद्वारा प्रस्तुत किया गया है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए संबद्ध क्षेत्रों/इकाइयों के महाप्रबंधकगणों एवं क्षेत्रीय वित्त प्रबंधकों द्वारा उनके संपरीक्षित वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रमाणन के आधार पर, हमलोग, ईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) समीरन दत्ता तथा ईसीएल के निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) मो. अंज़ार आलम, वित्त कृत्यों के लिए उत्तरदायी प्रमाणित करते हैं कि :

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणी का पुनर्विलोकन किया है और हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार यह है कि :

i. इन विवरणी में कोई तात्त्विक रूप से असत्य विवरण अंतर्विष्ट या किसी तात्त्विक तथ्य का लोप या विवरण जो भ्रामक हो सके अंतर्विष्ट नहीं है;

ii. ये विवरण एक साथ कंपनी के कार्याकलापों का सही और ऋजु चित्र प्रस्तुत करते हैं और विद्यमान लेखा मानकों, प्रयोज्य विधियों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

हमारे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी प्रकार का लेनदेन नहीं की गई जो कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन हो।

हम वित्तीय रिपोर्ट देने के निमित्त आंतरिक नियंत्रणों को सिद्ध करने एवं बनाए रखने के दायित्व का प्रतिग्रहण करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमलोगों ने संपरीक्षकों और संपरीक्षा समिति के समक्ष ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की परिकल्पना एवं परिचालन में कमियों, यदि कोई हो, को प्रकटित किया है, जिसके लिए वे सजग हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव किया है।

हमलोगों ने संपरीक्षकों और संपरीक्षा समिति को उपदर्शित किया है कि :

i. वर्ष के दौरान प्रसंगाधीन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है;

ii. विपट्टन गतिविधि और अनुपात अंतर से संबंधित तात्त्विक लेखांकन नीति को संशोधित किया गया है और इस तरह के संशोधन के वित्तीय निहितार्थों को प्रभावी करने के लिए वित्तीय विवरणियों को फिर से स्थापित किया गया है। इसके अलावा, वित्तीय विवरणियों के उपयोगकर्ताओं के लिए स्पष्टता बढ़ाने के लिए तात्त्विक लेखांकन नीति को अद्यतन किया गया है। इन अद्यतनों में कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है;

iii. हमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भूमिका निभाने वाले कर्मचारीवृंद या प्रबंधन की सहभागिता से सार्थक कपट की किसी अवस्था की सूचना नहीं है।

निदेशक (वित्त) व सीएफओ
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
डीआईएन - 09743117

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
डीआईएन- 08519303

दिनांक : 20 अप्रैल, 2024
स्थान : कोलकाता

Annexure-VII

Mehta & Mehta
COMPANY SECRETARIES
INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO. 105, STREET NO. 25, GP BLOCK, SECTOR-5, BIDHANNAGAR, KOLKATA- 700091
Tel. +91 9867771580 • Email raveena@mehta-mehta.com • Visit Us www.mehta-mehta.com

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए निगमित सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रमाणपत्र

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए

1. हम, मेसर्स मेहता एवं मेहता, पेशेवर कंपनी सचिव 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात कंपनी के रुप में ज्ञापित) के निगमित सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन का जैसा कि दिनांकित 14.05.2010 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए निगमित सुशासन पर दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किया गया है (इसमें इसके पश्चात "डीपीई दिशानिर्देशों के रुप में संदर्भित), परीक्षण किया है।

प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. निगमित सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के शर्तों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। यह उत्तरदायित्व डीपीई दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट निगमित सुशासन के शर्तों के साथ अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं की परिकल्पना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण को समाविष्ट करती है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारा उत्तरदायित्व निगमित सुशासन के शर्तों के अनुरूप सुनिश्चयन के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत, इसकी प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन के परीक्षण को परिसीमित किया जाता है। यह ना तो कंपनी के वित्तीय विवरणी के ऊपर रायों का लेखापरीक्षा और ना ही अभिव्यक्ति होती है।

4. हमने कंपनी द्वारा निगमित सुशासन जरूरतों की अनुरूपता पर युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखा-बहियों एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों और कागजातों का परीक्षण किया है।

5. हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा वचनवद्धता पर सीएसएएस-1 लेखापरीक्षण मानक के अनुसार कंपनी के सुसंगत अभिलेखों का परीक्षण किया है।

राय

6. सुसंगत अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर और हमें उपबंधित संसूचना एवं स्पष्टीकरणों और प्रबंधन द्वारा उपबंधित व्यपदेशन के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि निम्नलिखित के अध्यधीन 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रहे वर्ष के दौरान डीपीई दिशानिर्देशों में यथा विनिर्दिष्ट निगमित सुशासन के शर्तों के अनुरूप कंपनी ने अनुपालन किया है :

   i. 31 मार्च 2024 को यथा कंपनी के निदेशक मण्डल के कुल सदस्य और कार्यकारी निदेशक क्रमशः पाँच और नौ थे। कार्यकारी निदेशकों की संख्या बोर्ड के वास्तविक संख्या का 50% है और डीपीई दिशा-निर्देशों के अध्याय 3 के पारा 3.1.2 के अनुसार कार्यकारी निदेशकों की संख्या (अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और प्रबंध निदेशक को समाविष्ट करते हुए) बोर्ड के वास्तविक संख्या के 50% से अधिक नहीं होने चाहिए।

   ii. 31 मार्च 2024 को यथा कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मण्डल के कुल सदस्यों की संख्या क्रमशः दो और नौ थी। स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड सदस्यों की एक तिहाई नहीं थी और कंपनी पर लागू लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अध्याय 3 के पैरा 3.1.4 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड सदस्यों की संख्या का कम से कम एक-तिहाई होनी चाहिए अर्थात 3 (9 का 1/3)।

HEAD. OFFICE : 201-206, Shiv Smriti, 2nd Floor, 4WA, Dr. Annie Besant Road, Above Corporation Bank, Worli, Mumbai-400 018
Tel. +91-22-6611 9696 • E-mail info@mehta-mehta.com • Visit us www.mehta-mehta.com

Mehta & Mehta

COMPANY SECRETARIES

INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO. 105, STREET NO. 25, GP BLOCK, SECTOR-5, BIDHANNAGAR, KOLKATA- 700091

Tel. +91 9867771580 • Email raveena@mehta-mehta.com • Visit Us www.mehta-mehta.com

iii. 31 मार्च 2024 को यथा कंपनी की लेखापरीक्षा समिति की कुल सात में से दो स्वतंत्र निदेशक हैं, यतः डीपीई दिशा-निर्देशों के अध्याय 4 के पारा 4.1.1 के अनुसार सदस्य के रूप में लेखापरीक्षा समिति में कम से कम तीन निदेशक होंगे। लेखापरीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे।

iv. कंपनी की पारिश्रमिक समिति का गठन 31 मार्च, 2024 तक नहीं किया गया था, जबकि डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 5 के पैरा 5.1 के अनुसार, "प्रत्येक सीपीएसई एक पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा जिसमें कम से कम तीन निदेशक शामिल होंगे, जिनमें से सभी अंशकालिक निदेशक (अर्थात् नामित निदेशक या स्वतंत्र निदेशक) होने चाहिए। समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जानी चाहिए।

7. ***प्रकटीकरण :***

हम अभिव्यक्त करते हैं कि ऐसे अनुपालन कंपनी के आगत व्यवहार्यता के रूप में ना तो आश्वासन है और ना ही जिसके साथ प्रबंधन ने कार्यकलापों का संचालन किया है दक्षता या प्रभावकारिता है।

मेहता एवं मेहता के लिए
कंपनी सचिव
(आईसीएसआई यूनिक कोड P1996MH007500)

रवीना दुगर अग्रवाल
साझेदार
एफसीएस सं. 51836
सीपी सं. 26055
यूडीआईएन : A051836F000619645
PR No.: 3686/2023

स्थान: Kolkata
दिनांक: 26.06.2024

HEAD. OFFICE : 201-206, Shiv Smriti, 2nd Floor, 44/A, Dr. Annie Besant Road, Above Corporation Bank, Worli, Mumbai-400 018
Tel. +91-22-6611 9696 • E-mail info@mehta-mehta.com • Visit us: www.mehta-mehta.com

Annexure-VIII

Mehta & Mehta
COMPANY SECRETARIES
INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO. 105, STREET NO. 25, GP BLOCK, SECTOR-5, BIDHANNAGAR, KOLKATA- 700091
Tel. +91 9867771580 • Email raveena@mehta-mehta.com • Visit Us www.mehta-mehta.com

फार्म सं.- एमआर-3
सचिवालयिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारितोषिक) नियम, 2014 के नियम 09 के अनुसरण में]

सेवा में,

सदस्यगण,

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय,

सांकतोड़िया, पोस्ट- डिसेरगढ़,

जिला - पश्चिम बर्द्धमान

पिन – 713333, पश्चिम बंगाल

हमने **ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड** (इसमें इसके पश्चात कंपनी कहा जाएगा) को प्रवृत्त सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप होने और के द्वारा सर्वश्रेष्ठ निगमित प्रथाओं से अनुषक्ति के लिए सचिवालयिक लेखापरीक्षा किया गया है। सचिवालयिक लेखापरीक्षा इस रीति से आयोजित की गई थी जिसने हमें निगमित आचार/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने एवं उसपर अपना मत व्यक्त करने के लिए युक्तियुक्त आधार उपबंधित किया।

सचिवालयिक लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा अनुरक्षित कंपनी के बहियों, कागज पत्रों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों एवं दाखिल विवरणी व अन्य अभिलेखों के मेरे सत्यापन और कंपनी, उसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के आधार पर, हम, एतदद्वारा प्रतिवेदित करते हैं कि मेरी राय में, कंपनी ने, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष को प्रावरण लेखापरीक्षा काल के दौरान, इसके नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुवर्तन किया है और यह भी कि कंपनी के पास विस्तार तक, रीति से तथा इसमें इसके पश्चात निर्मित प्रतिवेदिति के अधीन उचित बोर्ड-प्रक्रिया एवं अनुपालनात्मक कार्यविधि है:

मैंने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (कंपनी) के बहियों, कागज-पत्रों, कार्यवृत्त-बहियों, प्रपत्रों एवं दाखिल विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों का परीक्षण निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की गई है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके तहत निर्मित नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा इसके तहत निर्मित नियम (पुनर्विलोकन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके अध्यधीन निर्मित विनियम तथा उपविधियाँ (पुनर्विलोकन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के विस्तार के अध्यधीन निर्मित नियम एवं विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन विहित निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश :-

(अ) भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011 **(पुनर्विलोकन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

HEAD. OFFICE : 201-206, Shiv Smriti, 2nd Floor, 44/A, Dr. Annie Besant Road, Above Corporation Bank, Worli, Mumbai-400 018
Tel. +91-22-6611 9696 • E-mail info@mehta-mehta.com • Visit us www.mehta-mehta.com

Mehta & Mehta
COMPANY SECRETARIES
INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO. 105, STREET NO. 25, GP BLOCK, SECTOR-5,
BIDHANNAGAR, KOLKATA- 700091
Tel. +91 9867771580 • Email raveena@mehta-mehta.com • Visit Us www.mehta-mehta.com

(आ) भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार प्रतिषेध) विनियम, 2015;

(इ) भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018 **(पुनर्विलोकन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(ई) भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनियम बोर्ड (अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचियन) विनियम, 2021 **(पुनर्विलोकन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(उ) भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी प्रसुविधाएँ और श्रमजन्य इक्विटी) विनियम, 2021 **(पुनर्विलोकन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं**);

(ऊ) कंपनी अधिनियम एवं ग्राहकों से संव्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 **(पुनर्विलोकन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(ऋ) भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीबद्धता) विनियम, 2021 **(पुनर्विलोकन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(ऌ) भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद) विनियम, 2018 **(पुनर्विलोकन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

हमने निम्नलिखित के लागू उपबंधों के अनुपालन की जाँच की है :

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्था द्वारा यथा निर्गत सचिवीय मानक ;

(ii) भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनियम बोर्ड (सूचिबद्ध बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 **(पुनर्विलोकन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(iii) कंपनी पर विशिष्टया लागू अन्य विधियाँ नामतः -

अ) कोयला खान अधिनियम, 1952

आ) भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884

इ) कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 तथा कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2004

ई) कोयला खान विनियम, 2017

उ) वेतन भुगतान (खान) नियम, 1956

ऊ) कोयला खान पेंशन योजना, 1998

ऋ) कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974

ऌ) खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966

ऍ) खान क्रेच रूल्स, 1961

ऐ) खान बचाव नियम, 1985

ए) कोयला खान पिटहेड बाथ नियम, 1946

ऐ) मातृत्व लाभ (खान एवं सर्कस) नियम, 1963

ऑ) विस्फोटक नियम, 2008

HEAD. OFFICE : 201-206, Shiv Smriti, 2nd Floor, 44/A, Dr. Annie Besant Road, Above Corporation Bank, Worli, Mumbai-400 018
Tel. +91-22-6611 9696 • E-mail info@mehta-mehta.com • Visit us www.mehta-mehta.com

Mehta & Mehta
COMPANY SECRETARIES
INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO. 105, STREET NO. 25, GP BLOCK, SECTOR-5, BIDHANNAGAR, KOLKATA - 700091
Tel: +91 9867771580 • Email: raveena@mehta-mehta.com • Visit Us: www.mehta-mehta.com

ऒ) खनिज रियायत नियम, 1960

ओ) कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948

औ) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957

अं) असंवितरित मजदूरी (खान) भुगतान नियम, 1989

अः) भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 तथा भारतीय विद्युत नियम, 1956

अअ)पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986

आआ) परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016

इइ) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके अधीन निर्मित नियम

ईई) वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981

उउ) लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 तथा इसके अधीन निर्मित नियम

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों इत्यादि के प्रावधानों का सामान्यतः अनुपालन किया है।

हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने निम्न उल्लिखित सीमा को छोड़कर उपरि उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

1. <u>कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना</u>

   पुनर्विलोकन अवधि के दौरान लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम (सीपीएसई) के लिए निगमित सुशासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2 एवं अधिनियम की धारा 149(4) में यथा विचार के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या कंपनी के निदेशक मंडल में नहीं थी। चूंकि नियुक्ति कोयला मंत्रालय द्वारा की गई थी, इसलिए प्रबंधन द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए समय-समय पर कोयला मंत्रालय को अपेक्षित पत्र भेजे गए थे और उसकी प्रति इसकी धारक कंपनी को भी भेजी गई थी।

2. <u>कंपनी के निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की संरचना</u>

   समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 तथा सीपीएसई के निगमित सुशासन के लिए लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के खंड 4.1.1 में यथाविचारित लेखापरीक्षा समिति में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

   हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि उपर्युक्त को छोड़कर लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में सभी परिवर्तन सीपीएसआई के लिए निगमित सुशासन पर अधिनियम और डीपीई दिशानिर्देशों के नानाविध प्रावधानों के उचित अनुपालन में किए गए थे।

   सभी निदेशकों को निदेशक मंडलीय / समिति बैठकों के नियत होने का यथायोग्य सूचना दिए जाते हैं, कार्यसूची एवं कार्यसूची की विस्तृत टिप्पणियाँ अग्रिम रूप से न्यूनातिन्यून सात दिवस पूर्व प्रेषित किए जाते हैं और अतिरिक्त सूचना व बैठक में प्रस्तुत कार्यसूची मद पर स्पष्टीकरण चाहने वाले एवं की अभिप्राप्ति के लिए तथा बैठक में बोधगम्य सहभागिता के लिए एक प्रणाली विद्यमान है।

HEAD. OFFICE : 201-206, Shiv Smriti, 2nd Floor, 49/A, Dr. Annie Besant Road, Above Corporation Bank, Worli, Mumbai-400 018
Tel: +91-22-6611 9696 • E-mail: info@mehta-mehta.com • Visit us: www.mehta-mehta.com

Mehta & Mehta

COMPANY SECRETARIES

INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO. 105, STREET NO. 25, GP BLOCK, SECTOR-5, BIDHANNAGAR, KOLKATA- 700091

Tel. +91 9867771580 • Email raveena@mehta-mehta.com • Visit Us www.mehta-mehta.com

बहुमत का विनिश्चय लिया जाता है, जबकि असहमति रखने वाले सदस्यों के विचारों को अभिग्रहण किया जाता है और कार्यवृत्त में यथा अंश दर्ज किया जाता है।

हम आगे यह भी प्रतिवेदित करते हैं कि प्रवृत्त विधियों, नियमों, विनियमों एवं मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुश्रवण एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के क्षेत्र एवं संचालन के अनुरूप कंपनी में यथायोग्य प्रणाली एवं प्रक्रियाएँ विद्यमान हैं।

हम आगे यह भी प्रतिवेदित करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के पास कोई विनिर्दिष्ट घटनाएँ नहीं थी, जिसका उपर्युक्त संदर्भित विधियाँ, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर बड़ा असर पड़ा।

मेहता एवं मेहता के लिए
कंपनी सचिव
(आईसीएसआई यूनिक कोड P1996MH007500)

रवीना दुगर अग्रवाल
साझेदार
एफसीएस सं. 51836
सीपी सं. 26055
यूडीआईएन :A051836F000533746
पीआर सं. 3686 / 2023

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 05.06.2024

टिप्पणी : इस प्रतिवेदन को सम तिथि के हमारे पत्र के साथ पढ़ा जाना है जिसे 'उपाबंध क' के रूप में संलग्न किया गया है और यह इस प्रतिवेदन का एक अभिन्न अंग है।

HEAD. OFFICE : 201-206, Shiv Smriti, 2nd Floor, 44/A, Dr. Annie Besant Road, Above Corporation Bank, Worli, Mumbai-400 018
Tel. +91-22-6611 9696 • E-mail info@mehta-mehta.com • Visit us www.mehta-mehta.com

उपाबंध - क

Mehta & Mehta
COMPANY SECRETARIES
INFINITY BENCHMARK, 18TH FLOOR, ROOM NO. 105, STREET NO. 25, GP BLOCK, SECTOR-5,
BIDHANNAGAR, KOLKATA 700091
Tel: +91 9867771580 • Email: raveena@mehta-mehta.com • Visit Us: www.mehta-mehta.com

सेवा में,
सदस्यगण,
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय,
सांकतोड़िया, पोस्ट- डिसेरगढ़,
जिला - पश्चिम बर्द्धमान
पिन – 713333, पश्चिम बंगाल

समतिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाना चाहिए।

1) सचिवालयिक अभिलेखों के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व कंपनी प्रबंधन की है। हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालयिक अभिलेखों पर एक अभिमत व्यक्त करना हमारा दायित्व है।
2) हमने लेखापरीक्षण पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुगमन किया है जो सचिवालयिक अभिलेखों के अंतर्वस्तु की शुद्धता के बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए विनियोजित था। जांच आधारित सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन किया गया कि सही तथ्य सचिवालयिक अभिलेखों में प्रतिबिंबित होता है। हम विश्वास करते हैं कि प्रक्रियाएँ और पद्धतियाँ, हमने अनुगमन किया, हमारे अभिमत के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान किया।
3) हमने बहियों एवं कागजातों के अलावा कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा-बहियों की सत्यता एवं उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है।
4) जहाँ कहीं आवश्यकता हुआ, हमने विधियों, नियमों, विनियमों और घटनाओं के अनुपालन आदि के सबंध में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5) निगमित विधियों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा परीक्षण जाँच आधारित प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।
6) जहाँ तक फार्म एमआर-3 में हमारी सचिवालयिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी द्वारा दायर बहियों, कागज पत्रों, प्रपत्रों, प्रतिवेदनों और विवरणियों का संबंध है, उक्त विनियमों की अपेक्षाओं की अनुषक्ति और अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है। हमारी परीक्षा विभिन्न प्रपत्रों, प्रतिवेदन, विवरणियों और दस्तावेजों को दाखिल करने के निष्पादन और समयबद्धता की जाँच करने तक सीमित थी, जिन्हें कंपनी द्वारा उक्त नियमों के तहत विभिन्न प्राधिकरणों के साथ दायर करने की आवश्यकता है। हमने ऐसे प्रपत्रों, प्रतिवेदनों, विवरणियों और दस्तावेजों की सामग्री की शुद्धता और आवृत्त की पुष्टि नहीं की है।
7) सचिवालयिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी के भविष्यगत व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या क्रियाशीलता का जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी मामलात को संचालित किया है।

मेहता एवं मेहता के लिए
कंपनी सचिव
(आईसीएसआई यूनिक कोड P1996MH007500)

रवीना दुगर अग्रवाल
साझेदार
एफसीएस सं. 51836
सीपी सं. 26055
यूडीआईएन: A051836F000533746
पीआर सं. 3686/2023

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 05.06.2024

HEAD. OFFICE : 201-206, Shiv Smriti, 2nd Floor, 49/A, Dr. Annie Besant Road, Above Corporation Bank, Worli, Mumbai-400 018
Tel.: +91-22-6611 9696 • E-mail: info@mehta-mehta.com • Visit us: www.mehta-mehta.com

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
Eastern Coalfields Limited
(कोल इंडिया की एक अनुषंगी)
(A Subsidiary of Coal India Limited)
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
(A Govt. of India Undertaking)
टेलीफैक्स: 0341-2520546
ई-मेल: companysecretary.ecl@coalindia.in

ईसीएल के सचिवालयिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2023-24 पर प्रबंधकीय प्रत्युत्तर

क्रम	संप्रेक्षण	प्रबंधकीय प्रत्युत्तर
1.	समीक्षाधीन अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 149(4) तथा लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी लोक उद्यम विभाग (सीपीएसई) के डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2 में यथावभ्यास में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक कंपनी के बोर्ड में नहीं थे। चूंकि नियुक्ति कोयला मंत्रालय द्वारा की गई थी, इसलिए प्रबंधन द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए समय-समय पर कोयला मंत्रालय को अपेक्षित पत्र भेजे गए थे और उसकी प्रति इसकी धारक कंपनी को भी भेजी गई थी।	यह तथ्य का एक विवरण है। ईसीएल में निदेशकों की नियुक्ति कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जा रही है।
2.	समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 तथा सीपीएसई में निगमित सुशासन के लिए लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के खंड 4.1.1 में यथाविचारित लेखापरीक्षा समिति में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।	यह तथ्य का एक विवरण है। ईसीएल में निदेशकों की नियुक्ति कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जा रही है।

उपाबंध - IX

विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

(i) उत्पादनों, सेवाओं एवं निर्यात योजनाओं के लिए निर्यात संबंधित गतिविधियाँ, निर्यात संवृद्धि के लिए परिगृहीत पहलों, नए निर्यात बाजारों का विकास। : कंपनी निर्यात गतिविधियों में लगा हुआ नहीं है।

(ii) प्रयुक्त व अर्जित कुल विदेशी मुद्रा :

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अभिवर्णन	2023-24	2022-23
(क)	**प्रयुक्त विदेशी मुद्रा :**		
	1. आयात का सीआईएफ मूल्य :		
	(आ) कच्चा माल	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(आ) संघटक, भण्डार एवं उपकरण	1.67	0.82
	(इ) पूँजीगत माल	कुछ नहीं	4.11
	2. यात्रा/प्रशिक्षण व्यय	0.18	0.08
	3. तकनीकी जानकारी पर व्यय और विदेशी सलाहकारी संस्था	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	4. विदेशियों को पेंशन	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	5. अन्य	7.79	1.28
	कुल	**9.64**	**6.29**
(ख)	**अर्जित विदेशी मुद्रा**	**कुछ नहीं**	**9.41**

तकनीक आमेलन के संबंध में विशिष्टियों का प्रकटन के लिए प्रपत्र

अनुसंधान एवं विकास (आ&डी)

1.	विशिष्ट क्षेत्र जिसमें कंपनी द्वारा आर&डी की गई	:	कंपनी का स्वयं का अनुसंधान व विकास संघटन नहीं है। सीएमपीडीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की अनुषंगी कोल इंडिया लिमिटेड की समस्त अनुषंगियों के लिए अनुसंधान और विकास कार्य करता है।
2.	उपर्युक्त आर&डी के फलस्वरूप उद्भूत प्रसुविधाएँ	:	लागू नहीं
3.	भविष्यत् कार्ययोजना	:	लागू नहीं
4.	आर&डी पर व्यय	:	लागू नहीं
	(अ) पूँजीगत		-
	(आ) आवर्ती		-
	(इ) कुल		-
	कुल आर&डी व्यय यथा कुल कारबार का प्रतिशत	:	लागू नहीं

तकनीक आमेलन, अनुकूलन एवं नवाचार

1.	तकनीक आमेलन, अनुकूलन एवं नवाचार की दिशा में कृत, संक्षेप में, प्रयास	:	कुछ नहीं
2.	उपर्युक्त प्रयासों अर्थात् उत्पादन सुधार, लागत घटत, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन, आदि के फलस्वरूप उद्भूत प्रसुविधाएँ	:	कुछ नहीं
3.	आयातित तकनीक (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से संगणित अंतिम 5 वर्षों के दौरान आयातित) के मामले में, निम्नलिखित संसूचना प्रस्तुत किया जा सकता है :	:	कुछ नहीं
	(i) आयातित तकनीक	:	कुछ नहीं
	(ii) आयात का वर्ष	:	कुछ नहीं
	(iii) क्या तकनीक पूर्णतः आमेलित हो चुकी है?	:	कुछ नहीं
	(iv) यदि पूर्णतः आमेलित नहीं हुई है, क्षेत्र जहाँ यह परिगृहीत नहीं हुई है, इसके कारण और भविष्यत् कार्ययोजना	:	कुछ नहीं

उपाबंध - XI

स्वतंत्रता की घोषणा

सेवा में,
निदेशक मण्डल,
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
सांकतोड़िया, पश्चिम बर्द्धमान,
पश्चिम बंगाल 713333

विषय: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप-धारा (6) के अधीन स्वतंत्रता की घोषणा।

मैं, शिव नारायण पाण्डेय, एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड सांकतोड़िया, पश्चिम बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल का एक स्वतंत्र निदेशक हूँ और कंपनी अधिनियम 2013 में यथा परिकल्पित स्वतंत्र निदेशक के समस्त मानदंडों का अनुपालन करता हूँ।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि

1. कंपनी में एक स्वतंत्र निदेशक होने के लिए सुसंगत विशेषज्ञता और अनुभव धारण करता हूँ;
2. मैं कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी का संप्रवर्तक नहीं हूँ / था;
3. मैं कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी में निदेशक मण्डलीय स्तर या निदेशक मण्डल से निम्न स्तरीय पर प्रबंधन पद का अधियोग करने वाले संप्रवर्तकों/ निदेशकों/ व्यक्तियों से संबंध नहीं है;
4. निदेशकीय बैठक शुल्क प्राप्त करने के अतिरिक्त, मेरा दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों या वर्तमान वर्ष के दौरान कंपनी, इसके संप्रवर्तकों, इसके निदेशकों, इसके वरिष्ठ प्रबंधन या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी, या उनके संप्रवर्तकों या निदेशकों के साथ धनीय संबंध/ संव्यवहार नहीं है/ था।
5. मेरा कोई रिश्तेदार नहीं:
   i) पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी, इसकी होल्डिंग, सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी की कोई सुरक्षा या हित धारण कर रहा है: बशर्ते कि रिश्तेदार पचास से अधिक अंकित मूल्य की कंपनी में सुरक्षा या हित रख सकता है लाख रुपये या दो फीसदी. कंपनी, उसकी होल्डिंग, सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी की चुकता पूंजी या ऐसी उच्चतर राशि जो निर्धारित की जा सकती है;
   ii) कंपनी, उसकी होल्डिंग, सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी या उनके प्रमोटरों, या निदेशकों का दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय 50 लाख की राशि से अधिक का ऋणी है;
   iii) कंपनी, उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी या उनके प्रमोटरों, या ऐसी होल्डिंग कंपनी के निदेशकों को किसी तीसरे व्यक्ति की ऋणग्रस्तता के संबंध में दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय 50 लाख रुपये की राशि के लिए कोई गारंटी दी है या कोई सुरक्षा प्रदान की है; या
   iv) कंपनी, या इसकी होल्डिंग, सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी, या उनके प्रमोटरों, या निदेशकों के साथ कोई अन्य आर्थिक लेनदेन या संबंध है, जो इसके सकल कारोबार या कुल आय का 2% या अधिक या रु दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 50 लाख या इतनी अधिक राशि जो निर्धारित की जा सकती है, जो भी कम हो;
6. ना तो मैं ना ही मेरा कोई रिश्तेदार :
   अ) वित्तीय वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती तीन किसी वित्तीय वर्षों में कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी के पद धारण करता है या किया है या कर्मी/अधिशाषी है या रहा है;
   आ) वित्तीय वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती किसी भी तीन वित्तीय वर्षों में कर्मी या स्वत्वधारी या एक भागीदार है या रहा है;
      क. व्यवसाय में लेखापरीक्षकों या कंपनी सचिवों के एक फर्म या कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों; या
      ख. कोई विधिक या परामर्शी फर्म जिसका कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के साथ ऐसे फार्म के सकल आवर्त का 10% या अधिक की कोटि का हो कोई संव्यवहार है या था;
   इ) कंपनी के कुल मत-शक्ति का 2% या अधिक मेरे रिशतेदारों के साथ धारण करता है; या
   ई) किसी अलाभकारी संगठन जो कंपनी, अपने किसी संप्रवर्तकों, निदेशकों या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी से इसकी प्राप्तियों का 25% या अधिक प्राप्त करता है या जो कंपनी के कुल मत-शक्ति का 2% या अधिक धारण करता है के मुख्य अधिशाषी या निदेशक, जिस किसी नाम से बुलाया जाता हो, है; या
7. मैं कंपनी का सामाग्री आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता या ग्राहक या एक पट्टाकर्ता या पट्टेदार नहीं हूँ।
8. मैं 21 वर्ष से कम उम्र का नहीं हूँ।

घोषणा

मैं वचन देता हूँ कि यदि और जहाँ तक मेरा कोई ऐसा संबंध/संव्यवहार, चाहे तात्त्विक हो या अतात्त्विक, मैं बोर्ड का पूर्व अनुमोदन चाहूँगा। यदि मैं ऐसा करने में असफल होता हूँ, मैं ऐसे संबंध/ संव्यवहारों में प्रवेश करने की तिथि से एक स्वतंत्र निदेशक होने के लिए स्थगन करूँगा। इसके अतिरिक्त, मैं एतदद्वारा घोषणा और पुष्ट करता हूँ कि यथा स्वतंत्रता की घोषणा की तिथि पर उपर्युक्त संसूचनाएँ सत्य हैं और मेरी जानकारी के अनुसार सही है और मैं इसकी शुद्धता का उत्तरदायित्व लेता हूँ और यदि भविष्य में वही दोषपूर्ण या गलत पाया जाता है कंपनी, इसके निदेशकों पर यदि कोई अधिरोपित जुर्माना के लिए दायी होऊंगा। मैं आगे उसे अद्यतन करने के लिए कंपनी को परिवर्तनों, यदि कोई हो, की तत्काल सूचना देने का भी वचन देता हूँ।

सधन्यवाद!

आपका विश्वासी,

नाम: श्री शिव नारायण पाण्डेय
डीआईएन: 09413672

तिथि: 06.04.2024
स्थान: जगदलपुर

स्वतंत्रता की घोषणा

सेवा में,
निदेशक मण्डल,
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
सांकतोड़िया, पश्चिम बर्द्धमान,
पश्चिम बंगाल 713333

विषय: **कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 149 की उप-धारा (6) के अधीन स्वतंत्रता की घोषणा।**

मैं, शिव तपस्या पासवान, एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड सांकतोड़िया, पश्चिम बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल का एक स्वतंत्र निदेशक हूँ और कंपनी अधिनियम 2013 में यथा परिकल्पित स्वतंत्र निदेशक के समस्त मानदंडों का अनुपालन करता हूँ।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि

1. कंपनी में एक स्वतंत्र निदेशक होने के लिए सुसंगत विशेषज्ञता और अनुभव धारण करता हूँ;
2. मैं कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी का संप्रवर्तक नहीं हूँ / था;
3. मैं कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी में निदेशक मण्डलीय स्तर या निदेशक मण्डल से निम्न स्तरीय पर प्रबंधन पद का अधियोग करने वाले संप्रवर्तकों/ निदेशकों/ व्यक्तियों से संबंध नहीं है;
4. निदेशकीय बैठक शुल्क प्राप्त करने के अतिरिक्त, मेरा दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों या वर्तमान वर्ष के दौरान कंपनी, इसके संप्रवर्तकों, इसके निदेशकों, इसके वरिष्ठ प्रबंधन या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी, या उनके संप्रवर्तकों या निदेशकों के साथ धनीय संबंध/ संव्यवहार नहीं है/ था।
5. मेरा कोई रिश्तेदार नहीं:
   i) पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी, इसकी होल्डिंग, सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी की कोई सुरक्षा या हित धारण कर रहा है: बशर्ते कि रिश्तेदार पचास से अधिक अंकित मूल्य की कंपनी में सुरक्षा या हित रख सकता है लाख रुपये या दो फीसदी. कंपनी, उसकी होल्डिंग, सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी की चुकता पूंजी या ऐसी उच्चतर राशि जो निर्धारित की जा सकती है;
   ii) कंपनी, उसकी होल्डिंग, सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी या उनके प्रमोटरों, या निदेशकों का दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय 50 लाख की राशि से अधिक का ऋणी है;
   iii) कंपनी, उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी या उनके प्रमोटरों, या ऐसी होल्डिंग कंपनी के निदेशकों को किसी तीसरे व्यक्ति की ऋणग्रस्तता के संबंध में दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय 50 लाख रुपये की राशि के लिए कोई गारंटी दी है या कोई सुरक्षा प्रदान की है; या
   iv) कंपनी, या इसकी होल्डिंग, सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी, या उनके प्रमोटरों, या निदेशकों के साथ कोई अन्य आर्थिक लेनदेन या संबंध है, जो इसके सकल कारोबार या कुल आय का 2% या अधिक या रु। दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 50 लाख या इतनी अधिक राशि जो निर्धारित की जा सकती है, जो भी कम हो;
6. ना तो मैं ना ही मेरा कोई रिश्तेदार :
   i) वित्तीय वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती तीन किसी वित्तीय वर्षों में कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी के पद धारण करता है या किया है या कर्मी/अधिशाषी है या रहा है;
   ii) वित्तीय वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती किसी भी तीन वित्तीय वर्षों में कर्मी या स्वत्वधारी या एक भागीदार है या रहा है;
      अ) व्यवसाय में लेखापरीक्षकों या कंपनी सचिवों के एक फर्म या कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों; या
      आ) कोई विधिक या परामर्शी फर्म जिसका कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के साथ ऐसे फार्म के सकल आवर्त का 10% या अधिक की कोटि का हो कोई संव्यवहार है या था;
   iii) कंपनी के कुल मत-शक्ति का 2% या अधिक मेरे रिशतेदारों के साथ धारण करता है; या
   iv) किसी अलाभकारी संगठन जो कंपनी, अपने किसी संप्रवर्तकों, निदेशकों या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी से इसकी प्राप्तियों का 25% या अधिक प्राप्त करता है या जो कंपनी के कुल मत-शक्ति का 2% या अधिक धारण करता है के मुख्य अधिशाषी या निदेशक, जिस किसी नाम से बुलाया जाता हो, है; या
7. मैं कंपनी का सामाग्री आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता या ग्राहक या एक पट्टाकर्ता या पट्टेदार नहीं हूँ।
8. मैं 21 वर्ष से कम उम्र का नहीं हूँ।

घोषणा

मैं वचन देता हूँ कि यदि और जहाँ तक मेरा कोई ऐसा संबंध/संव्यवहार, चाहे तात्त्विक हो या अतात्त्विक, मैं बोर्ड का पूर्व अनुमोदन चाहूँगा। यदि मैं ऐसा करने में असफल होता हूँ, मैं ऐसे संबंध/ संव्यवहारों में प्रवेश करने की तिथि से एक स्वतंत्र निदेशक होने के लिए स्थगन करूँगा। इसके अतिरिक्त, मैं एतदद्वारा घोषणा और पुष्ट करता हूँ कि यथा स्वतंत्रता की घोषणा की तिथि पर उपर्युक्त संसूचनाएँ सत्य हैं और मेरी जानकारी के अनुसार सही है और मैं इसकी शुद्धता का उत्तरदायित्व लेता हूँ और यदि भविष्य में वही दोषपूर्ण या गलत पाया जाता है कंपनी, इसके निदेशकों पर यदि कोई अधिरोपित जुर्माना के लिए दायी होऊंगा। मैं आगे उसे अद्यतन करने के लिए कंपनी को परिवर्तनों, यदि कोई हो, की तत्काल सूचना देने का भी वचन देता हूँ।

सधन्यवाद!

आपका विश्वासी,

नाम: श्री शिव तपस्या पासवान

डीआईएन: 09414240

तिथि: 06.04.2024

स्थान: बाबुरी

उपाबंध-XII

वर्ष 2023-24 के लिए सहमति ज्ञापन लक्ष्य की प्राप्ति की प्रास्थिति

क्रम	निष्पादन मानदण्ड	मापन की इकाई	वर्ष के लिए लक्ष्य	प्राप्ति
1.	परिचालन से राजस्व	₹ करोड़	18,600.00	14,559.14
2.	कोयले का उत्पादन	मि.टन	53.00	47.56
3.	पूँजीगत व्यय	₹ करोड़	1,250.00	1,461.34
4.	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए	%	11%	6.81%
5.	निवल मालियत पर प्रतिलाभ	%	47%	8.68%
6.	आस्ति आवर्त अनुपात	%	109%	84.74%
7.	अनुमोदित अधिप्राप्ति योजना के अनुसार GeM से अधिप्राप्ति	%	100%	100%
8.	परिचालन से राजस्व दिवसों की संख्या के रूप में व्यवसाय प्राप्य	दिवस की संख्या	30	28.77
9.	सौर ऊर्जा संयंत्र की कमीशनिंग	मेगावाट	5	0.0853
10.	विनिर्दिष्ट समय के भीतर TReDS पोर्टल के माध्यम से माल और सेवाओं के चालान की स्वीकृति / अस्वीकृति	%	100%	60%
11.	अर्जन प्रति शेयर (ईपीएस)	₹	300.00	58.93

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों को

एकल वित्तीय विवरणी पर प्रतिवेदन

राय

हमने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कंपनी") (इसके पश्चात "ईसीएल") के एकल वित्तीय विवरणी का लेखपरीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक की तुलन-पत्र और लाभ-हानि विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), तब समाप्त वर्ष के लिए साम्या में परिवर्तनों का विवरणी एवं नकदी प्रवाह विवरणी, और तात्त्विक लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक संसूचना (इसके पश्चात् यथा "एकल वित्तीय विवरणी" संदर्भित) का सारांश सहित समाविष्ट हैं जो (1) उखड़ा क्षेत्रीय कर्मशाला; (2) झांझरा क्षेत्र; (3) केन्दा क्षेत्र; (4) बांकोला क्षेत्र; (5) सोनपुर बजारी क्षेत्र; (6) बराकर इंजीनियरिंग और फाउंड्री वर्क्स; (7) मुगमा क्षेत्रीय कर्मशाला; (8) मुगमा क्षेत्र; (9) सोदपुर केन्द्रीय कर्मशाला; (10) रतिबाटी कर्मशाला; (11) सतग्राम-श्रीपुर क्षेत्र; (12) सोदपुर क्षेत्र; (13) पोनियाटी कर्मशाला; (14) कजोड़ा क्षेत्र; (15) कुनुस्तोड़िया क्षेत्र; (16) एस.पी. माइन्स क्षेत्र; (17) राजमहल क्षेत्र; और (18) पांडवेश्वर क्षेत्र के वित्तीय विवरणियों से समाविष्ट, घटक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए 18 घटकों की विवरणियाँ समाविष्ट हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम संसूचना के अनुसार तथा हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरण के तहत, संलग्न वित्तीय विवरणी कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अभीष्ट संसूचना अपेक्षित रीति से 31 मार्च, 2024 को यथा कंपनी के कार्यकलाप की स्थिति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, साम्या में परिवर्तन और उसके नकदी प्रवाह सहित उसके लाभ का विवरण प्रदान करता है तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत अधिनियम की धारा 133 के साथ पठित भारतीय लेखा मानक कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, समय-समय पर यथा संशोधित, ("भा.ले.मा.") और अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और ऋजु चित्र प्रस्तुत करता है।

राय के लिए आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा पर मानकों (एसए) के अनुसार अपने वित्तीय विवरणियों का लेखापरीक्षा किया। उन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारे प्रतिवेदन के एकल वित्तीय विवरणी अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्वों में वर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ-साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूर्ण किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

विषयों का प्रबलन

हम निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करते हैं:-

1. हम वित्तीय विवरणियों के उपयोगकर्ताओं का ध्यान टिप्पणी संख्या 16 (5) (के) की ओर आकर्षित करते हैं, जहाँ कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विपट्टन गतिविधि लेखांकन नीति में बदलाव के कारण 22-23 के यथापूर्व वित्तीय विवरण में ₹486.47 करोड़ की अन्य साम्या, ₹834.74 करोड़ की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और ₹348.27 करोड़ रुपये के अप्रचलित प्रावधान को मान्यता दी है। तुलनात्मक अवधि (01.04.2022) की आरंभिक तिथि को प्रभाव ₹579.09 करोड़ की राशि के लिए अप्रचलित प्रावधान में संबंधित क्रेडिट के साथ संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को नामे डाला / विकलित किया गया था। प्रबंधन ने आस्थगित करों की गणना करते समय इस पर विचार किया है।

2. हम आपका ध्यान वित्तीय विवरणी के टिप्पणी 6.2.3 की ओर आकर्षित करते हैं जहाँ झारखंड राज्य में निविष्टि कर जमा के महत्वपूर्ण संचय के कारण निविष्टि सामग्री/सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी से संबंधित ₹526.14 करोड़ का निविष्टि कर जमा प्राप्य है, जिसका उपयोग उत्पादन (आउटपुट) पर जीएसटी के प्रतिकूल किया जाएगा।

3. हम आपका ध्यान वित्तीय विवरणी के टिप्पणी 10.2.1 की ओर आकर्षित करते हैं कि कोयला धारक भूमिक पर उपकर के भुगतान के रूप में उपकर समानीकरण खाते के अंतर्गत ₹2331.42 करोड़ यथा देयता पड़े हैं जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को प्रचलित दर से मूल्यवान गत दो वर्षों का औसत उत्पादन पर आधारित है तथा ग्राहकों से प्राप्त इस राशि की वसूली पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार कोयले पर प्रचलित बिक्री मूल्य को ध्यान में रखते हुए कोयले के प्रेषण के मूल्य पर आधारित होती है।

   इन मामले के संबंध में हमारी राय में कोई उपांतर नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणियों के हमारे लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और उस पर हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

क्र.सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ
1	**विपट्टन गतिविधि व्यय या समायोजन** खुली खदान खनन के मामले में, कोयले तक पहुँच तथा इसके निष्कर्षण के लिए खदान अपशिष्ट सामग्रियाँ ("उपरिभार") जो कोयले सीम के शीर्ष पर मृदा और शैल के रूप में होती है को अपसारित करने की आवश्यकता होती है। इस अपशिष्ट हटाव गतिविधि को यथा 'विपट्टन' माना जाता है। खुली खदानों में, कंपनी को खान के सक्रिय प्रयोज्यता / जीवन्तता पर ऐसे व्यय उपगत करना पड़ता है। **पूर्व लेखांकन नीति** एक मिलियन टन प्रति वर्ष और उससे अधिक की निर्धारित क्षमता वाली खानों में विपट्टन गतिविधि लागत में दो घटक अर्थात अग्रिम विपट्टन और अनुपात अंतर सम्मिलित हैं। अग्रिम विपट्टन को भौतिक माप के आधार पर यथा चालू आस्ति अवधारित की गई थी। अनुपात अंतर को मानक अनुपात के आधार पर परियोजना की अवधि के दौरान समान रूप से ओबीआर लागत को विस्तारण के लिए यथा अप्रचलित प्रावधान अवधारित की गई है। उपर्युक्त लेखांकन नीति को कंपनी द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (धारक / नियंत्रक कंपनी) से प्राप्त निर्देशों के अनुसार बदल दिया गया था और इस तरह 31 मार्च 2023 और 1 अप्रैल 2022 (पूर्ववर्ती अवधि के आरंभ) के अनुसार इसके तुलन-पत्र और भा.ले.मा. 8 के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि की विवरणी और नकदी प्रवाह की विवरणी को पूर्वव्यापी रूप से पुनःस्थापित किया गया था। विपट्टन गतिविधि समायोजन के लिए नई अपनाई गई तात्त्विक लेखांकन नीति इस प्रकार है: **विकास चरण के दौरान विपट्टन लागते** ये निकाले जाने वाले कोयले तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किए गए प्रारंभिक उपरिभार हटाव की लागत हैं। इन लागतों को पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभव होता है कि भविष्य के आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे और लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। एक बार उत्पादन चरण शुरू होने के बाद, पूंजीकृत विकास विपट्टन लागत खदान के जीवन पर परिशोधित हो जाती है। **उत्पादन चरण के दौरान विपट्टन लागते** ये समूह की नीति के अनुसार खदान को राजस्व में लाने के उपरांत किए गए ओवरबर्डन हटाव की लागत है। उत्पादन चरण के दौरान लागत को अलग करने से दो लाभ हो सकते हैं, वर्तमान अवधि में कोयले के निष्कर्षण और कोयले तक बेहतर पहुंच जो भविष्य की अवधि में निष्कर्षित जाएगी। उत्पादन चरण के दौरान विपट्टन लागत को उत्पादित वस्तुसूची और विपट्टन गतिविधि आस्ति के मध्य एक मानक पट्टी अनुपात (उपरिभार-से-कोयला) का उपयोग करके आवंटित किया जाता है। मानक पट्टी अनुपात खान के जीवन पर निकाले जाने वाले कुल कोयले के प्रतिकूल खदान के जीवन पर हटाए जाने वाले उपरिभार की कुल मात्रा है। जब हटाए गए उपरिभार की वास्तविक मात्रा उपरिभार हटाव की अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है, तो अपेक्षित उपरिभार हटाव पर हटाए गए अतिरिक्त उपरिभार के लिए विपट्टन लागत को विपट्टन गतिविधि आस्ति के लिए पूंजीकृत किया जाता है। विपट्टन गतिविधि आस्ति खदान के जीवन पर परिशोधन है। **पुनर्कथन की तिथि पर प्रभाव :** तुलनात्मक अवधि के उद्घाटन के रूप में विपट्टन गतिविधि आस्ति की वहन राशि को यथा अप्रचलित विपट्टन गतिविधि आस्ति अवधारित की गई थी, जिसे भा.ले.मा. 16 के उपाबंध ख के अनुसार खदान के शेष जीवन में परिशोधन किया जाना है। तुलनात्मक अवधि के आरंभ में दिखाई देने वाली अनुपात अंतर आरक्षित की वहन राशि को व्यवस्थित तरीके से प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा जब भी संबंधित खानों के संदर्भ में प्रावधान के उत्क्रमण / प्रतिवर्ती की स्थिति उत्पन्न होगी। तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरणी तथा वित्तीय विवरणी के टिप्पणी 16(5)(ट) में संदर्भित है।	अ) खानवार विपट्टन व्यय समायोजन के लिए, हमने संबंधित शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर भरोसा किया है जिसके तहत उपयुक्त खानें स्थित थीं। आ) विपट्टन समायोजन के कार्य डेटा प्राप्त किए और परीक्षण की जांच की कि सामग्री लेखा नीति का अनुपालन करने वाले वित्तीय विवरणी में पुनर्कथन का प्रभाव प्रदान किया गया है। इ) जाँच की गई कि वर्ष के दौरान सही रीति से उपरिभार के लिए आबंटित राशि एवं निष्कर्षित उपरिभार परिमाण के आधार पर अनुपात अंतर संगणना की जाती है। ई) निष्पादित विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं और संव्यय की उचितता के लिए विवरण का परीक्षण विपट्टन गतिविधि समायोजन संगणना माना जाता है। *निष्पादित उपर्युक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने देखा कि विपट्टन गतिविधि आस्तियों और अनुपात अंतर आरक्षित को अलग करने में गत तुलनात्मक अवधि (01.04.2022) की पहली तिथि से परे परिवर्तन का संचयी प्रभाव वित्तीय विवरणी में प्रदान नहीं किया गया था क्योंकि प्रबंधन ने इसे अव्यवहारिक माना था।*

क्र.सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ
2	**उपभोक्ताओं संग संविदाओं से राजस्व**	
	राजस्व लेखांकन मानक के अभ्यावेदन में वर्ष के दौरान विशिष्ट कार्य-निष्पादन दायित्वों का परिलक्षण, परिलक्षित कार्य-निष्पादन दायित्वों के लेन-देन मूल्य का अवधारण, निर्धारित राजस्व को मापन के लिए प्रयुक्ति आधार की उपयुक्तता से संबंधित कतिपय प्रमुख निर्णय सम्मिलित है। राजस्व निर्धारण की सटीकता और कोयला गुणवत्ता के लिए समायोजन के संबंध में एकल वित्तीय विवरणियों में महत्वपूर्ण अनुमान सम्मिलित हैं। किसी विशेष संविदा में कंपनी द्वारा निर्धारण प्राप्त राजस्व संबंधित ग्राहक के लिए ई-नीलामी में बिक्री करार / आवंटन पर निर्भर है। अंतरित कोयले के ग्रेड बेमेल/ स्लिपेज के कारण लेन-देन मूल्य में बाद में समायोजन किए जाते हैं। संविदा मूल्य में अंतर, यदि संविदा के पक्षकारों के बीच पारस्परिक रूप से निपटाया नहीं जाता है, को तृतीय पक्ष/रेफरी परीक्षण के लिए भेजा जाता है और कंपनी ऐसे विवाद के निपटान तक राजस्व निर्धारण के लिए अपेक्षित समायोजनों का अनुमान लगाती है। राजस्व में ऐसे समायोजन ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर अनुमानित आधार पर किए जाते हैं।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं, जिनके आधार पर हम ग्राहकों से संविदाओं से राजस्व के निर्धारण के बारे में तर्कसंगतता के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचे, में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: 1. हमने कंपनी के राजस्व निर्धारण और प्रक्रिया में अनुमानित समायोजन की उपयुक्तता के संबंध में भा.ले.मा. 115 के प्रावधानों की प्रयोज्यता का आकलन किया है। 2. हमने प्रतिदर्श आधार पर लेनदेन का चयन किया है और संविदा की शर्तों के संबंध में ग्रेड बेमेल / स्लिपेज, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का मूल्यांकन लेनदेन मूल्य में भिन्नता के कारण राजस्व में समायोजन की जांच करने से संबंधित विवादों से जुड़े संविदाओं की पहचान के लिए परीक्षण किया है। 3. हमने प्रतिफल के अनुमान के आधार को स्थापित करने के लिए और क्या ऐसे अनुमान कंपनी की लेखांकन नीति के अनुरूप हैं परीक्षण किए हैं। 4. हमने संबंधित एफएसए और कोल इंडिया लिमिटेड से इस संबंध में प्राप्त निर्देशों के अनुसार प्रबंधन द्वारा अनुमानित प्रदर्शन प्रोत्साहन और मुआवजे की गणना की जांच की है। *परीक्षण जांच के आधार पर की गई उपर्युक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने पाया कि बिना बिल वाले राजस्व के निर्धारण के लिए लागू प्रबंधन का अनुमान और निर्णय सीआईएल के निर्देशों और एफएसए के अनुरूप है जैसा कि प्रबंधन द्वारा परिस्थितियों के लिए उपयुक्त माना जाता है और उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है। बिना बिल न किए गए राजस्व की अनुमानित राशि बदली हुई परिस्थितियों में भिन्न हो सकती है।*
3	**कर्मचारियों के लिए परिभाषित प्रसुविधा दायित्व का मूल्यांकन**	
	परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं के लिए लेखांकन बीमांकिक प्राक्धारणाओं पर आधारित है, जिसके लिए दायित्व को मापने, नियोजित आस्तियों का मूल्यांकन करने और संबंधित बीमांकिक लाभ या हानि की संगणना की आवश्यकता होती है। दायित्व पर पहुंचने के लिए भविष्य के सभी नकदी प्रवाह को वर्तमान मूल्य पर भुनाई गई। बट्टा दरों, मुद्रास्फीति दरों, वेतन में वृद्धि और मृत्यु दर सहित महत्वपूर्ण अनुमान कंपनी के परिभाषित प्रसुविधा दायित्वों का मूल्यांकन करने में किए जाते हैं। कंपनी उचित प्राक्धारणाओं का चयन करने और दायित्वों की संगणना में उनकी सहायता के लिए बाह्य बीमांकिक विशेषज्ञ को संलग्न करती है। इन मामलों का प्रभाव जोखिम निर्धारण का एक हिस्सा है और परिभाषित प्रसुविधा दायित्वों के मूल्यांकन में उच्च स्तर का अनुमान है क्योंकि यह प्राक्धारणाओं पर आधारित है। (वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ 16(3) में संदर्भित हैं।)	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं, जिनके आधार पर हम कर्मियों के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों के मूल्यांकन की तर्कसंगतता के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचे, में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: लागू मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार लागू प्रमुख मान्यताओं (छूट दर, मुद्रास्फीति दर, मृत्यु दर) का मूल्यांकन किया। 1. कंपनी के बीमांकिक विशेषज्ञ की क्षमता, स्वतंत्रता और अखंडता का आकलन किया। 2. बीमांकिक मान्यताओं की समीक्षा और अनुमोदन पर नियंत्रण, बाहरी बीमांकिक को प्रदान किए गए डेटा की पूर्णता और सटीकता, और विशेषज्ञ की गणना में उपयोग किए गए डेटा के सामंजस्य का परीक्षण किया गया था।

क्र.सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ
		3. परिभाषित लाभ योजना के कारण अर्जित देयता के बारे में प्रबंधन के साथ चर्चा की और व्यवसाय को समझने और मूल्यांकन किया कि क्या मान्यताओं में कोई असंगति थी। 4. टिप्पणियों में भा.ले.मा. 19 के अनुसार कंपनी के प्रकटीकरण की पर्याप्तता सत्यापित है। सम्मिलित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने देखा कि मूल्यांकन के संबंध में प्रबंधन द्वारा की गई धारणाएं उपलब्ध साक्ष्य द्वारा समर्थित थीं। *निष्पादित उपर्युक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, कर्मियों के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों के मूल्यांकन के बारे में अनुमान को पर्याप्त और उचित माना गया है।*
4	**प्रावधानों एवं आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन** कंपनी विभिन्न मंचों पर कंपनी के प्रतिकूल विवाद के तहत कराधान, खनन, स्थानीय, राज्य लेवी से संबंधित मामलों में अनिश्चित पदों के संपर्क में है, जिसमें समाधान के लिए शामिल समय अवधि और वित्तीय विवरणियों पर इसके संभावित प्रभाव का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय सम्मिलित है। आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रबंधन के प्रकटित एकल वित्तीय विवरणियों के अतिरिक्त टिप्पणियों के टिप्पणी सं. 16 (4) में प्रस्तुत किए गए हैं। मुकदमों से जुड़े जोखिमों का आकलन जटिल मान्यताओं पर आधारित है। इसमें प्रावधान के स्तर को स्थापित करने के लिए प्रबंधन निर्णय की महत्वपूर्ण डिग्री शामिल है, जोखिम को बढ़ाता है कि प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं को उचित रूप से प्रदान नहीं किया जा सकता है या पर्याप्त रूप से प्रकटन नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, इस मामले को एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला माना जाता है।	मुकदमों और आकस्मिक देयताओं की पर्याप्त समझ प्राप्त करने के लिए, हमने कंपनी के कानूनी और वित्त विभागों के साथ विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से ऐसे प्रावधानों के लिए प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित पहचान की प्रक्रिया पर चर्चा की है। हम कंपनी की कानूनी और वित्त टीम द्वारा प्रदान किए गए मुकदमेबाजी मामलों का सारांश पढ़ते हैं। हम, जहां लागू हो, कंपनी द्वारा मांगी गई बाहरी कानूनी या नियामक सलाह को पढ़ते हैं। हमने कंपनी की कानूनी और वित्त टीम के साथ रिपोर्ट में उल्लिखित कुछ वास्तविक मामलों के बारे में चर्चा की ताकि कंपनी की संभावना, परिमाण और किसी भी देयता के लेखांकन का आकलन किया जा सके। उपर्युक्त के प्रकाश में, हमने आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की गई राशि की समीक्षा की और एकल वित्तीय विवरणियों में प्रकटीकरण की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए अपने पेशेवर निर्णय का प्रयोग किया। *निष्पादित उपर्युक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं के मूल्यांकन के बारे में अनुमान पर्याप्त और उचित रहे हैं।*

वित्तीय विवरणी से भिन्न संसूचना एवं उसपर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य संसूचनाओं की निर्मिति के लिए उत्तरदायी है। अन्य संसूचनाओं में निदेशकगण का प्रतिवेदन, निगमित सामाजित दायित्व प्रतिवेदन, अनुसंधान व विकास और निगमित सुशासन पर प्रतिवेदन तथा प्रबंधकीय विवेचना एवं विश्लेषण प्रतिवेदन के प्रतिवेदन के उपाबंधों सहित निदेशकगणों के प्रतिवदेन में सम्मिलित संसूचनाएँ समाविष्ट होती है। जब हमें निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन के साथ उपाबंधों, सीएसआर प्रतिवेदन, अनुसंधान व विकास और निगमित सुशासन पर प्रतिवेदन तथा प्रबंधकीय विवेचना एवं विश्लेषण प्रतिवेदन सहति निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाती है और हम इसे पढ़ते हैं, यदि हम यह निश्चित करते हैं कि इसमें कोई तत्व अयथार्थ कथन है, तो हमें इस विषय को सुशासन के भारितों तक संसूचित करना आवश्यक है और प्रवृत्त विधियों एवं विनियमों में लागू कार्रवाइयों का वर्णन करना होगा।

वित्तीय विवरणी पर हमारी राय में अन्य संसूचना समाविष्ट नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे। वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के संसंग में, हमारा उत्तरदायित्व ऊपर पहचानी गई अन्य संसूचना को पढ़ने की है जब यह उपलब्ध हो जाती है और, ऐसा करने में, इस बात पर विचार करतें हैं कि क्या अन्य संसूचना वित्तीय विवरणी के साथ तत्वतः असंगत है या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी संसूचना या अन्यथा तत्वतः मिथ्या कथन करती प्रतीत होती है।

प्रबंधन के दायित्वों और एकल वित्तीय विवरणियों के लिए सुशासन के साथ प्रभारित

कंपनी का निदेशक मण्डल इन एकल वित्तीय विवरणियों की निर्मिति से संबंधित कंपनी अधिनियम ("अधिनियम") की धारा 134(5) में विवरणित विषयों के लिए उत्तरदायी है जो कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (भा.ले.मा.) सहित, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय निष्पादन, वित्तीय स्थिति का सही और ऋजु चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की आस्तियों की संरक्षा के लिए और कपट एवं अन्य विसंगतियों की रोकथाम एवं पता लगाने के लिए तथा समुचित लेखांकन नीतियों के चयन एवं अनुप्रयोग; निर्णयों या अनुमानों जो युक्तियुक्त और प्रज्ञायुक्त हो लेने या लगाने; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण, जो लेखांकन अभिलेखों की निश्चितता एवं पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशीलता से परिचालित किया जा रहा था, वित्तीय विवरणियों जो सही और ऋजु चित्र प्रस्तुत करता है और तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त है, चाहे कपट या त्रुटि के कारण हो, के निर्मिति एवं प्रस्तुतिकरण को सुसंगत करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण भी समाविष्ट है।

वित्तीय विवरणी निर्मिति में, प्रबंधन यथा चालू समुत्थान रखने की कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने, चालू समुत्थान, यथा लागू हो, संबंधित विषयों को प्रकटन करने और लेखांकन के चालू समुत्थान आधारित उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है जब तक कि निदेशक मंडल या तो कंपनी को परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदिति प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणी के लेखापरीक्षा के लिए लेखपरीक्षकों का दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बाबत युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरणी तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं, चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन जिसमें हमारी राय समाविष्ट है निर्गत करना है। युक्तियुक्त आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह प्रत्याभूत नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा सदैव तात्विक अयथार्थ कथन जब वह विद्यमान हो का पता लगाएगा। अयथार्थ कथन कपट या त्रुटि से उद्भूत हो सकते हैं और उन्हें तात्विक प्रतिफलित किया जाता है यदि, व्यष्टि रूप से या समग्र रूप से, इन एकल वित्तीय विवरणियों के आधार पर परिगृहीत उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती है।

अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग रूप में, हम वृत्तिक निर्णय का प्रयोग करते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में वृत्तिक संशयवाद बनाए रखते हैं। हम :

1. एकल वित्तीय विवरणी के तात्विक अयथार्थ कथन के जोखिमों को भी परिलक्षित और उनका मूल्यांकन करते हैं, चाहे वे कपट या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अभिकल्पित और निष्पादित भी करते हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है। कपट के परिणामस्वरूप होने वाले एक तात्विक अयथार्थ कथन को परिलक्षित नहीं करने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले से अधिक है, क्योंकि कपट में दुरसंधि, कूटरचना, साशय चूक, दुर्व्यपदेशन, या आंतरिक नियंत्रण का अध्यारोही समाविष्ट हो सकता है।
2. उन परिस्थितियों में संगत लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अभिकल्पित करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ भी प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
3. प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा कृत लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्क संगति का भी मूल्यांकन करते हैं।
4. लेखांकन के चालू समुत्थान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी की एक चालू समुत्थान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में एकल वित्तीय विवरणी में या, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को उपांतरित करने के लिए संबंधित प्रकटन पर ध्यानाकर्षित किया जाना अपेक्षित है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तदापि, भविष्यत् घटनाएँ या दशाएँ कंपनी को यथा चालू समुत्थान जारी रखने में अवरोध का कारण बन सकती है।
5. प्रकटनें सहित एकल वित्तीय विवरणी की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन भी करते हैं, और क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

एकल वित्तीय विवरणी में तात्त्विकता अयथार्थ कथनों का परिमाण है, जो व्यष्टि रूप से या संकलित में, यह अधिसंभाव्य है कि एकल वित्तीय विवरणी के युक्तियुक्त रूप से सुविज्ञ उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य की परिधि की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने; और (ii) एकल वित्तीय विवरणी में किसी भी परिलक्षित अयथार्थ कथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक तात्त्विकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम, अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित परिधि और समय-सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष, आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमियाँ जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान परिलक्षित करते हैं सहित, के बारे में सुशासन के भारितों को संसूचित करते हैं।

हम उन लोगों को भी प्रदान करते हैं जिन पर सुशासन भारिता है कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन समस्त संबंधों और अन्य विषयों जो हमारी स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त विचार कर सकते हैं, और जहाँ लागू हो, संबद्ध संरक्षा पर उनके साथ संवाद करना है।

सुशासन से भारित लोगों के साथ संवाद किए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के कंपनी के एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारे प्रतिवेदन में सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हितलाभों से अधिक होने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य विषय

1. हमने एकल वित्तीय विवरणियों में सम्मिलित घटकों के वित्तीय विवरणियों का लेखापरीक्षा नहीं किया, जिनके वार्षिक वित्तीय विवरणी 31 मार्च 2024 को ₹14,071.83 करोड़ की कुल आस्ति और ₹13,502.94 करोड़ की कुल आय और उस वर्ष के लिए ₹904.26 करोड़ का कर पूर्व निवल हानि दर्शाते हैं, जैसा कि संलग्न वित्तीय विवरणी में माना जाता है। इन क्षेत्रों/यूनिटों के वित्तीय विवरणियों/ संसूचनाओं की लेखापरीक्षा उस क्षेत्र/यूनिट लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनका प्रतिवेदन हमें प्रस्तुत कर दी गई हैं और जहाँ तक यह इन क्षेत्रों/इकाइयों के संबंध में सम्मिलित राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे क्षेत्र/इकाई लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर आधारित है।
2. ग्राहकों, विक्रेताओं से शेष राशि की पुष्टि और तुलन-पत्र की तिथि में दर्शाई गई शेष राशि के लिए कुछ अग्रिम प्रक्रियाधीन हैं।
3. नियंत्रक कंपनी (कोल इंडिया लिमिटेड) द्वारा एचईएमएम उपस्करों के उपयोगी जीवन काल का तकनीकी मूल्यांकन आवधिक आधार पर किया जाता है।
4. कंपनी के पास विक्रेता सृजन के समय एमएसएमई लेनदारों को पकड़ने के लिए पर्याप्त प्रणाली नहीं है। कंपनी ने एमएसएमई लेनदारों को बकाया राशि की मैन्युअल रूप से पहचान की है जो 31.03.2024 को ₹1.70 करोड़ थी।
5. ईसीएल की लेखांकन नीति के पैरा 2.14.5 के अनुसार, वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रतितुलन की जाती है और यदि राशि का प्रतितुलन करने के लिए वर्तमान में प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार है तो तुलन-पत्र में निवल राशि की सूचना दी जाती है। तथापि, कंपनी ने उन्हीं खानों के लिए सृजित निधि से खान संवरण करने की देयता का प्रतितुलन नहीं की है।
6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 77 के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक सावधि जमा के एवज में प्राप्त ओवरड्राफ्ट ऋण स्वीकृति के लिए कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रभार सृजित नहीं किया गया है।
7. कंपनी ने ₹552.55 करोड़ के विवादित ग्राहक शेष की पहचान की है, जिसमें से वित्तीय विवरणी में ₹494.56 की क्रेडिट हानि हानि प्रदान की गई थी।

उपर्युक्त "अन्य विषय" के संबंध में हमारी राय में कोई उपांतर नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

1. यथा अधिनियम की धारा 143(11) के निबंधनों में भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा निर्गत कंपनी (लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित है, हम "उपाबंध क" में, आदेश के पैरा 3 एवं 4 में, विनिर्दिष्टि विषयों पर लेखापरीक्षा के अधीन वर्ष के लिए लागू सीमा तक एक विवरणी प्रदान करते हैं।
2. कंपनी अधिनियम की धारा 143 (5) के अधीन यथा अपेक्षित, "उपाबंध ख" में हमने, इस प्रतिवेदन को, लेखापरीक्षा की इंगित प्रणालीतंत्र के अनुपालन के पश्चात भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत निदेशनों एवं अतिरिक्त निदेशनों में विवरणी, उस पर की गई कार्रवाई और कंपनी के लेखा और एकल वित्तीय विवरणियों पर इसके प्रभाव को प्रस्तुत करते हैं।
3. यथा अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम प्रतिवेदित करते हैं कि :

अ. हमने सभी संसूचना और स्पष्टीकरण की ईप्सा किए हैं और उसे प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए उपर्युक्त पैराग्राफ "विषयों का प्रबलन" के साथ पठित उपरिकथित एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

आ. हमारी राय में, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरणियों की निर्मिति से संबंधित कानून द्वारा आवश्यक खाते की उचित बहिखातें कंपनी द्वारा अब तक रखी गई हैं, जहाँ तक उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रकट होता है।

इ. शाखा / क्षेत्र लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अधीन लेखापरीक्षित कंपनी की शाखा कार्यालयों के लेखा पर प्रतिवेदन हमें प्रेषित की गई है और इस प्रतिवेदन को निर्मिति करने में हमारे द्वारा समुचित बरता गया है।

ई. तुलन-पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ-हानि विवरणी, नकदी प्रवाह विवरणी तथा इस प्रतिवेदन द्वारा निपटारित साम्या में परिवर्तन विवरणी, जिसमें शाखाओं / क्षेत्र लाखपरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित क्षेत्रों के विवरण सम्मिलित है, लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

उ. हमारी राय में, हमारे पास कोई संप्रेक्षण नहीं है जिससे कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ऊ. प्रबंधन से प्राप्त हमारी परीक्षा और स्पष्टीकरण के आधार पर, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरणी अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जो इसके तहत निर्गत प्रासंगिक नियम के साथ पढ़ा जाता है, सिवाय नकदी प्रवाह के विवरणी को छोड़कर जहाँ अप्रचलित उधार का जाल बनाया गया था जो आईएनडी ए7 के पैरा 22 के अनुसार अनुज्ञेय नहीं है।

ऋ. कारपोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा निर्गत अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसरण में, निदेशकगणों की निरर्हता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2), सरकारी कंपनी पर लागू नहीं है।

ऌ. हमारे पास खातों के रखरखाव और उससे जुड़े मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ऍ. कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक ग" में हमारे पृथक प्रतिवेदन का संदर्भ लें। हमारा प्रतिवेदन कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अनुपांतरित राय अभिव्यक्त करती है।

ऐ. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया जाता है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 का अनुपालन कंपनी पर लागू नहीं होता है।

ए. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11, यथा संशोधित, के अनुसार लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समाविष्ट किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम संसूचना के अनुसार और हमें प्रदत्त स्पष्टीकरण के अनुसार :

अ) कंपनी ने एकल वित्तीय विवरणी के अतिरिक्त टिप्पणी 16(4) ए1 के अंतर्गत अपने लंबित मुकदमों का प्रकटन किया है। इन मुकदमों का प्रभाव, यदि कोई हो, निर्धारित किए जाने/निपटाए जाने पर प्रभावी होगा।

आ) कंपनी ने लागू कानून या लेखा मानकों के तहत आवश्यक प्रावधान किए हैं, यदि कोई हो, तो दीर्घकालिक अनुबंधों पर भौतिक पूर्वानुमानीय हानियों के लिए और कंपनी के पास कोई व्युत्पन्नी संविदा नहीं था।

इ) प्रबंधन से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के अनुसार, ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किए जाने की आवश्यकता थी।

ई) i) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, यह सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के रूप में है, कोई भी निधियों को अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि या किसी अन्य स्रोत या निधियों के किसी प्रकार से) कंपनी को या किसी अन्य व्यष्टि या संस्था(ओं) में, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यवर्ती") समाविष्ट है, इस समझ के साथ कि चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यवर्ती, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से ("अंतिम लाभार्थी") प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

ii) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, यह सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के रूप में है, कंपनी द्वारा विदेशी संस्था ("निधियन पक्षकारों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था(ओं) से कोई निधि (जो व्यष्टि रूप से या कुल मिलाकर तात्त्विक है) प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधियन पक्षकारों ("अंतिम लाभार्थी") या की ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

iii) ऐसे लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में युक्तियुक्त और उपयुक्त माना है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (इ) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, यथा उपर्युक्त (अ) और (आ) के अधीन उपबंधित, इसमें कोई भी तात्त्विक अयथार्थ कथन है।

उ) कंपनी ने अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए एक लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के अनुपालन में लेखा सत्यापन (संपादन लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, जैसा कि संशोधित किया गया है और प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और नमूना आधार पर हमारी परीक्षा के आधार पर, यह देखा गया था कि सॉफ्टवेयर में दर्ज महत्वपूर्ण और प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष इसका संचालन किया गया है। इसके अतिरिक्त, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर और प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान लेखा सत्यापन में छेड़छाड़ की कोई घटना सूचित नहीं की गई थी।

रॉय घोष & एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 320094ई

सीए सुब्रत रॉय,
साझेदार
सदस्यता संख्या 053959
यूडीआईएन: 24053959BKDFFC4581

दिनांक: 20 अप्रैल 2024
स्थान: कोलकाता

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणी पर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन का उपाबंध 'क'

[हमारे प्रतिवेदन के "अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकता पर प्रतिवेदन" के अधीन के पैरा 1 में संदर्भित]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (11) के संदर्भ में कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2020 ("आदेश") के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरणी

1. क) (i) कंपनी संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर की मात्रात्मक ब्यौरे और स्थिति सहित पूर्ण विशिष्टियाँ दर्शित करते हुए उचित अभिलेखें अनुरक्षित रख रही है। तथापि, कुछ आस्तियों की स्थिति/अवस्थान स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है।

ii) कंपनी अमूर्त आस्तियों के पूर्ण विशिष्टयों को दर्शित करते हुए उचित अभिलेखें अनुरक्षित रख रही है;

ख) वर्ष के दौरान, संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों को सत्यापन के एक नियमित कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में उचित है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन पर कोई तात्त्विक विसंगतियां नहीं देखी गई।

ग) हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और एकल वित्तीय विवरणियों में प्रकट की गई सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेखों की हमारी परीक्षा के आधार पर, वही कंपनी के नाम पर तुलन-पत्र की तिथि को आयोजित किए जाते हैं, निम्नलिखित को छोड़कर जहाँ शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं।

संपत्ति का अभिवर्णन	सकल वहनीय मूल्य (₹ करोड़ में)	के नाम पर	या तो संप्रवर्तक, निदेशक या उनके संबंधी या कर्मी	आयोजित अवधि - जहां उपयुक्त हो, सीमा इंगित करें	अभ्युक्ति
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	नहीं	अनुपलब्ध	जैसा कि हमें बताया गया है, भूमि का अधिग्रहण कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के अनुसरण में किया गया था, इसलिए इसे संबंधित भूमि के लिए अलग से स्वामित्व विलेख की आवश्यकता नहीं है। 720.00 हेक्टेयर भूमि के संबंध में दस्तावेजों/ विलेखों के संकलन एवं पुनःमिलान का कार्य अभी भी प्रक्रियाधीन है।

ईसीएल से संबंधित भूमि की नामांतरण स्थिति इस प्रकार है:

कंपनी का नाम	नामांतरण के लिए उपयुक्त कुल भूमि (हेक्टेयर में)	31.03.2024 को नामांतरण पहले ही किया जा चुका है।	31.03.2024 को नामांतरण प्रक्रियाधीन है
ईसीएल	22,629.68	8,969.97	13,659.71

घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(i)(ई) के तहत प्रतिवेदित कंपनी पर लागू नहीं होती है; और

ङ) हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और प्रबंधन द्वारा प्रतिनिधित्व के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के खिलाफ लंबित नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 (i) (उ) के तहत प्रतिवेदित कंपनी पर लागू नहीं होती है।

2. क) कंपनी की वस्तुसूचियों को उचित अंतराल पर वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है और हमारी राय में प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया कंपनी के आकार और इसकी सूची की प्रकृति के संबंध में उपयुक्त है। वस्तुसूचियों के भौतिक सत्यापन पर देखी गई विसंगतियां वस्तुसूची के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक नहीं थीं और खाते की बहियों में ठीक से निपटाया गया है; और

ख) कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को चालू आस्तियों अर्थात् सावधि जमा की सुरक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से 2119.69 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। हमारी राय में और हमें प्रदत्त संसूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, तिमाही विवरणी या स्टॉक विवरणी, बही ऋण विवरणी, देनदारों के काल-प्रभावन विश्लेषण पर विवरणी और अन्य निर्धारित वित्तीय जानकारी वाले विवरणी को कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों के साथ भरने करने की आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा के रूप में प्रस्तावित सावधि जमा का विवरण स्वीकृति पत्र के अग्रभाग पर उल्लेख किया गया था।

3. हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, कोई निवेश नहीं किया जाता है, बशर्ते कि कोई सुरक्षित और असुरक्षित ऋण, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की गई है या ऋण की प्रकृति में कोई अग्रिम प्रदान किया गया है, सुरक्षित या असुरक्षित, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को वर्ष के दौरान और इसलिए पैराग्राफ 3 (iii) (क) से 3 (iii) (च) के तहत रिपोर्टिंग आदेश लागू नहीं होता है।

4. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अनुसार अन्य कॉर्पोरेट निकाय या व्यक्तियों द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में कोई ऋण नहीं दिया है या निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी प्रदान नहीं की है, या कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(iv) लागू नहीं होता है।

5. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने धारा 73 से 76 या अधिनियम और नियमों के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कवर किए गए सार्वजनिक रूप से किसी भी जमा, या किसी भी राशि को स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 (v) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

6. हमने कंपनी के उत्पादों के संबंध में अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए लेखा-बहियों की व्यापक रूप से समीक्षा की है, जिन पर उक्त नियम लागू किए गए हैं और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया, निर्धारित अभिलेख रखे गए हैं। हालांकि, हमने एक दृष्टिकोण के साथ उक्त रिकॉर्ड की विस्तृत जांच नहीं की है।

7. हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और खातों की पुस्तकों की हमारी परीक्षा के आधार पर:

अ) वर्ष के दौरान, कंपनी आम तौर पर उपयुक्त अधिकारियों के साथ माल और सेवा कर, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और जीएसटीआर 2 बी में जारी ₹29,54,693 रुपये की जीएसटी आरसीएम देयता को छोड़कर लागू किसी भी अन्य वैधानिक बकाया राशि सहित अविवादित वैधानिक बकाया राशि जमा करने में नियमित रही है, आज की तिथि तक भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी द्वारा देयता की वास्तविकता अभी स्थापित की जानी है। हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, इनके संबंध में कोई निर्विवाद राशि देय नहीं है, जो 31 मार्च, 2024 को देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया थी।

आ) उपर्युक्त उपखंड 7 (क) में निर्दिष्ट सांविधिक देयताओं का विवरण, जिन्हें किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, **उपबंध I** में दिया गया है।

8. हमारी राय में और हमें प्रदत्त संसूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर और जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है, हमें न तो ऐसे लेनदेन के बारे में सूचित किया गया है जो पहले लेखा की बहियों में दर्ज नहीं किए गए थे और जिन्हें आयकर अधिनियम के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में आत्मसमर्पण या प्रकटन किया गया है, 1961 और तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 3 (viii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

9. हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर,

अ. कंपनी ने बैंकों को ऋण की अदायगी में कोई चूक नहीं की है।

आ. कंपनी ने किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया है।

इ. ऋण का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था।

ई. कंपनी ने दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए अल्पकालिक आधार के लिए जुटाई गई निधियों का उपयोग नहीं किया है।

उ. कंपनी ने अपने सहयोगियों, सहायक कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के खाते के लिए या दायित्वों का भुगतान करने के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई पैसा नहीं उठाया है।

ऊ. कंपनी ने अपनी अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं उठाया है।

10. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के खाते की पुस्तकों की हमारी परीक्षा के आधार पर:

अ) कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) या सावधि ऋण के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 (x) (क) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है; और

आ) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (आंशिक रूप से, पूरी तरह से, या वैकल्पिक रूप से) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 (x) (ख) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

11. अ) भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षण प्रथाओं के अनुसार किए गए कंपनी की लेखा-बहियों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, हमें न तो कंपनी द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी का कोई उदाहरण मिला है या कंपनी ने वर्ष के दौरान ध्यान दिया या रिपोर्ट किया है, न ही प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना दी गई है। तथापि, प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष के दौरान 3506 कोयला चोरी के मामलों में 22,779.91 टन कोयले की बरामदगी की सूचना दी है।

आ) अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई प्रतिवेदन कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 (समय-समय पर संशोधित) के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार के साथ वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक दायर नहीं की गई है; और

इ) हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी की लेखा बहियों की जांच के आधार पर, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई सूचना प्रदाता शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 (xi) (c) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

12. हमारी राय में और हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और तदनुसार निधि नियम, 2014 इस पर लागू नहीं होता है, इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 (xii) (क, ख एवं घ) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

13. हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188 के प्रावधानों के अनुपालन में हैं, जहाँ भी लागू हो और इस तरह के लेनदेन के विवरण का प्रकटन एकल वित्तीय विवरणियों में किया गया है जैसा कि लागू लेखा मानकों द्वारा आवश्यक है।

14. कंपनी ने कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए सनदी लेखाकारों की एक फर्म नियुक्त की है। हमारी राय में और हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है। हमने अपने लेखापरीक्षा के दौरान, एसए 610 "आंतरिक लेखापरीक्षकों के काम का उपयोग करना" में प्रदान किए गए मार्गदर्शन के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में वर्ष के दौरान और आज तक कंपनी को जारी किए गए लेखापरीक्षा के तहत अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार किया है।

15. हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें प्रतिनिधित्व किया गया है और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकदी लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (xv) लागू नहीं होता है।

16. क) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। अतः, आदेश के खंड 3 (xvi) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

ख) कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार पंजीकरण के वैध प्रमाण पत्र (सीओआर) के बिना कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है। अतः, आदेश के खंड 3 (xvi) (ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

ग) कंपनी एक मूल निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। अतः, आदेश का पैरा 3(xvi)(ग) लागू नहीं है; और

घ) हमारी राय में और प्रबंधन से हमारे द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर, समूह के भीतर कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvi) (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

17. लेखा बहियों की जांच के आधार पर, हम प्रतिवेदित करते हैं कि कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष के साथ-साथ पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।

18. वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई इस्तीफा नहीं दिया गया है और इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 (xviii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

19. हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात के आधार पर, टिप्पणी 16(2)[बी] में प्रबंधन द्वारा प्रकट चलनिधि जोखिम की सीमा, वित्तीय आस्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देयताओं के भुगतान की समय-सीमा बढ़ने और अपेक्षित तिथियाँ, एकल वित्तीय विवरणियों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले सबूतों की हमारी परीक्षा के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास होता है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तिथि को कोई भी वास्तविक अनिश्चितता विद्यमान है कि कंपनी तुलन-पत्र की तिथि को मौजूद अपनी देयताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है और जब वे तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर गिरती हैं। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के रूप में आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देयताओं को कंपनी द्वारा निर्वहन किया जाएगा और जब वे देय हो जाएंगे।

20. हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और प्रबंधन द्वारा हमें प्रतिनिधित्व किया गया है और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, अधिनियम की धारा 135 के तहत परिकल्पित चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के कारण कोई राशि खर्च नहीं की गई थी और इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3 (xx) (ए) और (बी) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

21. आदेश के पैराग्राफ 3 (xxi) के तहत रिपोर्टिंग एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के संबंध में लागू नहीं है।

रॉय घोष & एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 320094ई

सीए सुब्रत रॉय,
साझेदार
सदस्यता संख्या. 053959
यूडीआईएन: 24053959BKDFFC4581

दिनांक: 20 अप्रैल 2024
स्थान: कोलकाता

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणी पर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का उपाबंध "ख"

(हमारी रिपोर्ट के अंश अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के अधीन पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

वर्ष 2023-24 के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निदेशों पर प्रतिवेदन

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	संप्रेक्षण
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं।	हाँ, कंपनी ने 1 अगस्त, 2021 से अपने सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए अपनी विरासत प्रणाली कोल-नेट से एसएपी, एक ईआरपी एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में स्थानांतरित कर दिया है। प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, यह एप्लिकेशन कंपनी की गहन आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यवसाय प्रक्रिया को सुचारू रूप से और कुशलता से चलाने के लिए ज्यादातर सभी कार्यक्षमताओं को कवर करता है।
2.	चाहे किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन हो या ऋणों/ऋणों/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने के मामले हों। ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण कंपनी को एक ऋणदाता द्वारा बनाया गया? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव कहा जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब रखा जाता है? (यदि, ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू है)	वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण के पुनर्गठन का कोई मामला या कर्ज/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले कंपनी को नहीं देखे गए।
3.	क्या केन्द्र/राज्य सरकार या एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/राजसहायता आदि) का इसके निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उचित हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/राजसहायता आदि) का निबंधन और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा-जोखा रखा गया/उपयोग किया गया।

रॉय घोष & एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 320094ई

सीए सुब्रत रॉय, साझेदार
सदस्यता संख्या. 053959
यूडीआईएन: 24053959BKDFFC4581

दिनांक: 20 अप्रैल 2024
स्थान: कोलकाता

वर्ष 2023-24 के लिए मेसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत अतिरिक्त निदेशों पर प्रतिवेदन

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	संप्रेक्षण
1.	क्या कोयले के स्टॉक का मापन येलो बुक के आधार पर किया गया था? क्या वास्तविक स्टॉक माप रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्च मानचित्र के साथ हैं? क्या वर्ष के दौरान सृजित नए ढेर, यदि कोई हों, के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया था।	स्पष्टीकरण और हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कोयले के स्टॉक का मापन येलो बुक के आधार पर किया गया था और वर्ष के दौरान बनाए गए नए ढेरों को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।
2.	क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलय / विभाजन / पुनर्गठन के समय आस्तियों और संपत्तियों का वास्तविक सत्यापन अभ्यास किया था। यदि हां, तो क्या संबंधित सहायक कंपनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है।	हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने सतग्राम और श्रीपुर क्षेत्र के सतग्राम-श्रीपुर क्षेत्र में विलय के समय आस्तियों और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन अभ्यास किया है।
3.	क्या ईसीएल और इसकी सहायक कंपनियों में प्रत्येक खान के लिए अलग-अलग निलंब खाते रखे गए हैं। साथ ही खाते की निधि के उपयोग की जांच करें।	हां, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक खान के लिए अलग-अलग निलंब खाते रखे गए हैं। विचाराधीन वर्ष के दौरान निधि का कोई उपयोग नहीं किया गया है।
4.	क्या माननीय उच्चतम न्यायालय/ राष्ट्रीय हरित अधिकरण/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवैध खनन के लिए लगाए गए जुर्माने के प्रभाव पर विधिवत विचार किया गया है और उसका हिसाब रखा गया है?	माननीय उच्चतम न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगाए गए वित्तीय विवरणियों के अतिरिक्त टिप्पणियों के टिप्पणी सं 16(4)क-I में यथा उल्लिखित अवैध खनन के लिए दंड के प्रभाव पर प्रबंधन द्वारा विधिवत विचार और मूल्यांकन किया गया है।
5.	क्या कोलनेट पोर्टल से एसएपी में डेटा की स्थानांतरण प्रक्रिया के संबंध में कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / प्रमाणन किया गया है।	कोलनेट सॉफ्टवेयर से एसएपी में डाटा की स्थानांतरण प्रक्रिया के संबंध में स्वतंत्र मूल्यांकन/प्रमाणन नहीं किया गया है।

रॉय घोष & एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 320094ई

सीए सुब्रत रॉय, साझेदार
सदस्यता संख्या 053959
यूडीआईएन: 24053959BKDFFC4581

दिनांक: 20 अप्रैल 2024
स्थान: कोलकाता

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणी पर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन का उपाबंध "ग"

[हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अंश 'अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन' के पैरा 3(जी) में संदर्भित]

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (i) के अधीन वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रतिवेदन

हमने 31 मार्च, 2024 तक ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-जोखा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरणी के हमारे लेखापरीक्षा के साथ किया है जिसमें कंपनी की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सम्मिलित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधकीय उत्तरदायित्व

कपंनी के निदेशक मण्डल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा निर्गत वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में कथित आंतरिक नियंत्रण के मर्मभूत घटकों को विचार करते हुए कंपनी द्वारा अधिस्थापित वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक नियंत्रण मानदण्डों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अधिस्थापन एवं अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के पर्याप्त अभिकल्पना, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण समाविष्ट हैं जो कंपनी की अनुषक्ति, आस्तियों का अभिरक्षण, कपट एवं त्रुटियों की रोकथाम एवं पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की सटिकता एवं पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय संसूचना का ससमय निर्मिति, कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन यथा आवश्यक, सहित, अपने कारबार के व्यवस्थित एवं कुशल कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशीलता से परिचालित कर रहे थे।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय प्रतिवेदिति पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय अभिव्यक्त करना है। हमने, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा के लिए लागू दोनों, और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत दोनों, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा के विस्तार तक लागू, आईसीएआई द्वारा निर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन विहित समझे गए वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी ("मार्गदर्शी टिप्पणी") और लेखांकन मानकों के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा संचालित की। उन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएँ और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय प्रतिवेदिति पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी तात्त्विक विषयों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता की बाबत लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएँ समाविष्ट हैं। वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक तात्त्विक कमजोरी विद्यमान है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना समाविष्ट है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णयों पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के तात्त्विक अयथार्थ कथन के जोखिमों का आकलन समाविष्ट है, चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य, और शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा नीचे पैरा "अन्य मामला" में संदर्भित उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, प्राप्त किए हैं वित्तीय प्रतिवेदिति पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय प्रतिवेदिति के उपर आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय प्रतिवेदिति पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय प्रतिवेदिति की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए एकल वित्तीय विवरणी निर्मिति करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। वित्तीय प्रतिवेदिति पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ समाविष्ट हैं जो : (1) अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तियुक्त ब्यौरे में, कंपनी की आस्तियों के लेनदेन और व्ययन को सटीक और निष्पक्ष रूप से परावर्तित करते हैं; (2) युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेनों को सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों अनुसार वित्तीय विवरणी निर्मिति करने की अनुमति देने के लिए यथा आवश्यक अभिलिखित किया गया है, और यह कि कंपनी की

प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार बनाई जा रही है; और (3) कंपनी की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या व्ययन की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं, जिसकी वित्तीय विवरणी पर तात्त्विक प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंतर्निहित परिसीमाएँ

वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण, जिसमें दुरभिसंधि की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन अध्यारोही समाविष्ट हैं, त्रुटि या कपट के कारण तात्त्विक अयथार्थ कथन हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के प्रक्षेपकें जोखिम के अध्यधीन हैं कि वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री क्षय हो सकती है।

राय

हमारी राय में, हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत वित्तीय प्रतिवेदिति के उपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शी टिप्पणी में विवरणित आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को विचार करते हुए कंपनी द्वारा अधिस्थापित वित्तीय प्रतिवेदिति मानदण्ड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित, वित्तीय प्रतिवेदिति पर कंपनी, समस्त तात्त्विक पहलुओं में, के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय प्रतिवेदिति पर ऐसे आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च, 2024 को यथा प्रभावी परिचालित थी।

अन्य विषय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट, जहाँ तक यह उन्नीस (19) इकाइयों/शाखाओं से संबंधित है, यूनिट/शाखा लेखापरीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय को उपांतरित नहीं किया गया है।

रॉय घोष & एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 320094ई

सीए सुब्रत रॉय, साझेदार
सदस्यता संख्या 053959
यूडीआईएन: 24053959BKDFFC4581

दिनांक: 20 अप्रैल 2024
स्थान: कोलकाता

अनुपालन प्रमाण-पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत निदेशों और अतिरिक्त निदेशों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के खातों की लेखापरीक्षा की है और प्रमाणित किया है कि हमने हमें निर्गत सभी निदेशों और अतिरिक्त निदेशों का अनुपालन किया है।

रॉय घोष एवं एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 320094ई

सीए सुब्रता रॉय,
साझेदार
सदस्य सं. 053959

यूडीआईएन : 24053959BKDFFC4581
दिनांक 20 अप्रैल 2024
स्थान : कोलकाता

सत्यमेव जयते

No.: 159 /DGA(C)/KoL/LA-I/Accounts Audit /ECL/2023-24/2024-25
संख्या
No.

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला)
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (COAL)
कोलकाता / KOLKATA

दिनांक / Dated 21 JUN 2024 20

गोपनीय

सेवा में,
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
सांकतोड़िया, पोस्ट – डिसेरगढ़,
जिला – पश्चिम बर्दधवान (पश्चिम बंगाल)

विषय : **31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टीका-टिप्पणियाँ।**

महोदय,

मैं एतदद्वारा 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टीका-टिप्पणियाँ अग्रेषित करता हूँ।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की पावती दें।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि।

(बिभुदत्ता बसंतिया)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (कोयला)
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 21 जून, 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टीका-टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन विहित वित्तीय प्रतिवेदिति संरचना के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणी की निर्मिति कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विहित लेखापरीक्षण के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणियों पर मत प्रकट करने के लिए अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उत्तरदायी है। यह उनके द्वारा दिनांकित 20 अप्रैल 2024 की अपनी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से किया गया अभिकथित किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित की गयी है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागजातों की पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी कर्मियों के जांच और कुछ लेखा अभिलेखों का चयनात्मक परीक्षण के लिए प्रधानतः सीमित किया गया है।

मेर पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन निम्नलिखित विशिष्ट तथ्यों को चिह्नांकित करना चाहूँगा जो मेरे ध्यान में आ चुका है और जो मेरी दृष्टिकोण में वित्तीय विवरणियों और संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के श्रेष्ठतर समझ की सामर्थ्यता के लिए आवश्यक है।

क. लाभप्रदता पर टीकाटिप्पणी

क.1. लाभ व हानि की विवरणी

व्यय

अन्य व्यय (टिप्पणी – 13.8)

प्रावधान : ₹140.09 करोड़

इसमें वर्ष 2016-17 से 2021-22 के लिए ईंधन आपूर्ति करारों (एफएसए) के निर्धारित मानकों1 से परे प्रेषित कोयले में सतही नमी की मात्रा अधिक होने के संबंध में ईसीएल के राजमहल क्षेत्र से मेसर्स एनटीपीसी द्वारा धन-वापसी दावे के लिए बेहिसाबी प्रावधान सम्मिलित नहीं है। ₹258.72 करोड़2 की कुल दावा राशि के खिलाफ, राजमहल क्षेत्र ने पिछले वर्षों में ₹44.20 करोड़ का प्रावधान किया था।

[1] सतह की नमी की मात्रा एफएसए में निर्दिष्ट 7 प्रतिशत और 9 प्रतिशत के बीच निर्धारित मानदंड के मुकाबले 16.60 प्रतिशत और 18.70 प्रतिशत के बीच है।

[2] एनटीपीसी फरक्का द्वारा नवंबर 2016 से मार्च 2019 तक की अवधि के लिए ₹44.20 करोड़ और वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए ₹38.91 करोड़ और एनटीपीसी कहलगांव द्वारा वर्ष 2017-21 के लिए ₹175.61 करोड़

"प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों" पर भा.ले.मा.-37 के पैरा 14 में एक संदर्भ आमंत्रित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि एक प्रावधान को मान्यता दी जाएगी जब किसी कंपनी के पास पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (विधिक या रचनात्मक) होगा; यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ को सम्मिलित करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 2.21 में भी दोहराया गया है।

निर्धारित मानदण्डों से परे सतही नमी की मात्रा के संबंध में एनटीपीसी के धन-वापसी दावों के संक्षिप्त प्रावधान के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए ₹214.52 करोड़ रुपये के लाभ के तदनुरूपी अतिकथन के साथ प्रावधान को कम विवरण दिया गया। व्यवसाय प्राप्य भी उसी सीमा तक अतिकथित है।

इस मुद्दे पर वर्ष 2022-23 के लिए ईसीएल के वित्तीय विवरणी में टिप्पणी की गई थी, लेकिन प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

क.2 लाभ-हानि विवरणी

व्यय

मूल्ह्रास / परिशोधन / क्षति (टिप्पणी – 13.5)

संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर : ₹695.06 करोड़

इसमें उपभोजित व्यवहार के अनुचित प्रतिफल के कारण प्रभारित अतिरिक्त मूल्यास के रूप में ₹6.57 करोड़ सम्मिलित हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने मूल्यह्रास की गणना के लिए आस्तियों के समान व्यवहार को संस्तुति3 दी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इलेक्ट्रिक रोप शॉवेल (10 घनमीटर) और बीएच 60 टन रियर डंपर का व्यवहार काल क्रमशः 20 वर्ष और 8 वर्ष माना गया। तथापि, ईसीएल के सोनपुर बाजारी क्षेत्र ने 6-8 वर्ष के बीच इलेक्ट्रिक रोप शॉवेल का व्यवहार काल माना जबकि काजोड़ा क्षेत्र, ईसीएल ने बीएच 60 टी रियर डम्पर का व्यवहार काल 6 वर्ष माना। इसके अलावा, तात्त्विक लेखांकन नीति (टिप्पणी 2.7) ने संयंत्र और उपस्कर के व्यवहार काल का प्रकटन किया, 1-40 वर्षों के बीच, हालांकि आस्तियों का व्यवहार काल 1-30 वर्षों के बीच माना और अनुमोदित किया गया था।

भा.ले.मा. 16 के पैराग्राफ 76 : संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर बताता है कि एक कंपनी एक लेखांकन अनुमान में बदलाव की प्रकृति और प्रभाव का प्रकटन करती है जिसका वर्तमान अवधि में प्रभाव पड़ता है या बाद की अवधि में प्रभाव पड़ने की प्रत्याशा है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के लिए, उपभोजित व्यवहार के लिए ऐसा प्रकटीकरण उत्पन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में कहा गया है कि मूल्यह्रास की गणना के लिए आस्ति का उपभोजित व्यवहार, यदि वे अनुसूची में विनिदष्ट व्यवहार काल से भिन्न हैं, तो खातों में प्रकट किए जाएंगे।

मूल्यांकन के उपभोजित व्यवहार पर अनुचित प्रतिफल के परिणामस्वरूप मूल्यह्रास, परिशोधन, क्षति का अतिविवरण हुआ और वर्ष के लिए लाभ की तदनुरूपी अल्पविवरण ₹6.57 करोड़4 हो गया। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर तात्त्विक लेखांकन नीति में अनुचित प्रकटीकरण के साथ, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को भी उपर्युक्त सीमा तक कम करके आंका गया था।

[3] 463वीं निदेशक मण्डलीय बैठक 26.03.2024 को आयोजित की गई।

[4] सोनपुर बाजारी क्षेत्र में ₹5.69 करोड़ और कजोरा क्षेत्र में ₹0.88 करोड़

ख. प्रकटन पर टीकाटिप्पणियाँ

ख. 1 तुलन-पत्र

आस्तियाँ

अन्य चालू आस्तियाँ (टिप्पणी 6.2)

निविष्टि कर जमा प्राप्य : ₹526.14 करोड़

वित्तीय विवरणियों की प्रस्तुति पर भा.ले.मा. 01 के अनुसार, एक कंपनी को ऐसी जानकारी प्रदान करनी होती है जो वित्तीय विवरणियों में कहीं और प्रस्तुत नहीं की जाती है, लेकिन उनमें से किसी की समझ के लिए प्रासंगिक है। इसमें आगे कहा गया है कि एक कंपनी को प्रतिवेदित अवधि के अंत में भविष्य के बारे में धारणाओं और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में जानकारी का खुलासा करना होगा। जिसके परिणामस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष के भीतर आस्तियों और देयताओं की वहनीय राशि में तात्त्विक समायोजन होने का एक महत्वपूर्ण जोखिम है।

ईसीएल ने 31 मार्च, 2024 तक ₹526.14 करोड़ की निविष्टि कर जमा (आईटीसी) प्राप्य जमा किया है। आईटीसी प्राप्य हर साल जमा होता है और बढ़ता है, मुख्य रूप से उल्टे कर ढांचे के कारण, क्योंकि कोयले की बिक्री पर जीएसटी देयता 5 प्रतिशत है जबकि निविष्टि पर 5 प्रतिशत से 28 प्रतिशत के बीच अलग-अलग दरों पर कर लगाया जाता है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 09/2022-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 13 जुलाई 2022 के माध्यम से आईटीसी पर धन-वापसी बंद कर दिया है, और वर्तमान में, निविष्टि सामग्री/सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी पर आईटीसी केवल उत्पाद पर जीएसटी के प्रतिकूल उपयोग के लिए उपलब्ध है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आईटीसी प्राप्य की राशि पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रही थी और प्रत्येक वर्ष उसका उपयोग पिछले वर्षों से आगे बढ़ाए गए आईटीसी के शेष के साथ जोड़े गए वर्ष के लिए जमा किए गए निविष्टि कर से कम हो रहा था, भविष्य के वर्षों में परिणामी समायोजन की संभावना अनिश्चित है। हालांकि, न तो वित्तीय विवरणियों के टिप्पणी में ईसीएल, और न ही अपने प्रतिवेदन में सांविधिक लेखापरीक्षकों ने भा.ले.मा. 01 के उल्लंघन में निविष्टि कर जमा को आगे बढ़ाने के लिए उपर्युक्त तथ्यों और उनके स्पष्टीकरण का विस्तार से प्रकटन किया था।

तथ्यों का गैर-प्रकटीकरण जो सूचित निर्णय लेने में वित्तीय विवरणियों के उपयोगकर्ताओं की समझ के अभिन्न अंग हैं, के परिणामस्वरूप प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कमी आई है।

ख.2 तात्त्विक लेखांकन नीतियाँ (टिप्पणी 2)

विपट्टन गतिविधि व्यय / समायोजन (टिप्पणी 2.19)

ईसीएल की विपट्टन गतिविधि पर तात्त्विक लेखांकन नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख किया गया है कि जब हटाए गए उपरिभार की वास्तविक मात्रा उपरिभार हटाने की अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है, तो अपेक्षित उपरिभार हटाने पर हटाए गए अतिरिक्त उपरिभार के लिए ***विपट्टन लागत को विपट्टन गतिविधि आस्ति के लिए पूंजीकृत किया जाता है। विपट्टन गतिविधि आस्ति खदान के व्यवहार काल पर परिशोधित है।***

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा विपट्टन गतिविधि से संबंधित लेखांकन नीति में परिवर्तन, बिना और परिवर्धन (नीति 2.23) के अनुपात अंतर आरक्षित के शेष को व्यवस्थित रूप से उलटने और केवल विपट्टन गतिविधि आस्तियों (नीति 2.19) के सृजन के अनुसरण में, सभी अनुषंगी कंपनियों को समान प्रक्रिया टिप्पणियों के माध्यम से इसका पालन करने के अनुदेश दिए गए थे। लेखांकन नीति में इस बदलाव के आधार पर, विपट्टन गतिविधि आस्तियों को 01.04.2022 से परिवर्तन के पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (टिप्पणी 3.1) के तहत लगातार प्रदर्शित किया जा रहा है, बजाय इस तरह की आस्ति के आंकड़े को अनुपात अंतर के साथ समायोजित करने की विद्यमान नीति के बजाय जब स्थिति उत्पन्न हुई थी जिसका पालन 2022-23 तक किया गया था। वाक्य 'विपट्टन गतिविधि आस्ति खान के व्यवहार काल पर परिशोधित है' भी लेखांकन नीति में उपर्युक्त परिवर्तन के आधार पर डाला गया था।

सामान्यतः, परिशोधन को तीन खाता प्रमुखों अर्थात, नेतृत्व भूमि, अमूर्त और विपट्टन गतिविधि आस्ति पर प्रभाव दिया जाता है। नेतृत्व भूमि और अमूर्त के विपरीत, जहाँ संबंधित आस्तियों के लिए परिशोधन उसी वर्ष प्रभारित किया जाता है, ईसीएल ने अगले वर्ष में विपट्टन गतिविधि आस्ति को परिशोधित करने का विकल्प चुना, इस दलील पर कि अग्र विपट्टन से अर्जित होने वाला लाभ केवल सफल वर्ष से ही प्राप्त किया जाएगा। हालांकि, परिशोधन के सामान्य अनुप्रयोज्य से कंपनी द्वारा अपनाए गए इस विचलन का प्रकटन तात्त्विक लेखांकन नीति में नहीं किया गया था। इसके अलावा, उक्त नीति इस तथ्य पर भी अनुच्चरित है कि क्या विपट्टन गतिविधि आस्ति को खान के संपूर्ण व्यवहार काल या खान के 'शेष' व्यवहार काल पर परिशोधित किया जाएगा।

भा.ले.मा. 8 का पैराग्राफ 29 : लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन में कहा गया है कि जब लेखांकन नीति में स्वैच्छिक परिवर्तन का वर्तमान अवधि या किसी पूर्व अवधि पर प्रभाव पड़ता है, तो कंपनी प्रकटन करेगी (अ) लेखांकन नीति में परिवर्तन की प्रकृति; (आ) कारणें कि क्यों नई लेखांकन नीति को लागू करना विश्वसनीय और अधिक प्रासंगिक जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त भा.ले.मा. 1 के पैराग्राफ 121 : वित्तीय विवरणी की प्रस्तुति में कहा गया है कि कंपनी के परिचालन की प्रकृति के कारण एक लेखांकन नीति महत्वपूर्ण हो सकती है।

विपट्टन गतिविधि कोयला खान के परिचालन का एक अभिन्न अंग होने के कारण, विपट्टन गतिविधि आस्ति पर परिशोधन के आधार और विधि के बारे में प्रकटीकरण के साथ-साथ इसके कारण सूचित निर्णय लेने में वित्तीय विवरणी के उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक था, जो संयोग से, ऐसी नीति से अनुपस्थित था।

इस प्रकार, **विपट्टन गतिविधि पर तात्त्विक लेखांकन नीति संख्या 2.19 पर प्रकटीकरण उस विस्तार तक अपूर्ण है।**

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
के लिए और की ओर से

(बिभुदत्ता बसंतिया)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (कोयला)
कोलकाता

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 21 जून 2024

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2024

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को 31 मार्च 2024 तक तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा 20 अप्रैल 2024 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।	यह तथ्य का बयान है।
मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(अ) के अंतर्गत ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का 31 मार्च 2024 तक पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है।	
अपनी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आया है और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ के लिए आवश्यक है: लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ **अ.1 लाभ और हानि का विवरण** **खर्च** **अन्य व्यय (नोट-13.8)** **प्रावधान: ₹ 140.09 करोड़** इसमें वर्ष 2016-17 से 2021-22 के लिए एफएसए के निर्धारित मानदंडों1 से परे भेजे गए कोयले में सतही नमी की अधिकता के संबंध में ईसीएल के राजमहल क्षेत्र से मेसर्स एनटीपीसी द्वारा रिफंड दावे के लिए किए गए 214.52 करोड़ रुपये के गैर-हिसाबित प्रावधान शामिल नहीं हैं। 258.72 करोड़2 की कुल दावा राशि के मुकाबले राजमहल क्षेत्र ने पिछले वर्षों में 44.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों पर भारतीय लेखा मानक-37 के पैरा 14 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि प्रावधान तब मान्यता प्राप्त होगा जब किसी इकाई के पास किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) हो; यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 2.21 में भी दोहराया गया है। निर्धारित मानदंडों से अधिक सतही नमी के लिए एनटीपीसी के रिफंड दावों का कम प्रावधान, इसलिए, वर्ष के लिए ₹ 214.52 करोड़ के प्रावधान को कम करके दिखाया गया है, जबकि इसी के अनुरूप लाभ को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है। व्यापार प्राप्य को भी उसी सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए ईसीएल के वित्तीय विवरणों में इस मुद्दे पर टिप्पणी की गई थी, लेकिन प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।	ईसीएल ने ईसीएल के राजमहल क्षेत्र में नमी के विरुद्ध 214.52 करोड़ रुपये के दावे को स्वीकार नहीं किया है, जो कि आकस्मिक प्रकृति का है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लेखा नोट्स में इसका खुलासा किया गया है। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थिति की आगे समीक्षा की जाएगी

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
1. सतह पर नमी की मात्रा 16.60 प्रतिशत से 18.70 प्रतिशत के बीच है, जबकि एफएसए में निर्धारित मानक 7 प्रतिशत से 9 प्रतिशत के बीच है।	
2. एनटीपीसी फरक्का द्वारा नवंबर 2016 से मार्च 2019 तक की अवधि के लिए ₹ 44.20 करोड़ और वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए ₹ 38.91 करोड़। और एनटीपीसी कहलगांव द्वारा वर्ष 2017-21 के लिए ₹ 175.61 करोड़	
अ2. लाभ और हानि का विवरण **खर्च** **मूल्यहास / परिशोधन / हानि (नोट-13.5)** **सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण: ₹ 695.06 करोड़** इसमें उपयोगी जीवन के गलत विचार के कारण लगाए गए अतिरिक्त मूल्यहास के लिए ₹ 6.57 करोड़ शामिल हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने मूल्यहास की गणना के लिए परिसंपत्तियों के एक समान जीवन को मंजूरी दी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इलेक्ट्रिक रोप शॉवेल (10 सीयूएम) और बीएच 60 टी रियर डम्पर का जीवन क्रमशः 20 वर्ष और 8 वर्ष माना गया। हालांकि, ईसीएल के सोनेपुर बाजारी क्षेत्र ने इलेक्ट्रिक रोप शॉवेल का जीवन 6-8 वर्षों के बीच माना, जबकि ईसीएल के कजोरा क्षेत्र ने बीएच 60 टी रियर डम्पर का जीवन 6 वर्ष माना। इसके अलावा, सामग्री लेखांकन नीति (नोट 2.7) में संयंत्र और उपकरण का जीवन 1-40 वर्ष के बीच बताया गया, हालांकि परिसंपत्ति का जीवन 1-30 वर्ष के बीच माना गया और इसे अनुमोदित किया गया। भारतीय लेखा मानक 16; संपत्ति संयंत्र और उपकरण के पैराग्राफ 76 में कहा गया है कि एक इकाई *लेखा अनुमान में परिवर्तन की प्रकृति और प्रभाव का खुलासा करती है जिसका वर्तमान अवधि में प्रभाव पड़ता है या बाद की अवधि में प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए, ऐसा खुलासा उपयोगी जीवन से उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में कहा गया है कि मूल्यहास की गणना के लिए परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन, यदि वे अनुसूची में निर्दिष्ट जीवन से भिन्न हैं, तो खातों में खुलासा किया जाना चाहिए।* **परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के गलत विचार के परिणामस्वरूप मूल्यहास/परिशोधन/हानि को अधिक दर्शाया गया है, तथा वर्ष के लिए लाभ को ₹ 6.57 करोड़ से कम दर्शाया गया है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को भी उपरोक्त सीमा तक कम दर्शाया गया है, साथ ही संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर सामग्री लेखा नीति में गलत प्रकटीकरण किया गया है।**	चालू वर्ष 2023-24 के दौरान उपयोगी जीवन के गलत विचार के कारण ₹ 6.57 करोड़ की राशि के अतिरिक्त मूल्यहास को वसूलने से संबंधित मामले को वित्तीय वर्ष 2024-25 के खातों में ठीक किया जाएगा। भारतीय लेखा मानक 16: संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण के पैराग्राफ 76 के अनुपालन में, ईसीएल ने पहले ही नोट 13.5- मूल्यहास, परिशोधन और हानि व्यय के पाद नोट में लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के प्रभाव के साथ-साथ विभिन्न परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन में परिवर्तन के संबंध में प्रकटीकरण दिया है। कंपनी की सामग्री लेखा नीति के नोट संख्या 2.7 "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और मूल्यहास" में कहा गया है कि परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकता है और परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। उपरोक्त लेखांकन नीति के अनुरूप, सीआईएल समूह प्रत्येक वर्ष परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन की समीक्षा करता है। तकनीकी रूप से समीक्षित परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन एक संपूर्ण सूची नहीं है, बल्कि सीआईएल समूह की मौजूदा परिसंपत्तियों को व्यापक रूप से कवर करने के लिए एक उदाहरणात्मक सूची है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार, बिजली के उत्पादन, संचरण और वितरण में उपयोग किए जाने वाले संयंत्र और मशीनरी की परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन 40 वर्ष से कम है। इसलिए, सामग्री लेखांकन नीति के तहत संयंत्र और मशीनरी के उपयोगी जीवन की सीमा 1-40 वर्ष मानी गई है। इसके अलावा, भारतीय लेखा मानक 110 समेकित वित्तीय विवरण के पैरा 19 में कहा गया है कि मूल कंपनी समान परिस्थितियों में समान लेनदेन और अन्य घटनाओं के लिए एक समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करते हुए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करेगी। तदनुसार, भारतीय लेखा मानक 110 के अनुपालन में, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपनी सहायक कंपनियों सहित संपूर्ण समूह के लिए एक समान लेखांकन नीति तैयार की जा रही है और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने सीआईएल द्वारा प्रसारित नीति को अपनाया है।
3. 26/03/2024 को 463वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई	
4. सोनपुर बाजारी क्षेत्र में ₹.5.69 करोड़ और कजोरा क्षेत्र में ₹.0.88 करोड़	

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
आ. प्रकटीकरण पर टिप्पणी **आ.1 तुलन पत्र** **संपत्ति** **अन्य चालू परिसंपत्तियाँ (नोट 6.2)** **इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य: ₹ 526.14 करोड़**	
वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति पर भारतीय लेखा मानक 01 के अनुसार, किसी इकाई को वह जानकारी प्रदान करनी होती है जो वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी को समझने के लिए प्रासंगिक है। इसमें आगे कहा गया है कि किसी इकाई को उन मान्यताओं के बारे में जानकारी का खुलासा करना होगा जो	जीएसटी क्रेडिट का उपयोग पुस्तकों में पड़े कुल जीएसटी आईटीसी शेष से किया जाता है। प्राप्त आईटीसी को आगे बढ़ाने के लिए न तो कोई समय सीमा है और न ही प्राप्त आईटीसी के तत्काल उपयोग पर कोई प्रतिबंध है।
यह भविष्य के बारे में, तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में अनुमान लगाता है, जिसके परिणामस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशियों में महत्वपूर्ण समायोजन होने का महत्वपूर्ण जोखिम है।	कंपनी को उम्मीद है कि भविष्य में जीएसटी दर के युक्तिकरण, नए व्यावसायिक विकास, जिसमें उलटा शुल्क ढांचा नहीं होगा, जैसे कारकों में बदलाव के कारण संभावित उपयोग के लिए परिसंपत्ति प्राप्त होगी।
ईसीएल ने 31 मार्च 2024 तक ₹ 526.14 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्राप्य राशि संचित की है। आईटीसी प्राप्य हर साल संचित और बढ़ रहा है, मुख्य रूप से उल्टे कर ढांचे के कारण, क्योंकि कोयले की बिक्री पर जीएसटी देयता 5 प्रतिशत है जबकि इनपुट पर 5 प्रतिशत से 28 प्रतिशत के बीच अलग-अलग दरों पर कर लगाया जाता है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 09/2022-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 13 जुलाई 2022 के माध्यम से आईटीसी पर रिफंड बंद कर दिया है, और वर्तमान में, इनपुट सामग्री/सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी पर आईटीसी केवल आउटपुट पर जीएसटी के विरुद्ध उपयोग के लिए उपलब्ध है।	
इस तथ्य को देखते हुए कि पिछले कुछ वर्षों में आईटीसी प्राप्तियों की राशि में लगातार वृद्धि हो रही थी और प्रत्येक वर्ष इसका उपयोग पिछले वर्षों से आगे ले जाए गए आईटीसी के शेष के साथ जोड़े गए वर्ष के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट से कम हो रहा था, भविष्य के वर्षों में परिणामी समायोजन की संभावना अनिश्चित है। हालाँकि, न तो ईसीएल ने वित्तीय विवरणों के नोट्स में और न ही सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में, उपर्युक्त तथ्यों का विस्तार से खुलासा किया है और भारतीय लेखा मानक 01 के उल्लंघन में इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे ले जाने के लिए उनके स्पष्टीकरण दिए हैं। **वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के लिए निर्णय लेने में महत्वपूर्ण तथ्यों को न बताने के कारण प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कमी आई।**	जीएसटी क्रेडिट का उपयोग पुस्तकों में पड़े कुल जीएसटी आईटीसी शेष से किया जाता है। प्राप्त आईटीसी को आगे बढ़ाने के लिए न तो कोई समय सीमा है और न ही प्राप्त आईटीसी के तत्काल उपयोग पर कोई प्रतिबंध है। कंपनी को उम्मीद है कि भविष्य में जीएसटी दर के युक्तिकरण, नए व्यावसायिक विकास, जिसमें उलटा शुल्क ढांचा नहीं होगा, जैसे कारकों में बदलाव के कारण संभावित उपयोग के लिए परिसंपत्ति प्राप्त होगी। इसलिए, आईटीसी उपयोग में कोई अनिश्चितता नहीं है, और तथ्यात्मक प्रकटीकरण पहले से ही वित्तीय विवरणों के नोट 6.2.3 में मौजूद है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
आ2. सामग्री लेखांकन नीतियाँ (नोट 2) **स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय / समायोजन (नोट 2.19)** ईसीएल की स्ट्रिपिंग गतिविधि पर सामग्री लेखांकन नीति, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख करती है कि जब हटाए गए ओवरबर्डन की वास्तविक मात्रा ओवरबर्डन हटाने की अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है, तो अपेक्षित ओवरबर्डन हटाने से अधिक हटाए गए ओवरबर्डन के लिए स्ट्रिपिंग लागत को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति में पूंजीकृत किया जाता है। ***स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति का परिशोधन खदान के जीवनकाल में किया जाता है।*** कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा स्ट्रिपिंग गतिविधि से संबंधित लेखा नीति में परिवर्तन के अनुसार, अनुपात भिन्नता रिजर्व के शेष को बिना किसी अतिरिक्त वृद्धि के व्यवस्थित रूप से उलट दिया गया (नीति 2.23), और केवल स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियों (नीति 2.19) का निर्माण किया गया, सभी सहायक कंपनियों को समान प्रक्रिया नोट के माध्यम से इसका पालन करने का निर्देश दिया गया। लेखा नीति में इस परिवर्तन के कारण, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट 3.1) के अंतर्गत 01.04.2022 से परिवर्तन के पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ लगातार दर्शाया जा रहा है, जबकि मौजूदा नीति के अनुसार ऐसी परिसंपत्ति के आंकड़े को अनुपात भिन्नता के साथ समायोजित किया जाता है, जिसका पालन 2022-23 तक किया जाता था। लेखांकन नीति में उपरोक्त परिवर्तन के कारण वाक्य *'स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति का परिशोधन खदान के जीवनकाल में किया जाता है'* को भी शामिल किया गया है।	नोट 2.19 वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली सामग्री लेखांकन नीति के अंतर्गत आने वाली स्ट्रिपिंग गतिविधि में कहा गया है कि अपेक्षित ओवरबर्डन हटाने पर हटाए गए अतिरिक्त ओवरबर्डन के लिए स्ट्रिपिंग लागत को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति में पूंजीकृत किया जाता है। स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को खदान के जीवनकाल में परिशोधित किया जाता है। भू-खनन स्थितियों में परिवर्तन मानक स्ट्रिप अनुपात पर प्रभाव डाल सकते हैं। अनुपात में परिवर्तन को भावी रूप से हिसाब में लिया जाता है। स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत अलग से दिखाया जाता है।
आम तौर पर, परिशोधन तीन खाता शीर्षों पर लागू होता है, अर्थात, लीजहोल्ड भूमि, अमूर्त संपत्ति और स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति। लीजहोल्ड भूमि और अमूर्त संपत्ति के विपरीत, जहां संबंधित परिसंपत्ति के लिए परिशोधन उसी वर्ष में लगाया जाता है, ईसीएल ने स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को अगले वर्ष में परिशोधित करने का विकल्प चुना, इस तर्क पर कि अग्रिम स्ट्रिपिंग से अर्जित होने वाले लाभ केवल अगले वर्ष से ही प्राप्त किए जाएँगे। हालाँकि, कंपनी द्वारा परिशोधन के सामान्य अनुप्रयोग से अपनाए गए इस विचलन का खुलासा भौतिक लेखा नीति में नहीं किया गया था। इसके अलावा, उक्त नीति इस तथ्य पर भी चुप है कि स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को खदान के 'संपूर्ण' जीवन या खदान के 'शेष' जीवन पर परिशोधित किया जाएगा।	भारतीय लेखा मानक 110 समेकित वित्तीय विवरण के पैरा 19 में कहा गया है कि मूल कंपनी समान परिस्थितियों में समान लेनदेन और अन्य घटनाओं के लिए एक समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करते हुए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करेगी।
भारतीय लेखा मानक 8: लेखा नीतियां, लेखा अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां के पैराग्राफ 29 में कहा गया है कि जब लेखा नीति में स्वैच्छिक परिवर्तन का वर्तमान अवधि या किसी पिछली अवधि पर प्रभाव पड़ता है, तो इकाई को (ए) लेखा नीति में परिवर्तन की प्रकृति का खुलासा करना चाहिए; (बी) नई लेखा नीति को लागू करने के कारण विश्वसनीय और अधिक प्रासंगिक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। इसके अलावा, भारतीय लेखा मानक 1: वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के पैराग्राफ 121 में कहा गया है कि इकाई के संचालन की प्रकृति के कारण लेखा नीति महत्वपूर्ण हो सकती है। चूंकि स्ट्रिपिंग गतिविधि कोयला खदान के परिचालन का एक अभिन्न अंग है, इसलिए स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति पर परिशोधन के आधार और विधि के बारे में प्रकटीकरण तथा इसके कारण, वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक थे, ताकि सूचित निर्णय लिए जा सकें, जो संयोगवश, ऐसी नीति में अनुपस्थित था। **इस प्रकार, स्ट्रिपिंग गतिविधि पर सामग्री लेखांकन नीति संख्या 2.19 पर प्रकटीकरण उस सीमा तक अपर्याप्त है।**	तदनुसार, भारतीय लेखा मानक 110 के अनुपालन में, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपनी सहायक कंपनियों सहित संपूर्ण समूह के लिए एक समान लेखांकन नीति तैयार की जा रही है और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने सीआईएल द्वारा प्रसारित नीति को अपनाया है।

कोल इण्डिया
Coal India

ECL

वार्षिक लेखा

2023-24

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)

www.easterncoal.nic.in

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी)

तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी सं.	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2023 (पुनर्निर्दिष्ट)	को यथा 01-04-2022 (पुनर्निर्दिष्ट)
आस्तियाँ				
अप्रचलित आस्तियाँ				
अ. संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	3.1	5,973.43	5,512.04	4,990.39
आ. पूँजीगत चालू कार्य	3.2	798.56	556.58	400.51
इ. अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ	3.3	764.03	713.71	684.40
ई. अमूर्त आस्तियाँ	3.4	12.40	15.36	2.08
उ. विकास के अधीन अमूर्त आस्तियाँ	3.5	-	-	9.16
"ऊ. वित्तीय आस्तियाँ i. निवेश"	4.1	0.08	0.08	0.08
ii. ऋण	4.2	0.02	0.05	0.10
iii. अन्य वित्तीय आस्तियाँ	4.6	1,104.72	945.89	765.33
ए. आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	11.2	848.38	793.17	904.97
ऐ. अप्रचलित कर आस्तियाँ (निवल)	11.1	71.14	-	-
ओ. अन्य अप्रचलित आस्तियाँ	6.1	1,269.68	1,113.29	878.34
कुल अप्रचलित आस्तियाँ (क)		**10,842.44**	**9,650.17**	**8,635.36**
चालू आस्तियाँ				
अ. वस्तुसूची	5.1	1,121.05	562.87	554.17
आ. वित्तीय आस्तियाँ				
i. निवेश	4.1	-	-	-
ii. व्यवसाय प्राप्य	4.3	1,892.15	1,564.50	2,504.20
iii. नकदी एवं नकदी समतुल्य	4.4	119.12	532.11	882.47
iv. अन्य बैंक अतिशेष	4.5	1,798.65	3,439.35	997.56
v. ऋण	4.2	-	-	-
vi. अन्य वित्तीय आस्तियाँ	4.6	145.03	137.70	55.02
इ. चालू कर आस्तियाँ (निवल)	11.1	-	-	274.39
ई. अन्य चालू आस्तियाँ	6.2	2,017.49	1,910.85	1,409.17
कुल चालू आस्तियाँ (ख)		**7,093.49**	**8,147.38**	**6,676.98**
कुल आस्तियाँ (क+ख)		**17,935.93**	**17,797.55**	**15,312.34**

(रामबाबू पाठक)	**(श्याम सुंदर)**	**(मो. अंज़ार आलम)**	**(समीरन दत्ता)**
कंपनी सचिव	विभागीय प्रधान (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
		डीआईएन-09743117	डीआईएन-08519303

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी)

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी सं.	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2023 (पुनर्निर्दिष्ट)	को यथा 01-04-2022 (पुनर्निर्दिष्ट)
साम्या एवं देयताएँ				
साम्या				
अ. साम्या शेयर पूँजी	7.1	4,269.42	4,269.42	4,269.42
आ. अन्य साम्या	7.2	(1,291.78)	(1,449.17)	(2,455.71)
कंपनी के साम्याधारकों को रोप्य साम्या		2,977.64	2,820.25	1,813.71
कुल साम्या (क)		**2,977.64**	**2,820.25**	**1,813.71**
देयताएँ				
अप्रचलित देयताएँ				
अ. वित्तीय देयताएँ				
i. उगाही	8.1	150.09	155.94	151.04
ii. अन्य वित्तीय देयताएँ	8.3	214.33	93.34	90.35
आ. प्रावधान	9.1	4,657.56	4,654.57	4,948.77
इ. आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	11.2	-	-	-
ई. अन्य अप्रचलित देयताएँ	10.1	176.09	315.39	2.63
कुल अप्रचलित देयताएँ (ख)		**5,198.07**	**5,219.24**	**5,192.79**
चालू देयताएँ				
अ. वित्तीय देयताएँ				
i. उगाही	8.1	671.15	7.79	7.36
ii. व्यवसाय देय	8.2			
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का कुल बकाया देनदारियाँ		1.70	2.41	0.84
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया देनदारियाँ		1,327.64	991.14	1,095.19
iii. अन्य वित्तीय देयताएँ	8.3	2,070.24	1,609.51	1,657.31
आ. अन्य चालू देयताएँ	10.2	4,636.27	4,212.81	4,262.20
इ. प्रावधान	9.1	1,053.22	2,909.62	1,282.94
ई. चालू कर देयताएं (निवल)	11.1	-	24.78	-
कुल चालू देयताएँ (ग)		**9,760.22**	**9,758.06**	**8,305.84**
कुल साम्या एवं देयताएँ (क+ख+ग)		**17,935.93**	**17,797.55**	**15,312.34**
निगमित सूचना	1			
तात्त्विक लेखांकन नीतियाँ	2			
वित्तीय विवरणी पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	16			
सहटिप्पणियाँ सं. 1 से 16 तक वित्तीय विवरणियों का अभिन्न अंग है।				

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(श्याम सुंदर)
विभागीय प्रधान (वित्त)

(मो. अंज़ार आलम)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-09743117

(समीरन दत्ता)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-08519303

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
रॉय घोष एवं एसोसिएट की ओर से
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं. 320094ई
सीए सुब्रत रॉय
साझेदार
सदस्यता संख्या. 053959

दिनांक : 20.04.2024
स्थान : कोलकाता

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी)

लाभ और हानि का विवरणी

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणी सं.	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023 (पुनर्निर्दिष्ट)
	परिचालन से राजस्व (उगाहियों का निवल)			
अ	विक्रय	12.1	13,891.88	14,769.29
आ	अन्य परिचालनात्मक राजस्व	12.1	667.26	485.19
(I)	**परिचालन से राजस्व (क + ख) (उगाहियों का निवल)**		**14,559.14**	**15,254.48**
(II)	अन्य आय	12.2	639.55	556.30
(III)	**कुल आय (I + II)**		**15,198.69**	**15,810.78**
	व्यय			
	सामग्री खपत की लागत	13.1	1,000.35	1,086.24
	तैयार माल, चालू कार्य एवं विक्रेय माल की वस्तु-सूची में परिवर्तन	13.2	(497.30)	24.15
	कर्मी प्रसुविधा व्यय	13.3	10,094.02	9,927.37
	वित्त लागत	13.4	121.13	64.85
	मूल्यह्रास/परिशोधन/क्षति व्यय	13.5	700.17	628.35
	विपट्टन गतिविधि समायोजन	13.6	(590.27)	(351.91)
	संविदात्मक व्यय	13.7	2,864.43	2,042.23
	अन्यय व्यय	13.8	1,292.67	1,109.08
(IV)	**कुल व्यय**		**14,985.20**	**14,530.36**
(V)	**अपवादात्मक मदों एवं कर पूर्व लाभ/(हानि) (III+IV)**		**213.49**	**1,280.42**
(VI)	अपवादात्मक मदे		-	**-**
(VII)	**कर पूर्व लाभ / (हानि) (V-VI)**		**213.49**	**1,280.42**
(VIII)	**कर व्यय**	14.1		
	चालू कर		17.11	275.82
	आस्थगित कर		(55.21)	111.80
	कुल कर व्यय (VIII)		**(38.10)**	**387.62**
(IX)	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**251.59**	**892.80**

(रामबाबू पाठक)	**(श्याम सुंदर)**	**(मो. अंज़ार आलम)**	**(समीरन दत्ता)**
कंपनी सचिव	विभागीय प्रधान (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
		डीआईएन-09743117	डीआईएन-08519303

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी)

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणी सं.	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023 (पुनर्निर्दिष्ट)
	अन्य व्यापक आय	15.1		
	क. i. आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(94.20)	152.00
	ii. उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	38.26
	ख. i. आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	ii. उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
(X)	**कुल अन्य व्यापक आय**		**(94.20)**	**113.74**
(XI)	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (IX+X) (वर्ष के लिए समाविष्ट लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय**		**157.39**	**1,006.54**
	प्रति साम्या शेयर अर्जन (₹ में)			
	(शेयर का अंकित मूल्य ₹1000/- प्रति)			
	1. मूल		**58.93**	**209.12**
	2. तनुकृत		**58.93**	**209.12**
	ईपीएस के संगणन के लिए टिप्पणी 16(5)(क) संदर्भित			
	निगमित सूचना	1		
	तात्त्विक लेखांकन नीतियाँ	2		
	वित्तीय विवरणी पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	16		
	सहटिप्पणियाँ सं. 1 से 16 तक वित्तीय विवरणियों का अभिन्न अंग है।			

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(श्याम सुंदर)
विभागीय प्रधान (वित्त)

(मो. अंज़ार आलम)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-09743117

(समीरन दत्ता)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-08519303

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
रॉय घोष एवं एसोसिएट की ओर से
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं. 320094ई
सीए सुब्रत रॉय
साझेदार
सदस्यता संख्या. 053959

दिनांक : 20.04.2024
स्थान : कोलकाता

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी)

31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए साम्या में परिवर्तनों की विवरणी

क. साम्या शेयर पूँजी

31-03-2024 को यथा (₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	01-04-2023 को यथा शेष	चालू वर्ष के दौरान साम्या शेयर पूँजी में परिवर्तन	31-03-2024 को यथा शेष
"₹1000/- के 10390000 इक्विटी शेयर प्रत्येक पूरी तरह से नकद में भुगतान	1039.00	-	1,039.00
₹1000/- के 32304200 इक्विटी शेयर प्रत्येक को नकद के अलावा प्राप्त प्रतिफल के लिए पूर्ण भुगतान के रूप में आवंटित किया गया	3,230.42	-	3,230.42
कुल	**4,269.42**	-	**4,269.42**

31-03-2023 को यथा (₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	01-04-2022 को यथा शेष	चालू वर्ष के दौरान साम्या शेयर पूँजी में परिवर्तन	31-03-2023 को यथा शेष
"₹1000/- के 10390000 इक्विटी शेयर प्रत्येक पूरी तरह से नकद में भुगतान	1039.00	-	1,039.00
₹1000/- के 32304200 इक्विटी शेयर प्रत्येक को नकद के अलावा प्राप्त प्रतिफल के लिए पूर्ण भुगतान के रूप में आवंटित किया गया	3,230.42	-	3,230.42
कुल	**4,269.42**	**-**	**4,269.42**

ख. अन्य साम्या

31-03-2024 को यथा (₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	आरक्षित निधि एवं अधिशेष					कुल
	पूँजी मोचन आरक्षित निधि	आरक्षित पूँजी	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित उपार्जन	परिभाषित प्रसुविधा योजना का पुनःमाप (कर का निवल) - (ओ.आई.सी.)	
01-04-2023 को यथा शेष	-	-	832.71	(2,353.13)	(205.13)	**(1,725.55)**
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	276.38	-	**276.38**
पुनर्निर्दिष्ट 01-04-2023 को यथा शेष	**-**	**-**	**832.71**	**(2,076.75)**	**(205.13)**	**(1,449.17)**
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	-	-	-	251.59	-	**251.59**
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	**-**
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	**-**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	(94.20)	**(94.20)**
वर्ष के दौरान समायोजित	-	-	-	-	-	**-**
सामान्य आरक्षित निधि में/से अंतरण	-	-	-	-	-	**-**
शेयरों का वापसी-खरीद	-	-	-	-	-	**-**
वापसी-खरीद पर कर	-	-	-	-	-	**-**
बोनस शेयरों के मद	-	-	-	-	-	**-**
31-03-2024 को यथा शेष	**-**	**-**	**832.71**	**(1,825.16)**	**(299.33)**	**(1,291.78)**

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी)

31-03-2023 को यथा **(₹ करोड़ में)**

विशिष्टियाँ	आरक्षित निधि एवं अधिशेष					कुल
	पूँजी मोचन आरक्षित निधि	आरक्षित पूँजी	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित उपार्जन	परिभाषित प्रसुविधा योजना का पुनःमाप (कर का निवल) - (ओ.आई.सी.)	
01-04-2022 को यथा शेष	-	-	832.71	(2,969.55)	(318.87)	**(2,455.71)**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (पुनर्निर्दिष्ट)	-	-	-	892.80	-	**892.80**
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	**-**
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	**-**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	113.74	**113.74**
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	**-**
सामान्य आरक्षित में/से अंतरण	-	-	-	-	-	**-**
शेयरों की वापसी-खरीद	-	-	-	-	-	**-**
वापसी-खरीद पर कर	-	-	-	-	-	**-**
बोनस शेयरों की मदे	-	-	-	-	-	**-**
31-03-2023 को यथा शेष (पुनर्निर्दिष्ट)	**-**	**-**	**832.71**	**(2,076.75)**	**(205.13)**	**(1,449.17)**

सहटिप्पणियाँ सं. 1 से 16 तक वित्तीय विवरणियों का अभिन्न अंग है।

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(श्याम सुंदर)
विभागीय प्रधान (वित्त)

(मो. अंज़ार आलम)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-09743117

(समीरन दत्ता)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-08519303

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
रॉय घोष एवं एसोसिएट की ओर से
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं. 320094ई
सीए सुब्रत रॉय
साझेदार
सदस्यता संख्या. 053959

दिनांक : 20.04.2024
स्थान : कोलकाता

नकदी प्रवाह का विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

(₹ करोड़ में)

		समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024		समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023 पुनर्निर्दिष्ट	
क.	**परिचालनात्मक गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**				
	कर पूर्व लाभ/(हानि)		**213.49**		**1,280.42**
	के लिए समायोजन :				
	मूल्यह्रास, परिशोधन एवं क्षति व्यय	700.17		628.35	
	निवेश से ब्याज आय एवं अन्य आय	(308.45)		(200.07)	
	वित्त लागत	86.62		64.85	
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के विक्रय पर (लाभ) / हानि	(12.10)		(19.08)	
	देयता एवं प्रावधान प्रतिलेखन (निवल)	(162.14)		(194.27)	
	व्यवसाय प्राप्य के लिए छूट	132.28		4.05	
	अन्य भत्ता एवं बट्टा खाता डालना	7.81		0.06	
	विपट्टन गतिविधि समायोजन	(590.27)		(351.91)	
	विनियम दर अंतर पर हानि / (अभिलाभ)	-	(146.08)	0.62	(67.40)
	निम्न आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन के पूर्व परिचालनात्मक गतिविधियों से नकदी प्रवाह के लिए समायोजन :		**67.41**		**1,213.02**
	व्यवसाय प्राप्य (प्रावधान का निवल)	(327.65)		939.70	
	वस्तु-सूची	(558.18)		(8.70)	
	ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य वित्तीय आस्तियाँ	(427.37)		(753.15)	
	वित्तीय एवं अन्य देयताएँ	(785.10)		1,995.14	
	व्यवसाय देय	335.79	(1,762.51)	(102.48)	2,070.51
	परिचालन से उत्पन्न नकदी		**(1,695.10)**		**3,283.53**
	आयकर (प्रदत्त)/वापसी		(113.03)		23.35
	परिचालनात्मक गतिविधियों (में प्रयुक्त)/उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह (I)		**(1,808.13)**		**3,306.88**
ख.	**निवेशित गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**				
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त आस्तियों के प्रति भुगतान	(975.02)		(1,129.25)	
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर से बिक्री आगम (निवल)	12.10		19.08	
	अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियों में परिवर्धन	(41.64)		(29.31)	
	सावधि जमा से आगम/(निवेश)	1,484.28		(2,620.36)	
	निवेशों से ब्याज	299.97	779.69	110.52	(3,649.32)
	निवेशित गतिविधियों (मे प्रयुक्त)/उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह (II)		**779.69**		**(3,649.32)**
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**				
	अप्रचलित उगाही राशियों से आगम / (की चुकौती)	(7.79)		(7.61)	
	चालू उगाही राशियों से आगम / (की चुकौती)	(0.00)			
	ब्याज प्रदत्त	(40.01)	(47.80)	(0.13)	(7.74)
	वित्तीय गतिविधियों (में प्रयुक्त)/उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह (III)		**(47.80)**		**(7.74)**
	नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (I+II+III)		**(1,076.24)**		**(350.18)**
	वर्ष के प्रारंभ में यथा नकदी एवं नकदी समतुल्य (IV)	532.11		882.29	
	वर्ष के अंत में यथा नकदी एवं नकदी समतुल्य (V)	(544.13)	**(1,076.24)**	532.11	**(350.18)**

(कोष्ठक में सभी आँकड़े बहिर्गमन को व्यपदेशित करते हैं)

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(श्याम सुंदर)
विभागीय प्रधान (वित्त)

(मो. अंज़ार आलम)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-09743117

(समीरन दत्ता)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-08519303

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
रॉय घोष एवं एसोसिएट की ओर से
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं. 320094ई
सीए सुब्रत रॉय
साझेदार
सदस्यता संख्या. 053959

दिनांक : 20.04.2024
स्थान : कोलकाता

नकदी प्रवाह विवरणी पर टिप्पणियाँ :

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2023
नकदी एवं नकदी समतुल्य के घटक		
(क) बैंक के पास शेष		
- जमा खाता में	8.25	7.99
- चालू खाता में	77.02	507.05
(ख) भारत के बाहर बैंक में जमाराशि		
(घ) हाथ में चेक, ड्राफ्ट एवं ड्राफ्ट		
(ङ) हाथ में नकदी		
(च) भारत के बाह्य हाथ पर नकदी		
(छ) बैंक ओवरड्राफ्ट	(663.25)	-
(ज) अन्य ई-प्रोक्योरमेंट खाता/जेम खाता/अग्रदाय शेष	33.85	17.07
कुल (नकदी एवं नकदी समतुल्य के घटकों के लिए टिप्पणी 4.4 एवं टिप्पणी 8.1 संदर्भित)	**-544.13**	**532.11**

1. वित्तीय गतिविधियों से उद्भूत देयताओं के लिए तुलन-पत्र में आरंभिक एवं अंतिम शेष की बीच समाधान

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

विशिष्टियाँ	अप्रचलित उधार*	वित्त पट्टा देयताएँ	चालू उधार
01 अप्रैल 2023 को यथा आरंभिक शेष	163.73		
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	-7.79		
के कारण से परिवर्तित नकदीतर :			
वित्त पट्टा के अधीन अधिग्रहण			
उधार पर उपचित ब्याज			
विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव	2.05		
उधारियों पर लेन-देन लागत			
31 मार्च 2024 को यथा अंतिम शेष	**157.99**	**0.00**	**0.00**

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनर्निर्दिष्ट)

विशिष्टियाँ	अप्रचलित उधार*	वित्त पट्टा देयताएँ	चालू उधार
01 अप्रैल 2023 को यथा आरंभिक शेष	158.22		
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	-7.61		
के कारण से परिवर्तित नकदीतर :			
वित्त पट्टा के अधीन अधिग्रहण			
उधार पर उपचित ब्याज			
विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव	13.12		
उधारियों पर लेन-देन लागत			
31 मार्च 2024 को यथा अंतिम शेष	**163.73**	**0.00**	**0.00**

*टिप्पणी 8.1 में संदर्भित, एतदद्वारा उपचित अप्रचलित उधारियों एवं ब्याज के चालू परिपक्वता सहित

2. भा.ले.मा. 7 - 'नकदी प्रवाह विवरणी' में विनिर्दिष्ट अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार उपरि वर्णित नकदी प्रवाह विवरणी विनिर्मित हुई है।

3. वर्ष 2023-24 (₹6.92 करोड़) के दौरान कंपनी ने निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संव्यय के वास्ते ₹7.33 करोड़ (टिप्पणी सं. 13.8 में संदर्भित) खर्च किया है।

सहटिप्पणियाँ सं. 1 से 16 तक वित्तीय विवरणियों का अभिन्न अंग है।

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(श्याम सुंदर)
विभागीय प्रधान (वित्त)

(मो. अंज़ार आलम)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-09743117

(समीरन दत्ता)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-08519303

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
रॉय घोष एवं एसोसिएट की ओर से
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं. 320094ई
सीए सुब्रत रॉय
साझेदार
सदस्यता संख्या. 053959

दिनांक : 20.04.2024
स्थान : कोलकाता

वित्तीय विवरणियों के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 1

1.1 निगमित सूचना

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (कंपनी) को ईस्टर्न डिविजन ऑफ कोयला माइन्स प्राधिकरण लिमिटेड (कोल इंडिया लिमिटेड का पूर्व नाम) के साथ निहित आस्तियों एवं देयताओं का अधिग्रहण करते हुए 01 नवंबर, 1975 को यथा कोल इंडिया लिमिटेड की 100% अनुषंगी यथा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी निगमित की गई थी। कंपनी प्रधानतः कोयला के उत्पादन एवं विक्रय के कारबार में संलग्न है।

कंपनी भारत में अधिवसित है और इसका पंजीकृत कार्यालय अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय, पोस्ट- डिसेरगढ़, जिला- पश्चिम बर्दमान, पिन - 713333 में है।

1.2 अनुपालन की विवरणी

ये वित्तीय विवरणी कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इसके पश्चात यथा "भा.ले.मा." संदर्भित) के अनुसार निर्मित किए गए हैं। भारतीय लेखांकन मानक (भा.ले.मा.) जारी, अधिसूचित और प्रभावी बनाए गए जब तक कि वित्तीय विवरणी अधिकृत नहीं होते हैं और इन वित्तीय विवरणियों के निर्मिति के उद्देश्य से अवधारित किया गया है।

लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया जाता है, सिवाय इसके कि जहां एक नया जारी किया गया लेखांकन मानक आद्यतः अपनाया जाता है या विद्यमान लेखांकन मानक में संशोधन के लिए लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता होती है।

टिप्पणी 2 : तात्त्विक लेखांकन नीतियाँ

2.1 वित्तीय विवरणी की निर्मिति का आधार

वित्तीय विवरणी प्रोद्भवन आधार पर परंपरागत लागत अभिसमय के तहत निर्मित किए गए हैं, कुछ वित्तीय लिखतों को छोड़कर जिन्हें प्रत्येक प्रतिवेदिति अवधि के अंत में परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर प्रासंगिक भा.ले.मा. के संदर्भ में मापा जाता है।

परंपरागत लागत अभिसमय साधारणतया माल और सेवाओं के एवज में प्रदत्त प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होता है।

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा को यथा प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा निर्धारित किया जाता है जिसमें यह परिचालित होता है। वित्तीय विवरणी भारतीय रुपए में उपदर्शित किए जाते हैं और सभी मूल्यों को दो दशमलव बिंदुओं तक 'करोड़ रुपये में' में पूर्णांकित किया जाता है।

2.2 चालू एवं अप्रचलित वर्गीकरण

कंपनी चालू एवं अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर तुलन-पत्र में आस्तियों और देयताओं को प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा आस्ति को यथा चालू मानी जाती है जब -

अ. यह अपने सामान्य परिचालनात्मक चक्र में आस्ति की प्राप्ति की प्रत्याशा, अथवा इन्हें बिक्री या उपभोग करने का आशय, रखती हो;

आ. आस्ति को प्रधानतः व्यवसाय के प्रयोजनार्थ धारण करती हो;

इ. रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् बारह महीने के अंदर आस्ति की प्राप्ति की प्रत्याशा रखती हो, अथवा

ई. आस्ति नकदी या नकदी समतुल्य है (भारतीय लेखांकन मानक 7 में यथा परिभाषित) जबतक कि प्रतिवेदित अवधि के पश्चात न्यूनातिन्यून बारह माह के लिए देयता का निपटान हेतु आस्ति का विनिमय या प्रयोग होने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। अन्य सभी आस्तियाँ यथा अप्रचलित वर्गीकृत किए जाते हैं।

कंपनी द्वारा किसी देयता को यथा चालू मानी जाती है जब -

अ. यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपटान की प्रत्याशा रखती हो;

आ. देयता को प्रधानतः व्यवसाय के प्रयोजनार्थ धारण करती हो;

इ. प्रतिवेदित अवधि के पश्चात् बारह माह के अंदर देयता को निपटारित किए जाने के लिए देय हो, अथवा

ई. प्रतिवेदित अवधि के पश्चात् न्यूनातिन्यून बारह माह के लिए देयता के निपटान को आस्थगित करने का अशर्त अधिकार न हो। किसी देयता के निबंधन जो, प्रतिपक्ष के विकल्प पर, साम्या लिखतों के निर्गमन द्वारा इसके निपटारण के परिणामस्वरूप इसके वर्गीकरण को प्रभावित न करती हों।

सभी अन्य देयताओं को यथा अप्रचलित वर्गीकृत किए गए हैं।

कंपनी द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने आस्तियों एवं देयताओं के चालू और अप्रचलित वर्गीकरण के उद्देश्य से बारह महीने के रूप में अपने परिचालन चक्र को अभिनिश्चित किया है।

2.3 राजस्व का निर्धारण

उपभोक्ताओं संग संविदाओं से राजस्व

राजस्व प्रधानतः कोयले, संबंधित सहायक सेवाओं और उत्पादों के विक्रय से प्राप्त होता है। उत्पादों के विक्रय से राजस्व को तब निर्धारित किया जाता है जब उत्पादों का नियंत्रण स्थानांतरित हो जाता है, जब उत्पादों को ग्राहक तक पहुंचाया जाता है। सुपुर्दगी तब होती है जब उत्पादों को विशिष्ट स्थान पर भेज दिया जाता है या वितरित किया जाता है, जैसा भी मामला हो, और नुकसान के जोखिम को विक्रय संविदा के अनुसार स्थानांतरित कर दिया गया हो। निर्धारित राजस्व की राशि उस विचार को दर्शाती है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार है या प्रत्याशा करती है। संचित अनुभव का उपयोग विक्रय संविदा के अनुसार परिवर्तनीय विचार का अनुमान लगाने और प्रदान करने के लिए किया जाता है, सबसे संभावित विधि का उपयोग करके, और राजस्व केवल इस हद तक निर्धारित किया जाता है कि यह अत्यधिक संभावना है कि एक महत्वपूर्ण व्युत्क्रमण नहीं होगा। प्रतिफल की राशि में एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक सम्मिलित नहीं है क्योंकि विक्रय संविदाओं के अनुसार भुगतान की शर्तें एक वर्ष से कम हैं।

कंपनी के समक्ष भविष्य की अवधि में ग्राहकों को उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए कई दीर्घकालिक संविदाएँ हैं। साधारणतया, राजस्व को बीजक आधार पर निर्धारित किया जाता है, क्योंकि बिक्री किए गए प्रत्येक इकाई एक अलग निष्पादन दायित्व है, और इसलिए ग्राहक से विचार करने का अधिकार सीधे हमारे निष्पादन से मेल खाता है।

2.4 सरकार से अनुग्रह

सरकारी अनुदान निर्धारित नहीं किए जाते हैं जब तक युक्तियुक्त आश्वासन ना हो कि कंपनी उनके साथ संलग्न निबंधनों का अनुपालन करेगी और कि युक्तियुक्त निश्चितता है कि अनुदान प्राप्त किए जाएंगे।

सरकारी अनुदानों को अवधि से अधिक सुनियोजित आधार पर लाभ-हानि विवरणी में निर्धारित किया जाता है जिसमें कंपनी यथा संबद्ध लागतों के व्यय को निर्धारित करती है जिसके लिए अनुदानों को प्रतिकर देना आशयित किया जाता है।

अनुदान यथा आस्थगित आय की स्थापना करके आस्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को तुलन-पत्र में दर्शाया जाता है और आस्ति के उपभोजित व्यवहार के समय सुनियोजित आधार पर लाभ-हानि विवरणी में निर्धारित किया जाता है।

आय से संबंधित अनुदान (अर्थात् आस्तियों के अलावा अन्य से संबंधित अनुदान) को 'अन्य आय' शीर्ष के अधीन लाभ-हानि विवरणी के भागरूप में प्रस्तुत किया जाता है।

सरकारी अनुदान/सहायता जो पूर्व में उपगत व्ययों या हानियों के लिए या बिना भविष्यत् संबंधी लागतों के साथ कंपनी को तत्काल वित्तीय आलम्ब प्रदान करने के उद्देश्य के लिए यथा प्रतिकर प्राप्य बनता है, को अवधि के लाभ या हानि में निर्धारित किया जाता है जिसमें यह प्राप्य बन जाता है।

सरकारी अनुदानों अथवा संप्रवर्तक के अभिदाय प्रकृति की अनुदानों को प्रत्यक्षतः "आरक्षित पूँजी" में निर्धारित होने चाहिए जो "शेयरधारकों की निधि" का अंश है।

2.5 पट्टा

संविदा एक पट्टा है या को अंतर्विष्ट करता है यदि संविदा प्रतिफल के विनिमय में एक अवधि के लिए परिलक्षित आस्ति के उपभोग के नियंत्रण के अधिकार को प्रवहित करता है।

2.5.1 कंपनी यथा एक पट्टेदार

कंपनी यह आकलन करती है कि संविदा के आरंभ में संविदा में पट्टा है या नहीं। एक संविदा है, या इसमें शामिल है, एक पट्टा यदि संविदा प्रतिफल के एवज में समय की अवधि के लिए किसी पहचान की गई आस्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई संविदा किसी पहचानी गई आस्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, कंपनी यह आकलन करती है कि: (i) संविदा में एक पहचानी गई आस्ति का उपयोग सम्मिलित है (ii) कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान आस्ति के उपयोग से सारतः सभी आर्थिक प्रसुविधाएँ हैं और (iii) कंपनी को आस्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

तिथि प्रारंभ होने पर, एक पट्टेदार लागत पर आस्ति के उपभोग का अधिकार और पट्टा संदायों जो उस तिथि पर सभी पट्टों के लिए अप्रदत्त है के वर्तमान मूल्य पर पट्टाधृति देयता निर्धारित करना चाहिए जबतक कि पट्टा अवधि 12 महीने या इससे कम हो या अंतर्निहित आस्ति का मूल्य कम है।

तत्पश्चात, लागत प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए आस्ति अधिकार के उपयोग का मापन किया जाता है यतः, पट्टा देयता पर ब्याज को परावर्तित करने के लिए वहनीय राशि में वृद्धि, पट्टा पर हुए संदाय को परावर्तित करने के लिए वहनीय राशि में कमी और किसी पुनःआकलन या पट्टा उपान्तरणों को परावर्तित करने के लिए वहनीय राशि के पुनर्मापण द्वारा पट्टादेयता को मापित किया जाता है।

पट्टे की देयता को शुरू में भविष्य के पट्टे के भुगतान के विद्यमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या, यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जाता है, तो इन पट्टों की वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके बट्टाकृत किया जाता है। पट्टा देयताओं को आस्ति संबंधित उपयोग अधिकार (आरओयू) के लिए एक संबंधित समायोजन के साथ पूर्वनिर्धारित किया जाता है यदि कंपनी अपना मूल्यांकन बदलती है यदि वह विस्तार

या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी। पट्टा देयता और आरओयू आस्ति को तुलन-पत्र में अलग-अलग प्रस्तुत किया जाता है और पट्टा भुगतान को नकदी प्रवाह के वित्तपोषण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टा देयता दायित्वों को "वित्तीय देयताओं" के तहत अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

लाभ और हानि विवरणी में वित्तीय प्रभारों को वित्तीय लागतों में निर्धारित किया जाता है, जब तक कि लागतों को अन्य अनुप्रयुक्त मानकों को उपयोजित करने वाली एक अन्य आस्ति के वहनीय राशि में समाविष्ट नहीं किए जाते हैं।

आस्ति के उपयोग का अधिकार आस्ति के उपभोजित व्यवहार के समय ह्रासित हो जाता है, यदि पट्टा पट्टा अवधि की समाप्ति पर पट्टेदार को आस्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण करता है या यदि आस्ति के उपयोग के अधिकार के लागत को परावर्तित करता है कि पट्टेदार क्रय विकल्प का प्रयोग करेगा। अन्यथा, पट्टेदार आस्ति उपयोग अधिकार के उपभोगजन्य काल की समाप्ति या पट्टा निबंधन की समाप्ति के पूर्व आरंभ तिथि से आस्ति उपयोग अधिकार को ह्रासित करेगा।

2.5.2 कंपनी यथा एक पट्टाकर्ता

आस्तियाँ पट्टे पर या तो वित्तीय पट्टे या परिचालनगत पट्टे के रूप में दी जाती हैं।

वित्तीय पट्टा : एक पट्टा यथा वित्तीय पट्टा वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित आस्ति के स्वामित्व के लिए आनुषांगिक समस्त जोखिम और पारिश्रमिक को सारतः हस्तांतरित करता है। आद्यतः पट्टा में निवल निवेश के समतुल्य राशि पर वित्तीय पट्टा के अधीन धारित आस्तियाँ प्रथमतः इसके तुलन-पत्र में निर्धारित किया जाता है और उसे यथा प्राप्य राशि दर्शाया जाता है। पट्टे की अवधि में वित्त आय को निर्धारित की जाती है, जो पट्टे में कंपनी के निवल निवेश पर वापसी की स्थिर आवधिक दर को दर्शाने वाले स्वरूप पर आधारित होती है।

परिचालानगत पट्टा : एक पट्टा जिसे वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, एक परिचालनगत पट्टा है। कंपनी परिचालनगत पट्टों पर दी गई आस्तियों के मामले में पट्टे के भुगतान को सीधी कटौती के आधार पर यथा आय निर्धारित की जाती है।

2.6 विक्रय के लिए धारित अप्रचलित आस्तियाँ

कंपनी यथा विक्रय के लिए धारित अप्रचलित आस्तियों एवं (या व्ययन समुच्चय) को वर्गीकृत करती है यदि उसके वहनीय राशियाँ सतत उपयोग के जरिए इसके बजाय विक्रय के जरिए मूलतः प्रत्युद्धारित किया जाएगा। विक्रय को पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों से प्रतीत होना चाहिए कि यह असंभाव्य है कि विक्रय में विशिष्ट परिवर्तन किए जाएँगे या बिक्री करने के निर्णय को वापस ले लिया जाएगा। वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के अंदर प्रत्याशित विक्रय के लिए प्रबंधन को प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इन प्रयोजनों के लिए, विक्रय लेन-देन अन्य अप्रचलित आस्तियों के लिए अप्रचलित आस्तियों के विनिमयों को समाविष्ट करता है जब विनिमय में वाणिज्यिक सत्व हो। विक्रय वर्गीकरण के लिए धारित के मानदंड को तभी पूर्ण समझा जाता है जब आस्तियाँ या व्ययन समुच्चय अपने वर्तमान परिस्थितियों में तत्काल विक्रय के लिए उपलब्ध हो, ऐसे आस्तियों (या व्ययन समुच्चय) के लिए केवल निबंधनों के अधीन जो विक्रय के लिए प्रायिक और रूढ़िगत है, इसका विक्रय अत्यंत अधिसंभाव्य है; और यह सचमुच में विक्रेय किया जाएगा, अपरित्यक्त रखा जाएगा। कंपनी आस्तियों के विक्रय या व्ययन समुच्चय को अत्यंत अधिसंभाव्य मानती है जब :

- प्रबंधन का उचित स्तर आस्ति (या व्ययन समुच्चय) की बिक्री की योजना के लिए प्रतिबद्ध हों,
- किसी क्रेता की अवस्थिति जानने और योजना के फलीभूत होने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम आरंभ किया गया हो,
- आस्ति (या व्ययन समुच्चय) को एक कीमत पर जो इसके वर्तमान उचित मूल्य पर युक्तियुक्त हो विक्रय के लिए सक्रिय रूप से विपणन किया जा रहा हो,
- विक्रय वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के अंदर यथा पूर्ण विक्रय निर्धारण के लिए अर्हिति प्रत्याशित हो, और
- योजना को पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों से उपदर्शित होता हैं कि यह असंभाव्य है कि योजना में विशिष्ट परिवर्तन किए जाएँगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

विक्रय के लिए रखे गए अप्रचलित आस्ति या निपटान समूहों को वहन राशि के निचले स्तर पर मापा जाता है और बिक्री के लिए उचित मूल्य कम लागत पर मापा जाता है।

2.7 संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (पीपीई) तथा मूल्यह्रास

पीपीई की एक मद को यथा आस्ति निर्धारित की जाती है यदि यह संभव है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक प्रसुविधाएँ कंपनी को प्रवाहित होंगे और मद की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है।

पीपीई को आद्यतः अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर मापा जाता है, जिसमें जहाँ भी आवश्यक हो, अप्रवर्तन या प्रत्यावर्तन लागत सम्मिलित है।

निर्धारण के उपरांत, समस्त अन्य संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के वस्तु इनके लागत से किसी भी संचित मूल्यह्रास एवं किसी भी संचित क्षति हानियों को न्यून कर वहन की जाती है। किसी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के मद की लागत समाविष्ट करती हैं :

अ. व्यवसाय बट्टा और रिबेट की कटौती के उपरांत आयात शुल्क और अप्रतिदाय योग्य क्रय कर सहित इसका क्रय कीमत।

आ. प्रबंधन द्वारा आशातीत रूप में परिचालन समर्थ होने के लिए आस्ति को आवश्यक अवस्थिति और परिस्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्षतः रोप्य कोई लागत।

इ. वस्तु का विखण्डन एवं से निकालने और में अवस्थान पुनःस्थापन जिसपर अवस्थित है करने के लागतों का प्रारंभिक प्राक्कलन, दायित्व जिसके लिए कंपनी या तो तब जब वस्तु अधिगृहीत किया जाता है या उस अवधि के दौरान वस्तुसूचियों को प्रस्तुत करने से भिन्न प्रयोजनों के लिए एक विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग करने के परिणामस्वरूप उपगत करती है।

ई. अर्हक आस्तियों के निर्माण के वित्तपोषण के लिए उपयोग किए गए उधार पर ब्याज को आस्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि आस्ति अपने आशयित उपयोग के लिए तैयार न हो जाए।

लागत के साथ संपत्ति, संयंत्र, और उपस्कर के वस्तु का प्रत्येक भाग/पुर्जे जो पृथकतः अवक्षयित वस्तु के कुल लागत के संबंध में विशिष्ट है। तदापि, अवक्षयण प्रभार को अवधारित करने में समान उपभोजित व्यवहार और अवक्षयण विधि वाले पीपीई वस्तु के विशिष्ट पुर्जा (पुर्जे) को एकसाथ संयुक्त किया जाता है।

यथा 'मरम्मति और अनुरक्षण' के लिए वर्णित दैनंदिन परिचरण की लागतों को अवधि में जिसमें वही उपगत किया जाता है लाभ-हानि विवरणी में निर्धारित किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के वस्तु की कुल लागत के संबंध में विशिष्ट पुर्जों को निकालने का पाश्विक लागत जो महत्वपूर्ण है की वहनीय राशि में निर्धारित किए जाते हैं, यदि यह अधिसंभाव्य है कि वस्तु के साथ सहयुक्त भविष्यत् आर्थिक प्रसुविधाएँ कंपनी के लिए प्रवहित होंगी; और वस्तु की लागत विश्वसनीयता के साथ मापन की जा सकती है। उन पुर्जों जो कि बदले गए हैं के वहनीय राशि निम्न उद्धृत अनिर्धारण नीति के अनुसार अनिर्धारित किया जाता है।

जब प्रमुख निरीक्षण निष्पादित किए जाते हैं, इसकी लागत संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर मद के वहनीय राशि में यथा प्रतिस्थापन निर्धारित किए जाते हैं यदि यह अधिसंभाव्य है कि मद के साथ सहयुक्त आगामी आर्थिक प्रसुविधाएँ कंपनी के लिए प्रवाहित होंगी; और मद की लागत विश्वसनीयता के साथ मापन की जा सकती है। पूर्व निरीक्षण के लागत का कोई शेष वहनीय राशि (भौतिक उपकरणों से यथा भिन्न) अनिर्धारित किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के मद को निपटान या आस्तियों के सतत उपभोग से कोई आगत आर्थिक प्रसुविधाएँ प्रत्याशित नहीं होने पर अनिर्धारित किए जाते हैं। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के मद के ऐसे अनिर्धारण से उद्भूत किसी भी अभिलाभ या हानि को लाभ और हानि में निर्धारित किया जाता है।

आस्ति के प्राक्कलित उपभोगजन्य काल में सीधी कटौती के आधार पर लागत प्रतिरूप के अनुसार, पट्टाधृति भूमि के सिवाय, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के मूल्यह्रास यथा निम्न उपबंधित किया जाता है:

अन्य भूमि	
(पट्टाधृति भूमि)	: परियोजना के सक्रियता काल या पट्टा अवधि जो भी कम हो
भवन (सड़क सहित)	: 3-60 वर्ष
दूरसंचार	: 3-9 वर्ष
रेलवे पार्श्वस्थल	: 15 वर्ष
संयंत्र और उपस्कर	: 1-40 वर्ष
कंप्यूटर एवं लैप्टॉप	: 3 वर्ष
कार्यालयीन उपस्कर	: 3-5 वर्ष
फर्नीचर और जुड़नार	: 10 वर्ष
वाहन	: 8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि उपरि वर्णित उपभोगजन्य काल उस अवधि का सबसे अच्छा प्रस्तुतीकरण करता है जिसपर प्रबंधन आस्ति के उपभोग की प्रत्याशा करता है। अतएव आस्तियों का उपभोगजन्य काल कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग-ग के अधीन यथा विहित उपभोगजन्य काल से भिन्न हो सकता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आस्तियों का प्राक्कलित उपभोगजन्य काल को पुनर्विलोकित किया जाता है।

आस्ति के कुछ मदों जैसे अन्य भूमि, स्थल प्रत्यवार्तन आस्ति, अन्य खनन अवसंरचना, सर्वेयड ऑफ अस्तियों के सिवाय संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अवशिष्ट मूल्य को यथा आस्ति के मूल लागत के 5% प्रतिफलित किया जाता है। तकनीकी रूप से उपभोगजन्य काल को एक वर्ष होना प्राक्कलित किया गया है जिसमें कोयला टब, कुंडलन रज्जु, हाउलेज रज्जु, भराटि पाइप और सुरक्षा बत्ती आदि जैसी मदों के लिए शून्य अवशिष्ठ मूल्य है।

वर्ष के दौरान परिवर्धित/निपटारित आस्तियों का मूल्यह्रास को परिवर्धन/निपटान के माह के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर उपबंधित किया जाता है।

“अन्य भूमि” के मूल्य में कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम 2013, सरकारी भूमि का दीर्घावधि हस्तांतरण आदि को समाविष्ट करता है जो परियोजना के शेष कार्यकाल के आधार पर परिशोधित किया जाता है; और पट्टाधृति भूमि के मामलों में ऐसे परिशोधन पट्टे की अवधि या परियोजना के शेष कार्यकाल जो भी कम हो पर आधारित होते है।

पूर्णतः अवक्षयित आस्तियों, सक्रिय उपभोग से निवृत्त संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर के अधीन इसके अवशिष्ट मूल्य पर यथा सर्वेयड ऑफ आस्तियों को पृथकतः प्रकटन किए जाते है और क्षति के लिए जाँच किए जाते हैं।

आस्तियाँ जो पूर्णतः अवक्षयित और सक्रिय उपभोग से निवृत्त है को पृथकतः संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर के अधीन इसके अवशिष्ट मूल्य पर यथा सर्वेयड ऑफ आस्तियाँ प्रकट किए जाते हैं

निश्चित आस्तियों के सन्निर्माण/विकास पर कंपनी द्वारा उपगत पूँजी व्यय जो उत्पादन, मालों की आपूर्ति के लिए या कंपनी के किसी विद्यमान आस्तियों तक पहुँच के लिए आवश्यक है को संपत्ति, संयत्र और उपस्कर के अधीन यथा समर्थकारी आस्तियाँ निर्धारित किए जाते हैं।

भारतीय लेखांकन मानकों में संक्रमण

कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानकों की तिथि को यथा वित्तीय विवरणी में यथा निर्धारित अपने समस्त संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के लिए, पूर्व सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (जीएएपी) के अनुसार मापन किए गए, लागत प्रतिरूप के अनुसार वहनीय मूल्य के साथ जारी रखने का चयन किया।

2.8 खान संवरण, स्थल पुनरूद्धार एवं अप्रवर्तन दायित्व

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार भूमि उद्धार एवं निर्मिति के अप्रवर्तन के लिए सतही और भूमिगत दोनों खदानों के व्यय पर कंपनी का दायित्व गठित होता है। कंपनी आवश्यक कार्य की विस्तृत संगणना, की राशि का तकनीकी मूल्यांकन एवं के निष्पादन में भविष्यत व्यय होने वाली नकदी का कालमापन के आधार पर खान संवरण, स्थल पुनरुद्धार और अप्रवर्तन के लिए अपने दायित्व का प्राक्कलन करती है। अनुमोदित खान संवरण योजना के अनुसार खान संवरण व्यय उपबंधित किया जाता है। मुद्रास्फीति से व्ययों के प्राक्कलन में वृद्धि होती है, और तब बट्टा दर पर भुनाई की जाती है जो धन का सामयिक मूल्य और जोखिमों के चालू बाजार मूल्यांकन को परावर्तित करता है, जैसे कि उपबंधित राशि दायित्व को निपटान के लिए आवश्यक प्रत्याशित के व्यय के वर्तमान मूल्य को परावर्तित करती है। कंपनी अंतिम पुनःउद्धार एवं खान संवरण के लिए देयता के साथ सहयुक्त तत्संबंधी आस्ति को अभिलेखित करती है। दायित्व और तत्संबंधी आस्तियों को उस अवधि जिसमें देयता उपगत होती है में निर्धारण किया जाता है। खान संवरण योजना के अनुसार आस्ति जो कुल स्थल पुनरुद्धार लागत (सेंट्रल माइन प्लानिंग एवं डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड द्वारा यथा प्राक्कलित) को प्रस्तुत कर रही है को पीपीई में यथा पृथक मद निर्धारित किया जाता है और परियोजना/ खान के शेष कार्यकाल के ऊपर परिशोधित किया जाता है।

समय के साथ प्रावधान का मूल्य यथा अकुंडलन भुनाई के प्रभाव से उत्तरोत्तर वृद्धि हो जाती है जो वित्तीय व्यय के रूप में एक निर्धारित व्यय का सृजन कर रही है।

आगे, अनुमोदित खान संवरण योजना के अनुसार इस प्रयोजनार्थ एक विशिष्ट निलंब निधि खाता अनुरक्षित की जाती है।

संपूर्ण खदान संवरण दायित्व का भाग होने के आधार पर वर्ष प्रति वर्ष उपगत प्रगामी खान संवरण व्यय प्रारम्भ में निलम्ब खाता से यथा प्राप्य निर्धारित किया जाता हैं और तत्पश्चात उस वर्ष में दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें राशि को प्रमाणकर्ता अभिकरणों की सहमति के उपरांत आहरित किया गया है।

2.9 गवेषण एवं मूल्यांकन आस्तियाँ

गवेषण और मूल्यांकन आस्तियाँ लागतों को समाविष्ट करता है जो कोयला एवं संबंधित संपदाओं की खोज के फलस्वरूप किए गए माने जाते हैं, परिलक्षित संपदा की तकनीकी साध्यता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के

- गवेषण करने के अधिकारों का अर्जन;
- ऐतिहासिक गवेषण आँकड़ों का अनुसंधान और विश्लेषण करना;
- स्थलाकृतिक, भू-रसायन एवं भू-भौतिक अध्ययन के माध्यम से गवेषण आँकड़ों का एकत्रीकरण;
- गवेषक प्रवेधन, खंदकन और प्रतिचयन;
- संपदा के परिमाण और श्रेणी का अवधारण और परीक्षण करना;
- परिवहन और अवसंरचना आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना;
- बाजार एवं वित्त अध्ययनों का संचालन करना।

उपर्युक्त कर्मी पारिश्रमिक, सामग्रियों की लागत और खपत हुए ईंधन, संविदाकारों को संदाय आदि को समाविष्ट करता है।

यथा अमूर्त घटक उपगत हुए समग्र प्रत्याशित मूर्त लागतों के उपेक्षणीय/ अविभेद्य अंश को व्यपदिष्ट करता है और भविष्यत् संदोहन से प्रतिपूर्ति किया जाता है, इन लागतों को अन्य पूँजीकृत गवेषण लागतों के साथ यथा गवेषण एवं मूल्यांकन आस्ति अभिलेखित किए जाते हैं।

गवेषण एवं मूल्यांकन लागतों को परियोजना की तकनीकी साध्यता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अवधारित होने तक परियोजन दर परियोजना के आधार पर पूँजीकृत किए जाते हैं और अप्रचलित आस्तियों के अधीन यथा पृथक सीमा मद प्रकटन किए जाते हैं।

एक बार प्रमाणित निचय अवधारित हो जाते हैं और खानों/परियोजना का विकास स्वीकृत हो जाते हैं तब गवेषण और मूल्यांकन आस्तियों को प्रगतिशील पूँजीगत कार्य के अधीन "विकास" में स्थानांतरित किए जाते हैं। तदापि, यदि प्रमाणित निचय अवधारित नहीं किए जाते हैं तब गवेषण और मूल्यांकन आस्ति का अनिर्धारण किया जाता है।

2.10 विकास व्यय

जब प्रमाणित निचय अवधारित हो जाते हैं और खानों/परियोजना का विकास स्वीकृत हो जाते हैं तब पूँजीकृत गवेषण एवं मूल्यांकन लागत सन्निर्माण के अधीन यथा आस्तियाँ निर्धारित किया जाता है और "विकास" शीर्ष के अधीन यथा पूँजी चालू कार्य घटक प्रकटन किया जाता है। समस्त पश्चातवर्ती विकास व्यय भी पूंजीकृत किए जाते हैं। विकास प्रावस्था के दौरान निष्कर्षित कोयले के विक्रय से आगमों का निवल पूँजीकृत विकास व्यय है।

वाणिज्यिक परिचालन

परियोजना/खानों को राजस्व में लाए जाते हैं; जब किसी परियोजना/खान की वाणिज्यिक तैयारी संधारणीय आधार पर उत्पादन प्राप्ति के लिए या तो परियोजना प्रतिवेदन में विनिर्दिष्टतः विवरणित दशाओं के आधार पर या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित किए जाते हैं :

अ. वर्ष के ठीक पश्चात् वित्तीय वर्ष के आरंभ में जिसमें अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार परियोजना निर्धारित क्षमता का 25% के वास्तविक उत्पादन को प्राप्त करती है, या

आ. कोयले मिलने/कसौटी के 2 वर्ष तक, या

इ. वित्तीय वर्ष के आरंभ में जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल व्यय से अधिक हो।

जो भी घटना पहले घटित हो;

राजस्व में लाये जाने पर, पूँजी चालू कार्य के अधीन आस्तियाँ "अन्य खनन अवसंरचना" नाम के अधीन संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के यथा घटक पुनःवर्गीकृत किए जाते हैं। अन्य खनन अवसंरचना उस वर्ष से, जब खान को 20 वर्षों या परियोजना कार्यकाल जो भी कम हो में राजस्व के अधीन लाया जाता है परिशोधित किए जाते हैं।

2.11 अमूर्त आस्तियाँ

पृथकतः अर्जित अमूर्त आस्तियों को लागत के प्रारम्भिक निर्धारण पर मापित किए जाते हैं। लागत में आस्तियों को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक कोई भी प्रत्यक्षतः रोप्य व्यय सम्मिलित है। प्रारम्भिक निर्धारण के पश्चात्, अमूर्त आस्तियों को किसी भी संचित परिशोधन और संचित क्षति हानियों को न्यून करके उस लागत पर ले जाए जाते हैं।

पाश्चिक व्यय को आस्ति की वहन राशि में यथा वृद्धि निर्धारित की जाती है जब यह संभव होता है कि व्यय की गई लागत से प्राप्त होने वाले भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और मद की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है।

अमूर्त आस्ति के मद को निपटान पर अनिर्धारित कर दिया जाता है या जब इसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक प्रसुविधाएँ की प्रत्याशा नहीं होती है। एक अमूर्त आस्ति के अनिर्धारण से उद्भूत अभिलाभ या हानि को निवल निपटान आय और आस्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और आस्ति को अनिर्धारण होने पर लाभ और हानि विवरणी में निर्धारण होता है।

अंतःजनित अमूर्तें, पूँजीकृत विकास लागतें रहित, पूँजीकृत नहीं किए जाते हैं। इसके स्थान पर, संबंधित व्यय उस अवधि में जिसमें व्यय उपगत होता है को लाभ-हानि विवरणी और अन्य व्यापक आय में निर्धारित किए जाते हैं।

अमूर्त आस्ति के उपभोगजन्य काल का मूल्यांकन या तो अपरिमित या अनिश्चित के रूप में निर्धारित किए जाते हैं। अपरिमित काल के साथ अमूर्त आस्तियाँ उनके उपभोगजन्य आर्थिक काल के ऊपर परिशोधित किए जाते हैं और जब कभी उपदर्शन होता है कि अमूर्त आस्ति की क्षति हो सकती है तो क्षति के लिए मूल्यांकित किये जाते हैं। एक अपरिमित उपभोगजन्य काल के साथ अमूर्त आस्तियों के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन पद्धति न्यूनातिन्यून प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अंत में पुनर्विलोकन किए जाते हैं। प्रत्याशित उपभोगजन्य काल या आस्ति में सन्निहित भविष्यत् आर्थिक प्रसुविधाओं के उपभोग का प्रत्याशित स्वरूप में परिवर्तनें, यथोचित, परिशोधन अवधि या पद्धति के उपांतरण को प्रतिफलित किए जाते हैं और लेखांकन प्राक्कलन में यथा परिवर्तन व्यवहृत होते हैं। अपरिमित काल के साथ अमूर्त आस्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ-हानि विवरणी में निर्धारित किए जाते हैं।

एक अनिश्चितार्थ उपभोगजन्य काल के साथ अमूर्त आस्ति को परिशोधित नहीं किया जाता हैं लेकिन प्रत्येक प्रतिवेदित तिथि पर क्षति के लिए जाँच किया जाता है।

यद्यपि, बाह्य अभिकरणों (सीआईएल के लिए निश्चित नहीं किए गए खण्डों के लिए) को विक्रय के लिए या बिक्री किए जाने के लिए परिलक्षित खण्डों के लिए रोप्य गवेषण और मूल्यांकन आस्तियों को यथा अमूर्त आस्तियाँ वगीकृत किए जाते हैं और क्षति के लिए जाँच किए जाते हैं।

अनुसंधान पर व्यय को जब कभी किया जाता है, व्यय पर प्रभारित किया जाता है। विकास पर व्यय को पूँजीकृत किया जाता है यदि व्यय को मज़बूती से मापा जा सकता है, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य है, भविष्य के आर्थिक लाभ संभावित हैं और कंपनी आशयित है कि विकास को पूर्ण करने और आस्ति का उपयोग करने या बिक्री के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।

2.12 आस्तियों की क्षति (वित्तीय आस्तियों के बिना)

कंपनी प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अंत में यदि कोई उपदर्शन है कि आस्ति को क्षति हो सकती है मूल्यांकित करती है। यदि ऐसे उपदर्शन विद्यमान होते हैं, कंपनी आस्ति के प्रत्युद्धरणीय राशि का प्राक्कलन करती है। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान हो तो कंपनी आस्ति के प्रत्युद्धरणीय राशि को अनुमानित करती है। एक आस्ति की प्रत्युद्धरणीय राशि प्रयुक्त में आस्ति या नकदी जनन इकाई के मूल्य से अधिक है और इसका उचित मूल्य निपटान की लागत कम है, और एक व्यष्टि आस्ति के लिए अवधारित किया जाता है, जब तक कि आस्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कि आस्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य आस्तियों या

आस्तियों के समूहों से काफी हद तक स्वतंत्र होती है, इस मामले में प्रत्युद्धरणीय राशि नकदी जनन इकाई जिससे आस्ति संबंधित है के लिए निर्धारित की जाती है। कंपनी क्षति के जाँच के प्रयोजनार्थ व्यष्टि खानों को यथा पृथक नकदी जनन इकाइयाँ प्रतिफलित करती है।

यदि आस्ति का प्राक्कलित प्रत्युद्धरणीय राशि इसके वहनीय राशि से कम है तो इसके प्रत्युद्धरणीय राशि के लिए आस्ति के वहनीय राशि घटाए जाते हैं और लाभ हानि विवरणी में क्षति हानि निर्धारित किया जाता है।

2.13 निवेशित संपत्ति

संपत्ति (भूमि या भवन या भवन का भाग या दोनों) भाटक अर्जित करने के लिए या पूँजी अधिमूल्यन या दोनों के लिए धारण किया जाता है, उत्पादन या माल या सेवा की आपूर्ति या प्रशासनिक प्रयोजन के लिए; या कारबारों के सामान्य अनुक्रम के विक्रय में प्रयुक्त करने के बजाय, को यथा निवेशित संपत्ति वर्गीकृत किए जाते हैं।

निवेशित संपत्ति प्रारंभतः संबंधित लेनदेन लागतें और जहाँ उधारी लागतें लागू है अपने लागत पर मापन की जाती है।

निवेशित संपत्तियाँ अपने प्राक्कलित प्रयोज्य सक्रियता के ऊपर सीधी कटौती पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्यह्रासित किए जाते हैं।

2.14 वित्तीय लिखत

एक वित्तीय लिखत कोई भी एक संविदा है जो एक निकाय की वित्तीय आस्ति और अन्य निकाय की वित्तीय देयता या साम्या लिखत को उत्पन्न करती है।

वित्तीय आस्तियाँ

2.14.1 आरंभिक निर्धारण एवं मापन

समस्त वित्तीय आस्तियों को प्रारंभतः उचित मूल्य पर, लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर अनभिलेखित वित्तीय आस्तियों के मामले में लेनदेन लागतों जो वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण से रोप्य है के जोड़ से निर्धारित किए जाते हैं। वित्तीय आतियों के क्रय या विक्रय जिसके लिए बाजार स्थल (नियमित तरीके से व्यवसाय) में विनिमय या अभिसमय द्वारा अधिस्थापित समय-सीमा के भीतर आस्तियों की सुपुर्दगी की आवश्यकता होती है को व्यवसाय तिथि अर्थात् जिस तिथि पर कंपनी आस्ति के क्रय या विक्रय के लिए प्रतिबद्ध है पर निर्धारित किए जाते हैं। तथापि, व्यवसाय प्राप्य जिसमें एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं होता है, लेनदेन मूल्य पर निर्धारित किया जाता है।

2.14.2 पाश्चिक मापन

पाश्चिक मापन के प्रयोजन से, वित्तीय आस्तियों को चार प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाता हैं :

- परिशोधित लागत पर कर्ज लिखतें
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर कर्ज लिखतें
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर कर्ज लिखतें, व्युत्पन्नी और साम्या लिखतें
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर साम्या लिखतों को मापन किए गए।

2.14.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण लिखत

एक 'कर्ज लिखत' को परिशोधित लागत पर मापन किया जाता हैं यदि निम्नलिखित दोनों दशाएँ पूर्ण होती हैं:

अ. आस्ति को एक कारबार प्रतिरूप में धारित किया जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रहण के लिए आस्तियों को धारण करना है, और

आ. आस्ति के संविदात्मक निबंधनें नकदी प्रवाह को विनिर्दिष्ट तिथियों पर उत्पन्न करती है जिसके मूलधन और ब्याज का संदाय (एसपीपीआई) केवल बकाया मूलधन पर होता है।

प्रारम्भिक मापन के पश्चात्, ऐसे वित्तीय आस्तियाँ तत्पश्चात प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापन किया जाता हैं। अधिग्रहण पर किसी तरह के बट्टे या प्रीमियम और शुल्कें या लागतें जो प्रभावी ब्याज दर का अनिवार्य भाग होता है को ध्यान में रखते हुए परिशोधित लागत को संगणित किया जाता है। लाभ या हानि में वित्त आय में प्रभावी ब्याज दर परिशोधन समाविष्ट किया जाता है। क्षति से उद्भूत हानियों को लाभ या हानि में निर्धारित किए जाते हैं।

2.14.2.2 एफवीटीओसीआई पर कर्ज लिखत

एफवीटीओसीआई पर यथा एक 'कर्ज लिखत' वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं :

अ. कारबार प्रतिरूप का उद्देश्य दोनों संविदात्मक नकदी प्रवाह को संगृहीत करने और वित्तीय आस्तियों को विक्रेय के द्वारा प्राप्त किया जाता है, और

आ. आस्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई को व्यपदिष्ट करता है।

एफवीटीओसीआई प्रवर्ग में समाविष्ट कर्ज लिखतें प्रारंभतः के साथ-साथ प्रत्येक प्रतिवेदित पर उचित मूल्य पर मापन किए जाते है। उचित मूल्य संचलन अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में निर्धारित किए जाते हैं। यद्यपि, कंपनी लाभ व हानि विवरणी में ब्याज आय, क्षति हानि व उत्क्रमण और विदेशी विनिमय अभिलाभ या हानि को निर्धारित करती है। आस्ति के अनिर्धारण पर, ओसीआई में पूर्व निर्धारित संचयी अभिलाभ या हानि को साम्या से लाभ व हानि विवरणी में पुनःवर्गीकृत किए जाते हैं। एफवीटीओसीआई कर्ज लिखत धारण करने के दौरान अर्जित ब्याज को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए यथा ब्याज आय ज्ञापित किया जाता है।

2.14.2.3 एफवीटीपीएल पर कर्ज लिखत

एफवीटीपीएल कर्ज लिखतों के लिए एक अवशिष्ट प्रवर्ग है। किसी कर्ज लिखत, जो यथा परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई पर यथा प्रवर्गीकरण के लिए मानदंडों को पूर्ण नहीं करता है, को यथा एफवीटीपीएल वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी एफवीटीपीएल पर यथा कर्ज लिखत, जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंड पूर्ण करती है को अभिहित करने का चयन कर सकती है। तथापि ऐसे चयन केवल तभी अनुज्ञात किए जाते हैं जब ऐसा करने से मापन या अवधारण असंगति (लेखांकन असंतुलन के रूप में संदर्भित) कम होता है या दूर होता है। कंपनी ने किसी कर्ज लिखतों को यथा एफवीटीपीएल अभिहित नहीं किया है।

एफवीटीपीएल प्रवर्ग में समाविष्ट कर्ज लिखतों को लाभ-हानि में निर्धारित समस्त परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापन किए जाते हैं।

2.14.2.4 अनुषंगियों, सह एवं संयुक्त उद्यमों में साम्या निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुसार (भारतीय लेखांकन मानक का प्रथमतः अंगीकरण), पूर्व जीएएपी (सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत) के अनुसार इन निवेशों के वहनीय राशि यथा पारगमन की तिथि पर समझी गई लागत माना जाता है। तत्पश्चात अनुषंगियों, सह-सदस्यों और संयुक्त उद्यमों में निवेश लागत पर मापन किए जाते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणी के मामले में, भारतीय लेखांकन मानक 28 के 10वें पारा में यथा विहित साम्या विधि के अनुसार सह-सदस्यों और संयुक्त उद्यमों में साम्या निवेश लेखांकित किए जाते हैं।

2.14.2.5 अन्य साम्या निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 की व्याप्ति में समस्त अन्य साम्या निवेश लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापित किए जाते हैं।

कंपनी अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने के लिए उचित मूल्य में पश्चात्वर्ती परिवर्तनों के लिए एक अप्रतिसंहरणीय चयन कर सकती है। कंपनी इस तरह के चयन लिखत दर लिखत के आधार पर करती है। प्रारम्भिक निर्धारण पर वर्गीकरण किया जाता है और अप्रतिसंहरनीय है।

लाभ और हानि विवरणी में उचित मूल्य अभिलाभ एवं हानि का कोई पश्चात्वर्ती पुनर्वर्गीकरण नहीं है। तदापि, कंपनी साम्या के अंदर संचयी अभिलाभ या हानि को अंतरित कर सकती है। इस तरह के निवेश से लाभांश को लाभ और हानि विवरणी में "अन्य आय" के रूप में निर्धारित किया जाता है जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार अधिस्थापित होता है।

एफवीटीपीएल प्रवर्ग के अंतर्गत समाविष्ट साम्या लिखतें लाभ-हानि विवरणी में निर्धारित समस्त परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापित किए जाते हैं।

2.14.2.6 अनिर्धारण

एक वित्तीय आस्ति (या, जहाँ प्रयोज्य है, वित्तीय आस्ति का एक भाग या समरूप वित्तीय आस्तियों का एक समूह) को प्रधानतः अनिर्धारित किए जाते हैं (अर्थात तुलन पत्र से हटा दिया जाता है) जब :

- आस्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो चुका हो, या
- कंपनी ने आस्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार हस्तांतरित कर दिया है या 'पास-थ्रू' व्यवस्था के अधीन किसी तीसरे पक्षकार को तात्त्विक विलम्ब के बिना प्राप्त नकदी प्रवाह का पूर्णतः संदाय करने का दायित्व ग्रहण किया हो; और या तो (क) कंपनी ने आस्ति के समस्त जोखिमों और पारिश्रमिकों का सारतः हस्तांतरण किया हो, या (ख) कंपनी ने आस्ति के समस्त जोखिमों और पारिश्रमिकों का सारतः न तो हस्तांतरित किया हो न ही प्रतिधारित किया हो, बल्कि आस्ति के नियंत्रण को हस्तांतरित किया हो।

जब कंपनी किसी आस्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार हस्तांतरित कर दिया है या पास-थ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है तो यह मूल्यांकन करती है कि क्या और किस विस्तार तक उसने स्वामित्व के जोखिमों और पारिश्रमिकों को प्रतिधारित किया है। जब इसने आस्ति के जोखिमों और पारिश्रमिकों को सारतः न तो हस्तांतरित किया है और न ही प्रतिधारित किया है, न ही आस्ति का नियंत्रण हस्तांतरित किया है कंपनी कंपनी की सतत सहभागिता के विस्तार तक हस्तांतरित आस्ति को निर्धारण करना जारी रखती है। उस मामले में, कंपनी संबद्ध देयता का भी निर्धारण करती है। हस्तांतरित आस्ति और संबंधित देयता उस आधार पर मापित किए जाते हैं जो अधिकारों और दायित्वों जिसे कंपनी ने प्रतिधारित किया है को परावर्तित करता है। सतत सहभागिता जो हस्तांतरित आस्ति के ऊपर प्रत्याभूति का रूप लेती है आस्ति के मूल वहनीय राशि के निम्नतर पर मापन किया जाता है और प्रतिफल की अधिकतम राशि जिसे कंपनी को संदाय करने की आवश्यकता हो सकती है।

2.14.2.7 वित्तीय आस्तियों की क्षति (उचित मूल्य के बिना)

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय आस्तियों और साख जोखिम एक्सपोजर पर क्षति हानि के मापन और निर्धारण के लिए प्रत्याशित साख हानि (ईसीएल) प्रतिरूप को लागू करती है :

अ) वित्तीय आस्तियाँ जो कर्ज लिखतें हैं, और परिशोधित लागत अर्थात ऋणें, कर्ज प्रतिभूतियों, जमाराशियों, व्यवसाय प्राप्तियों और बैंक में अतिशेष पर मापन किए जाते हैं

आ) वित्तीय आस्तियाँ जो कर्ज लिखतें हैं और एफवीटीओसीआई पर मापन किए जाते हैं

इ) लेखांकन मानक 116 के अधीन पट्टा प्राप्तियाँ

ई) व्यवसाय प्राप्तियाँ या नकदी या अन्य वित्तीय आस्ति प्राप्त करने के लिए कोई संविदात्मक अधिकार जो लेनदेनों के परिणाम है और भारतीय लेखांकन मानक 115 की व्याप्ति के अंतर्गत है

कंपनी क्षति हानि भत्ता के निर्धारण के लिए अधोलिखित पर 'सरलीकृत उपागम' का अनुसरण करती है :

- व्यवसाय प्राप्तियाँ या संविदा राजस्व प्राप्तियाँ; और
- भारतीय लेखांकन मानक 116 के विस्तार के अंतर्गत लेनदेनों के परिणामतः समस्त पट्टा प्राप्तियाँ।

सरलीकृत उपागम का अभ्यावेदन के लिए कंपनी को साख जोखिम में परिवर्तनों पर नजर रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रत्येक प्रतिवेदित तिथि पर, इसकी प्रारंभिक निर्धारण से ही, आजीवन प्रत्याशित साख हानियों (ईसीएल) के आधार पर क्षति हानि भत्ता को निर्धारित करती है।

2.14.3 वित्तीय देयताएँ

2.14.3.1 आरंभिक निर्धारण एवं मापन

कंपनी की वित्तीय देयताएँ बैंक ओवरड्राफ्ट सहित व्यवसाय एवं अन्य देय राशियों, ऋणों और उधारों को समाविष्ट करती हैं।

समस्त वित्तीय देयताएँ प्रारंभतः उचित मूल्य पर और ऋणों एवं उधारों तथा देय राशियों के मामले में प्रत्यक्षतः रोप्य लेनदेन लागतों पर निर्धारित किए जाते हैं।

2.14.3.2 पाश्चिक मापन

वित्तीय देयताओं का मापन उनके वर्गीकरण, यथा निम्न व्याख्यायित, पर निर्भर करता है :

2.14.3.3 लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ

लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ व्यवसाय के लिए धारित वित्तीय देयताओं और लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर यथा प्रारम्भिक निर्धारण के ऊपर अभिहित वित्तीय देयताओं को समाविष्ट करती है। वित्तीय देयताओं को यथा व्यवसाय के लिए धारित वर्गीकृत किए जाते हैं यदि वे निकट अवधि में पुनःक्रय के प्रयोजनार्थ उपगत किए जाते हैं। इस प्रवर्ग में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्नि वित्तीय लिखतें भी सम्मिलित हैं जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 109 द्वारा यथा परिभाषित बचाव संबंधों में बचाव लिखतों के रूप में अभिहित नहीं किया गया है। पृथक-पृथक अंतःस्थापित व्युत्पन्नि को भी यथा व्यवसाय के लिए धारित वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें यथा प्रभावी बचाव लिखतें अभिहित नहीं किया जाता है।

व्यवसाय के लिए धारित देयताओं पर अभिलाभ या हानियोँ को लाभ या हानि में निर्धारित किए जाते हैं।

2.14.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयातएँ

प्रारंभिक निर्धारण के पश्चात्, इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर प्रणाली का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापन किए जाते हैं। अभिलाभ और हानियाँ लाभ या हानि में निर्धारित किए जाते हैं जब देयताओं को अनिर्धारण करने के साथ-साथ प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रणाली के जरिए किए जाते हैं। परिशोधित लागत की गणना अर्जन पर किसी भी बट्टा या प्रीमियम और फीस या लागत जो प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न अंग हैं को ध्यान में रखकर की जाती है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ-हानि विवरणी में यथा वित्त लागत समाविष्ट किया जाता है।

2.14.3.5 अनिर्धारण

एक वित्तीय देयता को अनिर्धारित किया जाता है जब देयता के अधीन दायित्व का उन्मोचन या रद्द किया जाता है या पर्यवसित हो जाता है। जब उसी ऋणदाता से सारतः भिन्न निबंधनों पर एक विद्यमान वित्तीय देयता को अन्य से प्रस्थापित किया जाता है या विद्यमान देयता के निबंधन सारतः उपांतरित किए जाते हैं, ऐसे विनिमय या उपांतरण वास्तविक देयता के अनिर्धारण और नई देयता के निर्धारण की तरह व्यवहृत होते हैं। किसी अन्य पक्षकार को निर्वापित या अंतरित वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता के भाग) की वहनीय राशि और कोई अंतरित गैर-नकदी आस्तियों या अवधारित देयताओं को समाविष्ट करते हुए संदत्त प्रतिफल के मध्य के अंतर को लाभ या हानि में निर्धारित किए जाएंगे।

2.14.4 वित्तीय आस्तियों का पुनःवर्गीकरण

कंपनी प्रारम्भिक निर्धारण पर वित्तीय आस्तियों और देयताओं का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारम्भिक निर्धारण के पश्चात्, वित्तीय आस्तियाँ जो साम्या लिखतें और वित्तीय देयताएँ हैं के लिए पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय आस्तियों के लिए जो ऋण लिखतें हैं, उन आस्तियों के प्रबंधन के लिए कारबार प्रतिरूप में यदि कोई परिवर्तन है तो पुनःवर्गीकरण किया जाता है। कारबार प्रतिरूप में परिवर्तन यदा-कदा होना प्रत्याशित माना जाता है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन कारबार प्रतिरूप में परिवर्तन यथा बाह्य और आंतरिक परिवर्तन के परिणाम जो कंपनी के परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं निर्धारित करती है। ऐसे परिवर्तन बाह्य पक्षकारों के लिए सुव्यक्त होते हैं। कारबार प्रतिरूप में परिवर्तन पाया जाता है जब कंपनी कोई गतिविधि जो इसके परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण है के कार्य-निष्पादन को या तो प्रारम्भ करती है या प्रविरत हो जाती है। यदि कंपनी वित्तीय आस्तियों को पुनःवर्गीकृत करती है, यह पुनःवर्गीकरण तिथि जो कारबार प्रतिरूप में परिवर्तन का अनुगामी तत्काल अगले प्रतिवेदित अवधि का प्रथम दिवस है से भविष्यलक्षी रूप से पुनःवर्गीकरण लागू करती है। कंपनी किसी पूर्व निर्धारित अभिलाभों, हानियों (क्षति अतिलाभ या हानियाँ सहित) या ब्याज का पुनःकथन नहीं करती है।

निम्न तालिका नानाविध पुनःवर्गीकरण और उनका हिसाब कैसे लगाया जाता है को दर्शाती है

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन सुविधा
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य पर मापन किया जाता हैं। पूर्व परिशोधित लागत और उचित मूल्य के मध्य का अंतर लाभ-हानि में निर्धारित किया जाता हैं।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई सकल वहनीय राशि बन जाती है। नई वहनीय राशि के आधार पर प्रभावी ब्याज दर की संगणना की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य मापन किया जाता है। पूर्व परिशोधित लागत और उचित मूल्य के मध्य का अंतर अन्य व्यापक आय में निर्धारित किया जाता है। पुनःवर्गीकरण के कारण ईआईआर में में कोई परिवर्तन नहीं है।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य पर इसकी नई परिशोधित लागत वहनीय राशि बन जाता है। तदापि, अन्य व्यापक आय में संचित अभिलाभ या हानि उचित मूल्य के प्रतिकूल समायोजित किया जाता है। तत्पश्चात, आस्ति को मापित किया जाता है जहाँ तक, यह सदैव परिशोधित लागत पर मापित किया गया हो।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई वहनीय राशि बन जाती है। किसी अन्य समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	आस्तियों को उचित मूल्य पर मापन किया जाना जारी है। अन्य व्यापक आय में निर्धारित पूर्व संचयी अभिलाभ या हानि को पुनःवर्गीकरण तिथि पर लाभ-हानि विवरणी में पुनःवर्गीकृत किया जाता है।

2.14.5 वित्तीय लिखत का प्रतितुलन

आस्तियों की प्राप्ति के साथ-साथ देयताओं के निपटान के लिए, वित्तीय आस्तियों एवं वित्तीय देयताओं को समंजन/प्रतितुलन किया जाता है और निवल राशि को समेकित तुलन-पत्र में प्रतिवेदित किया जाता है यदि निर्धारित राशियों को समंजन/प्रतितुलन करने के लिए वर्तमान में प्रवर्तनीय विधिक अधिकार हो और निवल आधार पर निपटान करने का आशय हो।

2.14.6 वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी आस्ति को बिक्री के लिए प्राप्त होगा या वर्तमान बाजार स्थितियों के तहत मापन तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

कंपनी उचित मूल्य पर मापी गई आस्तियों एवं देयताओं को तीन स्तरों में से एक में वर्गीकृत करती है, जो इस तरह के मापन के लिए नियोजित प्रविष्टियों का निरीक्षण करने की क्षमता पर निर्भर करती है:

(अ) स्तर 1: प्रविष्टियाँ समान आस्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं।
(आ) स्तर 2: स्तर 1 के भीतर शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य प्रविष्टियों जो आस्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य हैं।
(इ) स्तर 3: आस्ति या देयता के लिए प्रविष्टियाँ जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अदृश्य प्रविष्टियाँ) पर आधारित नहीं हैं।

कंपनी के पास उचित मूल्यों के मापन के संबंध में एक अधिस्थापित नियंत्रण ढांचा है। इसमें एक वित्त टीम शामिल है जिसके पास सभी महत्वपूर्ण उचित मूल्य मापनों की देखरेख करने की समग्र दायित्व है जो नियमित रूप से महत्वपूर्ण अप्राप्य निविष्टियों, मूल्यांकन समायोजन और उचित मूल्य पदानुक्रम की समीक्षा करते हैं जिसके तहत मूल्यांकन को वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

2.14.7 नकदी एवं नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में नकदी एवं नकदी समतुल्य में बैंकों और हाथ में नकदी तथा मूल परिपक्वता के तीन महीने या कम के साथ अल्पावधि जमाराशि, जो मूल्य में परिवर्तन के अमहत्वपूर्ण जोखिमों के अध्यधीन है, समाविष्ट है। नकदी प्रवाह के समेकित विवरणी के प्रयोजन के लिए, नकदी और नकदी समतुल्य में नकदी और अल्पावधि जमाराशियों, यथा उपरि परिभाषित, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट के निवल क्योंकि उन्हें कंपनी के नकदी प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है समाविष्ट है।

2.15. उधार लागत

उधार लागत को जैसे ही और जब उपगत होती है व्यय किया जाता है, सिवाय इसके कि जहाँ वे प्रत्यक्षतः अर्हक संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए रोप्य होते हैं, अर्थात वे आस्तियाँ जो इसके आशयित उपभोग के लिए तैयार रहने के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त समयावधि लेती है, इस मामले में उस तिथि तक जब अर्हक आस्ति इसके आशयित उपभोग के लिए तैयार हो उन आस्तियों के लागत के भाग के रूप में वे पूँजीकृत किए जाते हैं।

2.16 कराधान

आयकर व्यय तत्काल संदाय योग्य कर और आस्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर-योग्य लाभ (कर हानि) की बाबत देय (अप्रतिसंहरणीय) आयकरों की राशि है। करयोग्य लाभ लाभ और हानि विवरणी तथा अन्य व्यापक आय में यथा ज्ञापित "आयकर पूर्व लाभ" से भिन्न होता है क्योंकि यह आय या व्यय के मदों को जो अन्य वर्षों में करयोग्य या कटौतीयोग्य है को अपवर्जित करता है और यह आगे के मदों जो कभी भी करयोग्य या कटौतीयोग्य नहीं है को अपवर्जित करता है। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता कर को दरों जो प्रतिवेदित अवधि के अंत में अधिनियमित या विशेष्यतः अधिनियमित किया गया है का उपयोग करते हुए संगणित किया जाता है।

आस्थगित कर देयताएँ प्रायः समस्त कर-योग्य अस्थायी अंतर के लिए निर्धारित किए जाते हैं। आस्थगित कर आस्तियाँ प्रायः समस्त कटौती-योग्य अस्थायी अंतर उस विस्तार तक निर्धारित किए जाते हैं कि यह संभाव्य है कि कर-यो लाभ उपलब्ध होगा जिसके सहारे वे कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किए जा सकते हैं। ऐसी आस्तियाँ और देयताएँ निर्धारित नहीं किए जाते हैं यदि लेन-देन में सदिच्छा से या अन्य आस्तियों और देयताओं के प्रारम्भिक निर्धारण (कारबार संयोजन से भिन्न में) से अस्थायी असमानताएँ उद्भूत होती हैं जो ना तो कर-योग्य लाभ को ना ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करती है।

आस्थगित कर देयताएँ अनुषंगियों और एसोसिएटों में निवेशों के साथ सहयुक्त कर-योग्य अस्थायी असमानताओं के लिए निर्धारित किए जाते हैं, सिवाय जहाँ कंपनी अस्थायी असमानताओं के उलटाव को नियंत्रित करने के लिए समर्थ है और यह संभाव्य है कि अस्थायी असमानता पूर्वाभासी भविष्य में फिर से उलटाव नहीं होगा। ऐसे निवेशों और ब्याजों से सहयुक्त कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों से उद्भूत हो रहे आस्थगित कर आस्तियाँ केवल उस विस्तार तक निर्धारित किए जाते हैं कि यह संभाव्य है कि पर्याप्त कर-योग्य लाभ होंगे जिसके सहारे अस्थायी अंतरों की प्रसुविधाएँ उपयोग किए जाएँगे।

आस्थगित कर आस्तियों के वहनीय राशि प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अंत में पुनर्विलोकित किए जाते हैं और उस विस्तार तक अवनत किए जाते हैं कि यह अधिक संभावी नहीं हो कि समस्त या आस्ति के भाग का प्रत्युद्धरण किया जाना है को अनुज्ञात करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अंत में उस विस्तार तक अनिर्धारित आस्थगित कर आस्तियाँ पुनर्मूल्यांकित की जाती हैं कि यह संभाव्य हो चुका है कि समस्त या आस्थगित कर आस्ति के भाग का प्रत्युद्धरण किया जाना है को अनुज्ञात करने के लिए पर्याप्त कर-योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर आस्तियाँ और देयताएँ कर दरों पर मापित किए जाते हैं जो उस अवधि जिसमें देयता निपटारित या आस्ति प्राप्त किए जाते हैं में संप्रयोजित करने के लिए प्रत्याशित होते हैं, कर दर (और कर विधियों) पर आधारित जो प्रतिवेदित अवधि के अंत तक अधिनियमित या विशेष्यतः अधिनियमित किये गए हैं।

आस्थगित कर देयताओं और आस्तियों के मापन कर परिणामों को परावर्तित करते हैं जो उस रीति से अनुसारित होते हैं जिसमें कंपनी प्रतिवेदित अवधि के अंत में, इसके आस्तियों और देयताओं के वहनीय राशि के प्रत्युद्धरण या निपटान करने की प्रत्याशा करती है।

चालू और आस्थगित कर लाभ या हानि में निर्धारित किए जाते हैं, सिवाय जब वे मदों से संबंधित होते हैं जो केवल अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्षतः साम्या में निर्धारित किए जाते हैं, जिन मामलों में, वर्तमान और आस्थगित कर क्रमशः अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष साम्या में भी निर्धारित किए जाते हैं। जहाँ एक कारबार संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से वर्तमान कर और आस्थगित कर उद्भूत होता है, कारबार संयोजन के लिए लेखांकन में कर प्रभाव समाविष्ट किया जाता है।

आस्थगित आयकर आस्तियों एवं देयताओं को प्रतितुलन किया जाता है जब चालू कर देयताओं के विरूद्ध चालू कर आस्तियों को प्रतितुलन करने के लिए विधिक रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है, और जब आस्थगित आयकर आस्तियाँ एवं देयताएँ एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित होती हैं या तो कर योग्य इकाई या विभिन्न कर योग्य संस्थाएं जहाँ निवल आधार पर शेष राशि का निपटान करने का आशयित होता है।

2.17 कर्मी प्रसुविधाएँ

2.17.1 अल्पावधि प्रसुविधाएँ

अल्पावधि कर्मी प्रसुविधाएँ कर्मी प्रसुविधाएँ हैं (पर्यवासन से भिन्न) है जो वार्षिक प्रतिवेदित अवधि जिसमें कर्मीगण संबद्ध सेवा प्रदान करते हैं की समाप्ति के पश्चात के 12 माह पूर्व पूर्णतः निपटारित किए जाने की प्रत्याशा हैं।

अवधि जिसमें कर्मियों द्वारा सेवाएँ दी जाती हैं में समस्त अल्पावधि कर्मी प्रसुविधाएँ निर्धारित किए जाते हैं।

2.17.2 नियोजनोपरांत प्रसुविधाएँ एवं अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधाएँ

2.17.2.1 परिभाषित अंशदान योजना

एक परिभाषित अंशदान योजना एक पश्च-नियोजन प्रसुविधा योजना है जिसके अधीन कंपनी एक पृथक निकाय द्वारा अनुरक्षित निधि में नियत अंशदान का संदाय करती है और अगली राशि के संदाय के लिए कंपनी की कोई विधिक या आन्वयिक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित अंशदान योजना में अंशदान के लिए दायित्व अवधि जिसके दौरान कर्मीगण द्वारा सेवाएँ प्रदान की जाती हैं में लाभ और हानि विवरणी में यथा कर्मी प्रसुविधा व्यय निर्धारित किए जाते हैं।

2.17.2.2 परिभाषित प्रसुविधाएँ योजना

परिभाषित प्रसुविधा योजना परिभाषित अंशदान योजना से भिन्न एक पश्च-नियोजन प्रसुविधा योजना है। परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं की बावत कंपनी का निवल दायित्व आगत प्रसुविधा की राशि के प्राक्कलन द्वारा संगणना की जाती है जिसे कर्मी ने वर्तमान और पूर्वीक अवधि में अपनी सेवा के बदले उपार्जित किया है। प्रसुविधा, यदि कोई हो, इसके वर्तमान मूल्य को अवधारित करने के लिए बट्टाकृत किया जाता है और योजना आस्तियों के उचित मूल्य द्वारा अवनत किया जाता है। बट्टा दर प्रतिवेदित तिथि को यथा भारत के सरकारी प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होते हैं जिसकी कंपनी के दायित्वों के निबंधनों सन्निकटक परिपक्वता तिथि होती है और जिसे उसी मुद्रा में जिसमें प्रसुविधाएँ संदत्त किया जाना प्रत्याशित है मूल्यवर्गित किए जाते हैं।

बीमांकिक मूल्यांकन का आवेदन बट्टा दर, आस्तियों पर प्रतिलाभ का प्रत्याशित दर, आगत वेतन वृद्धि, मृत्यु दर आदि के विषय में अवधारणाएँ निर्माण को अंतर्ग्रस्त करता है। इन योजनाओं के दीर्घावधि प्रकृति के कारण, ऐसे प्राक्कलन अनिश्चितताओं के अध्यधीन होते हैं। पूर्वानुमानित इकाई साख पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकक द्वारा प्रत्येक तुलन पत्र में संगणना संपादित किए जाते हैं। जब संगणना से कंपनी के प्रसुविधा को परिणाम आता है, निर्धारित आस्ति योजना से या योजना

के लिए आगत अंशदान में कमी से किसी आगत प्रतिदायों के रूप में उपलब्ध आर्थिक प्रसुविधाओं के वर्तमान मूल्य के लिए सीमित की जाती है। कंपनी के लिए आर्थिक प्रसुविधा उपलब्ध होता है यदि यह योजना के कार्यकाल, या योजना देयताओं के निपटारण के दौरान वसूलीयोग्य होता है।

निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता का पुनर्मापण, जो योजना आस्तियों पर प्रत्यागम (ब्याज रहित) और आस्ति सीमा (ब्याज रहित, यदि कोई हो) के प्रभावों को विचार करते हुए बीमांकिक लाभ और हानियों को समाविष्ट करता है तत्काल अन्य व्यापक आय में निर्धारित किए जाते हैं। कंपनी अवधि के दौरान निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता (आस्ति) में किसी भी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए यथा अंशदान और प्रसुविधा संदायों के परिणामस्वरूप, उस निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता (आस्ति) को वार्षिक अवधि के प्रारंभ में परिभाषित प्रसुविधा देयता (आस्ति) को मापन करने के लिए प्रयुक्त बट्टा दर के संप्रयोजन द्वारा उस अवधि के लिए निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता पर निवल ब्याज व्यय (आय) निर्धारित करती है। परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं से संबंधित निवल ब्याज व्यय और अन्य व्यय लाभ और हानि में निर्धारित किए जाते हैं।

जब योजना की सुविधाएँ संवर्धित की जाती हैं, कर्मियों द्वारा पूर्व सेवा से संबंधित वृद्धि हुई प्रसुविधाओं के भाग लाभ और हानि विवरणी में तत्काल यथा व्यय निर्धारित किए जाते हैं।

2.17.3 अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधाएँ

अल्पावधि कर्मी प्रसुविधाओं, पश्च-नियोजन प्रसुविधाओं एवं पर्यवसान प्रसुविधाओं से भिन्न समस्त कर्मी प्रसुविधाएँ अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधाएँ हैं।

अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधाएँ उन मदों को समाविष्ट करती है जिसकी वार्षिक प्रतिवेदित अवधि की समाप्ति के पश्चात जिसमें कर्मीगण संबंधित सेवाएँ देते हैं के बारह माह पूर्व निपटारित न होने की प्रत्याशा की जाती है।

अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधाओं के लिए, लाभ या हानि विवरणी में निम्नलिखित राशियों का निवल कुल निर्धारित किया गया है :

अ. सेवा लागत
आ. निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता (आस्ति) पर निवल ब्याज
इ. निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता (आस्ति) का पुनःमापन

2.18 विदेशी मुद्रा

लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को कंपनी की प्रतिवेदित मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि की समाप्ति पर परादेय विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को प्रतिवेदित अवधि की समाप्ति पर यथा प्रचलित विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है। अवधि के दौरान या पूर्व वित्तीय विवरणियों में मौद्रिक आस्तियों और देयताओं के निपटान से या उस दर से भिन्न दरों जिसपर आरंभिक निर्धारण पर परावर्तित की गई थी पर मौद्रिक आस्तियों और देयताओं के परावर्तित होने से उद्भूत विनिमय अंतरों को अवधि जिसमें वे उद्भूत हुए है में लाभ और हानि विवरणी में निर्धारित किए जाते हैं।

लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक मदों को मूल्यांकित किए जाते हैं।

2.19 विपट्टन गतिविधि

कोयले तक पहुंचने के लिए उपरिभार को हटाने की प्रक्रिया को विपट्टन कहा जाता है। कोयले तक पहुंच प्राप्त करने के लिए विपट्टन आवश्यक है और एक खुली खदान के पूरे अस्तित्व काल में होता है। विकास और उत्पादन चरणों के दौरान विपट्टन लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों में अन्य खनन बुनियादी ढांचे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अलग-अलग खानों के लिए विपट्टन लागत का पृथकतः हिसाब रखा जाता है।

कंपनी निम्नानुसार विपट्टन गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है :

कंपनी निम्नानुसार विपट्टन गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है :

ये निकाले जाने वाले कोयले तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किए गए प्रारंभिक उपरिभार हटाव की लागत हैं। इन लागतों को पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभव होता है कि भविष्य के आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे और लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। एक बार उत्पादन चरण शुरू होने के बाद, पूंजीकृत विकास विपट्टन लागत खदान के अस्तित्व काल पर परिशोधित हो जाती है।

उत्पादन के दौरान विपट्टन लागत :

ये समूह की नीति के अनुसार खदान को राजस्व में लाने के बाद किए गए उपरिभार हटाव की लागत है। उत्पादन चरण के दौरान लागत को अलग करने से दो लाभ हो सकते हैं, वर्तमान अवधि में कोयले की निकासी और कोयले तक बेहतर पहुंच जो भविष्य की अवधि में निकाली जाएगी। उत्पादन चरण के दौरान विपट्टन लागत को उत्पादित वस्तुसूची और विपट्टन गतिविधि आस्ति के बीच एक मानक पट्टी अनुपात (उपरिभार-से-कोयला) का उपयोग करके आवंटित किया जाता है। मानक पट्टी अनुपात खान के अस्तित्व काल पर निष्कासित कुल कोयले के विरूद्ध खदान के अस्तित्व काल में हटाए जाने वाले उपरिभार के कुल आयतन है। जब हटाए गए उपरिभार की वास्तविक मात्रा ओवरबर्डन हटाने की अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है, तो अपेक्षित उपरिभार हटाने पर हटाए गए अतिरिक्त उपरिभार के लिए विपट्टनलागत को विपट्टन गतिविधि आस्ति के लिए पूंजीकृत किया जाता है। विपट्टन गतिविधि आस्ति खदान के अस्तित्व काल में परिशोधन है। भू-खनन स्थितियों में

परिवर्तन का मानक पट्टी अनुपात पर प्रभाव पड़ सकता है। अनुपात में परिवर्तन को भावी रूप से हिसाब दिया जाता है। विपट्टन गतिविधि आस्ति को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के तहत अलग से शामिल किया गया है।

कंपनी एक मिलियन टन प्रति वर्ष और उससे अधिक की रेटेड क्षमता वाली खानों में उत्पादन चरण के दौरान लागत को अलग करने के लिए विपट्टन गतिविधि आस्ति को निर्धारित करता है।

2.20 वस्तुसूचियाँ

2.20.1 कोयला स्टॉक

कोयला/कोककारी की वस्तुसूचियाँ कम लागत और निवल वसूलयोग्य मूल्य पर अभिकथित की जाती है। भारित औसत पद्धति का उपयोग करके वस्तुसूचियों के लागतों की संगणना की जाती है। निवल वसूलयोग्य मूल्य वस्तुसूचियों के अनुमानित विक्रय कीमत से सभी अनुमानित पूरण लागतों और विक्रय करने के लिए आवश्यक लागतों को घटाकर व्यपदेशन करता है।

बहीगत कोयला स्टॉक को खाता में विचार किया जाता है जहाँ बहीगत स्टॉक एवं मापित स्टॉक के बीच का अंतर +/- 5% तक है और जहाँ अंतर +/- 5% से अधिक है के मामले में मापित स्टॉक पर विचार किया जाता है। ऐसे स्टॉक निवल वसूलयोग्य मूल्य या लागत जो कम हो पर मूल्यांकित किया जाता है।

कोयला और कोककारी-सूक्ष्मक लागत या निवल वसूलीयोग्य मूल्य के कमतर पर मूल्यांकित और कोयला स्टॉक के अंश के रूप में प्रतिफलित किए जाते हैं।

कर्दम (कोककर/अकोककर), वाशारियों का मिडलिंग और उपोत्पादों का निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और कोयला स्टॉक के अंश के रूप में विचार किया जाता है।

2.20.2 भण्डार, उपकरणें एवं अन्य वस्तुसूचियाँ

अन्य वस्तुसूचियाँ सहित भण्डारों एवं उपकरणों (जिसमें खुदरा औजारें भी सम्मिलित है) के स्टॉक को भारित औसत विधि के आधार पर संगणित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोरों और पुर्जों के लिए 100% की दर से और 5 वर्षों से अहस्तांतरित स्टोर और पुर्जों के लिए 50% की दर से प्रावधान बनाए गए हैं।

2.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक आस्तियाँ

प्रावधानों को निर्धारित किया जाता है जब कंपनी के पास विगत घटना के फलस्वरूप वर्तमान दायित्व (विधिक या रचनात्मक) होता है, और यह अधिसंभाव्य है कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक प्रसुविधाओं के निर्गमन की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। जहाँ धन का सामयिक मूल्य भौतिक है तब दायित्व के निपटान के लिए प्रत्याशित व्यय के वर्तमान मूल्य पर प्रावधानों को अभिकथित किया जाता है।

प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर सभी प्रावधानों का पुनर्विलोकन किए जाते हैं और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शित करने के लिए समायोजित किए जाते हैं।

जहाँ यह अधिसंभाव्य नहीं होता है कि आर्थिक प्रसुविधाओं को निर्गमन की आवश्यकता होगी, या राशि को अनुमान स्थिरता से नहीं लगाया जा सकता है तब दायित्व को यथा आकस्मिक देयता प्रकटन किया जाता है, जबतक कि आर्थिक प्रसुविधाओं के निर्गमन की अधिसंभाव्यता दूरस्थ न हो। अधिसंभाव्य दायित्वों, जिसका अस्तित्व एक या अधिक भविष्यत् अनिश्चित घटनाओं जो पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में न हो के घटित या अघटित होने के द्वारा केवल सुनिश्चित किया जाएगा, उसे यथा आकस्मिक देयताएँ भी प्रकटन किया जाता है जब तक कि आर्थिक प्रसुविधाओं का निर्गमन की अधिसंभाव्यता दूरस्थ न हो।

आकस्मिक आस्तियाँ संभावित आस्तियाँ है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर-घटना से की जाएगी, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है। आकस्मिक आस्तियों का प्रकटन वित्तीय विवरणियों में तब किया जाता है जब प्रबन्ध के निर्णय के आधार पर आर्थिक प्रसुविधाओं की आमद संभाव्य हो। इनका निरंतर मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरणियों में विकास समुचित रूप से परिलक्षित हो।

2.22 अर्जन प्रति शेयर

प्रति शेयर मूल अर्जन अवधि के दौरान बकाया साम्या शेयर के भारित औसत संख्या को करोपरांत निवल लाभ से विभाजित कर संगणना की जाती है। प्रति शेयर तनुकृत अर्जन को मूल अर्जन प्रति शेयर को व्युत्पन्नित करने और भी साम्या शेयरों की भारित औसत संख्या जो समस्त तनुकृत रूपक संभाव्य साम्या शेयरों के रूपांतरण के लिए निर्गत किए गए हैं से प्रतिफलित साम्या शेयरों की भारित औसत संख्या को करोपरांत लाभ से विभाजित कर संगणना की जाती है।

2.23 अनुपात अंतर

अनुपात अंतर आरक्षित के निर्धारण ने सीआईएल द्वारा अपनी स्थापना के बाद से स्थापित नीति का सतत पालन किया है। इस लेखांकन पद्धति को आयकर अधिकारियों सहित कई आधिकारिक निकायों और मंचों द्वारा प्रमाणित और मान्य किया गया है।

जब भी प्रावधान/आस्ति के व्युत्क्रमण की स्थिति उत्पन्न होती है, अनुपात अंतर आरक्षित की वहन राशि को व्यवस्थित रूप से उलट दिया जाएगा। ऐसा उत्क्रमण उन खानों के लिए विशिष्ट होना चाहिए जिनके लिए समान प्रावधान/आस्ति को निर्धारित की गई है।

एक खान के मामले में, जहाँ अनुपात अंतर आरक्षित में जमा शेष होता है, उपरिभार के आयतन पर निष्कासित उपरिभार की एक अतिरिक्त आयतन को विपट्टन गतिविधि की आरंभिक औसत दर से गुणा किया जाता है, जिसे अनुपात अंतर आरक्षित के लिए संबंधित नामे के साथ लाभ और हानि विवरणी में यथा विपट्टन गतिविधि समायोजन निर्धारित की जाएगी।

एक खान के मामले में, जहाँ अनुपात अंतर आरक्षित में जमा शेष होता है, निष्कासित उपरिभार के आयतन से अपेक्षित उपरिभार के आयतन की अधिकता को विपट्टन गतिविधि की शुरुआती औसत दर से गुणा किया जाता है, जिसे अनुपात अंतर आरक्षित के लिए संबंधित जमा के साथ लाभ और हानि विवरणी में यथा विपट्टन गतिविधि समायोजन निर्धारित की जाएगी।

जहाँ अपेक्षित उपरिभार के आयतन मानक पट्टी अनुपात से गुणा किए गए कोयले का आयतन है, जहाँ मानक पट्टी अनुपात खान अस्तित्व काल के दौरान निष्कासित कुल कोयले से विभाजित खान अस्तित्व काल के दौरान निष्कासित कुल उपरिभार है।

2.24 निर्णय, प्राक्कलन एवं ग्रहण

भारतीय लेखांकन मानक के साथ अनुरूपता में वित्तीय विवरणी की निर्मिति में प्रबंधन को प्राक्कलनों, निर्णयों और ग्रहणों जो आस्तियों एवं देयताओं के लेखांकन नीतियों एवं प्रतिवेदित राशियों के अनुप्रयोग, वित्तीय विवरणी की तिथि पर आकस्मिक आस्तियों एवं देयताओं का प्रकटीकरण तथा प्रतिवेदित अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करती है के निर्माण करने की आवश्यकता होती है। जटिल और विषयपरक निर्णयों वाले लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और इन वित्तीय विवरणों में ग्रहणों के उपयोग का प्रकटन किया गया है। लेखांकन प्राक्कलनें समय-समय पर परिवर्तित हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलनों और अंतर्निहित ग्रहणों का पुनर्विलोकन सतत आधार पर किया जाता है। अवधि जिसमें प्राक्कलन परिशोधित किए जाते है में लेखांकन प्राक्कलनों के लिए परिशोधनों को निर्धारित किए जाते हैं और, यदि तात्विक हो, इनके प्रभावों को वित्तीय विवरणियों के टिप्पणियों में प्रकटन किए जाते हैं।

2.24.1 निर्णय

कंपनी के लेखांकन नीतियों के संप्रयोजन की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए है जिनका वित्तीय विवरणी में निर्धारित राशियों पर अति विशिष्ट प्रभाव है।

2.24.1.1 लेखांकन नीतियों का निरूपण

लेखांकन नीतियाँ इस तरीके से विनिर्मित की जाती है कि, जिसके परिणामस्वरूप लेनदेनों, अन्य घटनाओं और दशाओं के बारे में सुसंगत और विश्वसनीय संसूचना से युक्त वित्तीय विवरणी में परिणाम होता है जिन पर वे संप्रयोजित होते हैं। उन नीतियों को संप्रयोजित करने की आवश्यकता नहीं है जब उन्हें संप्रयोजन करने का प्रभाव महत्वहीन हो।

भारतीय लेखांकन नीति की अनुपस्थिति में जो विनिर्दिष्टतः किसी लेनदेनों, अन्य घटनाओं या दशाओं के लिए संप्रयोजित होती है, प्रबंधन ने लेखांकन नीति के विकास और संप्रयोजन में अपना निर्णय प्रयोग किया है जो संसूचनाओं में यथा परिणाम देता है :

अ) प्रयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय-निर्माण जरूरतों के लिए सुसंगत

आ) उस वित्तीय विवरणी में विश्वसनीय होता है: और

(i) कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह को निष्ठापूर्वक व्यपदिष्ट करता है; (ii) लेनदेनों, अन्य दशाओं और घटनाओं के आर्थिक उपादान को परावर्तीत करती है और केवल विधिक रूप को नहीं; (iii) तटस्थ रहता है, अर्थात् पूर्वाग्रह से मुक्त; (iv) प्रबुद्ध होता है और (v) अविरूद्ध आधार पर समस्त तात्विक विषयों में पूर्ण होते हैं।

निर्णय निर्माण में, प्रबंधन अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों की संप्रयोज्यताओं को निदिर्ष्ट और विचार करती है :

अ. एक समान और संबंधित विवाद्यकों की कार्यवाही में भारतीय लेखांकन मानकों की आवश्यकताएँ।

आ. रूपरेखा में आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय के लिए परिभाषाएँ, निर्धारण मानदंड और मापन संकल्पना।

निर्णय निर्माण में, प्रबंधन अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की हाल की घोषणा को प्रतिफलित करती है और इसके अनुपस्थिति में उन अन्य मानक-समायोजक निकायों के जो उस विस्तार तक लेखांकन मानकों, अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्यम प्रथाओं को विकसित करने के लिए समरूप संकल्पित रूपरेखा का प्रयोग करते हैं जो उपर्युक्त पैरा में यथा उद्धृत भारतीय लेखांकन मानक और लेखांकन नीतियों तथा प्रथाओं के साथ संघर्ष नहीं करते हो।

कंपनी खनन सेक्टर में संचालन करती है (जहाँ गवेषण, मूल्यांकन, विकास उत्पादन चरणें दशकों से चालू अवधि वाले पट्टा में विस्तृत विविधि स्थलाकृति और भूखननीय भूभाग पर आधारित हैं), विगत कई दशकों से इसके अविरुद्ध अनुप्रयोगों के ऋणी होते हुए अनुसंधान समितियों द्वारा आलंबित एवं विभिन्न विनियामकों द्वारा अनुमोदित लेखांकन नीतियों जिसका विशिष्ट उद्दयम प्रथाओं पर आधारित होता है को विकसित किया गया है। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट लेखांकन साहित्य, मार्गदर्शन, और मानकों की अनुपस्थिति में जो उत्क्रमण की प्रक्रिया में हैं, कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के क्रम में लेखांकन नीतियों को विकसित करने का प्रयास जारी रखती है और उसमें किसी भी विकास को विशेष रूप से भारतीय लेखांकन मानक 8 में ऊपर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भूतलक्षी प्रभाव से हिसाब लगाया जाएगा।

2.24.1.2 तात्त्विक्ता

भारतीय लेखांकन मानक मदों के लिए जो तात्विक है को संप्रयोजित करता है। प्रबंधन निर्णय का उपयोग यह विनिश्चित करने में करता है कि क्या व्यष्टि मद या मद की संगति वित्तीय विवरणियों में तात्विक हैं। मद की प्रकृति या महता या दोनों के संदर्भ द्वारा तात्विक्ता को परखा जाता है। विनिश्चयन कारक यह है कि क्या किसी संसूचना को लोप या मिथ्या कथन या अस्पष्ट करना वैयक्तिक रूप से या अन्य संसूचना के संयोजन में उन निर्णयों जो प्राथमिक उपभोक्ताएँ वित्तीय विवरणी के आधार पर पर निर्मित करते हैं को प्रभावित कर सकता है। भारतीय लेखांकन मानक के आवश्यकता अनुरूप अवधारित करने के लिए प्रबंधन तात्विक्ता के निर्णय का भी प्रयोग करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को विधि द्वारा आवश्यक होने पर पृथक्तः अतात्विक मदों को प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता हो सकती है।

01.04.2019 से प्रभावी पूर्व अवधियों से संबंधित वर्तमान वर्ष में खोजी गई भूलें/चूकें यथा अतात्विक माने जाते हैं और वर्तमान वर्ष में समायोजित किए जाते हैं, यदि कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी के अनुसार कुल मिलाकर समस्त ऐसी भूलें और चूकें परिचालन से कुल राजस्व के 1% से अधिक नहीं होती हो।

2.24.1.3 परिचालनगत पट्टा

कंपनी ने पट्टा करार कर लिया है। कंपनी ने व्यवस्थाओं के निबंधनों और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया है, जैसे कि पट्टे की अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा नहीं है और संपत्ति का उचित मूल्य, कि यह सभी महत्वपूर्ण जोखिमों को बरकरार रखता है और इन संपत्तियों के स्वामित्व के प्रतिफल और परिचालनगत पट्टों के रूप में संविदाओं के लिए जिम्मेदार हैं।

2.24.2 प्राक्कलन एवं ग्रहण

प्रतिवेदित तिथि पर प्राक्कलन अनिश्चितता के आगत और अन्य प्रमुख स्रोतों के मद्धे प्रमुख ग्रहणों, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष में आस्तियों और देयताओं के वहनीय राशि के वास्तविक समायोजन के कारण एक विशिष्ट जोखिम है, नीचे वर्णित है। जब वित्तीय विवरणियों की विनिर्मिति किए जाते थे तब कंपनी ने उपलब्ध मापदण्डों पर अपने ग्रहणों और प्राक्कलनों को आधारित किया। आगत विकास को लेकर विदद्यमान परिस्थितियों और ग्रहणों, यद्यपि बाजार परिवर्तनों या उद्भूत परिस्थितियों, जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर होते हैं, के कारण परिवर्तित हो सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जब वे घटित होते हैं ग्रहणों में परावर्तित होते हैं।

प्राक्कलन, निर्णय और संबद्ध ग्रहणे पारम्परिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं।

प्राक्कलनों और अंतर्निहित ग्रहणों की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन प्राक्कलनों में संशोधन को उस अवधि में निर्धारण की जाती है जिसमें प्राक्कलन संशोधित होता है और भविष्य की अवधि प्रभावित होती है।

लेखांकन नीतियों के आवेदन के लिए जटिल और आत्मनिष्ठ निर्णयों और इन एकल वित्तीय विवरणियों में ग्रहणों के उपयोग से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों और लेखांकन प्राक्कलनों की आवश्यकता होती है, जिनका प्रकटन यहाँ नीचे किया गया है :

2.24.2.1 गैर-वित्तीय आस्तियों की क्षति

हानि का एक उपदर्शन है यदि, किसी आस्ति या नकदी जनन इकाई का वहनीय मूल्य उसकी प्रत्युद्धरणीय राशि से अधिक है, जो कि इसके उचित मूल्य से अधिक है, निपटान की लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। कंपनी हानि के परीक्षण के प्रयोजन के लिए व्यष्टि खानों को यथा पृथक नकदी जनन इकाइयाँ प्रतिफलित करती है। संगणना में प्रयुक्त मूल्य एक डीसीएफ प्रतिरूप पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के लिए बजट से लिया गया है और इसमें पुनर्गठन गतिविधियों को सम्मिलित नहीं किया गया है जिसके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या महत्वपूर्ण भविष्य के निवेश जो परीक्षण किए जा रहे सीजीयू के आस्ति के प्रदर्शन को बढ़ाएंगे। प्रत्युद्धरणीय राशि डीसीएफ मॉडल के लिए प्रयुक्त बट्टा दर के साथ-साथ बहिर्वेशन के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त प्रत्याशित भावी नकदी-अंतर्वाह और वृद्धि दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन अवसंरचना के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। भिन्न-भिन्न सीजीयू के लिए प्रत्युद्धरणीय राशि अवधारित करने के लिए प्रयुक्त प्रमुख ग्रहणों का प्रकटन किया गया है और आगे संबंधित टिप्पणियों में व्याख्या किया गया है।

2.24.2.2 कर

आस्थगित कर आस्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए इस विस्तार तक निर्धारित की जाती है कि यह अधिसंभाव्य है कि कर-योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध हानियों की उपयोगिता सिद्धि की जा सकती है। संभावित समय और भविष्य के कर-योग्य लाभ के स्तर के साथ-साथ भविष्य की कर योजना रणनीतियों के आधार पर, आस्थगित कर आस्तियों की राशि निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।

2.24.2.3 परिभाषित प्रसुविधा योजनाएँ

परिभाषित प्रसुविधा योजना और अन्य पश्च-नियोजन चिकित्सा प्रसुविधाओं की लागत और दायित्वों का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न ग्रहणों को सृजित करना सम्मिलित है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें बट्टा दर, भविष्यत् वेतन वृद्धि और मृत्यु दर के निर्धारण सम्मिलित हैं।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में सम्मिलित जटिलताओं के कारण, एक परिभाषित प्रसुविधा दायित्व इन ग्रहणों में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक प्रतिवेदित तिथि पर सभी ग्रहणों की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन के अध्यधीन मापदंड बट्टा दर है। भारत में परिचालित

परियोजनाओं के लिए उचित बट्टा दर का निर्धारण करने में, प्रबंधन पश्च-नियोजन प्रसुविधा दायित्व की मुद्राओं के अनुरूप मुद्राओं में सरकारी बॉडों की ब्याज दरों को प्रतिफलित करती है।

मृत्यु दर देश की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित है। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में अंतराल पर ही उन मृत्यु दर तालिकाओं में परिवर्तन होता है।

2.24.2.4 विकास के अधीन अमूर्त आस्ति

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार परियोजना के लिए विकास के अधीन अमूर्त आस्ति को पूँजीकृत करती है। लागतों का प्रारम्भिक पूँजीकरण प्रबंधन के निर्णयों पर आधारित होता है जिसका तकनीकी और आर्थिक साध्यता पुष्ट किया जाता है, प्रायः तब जब एक परियोजना प्रतिवेदन विनिर्मित और अनुमोदित की जाती है।

2.24.2.5 खान संवरण, स्थल पुनरूद्धार एवं अप्रवर्तन दात्यिव के लिए प्रावधान

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार परियोजना के लिए विकास के अधीन अमूर्त आस्ति को पूँजीकृत करती है। लागतों का प्रारम्भिक पूँजीकरण प्रबंधन के निर्णयों पर आधारित होता है जिसका तकनीकी और आर्थिक साध्यता पुष्ट किया जाता है, प्रायः तब जब एक परियोजना प्रतिवेदन विनिर्मित और अनुमोदित की जाती है।

- भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों में यथा विनिर्दिष्ट प्रति हेक्टेयर प्राक्कलित लागत
- बट्टा दर (पूर्व कर दर) जो मुद्रा का सामयिक मूल्य और देयता के विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को परावर्तित करता है।

2.25 प्रयुक्त संक्षेपाक्षर :

अ.	सीजीयू	नकदी जनन इकाई
आ.	डीसीएफ	बट्टागत नकदी प्रवाह
इ.	एफवीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य
ई.	एफवीटीपीएल	लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य
उ.	जीएएपी	सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत
ऊ.	भा. ले. मा.	भारतीय लेखांकन मानक
ऋ.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय
ए.	पी&एल	लाभ और हानि
ऐ.	पीपीई	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर
ओ.	एसपीपीआई	मूल और ब्याज
औ.	इआईआर	प्रभावी ब्याज दर

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी 3.1 : संपत्ति, संयत्र एवं उपस्कर

(₹ करोड़ में)

	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	अन्य भूमि	भूमि उद्धार/ स्थल प्रत्यावर्तन लागत	भवन (जलापूर्ति, सड़क एवं नाला)	संयंत्र एवं उपस्कर	संयंत्र एवं उपस्कर	वाहन	कार्यालयीन उपस्कर	दूरसंचार	रेलवे पार्श्वस्थल	अन्य खनन अवसंरचना	विपट्टन गतिविधि आस्तियाँ[3.1.7]	सर्वे-ऑफ आस्तियाँ	अन्य	कुल
सकल वहनीय राशि :															
01-04-2022 को यथा	435.22	1,467.03	418.57	713.87	2,755.37	111.33	3.09	46.41	24.78	188.72	1,010.20	579.09	5.57	2.71	**7,761.96**
परिवर्धन	72.43	236.14	43.45	79.91	249.11	1.34	3.47	5.16	2.49	15.33	205.38	274.73	10.20	0.06	**1,199.20**
अपमार्जन / समायोजन	(6.09)	5.75	(23.89)	(1.66)	12.94	(7.90)	0.15	(27.57)	0.22	(13.26)	3.80	-	(2.08)	(1.53)	**(61.12)**
31-03-2023 को यथा	**501.56**	**1,708.92**	**438.13**	**792.12**	**3,017.42**	**104.77**	**6.71**	**24.00**	**27.49**	**190.79**	**1,219.38**	**853.82**	**13.69**	**1.24**	**8,900.04**
01-04-2023 को यथा	501.56	1,708.92	438.13	792.12	3,017.42	104.77	6.71	24.00	27.49	190.79	1,219.38	853.82	13.69	1.24	**8,900.04**
परिवर्धन	195.50	159.73	11.71	94.45	204.50	2.08	2.69	14.88	14.57	19.10	106.15	366.39	7.55	-	**1,199.30**
अपमार्जन / समायोजन	-	(12.14)	(15.46)	(1.02)	(85.98)	(14.53)	-	13.30	(3.53)	0.21	(10.03)	-	0.08	(1.18)	**(130.28)**
31-03-2024 को यथा	**697.06**	**1,856.51**	**434.38**	**885.55**	**3,135.94**	**92.32**	**9.40**	**52.18**	**38.53**	**210.10**	**1,315.50**	**1,220.21**	**21.32**	**0.06**	**9,969.06**
संचित मूल्यह्रास, परिशोधन एवं क्षति[3.1.7]															
01-04-2022 को यथा	-	445.21	237.35	217.49	1,203.07	80.60	1.50	23.56	15.79	23.94	514.96	-	5.57	2.53	**2,771.57**
वर्ष के लिए प्रभार	-	126.01	29.32	37.77	281.29	2.60	0.39	5.95	2.54	11.60	102.62	19.08	3.55	-	**622.72**
अपमार्जन / समायोजन	-	(1.05)	-	(0.01)	(10.17)	9.63	0.26	(16.05)	0.24	-	15.03	-	(1.64)	(2.53)	**(6.29)**
31-03-2023 को यथा	**-**	**570.17**	**266.67**	**255.25**	**1,474.19**	**92.83**	**2.15**	**13.46**	**18.57**	**35.54**	**632.61**	**19.08**	**7.48**	**-**	**3,388.00**
01-04-2023 को यथा	-	570.17	266.67	255.25	1,474.19	92.83	2.15	13.46	18.57	35.54	632.61	19.08	7.48	-	**3,388.00**
वर्ष के लिए प्रभार	-	140.61	20.02	46.29	256.64	2.39	0.55	7.77	2.18	13.43	134.41	67.89	2.88	-	**695.06**
अपमार्जन / समायोजन	-	-	0.01	(0.75)	(86.19)	(12.77)	-	10.19	(0.03)	-	1.98	-	0.13	-	**(87.43)**
31-03-2024 को यथा	**-**	**710.78**	**286.70**	**300.79**	**1,644.64**	**82.45**	**2.70**	**31.42**	**20.72**	**48.97**	**769.00**	**86.97**	**10.49**	**-**	**3,995.63**
निवल वहनीय राशि															
31-03-2024 को यथा	**697.06**	**1,145.73**	**147.68**	**584.76**	**1,491.30**	**9.87**	**6.70**	**20.76**	**17.81**	**161.13**	**546.50**	**1,133.24**	**10.83**	**0.06**	**5,973.43**
31-03-2023 को यथा	**501.56**	**1,138.75**	**171.46**	**536.87**	**1,543.23**	**11.94**	**4.56**	**10.54**	**8.92**	**155.25**	**586.77**	**834.74**	**6.21**	**1.24**	**5,512.04**

टिप्पणी:

3.1.1. स्थावर संपत्तियों का हक विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है।

तुलन-पत्र में प्रासंगिक लाइन मद्द	संपत्ति के मद्द का विवरण	सकल वहनीय मूल्य	के नाम पर हक विलेख	क्या हक विलेख धारक एक संप्रवर्तक, निदेशक या संप्रवर्तक*/ निदेशक का सगे-संबंधी# या संप्रवर्तक/निदेशक का कर्मी है?	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	पूर्ण-स्वामित्व वाली भूमि	समाधान के अधीन	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	कोयला खान (राष्ट्रीकरण) अधिनियम, 1973 के अनुसरण में अधिगृहीत भूमि, संबंधित भूमि के लिए पृथकतः हक विलेख की आवश्यकता नहीं है। अधिगृहीत भूमि के लिए सभी अन्य हक विलेखें दखल में हैं और कंपनी के पक्ष में नामांतरित किया गया है सिवाय पूर्णस्वामित्व वाली भूमियों के कतिपय मामलें जहाँ विधिक औपचारिकताएँ लंबित होने के कारण वैसा ही प्रक्रियाधीन है। 720.00 हेक्टेयर भूमि की बाबत दस्तावेजों/हक विलेखों का संकलन एवं समाधान प्रगति पर है।

3.1.2. भूमि – अन्य में कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 एवं भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अधीन अधिगृहीत भूमि भी समाविष्ट है।

3.1.3. 3. भूमि उद्धार/स्थल प्रत्यावर्तन लागत में मुद्रास्फीति (5% प्रति वर्ष) के लिए विधिवत वृद्धि हुए और तब 8% बट्टा दर में भुनाए गए जो उचित मूल्य पर चालू बाजार दर एवं जोखिम को प्रतिबिम्बित करता है खान समाप्ति के चरण में उपगत अनुमानित लागत समाविष्ट है।

3.1.4. कोयला खदान श्रमिक कल्याण संगठन एवं कोयला खान बचाव संगठन से ग्रहण कर लिए गए आस्तियों एवं देयताओं, जिसके लिए कोई परिमाणात्मक ब्यौरे उपलब्ध नहीं है, को उनके मूल्य के अवधारण के लंबित खातों में सम्मिलित नहीं किया गया है। कोयला खदान श्रमिक कल्याण संगठन, कल्ला एवं केन्द्रीय अस्पताल के साथ-साथ 4 अन्य अस्पताल/औषधालयों, खान बचाव केन्द्र, बराकर इंजीनियरिंग एण्ड फाउंड्री वर्क्स की बाबत कंपनी द्वारा हस्तांतरित एवं ग्रहण की गई आस्तियों एवं देयताओं के लिए औपचारिक हस्तातंरण विलेखों/करार अभी अंतिम रूप दिया जाना है और कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया जाना है।

3.1.5. भवन में आवासीय/कार्यालय/खनन क्षेत्रों में अवस्थित सड़क और नाला सम्मिलित है।

3.1.6. टिप्पणी-2 (2.7) में यथा उल्लिखित प्रयोज्य सक्रियता के आधार पर मूल्यह्रास को उपबंधित किया गया है।

3.1.7. भा.ले.मा. 8, "लेखांकन नीतियों, लेखांकन प्राक्कलन एवं त्रुटियों में परिवर्तन" तथा भा.ले.मा. 1, "वित्तीय विवरणियों का प्रस्तुतिकरण" के अनुसार टिप्पणी 9.1 में विपट्टन गतिविधि समायोजन के निहितार्थ पुनर्वर्गीकरण एवं पुनर्कथन का परिणामी प्रभाव के लिए टिप्पणी 16(5)(ट) का संदर्भ लें।

3.1.8. संचित क्षति में संचलन

	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	अन्य भूमि	भूमि उद्धार/ स्थल प्रत्यावर्तन लागत	भवन (जलापूर्ति, सड़क एवं नाला)	संयंत्र एवं उपस्कर	फर्नीचर एवं जुड़नार	वाहन	कार्यालयीन उपस्कर	दूरसंचार	रेलवे पार्श्वस्थल	अन्य खनन अवसंरचना	विपट्टन गतिविधि आस्तियाँ	सर्वे-ऑफ आस्तियाँ	अन्य	कुल
01-04-2022 को यथा	-	-	-	-	22.55	-	-	-	-	-	218.74	-	5.57	-	**246.86**
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.89	-	3.55	-	**48.44**
अपमार्जन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.07	-	(1.64)	-	**(0.57)**
31-03-2023 को यथा	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**264.70**	**-**	**7.48**	**-**	**294.73**
01-04-2023 को यथा	-	-	-	-	22.55	-	-	-	-	-	264.70	-	7.48	-	**294.73**
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.27	-	2.88	-	**54.15**
अपमार्जन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.88	-	0.13	-	**1.01**
31-03-2024 को यथा	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**316.85**	**-**	**10.49**	**-**	**349.89**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

नोट 3.2 : पूंजीगत कार्य प्रगति पर

(₹ करोड़ में)

	भवन (जलापूर्ति, सड़क एवं नाला सहित)	संयंत्र एवं उपस्कर	रेलवे पार्श्वस्थल	अन्य खनन अवसंरचना / विकास	सौर परियोजना	अन्य	कुल
सकल वहनीय राशि :							
01-04-2022 को यथा	72.14	60.34	115.68	161.62	-	15.16	**424.94**
परिवर्धन	70.58	262.35	72.39	106.33	-	1.22	**512.87**
पूँजीकरण / अपमार्जन	(60.26)	(99.06)	(18.47)	(169.58)	-	(15.26)	**(362.63)**
31-03-2023 को यथा	**82.46**	**223.63**	**169.60**	**98.37**	**-**	**1.12**	**575.18**
01-04-2023 को यथा	82.46	223.63	169.60	98.37	-	1.12	**575.18**
परिवर्धन	72.20	315.22	77.32	114.84	18.24	18.36	**616.18**
पूँजीकरण / अपमार्जन	(90.04)	(151.26)	(26.83)	(91.91)	-	(14.78)	**(374.82)**
31-03-2024 को यथा	**64.62**	**387.59**	**220.09**	**121.30**	**18.24**	**4.70**	**816.54**
संचित क्षति							
01-04-2022 को यथा	0.52	2.54	-	21.29	-	0.08	**24.43**
वर्ष के लिए प्रभार	-	0.32	-	1.47	-	-	**1.79**
अपमार्जन / समायोजन	-	-	-	(7.62)	-	-	**(7.62)**
31-03-2023 को यथा	**0.52**	**2.86**	**-**	**15.14**	**-**	**0.08**	**18.60**
01-04-2023 को यथा	0.52	2.86	-	15.14	-	0.08	**18.60**
वर्ष के लिए प्रभार	0.44	-	-	0.83	-	-	**1.27**
अपमार्जन / समायोजन	-	0.13	-	(2.02)	-	-	**(1.89)**
31-03-2024 को यथा	**0.96**	**2.99**	**-**	**13.95**	**-**	**0.08**	**17.98**
निवल वहनीय राशि							
31-03-2024 को यथा	**63.66**	**384.60**	**220.09**	**107.35**	**18.24**	**4.62**	**798.56**
31-03-2023 को यथा	**81.94**	**220.77**	**169.60**	**83.23**	**-**	**1.04**	**556.58**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

3.2.1 पूँजीगत चालू कार्य (सकल) का काल-प्रभावन अधिसूची

(₹ करोड़ में)

	31-03-2024 को यथा पूँजीगत चालू कार्य में राशि				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
परियोजनाएँ प्रगति पर:					
भवन (जलापूर्ति, सड़क एवं नाला सहित)	39.64	3.44	11.78	9.10	**63.96**
संयंत्र एवं उपस्कर	134.38	130.70	115.44	7.07	**387.59**
रेलवे पार्श्वस्थल	115.86	59.81	25.04	19.38	**220.09**
अन्य खनन अवसंरचना/ विकास	59.36	21.17	14.67	23.97	**119.17**
सौर परियोजना	18.24				**18.24**
अन्य	4.24	0.17	-	0.29	**4.70**
कुल (क)	**371.72**	**215.29**	**166.93**	**59.81**	**813.75**
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ :					
भवन (जलापूर्ति, सड़क एवं नाला)					
मंदारबोनी कोलियरी के फुटबॉल मैदन के चारों ओर चाहरदीवारी	-	-	0.11		**0.11**
पाण्डवेश्वर क्षेत्र के अधीन डालुरबांध में पहुँच आरसीसी सड़क का निर्माण	-	-	-	0.10	**0.10**
सलानपुर कॉम्पेक्स में चाहरदीवारी का निर्माण				0.45	**0.45**
अन्य खनन अवसंरचना/ विकास					
पाण्डवेश्वर क्षेत्र के अधीन पाण्डवेश्वर भूमिगत खान में वापसी सड़क मार्ग के साथ रूफ बोल्टिंग	-	-	-	0.02	**0.02**
खोट्टाडीह भूमिगत खान में सेक्शनल टॉप्पिंग का निर्माण				0.01	**0.01**
सोनपुर बजारी क्षेत्र में 25 मेगावोल्ट प्रति एंपीयर उपकेन्द्र के समीप 5 नम्बर 6.6 किलो वोल्ट फीडर स्थान से परित्यक्त 4 मेगावोल्ट प्रति एंपीयर उपकेन्द्र के जरिए खान घेरा के साथ बांधबोहल ग्राम के समीप एवं शंकरपुर डम्प तक एवं 01 नम्बर 25 मेगावोल्ट प्रति एंपीयर उपकेन्द्र से पथांतरित राष्ट्रीय मार्ग-60 के साथ सेक्टर 3 तक का स्थानांतरण				2.10	**2.10**
कुल (ख)	**-**	**-**	**0.11**	**2.68**	**2.79**
कुल जोड़ (क + ख)	**371.72**	**215.29**	**167.04**	**62.49**	**816.54**

	31-03-2023 को यथा पूँजीगत चालू कार्य में राशि				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
परियोजनाएँ प्रगति पर:					
भवन (जलापूर्ति, सड़क एवं नाला सहित)	45.45	15.10	5.20	16.50	**82.25**
संयंत्र एवं उपस्कर	137.43	73.42	5.72	7.06	**223.63**
रेलवे पार्श्वस्थल	65.94	61.04	4.88	37.74	**169.60**
अन्य खनन अवसंरचना/ विकास	33.51	31.99	8.47	22.27	**96.24**
सौर परियोजना					**-**
अन्य	0.44	0.36	-	0.32	**1.12**
कुल (क)	**282.77**	**181.91**	**24.27**	**83.89**	**572.84**
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ :					
भवन (जलापूर्ति, सड़क एवं नाला सहित)					
मंदारबोनी कोलियरी के फुटबॉल मैदन के चारों ओर चाहरदीवारी		0.11			**0.11**
पाण्डवेश्वर क्षेत्र के अधीन डालुरबांध में पहुँच आरसीसी सड़क का निर्माण				0.10	**0.10**
अन्य खनन अवसंरचना/ विकास					
पाण्डवेश्वर क्षेत्र के अधीन पाण्डवेश्वर भूमिगत खान में वापसी सड़क मार्ग के साथ रूफ बोल्टिंग				0.02	**0.02**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023 को यथा पूँजीगत चालू कार्य में राशि				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
खोट्टाडीह भूमिगत खान में सेक्शनल टॉप्पिंग का निर्माण				0.01	**0.01**
सोनपुर बजारी क्षेत्र में 25 मेगावोल्ट प्रति एंपीयर उपकेन्द्र के समीप 5 नम्बर 6.6 किलो वोल्ट फीडर स्थान से परित्यक्त 4 मेगावोल्ट प्रति एंपीयर उपकेन्द्र के जरिए खान घेरा के साथ बांधबोहल ग्राम के समीप एवं शंकरपुर डम्प तक एवं 01 नम्बर 25 मेगावोल्ट प्रति एंपीयर उपकेन्द्र से पथांतरित राष्ट्रीय मार्ग-60 के साथ सेक्टर 3 तक का स्थानांतरण				2.10	**2.10**
कुल (ख)	**-**	**0.11**	**-**	**2.23**	**2.34**
कुल जोड़ (क + ख)	**282.77**	**182.02**	**24.27**	**86.12**	**575.18**

3.2.2 31-03-2024 को यथा तात्त्विक पूँजीगत चालू कार्य (सकल) के लिए बकाया :

	में पूर्ण किया जाना है				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
परियोजनाएँ प्रगति पर:					
भवन (जलापूर्ति, सड़क एवं नाला सहित)					
झांझरा परियोजना में लॉन्गवाल कर्मशाला निर्माण	5.35				**5.35**
संयंत्र एवं उपस्कर :					
झांझरा परियोजना में सीएचपी का निर्माण	107.38				**107.38**
रेलवे पार्श्वस्थल :					
झांझरा में नूतन रेलवे पार्श्वस्थल का निर्माण	108.19				**108.19**
अन्य खनन अवसंरचना :					
3 & 5 इंक्लाइन का निर्माण	3.58				**3.58**
					-
	-	-	-	-	**-**
कुल	**224.50**	**-**	**-**	**-**	**224.50**

31-03-2023को यथा तात्त्विक पूँजीगत चालू कार्य (सकल) के लिए बकाया :

	में पूर्ण किया जाना है				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
परियोजनाएँ प्रगति पर:					
भवन (जलापूर्ति, सड़क एवं नाला सहित)					
झांझरा परियोजना में लॉन्गवाल कर्मशाला निर्माण	5.35				**5.35**
संयंत्र एवं उपस्कर :					
झांझरा परियोजना में सीएचपी का निर्माण	65.32				**65.32**
रेलवे पार्श्वस्थल :					
कुनुस्तोड़िया क्षेत्र के बांसड़ा रेलवे पार्श्वस्थल में रेलवे पार्श्वस्थल का निर्माण					**-**
झांझरा में नूतन रेलवे पार्श्वस्थल का निर्माण	76.79				**76.79**
अन्य खनन अवसंरचना :					
झांझरा परियोजना में अपवहन सुरंग मार्ग	4.08				**4.08**
					-
	-	-	-	-	**-**
कुल	**151.54**	**-**	**-**	**-**	**151.54**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी 3.3 : अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत
सकल वहनीय राशि :	
01-04-2022 को यथा	684.40
परिवर्धन	29.31
पूँजीगत चालू कार्य में अंतरण/ अपमार्जन / समायोजन	-
31-03-2023 को यथा	**713.71**
01-04-2023 को यथा	713.71
परिवर्धन	41.64
पूँजीगत चालू कार्य में अंतरण/ अपमार्जन / समायोजन	8.68
31-03-2024 को यथा	**764.03**
संचित क्षति	
01-04-2022 को यथा	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
अपमार्जन / समायोजन	-
31-03-2023 को यथा	**-**
01-04-2023 को यथा	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
अपमार्जन / समायोजन	-
31-03-2024 को यथा	**-**
निवल वहनीय राशि	
31-03-2024 को यथा	**764.03**
31-03-2023 को यथा	**713.71**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणियाँ 3.3 : अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ

3.3.1 अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियों (सकल) के लिए काल-प्रभावन अधिसूची (₹ करोड़ में)

	31-03-2024 को यथा अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियों में राशि				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ परियोजनाएँ प्रगति पर हैं	67.13	39.62	5.83	651.45	**764.03**
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ :	-	-	-	-	**-**
कुल	**67.13**	**39.62**	**5.83**	**651.45**	**764.03**

	31-03-2023 को यथा अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियों में राशि				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ परियोजनाएँ प्रगति पर हैं	29.31	28.94	16.61	638.85	**713.71**
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ :	-	-	-	-	**-**
कुल	**29.31**	**28.94**	**16.61**	**638.85**	**713.71**

3.3.2 31-03-2024 को यथा तात्त्विक अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ (सकल) बकाया:

	में पूर्ण किया जाना है				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ परियोजनाएँ प्रगति पर हैं	-	-	-	-	**-**
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

31-03-2023 को यथा तात्त्विक अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ (सकल) बकाया:

	में पूर्ण किया जाना है				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ परियोजनाएँ प्रगति पर हैं:	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी 3.4 : अमूर्त आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अन्य	कुल
सकल वहनीय राशि :			
01-04-2022 को यथा	3.61	-	**3.61**
परिवर्धन	17.12	-	**17.12**
अपमार्जन / समायोजन	-	-	**-**
31-03-2023 को यथा	**20.73**	**-**	**20.73**
01-04-2023 को यथा	20.73	-	**20.73**
परिवर्धन	0.93	-	**0.93**
अपमार्जन / समायोजन	(0.05)	-	**(0.05)**
31-03-2024 को यथा	**21.61**	**-**	**21.61**
संचित परिशोधन एवं क्षति [3.4.1]			
01-04-2022 को यथा	1.53	-	**1.53**
वर्ष के लिए प्रभार	3.84	-	**3.84**
अपमार्जन / समायोजन	-	-	**-**
31-03-2023 को यथा	**5.37**	**-**	**5.37**
01-04-2023 को यथा	5.37	-	**5.37**
वर्ष के लिए प्रभार	3.84	-	**3.84**
अपमार्जन / समायोजन	-	-	**-**
31-03-2024 को यथा	**9.21**	**-**	**9.21**
निवल वहनीय राशि			
31-03-2024 को यथा	**12.40**	**-**	**12.40**
31-03-2023 को यथा	**15.36**	**-**	**15.36**
3.4.1. संचित क्षति में संचलन			
01-04-2022 को यथा	-	-	**-**
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	**-**
अपमार्जन / समायोजन	-	-	**-**
31-03-2023 को यथा	**-**	**-**	**-**
01-04-2023 को यथा	-	-	**-**
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	**-**
अपमार्जन / समायोजन	-	-	**-**
31-03-2024 को यथा	**-**	**-**	**-**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी 3.5 : विकासाधीन अमूर्त आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	विकासाधीन ईआरपी
सकल वहनीय राशि:	
01-04-2022 को यथा	9.16
परिवर्धन	7.62
पूँजीकरण / अपमार्जन	(16.78)
31-03-2023 को यथा	**-**
01-04-2023 को यथा	**-**
परिवर्धन	-
पूँजीकरण / अपमार्जन	**-**
31-03-2024 को यथा	**-**
संचित क्षति	
01-04-2022 को यथा	**-**
वर्ष के लिए प्रभार	**-**
अपमार्जन / समायोजन	**-**
31-03-2023 को यथा	**-**
01-04-2023 को यथा	**-**
वर्ष के लिए प्रभार	**-**
अपमार्जन / समायोजन	**-**
31-03-2024 को यथा	**-**
निवल वहनीय राशि	
31-03-2024 को यथा	-
31-03-2023 को यथा	-

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

3.5.1 विकासाधीन अमूर्त आस्तियों के लिए काल-प्रभावन अधिसूची

(₹ करोड़ में)

	31-03-2024 को यथा विकासाधीन अमूर्त आस्तियों में राशि				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
प्रगति में विकास परियोजनाओं के अधीन ईआरपी	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ :	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

	31-03-2023 को यथा विकासाधीन अमूर्त आस्तियों में राशि				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
प्रगति में विकास परियोजनाओं के अधीन ईआरपी	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ :	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

3.5.2 31-03-2024 को यथा विकासाधीन तात्त्विक अमूर्त आस्तियाँ बकाया (सकल):

	में पूर्ण किया जाना है				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
प्रगति में विकास परियोजनाओं के अधीन ईआरपी	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

31-03-2023 को यथा विकासाधीन तात्त्विक अमूर्त आस्तियाँ बकाया (सकल):

	में पूर्ण किया जाना है				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
प्रगति में विकास परियोजनाओं के अधीन ईआरपी	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 4.1 : निवेश **(₹ करोड़ में)**

	चालू वर्ष/(पूर्व वर्ष) शेयरों की संख्या	₹ में अंकित मूल्य प्रति शेयर चालू वर्ष/(पूर्व वर्ष)	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2023
अप्रचलित				
सहकारी शेयरों में निवेश (अउद्धृत)				
i) कोल माइन्स ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि. में "बी" वर्गीय शेयर	500 (500)	1000 (1000)	0.05	0.05
ii) डिसेरगढ़ कोलियरी वर्क्स सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव स्टोर लि. में 1000 "डी" वर्गीय शेयर	1000 (1000)	100 (100)	0.01	0.01
iii) मुगमा कोलफील्ड्स कोलियरी वर्क्स सेंट्रल को-ऑपरेटिव स्टोर लि. में 4000 शेयर	4000 (4000)	25 (25)	0.01	0.01
iv) सोदपुर कोलियरी इंप्लॉइईज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि. में "बी" वर्गीय शेयर	500 (500)	100 (100)	0.005	0.005
v) धेमोमेन कोलियरी इंप्लॉइईज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि. में "बी" वर्गीय शेयर	500 (500)	100 (100)	0.005	0.005
कुल			**0.08**	**0.08**
चालू				
पारस्परिक निधि निवेश				
यूटीआई पारस्परिक निधि			-	-
एलआईसी पारस्परिक निधि			-	-
एसबीआई पारस्परिक निधि			-	-
केनरा रोबेको पारस्परिक निधि			-	-
यूनियन केबीसी पारस्परिक निधि			-	-
बीओआई एक्सा पारस्परिक निधि			-	-
कुल			**-**	**-**

4.1.1 उद्धृत / अउद्धृत निवेश का बाजार मूल्य का ब्यौरे

	अप्रचलित		चालू	
	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2023	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2023
अउद्धृत निवेशों का सकल राशि			-	-
उद्धृत निवेशों का सकल राशि	0.08	0.08	-	-
उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य			-	-
निवेशों के मूल्य में क्षति का सकल राशि			-	-

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 4.2 : ऋण **(₹ करोड़ में)**

	को यथा 31-03-2024		को यथा 31-03-2023	
अप्रचलित				
संबद्ध पक्षकारों को ऋण				
प्रतिभूत, समझी गई माल	-		-	
प्रतिभूत रहित, समझी गई माल	-		-	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
क्षत साख	-		-	
	-		-	
न्यून : संदिग्ध ऋणों के लिए छूट[4.2.1]	-	-	-	-
संबद्ध पक्षकारों से भिन्न को ऋण				
निगमित निकाय एवं कर्मियों को ऋण				
प्रतिभूत, समझी गई माल	-		-	
प्रतिभूत रहित, समझी गई माल	0.02		0.05	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
क्षत साख	-		-	
	0.02		0.05	
न्यून : संदिग्ध ऋणों के लिए छूट[4.2.1]	-	0.02	-	0.05
कुल		**0.02**		**0.05**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 4.2 : ऋण

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2024		को यथा 31-03-2023	
चालू				
संबद्ध पक्षकारों को ऋण				
प्रतिभूत, समझी गई माल	-		-	
प्रतिभूत रहित, समझी गई माल	-		-	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
क्षत साख	-		-	
	-		-	
न्यून : संदिग्ध ऋणों के लिए छूट[4.2.1]	-	-	-	-
संबद्ध पक्षकारों से भिन्न को ऋण				
निगमित निकाय एवं कर्मियों को ऋण				
प्रतिभूत, समझी गई माल	-		-	
प्रतिभूत रहित, समझी गई माल	-		-	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
क्षत साख	-		-	
	-		-	
न्यून : संदिग्ध ऋणों के लिए छूट[4.2.1]	-	-	-	-
कुल		-		-

4.2.1 संदिग्ध ऋण शेष के लिए छूट में संचलन के ब्यौरे (चालू एवं अप्रचलित):

वर्ष के आरंभ में शेष	-	-
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
वर्षांत शेष	-	-

4.2.2 संबद्ध पक्षकारों को ऋण हेतु - टिप्पणी 16(5)(ग)(vi) में संदर्भित

4.2.3 निदेशकगणों से देय राशियों के लिए – टिप्पणी 16(5)(ग)(v)

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 4.3 : व्यवसाय प्राप्य **(₹ करोड़ में)**

	को यथा 31-03-2024		को यथा 31-03-2023	
चालू				
व्यवसाय प्राप्य				
प्रतिभूत, समझे गए माल	-		-	
प्रतिभूत रहित, समझे गए माल	1,892.15		1,564.50	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
क्षत साख	496.07		365.84	
	2,388.22		1,930.34	
न्यून : प्रत्याशित साख हानियों के लिए छूट[4.3.1]	496.07	1,892.15	365.84	1,564.50
कुल		**1,892.15**		**1,564.50**

टिप्पणियाँ :

4.3.1 कंपनी ने व्यापार प्राप्तियों के साख हानि के लिए छूट निर्धारित करने में प्रावधान आव्यूह के आधार पर प्रत्याशित साख हानि छूट की संगणना करके व्यावहारिक समीचीन का उपयोग किया है। प्रावधान आव्यूह ऐतिहासिक साख हानि अनुभव और दूरंदेशी जानकारी को ध्यान में रखता है। प्रत्याशित साख हानि छूट देय प्राप्तियों का काल-प्रभावन बढ़ने और प्रावधान आव्यूह में उपयोग की जाने वाली दरों पर आधारित है।

प्रत्याशित साख हानि के लिए छूट में संचलन के ब्यौरे : -	को यथा 31-03-2024		को यथा 31-03-2023	
वर्ष के आरंभ में शेष		365.84		363.39
वर्ष के दौरान निर्धारित		132.28		4.05
वर्ष के दौरान प्रतिलेखन		2.05		1.60
वर्ष के अंत में शेष		**496.07**		**365.84**
4.3.2 निदेशकों से देयों के लिए -टिप्पणी 16(5)(ग)(v) में संदर्भित				

4.3.3 31-03-2024 को यथा व्यवसाय प्राप्य काल-प्रभावन अधिसूची: **(₹ करोड़ में)**

विशिष्टियाँ	बिल-अनिर्दिष्ट देय	लेनदेन तिथि से निम्न अवधि के लिए बकाया					कुल
		6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों सं अधिक	
i. निर्विवादित व्यवसाय प्राप्य – समझे गए माल	747.75	680.41	-	5.68	36.23	364.08	**1,834.15**
ii. निर्विवादित व्यवसाय प्राप्य – जिससे साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हो।	-	-	-	-	-	-	**-**
iii. निर्विवादित व्यवसाय प्राप्य – क्षत साख	-	-	-	-	-	1.52	**1.52**
iv. विवादित व्यवसाय प्राप्य – समझे गए माल	-	-	-	5.97	28.70	23.32	**57.99**
v. विवादित व्यवसाय प्राप्य – जिससे साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हो।	-	-	-	-	-	-	**-**
vi. विवादित व्यवसाय प्राप्य – क्षत साख	-	-	-	0.30	0.07	494.19	**494.56**
कुल	**747.75**	**680.41**	**-**	**11.95**	**65.00**	**883.11**	**2,388.22**
प्रत्याशित साख हानियों के लिए छूट	-	-	-	0.30	0.07	495.70	**496.07**
प्रत्याशित साख हानियाँ (हानि छूट प्रावधान) - %				2.51%	0.11%	56.13%	20.77%

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

31-03-2023 को यथा व्यवसाय प्राप्य काल-प्रभावन अधिसूची:

₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	बिल-अनिर्दिष्ट देय	लेनदेन तिथि से निम्न अवधि के लिए बकाया					कुल
		6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों सं अधिक	
i. निर्विवादित व्यवसाय प्राप्य – समझे गए माल	110.71	586.14	83.39	68.11	212.72	326.84	**1,387.91**
ii. निर्विवादित व्यवसाय प्राप्य – जिससे साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हो।	-	-	-	-	-	-	**-**
iii. निर्विवादित व्यवसाय प्राप्य – क्षत साख	-	-	-	-	-	1.52	**1.52**
iv. विवादित व्यवसाय प्राप्य – समझे गए माल	-	-	-	-	50.50	126.09	**176.59**
v. विवादित व्यवसाय प्राप्य – जिससे साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हो।	-	-	-	-	-	-	**-**
vi. विवादित व्यवसाय प्राप्य – क्षत साख	-	-	0.13	0.43	0.60	363.16	**364.32**
कुल	**110.71**	**586.14**	**83.52**	**68.54**	**263.82**	**817.61**	**1,930.34**
प्रत्याशित साख हानियों के लिए छूट		-	0.13	0.43	0.60	364.68	**365.84**
प्रत्याशित साख हानियाँ (हानि छूट प्रावधान) - %		-	0.16%	0.63%	0.23%	44.60%	18.95%

4.3.4 उपर्युक्त व्यवसाय प्राप्य कोयला गुणवत्ता अंतर का निवल है। ब्यौरे यथा निम्नवत है :

	समाप्त वर्ष के लिए	समाप्त वर्ष के लिए
	31-03-2024	**31-03-2023**
कोयला गुणवत्ता अंतर का आरंभिक शेष	(110.71)	(35.98)
वर्ष के दौरान परिवर्धन	91.21	66.24
वर्ष के दौरान व्युत्क्रमण	104.08	140.97
कोयला गुणवत्ता अंतर का अंतिम शेष	**(123.58)**	**(110.71)**

कोष्ठक में के आँकड़े व्यवसाय में वृद्धि के परिणामस्वरूप अंतर का ध्योतक है।

4.3.5 प्रत्याशित साख हानि मॉडल पर व्यवसाय प्राप्य के लिए छूट किया गया है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 4.4 : नकदी एवं नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2023
बैंकों के पास शेषराशियाँ		
i. जमा खाता में	8.25	7.99
ii. चालू खाता में	77.02	507.05
भारत के बाहर बैंक अतिशेष	-	-
हाथ में चेक, ड्रॉफ्ट एवं स्टॉम्प	-	-
नकदी रुपया	-	-
भारत के बाहर नकदी रुपया	-	-
अन्य[4.4.1]	33.85	17.07
कुल नकदी एवं नकदी समतुल्य	**119.12**	**532.11**

4.4.1 अन्य में ई-अधिप्राप्ति खाता, जेम खाता, अग्रदाय शेषराशियाँ सम्मिलित हैं।

4.4.2 नकदी और नकदी समतुल्य में हाथ और बैंक में नकदी, स्वीप खाते और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता अवधि वाले बैंकों के पास सावधि जमा समाविष्ट हैं।

टिप्पणी - 4.5 : अन्य बैंक अतिशेष

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2023
बैंकों के पास शेषराशियाँ :		
जमा खाता	1,755.61	3,400.59
जमा खाता (विशिष्ट प्रयोजनार्थ[4.5.1])	43.04	38.76
खान संवरण योजना	-	-
चालू परियोजनाओं के लिए सीएसआर निधि	-	
विस्थापन एवं पुनर्वासन निधि योजना	-	-
शेयरों की चुकौती के लिए निलंब खाता	-	-
अप्रदत्त लाभांश खाता	-	-
लाभांश खाता	-	-
कुल	**1,798.65**	**3,439.35**

टिप्पणी :

4.5.1 विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमा बैंक जमाराशियां ग्रहणाधिकार के तहत धारित या न्यायालय के आदेश के अनुसार और अन्य विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्धारित की जाती हैं।

4.5.2 अन्य बैंक शेष में विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमा और बैंक जमा सम्मिलित होते हैं जिन्हें प्रतिवेदिति तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर नकद में प्राप्त होने की प्रत्याशा है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 4.6 : अन्य वित्तीय आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2024		को यथा 31-03-2023	
अप्रचलित				
प्रतिभूति जमाराशियाँ[4.6.2]	26.18		23.77	
न्यून : संदिग्ध प्रतिभूति जमाराशियों के लिए छूट[4.6.1]	21.20	4.98	21.20	2.57
12 माह से अधिक परिपक्वता के साथ बैंक जमाराशियाँ[4.6.4]		76.61		72.73
खान संवरण योजना के अधीन बैंक में जमाराशियाँ[4.6.3]		1,023.13		870.59
विस्थापन एवं पुनर्वासन निधि योजना के अधीन बैंक में जमाराशियाँ		-		-
अन्य जमाराशियाँ एवं प्राप्य	-		-	
न्यून : संदिग्ध जमाराशियों एवं प्राप्य के लिए छूट[4.6.1]	-	-	-	-
कुल		**1,104.72**		**945.89**
चालू				
प्रतिभूति जमाराशियाँ	-		-	
न्यून : संदिग्ध प्रतिभूति जमाराशियों के लिए छूट[4.6.1]	-	-	-	-
कोल इंडिया लिमिटेड के साथ चालू खाता शेष		-		-
आईआईसीएम के पास शेष		-		
उपचित ब्याज		131.49		123.01
अन्य जमाराशियाँ एवं प्राप्य	21.69		20.66	
न्यून : संदिग्ध जमाराशियों एवं प्राप्य के लिए छूट[4.6.1]	8.15	13.54	5.97	14.69
कुल		**145.03**		**137.70**
4.6.1 संदिग्ध जमाराशियों एवं प्राप्यों (चालू एवं अप्रचलित) के लिए छूट में संचलन के ब्यौरे				
वर्ष के आरंभ में शेष राशियाँ		27.17		27.17
वर्ष के दौरान निर्धारित		2.18		-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त		-		-
वर्ष के अंत में शेष राशियाँ		29.35		27.17

4.6.2. प्रतिभूति जमाराशियाँ पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्य विद्युत शुल्क यथा ₹20.86 करोड़ (₹20.86 करोड़) की वापसी को सम्मिलित करता है।

4.6.3. निलंब खाता शेष का समाधान:

	को यथा 31-03-2024		को यथा 31-03-2023	
आरंभिक तिथि पर निलंब खाता में शेष	870.59		764.53	
जोड़ : चालू वर्ष के दौरान जमाशेष	85.44		68.71	
जोड़ : वर्ष के दौरान जमा ब्याज	67.10		37.35	
न्यून : वर्ष के दौरान निकासी राशि	-		-	
लेखाबंदी तिथि पर निलंब खाता में शेष	**1,023.13**		**870.59**	

4.6.4 ग्रहणाधिकार के तहत धारित/न्यायालय के आदेश के अनुसार और अन्य विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्धारित बैंक जमाराशियों का प्रतिनिधित्व करता है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 5.1 : वस्तुसूचियाँ

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2024		को यथा 31-03-2023	
कोयला (तैयार माल)	809.69		315.19	
विकास परियोजनाओं में कोयला	-		-	
न्यून : मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान[5.1.1]	1.60		1.43	
		808.09		313.76
भण्डारों, पुर्जे एवं अन्य वस्तुसूचियाँ [5.1.3]	360.89		293.36	
न्यून : कलापेक्षी, अचल और बेकार वस्तुसूचियों के लिए प्रावधान [5.1.2]	47.93		44.25	
		312.96		249.11
कुल		**1,121.05**		**562.87**

5.1.1 मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान के संचलन के ब्यौरे

	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2023
वर्ष के आरंभ में शेष राशियाँ	1.43	1.37
वर्ष के दौरान निर्धारित	0.17	0.06
वर्ष के दौरान अनिर्धारित		
वर्ष के अंतिम में शेष राशियाँ	1.60	1.43

5.1.2 भण्डारों एवं पुर्जों की वस्तुसूची में ऐसे आइटम सम्मिलित हैं जो कलाक्षेपी, अचल एवं बेकार की श्रेणियों में आते हैं। कंपनी की नीति के अनुसार इन वस्तुओं के लिए क्षत छूटे निर्धारित की जाती है।

कलाक्षेपी, अचल एवं बेकार भण्डारों, पुर्जों एवं अन्य वस्तुसूचियों के लिए क्षत छूटों में संचलन के ब्यौरे :

	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2023
वर्ष के आरंभ में शेष राशियाँ	44.25	54.37
वर्ष के दौरान निर्धारित	3.73	
वर्ष के दौरान अनिर्धारित	0.05	10.12
वर्ष के अंतिम में शेष राशियाँ	47.93	44.25
5.1.3 उपर्युक्त अन्य वस्तुसूचियों में कर्मशाला जाब्स, स्टेशनरी, औषधि, प्रेस जाब्स आदि के स्टॉक सम्मिलित है।		

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए बही स्टॉक के साथ लेखा में अंगीकृत कोयले का लेखाबंदी स्टॉक का समाधान

टिप्पणी 5.1 को उपाबंध

बही स्टॉक एवं मापित स्टॉक का समाधान

	समग्र स्टॉक		(लाख टन में परिमाण) (मूल्य ₹ करोड़ में)			
			अविक्रेय स्टॉक		विक्रेय स्टॉक	
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
1. 01.04.2023 को यथा आरंभिक स्टॉक	21.47	315.19	-	-	21.47	315.19
जोड़/(न्यून) : आरंभिक स्टॉक में समायोजन	-	-	-	-	-	-
01.04.2023 को यथा समायोजित आरंभिक स्टॉक	**21.47**	**315.19**	**-**	**-**	**21.47**	**315.19**
2. वर्ष के लिए उत्पादन	475.60		-		475.60	
3. अंशसमष्टि (1 + 2)	**497.07**	**315.19**	**-**	**-**	**497.07**	**315.19**
4. वर्ष के लिए कुल कारबार						
क. बाह्य प्रेषण	435.99	13,891.88	-	-	435.99	13,891.88
ख. वासरी को कोयला संभरण	-	-	-	-	-	-
ग. स्व खपत	1.46	46.93	-	-	1.46	46.93
कुल	**437.45**	**13,938.81**	**-**	**-**	**437.45**	**13,938.81**
5. व्युत्पन्न स्टॉक	59.62	809.69	-	-	59.62	809.69
6. मापित स्टॉक	58.44	793.17	-	-	58.44	793.17
7. भिन्नता (5-6)	1.18	16.52	-	-	1.18	16.52
8. भिन्नता का विश्लेषित आँकड़े						
अ. 5% के अंदर अतिरिक्त	0.02	0.16	-	-	0.02	0.16
आ. 5% के अंदर कमी	1.20	16.68	-	-	1.20	16.68
इ. 5% से अधिक अतिरिक्त	-	-	-	-	-	-
ई. 5% से अधिक कमी	-	-	-	-	-	-
9. लेखा में अंगीकृत लेखाबंदी स्टॉक [6 – 8अ + 8आ]	**59.62**	**809.69**	**-**	**-**	**59.62**	**809.69**

कोयले का लेखाबंदी स्टॉक की सार

	कच्चा कोयला				प्रक्षाल कोयला				अन्य उत्पाद		कुल	
	कोककर		अकोककर		कोककर		अकोककर					
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
आरंभिक स्टॉक (लेखापरीक्षित)	-	-	21.47	315.19	-	-	-	-	-	-	21.47	315.19
न्यून : अविक्रेय कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजित आरंभिक स्टॉक (विक्रेय)	-	-	21.47	315.19	-	-	-	-	-	-	21.47	315.19
उत्पादन	**-**	**-**	**475.60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**475.60**	**-**
कुल कारबार												
अ. बाह्य प्रेषण	-	-	435.99	13,891.88	-	-	-	-	-	-	435.99	13,891.88
आ. वासरी को कोयला संभारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इ. स्व खपत	-	-	1.46	46.93	-	-	-	-	-	-	1.46	46.93
लेखाबंदी स्टॉक	-	-	59.62	809.69	-	-	-	-	-	-	59.62	809.69
न्यून : कमी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2024 को यथा लेखाबंदी स्टॉक	**-**	**-**	**59.62**	**809.69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.62**	**809.69**
न्यून : कोयले का लेखाबंदी सटॉक के विरूद्ध प्रावधान	**-**	**-**	**-**	1.60	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	1.60
31-03-2024 को यथा लेखाबंदी स्टॉक	**-**	**-**	**59.62**	**808.09**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.62**	**808.09**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी 6.1 : अन्य अप्रचलित आस्तियाँ (₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2024		को यथा 31-03-2023	
i. पूँजीगत अग्रिम	251.61		274.63	
न्यून : संदिग्ध अग्रिमों के लिए छूट[6.1.1]	1.48	250.13	1.48	273.15
ii. पूँजीगत अग्रिमों से भिन्न अग्रिम				
अ. अन्य जमाराशियाँ एवं अग्रिम6.1.3	43.25		43.51	
न्यून : संदिग्ध जमाराशियों के लिए छूट6.1.1	1.52	41.73	1.52	41.99
iii. उपगत प्रगामी खान संवरण व्यय6.1.2		977.82		798.15
iv. संबद्ध पक्षकारों को अग्रिम				
कुल		**1,269.68**		**1,113.29**
6.1.1 अशोध्य और संदिग्ध जमाराशियों व अग्रिमों के लिए छूटों में संचलन के ब्यौरे :				
वर्ष के आरंभ में शेष राशियाँ		3.00		3.00
वर्ष के दौरान निर्धारित		-		-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त		-		-
वर्ष के अंत में शेष राशियाँ		3.00		3.00

6.1.2 उपर्युक्त खान संवरण योजना की विनिर्मिति के लिए भारत सरकार कोयला मंत्रालय से प्राप्त दिशानिर्देशानुसार निर्धारित समवर्ती व्यय को दर्शाता है।

6.1.3 उपयोगिता के लिए प्रतिभूति जमाराशि के.औ.सु.ब. स्कंध की शक्ति में संवर्धन के निहितार्थ प्रतिभूति जमाराशि के प्रति आंतरिक मामलात मंत्रालय को जमा किए गए ₹2.21 करोड़ (₹2.21 करोड़) अंतर्गत है।

टिप्पणी -6.2 : अन्य चालू आस्तियाँ (₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2024		को यथा 31-03-2023	
पूँजीगत अग्रिमों से इतर अग्रिमे				
सांविधिक देय का अग्रिम संदाय	175.47		122.38	
न्यून : संदिग्ध सांविधिक देयों के लिए छूट[6.2.1]	0.04	175.43	-	122.38
अन्य जमाराशियों एवं अग्रिम[6.2.2]	1,276.78		1,339.99	
न्यून : संदिग्ध अन्य जमाराशियों एवं अग्रिम के लिए छूट[6.2.1]	3.62	1,273.16	1.93	1,338.06
उपगत प्रगामी खान संवरण व्यय		42.76		42.19
आगत कर साख प्राप्य[6.2.3]		526.14		408.22
कुल		**2,017.49**		**1,910.85**
6.2.1 संदिग्ध सांविधिक देयों एवं जमाराशियों व अग्रिमों के लिए छूट में संचलन के ब्यौरे				
वर्ष के आरंभ में शेष राशियाँ		1.93		1.93
वर्ष के दौरान निर्धारित		1.73		-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त		-		-
वर्ष के अंत में शेष राशियाँ		3.66		1.93

6.2.2 इसमें विरोध के तहत जमाराशियाँ तथा आयकर ₹824.91 करोड़, विक्रय कर ₹26.47 करोड़, उत्पाद शुल्क ₹56.07 करोड़, सीमा शुल्क ₹37.29 करोड़ एवं सीयूएफ प्रभार ₹3.08 करोड़ की वापसी अभी प्राप्य योग्य है सम्मिलित है।

6.2.3 ₹526.14 करोड़ (₹408.22 करोड़) की राशि इनपुट सामग्री/सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी से संबंधित आगत कर साख का प्रतिनिधित्व करती है जिसका उपयोग आउटपुट पर जीएसटी के खिलाफ किया जा सकता है। यह संचय मुख्य रूप से झारखंड राज्य में परिवर्तनीय कर ढांचे के कारण हुआ है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 7.1 : साम्या शेयर पूँजी

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2023
प्राधिकृत		
460000000 साम्या शेयर (460000000 साम्या शेयर) प्रत्येक ₹ 1000/-	4,600.00	4,600.00
	4,600.00	**4,600.00**
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
₹1000/- के 10390000 साम्या शेयर (10390000 साम्या शेयर) प्रत्येक का पूरी तरह से नकद भुगतान	1,039.00	1,039.00
₹1000/- के 32304200 साम्या शेयर (32304200 साम्या शेयर) प्रत्येक को नकद के अतिरिक्त प्राप्त प्रतिफल के लिए पूरी तरह से भुगतान के रूप में आवंटित किया गया है	3,230.42	3,230.42
	4,269.42	**4,269.42**

7.1.1 5% से अधिक शेयर धारित करने वाले प्रत्येक शेयरधारक के पास कंपनी के शेयर

शेयरधारकों का नाम	धारित शेयरों की संख्या (₹1000 प्रति के उचित मूल्य)	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन %
कोल इंडिया लिमिटेड – नियंत्रक कंपनी (साम्या शेयर)	4,26,94,200	100%	0.00%
	(4,26,94,200)	(100%)	

7.1.2 संप्रवर्तकों की शेयरधारिता :

संप्रवर्तक का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	'वर्ष के दौरान % परिवर्तन
1. कोल इंडिया लिमिटेड	4,26,94,200	100%	0.00%
	(4,26,94,200)	(100%)	

7.1.3 31-03-2024 को यथा बकाया साम्या शेयरों का समाधान

	शेयरों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
01-04-2023 को यथा आरंभिक शेष	4,26,94,200	4,269.42
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
31-03-2024 को यथा लेखाबंदी शेष	4,26,94,200	4,269.42

31-03-2023 को यथा बकाया साम्या शेयरों का समाधान

	शेयरों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
01-04-2022 को यथा आरंभिक शेष	4,26,94,200	4,269.42
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
31-03-2023 को यथा लेखाबंदी शेष	4,26,94,200	4,269.42

7.1.4 कंपनी के पास केवल एक वर्ग का शेयर अर्थात् साम्या शेयर है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 7.2 : अन्य साम्या

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2023
पूँजी मोचन आरक्षित निधि	-	-
पूँजी आरक्षित निधि	-	-
सामान्य आरक्षित निधियाँ	832.71	832.71
प्रतिधारित उपार्जन	(2,124.49)	(2,281.88)
अन्य व्यापक आय जो लाभ और हानि विवरणी में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।	-	-
कुल	**(1,291.78)**	**(1,449.17)**

(अ) पूँजी मोचन आरक्षित निधि

	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2023
वर्ष के आरंभ में शेषराशियाँ	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशियाँ	**-**	**-**

(आ) पूँजी आरक्षित निधि

	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2023
वर्ष के आरंभ में शेषराशियाँ	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशियाँ	**-**	**-**

(ग) सामान्य आरक्षित निधियाँ

	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2023
वर्ष के आरंभ में शेषराशियाँ	832.71	832.71
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
सामान्य आरक्षित निधियों को/ से अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशियाँ	**832.71**	**832.71**

सामान्य आरक्षित एक मुक्त आरक्षित निधि है जिसका उपयोग समय-समय पर विनियोग प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित आय से/में लाभ अंतरित करने के लिए किया जाता है।

(घ) (i) प्रतिधारित उपार्जन

	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2023
वर्ष के आरंभ में शेषराशियाँ[ii]	(2,076.75)	(2,969.55)
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	251.59	892.80
अंतरिम लाभांश	-	-
अंतिम लाभांश	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
सामान्य आरक्षित निधियों को/ से अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशियाँ	**(1,825.16)**	**(2,076.75)**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2023
(घ) (ii) न्य व्यापक आय जो लाभ और हानि विवरणी में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। [(i)]		
वर्ष के आरंभ में शेषराशियाँ	(205.13)	(318.87)
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय	(94.20)	113.74
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेषराशियाँ	**(299.33)**	**(205.13)**
कुल (घ(i) + (ii))	**(2,124.49)**	**(2,281.88)**

(i) इसमें परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं (कर का निवल) पर निवल बीमांकिक अभिलाभ / (हानि) सम्मिलित है।

(ii) भा.ले.मा. 8, "लेखांकन नीतियों, लेखांकन प्राक्कलन एवं त्रुटियों में परिवर्तन" तथा भा.ले.मा. 1, "वित्तीय विवरणियों का प्रस्तुतिकरण" के अनुसार टिप्पणी 9.1 में विपट्टन गतिविधि समायोजन के निहितार्थ पुनर्वर्गीकरण एवं पुनर्कथन का परिणामी प्रभाव के लिए टिप्पणी 16(5)(ट) का संदर्भ लें।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी 8.1: उधार

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2023
अप्रचलित		
सावधि ऋण		
बैंकों से		
प्रतिभूत	-	-
प्रतिभूत रहित	-	-
अन्य से		
प्रतिभूत	-	-
प्रतिभूत रहित[8.1.1]	150.09	155.94
कुल	**150.09**	**155.94**
चालू		
बैंकों से		
प्रतिभूत		
बैंक ओवरड्राफ्ट[8.1.3]	663.25	-
बैंकों से अन्य ऋण	-	-
प्रतिभूत रहित		
अन्य से		
प्रतिभूत	-	-
प्रतिभूत रहित	-	-
दीर्घावधि उधार की चालू परिपक्कवताएँ[8.1.1]	7.90	7.79
कुल	**671.15**	**7.79**

8.1.1 ऋण विशिष्टियाँ

	राशि (₹ करोड़ में)	गारंटी की प्रकृति
एक्सपोर्ट डेवेलपमेंट कॉरपरेशन, कनाडा	150.09	भारत सरकार

₹7.90 करोड़ (₹7.79 करोड़) के लिए दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता एक्सपोर्ट डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन, कनाडा से ऋण के संबंध में है, और यथा उपर्युक्त गारंटी भी है।

चुकौती अनुसूची – ईडीसी कनाडा से ऋण के किस्त की चुकौती अर्ध-वार्षिक अर्थात 31 जनवरी को एवं 31 जुलाई को किया गया है।

8.1.2 एक्सपोर्ट डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन, कनाडा से प्रतिभूत रहित ऋण के संबंध में ₹2.05 करोड़ (₹13.12 करोड़) की विनिमय दर पर हानि को प्रतिभूत रहित ऋण के मूल्य में समायोजित किया गया है।

8.1.3 ₹1469.94 करोड़ (₹300.00 करोड़) की स्वीकृत सीमा के लिए विभिन्न बैंकों से सावधि जमा के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया गया है।

8.1.4 कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसके अनुषंगियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक, कॉरपोरेट लेखा समूह (कैग) शाखा, कोलकाता ऐसे संघ के लिए अग्रणी बैंक है के साथ संघीय व्यवस्था के अधीन कंपनी एवं इसके अनुषंगियों के क्रियाशील पूँजी ऋणदाताओं से क्रियाशील पूँजी साख प्रसुविधाओं की प्राप्यता की तथा कथित क्रियाशील पूँजी ऋणदाताओं द्वारा अनुदानित ₹430.00 करोड़ (₹430.00 करोड़) के सकल में तथाकथित क्रियाशील पूँजी साख प्रसुविधाओं को प्रतिभूत करने के क्रम में प्रथम प्रभार के माध्यम से संपूर्ण चालू आस्तियों का आडमान के रूप में प्रतिभूति निर्माण के लिए सर्जन / व्यवस्था की है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 8.2 : व्यवसाय देय

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2023
चालू		
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का कुल बकाया देय	1.70	2.41
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से इतर ऋणदाताओं का कुल बकाया देय	1,327.64	991.14
कुल	**1,329.34**	**993.55**

चालू

	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2023
8.2.1 व्यवसाय देय – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का कुल बकाया देय		
अ. अप्रदत्त शेष मूल और ब्याज राशि लेकिन वर्ष की समाप्ति पर यथा असंदेय हो	1.70	2.41
आ. वर्ष के दौरान नियत तिथि के उपरांत आपूर्तिकर्ता को संदाय किए गए राशि के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु एं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के धारा 16 के निबंधनों के अनुसार कंपनी द्वारा प्रदत्त ब्याज।	-	-
इ. संदाय करने में विलंब की अवधि के लिए देय है और देय ब्याज (जिसे वर्ष के दौरान संदाय किया गया है लेकिन नियत तिथि के उपरांत) लेकिन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
ई. वर्ष की समाप्ति पर यथा उपगत ब्याज एवं अप्रदत्त शेष	-	-
उ. उत्तरवर्ती वर्ष में भी शोध्य एवं संदेय शेष आगामी ब्याज उस तिथि तक जब तक कि ब्याज देय यथा उक्त वस्तुतः लघु उद्यम को संदाय नहीं किया जाता है।	-	-

8.2.2 31-03-2024 को यथा व्यवसाय संदेय काल प्रभावन अनुसूची:

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	लेन-देन तिथि से निम्न अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i. एमएसएमई	1.70	-	-	-	**1.70**
ii. अन्य	1,155.21	102.36	60.21	1.62	**1,319.40**
iii. विवादित देय - एमएसएमई	-	-	-	-	**-**
iv. विवादित देय - अन्य	-	-	-	8.24	**8.24**
v. बिल-अनिर्दिष्ट देय	-	-	-	-	-
कुल	**1,156.91**	**102.36**	**60.21**	**9.86**	**1,329.34**

31-03-2023 को यथा व्यवसाय संदेय काल प्रभावन अनुसूची:

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	लेन-देन तिथि से निम्न अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i. एमएसएमई	2.41	-	-	-	**2.41**
ii. अन्य	912.31	15.87	1.82	9.95	**939.95**
iii. विवादित देय - एमएसएमई	-	-	-	-	**-**
iv. विवादित देय - अन्य	-	-	-	-	**-**
v. बिल-अनिर्दिष्ट देय	47.20	3.14	0.51	0.34	51.19
कुल	**961.92**	**19.01**	**2.33**	**10.29**	**993.55**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 8.3 : अन्य वित्तीय देयताएँ

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2023
अप्रचलित		
प्रतिभूति जमाराशियाँ	214.33	93.34
अन्य	-	-
कुल	**214.33**	**93.34**
चालू		
चालू खाता के साथ :		
कोल इंडिया लिमिटेड	206.27	139.33
आईआईसीएम	-	-
अदत्त लाभांश	-	-
प्रतिभूति जमाराशियाँ	183.42	241.48
अग्रिम धन	87.19	82.68
पूँजीगत व्यय के लिए संदेय	285.57	240.74
कर्मी प्रसुविधाओं के लिए देयताएँ	1,236.80	843.25
अन्य[8.3.1]	70.99	62.03
कुल	**2,070.24**	**1,609.51**

8.3.1 इसमें वेतन पत्रक कटौती देयताएँ, सीआईएसपीए देयता आदि सम्मिलित है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 9.1 : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2023
अप्रचलित		
कर्मी प्रसुविधाएँ		
उपदान	-	-
अवकाश नकदीकरण	488.85	224.80
पश्च-सेवानिवृत्ति चिकित्सीय प्रसुविधाएँ	371.04	425.00
अन्य कर्मी प्रसुविधाएँ	55.05	57.67
अन्य प्रावधान		
स्थल प्रत्यावर्तन प्रावधान[9.1.3]	875.60	856.20
विपट्टन गतिविधि समायोजन[9.1.2]	2,867.02	3,090.90
अन्य	-	-
कुल	**4,657.56**	**4,654.57**
चालू		
कर्मी प्रसुविधाएँ		
उपदान	243.65	139.56
अवकाश नकदीकरण	104.03	80.86
पश्च-सेवानिवृत्ति चिकित्सीय प्रसुविधाएँ	31.31	28.32
अन्य कर्मी प्रसुविधाएँ	674.23	2,660.88
अन्य प्रावधान		
स्थल प्रत्यावर्तन प्रावधान	-	-
अन्य	-	-
कुल	**1,053.22**	**2,909.62**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

9.1.1 प्रावधान (चालू एवं अप्रचलित) में संचलन के ब्यौरे :

उपदान, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा प्रसुविधा के संबंध में कर्मी प्रसुविधाओं से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर विभिन्न प्रावधानों की अवस्थिति और संचलन जो बीमांकिक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं।

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के आरंभ में शेष राशियाँ	वर्ष के दौरान प्रभारित	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	वर्ष के अंत में शेष निधियाँ
अन्य कर्मी प्रसुविधाएँ	2,718.55	566.65	2,555.92	729.28
अन्य				

9.1.2 विपट्टन गतिविधि समायोजन (चालू एवं अप्रचलित) में संचलन के ब्यौरे :

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2023
(i) अनुपात अंतर आरक्षित निधियाँ		
वर्ष के आरंभ में शेष राशियाँ	3,090.90	3,168.08
वर्ष के दौरान आरक्षित निधियाँ	(223.88)	(77.18)
वर्ष के अंत में शेष निधियाँ	2,867.02	3,090.90

(ii) भा.ले.मा. 8, "लेखांकन नीतियों, लेखांकन प्राक्कलन एवं त्रुटियों में परिवर्तन" तथा भा.ले.मा. 1, "वित्तीय विवरणियों का प्रस्तुतिकरण" के अनुसार विपट्टन गतिविधि समायोजन के निहितार्थ पुनर्वर्गीकरण एवं पुनर्कथन के लिए टिप्पणी 16 का संदर्भ लें।

9.1.3 स्थल प्रत्यावर्तन के लिए प्रावधान

भूमि सुधार और संरचनाओं को बंद करने के लिए कंपनी के दायित्व में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सतही और भूमिगत दोनों खानों में खर्च करना शामिल है। खान संवरण, स्थल प्रत्यावर्तन एवं बंद करने के लिए दायित्व का अनुमान आवश्यक कार्य करने के लिए भविष्य के नकद खर्च की राशि और समय की विस्तृत गणना और तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित है। खान संवरण व्यय अनुमोदित खान संवरण योजना के अनुसार प्रदान किया जाता है। व्ययों का अनुमान मुद्रास्फीति के लिए बढ़ाया जाता है, और फिर छूट दर (@ 8%) पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य और जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है, ताकि प्रावधान की राशि व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाती है दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक होने की उम्मीद है। प्रावधान का मूल्य समय के साथ उत्तरोत्तर वृद्धि होती है क्योंकि छूट का प्रभाव कम हो जाता है; वित्त लागत के रूप में निर्धारित व्यय का सृजन करता है। खान संवरण योजना विनिर्मिति के लिए उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के संदर्भ में एक निलंब खाता खोला गया है।

आरंभिक तिथि को यथा स्थल प्रत्यावर्तन प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2023
आरंभिक तिथि को यथा स्थल प्रत्यावर्तन प्रावधान	856.20	784.07
जोड़ : वर्ष के लिए परिवर्धन	11.71	43.45
जोड़ : वर्ष के लिए परिवर्धन	46.61	52.22
न्यून : वर्ष के दौरान निकासी	38.92	23.54
अंतिम तिथि को यथा स्थल प्रत्यावर्तन प्रावधान	875.60	856.20

9.1.4 उपदान की अवधि के अंत में देयता, छुट्टी नकदीकरण, कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा प्रसुविधा और अवकाश यात्रा रियायत और निपटान भत्ते जैसे प्रसुविधाओं का मूल्यांकन बीमांकिक आधार पर किया जाता है।

9.1.5 अप्रचलित - कर्मी प्रसुविधाएँ - उपादन एलआईसी के पास उपदान न्यास निधि शेषराशि ₹ 4424.48 करोड़ (₹ 672.61करोड़) के समायोजन के पश्चात है।

9.1.6. अप्रचलित - कर्मी प्रसुविधाएँ - अवकाश नकदीकरण एलआईसी के साथ अवकाश नकदीकरण निधि शेष के ₹ 672 61 करोड़ (₹ 715.62 करोड़) के समायोजन के पश्चात है।

9.1.7. अप्रचलित - कर्मी प्रसुविधाएँ - सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा प्रसुविधाएँ सीपीआरएमएस-ई न्यास निधि शेष के ₹ 161.07 करोड़ (₹ 144.36 करोड़) तथा सीपीआएमएस-एनई न्यास निधि के ₹ 256.45 करोड़ (₹ 175.00 करोड़) के समायोजन के पश्चात है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 10.1 : अन्य अप्रचलित देयताएँ

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2023
विस्थापन एवं पुनर्वासन निधि	-	-
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)[10.1.1]	0.38	0.86
अन्य[10.1.2]	175.71	314.53
कुल	**176.09**	**315.39**

10.1.1 आस्थगित आय सड़क और रेल अवसंरचना और वैज्ञानिक विकास कार्य के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति के माध्यम से कोयला मंत्रालय से सहायता है।

10.1.2 अन्य में ₹ 175.06 करोड़ (₹ 314.53 करोड़) की राशि वाले उपकर समकारी खाते का अप्रचलित भाग यथा टिप्पणी- 10.2 : अन्य चालू देयताएँ के 10.2.1 में उल्लेख किया गया है सम्मिलित है।

टिप्पणी - 10.2 : अन्य चालू देयताएँ

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2023
सांविधिक देय	965.03	797.65
आयातित कोयले के लिए अग्रिम	-	-
उपभोक्ताओं/ अन्य से अग्रिम	1,221.26	1,278.04
उपकर समानीकरण खाता[10.2.1]	2,156.36	1,750.61
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	0.38	-
अन्य देयताएँ	293.24	386.51
कुल	**4,636.27**	**4,212.81**

10.2.1 प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार प्रचलित दर पर मूल्यांकन के आधार पर पिछले दो वर्षों के औसत उत्पादन के आधार पर कोयला धारक भूमि के वार्षिक मूल्य पर उपकर का भुगतान करने की प्रक्रिया में और गत वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को प्रचलित बिक्री मूल्य को ध्यान में रखते हुए कोयले के प्रेषण के मूल्य पर ग्राहकों से की गई वसूली के आधार पर, शेष राशि ₹2331.42 करोड़ (₹2065.14 करोड़) है, जिसमें से ₹2156.36 करोड़ (₹1750.61 करोड़) 'अन्य चालू देयताएँ- उपकर समानीकरण खाते' के तहत और 'टिप्पणी-10.1 : अन्य अप्रचलित देयताएँ - अन्य' में ₹175.06 करोड़ (₹314.53 करोड़) दर्शाए गए हैं।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 11.1 : कर आस्तियाँ / देयताएँ (₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2023
आयकर आस्तियाँ		
वर्ष के आरंभ में शेषराशियाँ	-	274.39
वर्ष के दौरान निर्धारित	71.14	
वर्ष के दौरान व्युत्क्रमण / वापसी	-	274.39
वर्षांत में शेषराशियाँ	71.14	-
आयकर देयताएँ		
वर्ष के आरंभ में शेषराशियाँ	24.78	-
वर्ष के दौरान निर्धारित		24.78
वर्ष के दौरान व्युत्क्रमण / वापसी	24.78	
वर्षांत में शेषराशियाँ	-	24.78
अंत में निवल आयकर आस्ति / (देयताएँ)	**71.14**	**(24.78)**
यथा प्रकट :		
अप्रचलित		
आयकर आस्तियाँ (निवल)	71.14	-
आयकर देयताएँ (निवल)	-	-
चालू		
आयकर आस्तियाँ (निवल)	-	-
आयकर देयताएँ (निवल)	-	24.78
	71.14	**24.78**

टिप्पणी - 11.2 : आस्थगित कर आस्तियाँ / देयताएँ (₹ in Crore)

	01.04.2023 को यथा शेष	वर्ष के दौरान लाभ और हानि में निर्धारित / (व्युत्क्रमित)	वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय में निर्धारित	31.03.2024 को यथा शेष
आस्थगित कर आस्तियाँ :				
संदिग्ध आग्रिमों, दावे और कर्जों के लिए प्रावधान	104.38	32.03		136.41
कर्मी प्रसुविधाएँ	878.05	134.78	-	1,012.83
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त आस्तियाँ से संबंधित	-	-		-
अन्य	-	-		-
(क) का कुल	**982.43**	**166.81**	**-**	**1,149.24**
आस्थगित कर देयता :				
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त आस्तियाँ से संबंधित	189.26	111.60		300.86
अन्य				-
(ख) का कुल	**189.26**	**111.60**	**-**	**300.86**
निवल आस्थगित कर आस्ति / (आस्थगित कर देयता) (ग=क-ख)	**793.17**	**55.21**	**-**	**848.38**
घ. परिभाषित प्रसुविधा योजना का पुनर्मापन DTL(+)/DTA(-)				
निवल आस्थगित कर आस्ति (ङ=ग+घ)	**793.17**	**55.21**	**-**	**848.38**

	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2023
यथा प्रकट :		
आस्थगित कर आस्तियाँ	**848.38**	**793.17**
आस्थगित कर देयता		
	848.38	**793.17**

11.2.1 भा.ले.मा. 8, "लेखांकन नीतियों, लेखांकन प्राक्कलन एवं त्रुटियों में परिवर्तन" तथा भा.ले.मा. 1, "वित्तीय विवरणियों का प्रस्तुतिकरण" के अनुसार टिप्पणी 9.1 में विपट्टन गतिविधि समायोजन पर आस्थगित कर प्रभाव के निहितार्थ पुनर्वर्गीकरण एवं पुनर्कथन के लिए टिप्पणी 16(5)(ट) का संदर्भ लें।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 12.1 : परिचालन से राजस्व **(₹ करोड़ में)**

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023
I. बिक्री	18,999.97	19,351.00
न्यून : सांविधिक कर	5,108.09	4,581.71
बिक्री (निवल) [I]12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5	**13,891.88**	**14,769.29**
II. अन्य परिचालनात्मक राजस्व		
रेत भूगर्त भरण एवं संरक्षी कार्य के लिए सब्सिडी [i]	2.03	1.53
लदान एवं अतिरिक्त परिवरहन प्रभार	423.83	285.28
न्यून : सांविधिक कर	20.19	13.59
लदान एवं अतिरिक्त परिवरहन प्रभार (निवल) [ii]	403.64	271.69
निष्क्रमण सुकरजन्य प्रभार	274.67	222.57
न्यून : सांविधिक कर	13.08	10.60
निष्क्रमण सुकरजन्य प्रभार (निवल) [iii]	261.59	211.97
अन्य परिचालनात्मक राजस्व (निवल) (II = i + ii + iii)	**667.26**	**485.19**
परिचालन से राजस्व (I + II)	**14,559.14**	**15,254.48**

टिप्पणियाँ :

12.1.1. विक्रय उन्नयन (+) / ग्रेड अपगमन (-) के निहितार्थ पक्षकारों को निर्गत/निर्गत किए जा रहे नामे/साख-पत्र के कारण ₹210.24 करोड़ (₹147.34 करोड़) का वास्तविक उन्नयन(+)/ ग्रेड अपगमन (-) के लिए समायोजन का निवल है।

12.1.2. उक्त कोयला का विक्रय ₹12.87 करोड़ (₹81.26 करोड़) की अनुमानित कोयला गुणवत्ता अंतर (व्युत्क्रमण का निवल) द्वारा वृद्धि की गई(+)/कमी (-) है।

12.1.3. बिक्री में65.19 लाख टन (63.34 लाख टन) की ई-नीलामी परिमाण और ₹1501.60 करोड़ (₹4757.33 करोड़) का ई-नीलामी लाभ सम्मिलित है।

12.1.4. बिक्री में 6.92 लाख टन (8.45 लाख टन) की लिंकेज नीलामी परिमाण और ₹63.38 करोड़ (₹66.64 करोड़) की लिंकेज नीलामी लाभ सम्मिलित है।

12.1.5. बिक्री में ईंधन आपूर्ति करार के अधीन ₹624.01 करोड़ (₹112.60 करोड़) यथा कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन बिल सम्मिलित हैं।

12.1.6. खदान के संबंध में पूर्व के मामलों में किए गए कोयला गुणवत्ता विश्लेषण के संबंध में रिपोर्टों की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर, कोयले की गुणवत्ता अंतर के प्रावधान को निम्लिखित विधि से प्राक्कलित और निर्धारित किया गया है :

i. जहाँ परस्पर स्वीकृत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला से प्रतिचयन परिणामें प्रतीक्षा है, सीक्यूवी के समायोजन को नवीनतम उपलब्ध परिणाम के माह से पूर्व छह माहों के लिए परस्पर स्वीकृत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला से उपलब्ध परिणामों की प्रवृत्ति के आधार पर निर्धारित किया गया है।

ii. जहाँ प्रतिचयन परिणाम परस्पर स्वीकृत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त किया गया है, लेकिन उसे निर्णायक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला को निर्दिष्ट किया गया है, सीक्यूवी के समायोजन को नवीनतम उपलब्ध परिणाम के माह से पूर्व छः माहों के लिए निर्णायक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला से उपलब्ध परिणामों की प्रवृत्ति के आधार पर निर्धारित किया गया है।

iii. अप्रतिचयनित परिमाणों पर सीक्यूवी के समायोजन को ईंधन आपूर्ति करार के प्रावधान पर आधारित निर्धारण किया गया है।

उक्त प्रवृत्ति के प्रत्याशित परिणामों को कोयला गुणवत्ता अंतर के प्रावधानों तक पहुँचने के लिए प्रतीक्षित परिणाम परिमाण पर प्रवृत्त है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी 12.2 : अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023
ब्याज आय[12.2.1]	309.34	211.55
पारस्परिक निधि से लाभांश आय	-	-
अन्य गैर-परिचालनात्मक आय (ऐसी आय के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेदार व्यय का निवल)		
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	12.10	19.11
विदेश विनिमय लेनदेनों से अभिलाभ	-	-
पारस्परिक निधि से अभिलाभ	-	-
पट्टा किराया	-	-
प्रावधान प्रतिलेखन[12.2.2]	2.10	11.72
देयता प्रतिलेखन	160.04	182.49
उचित मूल्य प्रभार (निवल)	-	-
प्रकीर्ण आय	155.97	131.43
कुल	**639.55**	**556.30**
12.2.1. ब्याज आय में ₹0.89 करोड़ (₹11.48 करोड़) की राशि का आयकर वापसी सम्मिलित है।		
12.2.2 प्रावधान प्रतिलेखन के ब्यौरे		
कॉर्पोरेट निकाय एवं कर्मियों को ऋण के लिए (4.2.1)	-	-
व्यवसाय प्राप्य के लिए (4.3.1)	2.05	1.60
वित्तीय जमाराशियों एवं प्राप्य के लिए (4.6.1)	-	-
कोयला (5.1.1) तथा भण्डार वस्तुसूचियों (5.1.2) के लिए	0.05	10.12
अन्य अप्रचलित जमाराशियों एवं अग्रिमों के लिए (6.1.1)	-	-
अन्य चालू जमाराशियों एवं अग्रिमों के लिए (6.2.1)	-	-
वर्ष के दौरान कुल प्रावधान प्रतिलेखन	**2.10**	**11.72**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी 13.1 : उपभुक्त सामग्रियों की लागत (₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023
विस्फोटक	368.98	415.22
इमारती लकड़ी	4.21	4.73
तेल एवं स्नेहक	324.06	398.78
एचईएमएम उपकरणें	80.95	55.54
अन्य उपभोग्य भण्डारों एवं उपकरणें	222.15	211.97
कुल	**1,000.35**	**1,086.24**

टिप्पणी 13.2 : तैयार माल, चालू कार्य एवं व्यापार स्टॉक की वस्तुसूचियों में परिवर्तन (₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023
कोयले की वस्तुसूची में परिवर्तन (क)		
वर्ष के आरंभ में स्टॉक	315.19	341.00
राजस्व में लाया गया आरंभिक स्टॉक	-	-
वर्ष के अंत में स्टॉक	809.69	315.19
	(494.50)	25.81
कर्मशाला एवं प्रेस जाब्स की वस्तुसूची में परिवर्तन (ख)		
वर्ष के आरंभ में स्टॉक	7.20	5.54
वर्ष के अंत में स्टॉक	10.00	7.20
	(2.80)	(1.66)
कुल (क+ख)	**(497.30)**	**24.15**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी 13.3 : कर्मी प्रसुविधाएँ व्यय **(₹ करोड़ में)**

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023
वेतन एवं मजदूरी [13.3.1]	7,838.18	8,077.44
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान [13.3.4]	1,943.23	1,476.87
कर्मचारी वर्गीय कल्याण व्यय	312.61	373.06
कुल	**10,094.02**	**9,927.37**

13.3.1 जिसमें भत्ते, बोनस, प्रोत्साहन, प्रदर्शन से संबंधित वेतन, समयोपरि वेतन, स्वतंत्र निदेशकों को बैठक हेतु शुल्क आदि शामिल हैं।

13.3.2 भा.ले.मा. 19 'कर्मी प्रसुविधा' के अनुसार प्रकटीकरण उपदान, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा प्रसुविधाओं के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के तहत कवर किए गए लोगों को छोड़कर विभिन्न कर्मी प्रसुविधाओं के लिए किए गए प्रावधान के संबंध में, टिप्पणी 9.1.1 में उपबंधित किए गए हैं।

13.3.3 परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं और उपदान, अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा प्रसुविधा जो बीमांकिक मूल्यांकन के तहत कवर कर रहे हैं के संबंध में भा.ले.मा. 19 'कर्मी प्रसुविधा' के अनुसार प्रकटीकरण टिप्पणी 16 (3) में खुलासा कर रहे हैं।

13.3.4. भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान में सीआईएल निदेशक मण्डल की 414वीं बैठक में निर्णितानुसार सीएमपीएस 1998 के आधारभूत निधि के कारण वर्ष के दौरान प्रेषण का ₹10.00 प्रति टन पर समुत्थान के प्रतिकूल ₹43.60 करोड़ (₹35.34 करोड़) की राशि सम्मिलित है।

टिप्पणी 13.3 : कर्मी प्रसुविधाएँ व्यय **(₹ करोड़ में)**

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023
ब्याज व्यय		
बट्टों का अकुण्डलन	46.61	52.22
उचित मूल्य परिवर्तन (निवल)	-	-
अन्य उधार लागत [13.4.1]	74.52	12.63
कुल	**121.13**	**64.85**

13.4.1 इसमें ₹2.71 करोड़ (₹0.00 करोड़) उधार पर उपचित ब्याज सम्मिलित है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी - 13.5 : मूल्यह्रास, परिशोधन एवं क्षति व्यय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023
मूल्यह्रास / परिशोधन / क्षति		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (टिप्पणी 3.1)	695.06	622.72
प्रगति में पूँजीगत कार्य (टिप्पणी 3.2)	1.27	1.79
अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ (टिप्पणी 3.3)	-	-
अमूर्त आस्तियाँ (टिप्पणी 3.4)	3.84	3.84
विकासाधीन अमूर्त आस्तियाँ (टिप्पणी 3.5)	-	-
	700.17	628.35
न्यून :		
कोयला खान के विकास के दौरान व्यय को अंतरित	-	
कुल	**700.17**	**628.35**

वर्ष के दौरान, कंपनी ने तकनीकी रूप से संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के उपयोगी जीवन का मूल्यांकन और समीक्षा की है। लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के कारण, वर्ष के दौरान मूल्यह्रास या परिशोधन में ₹ (1.45) करोड़ की वृद्धि (कमी) हुई है। भविष्य की अवधि में प्रभाव का प्रकटीकरण नहीं किया जाता है क्योंकि इसका अनुमान लगाना अव्यवहारिक है।

टिप्पणी - 13.6 : विपट्टन गतिविधि समायोजन

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023
अग्रिम विपट्टन समायोजन		12.28
अनुपात अंतर आरक्षित	(223.88)	(89.46)
कोयला तक बेहतर पहुँच	(366.39)	(274.73)
	(590.27)	**(351.91)**

13.6.1: अनुपात अंतर आरक्षित : जब कभी कंपनी की भौतिक लेखांकन नीति के अनुसार प्रावधान/आस्ति के उत्क्रमण की स्थिति उत्पन्न होती है, तो अनुपात विचरण आरक्षित की वहन राशि को व्यवस्थित रूप से उलट दिया जाता है।

13.6.2. कोयला तक बेहतर पहुँच : जब उपरि संस्तर हटाव की वास्तविक मात्रा उपरि संस्तर हटाव की अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है, तो अपेक्षित उपरि संस्तर हटाव पर हटाए गए अतिरिक्त उपरि संस्तर के लिए विपट्टन लागत को विपट्टन गतिविधि आस्ति के लिए पूंजीकृत किया जाता है।

13.6.3. भा.ले.मा. 8, "लेखांकन नीतियों, लेखांकन प्राक्कलन एवं त्रुटियों में परिवर्तन" तथा भा.ले.मा. 1, "वित्तीय विवरणियों का प्रस्तुतिकरण" के अनुसार विपट्टन गतिविधि समायोजन के निहितार्थ पुनर्वर्गीकरण एवं पुनर्कथन के लिए टिप्पणी 16(5)(ट) का संदर्भ लें। टिप्पणी 9.1 भी संदर्भित है।

टिप्पणी 13.7 : संविदात्मक व्यय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023
परिवहन प्रभार	145.97	172.78
वेगन लदान	17.68	16.61
संयंत्र और उपस्करों के भाड़े	2,411.47	1,742.08
अन्य संविदात्मक कार्य	289.31	110.76
	2,864.43	**2,042.23**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी 13.8 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023
विद्युत व्यय	433.63	425.44
मरम्मति और अनुरक्षण		
- भवन	114.95	86.11
- संयंत्र और उपस्कर	78.07	88.95
- अन्य	1.25	1.72
यातायात व्यय	12.44	15.87
प्रशिक्षण व्यय	5.86	4.50
टेलिफोन एवं इंटरनेट	5.06	4.59
विज्ञापन एवं प्रचार	1.27	0.87
मालभाड़ा प्रभार	-	-
विलंब-शुल्क	0.23	2.13
लदान प्रभारों के अधीन	35.32	41.33
कोयला प्रतिचयन प्रभार	12.54	21.53
प्रतिभूति व्यय	111.77	118.89
सीआईएल के सेवा प्रभार	47.56	35.02
विधिक व्यय	3.44	2.20
परामर्शी प्रभार	2.15	2.38
सेवा प्रभार (सीएमपीडीआईएल)	32.78	26.05
आस्तियों के विक्रय/त्यक्त/सर्वेयेड ऑफ पर हानि	-	0.03
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक एवं व्यय		
अ. लेखापरीक्षण शुल्क	0.26	0.26
आ. कराधान मामलों के लिए	0.02	0.02
इ. अन्य सेवाओं के लिए	0.19	0.19
ई. व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.12	0.17
आंतरिक लेखापरीक्षण शुल्क	2.57	3.41
पुनर्वासन प्रभार	26.24	21.29
पट्टा किराया एवं भाड़ा प्रभार	82.54	80.75
दर एवं कर	11.72	5.05
बीमा	0.28	0.49
विनिमय दर अंतर पर हानि	-	0.62
अन्य खान बचाव/सुरक्षा व्यय	1.65	2.84
पार्श्वस्थल अनुरक्षण प्रभार	23.33	11.62
पर्यावरणीय एवं वृक्षारोपण व्यय	13.05	8.96
शेयरों की वापसी खरीद पर व्यय	-	-
निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	7.33	6.92
दान, पारितोषिक एवं अनुदान	-	-
प्रावधान[13.8.1]	140.09	4.11
बट्टा खाता डालना (पश्च प्रावधान का निवल)		
- सकल बट्टा खाता डालना	-	21.44
- बट्टा डालने पर पूर्व निर्धारित, प्रावधान का प्रतिलेखन	-	(21.44)
बट्टा खाता डालन (पूर्व निर्धारित प्रावधानों के प्रतिलेखन का निवल)	-	-
प्रकीर्ण व्यय	84.96	84.77
कुल	**1,292.67**	**1,109.08**
13.8.1 प्रावधान के ब्यौरे		
कॉर्पोरेट निकाय एवं कर्मियों को ऋण के लिए (4.2.1)	-	-
व्यवसाय प्राप्य के लिए (4.3.1)	132.28	4.05
वित्तीय जमाराशियों एवं प्राप्य के लिए (4.6.1)	2.18	-
कोयला (5.1.1) तथा भण्डार वस्तुसूचियों (5.1.2) के लिए	3.90	0.06
अन्य अप्रचलित जमाराशियों एवं अग्रिमों के लिए (6.1.1)	-	-
अन्य चालू जमाराशियों एवं अग्रिमों के लिए (6.2.1)	1.73	-
वर्ष के दौरान कुल प्रावधान प्रतिलेखन	**140.09**	**4.11**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

13.8.2 सीएसआर व्यय का उपाबंध

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023
क. सीएसआर व्यय के गतिविधिवार विश्लेषित आँकड़े (अतिरिक्त व्ययित सहित)		
भूख, निर्धनता एवं कुपोषण उन्मूलन	3.25	2.96
विशिष्ट शिक्षा सहित शिक्षा तथा व्यवसाय दक्षता वर्धित कर नियोजन को प्रोत्साहित करना	2.92	2.27
लैंगिक समानता तथा सामाजिक व आर्थिक रूप से अक्षम समूहों द्वारा सामना किए गए असमानता को कम करने के लिए अध्युपाय	0.07	0.05
पर्यावरणीय संधारणीयता	0.58	0.26
राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति को संरक्षण	-	0.62
सशस्त्र बल सैनिकों, युद्ध में मृत सैनिकों के पत्नियों एवं उनके आश्रितों को प्रसुविधा	-	-
ग्रामीण खेलकूल, राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त खेलकूलों, परा-ओलिंपिक खेलकूदों एवं ओलिंपिक खेलकूदों को प्रोन्नत करने के लिए प्रशिक्षण	-	-
सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित निधि में अंशदान	-	-
इन्क्यूबेटर या अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को अंशदान	-	-
विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थानों को अंशदान	-	-
ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	0.36	0.76
गंदी-बस्तीक्षेत्र विकास	-	
राहत, पुनर्वासन एवं पुनर्संरचनात्मक गतिविधियाँ सहित आपदा प्रबंधन	-	
प्रशासनिक ओवर्हेड	0.15	
कुल	**7.33**	**6.92**
ख. आवश्यक व्ययित सीएसआर एवं सीएसआर व्यय विश्लेषित		
(अ) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए नियंत्री और सहायक कंपनियों के औसत निवल लाभ का 2%)	-	-
(आ) वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित व्ययित राशि	7.04	10.09
(इ) वर्ष के दौरान व्ययित राशि :		
(i) किसी आस्ति का निर्माण/अधिग्रहण	1.46	3.11
(ii) उक्त (i) से भिन्न प्रयोजन के लिए	5.87	3.81
ग. निर्धारित सीएसआर व्यय एवं व्ययित सीएसआर व्यय का समाधान	**2023-24**	**2022-23**
व्ययित सीएसआर व्यय	7.33	6.92
न्यून : वर्ष के दौरान अग्रनीत / (प्रयुक्त) अतिरिक्त	-	-
जोड़ : चालू परियोजनाओं पर अव्ययित सीएसआर व्यय	-	-
जोड़ : चालू से इतर अव्ययित सीएसआर व्यय	-	-
लाभ और हानि में निर्धारित राशि	7.33	6.92
घ. चालू परियोजना से भिन्न अव्ययित राशि [धारा 135(5)]	**2023-24**	**2022-23**
आरंभिक शेष	-	-
06 माह के भीतर अधिसूची VII के विशेष निधि में जमा की गई राशियाँ	-	-
वर्ष के दौरान व्यय योग राशि	-	-
वर्ष के दौरान व्ययित राशि	-	-

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

ङ. व्ययित अतिरिक्त राशि [धारा 135(5)]

वर्षवार ब्यौरे	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान व्यय योग राशि	वर्ष के दौरान व्ययित राशि	अंतिम शेष
2021-22	-	-	-	-
2022-23	-	-	-	-
2023-24	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

अन्य चालू आस्तियों के अधीन अन्य अग्रिमों एवं जमाराशियों के लिए पाद-टिप्पणी संदर्भित है।

च. अव्ययित चालू परियोजनाएँ [धारा 135(6)] (वर्षवार)		2023-24	2022-23
आरंभिक शेष	कंपनी के पास	-	-
	पृथक सीएसआर खाता में	-	-
वर्ष के दौरान व्यय योग राशि		-	-
वर्ष के दौरान व्ययित राशि	कंपनी के बैंक खाता से	-	-
	पृथक सीएसआर खाता में	-	-
अंतिम शेष	कंपनी के पास	-	-
	पृथक सीएसआर खाता में	-	-

छ. सीएसआर व्यय की देयता के लिए प्रावधान	2023-24
आरंभिक शेष	0.96
अवधि के दौरान परिवर्धन	2.02
वर्ष के दौरान समायोजन	0.23
अंतिम शेष	2.75

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी 14.1 : कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023
चालू वर्ष[14.1.3]	-	279.27
पूर्व वर्ष	17.11	(3.45)
कुल चालू कर	**17.11**	**275.82**
आस्थगित कर[14.1.4]	(55.21)	111.80
न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) साख हकदारी	-	-
कुल	**(38.10)**	**387.62**

14.1.1. कर व्यय का समाधान

(₹ करोड़ में)

	31-03-2024	31-03-2023
कर पूर्व लाभ/(हानि)	**213.49**	**1,280.42**
25.168% के आयकर दर पर	53.73	322.26
न्यून : छूट प्राप्त आयकर पर कर	-	-
जोड़ : कर के प्रयोजनार्थ गैर-कटौतीयोग्य व्यय	158.35	628.80
न्यून : कर के प्रयोजनार्थ कटौतीयोग्य व्यय	267.29	559.99
पूर्व वर्ष के लिए समायोजन	17.11	(3.45)
न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) प्रावधानों के अधीन कर के लिए समायोजन	-	-
आस्थगित कर के लिए समायोजन		-
लाभ और हानि विवरणी में प्रतिवेदित आयकर व्यय	(38.10)	387.62
प्रभावी आयकर दर	**-17.85%**	**30.27%**

14.1.2. कंपनी प्रत्याशा करती है कि आस्थगित कर आस्तियों की उपयोगिता के लिए भावी करयोग्य लाभ होगा।

14.1.3 वर्ष 2023-24 के दौरान, भा.ले.मा. 8, "लेखांकन नीतियों, लेखांकन प्राक्कलन एवं त्रुटियों में परिवर्तन" के अनुसरण में विपट्टन गतिविधि समायोजन के लेखांकन में परिवर्तन के कारण चालू वर्षीय कर व्यय में शून्य रूपए समाविष्ट है। टिप्पणी 16 (5)(ट) का संदर्भ लें।

14.1.4 भा.ले.मा. 8, "लेखांकन नीतियों, लेखांकन प्राक्कलन एवं त्रुटियों में परिवर्तन" तथा भा.ले.मा. 1, "वित्तीय विवरणियों का प्रस्तुतिकरण" के अनुसार विपट्टन गतिविधि समायोजन के निहितार्थ पुनर्वर्गीकरण एवं पुनर्कथन का परिणामी प्रभाव के लिए टिप्पणी 16(5)(ट) का संदर्भ लें। 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए पहले रिपोर्ट किया गया ₹ -98.29 करोड़ का आस्थगित कर, ₹210.08 करोड़ द्वारा पुनः घोषित किया गया है।

14.1.5 आस्थगित कर आस्तियों / (देयताओं) के घटक के लिए टिप्पणी 11.2 संदर्भित है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी 15.1 : अन्य व्यापक आय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023
i. मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		
परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं का पुनःमापन[15.1.1]	(94.20)	152.00
अंशसमष्टि (क)	**(94.20)**	**152.00**
ii. मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		
परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं का पुनःमापन	-	38.26
अंशसमष्टि (ख)	**-**	**38.26**
कुल (ग = क – ख)	**(94.20)**	**113.74**
i. मदें जिन्हें लाभ-हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा।		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई के शेयर	-	-
एक वैश्विक परिचालन के वित्तीय विवरणियों के अनुवाद में विनिमय अंतर	-	
अंशसमष्टि (घ)	**-**	**-**
ii. मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा।		
संयुक्त उद्यमों में अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के शेयर	-	-
अंशसमष्टि (ङ)	**-**	**-**
कुल (च = घ – ङ)	**-**	**-**
कुल जोड़ (ग + च)	**(94.20)**	**113.74**

15.1.1. परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं के पुनर्मापन के निहितार्थ अन्य व्यापक आय में उपदान के लिए ₹-133.92 करोड़ (₹92.57 करोड़), पश्च-सेवानिवृत्ति चिकित्सीय प्रसुविधाओं के लिए ₹39.72 करोड़ (₹59.43) सम्मिलित है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

टिप्पणी 16 : वित्तीय विवरणी की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1. उचित मूल्य माप

1. [क] श्रेणी अनुसार वित्तीय लिखित

(₹ करोड़ में)

	31-03-2024		31-03-2023	
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय आस्तियाँ				
निवेश :				
सहकारी शेयर	-	0.08	-	0.08
ऋण	-	0.02	-	0.05
व्यवसाय प्राप्य	-	1,892.15	-	1,564.50
नकदी व नकदी समतुल्य	-	119.12	-	532.11
अन्य बैंक अतिशेष	-	1,798.65	-	3,439.35
अन्य वित्तीय आस्तियाँ	-	1,249.75	-	1,083.59
कुल	-	**5,059.77**	-	**6,619.68**
वित्तीय देयताएँ				
उधार :				
ईडीसी ऋण	-	157.99	-	163.73
बैंक ओवरड्रॉफ्ट एवं बैंक से अन्य ऋण	-	663.25	-	-
व्यवसाय देय	-	1,329.34	-	993.55
प्रतिभूति जमा	-	397.75	-	334.82
अग्रिम धन	-	87.19	-	82.68
अन्य वित्तीय देयताएँ	-	1,799.63	-	1,285.35
कुल	-	**4,435.15**	-	**2,860.13**

1. [ख] उचित मूल्य उत्क्रम

नीचे दी गई सारणी वित्तीय लिखत के उचित मूल्यों के निर्धारण में निर्मिति निर्णयों एवं प्राक्कलनों को दर्शाती है जो (अ) उचित मूल्य पर निर्धारित एवं मापित और (आ) परिशोधित लागत पर मापित किया जाता है और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों को प्रकटन किया जाता है। उचित मूल्य के निर्धारण करने में प्रयुक्त निविष्टियों की विश्वसनीयता के बारे में संकेत प्रदान करने के लिए, कंपनी अपने वित्तीय लिखतों को लेखांकन मानकों के अधीन उपबंधित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

उचित मूल्य पर मापित वित्तीय आस्तियाँ एवं देयताएँ

(₹ करोड़ में)

	31-03-2024		31-03-2023	
	स्तर I	स्तर III	स्तर I	स्तर III
एफवीटीपीएल पर वित्तीय आस्तियाँ				
निवेश :				
पारस्परिक निधि/आईसीडी	-	-	-	-

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी है ....)

परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय आस्तियाँ एवं देयताएँ जिसके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है। (₹ करोड़ में)

	31-03-2024		31-03-2023	
	स्तर I	स्तर III	स्तर I	स्तर III
वित्तीय आस्तियाँ				
निवेश :				
सहकारी शेयर	-	0.08	-	0.08
ऋण	-	0.02	-	0.05
व्यवसाय प्राप्य	-	1,892.15	-	1,564.50
नकदी व नकदी समतुल्य	-	119.12	-	532.11
अन्य बैंक अतिशेष,	-	1,798.65	-	3,439.35
अन्य वित्तीय आस्तियाँ	-	1,249.75	-	1,083.59
कुल	**-**	**5,059.77**	**-**	**6,619.68**
वित्तीय देयताएँ				
उधार :				
ईडीसी ऋण	-	157.99	-	163.73
बैंक ओवरड्रॉफ्ट एवं बैंक से अन्य ऋण	-	663.25	-	-
व्यवसाय देय	-	1,329.34	-	993.55
प्रतिभूति जमा	-	397.75	-	334.82
अग्रिम धन	-	87.19	-	82.68
अन्य वित्तीय देयताएँ	-	1,799.63	-	1,285.35
कुल	**-**	**4,435.15**	**-**	**2,860.13**

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :

स्तर I : वित्तीय लिखतों सहित सोपन क्रम को उद्धृत कीमतों का उपयोग करते हुए मापन करता है।

स्तर II : वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में कारबार नहीं किया जाता है को मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो पालनीय बाजार आँकड़ा के उपयोग को अधिकतम करते हैं और संस्था-विशेष प्राक्कलनों पर जितना संभव हो उतना कम निर्भर करते हैं। यदि किसी लिखत के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्त्वपूर्ण निविष्टियाँ पालनीय है तो लिखत को स्तर II में समाविष्ट किया जाता है।

स्तर III : यदि एक या अधिक महत्त्वपूर्ण निविष्टियाँ पालनीय बाजार आँकड़ा पर आधारित नहीं है तो लिखत को स्तर III में समाविष्ट किया गया है। यह असूचीबद्ध साम्या प्रतिभूतियों, अधिमान शेयर उधारों, प्रतिभूति जमाराशियों एवं स्तर III में समाविष्ट अन्य देयताओं के मामलात में है।

1. [ग] अवधारित उचित मूल्य में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय लिखतों का मूल्य आंकने के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों में लिखतों के उद्धृत बाजार कीमतों का उपयोग समाविष्ट है।

1. [घ] महत्त्वपूर्ण अलक्ष्य निविष्टियों का व्यवहार करके उचित मूल्य माप

वर्तमान में महत्वपूर्ण अपालनीय निविष्टियों का उपयोग करके कोई उचित मूल्य मापन नहीं है।

1. [ङ] परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय आस्तियों एवं देयताओं का उचित मूल्य

- व्यवसाय प्राप्य, अल्पावधि जमाराशियों, नकदी और नकदी समतुल्य, व्यवसाय देय को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।
- कंपनी विचार करती है कि प्रतिभूति जमाराशियाँ महत्त्वपूर्ण वित्तपोषण घटक को समाहित नहीं करती हैं। प्रतिभूति जमाराशियाँ कंपनी के कार्य-निष्पादन के अनुरूप होती है और संविदा के लिए वित्त प्रावधानों के इतर कारणों के निमित्त राशियों को प्रतिधारित रखने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मील पत्थर भुगतान के एक विनिर्दिष्ट प्रतिशत का विधारण कंपनी के हितों की संरक्षा करने के लिए किया जाता है क्योंकि संविदाकर्ता संविदा के अधीन अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल रहता है।

महत्वपूर्ण प्राक्कलन : वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य जो सक्रिय बाजार में व्यवसाय नहीं किया जाता है को मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग कर निर्धारित किया जाता है। कंपनी पद्धतियों के चयन में अपने निर्णयों का उपयोग करता है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर उपयुक्त ग्रहणों को बनाती है।

2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के वस्तुनिष्ठ एवं नीतियाँ

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यवसाय और अन्य देय समाहित हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य प्रयोजन कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके संचालन का समर्थन करने के लिए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में ऋण, व्यवसाय और अन्य प्राप्य, और नकदी व नकदी समतुल्य समाहित हैं जो प्रत्यक्षतः इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम एवं चलनिधि जोखिम के लिए उच्छन्न होता है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन का पर्यवेक्षण करते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा आलंबित किया जाता है जो अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के लिए वित्तीय जोखिमों और उपयुक्त वित्तीय जोखिम सुशासन संरचना पर सलाह देती है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उपयुक्त नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं तथा वित्तीय जोखिमों की पहचान, मापन और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इन जोखिमों में से प्रत्येक के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और सहमत होता है, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

यह टिप्पणी जोखिम के उन स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे संस्थान को अवगत कराया जाता है और संस्था वित्तीय विवरणों में जोखिम और रक्षित लेखांकन के प्रभाव का प्रबंधन कैसे करती है।

जोखिम	से उद्भूत उच्छन्न	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	परिशोधित लागत पर मापित नकदी एवं नकदी समतुल्य, व्यवसाय प्राप्य वित्तीय आस्ति	काल-प्रभावन विश्लेषण / साख निर्धारण	लोक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देशों), बैंक जमाराशियाँ साख सीमा एवं अन्य प्रतिभूतियों का विशाखन
चलनिधि जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएँ	आवधिक नकदी प्रवाह	सुपुर्द ऋण व्यवस्था एवं उधार प्रसुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम - विदेशी मुद्रा	भारतीय रूपये में न मूल्यवर्गित भावी वाणिज्यिक अंतरण, निर्धारित वित्तीय आस्तियाँ एवं देयताएँ	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ट प्रबंधन और संपरीक्षक समिति द्वारा नियमित निगरानी एवं पुनर्विलोकन
बाजार जोखिम - ब्याज दर	नकदी एवं नकदी समतुल्य, बैंक जमाराशियाँ एवं पारस्परिक निधियाँ	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	लोक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देशों), वरिष्ट प्रबंधन और संपरीक्षक समिति द्वारा नियमित निगरानी एवं पुनर्विलोकन

कंपनी का जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। निदेशक मंडल समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ अतिरिक्त चलनिधि के निवेश को कवर करने वाली नीतियों के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है।

2. [क] ऋण जोखिम :

2. [क] (अ) ऋण जोखिम प्रबंधन :

प्राप्य मुख्यतः कोयले के विक्रय से उद्भूत होता है। कोयले का विक्रय को विस्तीर्णता से ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) एवं ई-नीलामी के जरिए यथा विक्रय रूपक वर्गीकृत किया जाता है।

समष्टि-आर्थिक सूचना (जैसा कि नियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) और ई-नीलामी शर्तों के अंश के रूप में निगमित किया गया है।

2. [क] (आ) ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए)

नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) की शर्तों यथा अनुध्यात में और उसके अनुसार ही, कंपनी उपभोक्ताओं के साथ या राज्य नामित अभिकरणों के साथ विधिक रूपक प्रवर्तनीय एफएसए में प्रवेश करती है जो परिणामस्वरूप अंतिम उपयोग उपभोक्ताओं के साथ उचित वितरण व्यवस्था में प्रवेश करती है। हमारे एफएसए को विस्तीर्णता से इसमें वर्गीकृत किया जा सकता है:

- विद्युत शक्ति उपयोगिता क्षेत्र, राज्य विद्युत शक्ति उपयोगिता सहित), निजी विद्युत उपयोगिता (“पीपीयू”) एवं स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (""आईपीपी"") के उपभोक्ताओं के साथ एफएसए
- गैर-विद्युत शक्ति उद्योगों (आबद्ध विद्युत शक्ति संयंत्र (“सीपीपी”) सहित) में उपभोक्ताओं के साथ एफएसए; और
- राज्य नामित अभिकरणों के साथ एफएसए

2. [क] (इ) ई-नीलामी योजना

कोयले की ई-नीलामी योजना उन उपभोक्ताओं के लिए कोयले तक पहुँच प्रदान करने के लिए प्रवर्तन की गई है जो नानाविध कारणों से एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से अपनी कोयले की आवश्यकता को पूर्ण करने में सक्षम नहीं थे, उदाहरणस्वरूप, एनसीडीपी के अधीन उनके नियामक आवश्यकता के पूर्ण आवंटन से कम, उनकी कोयले की आवश्यकता की मौसमी-तत्व और कोयले की सीमित आवश्यकता के कारण जिसे दीर्घावधि सहबद्धता की वारंटी नहीं देती है। कोयला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर ई-नीलामी के तहत प्रस्थापित कोयले के परिमाण की समीक्षा की जाती है।

2. [क] (ई) प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान :

कंपनी आजीवन प्रत्याशित ऋण हानि (सरलीकृत उपागम) द्वारा संदिग्ध/ऋण ह्रासित आस्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण जोखिम हानि प्रदान करती है [टिप्पणी- 4.3, व्यवसाय प्राप्य देखें]।

वित्तीय आस्तियों के ह्रास के लिए महत्त्वपूर्ण प्राक्कलन एवं निर्णय

उपरि प्रकट वित्तीय आस्तियों के लिए ह्रास प्रावधान चूक के जोखिम और प्रत्याशित हानि दरों के विषय में ग्रहणों पर आधारित हैं। कंपनी इन ग्रहणों को बनाने और कंपनी के पूर्व इतिहास, विद्यमान बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रगतिशील प्राक्कलनों के आधार पर, ह्रास परिकलन के लिए निविष्टियों का चयन करने में निर्णय का उपयोग करती है।

2. [ख] चलनिधि जोखिम

प्रज्ञायुक्त चलनिधि जोखिम प्रबंधन में पर्याप्त नकदी एवं विपणनयोग्य प्रतिभूतियों को अनुरक्षित करने तथा दायित्वों जब देय को पूरा करने में प्रतिबद्ध ऋण प्रसुविधाओं की यथेष्ट राशियों के जरिए निधियन की उपलब्धता अंतर्हित होता है। अंतर्निहित कारबारों की गतिशील प्रकृति के कारण, कंपनी कोषागार प्रतिबद्ध ऋण व्यवस्था के अधीन उपलब्धता अनुरक्षित करते हुए निधियन में सुनम्यता बनाए रखता है।

प्रबंधन कंपनी के चलनिधि स्थिति (अनाहरित ऋण प्रसुविधाओं को समाविष्ट करके) के पूर्वानुमानों और प्रत्याशित नकदी प्रवाह के आधार पर नकदी व नकदी समतुल्य का अनुश्रवण करता है। यह सामान्यतः कंपनी द्वारा निर्मित परिपाटी एवं सीमाओं के अनुसार कंपनी के परिचालनात्मक कंपनियों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	31-03-2024			31-03-2023		
	1 वर्ष से कम	1 से 5 वर्षों के मध्य	5 वर्ष से अधिक	1 वर्ष से कम	1 से 5 वर्षों के मध्य	5 वर्ष से अधिक
गैर-व्युत्पन्नी वित्तीय देयताएँ						
ब्याज दायित्व सहित उधार	671.15	31.60	118.49	7.79	31.16	124.78
व्यवसाय देय	1,329.34	-	-	993.55	-	-
अन्य वित्तीय देयताएँ	2,070.24	214.33	-	1,609.51	93.34	-

2. [ग] बाजार जोखिम

अ. विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम मुद्रा में मूल्यवर्गित भावी वाणिज्यिक लेन-देनों एवं निर्धारित आस्तियों या देयताओं से उद्भूत होता है जो समूह की कार्यात्मक मुद्रा (भारतीय रूपया) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेन-देन से उद्भूत विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए उच्छन्न होता है। विदेशी परिचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को अमहत्त्वपूर्ण माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और जोखिम का प्रबंधन नियमित अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा किया जाता है। कंपनी की एक नीति होती है जिसे तब अमल में लाया जाता है जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है।

आ. नकदी प्रवाह एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमाराशियों से उद्भूत होता है जो ब्याज दर में परिवर्तन के साथ कंपनी नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम को उच्छन्न करती है। कंपनी की नीति अपनी अधिकांश जमाराशियों को नियत दर पर बनाए रखने की है।

कंपनी लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों (डीपीई), बैंक जमाराशियाँ ऋण सीमाओं के विशाखीकरण एवं अन्य प्रतिभूतियों को प्रयुक्त कर प्रबंधित करता है।

पूँजी प्रबंधन

कंपनी एक सरकारी संस्था होने के नाते अपनी पूँजी का प्रबंधन वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशोंनुसार करती है।

कंपनी का पूँजी विन्यास निम्नलिखित है :

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	31-03-2024	31-03-2023
i. साम्या शेयर पूँजी	4,269.42	4,269.42
ii. दीर्घावधि ऋण :		
ईडीसी ऋण - अप्रचलित	150.09	155.94
ईडीसी ऋण - चालू	7.90	7.79

3. कर्मी प्रसुविधाएँ : निर्धारण एवं मापन (इंड एएस-19)

परिभाषित प्रसुविधा योजनाएँ :

अ. उपदान

कंपनी पात्र कर्मियों को समाविष्ट करते हुए उपदान के लिए एक पश्च-नियोजन परिभाषित प्रसुविधा योजना ("उपदान स्कीम") प्रदान करती है। उपदान भुगतान अधिनियम 1972 यथा संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कंपनी से पार्थक्य के समय उपदान का भुगतान ₹20 लाख की अधिकतम राशि के अध्यधीन कंपनी नियमानुसार किया जाता है। उपदान स्कीम की बाबत तुलन-पत्र में निर्धारित देयता या आस्ति योजनागत आस्तियों के अंकित मूल्य से कम रिपोर्टिंग वर्ष की समाप्ति पर परिभाषित प्रसुविधा दायित्व का वर्तमान मूल्य है। परिभाषित प्रसुविधा दायित्व बीमांककों द्वारा पूर्वानुमानित इकाई साख पद्धति का उपयोग करते हुए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर परिकलित किया जाता है। बीमांकिक ग्रहण में अनुभवजन्य समयोजन एवं परिवर्तन से उद्भूत पुनर्मापित लाभ एवं हानियों को उस अवधि में जिसमें वे होते हैं प्रत्यक्षतः अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में निर्धारित की जाती हैं।

उपदान योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। एलआईसी सेवा के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु के मामले में एक बीमा कवरेज (लाइफ कवर सम एश्योर्ड- "एलसीएसए") भी प्रदान करता है, ताकि अंतिम आहरित वेतन के आधार पर सामान्य सेवानिवृत्ति की तारीख पर अनुमानित देय से उपदान राशि में कमी की भरपाई की जा सके, जो अधिकतम ₹20 लाख की सीमा के अधीन हो।

आ. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय प्रसुविधा - अधिकारी (सीपीआरएमएसई)

कंपनी के पास अधिवर्षिता की उम्र प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति या अस्वस्थता के आधार पर कंपनी से पृथक या सामान्य कोयला संवर्ग के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना या समय-समय पर निश्चित किए और बनाए गए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्त के मद्धे, अधिकतम सीमा के अध्यधीन कंपनी अस्पताल/पैनलकृत अस्पताल या बाह्यरोगी/केवल भारत में अधिवासित में अधिशासियों, उनके पति या पत्नी एवं पूर्णतः वित्तीय रूप से निर्भर दिव्यांग बच्चे (बच्चों) जो किसी भी विकलांगता के 40% से कम नहीं पीड़ित हो को चिकित्सा देख-भाल प्रदान करने के लिए, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा प्रसुविधा योजना नामशः सीआईएल एवं इसकी अनुषंगियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा देख-भाल योजना (सीपीआरएमएसई) है। सीआईएल एवं इसकी अनुषंगियों की सेवाओं से पद त्याग करने वाले अधिशासियों को सदस्यता का विस्तारण नहीं दिया जाता है। बिना किसी ऊपरी सीमा के विनिर्दिष्ट रोगों के सिवाय, संयुक्तत: और पृथकत: सेवानिवृत्त अधिशासियों, पति या पत्नी एवं आश्रित दिव्यांग बच्चे (बच्चों) के लिए पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि ₹25 लाख है। इस योजना को समूह निहितार्थ न्यास जो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अनुरक्षित किया जाता है के जरिए वित्त पोषित किया जाता है।योजना के लिए देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कृत बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

इ. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय प्रसुविधा - कर्मचारी (सीपीआरएमएस-एनई)

यथा वेतन करार के अधीन सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में, अधिवर्षिता की उम्र प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति या अस्वस्थता के आधार पर कंपनी से पृथक या सामान्य कोयला संवर्ग के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना या समय-समय पर निश्चित किए और बनाए गए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्त या 57 वर्ष की उम्र या अधिक में कंपनी से पद त्याग करता है या पति या पत्नी और दिव्यांग बच्चा(चों) की मृत्यु पर के मद्धे, अधिकतम सीमा के अध्यधीन कंपनी अस्पताल/पैनलकृत अस्पताल या बाह्यरोगी/केवल भारत में अधिवासित में गैर-अधिशासियों एवं उनके पति या पत्नी एवं दिव्यांग बच्चा/चों को चिकित्सा देख-भाल प्रदान करने के लिए, कंपनी गैर-अधिशासियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय देख-भाल योजना प्रदान कर रही है। बिना किसी ऊपरी सीमा के विनिर्दिष्ट रोगों के सिवाय, संयुक्तत: और पृथकत: सेवानिवृत्त गैर-अधिशासियों और पति या पत्नी के लिए पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि ₹ 8 लाख है। दिव्यांग बच्चे के पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि ₹ 2.5 लाख होगी। इस योजना का वित्तपोषण भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ अनुरक्षित समूह के लिए न्यास के माध्यम से किया जाता है। योजना के लिए देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कृत बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

परिभाषित अंशदान योजनाएँ :

अ. भविष्य निधि एवं पेंशन

कंपनी पूर्व-निर्धारित दरों से अर्हक कर्मियों के वेतन का नियत प्रतिशत अर्थात् भविष्य निधि एवं पेंशन निधि के लिए मूल वेतन एवं मँहगाई भत्ता का क्रमशः 12% एवं 7% पर आधारित भविष्य निधि एवं पेंशन निधि में सावधि अंशदान का भुगतान करती है। इन निधियों को भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक पृथक सांविधिक निकाय नामतः कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) द्वारा शासित किया जाता है। सावधि निधि अंशदान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

आ. सीआईएल अधिशाषी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एनपीएस)

कंपनी अपने अधिशासियों को एक पश्च-नियोजन अंशदायी पेंशन योजना नामशः "सीआईएल अधिशासी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना - 2007" (यथा न्यू पेंशन स्कीम "एनपीएस" संदर्भित है) प्रदान करती है। एनपीएस को केवल इस प्रयोजनार्थ गठित समूह स्तर पर पृथक न्यास के जरिए प्रबंधित किया जा रहा है। कंपनी का दायित्व न्यास को भविष्य-निधि, उपदान, पश्च-सेवानिवृत्ति चिकित्सीय प्रसुविधाओं – अधिशासी अर्थात् सीपीआरएमएसई या अन्य कोई सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं में नियोक्ता अंशदान से कम मूल वेतन और मँहगाई-भत्ता का 30% से अनधिक राशि के उस परिमाण तक अंशदान करना है। मूल वेतन एवं मँहगाई-भत्ता का 6.99% का सामयिक नियोक्ता अंशदान लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जा रहा है।

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी प्रसुविधाएँ

अ. अवकाश नकदीकरण

कंपनी अपने अधिशासियों को कुल 30 दिवसों का अर्जित अवकाश (ईएल) और 20 दिवसों का अर्ध समादत्त अवकाश (एचपीएल) की प्रसुविधा प्रदान करती है जो प्रत्येक वर्ष के जनवरी और जुलाई के प्रथम दिवस को अर्धवार्षिक रूप से उपचित और जमा की जाती है। सेवा के दौरान, अधिकतम 60 दिवस के अर्जित अवकाश नकदीकरण की सीमा के अध्यधीन प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एकबारगी 75% जमा शेष अर्जित अवकाश नकदीकरण योग्य है। संचित एचपीएल को सेवा की अवधि के दौरान नकदीकरण की अनुमति नहीं है। अधिवर्षिता पर, संयुक्तः अर्जित अवकाश (ईएल) एवं अर्ध समादत्त अवकाश (एचपीएल) को बिना एचपीएल न्यूनीकरण के 300 दिवसों की समग्र सीमा के अध्यधीन नकदीकरण करने के लिए प्रतिफल किया जाता है। गैर-अधिशासियों के मामले में, अवकाश नकदीकरण राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार (एनसीडब्ल्यूए) द्वारा शासित किया जाता है और वर्तमान में कर्मकार 15 दिवस प्रतिवर्ष की दर से अर्जित अवकाश का नकदीकरण प्राप्त करने का हकदार है तथा मृत्यु, सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण सेवा से विरति पर शेष अवकाश या 150 दिवस जो भी कम हो, को नकदीकरण के लिए अनुज्ञात किया जाता है। फलतः अर्जित अवकाश के लिए देयताओं को कर्मी की सेवा के दौरान के साथ-साथ सेवानिवृत्ति के उपरांत निपटारित किया जाना प्रत्याशित है। पूर्वानुमानित इकाई साख पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक कर्मियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के एवज में यथा प्रत्याशित भावी भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापित किया जाता है। प्रसुविधाएँ रिपोर्टिंग अवधि जिसमें सबंद्ध दायित्व निबंधनों के सन्निकट निबंधन हैं की समाप्ति पर बाजार प्रतिफल का उपयोग करके भुनाया जाता है। कंपनी द्वारा योजना के लिए देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार धारित किया जाता है।

आ. जीवन बीमा योजना (एलसीएस)

सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, समूह की एक जीवन बीमा योजना है जिसे कोल इंडिया लिमिटेड (एलसीएस) की जीवन बीमा योजना के रूप में जाना जाता है जिसमें सभी अधिशासी एवं गैर-अधिशासी संवर्ग के कर्मी सम्मिलित हैं। सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में, 01.10.2017 से योजना के तहत नामांकित व्यक्तियों को 1,56,250 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। प्रसुविधाओं की प्रत्याशित लागत तब निर्धारित होती है जब कोई घटना घटित होती है जो योजना के अधीन प्रसुविधा देय का कारण बनती है।

इ. व्यवस्थापन भत्ता

यथा वेतन करार के रूप में, 31.10.2010 से या उपरांत एनसीडब्ल्यूए के अधीन शासित समस्त गैर-अधिशासी संवर्गीय कर्मचारियों को उनके अधिवर्षिता पर ₹12,000.00 की एकमुश्त राशि यथा व्यवस्थापन भत्ता प्रदान की जाती है। कंपनी द्वारा योजना के लिए देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार धारित किया जाता है।

ई. समूह कार्मिक दुर्घटना बीमा (जीपीएआईएस)

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने व्यक्तिगत दुर्घटना के विरूद्ध कंपनी के अधिशासियों को समाविष्ट करने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. से समूह बीमा योजना नामशः "कोल इंडिया अधिशासी सामूहिक कार्मिक दुर्घटना बीमा योजना" (जीपीएआईएस) परिगृहीत किया है। जीपीएआईएस 24 घंटे के आधार पर विश्वव्यापी सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को समाविष्ट करता है। योजना का प्रीमियम सीआईएल द्वारा धारित किया जाता है।

उ. अवकाश यात्रा रियायत

यथा वेतन करार के रूप में, गैर-अधिशासी कर्मी 4 वर्षों के ब्लॉक में एक बार अपने गृहनगर आने और "भारत भ्रमण" के लिए यात्रा सहायता के हकदार हैं। गृहनगर और "भारत भ्रमण" का दौरा करने के लिए क्रमशः ₹10000/- और ₹15000/- की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। कंपनी द्वारा योजना के लिए देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

ऊ. खान दुर्घटना के कारण से कामगार मुआवजा प्रसुविधाएँ

यथा वेतन करार के अधीन सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में, कंपनी कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन अनुज्ञेय प्रसुविधाएँ प्रदान करती है। दिनांक 07.11.2019 से घातक खदान दुर्घटना के मामले में एक कर्मचारी के परिजनों को ₹15 लाख की राशि का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, 01.06.2023 से मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में ₹ 90,000/- की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है। प्रसुविधाओं की प्रत्याशित लागत तब निर्धारित होती है जब कोई घटना घटित होती है जो योजना के अधीन प्रसुविधा देय का कारण बनती है।

परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं एवं अन्य दीर्घावधि कर्मचारी प्रसुविधा योजनाओं का निधियन विवरण यथा निम्नवत हैं :

(i) निधिक

- o उपदान
- o अवकाश निधियन
- o सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय प्रसुविधा - अधिकारी (सीपीआरएमएसई)
- o सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय प्रसुविधा - कर्मचारी (सीपीआरएमएस-कर्मचारी)

(ii) अनिधिक

- o जीवन बीमा योजना
- o व्यवस्थापन भत्ता
- o समूह कार्मिक दुर्घटना बीमा
- o अवकाश यात्रा रियायत
- o खान दुर्घटना प्रसुविधाओं पर आश्रित को मुआवजा

31-03-2024 को कुल देयता बीमांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर ₹6838.93 करोड़ है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

मदे	01-04-2023को यथा प्रारंभिक बीमांकिक देयताएँ	वर्ष के दौरान समायोजन	31-03-2024 को यथा अंतिम बीमांकिक देयताएँ
उपदान योजना	4,514.20	153.93	4,668.13
अवकाश योजना	1,021.28	244.21	1,265.49
एलटीसी - अधिशासी	-	-	-
एलटीसी - गैर-अधिशासी	52.86	1.85	54.71
व्यवस्थापन भत्ता अधिशासी	8.99	0.41	9.40
व्यवस्थापन भत्ता गैर-अधिशासी	21.48	(0.15)	21.33
अधिशासी के लिए पीआरएमबी	175.77	5.29	181.06
गैर-अधिशासी के लिए पीआरएमबी	596.90	41.91	638.81
कुल	**6,391.48**	**447.45**	**6,838.93**

बीमांकक प्रमाणन के अनुसार प्रकटन

उपदान (निधिक) एवं अवकाश नकदीकरण (निधिक) के निमित्त कर्मी प्रसुविधा के लिए बीमांकक का प्रमाण-पत्र के अनुसार प्रकटन निम्नवत है :-

31-03-2024 को यथा भारतीय लेखांकन मानदण्ड 19 के तहत उपदान योजना का बीमांकिक परिकलन

सारिणी 1: परिभाषित प्रसुविधा लागत

क. लाभ एवं हानि (पी&एल)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2024	31-03-2023
चालू सेवा लागत	65.13	99.20
पूर्व सेवा लागत - य जना संशोधित	159.64	-
विरतीकरण लागत / (ऋण)	-	-
व्यवस्थापन लागत / (ऋण)	-	-
सेवा लागत	224.77	99.20
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता/(आस्ति) पर निवल ब्याज	13.40	29.87
(अतिलाभ)/हानि का तात्कालिक निर्धारण - अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधा योजनाएँ	-	-
लाभ व हानि में निर्धारित लागत	**238.16**	**129.07**

ख. अन्य व्यापक आय (ओ.सी.आई.)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2024	31-03-2023
परिभाषित प्रसुविधा दायित्व अनुभव के कारण बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	96.04	96.47
परिभाषित प्रसुविधा दायित्व ग्रहण प्रभार के कारण बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	83.56	(140.10)
year के दौरान उद्भूत बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	179.60	(43.63)
बट्टा दर से (अधिक)/कम योजना आस्तियाँ पर प्रतिलाभ	(45.68)	(48.94)
ओ.सी.आई. में निर्धारित बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	**133.92**	**(92.57)**

ग. परिभाषित प्रसुविधा लागत

(₹ करोड़ में)

	31-03-2024	31-03-2023
सेवा लागत	224.77	99.20
निवल परिभाषित देयता/(आस्ति) पर निवल ब्याज	13.40	29.87
ओ.सी.आई. में निर्धारित बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि	133.92	(92.57)
(अतिलाभ)/हानि का तात्कालिक निर्धारण - अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधा योजनाएँ	-	-
परिभाषित प्रसुविधा लागत	**372.08**	**36.50**

घ. को यथा ग्रहण

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023	31-03-2022
बट्टा दर	7.30%	6.80%
वेतन वृद्धि का दर	अधिकारी वर्ग: 9% कर्मचारी वर्ग: 6.25%	अधिकारी वर्ग: 9% कर्मचारी वर्ग: 6.25%

सारिणी 2 : निवल तुलन-पत्र स्थिति

क. निवल तुलन-पत्र स्थिति का विकास

(₹ करोड़ में)

	31-03-2024	31-03-2023
परिभाषित प्रसुविधा दायित्व (डीबीओ)	(4,668.13)	(4,514.20)
योजना आस्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	4,219.70	4,223.48
निधिक स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(448.42)	(290.73)
आस्ति निर्दिष्ट सीमा का प्रभाव	-	-
निवल परिभाषित प्रसुविधा आस्ति/ (देयता)	**(448.42)**	**(290.73)**

ख. निवल तुलन-पत्र स्थिति का समाधान

(₹ करोड़ में)

	31-03-2024	31-03-2023
पूर्व अवधि में समाप्त पर निवल परिभाषित प्रसुविधा / (देयता)	(290.73)	(624.23)
सेवा लागत	(224.77)	(99.20)
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता/(आस्ति) पर निवल ब्याज	(13.40)	(29.87)
ओ.सी.आई. में निर्धारित राशि	(133.92)	92.57
नियोक्ता अंशदान	214.39	370.00
कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष प्रसुविधा प्रदत्त	-	-
अधिग्रहण ऋण/ (लागत)	-	-
निर्निहितीकरण	-	-
समाप्ति प्रसुविधाओं का लागत	-	-
चालू अवधि की समाप्ति पर निवल परिभाषित प्रसुविधा आस्ति/ (देयता)	**(448.42)**	**(290.73)**

ग. को यथा ग्रहण

	31-03-2024	31-03-2023
बट्टा दर	7.00%	7.30%
वेतन वृद्धि का दर :	" अधिकारी वर्ग: 9% कर्मचारी वर्ग: 6.25% "	" अधिकारी वर्ग: 9% कर्मचारी वर्ग: 6.25% "

सारिणी 3 : प्रसुविधा दायित्वों एवं आस्तियों में परिवर्तन

क. परिभाषित प्रसुविधा दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	31-03-2024	31-03-2023
पूर्व अवधि की समाप्ति पर डीबीओ	4,514.20	4,677.51
चालू सेवा लागत	65.13	99.20
डीबीओ पर ब्याज लागत	309.11	300.42
विरतीकरण (ऋण)/ लागत	-	-
व्यवस्थापन (ऋण)/ लागत	-	-
पूर्व सेवा लागत - योजना संशोधन	159.64	-
अधिग्रहण (ऋण)/ लागत	-	-
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि – अनुभव	96.04	96.47
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि - जनसांख्यिकीय ग्रहण	-	-
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि - वित्तीय ग्रहण	83.56	(140.10)
कंपनी द्वारा प्रत्यक्षतः प्रदत्त प्रसुविधा	-	-
योजना आस्तियों से प्रदत्त प्रसुविधा	(559.56)	(519.29)
चालू अवधि की समाप्ति पर डीबीओ	**4,668.13**	**4,514.20**

ख. आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	31-03-2024	31-03-2023
पूर्व अवधि की समाप्ति पर आस्तियों का उचित मूल्य	4,223.48	4,053.28
अधिग्रहण समायोजन	-	-
योजना आस्तियों पर ब्याज आय	295.72	270.55
नियोक्ता अंशदान	214.39	370.00
बट्टा दर से अधिक/(कम) योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ	45.68	48.94
प्रसुविधाएँ प्रदत्त	(559.56)	(519.29)
चालू अवधि की समाप्ति पर आस्तियों का उचित मूल्य	**4,219.70**	**4,223.48**

सारिणी 4 : अतिरिक्त प्रकटन सूचना

क. समाप्त वर्ष के लिए प्रत्याशित प्रसुविधा भुगतान	**(₹ करोड़ में)**
31 मार्च, 2025	477.01
31 मार्च, 2026	531.83
31 मार्च, 2027	528.25
31 मार्च, 2028	592.06
31 मार्च, 2029	559.53
31 मार्च, 2030 से 31 मार्च, 2034 तक	2,299.56
10 वर्ष से अधिक	3,172.66

ख. 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए प्रत्याशित नियोक्ता अंशदान	**(₹ करोड़ में)**	66.96
ग. परिभाषित प्रसुविधा दायित्व का भारित औसत अवधि		6 वर्ष
घ. 31 मार्च 2024 को यथा उपचित प्रसुविधा दायित्व	**(₹ करोड़ में)**	4,060.46

ङ. 31 मार्च 2024 को यथा योजना आस्ति सूचना	**प्रतिशत**
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ (केन्द्र एवं राज्य)	0.00%
उच्च गुणवत्ता निगमित बॉण्ड (लोक उद्यम बॉण्ड सहित)	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों का साम्या शेयर	0.00%
संपत्ति	0.00%
नकदी (विशेष जमाराशियों सहित)	0.00%
बीमा के योजनाएँ - परंपरागत उत्पाद	100.00%
बीमा के योजनाएँ - यूलिप उत्पाद	0.00%
अन्य	0.00%
कुल	**100.00%**

च. 31 मार्च 2024 को यथा विश्लेषित चालू एवं अप्रचलित देयता	**(₹ करोड़ में)**
	कुल
चालू देयता	461.15
अप्रचलित आस्ति / (देयता)	4,206.98
31 मार्च 2024 को यथा देयता	**4,668.13**

योजना स्वरूप एवं संबद्ध जोखिमों का विवरण

उपदान स्कीम एक अंतिम वेतन परिभाषित प्रसुविधा योजना है जो कोई एक सेवानिवृत्ति, मृत्यु, निःशक्तता या स्वैच्छिक आहरण के रूप में निर्गमन पर सृजित एकमुश्त संदाय के लिए उपबंधित करती है। प्रसुविधाओं को अंतिम वेतन एवं सेवा अवधि के आधार पर परिभाषित किया जाता है और निर्गमन पर यथा एकमुश्त प्रदान किया जाता है। योजना अभिहित (डिजाइन) से देयताओं और वित्तीय परिणामों को सामान्यतः प्रभावित करने वाले जोखिम अभिप्राय है जो प्रत्याशित है :

1. ब्याज दर जोखिम : परिभाषित प्रसुविधा दायित्व सरकारी बॉण्ड पर आधारित बट्टा दर प्रयोग कर परिकलित करता है। यदि बॉण्ड प्रतिफलों में घटता है तो परिभाषित प्रसुविधा दायित्व वृद्धि होगी।
2. वेतन मुद्रास्फीति जोखिम : वेतन में प्रत्याशित से अधिक वृद्धि से परिभाषित प्रसुविधा दायित्व में वृद्धि होगी।
3. जनसंख्यिकीय जोखिम : यह जो मृत्यु दर, आहरण, निःशक्तता और सेवानिवृत्ति को समाविष्ट करता है के ह्रास की अव्यवस्थित प्रकृति के कारण परिणामों की भिन्नता का जोखिम है। परिभाषित लाभ दायित्व पर इन अपक्षयों का प्रभाव सरल नहीं है और वेतन वृद्धि, बट्टा दर और निहित मानदंड के समुच्चय पर निर्भर करता है। यह महत्वपूर्ण है कि आहरण को अत्युक्ति नहीं किया जाए क्योंकि वित्तीय विश्लेषण में एक अल्प कैरियर कर्मी के सेवानिवृत्ति प्रसुविधा की लागत प्रारूपिकतया दीर्घ सेवा वाले कर्मी की तुलना में प्रति वर्ष कम होती है।

निधिक व्यवस्था एवं नीतियों का विवरण

भारत में आदेशाधीन ऐसी योजनाओं के लिए कोई कानूनी न्यूनतम निधियन आवश्यकताएँ नहीं हैं। तदापि एक कंपनी कर छूट प्रसुविधा के परिग्रहण और प्रसुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पृथक अप्रतिसंहरणीय न्यास के माध्यम से प्रसुविधाओं को निधि प्रदान कर सकती है।

'योजना को एक पृथक अप्रतिसंहरणीय न्यास के जरिए वित्त पोषित किया जाता है और कंपनी ट्रस्ट को नियमित अंशदान प्रदान करने के लिए प्रत्याशित है। निधि का प्रबंधन एक बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है और आस्तियों को उनके पारंपरिक समूह उपदान उत्पाद में निवेश किया जाता है। निधि संचित शेष राशि की पूँजी गारंटी प्रदान करता है और आवधिकतः ब्याज घोषित करता है जिसे निधि खाते में जमा किया जाता है। यद्यपि हम जानते हैं कि निधि प्रबंधन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआईडीए) द्वारा अनुमोदित उत्पादों और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 101 के अधीन यथा नियत निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश करता है, सटीक आस्ति मिश्रण अज्ञात है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

निधि प्रबंधन द्वारा प्रबंधित न्यास आस्तियाएँ अत्यधिक अर्थसुलभ प्रकृति की होती है और हम किसी भी महत्वपूर्ण चलनिधि जोखिम की प्रत्याशा नहीं करते हैं।
न्यासी न्यास की आस्तियों के निवेश के साथ-साथ योजना के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। ट्रस्ट का प्रशासनिक खर्च कंपनी वहन करती है। न्यासियों को आवश्यक व्यवसाय उदाहरणार्थ न्यास की वित्तीय विवरणी का अनुमोदन, निवेश प्रदर्शन का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता होती है।

सारणी 5 : संवेदनशीलता विश्लेषण		
31 मार्च 2024 को यथा आधार ग्रहण पर डीबीओ	**(₹ करोड़ में)**	4,668.13
क. बट्टा दर		
31 मार्च 2024 को यथा बट्टा दर"		7.00%
1. बट्टा दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	**(₹ करोड़ में)**	(137.60)
प्रतिशत प्रभाव		-3.00%
2. बट्टा दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	**(₹ करोड़ में)**	146.32
प्रतिशत प्रभाव		3.00%
ख. वेतन वृद्धि दर		
31 मार्च 2024 को यथा वेतन वृद्धि दर		अधिकारी वर्ग: 9% कर्मचारी वर्ग: 6.25%
1. वेतन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	**(₹ करोड़ में)**	39.11
प्रतिशत प्रभाव		1.00%
2. वेतन वृद्धि में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	**(₹ करोड़ में)**	(41.38)
प्रतिशत प्रभाव		-1.00%

समूह उपदान बीमा योजना

कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ कर्मचारी समूह उपदान बीमा योजना को अपनाया है और इसके लिए वर्ष 2012-13 में एलआईसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पहले ही किया जा चुका है। उपर्युक्त योजना का प्रबंधन करने के लिए न्यासियों के साथ न्यास विलेख में प्रवेश करके एक कर्मचारी समूह उपदान न्यास का गठन किया गया है। उक्त योजना के तहत एलआईसी के पास शेष राशि निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	31-03-2024	31-03-2023
वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक शेष"	4,374.64	4,053.28
जोड़ : वर्ष के दौरान निवेश	214.39	370.00
जोड़ : वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	341.39	319.49
न्यून : वर्ष के दौरान निर्गत निधि	505.94	368.13
वर्ष के अंत में अंतिम शेष	4,424.48	4,374.64

31-03-2024 को यथा भारतीय लेखांकन मानक 19 के अधीन अवकाश प्रसुविधा योजना का बीमांकिक परिकलन

चालू मूल्यांकन तिथि को यथा उत्तम प्राक्कलन ग्रहण पर आधारित एक नजर में मूल्यांकन यथा निम्न प्रदत्त है :

सारिणी 1: परिभाषित प्रसुविधा लागत का प्रकटन

क. लाभ व हानि (पी&एल)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2024	31-03-2023
चालू सेवा लागत	227.46	198.68
पूर्व सेवा लागत - योजना संशोधन	119.61	-
विरतीकरण लागत / (ऋण)	-	-
व्यवस्थापन लागत/ (ऋण)	-	-
सेवा लागत	347.07	198.68
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता/ (आस्ति) पर निवल ब्याज	18.32	13.02
(अतिलाभ)/हानि का तात्कालिक निर्धारण - अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधा योजनाएँ	117.96	51.73
लाभ व हानि में निर्धारित लागत	**483.34**	**263.43**

ख. अन्य व्यापक आयक (ओसीआई) (₹ करोड़ में)

	31-03-2024	31-03-2023
डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि	90.23	108.49
डीबीओ ग्रहण प्रभार के कारण बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	30.62	(43.10)
वर्ष के दौरान उद्भूत बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	120.84	65.40
बट्टा दर से (अधिक)/ कम योजना आस्तियों पर वापसी	(2.89)	(13.66)
ओसीआई में निर्धारित बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	**-**	**-**

ग. परिभाषित लागत (₹ करोड़ में)

	31-03-2024	31-03-2023
सेवा लागत	347.07	198.68
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता/(आस्ति) पर निवल ब्याज	18.32	13.02
ओसीआई में निर्धारित बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि	-	-
(अतिलाभ)/ हानि का तात्कालिक निर्धारण - अन्य पूर्वदीर्घावधि कर्मी प्रसुविधा योजनाएँ	117.96	51.73
परिभाषित प्रसुविधा लागत	**483.34**	**263.43**

घ. को यथा ग्रहण

	31-03-2023	31-03-2022
बट्टा दर	7.30%	6.80%
वतन वृद्धि का दर	अधिकारी वर्ग: 9% कर्मचारी वर्ग: 6.25%	अधिकारी वर्ग: 9% कर्मचारी वर्ग: 6.25%

सारिणी 2 : निवल तुलन-पत्र स्थिति

क. निवल तुलन-पत्र स्थिति का विकास (₹ करोड़ में)

	31-03-2024	31-03-2023
परिभाषित प्रसुविधा दायित्व (डीबीओ)	(1,265.49)	(1,021.28)
योजना आस्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	713.72	587.85
निधिक स्थिति [अधिशेष/घाटा)]	(551.77)	(433.43)
आस्ति निर्दिष्ट सीमा का प्रभाव	-	-
निवल परिभाषित प्रसुविधा आस्ति/ (देयता)	**(551.77)**	**(433.43)**

ख. निवल तुलन-पत्र स्थिति का समाधान (₹ करोड़ में)

	31-03-2024	31-03-2023
पूर्व अवधि की समाप्ति पर निवल परिभाषित प्रसुविधा आस्ति / (देयता)	(433.43)	(213.00)
सेवा लागत	(347.07)	(198.68)
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता / (आस्ति) पर निवल ब्याज	(18.32)	(13.02)
बीमांकिक (हानि)/अतिलाभ	(117.96)	(51.73)
नियोक्ता अंशदान	365.00	43.00
कंपनी द्वारा प्रत्यक्षतः प्रदत्त प्रसुविधा	-	-
अधिग्रहण ऋण/ (लागत)	-	-
निर्निहितीकरण	-	-
समाप्ति प्रसुविधाओं का लागत	-	-
चालू अवधि की समाप्ति पर निवल परिभाषित प्रसुविधा आस्ति/ (देयता)	**(551.77)**	**(433.43)**

ग. को यथा ग्रहण (₹ करोड़ में)

	31-03-2024	31-03-2023
बट्टा दर	7.00%	7.30%
वेतन वृद्धि की दर	अधिकारी वर्ग: 9% कर्मचारी वर्ग: 6.25%	अधिकारी वर्ग: 9% कर्मचारी वर्ग: 6.25%

सारिणी 3 : प्रसुविधा दायित्वों एवं आस्तियों में परिवर्तन

क. परिभाषित प्रसुविधा दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन **(₹ करोड़ में)**

	31-03-2024	31-03-2023
पूर्व अवधि की समाप्ति पर डीबीओ	1,021.28	917.18
चालू सेवा लागत	227.46	198.68
डीबीओ पर ब्याज लागत	64.05	55.06
विरतीकरण (ऋण)/ लागत	-	-
व्यवस्थापन (ऋण)/ लागत	-	-
पूर्व सेवा लागत - योजना संशोधन	119.61	-
अधिग्रहण (ऋण)/ लागत	-	-
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि – अनुभव	90.23	108.49
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि - जनसांख्यिकीय ग्रहण	-	-
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि - वित्तीय ग्रहण	30.62	(43.10)
कंपनी द्वारा प्रत्यक्षतः प्रदत्त प्रसुविधा	-	-
योजना आस्तियों से प्रदत्त प्रसुविधा	(287.75)	(215.03)
चालू अवधि की समाप्ति पर डीबीओ	**1,265.49**	**1,021.28**

ख. आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन **(₹ करोड़ में)**

	31-03-2024	31-03-2023
पूर्व अवधि की समाप्ति पर आस्तियों का उचित मूल्य	587.85	704.18
अधिग्रहण समायोजन	-	-
योजना आस्तियों पर ब्याज आय	45.73	42.04
नियोक्ता अंशदान	365.00	43.00
बट्टा दर से अधिक/(कम) योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ	2.89	13.66
प्रदत्त प्रसुविधाएँ	(287.75)	(215.03)
चालू अवधि की समाप्ति पर आस्तियों का उचित मूल्य	**713.73**	**587.85**

सारिणी 4 : अतिरिक्त प्रकटन सूचना

क. समाप्त वर्ष के लिए प्रत्याशित प्रसुविधा भुगतानें		**(₹ करोड़ में)**
31 मार्च, 2025		107.61
31 मार्च, 2026		117.17
31 मार्च, 2027		122.06
31 मार्च, 2028		134.39
31 मार्च, 2029		134.11
31 मार्च, 2030 से 31 मार्च, 2034 तक		571.74
10 वर्ष से अधिक		1,613.21
ख. 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए प्रत्याशित नियोक्ता अंशदान	**(₹ करोड़ में)**	254.84
ग. परिभाषित प्रसुविधा दायित्व का भारित औसत अवधि		9 वर्ष
घ. 31 मार्च 2024 को उपचित प्रसुविधा दायित्व	**(₹ करोड़ में)**	798.27
ङ. 31 मार्च 2024 को यथा योजना आस्ति सूचना		
		प्रतिशत
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ (केन्द्र एवं राज्य)		0.00%
उच्च गुणवत्ता निगमित बॉण्ड (लोक उद्यम बॉण्ड सहित)		0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों का साम्या शेयर		0.00%
संपत्ति		0.00%
नकदी (विशेष जमाराशियों सहित)		0.00%
		प्रतिशत
बीमा के योजनाएँ - परंपरागत उत्पाद		100.00%

बीमा के योजनाएँ - यूलिप उत्पाद		0.00%
अन्य		0.00%
कुल		**100.00%**

च. 31 मार्च 2024 को यथा विश्लेषित चालू एवं अप्रचलित देयता		
		कुल
चालू देयता		104.03
अप्रचलित आस्ति/(देयता)		1,161.46
31 मार्च 2024 को यथा देयता"		**1,265.49**

'योजना स्वरूप एवं संबद्ध जोखिमों का विवरण

'अवकाश स्कीम एक अंतिम वेतन परिभाषित प्रसुविधा योजना है जो कोई एक सेवानिवृत्ति, मृत्यु, निःशक्तता या स्वैच्छिक आहरण के रूप में निर्गमन पर सृजित एकमुश्त संदाय के लिए उपबंधित करती है। प्रसुविधाओं को अंतिम वेतन एवं संचित अवकाश शेषों के आधार पर परिभाषित किया जाता है और निर्गमन पर यथा एकमुश्त प्रदान किया जाता है। योजना अभिहित (डिजाइन) से देयताओं और वित्तीय परिणामों को सामान्यतः प्रभावित करने वाले जोखिम अभिप्राय है जो प्रत्याशित है :

1.ब्याज दर जोखिम : परिभाषित प्रसुविधा दायित्व सरकारी बॉण्ड पर आधारित बट्टा दर प्रयोग कर परिकलित करता है। यदि बॉण्ड प्रतिफलों में घटता है तो परिभाषित प्रसुविधा दायित्व वृद्धि होगी।

2. वेतन मुद्रास्फीति जोखिम : वेतन में प्रत्याशित से अधिक वृद्धि से परिभाषित प्रसुविधा दायित्व में वृद्धि होगी।"

3.जनसंख्यिकीय जोखिम : यह जो मृत्यु दर, आहरण, निःशक्तता और सेवानिवृत्ति को समाविष्ट करता है के ह्रास की अव्यवस्थित प्रकृति के कारण परिणामों की भिन्नता का जोखिम है। परिभाषित लाभ दायित्व पर इन अपक्षयों का प्रभाव सरल नहीं है और वेतन वृद्धि, बट्टा दर और निहित मानदंड के समुच्चय पर निर्भर करता है। यह महत्वपूर्ण है कि आहरण को अत्युक्ति नहीं किया जाए क्योंकि वित्तीय विश्लेषण में एक अल्प कैरियर कर्मी के सेवानिवृत्ति प्रसुविधा की लागत प्रारूपिकतया दीर्घ सेवा वाले कर्मी की तुलना में प्रति वर्ष कम होती है।

4.अवकाश शेषों में परिवर्तन : यह अवकाश शेषों के प्रत्याशित संचय से महत्वपूर्ण अंतर के कारण परिणामों की भिन्नता का जोखिम है। अवकाश शेषों में प्रत्याशित से अधिक वृद्धि से परिभाषित प्रसुविधा दायित्व में वृद्धि होगी।"

निधिक व्यवस्था एवं नीतियों का विवरण

'भारत में आदेशाधीन ऐसी योजनाओं के लिए कोई कानूनी न्यूनतम निधियन आवश्यकताएँ नहीं हैं। तदापि एक कंपनी कर छूट प्रसुविधा के परिग्रहण और प्रसुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पृथक अप्रतिसंहरणीय न्यास के माध्यम से प्रसुविधाओं को निधि प्रदान कर सकती है।

'योजना को एक पृथक अप्रतिसंहरणीय न्यास के जरिए वित्त पोषित किया जाता है और कंपनी ट्रस्ट को नियमित अंशदान प्रदान करने के लिए प्रत्याशित है। निधि का प्रबंधन एक बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है और आस्तियों को उनके पारंपरिक समूह उपदान उत्पाद में निवेश किया जाता है। निधि संचित शेष राशि की पूँजी गारंटी प्रदान करता है और आवधिकतः ब्याज घोषित करता है जिसे निधि खाते में जमा किया जाता है। यद्यपि हम जानते हैं कि निधि प्रबंधन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआईडीए) द्वारा अनुमोदित उत्पादों और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 101 के अधीन यथा नियत निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश करता है, सटीक आस्ति मिश्रण अज्ञात है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

निधि प्रबंधन द्वारा प्रबंधित न्यास आस्तियाएँ अत्यधिक अर्थसुलभ प्रकृति की होती है और हम किसी भी महत्वपूर्ण चलनिधि जोखिम की प्रत्याशा नहीं करते हैं।

'न्यासी न्यास की आस्तियों के निवेश के साथ-साथ योजना के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। ट्रस्ट का प्रशासनिक खर्च कंपनी वहन करती है। न्यासियों को आवश्यक व्यवसाय उदाहरणार्थ न्यास की वित्तीय विवरणी का अनुमोदन, निवेश प्रदर्शन का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता होती है।

सारणी 5 : संवेदनशीलता विश्लेषण

31 मार्च 2024 को यथा आधार ग्रहण पर डीबीओ	**(₹ करोड़ में)**	1,265.49
क. बट्टा दर		
31 मार्च 2024 को यथा बट्टा दर		7.00%
1. बट्टा दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	**(₹ करोड़ में)**	(50.24)
प्रतिशत प्रभाव		-4.00%
2. बट्टा दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	**(₹ करोड़ में)**	54.43
प्रतिशत प्रभाव		4.00%

ख. वेतन वृद्धि दर		
31 मार्च 2024 को यथा वेतन वृद्धि दर		अधिकारी वर्ग:9% कर्मचारी वर्ग: 6.25%
1. वेतन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	**(₹ करोड़ में)**	54.21
प्रतिशत प्रभाव		4.00%
2. वेतन वृद्धि में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	**(₹ करोड़ में)**	(50.52)
प्रतिशत प्रभाव		-4.00%

अवकाश नकदीकरण निधियन

कोल इंडिया निदेशक मण्डल ने 13 नवम्बर 2015 को आयोजित अपने 322वीं बैठक में भारतीय जीवन बीमा निगम एवं आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा कंपनियों के साथ 70:30 के अनुपात में अवकाश नकदीकरण देयता के वित्तपोषण के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा कंपनियों का चयन सीआईएल स्तर पर प्रक्रियाधीन है। इस बीच, सीआईएल द्वारा सभी अनुषंगी कंपनियों को नई समूह अवकाश नकदीकरण योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ अवकाश नकदीकरण देयता का निधियन आरंभ करने की सलाह दी गई थी। तदनुसार, कंपनी ने एलआईसी के मास्टर प्रस्ताव नामतः 'नई समूह नकदीकरण नकदी संचयन योजना (यूआईएन512N282V01)' को अपनाते हुए नई समूह अवकाश नकदीकरण योजना में वित्तपोषण आरंभ कर दिया है। उक्त योजना के अधीन एलआईसी के साथ शेष यथा निम्नवत है :

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	31-03-2024	31-03-2023
वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक शेष	715.62	704.18
जोड़ : वर्ष के दौरान निवेश	365.00	43.00
जोड़ : वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	48.62	55.70
न्यून : वर्ष के दौरान निर्गत अवकाश नकदीकरण निधियन	456.64	87.26
वर्ष के अंत में अंतिम शेष	672.60	715.62

31-03-2024 को यथा भारतीय लेखांकन मानक 19 के अधीन सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय प्रसुविधा का बीमांकिक परिकलन

चालू मूल्यांकन तिथि को यथा उत्तम प्राक्कलन ग्रहण पर आधारित एक नजर में मूल्यांकन यथा निम्न प्रदत्त है :

सारणी 1 : परिभाषित प्रसुविधा लागत का प्रकटन

क. लाभ एवं हानि (पी एवं एल) **(₹ करोड़ में)**

	31-03-2024	31-03-2023
चालू सेवा लागत	20.73	22.49
पूर्व सेवा लागत - योजना संशोधित	-	-
विरतीकरण लागत / (ऋण)	-	-
व्यवस्थापन लागत / (ऋण)	-	-
सेवा लागत	20.73	22.49
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता/(आस्ति) पर निवल ब्याज	30.80	36.22
(अतिलाभ)/हानि का तात्कालिक निर्धारण - अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधा योजनाएँ	-	-
लाभ व हानि में निर्धारित लागत	**51.53**	**58.71**

ख. अन्य व्यापक आय (ओ.सी.आई.) **(₹ करोड़ में)**

	31-03-2024	31-03-2023
परिभाषित प्रसुविधा दायित्व अनुभव के कारण बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	(59.09)	(18.22)
परिभाषित प्रसुविधा दायित्व ग्रहण प्रभार के कारण बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	29.16	(49.79)
वर्ष के दौरान उत्पन्न बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	(29.93)	(68.01)
बट्टा दर से (अधिक)/ कम योजना आस्तियाँ पर वापसी	(9.78)	8.58
ओसीआई में निर्धारित बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि	**(39.71)**	**(59.43)**

ग. परिभाषित प्रसुविधा लागत **(₹ करोड़ में)**

	31-03-2024	31-03-2023
सेवा लागत	20.73	22.49
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता/ (आस्ति) पर निवल ब्याज	30.80	36.22

(₹ करोड़ में)

	31-03-2024	31-03-2023
ओसीआई में निर्धारित बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	(39.72)	(59.43)
(अतिलाभ)/ हानि का तात्कालिक निर्धारण - अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधा योजनाएँ	-	-
परिभाषित प्रसुविधा लागत	**11.81**	**(0.72)**

घ. को यथा ग्रहण

(₹ करोड़ में)

	31-03-2023	31-03-2022
बट्टा दर	7.30%	6.85%
चिकित्सीय मुद्रास्फीति दर	-	-

सारिणी 2 : निवल तुलन-पत्र स्थिति

क. निवल तुलन-पत्र स्थिति

(₹ करोड़ में)

	31-03-2024	31-03-2023
परिभाषित प्रसुविधा दायित्व (डीबीओ)	(819.88)	(772.67)
योजना आस्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	417.52	319.36
निधिक स्थिति [अधिशेष/(ह्रास)]	(402.36)	(453.31)
आस्ति निर्दिष्ट सीमा का प्रभाव	-	-
परिभाषित प्रसुविधा आस्ति/(देयता)	**(402.36)**	**(453.31)**

ख. निवल तुलन-पत्र स्थिति का समाधान

(₹ करोड़ में)

	31-03-2024	31-03-2023
पूर्व अवधि की समाप्ति पर निवल परिभाषित प्रसुविधा आस्ति / (देयता)	(453.31)	(611.11)
सेवा लागत	(20.73)	(22.49)
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता / (आस्ति) पर निवल ब्याज	(30.80)	(36.22)
बीमांकिक (हानि)/अतिलाभ	39.72	59.43
नियोक्ता अंशदान	62.77	157.07
कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष प्रसुविधा प्रदत्त	-	-
अधिग्रहण ऋण/ (लागत)	-	-
निर्निहितीकरण	-	-
समाप्ति प्रसुविधाओं का लागत	-	-
चालू अवधि की समाप्ति पर निवल परिभाषित प्रसुविधा आस्ति/ (देयता)	**(402.36)**	**(453.31)**

ग. को यथा ग्रहण

(₹ करोड़ में)

	31-03-2024	31-03-2023
बट्टा दर	7.00%	7.30%
चिकित्सीय मुद्रास्फीति दर	0.00%	0.00%

सारिणी 3 : प्रसुविधा दायित्वों एवं आस्तियों में परिवर्तन

क. परिभाषित प्रसुविधा दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	31-03-2024	31-03-2023
पूर्व अवधि की समाप्ति पर डीबीओ	772.67	802.55
चालू सेवा लागत	20.73	22.49
डीबीओ पर ब्याज लागत	56.41	53.29
विरतीकरण (ऋण)/ लागत	-	-
व्यवस्थापन (ऋण)/ लागत	-	-
पूर्व सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
अधिग्रहण (ऋण)/ लागत	-	-
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि – अनुभव	(59.09)	(18.22)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2024	31-03-2023
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि - जनसांख्यिकीय ग्रहण	-	-
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि - वित्तीय ग्रहण	29.16	(49.79)
कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष प्रसुविधा प्रदत्त	-	-
योजना आस्तियों से प्रसुविधा प्रदत्त	-	(37.65)
चालू अवधि की समाप्ति पर डीबीओ	**819.88**	**772.67**

ख. आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	31-03-2024	31-03-2023
पूर्व अवधि की समाप्ति पर आस्तियों का उचित मूल्य	319.36	191.44
अधिग्रहण समायोजन	-	-
योजना आस्तियों पर ब्याज आय	25.60	17.08
नियोक्ता अंशदान	62.77	157.07
बट्टा दर से अधिक/(कम) योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ	9.78	(8.58)
प्रसुविधाएँ प्रदत्त	-	(37.65)
चालू अवधि की समाप्ति पर आस्तियों का उचित मूल्य	**417.51**	**319.36**

सारणी 4 : अतिरिक्त प्रकटन सूचना

क. समाप्त वर्ष के लिए प्रत्याशित प्रसुविधा भुगताने		**(₹ करोड़ में)**
31 मार्च, 2025		32.38
31 मार्च, 2026		38.08
31 मार्च, 2027		43.07
31 मार्च, 2028		48.16
31 मार्च, 2029		53.21
31 मार्च, 2030 से 31 मार्च, 2034 तक		320.33
10 वर्ष से अधिक		1,809.59
ख. परिभाषित प्रसुविधा दायित्व का भारित औसत अवधि		13 Years
ग. 31 मार्च 2024 को उपचित प्रसुविधा दायित्व	**(₹ करोड़ में)**	819.88

योजना स्वरूप एवं संबद्ध जोखिमों का विवरण

पीआरएमबी स्कीम एक नियत मौद्रिक राशिजन्य परिभाषित प्रसुविधा योजना है जो सेवानिवृत्ति के उपरांत जब एक सेवानिवृत्त कर्मी चिकित्सीय प्रसुविदाओं का दावा करता है तब सृजित एकमुश्त संदाय उपबंधित करता है। प्रसुविधाएँ सेवानिवृत्ति के उपरांत अधिकतम सीमा तक चिकित्सीय व्यय (यथा कंपनी द्वारा बीमा कंपनी को प्रदत्त प्रीमियम पर मूल्यांकित) के अधीन दावाकृत राशि के आधार पर परिभाषित की जाती है। योजना अभिहित (डिजाइन) से देयताओं और वित्तीय परिणामों को सामान्यतः प्रभावित करने वाले जोखिम अभिप्राय है जो प्रत्याशित है :

1. ब्याज दर जोखिम : परिभाषित प्रसुविधा दायित्व सरकारी बॉण्ड पर आधारित बट्टा दर प्रयोग कर परिकलित करता है। यदि बॉण्ड प्रतिफलों में घटता है तो परिभाषित प्रसुविधा दायित्व वृद्धि होगी।

2. चिकित्सीय मुद्रास्फीति जोखिम : प्रीमियम में प्रत्याशित से अधिक वृद्धि से परिभाषित प्रसुविधा दायित्व में वृद्धि हो सकती है। यद्यपि, बीमा कंपनी द्वारा संदाय प्रसुविधा को सीमित करके (कंपनी के लिए प्रीमियम राशि को सीमित करके) इस जोखिम को कम किया जाता है।

3.जनसंख्यिकीय जोखिम : यह जो मृत्यु दर, आहरण, निःशक्तता और सेवानिवृत्ति को समाविष्ट करता है के ह्रास की अव्यवस्थित प्रकृति के कारण परिणामों की भिन्नता का जोखिम है। परिभाषित लाभ दायित्व पर इन अपक्षयों का प्रभाव सरल नहीं है और वेतन वृद्धि, बट्टा दर और निहित मानदंड के समुच्चय पर निर्भर करता है। यह महत्वपूर्ण है कि आहरण को अत्युक्ति नहीं किया जाए क्योंकि वित्तीय विश्लेषण में एक अल्प कैरियर कर्मी के सेवानिवृत्ति प्रसुविधा की लागत प्रारूपिकतया दीर्घ सेवा वाले कर्मी की तुलना में प्रति वर्ष कम होती है।

निधिक व्यवस्था एवं नीतियों का विवरण

भारत में आदेशाधीन ऐसी योजनाओं के लिए कोई कानूनी न्यूनतम निधियन आवश्यकताएँ नहीं हैं। तदापि एक कंपनी कर छूट प्रसुविधा के परिग्रहण और प्रसुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पृथक अप्रतिसंहरणीय न्यास के माध्यम से प्रसुविधाओं को निधि प्रदान कर सकती है।

'योजना को एक पृथक अप्रतिसंहरणीय न्यास के जरिए वित्त पोषित किया जाता है और कंपनी ट्रस्ट को नियमित अंशदान प्रदान करने के लिए प्रत्याशित है। निधि का प्रबंधन एक बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है और आस्तियों को उनके पारंपरिक समूह उपदान उत्पाद में निवेश किया जाता है। निधि संचित शेष राशि की पूँजी गारंटी प्रदान करता है और आवधिकतः ब्याज घोषित करता है जिसे निधि खाते में जमा किया जाता है। यद्यपि हम जानते हैं कि निधि प्रबंधन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआईडीए) द्वारा अनुमोदित उत्पादों और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 101 के अधीन यथा नियत निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश करता है, सटीक आस्ति मिश्रण अज्ञात है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

निधि प्रबंधन द्वारा प्रबंधित न्यास आस्तियाएँ अत्यधिक अर्थसुलभ प्रकृति की होती है और हम किसी भी महत्वपूर्ण चलनिधि जोखिम की प्रत्याशा नहीं करते हैं।

न्यासी न्यास की आस्तियों के निवेश के साथ-साथ योजना के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। ट्रस्ट का प्रशासनिक खर्च कंपनी वहन करती है। न्यासियों को आवश्यक व्यवसाय उदाहरणार्थ न्यास की वित्तीय विवरणी का अनुमोदन, निवेश प्रदर्शन का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता होती है।

सारणी 5 : संवेदनशीलता विश्लेषण

31 मार्च 2024 को यथा आधार ग्रहण पर डीबीओ	**(₹ करोड़ में)**	819.88
क. बट्टा दर		
31 मार्च 2024 को यथा बट्टा दर		7.00%
1. बट्टा दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	**(₹ करोड़ में)**	(47.67)
प्रतिशत प्रभाव		-6.00%
2. बट्टा दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	**(₹ करोड़ में)**	52.64
प्रतिशत प्रभाव		6.00%

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय प्रसुविधा निधियन

इस प्रयोजन के लिए केवल सामूहिक स्थल पर सीआईएल द्वारा अनुरक्षित न्यास के जरिये सेवानिवृत्ति उपरांत प्रसुविधा योजना को निधिक किया जाता है। न्यास निधि के साथ शेष निम्नलिखित है :

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	31-03-2024	31-03-2023
वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक शेष	319.36	191.44
जोड़ : वर्ष के दौरान निवेश	62.77	157.07
जोड़ : वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	35.39	8.50
न्यून : वर्ष के दौरान निर्गत निधि	-	37.65
वर्ष के अंत में अंतिम शेष	417.52	319.36

4. अनिर्धारित मदें

4. [क]. आकस्मिक देयताएँ :

4. [क].I. कंपनी के विरूद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।

सारणी - I **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	केंद्रीय सरकार	राज्य सरकार एवं अन्य अवस्थाने**	सीपीएसई	अन्य	कुल
1.	**01.04.2023 को यथा प्रारंभिक लेखा**	**2,250.45**	**869.95**	**-**	**1,012.92**	**4,133.32**
2.	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	16.20	-	107.75	**123.95**
3.	वर्ष के दौरान निपटारित					
	अ. प्रारंभिक शेष से	(89.88)	(5.56)	-	(122.77)	**(218.21)**
	आ. वर्ष के दौरान परिवर्धन के	-	-	-	(0.67)	**(0.67)**
	इ. वर्ष के दौरान कुल निपटारित (अ+आ)	(89.88)	(5.56)	-	(123.44)	**(218.88)**
4.	**31-03-2024 को यथा लेखाबंदी**	**2,160.57**	**880.59**	**-**	**997.23**	**4,038.39**

प्रबंधन का मानना है कि उक्त के परिणाम का कंपनी पर कोई तात्विक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सारणी - II **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2023
1.	**केंद्रीय सरकार**		
	आयकर	1,119.88	1,152.52
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	869.42	880.61
	केंद्रीय विक्रय-कर	69.48	115.53
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	101.79	101.79
	अंशसमष्टि (i)	**2,160.57**	**2,250.45**
2.	**राज्य सरकार**		
	रॉयल्टी	67.48	66.99
	पर्यावरण सहमति*	-	-
	विक्रय-कर / मूल्यवर्धित कर	33.17	36.10
	विद्युत शुल्क	2.32	2.59
	अन्य :		
	आरई उपकर एवं पीई उपकर	736.10	736.10
	अन्य	41.52	28.17
	अंशसमष्टि (ii)	**880.59**	**869.95**
3.	**केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम**		
	मध्यस्थम् कार्यवाहियाँ	-	-
	मुकदमा के अधीन कंपनी के विरूद्ध वाद	-	-
	अन्य	-	-
	अंशसमष्टि (iii)	**-**	**-**
4.	**अन्य**		
	प्रकीर्ण - भूमि	16.69	17.52
	अन्य (कर्मी संबंधित एवं इत्यादि)	980.54	995.40
	अंशसमष्टि (iv)	**997.23**	**1,012.92**
	समग्र कुल (i + ii + iii + iv)	**4,038.39**	**4,133.32**

***माननीय उच्चतम न्यायालय के आधर पर एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के अधीन अवैध या विधिविरूद्ध खनित खनिज के लिए यथा शास्ति झारखण्ड राज्य एवं जिला खनन अधिकारी का माँग :** झारखण्ड सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अधीन अवैध या विधिविरूद्ध खनित खनिज के लिए यथा शास्ति ₹2,178.14 करोड़ की माँग राशि समुत्थापित किया है जो राजमहल क्षेत्र, संथाल परगना माइन्स एवं मुगमा क्षेत्र को क्रमशः सहायक खनन अधिकारी/जिला खनन अधिकारियों द्वारा निर्गत 11 माँग सूचनाओं को समाविष्ट करता है। इस संबंध में, ईसीएल के संबद्ध क्षेत्रों ने भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष अभिकथित अतिक्रमण संबंधी झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा निर्गत माँग सूचनाओं पर आक्षेप करते हुए 11 पुनरीक्षण प्रत्यावेदन दायर की हैं।

कोयला मंत्रालय के माननीय कोयला न्यायाधिकरण के पुनरीक्षण प्राधिकारी ने दिनांक 22.01.2018 के आदेश के तहत, आगे के आदेश तक, माँग सूचनाओं पर रोक लगा दिया है। आगे, कोयला मंत्रालय के माननीय कोयला न्यायाधिकरण के पुनरीक्षण प्राधिकारी निर्देशित किया है कि आक्षेपित माँग सूचनाओं के अनुसरण में प्रत्यर्थी द्वारा आवेदक के विरूद्ध कोई प्रपीड़न कार्रवाई नहीं की जाएगी। पुनरीक्षण प्राधिकरण, माननीय कोयला अधिकरण, कोयला मंत्रालय ने अपने दिनांक 29.06.2022 के आदेश के तहत झारखंड राज्य द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया है।

पुनरीक्षण प्राधिकारी ने देखा है कि मामलों में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कोई उचित तथ्यात्मक जाँच या जाँच शुरू नहीं की गई है। आवेदकों को अपनी आपत्तियाँ और प्रासंगिक सामग्री रखने का उचित और उचित अवसर दिए बिना निर्णय लिए गए हैं। पुनरीक्षण प्राधिकरण ने कहा कि उद्योग, खान और भूविज्ञान विभाग द्वारा संबंधित विभागों के विशेषज्ञों के साथ एक समिति का गठन किया जाना चाहिए और तथ्यात्मक और कानूनी प्रस्तावों की जांच की जानी चाहिए और किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

उपर्युक्त मामले में उपरि वर्णित घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने मूल्यांकन किया कि निपटान में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ है और तदनुसार, इसे रिपोर्टिंग के उद्देश्य के लिए आकस्मिक देयता के रूप में नहीं माना गया है।

4. [क].II. साख-पत्र एवं गारंटी

31.03.2024 को यथा बकाया साख-पत्र (एलओसी) शून्य (शून्य) है एवं निर्गत बैंक गारंटी ₹73.66 करोड़ (₹70.96 करोड़) है।

4. [ख] सुपुर्दगियाँ

पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है:

- पूंजीगत खाते पर निष्पादित की जाने वाली शेष राशि ₹ 1127.25 करोड़ (₹ 657.76 करोड़) है।
- राजस्व खाते पर निष्पादित की जाने वाली शेष राशि ₹ 35467.18 करोड़ (₹ 8620.76 करोड़) है।

5. अन्य प्रावधान

क. प्रति शेयर अर्जन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023 (पुनःकथित)
i.	कर के उपरांत लाभ/(हानि) (₹ करोड़ में)	251.59	892.80
ii.	**साम्य शेयरधारकों को रोप्य कर पश्चात् निवल लाभ (₹ करोड़ में)**	**251.59**	**892.80**
iii.	साम्या शेयर बकाया का भारित औसत संख्या	4,26,94,200	4,26,94,200
iv.	रूपये में मूल एवं तनुकृत अर्जन प्रति शेयर (प्रति शेयर ₹1000/- अंकित मूल्य) (₹) [iii ÷ iv]	58.93	209.12

ख. संबद्ध पक्षकार प्रकटन

(i) नियंत्रणी एवं इसकी अनुषंगियाँ

अ. कोल इंडिया लिमिटेड (नियंत्री कंपनी)
आ. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)
इ. केन्द्रीय कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)
ई. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)
उ. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)
ऊ. नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)
ऋ. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)
ऌ केंद्रीय माइन प्लानिंग एवं डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)

(ii) सोसाइटी

अ. भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम)

(iii) नियोजन उपरांत प्रसुविधा निधि:

अ. एलआईसीआई के साथ सामूहिक उपदान नकदी संचयन योजना
आ. एलआईसीआई के साथ नई सामूहिक उपदान नकदी संचयन योजना (01.04.2014 के पश्चात् नियुक्त कर्मियों के लिए)
इ. एलआईसीआई के साथ नई सामूहिक उपदान नकदी संचयन योजना (29.06.2020 के पश्चात् नियुक्त कर्मियों के लिए)
ई. एलआईसीआई के साथ नया समूहगत अवकाश नकदीकरण योजना
उ. कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)
ऊ. कोल इंडिया अधिवर्षिता प्रसुविधा निधि न्यास
ऋ. कर्मचारियों के लिए संशोधित अंशदायी सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सेवा योजना
ऌ सीआईएल अधिशाषी परिभाषित अंशदान पेंशन न्यास

ग. (i) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकगण :

1	श्री समीरन दत्ता	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (28.12.2023 से)
2	श्री अंबिका प्रसाद पंडा	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (01.02.2022 से 27.12.2023 तक)
3	मो. अंज़ार आलम	निदेशक (वित्त) (15.09.2022 से)
4	श्रीमती आहुती स्वाईं	निदेशक (कार्मिक) (18.11.2022 से)
5	श्री नीलेन्दु कुमार सिंह	निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना (09.12.2022 से)
6	श्री नीलाद्री रॉय	निदेशक (तकनीकी) संचालन (01.02.2023 से)

अंशकालिक पदीय निदेशकगण :

1	श्री बी. वीरा रेड्डी	निदेशक (तकनीकी), सीआईएल (12.05.2022 से)
2	श्री मुकेश अग्रवाल	निदेशक (वित्त), सीआईएल (18.03.2024 से)
3	श्री हारा कुमार हाजोंग	आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय (05.07.2022 से 30.06.2023 तक)
4	श्री माणिक चंद्र पंडित	निदेशक, कोयला मंत्रालय (19.07.2023 से)

स्वतंत्र निदेशक :

1.	श्रीमती धर्मशीला गुप्ता (01.11.2021 से 13.02.2024 तक)
2.	श्री शिव नारायण पाण्डेय (01.11.2021 से)
3.	श्री शिव तपस्या पासवान (01.11.2021 से)

कंपनी सचिव :

1.	श्री रामबाबू पाठक (02.07.2018 से)

मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) :

1.	मो. अंज़ार आलम (15.09.2022 से)

(ii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं.	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकगणों एवं कंपनी सचिव को पारिश्रमिक	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023
i.	अल्पावधि कर्मी प्रसुविधाएँ :	3.22	2.08
ii.	नियोजनोपरांत प्रसुविधाएँ :	0.49	0.30
iii.	पर्यवसान प्रसुविधाएँ (पृथक्करण के समय में प्रदत्त)	-	0.20
	कुल	**3.71**	**2.58**

(iii) स्वतंत्र निदेशकगणों को भुगतान **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं.	स्वतंत्र निदेशकगणों को भुगतान	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2024	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2023
i.	बैठक शुल्क	0.13	0.15

(iv) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के साथ बकाया शेष **(₹ करोड़ में)**

		31-03-2024	31-03-2023
i.	राशि देय	-	0.02
ii.	राशि प्राप्य	-	-

(v) कंपनी के निदेशकगणों या अन्य अधिकारियों का किसी अन्य व्यक्ति के साथ पृथकतः या संयुक्तः कोई व्यवसाय या अन्य देय राशियाँ नहीं हैं। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्य क्रमशः फर्मों या निजी कंपनियों से देय है जिसमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है।

(vi) समूह के अंदर संबद्ध पक्षकार अंतरण

सीआईएल के साथ लेनदेन की प्रकृति चालू खाते के जरिए शीर्ष प्रभार, अनुसंधान एवं विकास व्यय, पुनर्वासन व्यय, सहायकी, ईडीसी ऋण चुकौती, और कर्मचारियों से संबंधित व्यय हैं। भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुसार, महत्वपूर्ण लेनदेनों की प्रकृति एवं राशि विषयक प्रकटनें निम्नलिखित है।

31-03-2024 को यथा बकाया शेष और तब समाप्त वर्ष के लिए लेनदेन **(₹ करोड़ में)**

संबद्ध पक्षकारों का नाम	संबद्ध पक्षकारों को ऋण	संबद्ध पक्षकारों से ऋण	अन्य सेवाएँ		सीआईएल के पास जमा निधि पर ब्याज	चालू लेखा शेष (देय)/ प्राप्य	बकाया शेष (देय)/ प्राप्य
			सीआईएल के सेवा शुल्क	पुनर्वास. शुल्क			
सीआईएल	-	-	47.56	26.24	-	(206.27)	-
आईआईसीएम	-	-	-	-	-	-	(0.93)
सीएमपीडीआईएल	-	-	-	-	-	-	(102.25)

31-03-2023 को यथा बकाया शेष तथा तब समाप्त वर्ष के लिए लेनदेन **(₹ करोड़ में)**

संबद्ध पक्षकारों का नाम	संबद्ध पक्षकारों को ऋण	संबद्ध पक्षकारों से ऋण	अन्य सेवाएँ			चालू लेखा शेष (देय)/ प्राप्य		बकाया शेष (देय)/ प्राप्य
			सीआईएल के सेवा प्रभार	पुनर्वासन प्रभार	सीआईएल के पास रखी गई निधियों पर ब्याज			
सीआईएल	-	-	35.02	21.29	-	(139.33)		-
आईआईसीएम	-	-	-	-	-	-		(1.00)
सीएमपीडीआईएल	-	-	-	-	-	-		(94.81)

घ. खण्ड रिपोर्टिंग :

कंपनी प्रधानतः कोयले के उत्पादन एवं विक्रय के एकल खण्ड कारबार में लगी हुई है। ब्याज और अय आय से वाली आय कुल राजस्व का 10% से कम है; अतः इसके लिए कोई पृथक खण्ड निर्धारित नहीं है।

ङ. अनुपात

	31-03-2024	31-03-2023	विचरण	विचरण का कारण
अ. चालू अनुपात : चालू अनुपात कंपनी की समस्त चलनिधि की स्थिति को उपदर्शित करता है। उनके ग्राहकों को कार्यशील पूँजीगत ऋण देने संबंधी निर्णय निर्धारण में बैंकों द्वारा इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चालू अनुपात को यथा चालू आस्तियों को चालू देयताओं से भाग कर परिकलन किया गया है	0.73	0.83	-12.05%	
आ. कर्ज-साम्या अनुपात : कर्ज-साम्या अनुपात कंपनी के कुल कर्ज को शेयरधारकों के साम्या से तुलना करता है। कंपनी के तुलन-पत्र में ये दोनों संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता है। कर्ज-साम्या अनुपात को यथा कुल कर्ज को शेयरधारकों की साम्या से भाग कर परिकलन किया गया है।	0.04	0.04	0.00%	
इ. कर्ज सेवा व्यापन अनुपात: कर्ज सेवा व्यापन अनुपात को चालू ब्याज एवं किस्तों को चुकता करने की फर्म की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कर्ज सेवा व्यापन अनुपात को यथा कर्ज सेवा के लिए उपलब्ध अर्जन को कर्ज सेवा से भाग कर परिकलित किया जाता है। कर्ज सेवा के लिए अर्जन = कर पूर्व निवल लाभ + गैर-नकदी परिचालनात्मक व्यय जैसे मूल्यह्रास एवं अन्य ऋण चुकौती + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल आस्तियों के विक्रय पर हानि इत्यादि। कर्ज सेवा = ब्याज पट्टाधृति संदाय + मूलधन चुकौती। "करोपरांत निवल लाभ" से आशय "अवधि के लिए लाभ/(हानि)" की सूचित राशि है और यह अन्य व्यापक आय के मदों को समाविष्ट नहीं करता है।	12.57	97.51	-87.11%	गत वर्ष की तुलना में करोपरांत लाभ में वृद्धि होने के कारण कर्ज चुकौती व्यापन अनुपात में अंतर
ई. साम्या अनुपात पर वापसी: यह कंपनी में निवेशित साम्या निधियों की लाभप्रदता को मापित करता है। यह अनुपात कंपनी द्वारा कैसे साम्या-धारकों के निधियों की लाभप्रदता का उपयोग किया गया है को प्रकट करता है। यह अनुपात यथा : (करोपरांत निवल लाभ से अधिमान लाभांश (यदि कोई हो) को घटाकर) को औसत शेयरधारक साम्या से भाग कर संगणित किया जाता है	0.09	0.39	-76.92%	गत वर्ष की तुलना में करोपरांत लाभ में कमी होने के कारण प्रतिफल से साम्या अनुपात में अंतर
उ. वस्तुसूची आवर्त अनुपात : यह अनुपात नामशः स्टॉक आवर्त अनुपात भी है और अवधि के दौरान बेची गई या बिक्री हुई मालों की लागत और अवधि के दौरान औसत वस्तूसूची के मध्य संबंध स्थापित करता है। यह दक्षता को मापित करता है जिस के साथ कंपनी अपने वस्तूसूची का उपयोग एवं प्रबंधन करता है। वस्तुसूची आवर्त अनुपात यथा बिक गए या बिक्री मालों की लागत को औसत वस्तुसूची से भाग देकर परिकलित किया जाता है। औसत वस्तुसूची (प्रारंभिक + अंतिम शेष)/2 है। जब वस्तुसूची की आरंभिक और अंतिम शेष की सूचना अनुपलब्ध हो तब अनुपात सीओजीएस या बिक्री को वस्तुसूची के अंतिम शेष भाग देते हुए परिकलित किया जा सकता है।	27.22	45.13	-39.69%	गत वर्ष की तुलना में औसत वस्तसूची में वृद्धि के कारण वस्तुसूची आवर्त अनुपात में अंतर

	31-03-2024	31-03-2023	विचरण	विचरण का कारण
ऊ. व्यवसाय प्राप्य आवर्त अनुपात : यह दक्षता को मापित करता है जिसपर फर्म प्राप्य का प्रबंधन कर रहा है। व्यवसाय प्राप्य आवर्त अनुपात = निवल साख विक्रय / औसत लेखा प्राप्य औसत व्यवसाय प्राप्य = (प्रारंभिक + अंतिम शेष)/2 जब ऋण बिक्री, व्यवसाय देनदार का प्रारंभिक और अंतिम शेष की सूचना अनुपलब्ध हो तब अनुपात कुल विक्रय को व्यवसाय प्राप्य के अंतिम शेष से भाग देते हुए परिकलित किया जा सकता है।	8.04	7.26	10.74%	गत वर्ष की तुलना में औसत व्यवसाय प्राप्य में कमी के कारण व्यवसाय प्राप्य आवर्त अनुपात में अंतर
ऋ. व्यवसाय देय आवर्त अनुपात : यह विविध लेनदारों की संख्या उपदर्शित करती है जिन्हें अवधि के दौरान संदाय किया गया है। विविध लेनदारों को संदाय करने के लिए नकदी की आवश्यकता का आकलन करने के लिए परिकलित किया जाता है। यह निवल साख क्रयों को औसत लेनदारों से भाग देते हुए परिकलित किया जाता है। व्यवसाय देय आवर्त अनुपात = निवल साख क्रय / औसत व्यवसाय देय निवल साख क्रय समग्र साख क्रय से क्रय वापसी को घटाकर बनता है। जब साख क्रय , व्यवसाय लेनदारों का प्रारंभिक और अंतिम शेष की सूचना अनुपलब्ध हो तब अनुपात कुल क्रय को व्यवसाय लेनदारों के अंतिम शेष से भाग देते हुए परिकलित किया जा सकता है।	4.31	4.05	6.42%	
ए. निवल पूँजी आवर्त अनुपात : यह अपनी कार्यशील पूँजी का उपयोग करने में कंपनी की प्रभावशीलता को इंगित करता है। निवल पूँजी आवर्त अनुपात यथा निम्नवत परिकलित किया जाता है : उसी अवधि के दौरान निवल बिक्री को क्रियाशील पूँजी की औसत राशि से भाग। निवल पूँजी आवर्त अनुपात = निवल बिक्री / क्रियाशील पूँजी निवल बिक्री यथा कुल बिक्री से बिक्री वापसियों को घटाकर परिकलित किया जाएगा। क्रियाशील पूँजी यथा चालू आस्तियों से चालू देयताओं को घटाकर परिकलित किया जाएगा।	(5.21)	(9.17)	-43.18%	पिछले वर्ष की तुलना में कार्यशील पूंजी में कमी के कारण शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात में भिन्नता।
ऐ. निवल लाभ अनुपात : यह व्यवसाय के निवल लाभ और बिक्री के बीच के संबंध को मापित करता है। निवल लाभ अनुपात = निवल लाभ / निवल बिक्री निवल लाभ करोपरांत होगा। निवल बिक्री यथा कुल बिक्री से बिक्री वापसी को घटकर परिकलित किया जाएगा।	0.02	0.06	-66.67%	पिछले वर्ष की तुलना में पीएटी में कमी के कारण शुद्ध लाभ अनुपात में भिन्नता।
ओ. प्रयुक्त पूँजी पर वापसी : नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ऋण धारकों और साम्या धारकों दोनों के लिए प्रतिफल उत्पन्न करने के लिए कंपनी के प्रबंधन की क्षमता को दर्शाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, कंपनी द्वारा वापीस उत्पन्न करने के लिए नियोजित पूँजी अधिक कुशलता से होगी। आरओसीई = ब्याज और कर पूर्व अर्जन / अभिनियोजित पूँजी अभिनियोजित पूँजी = मूर्त निवल मालियत + कुल कर्ज + आस्थगित कर देयताएँ	0.09	0.45	-80.00%	पिछले वर्ष की तुलना में ईबीआईटी में कमी के कारण नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में भिन्नता।
औ. निवेश पर वापसी : निवेश पर वापसी प्रसुविधा जो एक निवेशक अपने निवेशित लागत के संबंध में प्राप्त करेगा को परिकलित करने के लिए प्रयुक्त एक वित्तीय अनुपात है। जितना अधिक अनुपात होगा, उतना अधिक लाभ अर्जित होगा। व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि में से एक समय भारित प्रतिलाभ दर (टीडब्ल्यूआरआर) है और ब्याज दर (ROI) के परिकलन के लिए उसी का अनुसरण किया जाना चाहिए। यह निवेश नकदी प्रवाह के समय के लिए प्रतिफल को समायोजित करता है। प्रत्येक आस्ति वर्ग (जैसे, साम्या, नियत आय, मुद्रा बाजार, आदि) के लिए अलग से ब्याज दर (आरओआई) प्रदान किया जाता है। ब्याज दर = अंतिम बाजार मूल्य - (प्रारंभिक बाजार मूल्य + नकदी प्रवाह का जोड़)/ (अंतिम बाजार मूल्य + भारित नकदी प्रवाह का जोड़)				

	31-03-2024	31-03-2023	विचरण	विचरण का कारण
i. असूचीबद्ध अनुषंगियों में साम्या निवेश पर ब्याज दर : (अनुषंगियों की साम्या से लाभांश)/(औसत निवेश)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
ii. संयुक्त उद्यमों में साम्या निवेश पर ब्याज दर : ब्याज दर = ((संयुक्त उद्यमों के साम्या से प्राप्त लाभांश))/((संयुक्त उद्यमों के साम्या में औसत निवेश))	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
iii. नियत आय निवेश (बॉण्ड/डिबेंचर इत्यादि) = (ब्याज आय)/(औसत निवेश)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
iv. पारस्परिक निधि पर ब्याज दर = (लाभांश+पूँजीगत लाभ+उचित मूल्य लाभ (हानि))/(औसत निवेश)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
v. जमाराशियों पर ब्याज दर (बैंकों, आईसीडी सहित एफआईआई) = (ब्याज आय)/ (औसत निवेश)	0.09	0.06	41.40%	गत वर्ष की तुलना में निवेश पर ब्याज दर में वृद्धि के कारण

ङ. मास्टर योजना के अधीन निधि

कंपनी पट्टाधृति के कोयला धारक प्रभावित क्षेत्र में निवासित व्यक्तियों के पुनर्वासन के साथ व्यवहार करने के लिए मास्टर योजना के अधीन निधि प्राप्त करता है। आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) गैर-ईसीएल घरों में निवासित व्यक्तियों के पुनर्वासन के लिए क्रियान्वयन अभिकरण है, जिसके लिए कंपनी यथा नोडल अभिकरण है। यथा नोडल अभिकरण प्राप्त निधि एडीडीए को अग्रिम राशि प्रदान किया जाता है और ऐसे अग्रिम (टिप्पणी – 6.2 में अन्य जमाराशियों एवं अग्रिमों के अधीन दर्शाया गया है) के साथ-साथ सुसंगत निधि, दोनों एडीडीए द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता विवरणी के आधार पर समायोजित किया जाता है। 31 मार्च, 2024 को यथा ₹219.32 करोड़ (31 मार्च, 2023 को यथा ₹311.44 करोड़) की अदोहित निधि के समायोजन के लिए एडीडीए से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित है।

मास्टर योजना के अधीन अदोहित निधि की स्थिति एतद् निम्न दर्शित है :

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	को यथा 31-03-2024	को यथा 31-03-2023
अदोहित निधि का प्रारंभिक शेष	311.44	11.44
जोड़ : वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	-	300.00
न्यून : वर्ष के दौरान अदोहन/समायोजन	92.12	-
अदोहित निधि का अंतिम शेष	219.32	311.44

छ. लेखा में निर्मित प्रावधान

कलापेक्षी/अचल/अप्रचलित स्टोरों, प्राप्य दावे, अग्रिमों, संदिग्ध ऋण आदि के विरूद्ध खातों में कृत प्रावधानें संभावित हानियों की रक्षा करने में पर्याप्त माने जाते हैं।

ज. चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम आदि

कारबार के साधारण क्रम में चालू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों पर वसूली पर मूल्य उस राशि से कम नहीं होगा जिस पर उन्हें तुलन पत्र में विवरणित हैं।

झ. चालू देयताएँ

अनुमानित देयता जहाँ वास्तविक देयता को मापित नहीं किया जा सकता है को उपबंधित किया गया है।

ञ. शेष प्रमाण

नकदी और बैंक शेषराशियों, कतिपय ऋणों एवं अग्रिमों, दीर्घावधि देयताओं और चालू देयताओं के लिए जमाराशि पुष्टिकरण/समाधान किया जाता है। संदिग्ध अपुष्ट शेषराशियों के विरूद्ध प्रावधान किया जाता है।

ट. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष एवं 01 अप्रैल 2022 को यथा के लिए पुनर्कथन

भारतीय लेखांकन मानक (भा.ले.मा.) 8, "लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन" तथा भा.ले.मा. 1 – "वित्तीय विवरणियों की प्रस्तुति" के अनुसार कंपनी ने 31 मार्च 2023 और 1 अप्रैल 2022 (पूर्ववर्ती अवधि की शुरुआत; उस अवधि से पहले पुनर्कथन के रूप में) और लाभ व हानि विवरणी और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी नीचे बताए गए कारणों के लिए पूर्वव्यापी रूप से अपने तुलन-पत्र को पुनः स्थापित किया है:

खुली खदान खनन के मामले में, सीआईएल ने अपनी स्थापना के बाद से विपट्टन गतिविधि (उपरि अधिभार हटाव) की अपनी लेखा नीति का लगातार पालन किया है। मौजूदा नीति के तहत विपट्टन गतिविधि लागत में दो घटक यथा अग्रिम विट्टन एवं अनुपात अंतर शामिल हैं। अग्रिम विपट्टन को वास्तविक माप के आधार पर वर्तमान संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई थी। अनुपात अंतर, मानक अंतर पर आधारित, अधिभार हटाव लागत को समान रूप से परियोजना काल तक विस्तारित करने के लिए यथा अप्रचलित प्रावधानों के रूप में मान्यता प्राप्त है।

वर्ष के दौरान, कंपनी की विपट्टन गतिविधि नीति पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी) की एक राय के आधार पर, परिशिष्ट बी के अनुसार विपट्टन गतिविधि पर एक संशोधित नीति एक सतही खान के उत्पादन चरण में लागत अलग करना, भा.ले.मा. 16, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर कंपनी द्वारा लागू किया गया है। 31 मार्च, 2022 को विद्यमान अग्रिम विपट्टन शेष को टिप्पणी 3.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के तहत 01.04.2022 तक विपट्टन गतिविधि आस्तियों के रूप में माना गया है।

वित्तीय विवरणी लाइन मदों का सामंजस्य जो पूर्वव्यापी रूप से पुन: स्थापित किए गए हैं, निम्नानुसार हैं:

i) 31 मार्च 2023 एवं 01 अप्रैल 2022 को यथा तुलन-पत्र के पुनर्कथित मदों का समाधान (₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	टिप्पणी	31-03-2023 को यथा			01-04-2022 को यथा		
		यथा पूर्व प्रतिवेदित	समायोजन	यथा पुनर्कथित	यथा पूर्व प्रतिवेदित	समायोजन	यथा पुनर्कथित
संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर	3.1	4677.30	834.74	5512.04	4411.30	579.09	4990.39
आस्थगित कर आस्तियाँ	11.2	1003.26	-210.09	793.17	904.97	0.00	904.97
कुल आस्तियाँ		17172.90	624.65	17797.55	14733.25	579.09	15312.34
अप्रचलित प्रावधान	9.1	4306.30	348.27	4654.57	4369.68	579.09	4948.77
अन्य साम्या	7.2	-1725.55	276.38	-1449.17	-2455.71	0.00	-2455.71
आस्थगित कर देयताएँ	11.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल साम्या एवं देयताएँ		17172.90	624.65	17797.55	14733.25	579.09	15312.34

ii) (अ) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि विवरणी का पुनर्कथित मदों का समाधान (₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ		टिप्पणी	यथा पूर्व प्रतिवेदित	समायोजन	यथा पुनर्कथित
कोयला तक बेहतर पहुँच	(अ)		-	(274.73)	(274.73)
अनुपात अंतर आरक्षित	(आ)		76.46	(165.92)	(89.46)
अग्रिम विपट्टन	(इ)		77.18	(64.90)	12.28
विपट्टन गतिविधि समायोजन	(अ+आ+इ)	**13.6**	153.64	(505.55)	(351.91)
मूल्यह्रास, परिशोधन एवं क्षति व्यय		13.5	609.27	19.08	628.35
कर पूर्व लाभ			793.95	486.47	1,280.42
कर व्यय		14.1	177.53	210.09	387.62
अवधि के लिए लाभ			616.42	276.38	892.80
कुल व्यापक आय			730.16	276.38	1,006.54

(आ) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि विवरणी में प्रभाव (₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ		टिप्पणी	राशि
कोयला तक बेहतर पहुँच	(अ)		(366.39)
अनुपात अंतर आरक्षित	(आ)		(223.88)
अग्रिम विपट्टन	(इ)		-
विपट्टन गतिविधि समायोजन	(अ+आ+इ)	**13.6**	(590.27)
मूल्यह्रास, परिशोधन एवं क्षति व्यय		13.5	67.89
कर पूर्व लाभ			522.38
कर व्यय		14.1	19.13
वर्ष के लिए लाभ			503.25
कुल व्यापक आय			503.25

(iii) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणई का समाधान (₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	यथा पूर्व प्रतिवेदित	समायोजन	यथा पुनर्कथित
कर पूर्व लाभ	793.95	486.47	1,280.42
मूल्यह्रास, परिशोधन एवं क्षति व्यय	609.27	19.08	628.35
विपट्टन गतिविधि समायोजन	153.64	(505.55)	(351.91)
निम्न आस्तियों एं देयताओं में परिवर्तन के पूर्व परिचालनात्मक गतिविधियों से नकदी प्रवाह	1,213.02	0.00	1,213.02
वित्तीय एवं अन्य देयताएँ	1,995.14	0.00	1,995.14
परिचालन से उद्भूत नकदी	3,283.53	0.00	3,283.53
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी)	(350.18)	0.00	(350.18)
वर्ष के आरंभ में यथा नकदी एवं नकदी समतुल्य	882.29	-	882.29
वर्ष के अंत में यथा नकदी एवं नकदी समतुल्य	532.11	-	532.11

(iv) प्रति शेयर अर्जन का समाधान

उपर्युक्त समायोजनों के परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रति शेयर मूल और पतला आय नीचे दी गई है:

विशिष्टियाँ	यथा पूर्व प्रतिवेदित	समायोजन	यथा पुनर्कथित
मूल एवं तनुकृत ईपीएस	144.38	64.74	209.12

ठ. (i) ए.एस.टी. सं. 2011 का 617, दिनांकित 26.08.2011 में माननीय उच्च न्यायलय, कोलकाता के निदेशानुसार डिसेरगढ़ पावर सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड (वर्तमान में इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड) से विद्युत आपूर्ति की पुनःबहाली के लिए यथा अग्रिम ₹8.00 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी। उस राशि को टिप्पणी 6.2 – अन्य चालू आस्तियाँ में दर्शाया गया है।

(ii) ₹3.96 करोड़ की तदर्थ अग्रिम राशि आईपीसीएल को उनके द्वारा प्रस्तुत वियोजन सूचना जो माननीय लोकपाल, डब्ल्यूबीईआरसी के समक्ष अपीलीय कार्यवाहियों में लंबित है के कारण प्रदान की गई थी। उस राशि को टिप्पणी 6.2 – अन्य चालू आस्तियाँ में दर्शाया गया है।

(iii) ए.एस.टी. सं. 1904/2011, दिनांकित 21.12.2011 में माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के निदेशानुसार आईपीसीएल को विद्युत बिल के लिए ₹39.19 करोड़ की राशि यथा प्रतिभूति जमाराशि प्रदान की गई है। उस राशि को टिप्पणी 6.1 – अन्य अप्रचलित आस्तियाँ के अधीन दर्शाया गया है।

उक्त मामलातों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के समक्ष विवाद के प्रत्यावर्तन के लिए प्रस्तुत किया गया था। मध्यस्थ अपने दिनांक 15 फरवरी, 2021 के आदेश के माध्यम से निर्णय दिया है कि यथा समुत्थापित विवाद्यक कोलकाता उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका का विषय-वस्तु है।

माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली (अपीली अधिकारिता) के समक्ष मध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अधीन उक्त मामले से संबंधित अपील दायर की गई है। माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा 29 अक्टूबर 2021 के आदेश के माध्यम तथाकथित अपील को खारिज कर दिया था।

मामलात सं. (i) एवं (ii) के संबंध में, ईसीएल ने माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय के समक्ष मामले पर बहस करने से लिए अधिवक्ता/ वरिष्ठ काउंसेल नियुक्त किया है और मामलात सं. (iii) ईसीएल ने माननीय खण्ड न्यायपीठ, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के अधीन अभ्यावेदन दायर की है।

तथापि, माननीय पुनरीक्षण पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कंपनी की अपील को खारिज कर दिया गया है। कंपनी ने विभिन्न मंचों पर अधिनिर्णय के लिए लंबित प्राप्य राशि के समायोजन के लिए एलडी वाणिज्यिक न्यायालय, आसनसोल के समक्ष सीपीसी के आदेश 21 नियम 18 और आदेश 21 नियम 29 के तहत एक आवेदन दायर किया है। वाणिज्यिक न्यायालय ने विभिन्न मंचों पर निर्णय के लिए लंबित प्राप्य राशि के समायोजन के लिए ईसीएल की याचिका को खारिज कर दिया और उस पर ब्याज के साथ 6.06 करोड़ रुपये की अंतर राशि का भुगतान करने के लिए मध्यस्थ के फैसले को बरकरार रखा। बैंक गारंटी के बदले सावधि जमा से ₹ 8.64 करोड़ की कटौती की गई है और आईपीसीएल को भुगतान किया गया है। भुगतान की तारीख तक खातों में ₹ 0.91 करोड़ का विभेदक ब्याज प्रदान किया गया है।

ड. ईसीएल के राजमहल क्षेत्र से प्रेषित कोयले में सतह की नमी अधिक होने के कारण एनटीपीसी फरक्का द्वारा वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए और एनटीपीसी कहलगांव द्वारा वर्ष 2017 से 2021 के लिए 214.52 करोड़ रुपये की राशि का दावा किया गया है। राजमहल कोयला खानों में भूवैज्ञानिक और मौसम संबंधी स्थितियों के कारण ईसीएल द्वारा संयुक्त सुलह वक्तव्य में उक्त दावे को स्वीकार नहीं किया गया है।

ढ. ईसीएल और बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड (बीएसपीजीसीएल) के बीच एक विवाद को 2016-17 से 2020-21 से संबंधित कोयले के शॉर्टलिफ्टिंग के लिए मुआवजे के दावे की प्रयोज्यता के संबंध में एएमआरसीडी को भेजा गया है। एएमआरसीडी निर्णय प्राप्त होने पर राशि की मात्रा निर्धारित की जा सकती है। वर्तमान में ईसीएल ने 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए मुआवजे के दावे के लिए ₹141.18 करोड़ की गणना की है।

ण. कोल इंडिया लिमिटेड में 24 दिसंबर 2020 को आयोजित सीआईएल बोर्ड की 415वीं बैठक में, यह मूल्यांकन किया गया था कि सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के मामले में, उल्टे शुल्क ढांचे यानी कोयले पर जीएसटी के 5% होने के कारण निविष्टि कर जमा (आईटीसी) का संचय हुआ है, जबकि निविष्टि, पूँजीगत माल और निविष्टि सेवाओं पर जीएसटी दर 12%, 18% एवं 28% के टैक्स कोष्ठक के अंतर्गत आती है। इसके परिणामस्वरूप, सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियां आईटीसी का पूर्ण उपयोग करने की स्थिति में नहीं हैं। तदनुसार, सीआईएल निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से सभी पूंजीगत व्यय पर जीएसटी को पूंजीकृत करने तथा कंपनी अधिनियम 2013 और आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान के अनुसार उसी पर मूल्यह्रास का दावा करने को मंजूरी दी।

कंपनी का परिचालन पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में है। कंपनी झारखंड क्षेत्र में पूंजीगत व्यय पर जीएसटी का पूंजीकरण कर रही है। तथापि, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पश्चिम बंगाल क्षेत्रों में उपर्युक्त स्थिति का अपवाद है जहां संपूर्ण जीएसटी आईटीसी का उपयोग आउटपुट जीएसटी देयता के भुगतान के लिए किया जा रहा है और जीएसटी आईटीसी का कोई संचय नहीं है। इस प्रकार, पूंजीगत व्यय पर पात्र जीएसटी आईटीसी का लाभ उठाया जा रहा है और आउटपुट जीएसटी देयता के भुगतान के लिए उपयोग किया जा रहा है क्योंकि यह कंपनी के लिए फायदेमंद है।

त. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए तुलन पत्र की तारीख पर कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

थ. समूह के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत रद्द की गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं हुआ था।

द. प्रकीर्ण सूचनाएँ

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति :

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अधीन कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार कंपनी द्वारा अंगीकृत लेखांकन नीतियाँ विशदीकरण करने के लिए तात्त्विक लेखांकन नीति (टिप्पणी-2) को प्रारूपित किया गया है।

वित्तीय विवरणियों के उपयोगकर्ताओं के लिए स्पष्टता बढ़ाने के लिए तात्त्विक लेखांकन नीतियों को अद्यतन किया गया है। इन अद्यतनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता हैं।

ध. अन्य

अ. कंपनी अपने सामान्य परिचालन चक्र को बारह (12) महीने में प्राक्कलित करता है।

आ. भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार जब कभी आवश्यक प्रतीत हुआ है तब पूर्व वर्षों के आँकडों को पुनःसमूहित एवं पुनःव्यवस्थापित किया गया है।

ई. टिप्पणी – 1 एवं 2 क्रमशः निगमित सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का द्योतक है, टिप्पणी 3.1 से 11.2 तक 31 मार्च, 2024 को यथा तुलन-पत्र के भागरूप हैं और टिप्पणी 12.1 से 15.1 तक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरणी के भागरूप हैं। टिप्पणी-16 में वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ उपबंधित है।

ई. टिप्पणी – 1 एवं 2 क्रमशः निगमित सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का द्योतक है, टिप्पणी 3.1 से 11.2 तक 31 मार्च, 2024 को यथा तुलन-पत्र के भागरूप हैं और टिप्पणी 12.1 से 15.1 तक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरणी के भागरूप हैं। टिप्पणी-16 में वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ उपबंधित है।

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(श्याम सुंदर)
विभागीय प्रधान (वित्त)

(मो. अंज़ार आलम)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-09743117

(समीरन दत्ता)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-08519303

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
रॉय घोष एवं एसोसिएट की ओर से
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं. 320094ई
सीए सुब्रत रॉय
साझेदार
सदस्यता संख्या. 053959

दिनांक : 20.04.2024
स्थान : कोलकाता

शब्दकोष

क्रम सं.	संक्षेपाक्षर	पूर्ण प्रपत्र
1	ABPMJAY	Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana
2	AGM	Annual General Meeting
3	APR	Annual Property Return
4	ASOs	Area Safety Officer
5	ATR	Action Taken Report
6	BCCL	Bharat Coking Coal Limited
7	BOT	Board of Trustees
8	BT	Billion Ton
9	C&AG	Comptroller and Auditor General of India
10	C2C	Coal to Chemical
11	CAAQMS	Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station
12	CAPEX	Capital Expenditure
13	CBA (A&D) Act	Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act
14	CBM	Coal Bed Methane
15	CBT	Computer Based Test
16	CCL	Central Coalfields limited
17	CEO	Chief Executive Officer
18	CFO	Chief Financial Officer
19	CGST	Central Goods and Services Tax
20	CHP	Coal Handling Plant
21	CIL	Coal India Limited
22	CIMFR	Central Institute of Mining and Fuel Research
23	CIN	Corporate Indentification Number
24	CIPET	Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology
25	CISF	Central Industrial Security Force

क्रम सं.	संक्षेपाक्षर	पूर्ण प्रपत्र
26	CM	Continous Miner
27	CMAL	Coal Mines Authority Limited
28	CMC	Contract Mnagement Cell
29	CMD	Chairman-cum-Managing Director
30	CMERI	Central Mechanical Engineering Research Institute
31	CMM	Coal Mine Methane
32	CMPDIL	Central Mine Planning and Design Institute Limited
33	CMPFO	Coal Mines Provident Fund Organisation
34	COPU	Committee on Public Undertaking
35	CPGRAMS	Central Public Grievance Redress Monitoring System
36	CPP	Captive Power Plants
37	CPSE	Central Public Sector Enterprises
38	CRO	Chief Risk Officer
39	CSR	Corporate Social Responsibility
40	CST	Central Sales tax
41	CTE	Consent to Establish
42	CUG	Closed User Group
43	CVC	Central Vigilance Commission
44	DARPG	Department of Administrative Reforms and Public Grievances
45	DFO	Divisional Forest Officer
46	DGMS	Directorate General of Mines Safety
47	DIN	Director Identification Number
48	DIPAM	Department of Investment and Public Asset Management
49	DMF	District Mineral Foundation
50	DPE	Department of Public Enterprises
51	DPR	Detailed Project Report
52	DRM	Divisional Railway Manager

क्रम सं.	संक्षेपाक्षर	पूर्ण प्रपत्र
53	DSC	Digital Signature Certificates
54	DVC	Damodar Valley Corporation
55	EBIT	Earnings before Interest and Taxes
56	EBITDA	Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization
57	EC	Environmental Clearance
58	ECFDs	Empowered Committee of Functional Directors
59	ECL	Eastern Coalfields Limited
60	EGM	Extra-Ordinary General Meeting
61	EIA	Environmental Impact Assessment
62	e-MB	e-Measurement Book
63	EMP	Environmental Management Plan
64	EOI	Expression of Interest
65	EPS	Earning Per Share
66	ERP	Enterprise Resource Planning
67	F.Y.	Financial Year
68	FIRs	First Information Report
69	FMC	First Mile Connectivity
70	Forex	Foreign Exchange
71	FSA	Fuel Supply Agreements
72	GAIL	Gas Authority of India Ltd
73	GCV	Gross Calorific Value
74	GDP	Gross Domestic Product
75	GeM	Government e Marketplace
76	GM	General Manager
77	GOI	Government of India
78	GPS	Global Positioning System
79	GST	Goods and Services Tax

क्रम सं.	संक्षेपाक्षर	पूर्ण प्रपत्र
80	GUI	Graphical User Interface
81	GW	Giga Watt
82	HEMM	Heavy Earth Moving Machinery
83	HMD	Head-Mounted Displays
84	HQ	Headquarter
85	HRD	Human Resource Development
86	HSC	Health Sub-Centre
87	HSD	High-Speed Diesel
88	HWC	Health and wellness Centre
89	IA	Internal Audit
90	ICAI	Institute of Chartered Accountants of India
91	ICC	Internal Complaints Committee
92	ICMAI	Institute of Cost Accountant Of India
93	ICMR	Indian Council of Medical Research
94	ICSI	Institute of Company Secretaries of India
95	ICVL	International Coal Ventures Limited
96	IFC	Internal Finance Control
97	IGST	Integrated Goods and Services Tax
98	Ind AS	Indian Accounting Standard
99	IOD	Institute of Directors
100	IOL	Intraocular Lens
101	IRN	Invoice Reference Number
102	ISO	International Organisation for Standardization
103	ITC	Input Tax Credit
104	JCC	Joint Consultative Committee
105	JV	Joint Venture
106	KMP	Key Managerial Personnel

क्रम सं.	संक्षेपाक्षर	पूर्ण प्रपत्र
107	kWh	Killo Watt Hours
108	L. Te.	Lakh Tonne
109	LAN	Local area Network
110	LHCM	Low Height Continuous Miner
111	LHD	Load Haul Dump
112	LLS	Land Looser Scheme
113	LOA	Letter of Approval
114	LODR	Listing Obligations and Disclosure Requirement
115	LRE	Land Revenue and Estate
116	M. Cum	Million Cubic Meter
117	MCA	Ministry of Corporate Affairs
118	MDO	Mine Develop and Operate
119	MGR	Merry Go Round
120	MHA	Ministry of Home Affair
121	MMCC	Monthly Monetary Cash Compensation
122	MoC	Ministry of Coal
123	MoEF	Ministry of Environment and Forest
124	MoU	Memorandum of Understanding
125	MSEs	Micro and Small Enterprises
126	MSME	Micro, Small Medium Enterprises
127	MTPA	Million Tonnes Per Annum
128	NCDP	New Coal DistributionPolicy
129	NCWA	National Coal Wages Agreement
130	NGO	Non-governmental Organization
131	NIC	National Informatics Centre
132	NIOH	National Institute of Occupational Health
133	NIT	Notice Invited Tender

क्रम सं.	संक्षेपाक्षर	पूर्ण प्रपत्र
134	NMET	National Mineral Exploration Trust
135	NRS	Non-Regulated Sector
136	NTEP	National Tuberculosis Elimination Program
137	NTPC	National Thermal Power Corporation
138	OAVM	Other Audio Visual Means
139	OB	Ovder Burden
140	OBC	Other Backward Classes
141	OCP	Open Cast Project
142	OMS	Output per Man shift
143	P&P	Project and Planing
144	PAFs	Project Affected Families
145	PAN	Permanent Account Number
146	PAPs	Project Affected Persons
147	PE Survey	Public Enterprises Survey
148	PFR	Project feasibility Report
149	PG Portal	Public Grievance
150	PIA	Project Implementing Agency
151	PMS	to Resilience and Mental Health
152	PRIDE	Performance Report for Individual Development of Executive
153	PRP	Performance Related Pay
154	PSU	Public Sector Undertaking
155	R&D	Research and Development
156	R&R	Rehabilitation and Resettlement
157	RCM	Reverse Charge Mechanism
158	RFID	Radio Frequency Identification
159	RTMs	Risk That Matters
160	S&T	Science and Technology

क्रम सं.	संक्षेपाक्षर	पूर्ण प्रपत्र
161	SA	Standard of Auditing
162	SCG	Surface Coal Gasification
163	SDC	Sustainable Development Cell
164	SDL	Side Discharge Loader
165	SEBI	Securities and Exchange Board of India
166	SECL	South Eastern Coalfields Limited
167	SEZ	Special Economic Zone
168	SGST	State Goods and Services Tax
169	SNA	State Nominated Agencies
170	SNG	Synthetic Natural Gas
171	SOP	Standard Operating Procedure
172	SRN	Service Request Number
173	SS	Secretarial Standard
174	ST	Scheduled Tribe
175	TPD	Tonne Per Day
176	TPP	Thermal power Plant
177	UCG	Underground Coal Gasification
178	UDIN	Unique Document Identification Number
179	UG	Under Ground
180	VAT	Value Added Tax
181	VC	Video Conferencing
182	VRS	Voluntary Retirement Scheme
183	VTS	Vehicle Tracking System
184	WBFDCL	West Bengal Forest Development Corporation
185	XBRL	eXtensible Business Reporting Language

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

Sensor Based Mist type Dust Suppression System

ECL

EASTERN COALFIELDS LIMITED

(A subsidiary of Coal India Limited)

www.easterncoal.nic.in